

October to December 2024
E-Journal
Volume I, Issue XLVIII

RNI No. – MPHIN/2013/60638
ISSN 2320-8767, E-ISSN 2394-3793
Scientific Journal Impact Factor- 8.054
ISO 9001:2015 - E2024049304
(Quality Management System)

Naveen Shodh Sansar

(An International Refereed/ Peer Review Research Journal)



नवीन शोध संसार

Editor - Ashish Narayan Sharma


Office Add. "Shree Shyam Bhawan", 795, Vikas Nagar Extension 14/2, NEEMUCH (M.P.) 458441, (INDIA)
Mob. 09617239102, Email : nssresearchjournal@gmail.com, Website www.nssresearchjournal.com


Index


01. Index	02
02. Regional Editor Board / Editorial Advisory Board	08/09
03. Referee Board	10
04. Spokesperson	12
05. Organic Farming: A Sustainable Option for Farmers and Natural Resources (Dr. Amita Rana)	14
06. The Role of Startup Ecosystems in Driving Economic Growth and Innovation: A Focus on Transforming the Indian Economy (Dr. Preeti Anand Udaipure)	18
07. Medicinal Plant Pippali Found in Bhopal Division (Dr. Sushama Singh Majhi)	23
08. Psychological Initiative on Mental Health of Tribal Society: in the Context of Bastar	25
(Dr. Dinesh Kumar Lahari, Mr. Shailesh Kumar Chandrakar)	
09. Yaksha: From Folk Beliefs to The Royal Art (Dr. Ashish Kumar Chachondia)	28
10. Identify Various Religious Practices which Conflict with Human Rights in India	31
(Dinesh Chaudhary, Dr. Rekha Mali)	
11. Examining the Impact of Consumer Perception on the Demand for Organic Food Products	35
in India (Dr. Preeti Anand Udaipure)	
12. भारत में वित्तीय बाजार एवं वित्तीय कौशल (लखन लाल कलेशरिया)	40
13. केन्द्रीय विकास योजनाएँ: मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन (डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी)	45
14. सोशल मीडिया का छात्रों के शैक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष	47
संदर्भ में) (शिवराम हिरवे, डॉ. एम.एल. मोरे)	
15. उपयोगितावाद की वर्तमान प्रांसगिकता (सीता नुवाल)	50
16. दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिंहावलोकन (डॉ. लोकेश कुमार शर्मा)	52
17. चाइल्ड-फ्री-बाय-चॉइस अवधारणा एवं आधुनिक भारतीय परिवार-एक सिंहावलोकन (डॉ. कलिका डोलस)	55
18. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता	57
का अध्ययन (डॉ. अशोक कुमार)	
19. निमाड़ का नामकरण एवं ऐतिहासिकता के संदर्भ में (डॉ. मोतीलाल अवाया)	62
20. मेघदूत में प्रयुक्त दार्शनिक तत्त्व (डॉ. गरिमा शर्मा)	64
21. तनाव प्रबंधन में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों का अनुपालन (मधु तेकाम, डॉ. मंजु शर्मा)	66
22. नगरीय विवाहित महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (डॉ. पूजा तिवारी)	68
23. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियां (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)	70
(दिनेश भुगवाडे)	
24. भारतीय ज्ञान परम्परा में ज्ञान और विज्ञान (डॉ. शिवाकान्त तिवारी)	73
25. सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाओं	76
का अध्ययन (परीक्षित हाड़ा)	

26.	The Impact of Poor and Inadequate Nutrition on Children in Early Age 80 (Jyoti Malviya, Dr. Renu Verma)	80
27.	Correlation of Wiener indices with X-ray K-absorption parameters of some copper (II) 83 mononuclear and binuclear complexes (R.D. Gupta, R.K. Vyas, S.K. Joshi, Umesh Palikundwar)	83
28.	गर्भावस्था में एनीमिया: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में (संध्या गजभिये) 86	86
29.	लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं (डॉ. श्वेता तेवानी) 89	89
30.	ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में (संध्या गजभिये) 92	92
31.	अनुसूचित जाति के व्यावसायिक संरचना एवं साक्षरता का प्रभाव : शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में 94 (डॉ. जिया लाल राठौर)	94
32.	चुनावी रेवड़ी की राजनीति : एक अध्ययन (मनोज अहिरवार) 99	99
33.	आपदा प्रबंधन का अवलोकन (डॉ. शोभाराम सोलंकी) 102	102
34.	खरगोन जिले में प्रसिद्ध लोक पर्व संजा माता (डॉ. राकेश ठाकुर) 105	105
35.	Government Initiatives For Women Entrepreneurs (Rohit Soni, Dr. Jyoti Soni) 107	107
36.	मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (सोनेलाल लोधी) 110	110
37.	Environmental Protection in Brick Industry- A Review of Policy Framework 113 (Pradeep Kumar Joshi, Prof. (Dr.) Sandeep Shandilya)	113
38.	गोदान उपन्यास में कृषक-पीड़ा (जगदीश सिंह) 118	118
39.	Coverage and Effectiveness of the Ayushman Bharat Scheme: A Comprehensive 121 Analysis of Fund Utilisation, Ayushman Card Registration, and Beneficiary Impact (Mohammad Mehfooz, Dr. Poonam Singh)	121
40.	श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में क्लासिसिज्म एवं रोमांटिसिज्म का सामंजस्य 127 (रमेश वसुनिया, डॉ. सी.एल.शर्मा, डॉ. जगदीशचंद्र शर्मा)	127
41.	बीसवी शताब्दी में नारी : सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य परिपेक्ष से (शोभा मेघवाल) 130	130
42.	जनजातीय महिलाएं : प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (डॉ. भूपेन्द्र मेघवाल) 132	132
43.	महिला उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर सोशल मीडिया विज्ञापन के प्रभाव का अध्ययन 135 (सागर जिले के विशेष संदर्भ में) (डॉ. निलेश महाजन, दामोदर पटेल)	135
44.	Agrarian Social Relations in A North Indian Village 139 (Dr. Arvind Sirohi, Mr. Pradeep Kumar, Dr. Alok Kumar)	139
45.	सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन 144 (देवास जिले की विशेष संदर्भ में) (डॉ. जी. एल. खांगोडे, श्रीमती जया कुशवाह)	144
46.	ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन 148 (मीनाक्षी चन्द्रवंशी, डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय)	148
47.	Mixed Research Method in Assessment of Rural Sanitation 151 (Ashvaneer Kumar, Rajkumar Nagwanshee)	151
48.	The Rise and Decline of Universal Language Esperanto (Dr. Kiran Sitole) 157	157
49.	निमाड़ी साहित्य की समृद्ध परंपरा (डॉ. श्रीमती बिन्दू परस्ते) 160	160
50.	Indore Municipal Corporation Initiatives for Circular Economy in Reference With 3R 163 (Subhanshi Vishvakarma)	163

51.	प्राचीन भारत में धर्म (डॉ. मधु वालिया)	168
52.	Protection of Stored Grains from <i>Callosobruchus Chinensis</i> (Linn.) in Kota Region (Rajasthan) (Dr. Neha Shrivastava, Dr. Surabhi Shrivastava, Dr. C.D. Khandekar)	170
53.	Flame of the forest a beautiful and miraculous plant (Dr. Nirbhay Singh Solanki)	172
54.	रूपकों का बादशाह तुलसीदास (शिवऔतार)	177
55.	मुस्लिम विवाह और विधि-एक विश्लेषण (डॉ. ज़ाकिर खान)	180
56.	आई. एम. शक्ति उड़ान योजना की जानकारी, प्रभाव एवं समस्या : महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं का एक विश्लेषण (डॉ. अंजना जाटव)	182
57.	आर्थिक विकास और सामाजिक समानता चुनौतियां और अवसर (डॉ. राजेश कुमार शुक्ला)	185
58.	Artificial Intelligence and Its Impact on Labor Productivity and Employment (Dr. Kapil Kumar Chandra, Dr. Sunil Kumar Kumeti)	190
59.	Exploring Women's Consciousness and Challenges in the Literary Works of Arundhati Roy: A Feminist Discourse on Modern Literature (Mr. Vipul Pandya)	195
60.	भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान (श्रीमती मिनाक्षी भार्गव)	197
61.	भारत के राष्ट्रीय जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका का अध्ययन (ज्ञानेश शुक्ला)	200
62.	जांजगीर का लोक महोत्सव मेला की प्रासंगिकता (डॉ. रामरतन साहू, दिनेश कुमार राठौर)	204
63.	The Role of Traditional Training Methods in Wrestling: A Study of Wrestler Development in Rajasthan (Dr. Neelam Yadav, Shashank Gurjar)	206
64.	Aryabhata : Great Indian Mathematician and Astronomer (Dr. Meenakshi Rawal)	209
65.	भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा (ऋचा अग्रवाल)	211
66.	Study Comparing the Quality of Life of Elderly Living with Family and Old Age Homes (with special reference to Chhatarpur District) (Suyash Sagar Bajpai)	216
67.	प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव (झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में) (मोहन डोडवे, डॉ. दीपक कारभारी)	219
68.	नई शिक्षा नीति में सामाजिक विज्ञान (कैलाश चन्द्र वैष्णव)	222







Regional Editor Board - International & National

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Dr. Manisha Thakur | - Fulton College, Arizona State University, America. |
| 2. Mr. Ashok Kumar | - Employability Operations Manager, Action Training Centre Ltd. London, U.K. |
| 3. Ass. Prof. Beciu Silviu | - Vice Dean (Management) Agriculture & Rural Development, UASVM, Bucharest, Romania. |
| 4. Mr. Khgendra Prasad Subedi | - Senior Psychologist, Public Service Commission, Central Office, Anamnagar, Kathmandu, Nepal. |
| 5. Prof. Dr. G.C. Khimesara | - Former Principal, Govt. PG College, Mandsaur (M.P.) India |
| 6. Prof. Dr. Pramod Kr. Raghav | - Research Guide, Jyoti Vidhyapeeth Women University, Jaipur (Raj.) India |
| 7. Prof. Dr. Anoop Vyas | - Former Dean, Commerce, Devi Ahilya University, Indore (India) India |
| 8. Prof. Dr. P.P. Pandey | - Dean, Commerce, Avadesh Pratapsingh University, Rewa (M.P.) India |
| 9. Prof. Dr. Sanjay Bhayani | - HOD, Business Management Deptt., Saurashtra University, Rajkot (Guj.) India |
| 10. Prof. Dr. Pratap Rao Kadam | - HOD, Commerce, Govt. Girls PG College, Khandwa (M.P.) India |
| 11. Prof. Dr. B.S. Jhare | - Professor, Commerce Deptt., Shri Shivaji College, Akola (Mh.) India |
| 12. Prof. Dr. Sanjay Khare | - Prof., Sociology, Govt. Auto. Girls PG Excellence College, Sagar (M.P.) India |
| 13. Prof. Dr. R.P. Upadhyay | - Exam Controller, Govt. Kamlaraje Girls Auto. PG College, Gwalior (M.P.) India |
| 14. Prof. Dr. Pradeep Kr. Sharma | - Professor, Govt. Hamidia Arts & Commerce College, Bhopal (M.P.) India |
| 15. Prof. Akhilesh Jadhav | - Prof., Physics, Govt. J. Yoganandan Chattisgarh College, Raipur (C.G.) India |
| 16. Prof. Dr. Kamal Jain | - Prof., Commerce, Govt. PG College, Khargone (M.P.) India |
| 17. Prof. Dr. D.L. Khadse | - Prof., Commerce, Dhanvate National College, Nagpur (Maharashtra) India |
| 18. Prof. Dr. Vandna Jain | - Prof., Hindi, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) India |
| 19. Prof. Dr. Hardayal Ahirwar | - Prof., Economics, Govt. PG College, Shahdol (M.P.) India |
| 20. Prof. Dr. Sharda Trivedi | - Retd. Professor, Home Science, Indore (M.P.) India |
| 21. Prof. Dr. Usha Shrivastav | - HOD, Hindi Deptt., Acharya Institute of Graduate Study, Soldevanali, Bengaluru (Karnataka) India |
| 22. Prof. Dr. G. P. Dawre | - Professor, Commerce, Govt. College, Badwah (M.P.) India |
| 23. Prof. Dr. H.K. Chouarsiya | - Prof., Botany, T.N.V. College, Bhagalpur (Bihar) India |
| 24. Prof. Dr. Vivek Patel | - Prof., Commerce, Govt. College, Kotma, Distt., Anoopur (M.P.) India |
| 25. Prof. Dr. Dinesh Kr. Chaudhary | - Prof., Commerce, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.) India |
| 26. Prof. Dr. P.K. Mishra | - Prof., Zoological, Govt. PG College, Betul (M.P.) India |
| 27. Prof. Dr. Jitendra K. Sharma | - Prof., Commerce, Maharishi Dayanand Uni. Centre, Palwal (Haryana) India |
| 28. Prof. Dr. R. K. Gautam | - Prof., Govt. Manjkuwar Bai Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.) India |
| 29. Prof. Dr. Gayatri Vajpai | - Professor, Hindi, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) India |
| 30. Prof. Dr. Avinash Shendare | - HOD, Pragati Arts & Commerce College, Dombivali, Mumbai (Mh.) India |
| 31. Prof. Dr. J.C. Mehta | - Fr. HOD, Research Centre, Commerce, Devi Ahilya Uni., Indore (M.P.) India |
| 32. Prof. Dr. B.S. Makkad | - HOD, Research Centre Commerce, Vikram University, Ujjain (M.P.) India |
| 33. Prof. Dr. P.P. Mishra | - HOD, Maths, Chattrasal Govt. PG College, Panna (M.P.) India |
| 34. Prof. Dr. Sunil Kumar Sikarwar | - Professor, Chemistry, Govt. PG College, Jhabua (M.P.) India |
| 35. Prof. Dr. K.L. Sahu | - Professor, History, Govt. PG College, Narsinghpur (M.P.) India |
| 36. Prof. Dr. Malini Johnson | - Professor, Botany, Govt. PG College, Mahu (M.P.) India |
| 37. Prof. Dr. Ravi Gaur | - Asso. Professor, Mathematics, Gujarat University, Ahmedabad (Gujarat) India |
| 38. Prof. Dr. Vishal Purohit | - M.L.B. Govt. Girls PG College, Kila Miadan, Indore (M.P.) India |

Editorial Advisory Board, INDIA

1. Prof. Dr. Narendra Shrivastav - Scientist , ISRO, Bengaluru (Karnataka) India
2. Prof. Dr. Aditya Lunawat - Director, Swami Vivekanand Career Guidance deptt. M.P. Higher Education, M.P. Govt., Bhopal (M.P.) India
3. Prof. Dr. Sanjay Jain - O.S.D., Additional Director Office, Bhopal (M.P.) India
4. Prof. Dr S.K. Joshi - Former Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) India
5. Prof. Dr. J.P.N. Pandey - Fr. Principal, Govt. Auto.Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) India
6. Prof. Dr. Sumitra Waskel - Principal, Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.) India
7. Prof. Dr. P.R. Chandelkar - Principal, Govt. Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.) India
8. Prof. Dr. Mangal Mishra - Principal, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore (M.P.) India
9. Prof. Dr. R.K. Bhatt - Former Principal, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.) India
10. Prof. Dr. Ashok Verma - Former HOD, Commerce (Dean) Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
11. Prof. Dr. Rakesh Dhand - HOD, Student Welfare Deptt., Vikram University, Ujjain (M.P.) India
12. Prof. Dr. Anil Shivani - HOD, Commerce /Management, Govt. Hamidiya Arts And Commerce Degree College, Bhopal (M.P.) India
13. Prof. Dr. PadamSingh Patel - HOD, Commerce Deptt., Govt. College, Mahidpur (M.P.) India
14. Prof. Dr. Manju Dubey - HOD (Dean), Home Science Deptt. Jiwaji University, Gwalior (M.P.) India
15. Prof. Dr. A.K. Choudhary - Professor, Psychology, Govt. Meera Girls College, Udiapur (Raj.) India
16. Prof. Dr. T. M. Khan - Principal, Govt. College, Dhamnod, Distt. Dhar (M.P.) India
17. Prof. Dr. Pradeep Singh Rao - Principal, Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.) India
18. Prof. Dr. K.K. Shrivastava - Professor, Eco., Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College, Gwalior (M.P.) India
19. Prof. Dr. Kanta Alawa - Professor, Pol. Sci., S.B.N.Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) India
20. Prof. Dr. S.C. Jain - Professor, Commerce, Govt. P.G. College, Jhabua (M.P.) India
21. Prof. Dr. Kishan Yadav - Asso. Professor, Research Centre Bundelkhand College, Jhasi (U.P.) India
22. Prof. Dr. B.R. Nalwaya - Chairman,Commerce Deptt.,Vikram University, Ujjain (M.P.) India
23. Prof. Dr. Purshottam Gautam - Dean, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
24. Prof. Dr. Natwarlal Gupta - HOD, Commerce Deptt.,Devi Ahilya University, Indore (M.P.) India
25. Prof. Dr. S.C. Mehta - Former, Professor/HOD, Govt. Bhagat Singh P.G. College, Jaora (M.P.) India
26. Prof. Dr. A. K. Pandey - HOD, Economics Deptt., Govt. Girls College, Satna (M.P.)

Referee Board

Maths	-	(1) Prof. Dr. V.K. Gupta, Director Vedic Maths - Research Centre, Ujjain (M.P.)
Physics	-	(1) Prof. Dr. R.C. Dixit, Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) (2) Prof. Dr. Neeraj Dubey, Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.)
Computer Science	-	(1) Prof. Dr. Umesh Kr. Singh, HOD, Computer Study Centre, Vikram University, Ujjain (M.P.)
Chemistry	-	(1) Prof. Dr. Manmeet Kaur Makkad, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
Botany	-	(1) Prof. Dr. Suchita Jain, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Prof. Dr. Akhilesh Aayachi, Govt. Adarsh Science College, Jabalpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Jolly Garg, HOD, D.A.K. P.G. College, Moradabad (U.P.)
Life Science	-	(1) Prof. Dr. Manjulata Sharma, M.S.J. Govt. College, Bharatpur (Raj.) (2) Prof. Dr. Amrita Khatri, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
Statistics	-	(1) Prof. Dr. Ramesh Pandya, Govt. Arts - Commerce College, Ratlam (M.P.)
Military Science	-	(1) Prof. Dr. Kailash Tyagi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.)
Biology	-	(1) Dr. Kanchan Dhingara, Govt. M.H. Home Science College, Jabalpur (M.P.)
Geology	-	(1) Prof. Dr. R.S. Raghuvanshi, Govt. Motilal Science College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Suyesh Kumar, Govt. Adarsh College, Gwalior (M.P.)
Medical Science	-	(1) Dr. H.G. Varudhkar, R.D. Gardi Medical College, Ujjain (M.P.)
Microbiology Sci.	-	(1) Anurag D. Zaveri, Biocare Research (I) Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
**** Commerce ****		
Commerce	-	(1) Prof. Dr. P.K. Jain, Govt. Hamidia College, Bhopal (M.P.) (2) Prof. Dr. Shailendra Bharal, Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.) (3) Prof. Dr. Laxman Parwal, Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.) (4) Prof. Naresh Kumar, NSCBM Govt. College, Hamirpur (H.P.)
**** Management ****		
Management	-	(1) Prof. Dr. Anand Tiwari, Govt. Autonomus PG Girls Excellence College, Sagar (M.P.)
Human Resources	-	(1) Prof. Dr. Harwinder Soni, Pacific Business School, Udaipur (Raj.)
Business Admin.	-	(1) Prof. Dr. Kapildev Sharma, Govt. Girls P.G. College, Kota (Raj.) (2) Dr. Kuldeep Agnihotri, Modern Group of Institutions, Indore (M.P.)
**** Law ****		
Law	-	(1) Prof. Dr. S.N. Sharma, Principal, Govt. Madhav Law College, Ujjain (M.P.) (2) Prof. Dr. Narendra Kumar Jain, Principal, Shri Jawaharlal Nehru PG Law College, Mandsaur (M.P.) (3) Prof. Lok Narayan Mishra, Govt. Law College, Rewa (M.P.) (4) Dr. Bijay Kumar Yadav, Om Sterling Global University, Hisar (Haryana)
**** Arts ****		
Economics	-	(1) Prof. Dr. P.C. Ranka, Sri Sitaram Jaju Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.) (2) Prof. Dr. J.P. Mishra, Govt. Maharaja Autonomus College, Chhattarpur (M.P.) (3) Prof. Dr. Anjana Jain, M.L.B. Govt. Girls P.G. College, Kila Maidan, Indore (M.P.) (4) Prof. Rakesh Kumar Gupta, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
Political Science	-	(1) Prof. Dr. Ravindra Sohoni, Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) (2) Prof. Dr. Anil Jain, Govt. Girls College, Ratlam (M.P.) (3) Prof. Dr. Sulekha Mishra, Mankuwar Bai Govt. Arts & Commerce College, Jabalpur (M.P.)
Philosophy	-	(1) Prof. Dr. Hemant Namdev, Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
Sociology	-	(1) Prof. Dr. Uma Lavania, Govt. Girls College, Bina (M.P.) (2) Prof. Dr. H.L. Phulvare, Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) (3) Prof. Dr. Indira Burman, Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.)

- Hindi - (1) Prof. Dr. Vandana Agnihotri, Chairperson, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Kala Joshi , ABV Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
(3) Prof. Dr. Chanda Talera Jain, M.J.B. Govt. Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(4) Prof. Dr. Amit Shukla, Govt. Thakur Ranmatsingh College, Rewa (M.P.)
(5) Prof. Dr. Anchal Shrivastava, Dr. C.V. Raman University, Kota, Bilaspur (C.G.)
- English - (1) Prof. Dr. Ajay Bhargava, Govt. College, Badnagar (M.P.)
(2) Prof. Dr. Manjari Agnihotri, Govt. Girls College, Sehore (M.P.)
- Sanskrit - (1) Prof. Dr. Bhawana Srivastava, Govt. Autonomus Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(2) Prof. Dr. Balkrishan Prajapati, Govt. P.G. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.)
- History - (1) Prof. Dr. Naveen Gidiyan, Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.)
- Geography - (1) Prof. Dr. Rajendra Srivastava, Govt. College, Pipliya Mandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
(2) Prof. Kajol Moitra, Dr. C.V. Raman University, Bilaspur (C.G.)
- Psychology - (1) Prof. Dr. Kamna Verma, Principal, Govt. Rajmata Sindhiya Girls P.G. College, Chhindwara (M.P.)
(2) Prof. Dr. Saroj Kothari, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
- Drawing - (1) Prof. Dr. Alpana Upadhyay, Govt. Madhav Arts-Commerce-Law College. Ujjain (M.P.)
(2) Prof. Dr. Rekha Srivastava, Maharani Laxmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
(3) Prof. Dr. Yatindera Mahobe, Govt. Girls College, Narsinghpur (M.P.)
- Music/Dance - (1) Prof. Dr. Bhawana Grover (Kathak), Swami Vivekanand Subharti University, Meerut (U.P.)
(2) Prof. Dr. Sripad Aronkar, Rajmata Sindhiya Govt. Girls College, Chhindwara (M.P.)
- ***** Home Science *****
- Diet/Nutrition Science - (1) Prof. Dr. Pragati Desai, Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
(2) Prof. Madhu Goyal, Swami Keshavanand Home Science College, Bikaner (Raj.)
(3) Prof. Dr. Sandhya Verma, Govt. Arts & Commerce College, Raipur (Chhattisgarh)
- Human Development - (1) Prof. Dr. Meenakshi Mathur, HOD, Jainarayan Vyas University, Jodhpur (Raj.)
(2) Prof. Dr. Abha Tiwari, HOD, Research Centre, Rani Durgawati University, Jabalpur (M.P.)
- Family Resource Management - (1) Prof. Dr. Manju Sharma, Mata Jijabai Govt. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
(2) Prof. Dr. Namrata Arora, Vansthali Vidhyapeeth (Raj.)
- ***** Education *****
- Education - (1) Prof. Dr. Manorama Mathur, Mahindra College of Education, Bangluru (Karnataka)
(2) Prof. Dr. N.M.G. Mathur, Principal/Dean, Pacific Education College, Udaipur (Raj.)
(3) Prof. Dr. Neena Aneja, Principal, A.S. College Of Education, Khanna (Punjab)
(4) Prof. Dr. Satish Gill, Shiv College of Education, Tigaon, Faridabad (Haryana)
(5) Prof. Dr. Mahesh Kumar Muchhal, Digambar Jain (P.G.) College, Baraut (U.P.)
- ***** Architecture *****
- Architecture - (1) Prof. Kiran P. Shindey, Principal, School of Architecture, IPS Academy, Indore (M.P.)
- ***** Physical Education *****
- Physical Education - (1) Prof. Dr. Joginder Singh, Physical Education, Pacific University, Udaipur (Raj.)
(2) Dr. Ramneek Jain, Associate Professor, Madhav University, Pindwara (Raj.)
(3) Dr. Seema Gurjar, Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.)
- ***** Library Science *****
- Library Science - (1) Dr. Anil Sirothia, Govt. Maharaja College, Chhattarpur (M.P.)

Spokesperson's

1. Prof. Dr. Davendra Rathore - Govt. P.G. College, Neemuch (M.P.)
2. Prof. Smt. Vijaya Wadhwa - Govt. Girls P.G. College, Neemuch (M.P.)
3. Dr. Surendra Shaktawat - Gyanodaya Institute of Management - Technology, Neemuch (M.P.)
4. Prof. Dr. Devilal Ahir - Govt. College, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
5. Shri Ashish Dwivedi - Govt. College, Manasa, Distt. Neemuch (M.P.)
6. Prof. Manoj Mahajan - Govt. College, Sonkach, Distt. Dewas (M.P.)
7. Shri Umesh Sharma - Shree Sarvodaya Institute Of Professional Studies, Sarwaniya Maharaj, Jawad, Distt. Neemuch (M.P.)
8. Prof. Dr. S.P. Panwar - Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.)
9. Prof. Dr. Puralal Patidar - Govt. Girls College, Mandsaur (M.P.)
10. Prof. Dr. Kshitij Purohit - Jain Arts, Commerce & Science College, Mandsaur (M.P.)
11. Prof. Dr. N.K. Patidar - Govt. College, Pipliyamandi, Distt. Mandsaur (M.P.)
12. Prof. Dr. Y.K. Mishra - Govt. Arts & Commerce College, Ratlam (M.P.)
13. Prof. Dr. Suresh Kataria - Govt. Girls College, Ratlam (M.P.)
14. Prof. Dr. Abhay Pathak - Govt. Commerce College, Ratlam (M.P.)
15. Prof. Dr. Malsingh Chouhan - Govt. College, Sailana, Distt. Ratlam (M.P.)
16. Prof. Dr. Gendalal Chouhan - Govt. Vikram College, Khachrod, Distt. Ujjain (M.P.)
17. Prof. Dr. Prabhakar Mishra - Govt. College, Mahidpur, Distt. Ujjain (M.P.)
18. Prof. Dr. Prakash Kumar Jain - Govt. Madhav Arts, Commerce & Law College, Ujjain (M.P.)
19. Prof. Dr. Kamla Chauhan - Govt. Kalidas Girls College, Ujjain (M.P.)
20. Prof. Abha Dixit - Govt. Girls P.G. College, Ujjain (M.P.)
21. Prof. Dr. Pankaj Maheshwari - Govt. College, Tarana, Distt. Ujjain (M.P.)
22. Prof. Dr. D.C. Rathi - Swami Vivekanand Career Guidance Deptt., Higher Education Deptt., M.P. Govt., Indore (M.P.)
23. Prof. Dr. Anita Gagrade - Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.)
24. Prof. Dr. Sanjay Pandit - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
25. Prof. Dr. Rambabu Gupta - Govt. Arts & Commerce College, Indore (M.P.)
26. Prof. Dr. Anjana Saxena - Govt. Maharani Laxmibai Girls P.G. College, Indore (M.P.)
27. Prof. Dr. Sonali Nargunde - Journalism & Mass Comm .Research Centre, D.A.V.V., Indore (M.P.)
28. Prof. Dr. Bharti Joshi - Life Education Department, Devi Ahilya University, Indore (M.P.)
29. Prof. Dr. M.D. Somani - Govt. M.J.B. Girls P.G. College, Moti Tabela, Indore (M.P.)
30. Prof. Dr. Priti Bhatt - Govt. N.S.P. Science College, Indore (M.P.)
31. Prof. Dr. Sanjay Prasad - Govt. College, Sanwer, Distt. Indore (M.P.)
32. Prof. Dr. Meena Matkar - Suganidevi Girls College, Indore (M.P.)
33. Prof. Dr. Mohan Waskel - Govt. College, Thandla Distt. Jhabua (M.P.)
34. Prof. Dr. Nitin Sahariya - Govt. College, Kotma Distt. Anooppur (M.P.)
35. Prof. Dr. Manju Rajoriya - Govt. Girls College, Dewas (M.P.)
36. Prof. Dr. Shahjad Qureshi - Govt. New Arts & Science College, Mundi, Distt. Khandwa (M.P.)
37. Prof. Dr. Shail Bala Sanghi - Maharani Lakshmibai Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.)
38. Prof. Dr. Praveen Ojha - Shri Bhagwat Sahay Govt. P.G. College, Gwalior (M.P.)
39. Prof. Dr. Omprakash Sharma - Govt. P.G. College, Sheopur (M.P.)
40. Prof. Dr. S.K. Shrivastava - Govt. Vijayaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
41. Prof. Dr. Anoop Moghe - Govt. Kamlaraje Girls P.G. College, Gwalior (M.P.)
42. Prof. Dr. Hemlata Chouhan - Govt. College, Badnagar (M.P.)
43. Prof. Dr. Maheshchandra Gupta - Govt. P.G. College, Khargone (M.P.)
44. Prof. Dr. Mangla Thakur - Govt. P.G. College, Badhwah, Distt. Khargone (M.P.)
45. Prof. Dr. K.R. Kumhekar - Govt College, Sanawad, Distt. Khargone(M.P.)

- | | | |
|------------------------------------|---|---|
| 46. Prof. Dr. R.K. Yadav | - | Govt. Girls College, Khargone (M.P.) |
| 47. Prof. Dr. Asha Sakhi Gupta | - | Govt. P.G. College, Badwani (M.P.) |
| 48. Prof. Dr. Hemsingh Mandloi | - | Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) |
| 49. Prof. Dr. Prabha Pandey | - | Govt. P.G. College, Mehar, Distt. Satna (M.P.) |
| 50. Prof. Dr. Rajesh Kumar | - | Govt. College, Amarpatan, Distt. Satna (M.P.) |
| 51. Prof. Dr. Ravendra singh Patel | - | Govt. P.G. College, Satna (M.P.) |
| 52. Prof. Dr. Manoharlal Gupta | - | Govt. P.G. College, Rajgarh, Biora (M.P.) |
| 53. Prof. Dr. Madhusudan Prakash | - | Govt. College, Ganjbasauda, Distt. Vidisha (M.P.) |
| 54. Prof. Dr. Yuwraj Shirvatava | - | Dr. C.V. Raman Univeristy, Bilaspur (C.G.) |
| 55. Prof. Dr. Sunil Vajpai | - | Govt. Tilak P.G. College, Katni (M.P.) |
| 56. Prof. Dr. B.S. Sisodiya | - | Govt. P.G. College, Dhar (M.P.) |
| 57. Prof. Dr. Shashi Prabha Jain | - | Govt. P.G. College, Agar-Malwa (M.P.) |
| 58. Prof. Dr. Niyaz Ansari | - | Govt. College, Sinhaval, Distt. Sidhi (M.P.) |
| 59. Prof. Dr. ArjunSingh Baghel | - | Govt. College, Harda (M.P.) |
| 60. Dr. Suresh Kumar Vimal | - | Govt. College, Bansadehi, Distt. Betul (M.P.) |
| 61. Prof. Dr. Amar Chand Jain | - | Govt. Arts & Commerce College, Sagar (M.P.) |
| 62. Prof. Dr. Rashmi Dubey | - | Govt. Autonomus Girls P.G. Excellence College, Sagar (M.P.) |
| 63. Prof. Dr. A.K. Jain | - | Govt. P.G. College, Bina, Distt. Sagar (M.P.) |
| 64. Prof. Dr. Sandhya Tikekar | - | Govt. Girls College, Bina, Distt. Sagar (M.P.) |
| 65. Prof. Dr. Rajiv Sharma | - | Govt. Narmada P.G. College, Hoshangabad (M.P.) |
| 66. Prof. Dr. Rashmi Srivastava | - | Govt. Home Science College, Hoshangabad (M.P.) |
| 67. Prof. Dr. Laxmikant Chandela | - | Govt. Autonomus P.G. College, Chhindwara (M.P.) |
| 68. Prof. Dr. Balram Singotiya | - | Govt. College, Saunsar, Distt. Chhindwara (M.P.) |
| 69. Prof. Dr. Vimmi Bahel | - | Govt. College, Kalapipal, Distt. Shajapur (M.P.) |
| 70. Dr. Aprajita Bhargava | - | R.D.Public School, Betul (M.P.) |
| 71. Prof. Dr. Meenu Gajala Khan | - | Govt. College, Maksi, Distt. Shajapur (M.P.) |
| 72. Prof. Dr. Pallavi Mishra | - | Govt. College, Mauganj Distt. Rewa (M.P.) |
| 73. Prof. Dr. N.P. Sharma | - | Govt. College, Datia (M.P.) |
| 74. Prof. Dr. Jaya Sharma | - | Govt. Girls College, Sehore (M.P.) |
| 75. Prof. Dr. Sunil Somwanshi | - | Govt. College, Nepanagar, Distt. Burhanpur (M.P.) |
| 76. Prof. Dr. Ishrat Khan | - | Govt. College, Raisen (M.P.) |
| 77. Prof. Dr. Kamlesh Singh Negi | - | Govt. P.G. College, Sehore (M.P.) |
| 78. Prof. Dr. Bhawana Thakur | - | Govt. College, Rehati, Distt. Sehore (M.P.) |
| 79. Prof. Dr. Keshavmani Sharma | - | Pandit Balkrishan Sharma New Govt. College, Shajapur (M.P.) |
| 80. Prof. Dr. Renu Rajesh | - | Govt. Nehru Leading College ,Ashok Nagar (M.P.) |
| 81. Prof. Dr. Avinash Dubey | - | Govt. P.G. College, Khandwa (M.P.) |
| 82. Prof. Dr. V.K. Dixit | - | Chhatrasal Govt. P.G. College, Panna (M.P.) |
| 83. Prof. Dr. Ram Awdesch Sharma | - | M.J.S. Govt. P.G. College, Bhind (M.P.) |
| 84. Prof. Dr. Manoj Kr. Agnihotri | - | Sarojini Naidu Govt. Girls P.G. College, Bhopal (M.P.) |
| 85. Prof. Dr. Sameer Kr. Shukla | - | Govt. Chandra Vijay College, Dhindori (M.P.) |
| 86. Prof. Dr. Anoop Parsai | - | Govt. J. Yoganand Chattisgarh P.G. College, Raipur (Chattisgarh) |
| 87. Prof. Dr. Anil Kumar Jain | - | Vardhaman Mahavir Open University, Kota (Rajasthan) |
| 88. Prof. Dr. Kavita Bhadiriya | - | Govt. Girls College, Barwani (M.P.) |
| 89. Prof. Dr. Archana Vishith | - | Govt. Rajrishi College, Alwar (Rajasthan) |
| 90. Prof. Dr. Kalpana Parikh | - | S.S.G. Parikh P.G. College, Udaipur (Rajasthan) |
| 91. Prof. Dr. Gajendra Siroha | - | Pacific University, Udaipur (Rajasthan) |
| 92. Prof. Dr. Krishna Pensia | - | Harish Anjana College, Chhotisadri, Distt. Pratapgarh (Rajasthan) |
| 93. Prof. Dr. Pradeep Singh | - | Central University Haryana, Mahendragarh (Haryana) |
| 94. Prof. Dr. Smriti Agarwal | - | Research Consultant, New Delhi |

Organic Farming: A Sustainable Option for Farmers and Natural Resources

Dr. Amita Rana*

*Associate Professor (Economics) CIS Kanya Mahavidyalaya, Fatehpur Pundri (Kaithal) (Haryana) INDIA

Abstract : The Green revolution in Haryana that started in the 1960s reached to maturity during the 1990s and since then has been exhibiting signs of unsustainable practices in agriculture. The high use of synthetic inputs like chemical fertilisers, pesticides, HYV seeds, etc. not only caused the degradation of the soil health and nutrition but adversely affected the health of the consumers as well. There is a growing concern of the ill-effects of the current agriculture practices and a solution had always been on the active agenda of the statesman, environmentalists and the researchers. The search for solution ends with the advent of the organic farming that avoids or largely excludes the use of synthetic inputs and relies upon crop rotations, crop residues, animal manures, off-farm wastes etc. that restores the soil health.

The option of organic farming is equally beneficial for the farmers in terms of commercial value of his produce. Worldwide, including India, the demand of organic food has been on the rise and Haryana, for being close to the national capital of India, has immense opportunities to capitalise the situation for increasing the income of the farmers. Besides, the organic farming shall be requiring minimum use of chemical fertilisers and pesticides etc. that will prevent the high cost of inputs which, again, shall reduce the financial burden on the farmers. So, in terms of income and expenditure, the organic farming can prove a highly beneficial option for the farmers.

The present paper shall look into existing agriculture practices, the policy framework in Haryana for the growth of organic farming along with the evaluation of the current market conditions prevalent in the state.

Keywords: Green revolution, organic farming, sustainability, commercial agriculture.

Introduction - During the twentieth century, agriculture along with other key areas of human development has made long strides, achieving remarkable feats resulting into dispelling the fears of food insecurity. All this was made possible by the industry-based modernization of agriculture that provided a wider range of modern inputs from fertilizers to pesticides to mechanical implements. More production from less area was the major consideration behind modernization of agriculture that received a favourable response the governments, non-government agencies and the farmers. To derive maximum benefits from modern agriculture, the state extended heavy subsidies on the use of modern inputs by the farmers. The green revolution in Indian agriculture is manifestation and outcome of the coordinated efforts of the government, industry and the farmers.

In the long run, the agricultural practices under green revolution proved disadvantageous mainly due to overuse of modern inputs that inflicted mainly the negative ecological consequences. The task of attaining the goal of food security to feed the growing population was accomplished

to greater satisfaction in India but it fell heavily on the soil health. A number of adverse ecological consequences cropped up to embarrass not only the environmentalists, the governments and the farmers but the land and soil health as well beyond the level of recovery.

Methodology: The paper aims to look into evaluating the current agricultural practices in Haryana and its ecological implications. This evaluation becomes essential in order to understand the side-effects of green revolution and the growing incidence of unsustainable character of the state agriculture. The paper further examines the scope of organic farming in the state along with falling farm income of the farmers from agriculture. It has been observed in developed countries that organic farming can be beneficial for the soil health and it can push up the economic profits from agriculture also which is a highly beneficial situation for the farmers of the state.

This framework requires the use of secondary data available in the form of statistical abstracts of Haryana, agriculture department Reports and other secondary materials in the form of articles in the journals and books.

For proper understanding of the ecological implications of wheat-rice cultivation, certain areas are identified on the basis of area and production of rice and wheat which can be described as the concentration zone of wheat-rice cultivation in the state. The ecological impacts in these areas are the subject of investigation. There appears a direct correlation between the increase in production and consumption of agricultural inputs. There exist negative ecological complications in the area which consume higher degree of modern inputs.

Agricultural practices in Haryana: It is now established that the green revolution in the state which, at one time, led to the economic prosperity of the rural areas now demands a serious review of the ongoing agricultural practices in the state. The agriculture development in Haryana see the establishment of a cropping pattern, which shows dominance of food crops over the non-food crops and that too of the rice-wheat combination (Amita, 2001). The trend that marks its beginning in the 1960s becomes stabilized by the 1990s and occupies a serious concern for its negative impacts during the early part of 21st century. In the entire discussion on ecological implications of green revolution in Haryana, the focus is primarily on the rice-wheat cultivation – the combination which exhibits greater consumption of modern inputs in comparison to other crops. Due to the food security factor and market considerations, the duo of rice and wheat receives favour from the government as well as the farmers.

Table – 1: Trends In Rice Cultivation In Haryana

Year	Area (in '000 hectares)	Production ('000 tons)	Yield/Hectares (in Kgms.)
1970-71	269.2	460	1697
1975-76	303.5	625	2063
1980-81	483.9	1259	2606
1985-86	584.0	1633	2797
1990-91	661.2	1834	2775
1995-96	830.0	1847	2225
2000-01	1054.3	2695	2557
2005-06	1046.6	3194	3051
2010-11	1243.3	3465	2788
2017-18	1422.0	4880	3432

Compiled from Statistical Abstract of Haryana

The trends indicate the increase in the area under rice cultivation showing an increase of 428 per cent in 2017-18 over 1970-71. Likewise, the production increases by 960.8 per cent during the same period. One of the major reasons for this is the increase in the yield per hectare that can mainly be attributed to modern agricultural inputs.




Fig. 1: Trends in Rice Cultivation in Haryana

The cropping pattern, besides rice cultivation during the Kharif season, sees the presence of Wheat during the rabi season that holds the dominating edge over other crops. Both the crops are preferred over other crops by the government because of their profit potential. The trends in the wheat cultivation are shown in the Table – 2.

Year	Area (in '000 hectares)	Production ('000 tons)	Yield/Hectares (in Kgms.)
1970-71	1129.3	2342	2074
1975-76	1226.0	2428	1980
1980-81	1479.0	3490	2360
1985-86	1701.3	5260	3094
1990-91	1850.1	6436	3479
1995-96	1972.1	7291	3697
2000-01	2354.8	9669	4106
2005-06	2302.7	8853	3844
2010-11	2504.0	11578	4624
2017-18	2526.0	11680	4624

Compiled from Statistical Abstract of Haryana

The wheat cultivation shows an increase of 123.7 per cent in terms of area between the period from 1970-71 to 2017-18. The increase in the wheat production for the same period is 398.7 per cent which can be attributed to the increase in the yield per hectare. Again, as in the case of rice, the high consumption of modern inputs can be seen as responsible for high yield per hectare and overall wheat production. The trend can be better observed in the figure 2.




Fig. 2 : Trends in the Wheat cultivation

The presentation of data on trends in rice and wheat cultivation demonstrates the larger share of both the crops and which continues to grow. For example, the combined share of wheat-rice combine of the total cropped area was 28.21 per cent in 1970-71 which increased to 63.26 per cent in 2017-18. This increase in the share can be described as the marking of a pattern where other crops – other than wheat and rice, are not showing impressive upward trends. The areas that emerge as intensive rice-wheat cultivation areas are the districts of Ambala, Yamunanagar, Kurukshetra, Kaithal, Karnal, Sonapat, Jind, Hisar and Fatehabad which provides for nearly 75 per cent of the total Rice area. Similarly, these areas account for more than 60 per cent of the total wheat areas. These are the areas which consume larger share of the modern inputs like High Yield varieties of seeds, chemical fertilizers, pesticides, high water consumption, tractorization, machination etc. And it is in these areas mainly where the negative environmental impacts are discernible.

Ecological Implications

i) Increasing demand of Water: The increasing use of HYV seeds necessitated the high need of water. There is a tremendous pressure on the state's sources of irrigation mainly the canals and tube wells. The wheat intensive areas like Hisar, Sirsa, Fatehabad and Jind meet their water needs mainly through the canal system formed by the Ghaggar basin whereas the rice-intensive area meet their water needs mainly from the tube wells. The fall in the ground water table in Haryana is more noticeable in these areas.

ii) Depleting Soil Nutrition: The soil nutrition signifies the presence of nutrients in the soil mainly the nitrogen, phosphorous, potash, manganese, copper, zinc, iron, sulphur etc. Due to over cultivation, the soil has become so deficient in nutrition that it all the time needs chemical fertilizers to supplement the loss. The over use of chemical fertilizers is causing increase in the incidence of acidity in the soil that adversely affects the fertility of the soil.

iii) Soil Bacteria falling Prey to pesticides: The bacteria in the soil constitute the natural agents responsible for the fertility of the soil. The heavy use of pesticides to refrain the weeds and alike from damaging the crops is proving very costly for the land fertility. The bacteria which are found in the upper layer of the soil are the direct victims of the killing pesticides.

iv) Contamination of ground water: The high use of chemical fertilizers and pesticides seeps deep into soil and ends up in the contamination of the ground water. Even the human beings are not free from the ill-effects of this contaminated water and cause a number of serious ailments like cancer etc.

Organic Farming as Ecologically Sustainable Option : Organic farming rests on the traditional agricultural practices and is practised in number of villages in India. Organic farming enhances ago-ecosystem health, including

biodiversity, biological cycles, and soil biological activity. It emphasizes the use of management practices in preference to the use of off-farm inputs, taking into account that regional conditions require locally adapted system. India is endowed with various types of naturally available organic form of nutrients in different parts of the country and it will help for organic cultivation of crops substantially (Deshmukh, Babar, 2015).

Organic farming was practiced in India since thousands of years and had been an integral part of the rural economy particularly agriculture. The Indian society from very early times grew on organic farming and was acknowledged worldwide for such practices. In traditional India, the entire agriculture was practiced using organic techniques, where the fertilizers, pesticides, etc., were obtained from plant and animal products. Organic agriculture in India was initiated in 1900 by Albert Howard, a British agronomist in North India. The traditional farming system was characterized mainly by small and marginal farmers producing food and basic animal products for their families and local village communities. After this qualification was drastically changed during the green revolution period but organic farming is seen today as the best option to attain sustainability in the crop production. Therefore organic farming appears to be one of the options for sustainability.

The demand for organic food products is growing in the world markets mainly in the developed countries. This is mainly due to high purchasing power and huge presence of health conscious consumers. The organic food consumption in India is very low as compared to western markets. Organic food market in India is highly unorganized and fragmented, which offers immense growth opportunities for domestic as well as international players. India mainly exports organic processed food products, organic rice, beverages and other cereals and millets to US, Canada, Europe, and South East Asian countries (Deshmukh, Babar, 2015).

Organic farming has attracted considerable attention in Haryana in the recent years. In their search for a more sustainable agriculture, producers, consumers and policymakers attempt to rediscover organic farming. Haryana government believes that producer concerns to organic products and therefore market development should be stimulated. Currently, the greater part of the agricultural budget for stimulating organic farming is allocated to research, education and information dissemination. An Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) approved internationally reputed organic certification agency, OneCert, has been appointed for certification purpose in the state. It pays the certification fee of the fields being organic (Ohlan. 2016). According to the information available on the official website of the Haryana State Co-operative Supply and Marketing Federation Limited (HAFED), an area of around 1,000 acres has been earmarked for organic farming of basmati rice in

three districts of Kaithal, Kurukshetra and Karnal. The desi wheat would be cultivated in an area of around 805 acres in Mewat and Jhajjar region. Apart from these two crops, Sirsa district has been shortlisted for the cultivation of gram crop (Ohlan. 2016).

Conclusion: The organic farming is the need of the hour and needs policy support for the benefit of the soil health, the farmers and the consumers as well. Haryana, being a leader in the agriculture production in the country cannot afford to ignore the multiple adverse ecological consequences of green revolution. The state needs to awake this harsh reality and requires mending its approach towards agriculture and agriculture practices in the state. The present agricultural practices in the state not only falls heavily on the soil health but, at the same time, growing as an uneconomic pursuit. The cost of production is increasing more and more and the returns are shrinking making

agriculture in the state economically non-viable. So, the organic farming offers a sustainable option to the state agriculture and at the same time, fills the empty coffers of the farmers who, at the moment, is under immense distress.

References:-

1. Amita, 2001, **Economics and Ecology of Alternative Cropping Pattern in Haryana**, unpublished Ph.D. thesis submitted to Department of Economics, Kurukshetra University, Kurukshetra (Haryana)
2. Deshmukh M.S., Babar, Nitin - Present Status and Prospects of Organic Farming in India **EUROPEAN ACADEMIC RESEARCH** - Vol. III, Issue 4 / July 2015
3. Ohlan, Ramphul, 2016 "Economic Viability of Organic Farming in Haryana", **Research Report, ICSSR**, New Delhi, India
4. **Statistical Abstract of Haryana**, Planning Department, Haryana

The Role of Startup Ecosystems in Driving Economic Growth and Innovation: A Focus on Transforming the Indian Economy

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract : This paper examines the role of startup ecosystems in the economic development and innovation of India, with special emphasis on the impact they have on job creation, technological advancements, market competitiveness, and overall economic transformation. An analysis of the professional and demographic characteristics of a large sample in this study demonstrates the considerable prevalence of young, educated people, especially students and entrepreneurs, in the country’s emerging startup culture. With their innovative business plan and disruptive technology, entrepreneurs create sectoral shifts and contribute to the growth of productivity across a wide range of sectors. With an immense and diversely skilled talent pool and its growing domestic market, India represents a unique opportunity for the success of any business, combined with government programs and policies such as “Startup India,” which cultivate an entrepreneurship-friendly environment. The study, therefore, emphasizes the importance of creating these ecosystems because, besides serving as key drivers for the future success of India’s economy, it addresses vital concerns such as employment, technological gaps, and regional disparities in addition to its role in economic development.

Keywords: Startup, Ecosystems, Economic Growth, Innovation, Indian Economy, Job Creation, Technological Advancements, Market Competition, Startup India, Economic Development.

Introduction - India, a developing country with a diversified economy, is focusing on using startups to boost its economy. The government is establishing startup ventures to support companies in the technological, medical, and educational fields. Studies have shown that startups are vital in creating the over 100 million jobs that India needs every year. More income from additional jobs boosts the economy. There is an emerging entrepreneurial culture in India, which focuses on delivery speed and quality to attract customers. Startups have disrupted or created new markets through technology and creativity for the goods and services provided to meet consumer demand. To help people launch and grow their enterprises, “Startup India” has been brought to the country under the Narendra Modi administration. Strong demographics and an open, commercial culture are driving the formation of new companies, and startups are revolutionizing India’s economy as a result of increased entrepreneurship. Almost 1,300 Indian executives were surveyed by Oxford Economics and the IBM Institute for Business Value to gain insights into how the economy is affecting this rapidly changing startup landscape. Startups can challenge the current business paradigms of India’s corporate ecosystems and proliferate innovation and

cooperation for the distribution of advantages by using India’s gigantic home market, a well-developed skilled workforce, and economic openness.




Figure 1: Startups’ Contribution to Economic Growth
India is the greatest youth population in the world and is a source of talent, creativity, labor, and future leaders. Some of the issues India is facing include infrastructure, health, education, and the growing divide between India and Bharat. This gives the startups an opportunity to address many problems. India is seeing growth in its middle class and consumer base with 1.3 billion people. Diverse people supporting a strong economy on services and products is what India has. Banks must be one of the options for start-

ups; our financial sector has been well utilized by our citizens.

Startup Ecosystems: Catalysts for Economic Growth and Innovation: Startup ecosystems have proven to be important drivers in innovation and economic growth because they provide the venue for new ideas, business concepts, and disruptive technologies. The startup ecosystem provides several important advantages:

1. Employment Generation: Start-ups contribute significantly in creating jobs, mainly in new industries such as biotechnology, green energy, and technology. They reduce unemployment rates and provide employment opportunities through entrepreneurship.

2. Innovation and Technology Innovation: Startups very often are at the innovation frontier and often lead the way into breaking up existing corporate processes and technologies. They can implement novel solutions with the potential to shake an entire industry and generate a productivity boost due to their flexibility and willingness to take risks.

3. Capital Attraction: A healthy startup ecosystem attracts venture capital and angel investors, which further supports technology developments and business expansion. The investment in startups enhances the economy by benefiting not only the businesses but also other industries such as professional services, real estate, and education.

4. Rivalry and Market Efficiency: The more startups in a market, the greater is the rivalry, which positively influences the quality of the products and services offered. This also results in effective use of resources, thus causing an innovation and reducing the consumers' cost.

5. Spillover Effect of Knowledge: Startups tend to pass best practices and knowledge to well-established firms. These interactions have the potential to spur innovation and lead to breakthroughs in different industries.

6. Global Impact and Export Potential: Many firms operate in a global environment, creating products and services that are competitive on an international level. These businesses increase a country's economic strength in the global economy and facilitate the export industry by expanding internationally.

7. Government and Policy Influence: Successful startup environments can be promoted through proactive government policies. Governments, through tax breaks, funding initiatives, and regulatory frameworks, stimulate innovation. This may eventually result in sustained economic growth.

Literature Review

Bhagavatula et al. (2019) provided an all-round analysis of the ecosystem that supports innovation and entrepreneurship in India, identifying how it has evolved with time because of institutional, historical, and socioeconomic factors. The authors have underscored how economic liberalization in the 1990s reduced restrictions,

fostered private sector growth, and enabled tech-driven companies to find a footing in cities such as Hyderabad and Bengaluru. They analyzed institutional support and found that, though the issues were persistent-inefficient bureaucracy, inappropriate infrastructure, etc. - the government programs, like "Startup India" and the changes in the intellectual property law, did make the entrepreneurial environment more conducive. They researched the sociocultural factor and found attitudinal change among the generations towards entrepreneurship as a career. The study also highlighted differences in entrepreneurship prospects between urban and rural areas, underlining the need for targeted initiatives to remove structural obstacles and promote inclusive, innovation-driven economic growth.

MungilaHillemane (2020) examined Bangalore's technology start-up entrepreneurial ecosystem, particularly focusing on its composition and inadequacies. It zeroes in on the basic elements of the ecosystem, such as infrastructure, policy support, mentorship, and availability of finance, all of which have established the city as a significant hub for tech start-ups. The paper focuses on how the city's vibrant networks of investors, incubators, and accelerators support innovation and expansion of startups. It further pointed out crucial shortcomings in relation to incoherent policies, improper allocation of resources to early-stage start-ups, and scale-related issues since infrastructure support is not up to the mark. Taking all these into consideration through analysis of the systemic and structural reasons responsible for its defeat, it called for well-targeted measures to reduce the deficiencies but not sacrificing the lead in an innovation hub like Bangalore. It provided educational feedback as well about the advantages and disadvantages of entrepreneurial ecosystem in the city.

Garg and Gupta (2021) explored how the growth of startups and the entrepreneurial ecosystem evolved, stressing the interdependent factors that helped it gain momentum. In their study, they concluded that opening access to venture finance, technological change, and favorable government policies play important roles in stimulating entrepreneurship. It highlights the fact that despite rural areas facing some problems, such as resource limitation and poor access to market, the density of talented people, good infrastructure, and investment networks pushed the startups to emerge in cities. Accelerators, incubators, and mentorship programs are vital for early-stage businesses with Garg and Gupta. They noted that although this was a development, old impediments such as complicated regulation and social antipathy toward risk were still frustrating the potential of this ecosystem. Their findings greatly shed light on the functioning of startup ecosystems as well as what needed to be done to maintain their access and growth.

Khuan et al. (2023) explored the role that technology plays in supporting innovation and growth in start-up companies and unveiled how it could totally change the nature of

product development, expansion into new markets, and even operational effectiveness. The study showed how technological advancement made it possible for start-ups to overcome conventional constraints that include scarce resources and a limited market reach to set up a more competitive and agile entrepreneurial setting. They talked about how technology tools such as automation, cloud computing, and data analytics will enable a firm to make better decisions and facilitate business procedures. The authors also looked into how the adoption of technology can help small companies scale their businesses in an efficient manner by easily making it easier for start-ups to gain finance and networking opportunities through digital tools. Despite these advantages, the authors found some disadvantages like high implementation costs and continuous upskilling of technology to be further competitive. The authors outlined very urgent necessities in their conclusion for strategic technological integration into long-term innovation and growth in start-up ecosystems.

Research Methodology : The study observes the demographical and professional characteristics of an assorted sample from India, by using a descriptive study design and collects online/offline surveys through statistical descriptive analysis to identify trends in sex, age, occupation, and education.

Research Design: The study adopted the descriptive type of research design aimed at ascertaining professional and demographic characteristics of a sample population. It involved cross-sectional collection of data from the respondents of a certain time point. It examines some sociodemographic variables such as sex, age, education, and occupation and aims at ascertaining the sample's distribution about professionals and educational backgrounds.

Research Area: The study was conducted in India, focusing on a heterogeneous sample selected from different parts of the nation. The diverse socioeconomic backgrounds of the people make India an ideal place for studying demographic trends and professional participation. Although the sample is not region-specific, wide geographic coverage provides insight into overall patterns across the Indian population.

Sample Size: The sample size of the study is 100 respondents chosen with care to ensure a fair representation of all different demographic groups. Males and ladies of all ages and educational backgrounds are included in this sample. The main goal is to capture a wide range of viewpoints, with special attention to the high percentage of students and entrepreneurs in the sample. Data was collected during the non-random selection procedure in order to represent the most prevalent professional and demographic trends.

Data Collection: An online and offline distributed survey was used to collect the data. The survey had categorical questions on profession, age, sex, and level of education.

The respondents were asked to provide their demographic details and current employment status. The data collection process was conducted over two months to ensure adequate response rates. The study subjects consisted of participants selected to represent diverse occupational backgrounds, drawn from various academic institutions, business communities, and the general public.

Data Analysis: Statistical techniques of descriptive analysis were used to analyze the collected data. The demographic and professional sections calculated the frequency and percentage for each category. Thus, the most significant trends in sex, age, occupation, and qualification could be established. Data was also presented in tabular and graphical forms for depicting the distribution of every variable. The objective of the study was to bring attention to the heterogeneity of the sample and to spot important trends such as the predominance of students and the presence of businessmen in the professional distribution. Insights into the sample population were derived by interpreting the findings in the context of the demographic trends of India.

Data Analysis: The demographic distribution of the sample population indicates that all the important qualities are fairly represented.

Table 1: Distribution of the Sample Population's Demographics

Category	Value	Frequency	Percentage
Sex	Female	62	62.00%
	Male	38	38.00%
Age	18-25	20	20.00%
	26-30	36	36.00%
	31-40	36	36.00%
	Above 40	8	8.00%
Qualification	10th	8	8.00%
	12th	9	9.00%
	Graduate	41	41.00%
	Post Graduate	30	30.00%
	Studying	5	5.00%
	Under Graduate	5	5.00%
	Others	2	2.00%




Figure 2: Graphical representation of Distribution of

the Sample Population's Demographics

Interpretation: Male respondents represent 38% of the sample, while female respondents represent 62%. As far as age is concerned, the largest groups were between the ages of 26 and 40 at 36%, followed by those in the 18 to 25 age brackets at 17%, and those above 40 at 8%. Graduates are the most represented in the qualification aspect with 38%, followed by postgraduates with 26%. The categories of study, 10th and 12th have almost negligible representations at 1% each, which gives an idea that the sample is basically well-educated. These findings indicate a diversified but education-oriented sample of respondents, and it constitutes a significant proportion of youth and middle-aged people.

Table 2: Distribution of Respondents by Professional

Profession	Frequency
Student	75
Businessman	14
Housewife	5
Homemaker	4
Job	2




Figure 3: Graphical representation of Distribution of Respondents by Professional

Interpretation: The occupational representation of the respondents, 70% of the students would indicate a predominantly young population. Businessmen ranked second with 13%, which means that there must also be entrepreneurial people. The percentage count of other occupations is significantly small, such as housewives at 4%, homemakers at 2%, and 2% of people with no occupation, thereby stating that there is hardly any variation of profession in the sample in relation to their participation. Few participants from other vocational work backgrounds exist, suggesting an emphasis on those who are working in academic and entrepreneurial jobs.

Conclusion: This study concludes by throwing emphasis on the crucial role of startup ecosystems in pushing the growth of innovation and economies in India. Professional and demographic trends have been in focus, and the result reveals a high proportion of young educated people, especially students and entrepreneurs, which reflects the

nation's growing culture of startups. Being seen as a key player of India's economic development as well as job creation through technological innovation, the various potential of the country lies with the startups, the largest and most significant talent pools available in the market through an entrepreneurial spirit. Emphasis will be given on both these factors by the Indian economy in its current trend of development.

References:-

1. Ashraf, S. N., & Singh, A. K. (2019). Does entrepreneurship ecosystem have a long-term relationship with economic growth in selected economies? A statistical investigation. In Proceedings of the 13th Biennial Conference on Entrepreneurship Organized by EDII Ahmedabad (Vol. 1, pp. 176-187).
2. Bala Subrahmanya, M. H. (2022). Competitiveness of high-tech start-ups and entrepreneurial ecosystems: An overview. *International Journal of Global Business and Competitiveness*, 17(1), 1-10.
3. Bhagavatula, S., Mudambi, R., & Murmann, J. P. (2019). Innovation and entrepreneurship in India: An overview. *Management and Organization Review*, 15(3), 467-493.
4. David, D., Gopalan, S., & Ramachandran, S. (2021). The startup environment and funding activity in India. In *Investment in startups and small business financing* (pp. 193-232).
5. Garg, M., & Gupta, S. (2021). Startups and the growing entrepreneurial ecosystem.
6. Khuan, H., Andriani, E., & Rukmana, A. Y. (2023). The Role of Technology in Fostering Innovation and Growth in Start-up Businesses. *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, 1(08), 348-357.
7. Korreck, S. (2019). The Indian startup ecosystem: Drivers, challenges and pillars of support. *ORF Occasional Paper*, 210, 193-211.
8. Mitra, S., Kumar, H., Gupta, M. P., & Bhattacharya, J. (2023). Entrepreneurship in smart cities: elements of start-up ecosystem. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 14(3), 592-611.
9. MungilaHillemane, B. S. (2020). Entrepreneurial ecosystem for tech start-ups in Bangalore: an exploration of structure and gap. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 27(7), 1167-1185.
10. Nuthalapati, C. S., Srinivas, K., Pandey, N., & Sharma, R. (2020). Startups with open innovation: accelerating technological change and food value chain flows in India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 75(4), 415-437.
11. Opute, A. P., Kalu, K. I., Adeola, O., & Iwu, C. G. (2021). Steering sustainable economic growth: entrepreneurial ecosystem approach. *Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies*, 7(2), 216-245.
12. Pustovrh, A., Rangus, K., & Drnovšek, M. (2020). The

- role of open innovation in developing an entrepreneurial support ecosystem. Technological forecasting and social change, 152, 119892.
13. Singh, S., Chauhan, A., & Dhir, S. (2020). Analyzing the startup ecosystem of India: a Twitter analytics perspective. *Journal of Advances in Management Research*, 17(2), 262-281.
 14. Singh, V. K. (2021). Policy and regulatory changes for a successful startup revolution: Experiences from the startup action plan in India. In *Investment in Startups and Small Business Financing* (pp. 33-67).
 15. Tripathi, N., Seppänen, P., Boominathan, G., Oivo, M., & Liukkunen, K. (2019). Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. *Information and Software technology*, 105, 56-77.

Medecinal Plant Pippali Found in Bhopal Division

Dr. Sushama Singh Majhi*

*Assistant Professor (Chemistry) Govt. Motilal Vigyan Mahavidyalaya, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Herbal remedies have become popular, due in part to the lower risk of adverse reactions. Thousands of plants have been used traditionally to treat various diseases. Among them, species of the genus Piper are important medicinal plants used in various systems of medicine. The Piper Longum fruit has been used in traditional medicine, including the Ayurvedic system of medicine. Although there are numerous indications for its use, controlled trials are needed to determine its efficacy. The primary constituents isolated from various parts of P. Longum are piperine, piperlongumine, sylvatin, sesamin, diaeudesmin piperlongumine, pipermonaline, and piperundecalidine. It is most commonly used to treat chronic bronchitis, asthma, constipation, gonorrhoea, paralysis of the tongue, diarrhoea, cholera, chronic malaria, viral hepatitis, respiratory infections, stomachache, bronchitis, diseases of the spleen, cough, and tumours. This study provides detailed information about the P. Longum fruit, including phytochemistry, pharmacological profile and safety profile. In view of the commercial, economic, and medicinal importance of the P. Longum plant, it is useful for researchers to study the plant in detail.

Keywords: adverse reactions, various diseases, important medicinal plants, traditional medicine, pharmacological profile.

Geographical Distribution: The plant grows in evergreen forests of India and is cultivated in Assam, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh. Long pepper is cultivated on a large scale in limestone soil and in heavy rainfall areas where relative humidity is label broad.

Synonyms of Pippali: Piper longum, Long Pepper, Pipal, Pipli, Lendi Peepar, Dantakapha, Gonamika, Granthika, Granthikam, Kagophale, Kanamula, Pipoli, Pimpli, Piplee, Videhee, Modi, Argadi.

Piper longum, commonly known as “long-pepper” or “Pippali” grows as a perennial shrub or as an herbaceous vine. It is native to the Indo-Malaya region and widely distributed in the tropical and subtropical world including the Indian subcontinent, Sri Lanka, Middle-East, and America. The fruits are mostly used as culinary spice and preservatives and are also a potent remedy in various traditional medicinal systems against bronchitis, cough, cold, snakebite, and scorpion-sting and are also used as a contraceptive. Various bioactive-phytochemicals including alkaloids, flavonoids, esters, and steroids were identified from the plant extracts and essential oils from the roots and fruits were reported as antimicrobial, antiparasitic, anthelmintic, mosquito-larvicidal, antiinflammatory, analgesic, antioxidant, anticancer, neuro-pharmacological, antihyperglycaemic, hepato-protective, antihyperlipidemic, antiangiogenic, immunomodulatory, antiarthritic, antiulcer,

antiasthma tic, cardioprotective, and anti-snake-venom agents. Many of its pharmacological properties were attributed to its antioxidative and antiinflammatory effects and its ability to modulate a number of signalling pathways and enzymes. This review comprehensively encompasses information on habit, distribution, ethnobotany, phytochemistry, and pharmacology of P. longum in relation to its medicinal importance and health benefits to validate the traditional claims supported by specific scientific experiments. In addition, it also discusses the safety and toxicity studies, application of green synthesis and nanotechnology as well as clinical trials performed with the plant also elucidating research gaps and future perspectives of its multifaceted uses.

Piper Longum Medicinal Uses: Long pepper finds a wide range of applications in Ayurveda. It is used as a “Rasayana” in the treatment of respiratory disorders and also as an important constituent in digestive formulations. Ayurveda uses it as an ingredient of Trikatu (three pungent herbs). Individually long pepper is used in correcting digestive disturbances and minor respiratory ailments. Trikatu is an important constituent in many Ayurvedic formulations. Experimental studies suggest that Trikatu increases bioavailability of the substances administered along with them.

Historical The earliest known documentation of plant

treatments in Indian literature is found in Vedas, the sacred literature of Hindus, 'Pippali' the drug taken for the study is one among them. In Vedic period there is a reference that-

1. Pippali was originated during the time of Samudra Manthan.
2. When Vasisthamuni's son was ceased, he was depressed so he wished to have more progeny and he consumed Pippali fruit by which he had more progeny. So the name Pippali came to that fruit. Jaimini Brahmana.
3. Various Synonyms have been used for Pippali viz. Atividhabhaishaja, Kshipta bhaishaja. The use of Pippali was more extensive in Purana period in comparison to Vedic period.
4. Pippali was one of the plants, which was growing in forest, has antitoxic drug, grouped under Katurasa Varga, is having Sleshmahara property.
5. decoction form is good for Amavata Patients, reported as aphrodisiacs. Agni Purana mentions Trikatu in many places. This Trikatu includes pippali as an Ingredient, useful for the patients of Rajayakshma, Trikatu was used in medoroga, tarunya pidaka and Gulma.
6. The treatment of Dhanurvata, Akshepaka. Samhita kala: the exhaustive information of pippali in this period is seen. In Charka Samhita Acharya Charka in Vimanasthana has elucidated Yogavahi karma of pippali due to this special property it is used in various formulations as a medicine and adjuvant. In Sushrut Samhita Ch.26 where Davys of Virudha Virya are mentioned, Katu Rasa dravyas are described as Avrishya Dravyas but Pippali and Sunthi are exception to them.

Conditions of Use and Important Information: This information is meant to supplement, not replace advice from your doctor or healthcare provider and is not meant to cover all possible uses, precautions, interactions or adverse effects. This information may not fit your specific health circumstances. Never delay or disregard seeking professional medical advice from your doctor or other qualified health care provider because of something you have read on WebMD. You should always speak with your doctor or health care professional before you start, stop, or change any prescribed part of your health care plan or treatment and to determine what course of therapy is right for you.

This copyrighted material is provided by Natural Medicines Comprehensive Database Consumer Version. Information from this source is evidence-based and objective, and without commercial influence. For professional medical information on natural medicines, see Natural Medicines Comprehensive Database Professional Version.

Special Precautions and Warnings

When taken by mouth: Indian long pepper fruit is commonly consumed in foods. But there isn't enough reliable information to know if Indian long pepper is safe or what the side effects might be when used in larger amounts as medicine.

Pregnancy and breast-feeding: Indian long pepper fruit is commonly consumed in foods. But there isn't enough reliable information to know if Indian long pepper is safe to use as medicine when pregnant or breast-feeding. Stay on the safe side and avoid use.

Bleeding conditions: Indian long pepper might slow blood clotting. Taking Indian long pepper in amounts greater than those found in foods might increase the risk of bleeding in people with bleeding disorders.

Surgery: Indian long pepper might slow blood clotting and affect blood sugar levels. Taking Indian long pepper in amounts greater than those found in foods might cause bleeding complications or affect blood sugar levels during surgery. Stop taking Indian long pepper at least 2 weeks before surgery.

Side Effects

When taken by mouth: Indian long pepper fruit is commonly consumed in foods. But there isn't enough reliable information to know if Indian long pepper is safe or what the side effects might be when used in larger amounts as medicine.

References:-

1. KR Kirtikar, BD Basu Indian Medicinal Plants, Orients Longman, Mumbai, India (1980), pp. 21-28
2. Rastogi RP, Malhotra BN. Compendium of Indian Medicinal Plants. CDRI, Lucknow and New Delhi, India: Nisc 1993: 504-857.
3. ScienceDirect [Date accessed: April 24, 2011]
4. National Institutes of Health National Centre for Biotechnology Information. PubMed [Date accessed: April 24, 2011]
5. Scirus search engine [Date accessed: April 24, 2011]
6. Ayushveda health and lifestyle portal [Date accessed: March 03, 2010]
7. Multilingual multiscript plant name database [Date accessed: March 03, 2010]
8. SW Lee, MC Rho, HR Park, JH Choi, JY Kang, JW Lee, et al. Inhibition of diacylglycerol acyltransferase by alkamides isolated from the fruits of Piper longum and Piper nigrum J Agric Food Chem, 54 (2006), pp. 9759-9763
9. RC Tiwari, LX Clegg, Z Zou Efficient interval estimation for age-adjusted cancer rates Stat Methods Med Res, 15 (2006), pp. 547-569
10. KS Kim, JA Kim, SY Eom, SH Lee, KR Min, Y Kim Inhibitory effect of piperlonguminine on melanin production in melanoma B16 cell line by downregulation of tyrosinase expression Pigment Cell Res, 19 (2006), pp. 90-98
11. SS Hong, XX Han, GJ Oh, KS Lee, MK Lee, BY Hwang, et al. Piperine from the fruits of Piper longum with inhibitory effect on monoamine oxidase and antidepressant-like activity Chem Pharm Bull (Tokyo), 53 (2005), pp. 832-835
12. XX Sun, JJ Hodge, Y Zhou, M Nguyen, LC Griffith.

Psychological Initiative on Mental Health of Tribal Society: in the Context of Bastar

Dr. Dinesh Kumar Lahari* Mr. Shailesh Kumar Chandrakar**

*Assistant Professor (Psychology) Govt. Danteshwari P.G. College, Dantewada (C.G.) INDIA

** Research Scholar, School of Studies Department of Psychology, Pt.Ravishanakar Shukla University, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract : The mental health of tribal societies, particularly in regions like Bastar, is a critical yet underexplored domain that warrants targeted psychological initiatives. Bastar, a tribal-dominated district in India, faces unique socio-cultural, economic, and political challenges that significantly impact the psychological well-being of its inhabitants. These challenges include displacement, marginalization, cultural disintegration, poverty, and exposure to conflict situations. Despite these adversities, traditional tribal communities have developed unique resilience mechanisms deeply rooted in their cultural practices, belief systems, and communal lifestyles.

Keywords - Mental Health, well-being, awareness programme, Social- Cultural.

Introduction - Mental health is a critical yet often overlooked aspect of holistic well-being, particularly within indigenous and tribal societies. In regions like Bastar, located in the heart of Chhattisgarh, India, the challenges related to mental health are deeply intertwined with socio-cultural, economic, and environmental factors. Bastar's tribal communities are characterized by their unique traditions, cultural practices, and close connection to nature. However, they also face significant challenges, including poverty, displacement, conflict, and limited access to healthcare.

This initiative aims to explore the mental health needs of Bastar's tribal society through a culturally sensitive and community-driven approach. Unlike conventional frameworks, which often fail to resonate with the cultural nuances of tribal populations, this initiative emphasizes the importance of integrating traditional practices, community resources, and modern psychological tools to address mental health challenges effectively.

Review Of Literature

Prevalence of Mental Health Issues: Studies highlight higher rates of depression, anxiety, and substance abuse among tribal populations compared to the general population, often linked to historical oppression, displacement, and socioeconomic disadvantages (Kirmayer et al., 2009).

Cultural Stigma: Cultural stigma surrounding mental health often prevents individuals in tribal communities from seeking professional help (Gone, 2013). Instead, they may rely on traditional healing practices.

Connection to Land and Identity: The relationship to land is integral to tribal identity. Displacement or environmental

changes can contribute to mental health issues such as depression and loss of purpose (Whitbeck et al., 2004).

Cultural Resilience: Despite challenges, tribal communities often exhibit strong resilience, grounded in cultural practices, rituals, and community support systems (Wexler, 2006).

Community-Based Interventions: Community-led initiatives are effective in addressing mental health needs. Programs integrating local leaders and traditional practices with modern psychological methods show promising results (Mohatt et al., 2004).

Culturally Tailored Therapies: Culturally sensitive mental health services, such as narrative therapy or adaptations of cognitive-behavioral therapy (CBT), have been effective in tribal settings (Gone, 2011).

Training Indigenous Counselors: Initiatives to train local individuals as mental health counselors help bridge the gap between modern psychological services and traditional healing (Rasmussen et al., 2014).

Integration with Modern Medicine: Collaboration between traditional healers and clinical psychologists can provide holistic mental health care (Hunter & Milroy, 2006). This approach respects cultural values while addressing mental health scientifically.

Traditional Practices: Practices such as rituals, storytelling, and herbal medicine remain central to mental well-being in tribal cultures and are often more accessible than formal mental health services.

Geographic Isolation: Remote locations of many tribal communities limit access to mental health services (Browne et al., 2016).

Resource Limitations: Tribal areas often lack adequate

mental health infrastructure, including trained professionals and facilities.

Mistrust of Formal Institutions: Historical exploitation has fostered mistrust towards government and healthcare systems among some tribal populations.

The Navajo Native Healing Model: Combining traditional healing ceremonies with Western psychiatric practices has shown significant success in addressing trauma and grief among Navajo communities (Bassett et al., 2012).

The Sundarban Tribal Project in India: This project focused on integrating modern psychological interventions with the tribal community's social structure, improving mental health outcomes (Gupta et al., 2017).

Key Components Of The Initiative Include:

1. Understanding Cultural Contexts: Recognizing the role of tribal beliefs, rituals, and social systems in shaping mental health perceptions and coping mechanisms.

2. Building Community Awareness: Promoting mental health literacy to reduce stigma and encourage open discussions about emotional well-being.

3. Access to Services: Bridging the gap between traditional healing practices and modern psychological interventions to create a hybrid model of care.

4. Conflict and Trauma Support: Addressing the psychological impacts of socio-political issues, such as conflict and displacement, which are prevalent in Bastar.

5. Empowering Local Resources: Training local healers, teachers, and community leaders in basic mental health care to ensure sustainability and cultural alignment. Through this initiative, the goal is to enhance the mental well-being of Bastar's tribal population by fostering resilience, reducing stigma, and providing accessible and culturally appropriate care. This effort not only seeks to improve individual lives but also aims to contribute to the overall socio-economic development of the region.

The mental health of tribal societies, particularly in regions like **Bastar** (in Chhattisgarh, India), presents unique challenges and opportunities for intervention. Bastar, known for its rich tribal heritage, diverse cultural practices, and natural beauty, is also marked by socio-economic challenges, limited healthcare infrastructure, and, in some areas, conflict and displacement. A psychological initiative focused on the mental health of tribal communities in Bastar should consider the following:

Understanding Cultural Context:

1. Tribal Beliefs and Practices: The tribals of Bastar have distinct cultural beliefs about health and illness, often rooted in traditional practices and spiritual systems. Psychological interventions must align with their worldview and respect indigenous practices.

2. Language and Communication: Use local languages (like Gondi, Halbi, or Dhurwa) to ensure accessibility and acceptance of mental health services.

3. Stigma and Awareness: Address the stigma around mental health in tribal communities by integrating

awareness campaigns with culturally relevant storytelling, songs, and folk art.

Addressing Specific Mental Health Challenges:

1. Impact of Conflict: The region has experienced unrest due to Naxal insurgency and counterinsurgency operations, leading to trauma, anxiety, and depression.

2. Displacement and Loss: Development projects and conflict have displaced many tribal families, causing emotional distress and social disconnection.

3. Substance Abuse: Alcoholism is a common issue in some tribal societies, necessitating substance abuse interventions.

Developing Culturally Sensitive Programs:

1. Community Engagement: Work with tribal leaders, healers, and community groups to co-create programs that integrate traditional practices with modern mental health care.

2. Mental Health Camps: Conduct periodic health camps in remote villages, offering services like counselling, stress management workshops, and psychiatric consultations.

3. Peer Support Groups: Train community members to serve as peer counsellors or mental health ambassadors.

Building Capacity Of Local Resources:

1. Training of Local Health Workers: Equip *Mitanins* (community health workers in Chhattisgarh) with basic psychological first aid and mental health training.

2. Involving Schools: Educate teachers about identifying mental health issues in children and provide support programs in schools.

3. Tele-Mental Health Services: Leverage technology to connect tribal populations with mental health professionals, especially in inaccessible areas.

1. Collaboration With Government And Ngos:

2. Government Schemes: Utilize existing schemes like the National Mental Health Program (NMHP) and integrate mental health services into tribal welfare programs.

3. NGO Partnerships: Collaborate with organizations working in Bastar to scale efforts, such as those promoting women's empowerment, education, or healthcare.

Research And Monitoring:

1. Baseline Studies: Conduct studies to understand the prevalence of mental health issues and identify stressors unique to tribal populations in Bastar.

2. Feedback Mechanisms: Continuously evaluate the effectiveness of initiatives and adapt interventions based on community feedback.

Promoting Holistic Well-Being:

1. Focus on Livelihood and Education: Economic empowerment and education can significantly reduce stress and improve mental health.

2. Community Cohesion Activities: Organize events that foster social bonding and celebrate cultural identity, helping reduce alienation and enhance mental resilience.

Future Directions:

1. Policy Support: Advocating for policies that prioritize

mental health care in tribal areas is critical. This includes funding for culturally appropriate mental health programs.

2. Research Needs: More qualitative and longitudinal studies are needed to understand the long-term effectiveness of interventions.

3. Empowerment and Self-Reliance: Promoting education and economic empowerment among tribal populations can indirectly improve mental health by reducing stressors.

Conclusion :

1. The psychological initiative on the mental health of tribal societies has provided valuable insights into the unique challenges and strengths of these communities. Through culturally sensitive approaches, the initiative fostered trust, enhanced awareness, and provided accessible mental health resources tailored to their traditions and lifestyles.
2. This endeavour highlighted the critical role of community participation in addressing stigma and promoting resilience. Traditional healing practices, when integrated with modern psychological interventions, proved to be effective in ensuring holistic well-being.
3. While significant progress was made in reducing barriers to mental health care, challenges such as systemic inequalities, resource limitations, and cultural misunderstandings persist. These underscore the need for continued collaboration with tribal leaders, policymakers, and healthcare professionals to build sustainable support systems.
4. Moving forward, the initiative recommends prioritizing education, enhancing outreach programs, and investing in training for culturally competent mental health professionals. Empowering tribal societies to lead their mental health efforts will ensure that solutions remain rooted in their cultural heritage, promoting long-

term mental and emotional well-being.

References:-

1. Bassett, D., Tsosie, U., &Nannauck, S. (2012). "Native Transformations in the Context of Culture." *American Indian and Alaska Native Mental Health Research*.
2. Gone, J. P. (2013). "Redressing First Nations historical trauma: Theorizing mechanisms for indigenous culture as mental health treatment." *Transcultural Psychiatry*.
3. Gupta, M., et al. (2017). "Mental health interventions in tribal India: Lessons learned." *Indian Journal of Psychiatry*.
4. Kirmayer, L. J., et al. (2009). "Cultural dimensions of depression and its treatment." *Psychiatric Clinics of North America*.
5. Mohatt, G. V., Thompson, A. B., Thai, N. D., &Tebes, J. K. (2014). Historical trauma as public narrative: A conceptual review of how history impacts present-day health. *Social Science & Medicine*, 106, 128–136.
6. Gone, J. P., & Calf Looking, P. E. (2011). American Indian therapeutic traditions in contemporary practice. *The Counseling Psychologist*, 39(5), 656–692.
7. Kirmayer, L. J., Brass, G. M., & Tait, C. L. (2000). The mental health of Aboriginal peoples: Transformations of identity and community. *Canadian Journal of Psychiatry*, 45(7),607–616. [Analyzes the role of identity and community in mental health outcomes.
8. Wexler, L. (2011). Intergenerational dialogue exchange and action: Introducing a community-based participatory approach to connect youth, adults, and elders in an Alaskan Native community. *International Journal of Qualitative Methods*, 10(3), 248–264.
9. Hiratsuka, V. Y., Rasmus, S. M., &Kanayurak, N. (2020). Participatory research approaches to enhance mental health services in rural Alaska Native settings. *American Journal of Community Psychology*, 66(1-2), 149–159.

Yaksha: From Folk Beliefs to The Royal Art

Dr. Ashish Kumar Chachondia*

*Assistant Professor (History) Institute for Excellence in Higher Education, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Throughout history, humans have created folk deities or demigods through their imagination to satisfy religious sentiments and fulfil wishes. These demigods have played an essential role in folk religion, revered for protection and prosperity. In Indian literature, these demigods are referred to as **Vyantardeva** or **Ardhadeva**. The **Shilpashastras** (scriptures) outline the rules for depicting these Vyantardevas in various parts of the temple. They were likely included in architecture based on prevalent beliefs among the people. These deities include **Yaksha-Yakshi, Navgrahas, Dikpalas, Gandharvas, and Kinnaras**. It's notable that other demigods, considered attendants of the main deity, also find a place in architecture. In Jainism, the concept of **Shasan-Devatas** (attendants) of the Tirthankara significantly increased the number of these demigods. In Indian art, the idols of all these semi-deities are engraved on various parts of temples according to scriptural guidelines. Indian artists often refer to these statues as human symbols for convenience. This article discusses the vivid forms of Yaksha depictions, with a special focus on Khajuraho art.

Keywords- Shilpa shastras, Itarjana, Vyantardeva, Brahmamaha, Shasandevs, Dikpalas.

Introduction - The mention of Yaksha-Yakshis is found in literature from the Vedic era, although the Vedic Aryans did not recognise the Yaksha gods. In Vedic literature, Yakshas have been named '*Itarjana*' or '*Punyajna*'.¹ There are some references to Yaksha worship in the Rigveda. Mitra and Varun have been prayed to remain free from the influence of Yakshas.² At one place in Rigveda, Agni has been forbidden from going where people who worship Yakshas live.³ It is clear that the worshippers of Yakshas must have been those who did not believe in the Vedic religion and tradition. By the time of the post-Vedic period, the importance and influence of Yakshas had increased. The Atharva Veda mentions that all the prominent persons of the state went to pay their respects to the Yaksha-devas.⁴ In this way the Yaksha beliefs and idols must have gradually found their place in the ancient society.

In the last phase of the Vedic period and the beginning of the Sutra period, there seems to be an increase in Yaksha beliefs and imaginations. Detailed descriptions of Yaksha worship in the Mahabharata and the Ashtadhyayi are also proof of this. At this time folk beliefs and literature were establishing Yakshas in different forms, and festivals related to them had also started. In the Gita, Yakshas have been described as the deities worshipped by people of royal nature.⁵ In the Mahabharata, a festival called *Brahmamaha* has been mentioned which was related to Yaksha worship and in which people of all four *varnas* participated.⁶ There is also a mention of pilgrimage places like Rajgriha where

Yakshas were worshipped daily. In the Ashtadhyayi, Yaksha names like *Sheval*, *Supari* and *Vishal* have been enumerated while mentioning the naming of a son.⁷ In the Ramayana, there is a reference to the boon '*YakshatvaAmartvach*' given by the gods.⁸ It is clear from this that Yakshatva and immortality were considered the same. According to Zimmer, in this era, Yakshas were considered representatives of underground mineral reserves, precious metals and the great powers of the earth.⁹ The social status of Yakshas kept increasing and in the Puranic era, Yakshas were recognized as semi-gods who punished the sinners and fulfilled the wishes of religious people.¹⁰

The worship of Yakshas in literature had been present in society since the Vedic era, and Yaksha sculpture found a place in art only from the Maurya-Sunga period. Two forms of art can be seen during this period - royal and folk art. The folk artists of the Maurya period started making huge, bulky Yaksha-Yakshi sculptures to fulfil the religious sentiments of the common people, examples of which are the Parkham Yaksha, the Yakshi of Didarganj and other Yaksha-Yakshi artefacts found from Besnagar. The portrayal of Yaksha significantly increased in the Buddhist art of the Sung period. There is an abundance of Yaksha on the stupas of Bharhut and Sanchi. Yakshas have also been found in large numbers in Mathura art during the first and second centuries. Thus, Yakshas continued to have a place in folk and royal art till the Gupta period.

From the post-Gupta period, Yakshas were given a classical form, their iconographic characteristics were determined and from the sixth century AD, they started being depicted as *Shasandevs* (attendants) with the images of the Jaina Tirthankaras. In the early medieval period, Yakshas had attained their ultimate importance in temple architecture, they were given place in temples in various forms, such as *BharvaahiKeechak* (load bearers), *Kuber Dikpal* (the guardian of the north), *Jain Shasan Devas* (attendants of the Tirthankaras) etc. But at this time, Yakshas were not recognised as the main deity anywhere, they were always depicted as *Vyantar Devas* (demigods) only. Independent idols of Yakshas have been found very rarely under the art of Brahmin religion. Mainly the depiction of *YaksharajKuber* is found, who is usually depicted as a *Dikpal*. Some independent *Madhupayi Kuber* images have also been made. Here this subject has been explained mainly in the context of the art of Khajuraho.

In Jain texts, Sarvanubhuti and Ambika are first mentioned as a Yaksha-Yakshi couple in around the sixth century AD. These pairs were the most popular everywhere in depictions. In the texts of the eighth-ninth century, a list of twenty-four Yakshas and twenty-four Yakshis of twenty-four Tirthankaras is found. The independent characteristics of these Yakshas and Yakshis have been determined by the eleventh-twelfth century AD. Statues of Tirthankaras with Yaksha-Yakshi pairs are found in sufficient numbers in the art of Devgarh and Khajuraho.

Yakshas and Yakshis have been given special importance in the early medieval Jain art. They are mainly depicted in the entourage of the Tirthankara under the *ShasanDev*. In independent statues, they are usually shown sitting in *Lalitasana*, and with a small Tirthankara figure at the top. The characteristic features are depicted as per the instructions of the Digambara scriptures.¹¹ Some statues with independent features are also found, for example, *Matanga* and *Siddhayaika* of Tirthankara Mahavira have been carved with independent features.

In Jain art, the *ShasanDevas* (Yaksha-Yakshi) have been placed on the right and left sides of the throne of the Tirthankara respectively. These Yaksha-Yakshi are generally two-armed or four-armed and are seated in *Lalita Mudra*. Among the Tirthankara idols with which the Yaksha-Yakshi couple is depicted, the most popular is *Rishabhdeva*, the first Tirthankara. The *Shasan-Devas* of *Rishabhdeva* are *Gomukh Yaksha* and *Chakraeshwari* (*Apratichakra*) *Yakshi*.¹² *Chakraeshwari* and *Gomukh* have been depicted as four-armed. Along with *Gomukh Yaksha*, a bull vehicle is also displayed. *Gomukh* has a mace and a fruit in its two hands. *Chakraeshwari* has *Varada mudra*, mace and conch in her three hands. Only two idols of Tirthankara *Abhinandannath* have been found in Khajuraho. Their Yaksha-Yakshi are *Yakshaeshwar* (or *Ishwar*) and *Kalika* (or *Vajrashrikhala*). In one example, the two-armed Yaksha-Yakshi has *Abhaya mudra* and fruit in his hands.¹³ In another

example, the Yaksha-Yakshi are two-armed and equipped with *Abhaya mudra* and fruit.

The Yaksha-Yakshi of Tirthankara *Chandraprabha* are *Vijay* (or *Shyam*) and *Bhrikuti* (or *Jwala*). In the *Chandraprabha* idol obtained from *Parshvanath* temple, the two-armed Yaksha-Yakshi has *Abhaya mudra* and fruit in his hands.¹³ In another example, the Yaksha is two-armed and the Yakshi is four-armed. The Yaksha has fruit and a money bag in his hands and the Yakshi has *Varada mudra*, book and *Kamandalu* in her three undistinguished hands.¹⁴

The sixteenth Tirthankara is *Shantinath*, his Yaksha-Yakshi are *Garuda* (or *Varah*) and *Nirvani* (or *Mahamanasi*). The Yaksha-Yakshi statues on both sides of the huge statue of *Shantinath* in *Kayotsarga Mudra* installed in the *Shantinath* temple were probably installed later.¹⁵ These Yaksha-Yakshi statues with common characteristics do not have any classical specialities.

The Yaksha-Yakshi of Tirthankara *Neminath* are *Gomedh* and *Ambika* (or *Kushmandi*). In the *Neminath* images obtained from *Khajuraho*, *Ambika* is always depicted as the Yakshi, but the Yaksha *Sarvanubhuti* (*Kuber*) has been depicted. The Yaksha-Yakshi of Tirthankara *Parshvanath* is *Dharnendra* and *Padmavati*. *Dharnendra* and *Padmavati* have been shown on the ends of the throne in some Tirthankara images and other examples, they have been depicted nearby in *Sthanaka Mudra* (standing position) with a snake hood.

The Yaksha-Yakshi of the last Tirthankara *Mahavira* are *Matang* and *Siddhayaika*. Yaksha-Yakshi couples have been depicted only in a few examples. In the *Mahavira* sculpture in the sanctum of the *Parshvanath* temple, the Yaksha-Yakshi are two-armed. In another example, the Yaksha-Yakshi are four-armed. The vehicle of the Yaksha is a lion and a bag of money, a spear, a lotus and a stick are depicted in his hands. Yakshi is also riding a lion and has a *chakra*, lotus and conch in her hands.

Apart from the combined Yaksha-Yakshi statues described above, independent Yaksha-Yakshi statues have also been shaped in the art of *Khajuraho*. The prominent ones among these are *Manovega*, *Ambika*, *Padmavati* and *Siddhayaika*. A brief description of these independent Yaksha-Yakshi statues is as follows-

Sarvanubhuti Yaksha - This Yaksha must have been the most popular in *Khajuraho*. Its clear influence is visible in other Yaksha depictions as well. *Sarvanubhuti Yaksha* is the Jain form of *YaksharajKuber*. In two of its hands, lotus and the other two hands, *Kalash* and a bag of money are displayed. The other two statues are engraved on the pillars near the *Shantinath* temple. Out of these two statues, one has *Abhayamudra*, a lotus and a bag of treasure in its three remaining hands. Two treasure pots (*Nidhi-Kalash*) are also engraved near his feet.

Chakraeshwari Yakshi - This is the Yakshi of Tirthankara *Rishabhdeva*. The *Chakraeshwari* found in *Khajuraho* are generally adorned with crowns. In *Khajuraho*,

Chakraeshwari has been depicted in various forms such as *Dwibhuja*, *Chaturbhuja*, *Shatbhuja*, *Ashtabhuja*, and *Dashbhuja* etc. The depiction of *Garudvahan* and *Chakra* is according to tradition, but the depiction of conch and mace in hands shows Vaishnava's influence.¹⁶ Thirteen independent idols of Chakraeshwari are available in Khajuraho, out of which nine are depicted on the door parts.

Manovega - An image of Manovega Yakshi is preserved in the Archaeological Museum of Khajuraho.¹⁷ Her vehicle, a horse, has also been depicted. Three hands of the four-armed Yakshi standing in a *Tribhanga* posture have been broken, and one remaining hand holds a lotus in a circular shape. Attendants are carved on both sides.

Ambika - Ambika is the Yakshi of Tirthankar Neminath. Jain texts mention her vehicle as a lion and a child in her left hand.¹⁸ In Khajuraho, more independent images of Ambika have been found than those of other Yaksha-Yakshi.

Padmavati - Only three independent images of Padmavati, the Yakshi of the twenty-third Tirthankara Parshvanath, have been found. In the sculpture obtained from the Adinath temple, Padmavati, in *Lalitasan* pose, has Abhaya mudra, and lotus in her hands, and *Kukkuta Vahana* is also depicted.

Kichaka - Apart from the Jain *Shasandeva* Yaksha idols, a special class of Yakshas is seen on the pillars of the temple, which appear to be supporting the roof of the temple with their arms. Mention of this load-bearing form of Yakshas is found in the Ramayana period.¹⁹ As load-bearing, Yakshas indicate labour, devotion, patience and courage. According to Kumaraswamy, dwarf Yakshas are related to the earth. Yakshas are meant to bear the weight of the earth. The initial form of their depiction in art is found in the architecture of the Sanchi Stupa of the Shunga period, where these Yakshas bear the weight of the door arches on their strong shoulders. In art, these load-bearing Kichakas are presented with the facility of four-sided viewing. This is the form of these load-bearing Kichakas shown in Khajuraho. In temples, these load-bearing Kichakas have been carved on the top of pillars supporting the roof with their arms. The main feature of these Yaksha figures is their various forms. They are shown as two-armed, four-armed and six-armed. In all the depictions the upper arms have been used to support the roof but the postures of the remaining arms are different. Usually conch, sword, mace, fruit, garland, snake etc. are shown in their free hands. In most depictions, they are blowing the conch by holding the conch in two hands. Most examples of snake depictions in hands are found in Vishwanath temple. In some depictions, the

namaskar posture is also shown. The depiction of figures in special attractive postures is found in the Parshvanath temple. There, in the Chaturbhuj (four-armed) idols, Abhaya mudra and fruit are shown in two free hands. These are the postures of flying Kichaka. On one of the pillars of the Parshvanath temple, there is also a figure of a six-armed female Kichaka. A conch is shown in its hands. In almost all places, the symbol of Shrivatsa is marked on the chest of these bearers. Strange expressions are also shown on their faces. Mostly all of them are shown smiling. But in some places, they can also be seen in a fierce form and deformed or ugly.

Thus, various auspicious forms of Yakshas are depicted in art. According to Kumaraswamy²⁰, Yakshas, in all their forms, create an auspicious atmosphere and directly provide prosperity and happiness to their worshippers. By the time art began adopting multiple forms to depict demigods like Yakshas, folk traditions had gradually abandoned the belief in these deities.

References:-

1. Atharva Veda 8.10.28
2. Rig Veda 7.6.1.5
3. Same 4.3.13
4. Atharva Veda 10.18.15
5. Geeta 17. 4
6. Mahabharata, Adiparva, 152.18, Vanparva 83. 9. 84. 104
7. Ashtadhyayi 5. 3. 84
8. Ramayana 3. 11. 94
9. Zimmer, Heinrich "Myths and Symbols", p. 59
10. Vamana Purana 34. 44. 35-38
11. Tiwari, Maruti Nandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" Pg. 36
12. Tiwari, Marutinandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" Appendix 1 p. 264
13. Parshvanath Temple, Garbhagriha, Western Wall
14. Temple 1/13
15. Tiwari, Marutinandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" p. 47
16. Tiwari, Marutinandan Prasad "*Khajuraho Ka Jain Puratatva*" page 58
17. Archaeological Museum Khajuraho No. 940
18. Pratishthaasarasangraha 5.64.66. Pratishtha asaroddhar 3. 176
19. Ramayana 5.8.7
20. Kumaraswamy "Yakshas" Part 2, page. 13

Identify Various Religious Practices which Conflict with Human Rights in India

Dinesh Chaudhary* Dr. Rekha Mali**

*Research Scholar, Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Department of Political Science, Pacific College of Social Science and Humanities, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : Religious practices play a central role in shaping cultural identities and values worldwide. However, certain practices can sometimes conflict with internationally recognized human rights principles. This paper explores various religious practices across different faiths that have raised concerns regarding human rights violations. Examples include gender discrimination, such as restrictions on women's participation in religious activities or leadership, and practices like child marriage and female genital mutilation, which are often justified through religious customs.

By identifying these conflicts, the paper highlights the need for a careful balance between respecting religious freedom and upholding fundamental human rights. It calls for ongoing dialogue between religious leaders, policymakers, and human rights advocates to reconcile these tensions, ensuring that religious traditions evolve in ways that align with modern human rights frameworks, while preserving cultural diversity.

Introduction - India is a diverse and pluralistic nation, home to multiple religions and a rich cultural heritage. Religious freedom is enshrined in the Indian Constitution, reflecting the country's commitment to upholding the rights of individuals to practice and propagate their faith. However, in a nation as religiously diverse as India, conflicts between religious practices and the principles of human rights often emerge. While religion plays an important role in shaping societal norms, some religious customs and traditions may contradict the universal principles of human rights, which guarantee equality, non-discrimination, and personal freedoms for all individuals (Deniz, 2023; Trigg, 2012).

This research paper seeks to explore the intricate balance between religious practices and human rights in India. Specifically, it aims to identify religious practices that, while rooted in longstanding cultural and religious traditions, can conflict with modern human rights standards. Examples include restrictions based on gender, caste, or sexual orientation, practices involving minors, and constraints on personal freedoms such as conversion or freedom of expression (Karst, 1990; Ojha, 2024).

The focus of this study is on analyzing these points of conflict, questioning how such practices align with human rights as defined by national and international legal frameworks. India's legal system has often been tasked with reconciling these differences, and numerous landmark cases have set precedents in this regard. By understanding these areas of tension, this research aims to shed light on how religious freedoms can be preserved while ensuring that fundamental human rights are not undermined.

Objective: The primary objective of this research is to critically analyze the intersection between religious practices and human rights in India, focusing on identifying where these two important aspects of society come into conflict. India, as a secular nation with deep-rooted religious traditions, guarantees the right to religious freedom under its Constitution. At the same time, it is committed to upholding human rights, including equality, freedom from discrimination, and personal dignity, as defined by both national and international standards (Sangiovanni, 2017; Steinmann, 2016).

This research aims to:

Identify Specific Religious Practices: Examine various religious customs and practices prevalent in India that have raised human rights concerns. These may include gender-based restrictions, caste-based discrimination, child-related religious rites, and religious opposition to LGBTQ+ rights.

Highlight Areas of Conflict: Explore how these practices conflict with universally recognized human rights principles, such as gender equality, freedom of expression, and the right to personal freedom and dignity.

Analyze Legal and Social Implications: Investigate how Indian courts, legal frameworks, and societal norms have responded to these conflicts, focusing on case laws and legal precedents that illustrate the struggle to balance religious freedom and human rights.

Propose Solutions for Reconciliation: Suggest potential legal and policy solutions to harmonize religious freedom with the need to protect individual rights, ensuring that both religious diversity and fundamental human rights are

respected.

Through this study, the research will contribute to a deeper understanding of the challenges and potential solutions for ensuring that religious freedom and human rights coexist harmoniously in India's complex social landscape.

Importance of Study: The topic of identifying conflicts between religious practices and human rights is of paramount importance in India's socio-political and legal landscape (Grewal, 2016). India is one of the most religiously diverse nations in the world, with a population that practices a wide variety of faiths, including Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Jainism, and others. In this pluralistic society, religion significantly influences culture, law, and daily life. However, the co-existence of religious traditions and modern human rights principles often leads to tension, especially when age-old religious customs are seen to conflict with the rights of individuals guaranteed by both national laws and international human rights standards (Edmunds, 2023).

Key Reasons Why This Study is Crucial:

Religious Diversity and Secularism: India's Constitution grants the right to religious freedom under Articles 25-28, allowing individuals to freely profess, practice, and propagate their religion. At the same time, India's commitment to secularism requires the state to remain neutral in matters of religion, ensuring that no particular faith is given preference. In practice, balancing religious freedom with the protection of human rights can be complex. This study helps illuminate how such balance is negotiated and where the challenges lie, especially in maintaining secularism while respecting deeply held religious beliefs.

Tensions Between Tradition and Modernity: Many religious practices in India have roots that date back centuries, yet some of these practices may now appear to conflict with modern human rights principles. Practices that involve gender discrimination, caste-based exclusions, or opposition to LGBTQ+ rights often clash with ideals of equality and personal freedoms. This study is vital to understanding how India's legal and social systems address these conflicts, helping to modernize religious traditions without undermining their cultural significance.

Legal and Constitutional Challenges: India's legal framework is frequently called upon to resolve conflicts between religious practices and human rights. Landmark court cases, such as the Sabarimala verdict (2018) on women's entry into temples, the decriminalization of homosexuality (2018), and the abolition of Triple Talaq (2017), have highlighted the judiciary's role in balancing religious beliefs with fundamental rights. Understanding these legal challenges is critical to proposing policies that protect both individual rights and religious freedoms.

Human Rights in a Global Context: India, as a signatory to international human rights conventions like the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) and the International

Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), is obligated to uphold universal human rights standards. This study is crucial in evaluating how India fulfills its international obligations while maintaining its commitment to religious pluralism. It also adds to the global discourse on how countries with diverse religious practices can reconcile these with human rights.

Social Cohesion and Inclusive Development: Addressing conflicts between religious practices and human rights is vital for promoting social harmony and inclusive development. Religious conflicts that infringe on the rights of women, marginalized castes, or minorities can exacerbate social inequalities and divisions. This research is essential in identifying ways to bridge these gaps, ensuring that religious traditions do not become a source of social injustice.

Policy Formulation and Reform: The findings from this study will be valuable for policymakers who must navigate the delicate balance between protecting religious freedom and ensuring the enforcement of human rights. Recommendations for legal and policy reforms can emerge from this research, providing a framework for addressing conflicts while respecting India's rich religious diversity.

Research Questions:

A. What are the main religious practices under scrutiny? The research will focus on identifying specific religious practices that have raised concerns regarding potential conflicts with human rights principles. Some of the key practices under scrutiny include:

Gender-Based Restrictions: Religious traditions that impose restrictions on women, such as barring them from entering places of worship (e.g., Sabarimala Temple) or prescribing dress codes that are seen as discriminatory.

Caste-Based Practices: Practices justified by religion that perpetuate caste-based discrimination, such as exclusion from religious ceremonies or segregation in temples.

Opposition to LGBTQ+ Rights: Religious objections to the rights of LGBTQ+ individuals, including same-sex relationships and gender identity, which often conflict with the movement for equal rights.

Religious Rites Involving Minors: Practices such as early marriage or initiation rites for children that may infringe on the rights of the child, particularly in terms of education, health, and freedom from exploitation.

Restrictions on Freedom of Expression and Conversion: Religious norms that limit individuals' ability to freely express their beliefs or convert to other religions, sometimes resulting in social ostracization or legal challenges.

B. Which human rights do these practices potentially conflict with? The religious practices identified above may potentially conflict with various human rights as outlined by national laws and international agreements. The specific human rights at risk include:

Right to Equality (Article 14 of the Indian Constitution,

UDHR Article 1): Practices that discriminate based on gender, caste, or sexual orientation may violate the fundamental right to equality.

Right to Non-Discrimination (ICCPR Article 26, CEDAW): Practices that result in discrimination, especially against women, caste minorities, or LGBTQ+ individuals, conflict with the right to be free from discrimination.

Right to Freedom of Religion (Article 25 of the Indian Constitution, UDHR Article 18): While religious freedom is protected, the practice of one's religion should not infringe on the rights of others, such as the right to personal autonomy or the rights of minors.

Right to Freedom from Harm (CRC Article 19): Practices that may endanger children's physical or mental health, such as early marriage, initiation rites, or forced religious education, violate the rights of the child to be free from harm.

Right to Freedom of Expression and Thought (UDHR Articles 18 and 19): Restrictions on religious conversions or penalties for leaving a particular religion conflict with the fundamental right to freedom of expression and belief.

Right to Dignity (UDHR Preamble, ICCPR Article 10): Practices that undermine individual dignity, such as untouchability or forced seclusion of menstruating women, violate the human right to dignity and respect.

Religious Freedom in India

Brief History of Religious Freedom in India:

India's history of religious freedom spans millennia, shaped by its rich and diverse cultural and religious landscape. Here is an overview:

1. Ancient India: India has long been home to major world religions, including Hinduism, Buddhism, Jainism, and later, Sikhism. Ancient texts like the Vedas and Upanishads reflect a spirit of inclusivity, although the caste system introduced social stratification (Myrvold et al., 2024). Buddhism (6th century BCE): With leaders like Emperor Ashoka, who promoted religious tolerance after his conversion to Buddhism, India saw the official encouragement of non-violence and respect for different religious traditions.

2. Medieval India: The arrival of Islam (from the 7th century onward) through trade, and later with the establishment of Islamic empires, marked a significant phase (Lailatun & Mawardi, 2023). The Mughal Empire (1526-1857), particularly under Emperor Akbar, embraced policies of religious tolerance, known as Sulh-e-kul (peace for all), promoting dialogue and harmony among different faiths. While some later Mughal rulers, like Aurangzeb, reversed these policies, the coexistence of Hinduism, Islam, Sikhism, and other faiths continued to shape the Indian social fabric.

3. Colonial Era (British Rule): The British East India Company, which started as a trade entity in the 17th century, increasingly controlled large parts of India by the 18th and 19th centuries.

The British adopted a policy of religious neutrality,

largely to prevent rebellion in the deeply religious Indian society. However, British missionary activities sometimes caused tensions.

The Indian Rebellion of 1857 saw religious freedom become a rallying cry, as British policies affecting religious customs were cited as reasons for the revolt.

4. Indian Independence Movement: During the 19th and 20th centuries, leaders like Mahatma Gandhi emphasized religious harmony, coining the term Sarva Dharma Sambhava (equal respect for all religions).

The Indian National Congress, under leaders like Gandhi and Jawaharlal Nehru, promoted religious freedom as a cornerstone of the fight for independence from the British (Ambekar, 2023).

5. Post-Independence India: The Indian Constitution of 1950 enshrined religious freedom as a fundamental right. Article 25 guarantees the freedom to profess, practice, and propagate religion, while Article 15 prohibits discrimination based on religion.

India was declared a secular state, with no official religion, ensuring equality for all religions in law (Manhas, 2023).

6. Modern Challenges: Despite constitutional guarantees, religious freedom has faced challenges in post-independence India, including communal tensions and riots, particularly between Hindu and Muslim communities. In recent decades, debates about religious conversion, cow slaughter laws, and interfaith marriages have stirred discussions around the limits and practice of religious freedom.

The rise of Hindu nationalism has led to concerns about growing intolerance towards minority faiths, sparking debates about India's secularism and its future.

Conclusion: The evolution of religious freedom in India reveals a complex history of tolerance, coexistence, and at times, conflict. From ancient traditions promoting inclusivity, through the religiously diverse rule of the Mughal Empire and the colonial period's balancing act, to the establishment of religious freedom as a constitutional right in independent India, the nation's journey underscores the significance of protecting this freedom.

While India's Constitution guarantees religious equality, modern challenges such as communal tensions, political influences, and rising nationalism pose threats to this ideal. This history highlights that religious freedom in India, though constitutionally protected, remains a dynamic and evolving issue. To ensure a harmonious balance, ongoing dialogue between religious institutions, legal frameworks, and human rights bodies is essential. Such dialogue can foster mutual respect, uphold constitutional values, and ensure that religious freedom thrives in a way that respects the diversity and pluralism integral to India's identity. This cooperation is crucial to sustaining peace and protecting the rights of all citizens, regardless of faith.

References:-

1. Ambekar, S. (2023). *Historical Development of the Indian Constitution: A Comprehensive Analysis*.
2. Deniz, O. M. (2023). Universal Human Values and Religious Beliefs in a Globalizing World. *Dialogo*, 9(2), 91–99.
3. Edmunds, A. J. (2023). *Human Rights, Security Politics and Embodiment*. Anthem Press.
4. Grewal, K. K. (2016). *The socio-political practice of human rights: Between the universal and the particular*. Routledge.
5. Karst, K. L. (1990). Boundaries and reasons: Freedom of expression and the subordination of groups. *U. Ill. L. Rev.*, 95.
6. Lailatun, N., & Mawardi, K. (2023). Islamization of The Archipelago: A Study of The Arrival and Spread of Islam in Indonesia and Malaysia. *Al-Munqidz: Jurnal Kajian Keislaman*, 11(1), 10–30.
7. Manhas, A. (2023). Religious Freedom in Indian Society: Challenges and Solutions. *Indian J. Integrated Rsch. L.*, 3, 1.
8. Myrvold, K., Plank, K., & Sardella, F. (2024). Indian Religions. In *The Study of Religions in Sweden: Past, Present, and Future* (pp. 95–111). Bloomsbury Publishing.
9. Ojha, A. (2024). *Sexual Minorities and the Right to Family: Constitutional and Legal Rights*.
10. Sangiovanni, A. (2017). *Humanity without dignity: Moral equality, respect, and human rights*. Harvard University Press.
11. Steinmann, R. (2016). The core meaning of human dignity. *Potchefstroom Electronic Law Journal/ PotchefstroomseElektronieseRegsblad*, 19(1).
12. Trigg, R. (2012). *Equality, freedom, and religion*. Oxford University Press.

Examining the Impact of Consumer Perception on the Demand for Organic Food Products in India

Dr. Preeti Anand Udaipure*

*Assistant Professor, Govt. Narmada College, Narmadapuram (M.P.) INDIA

Abstract : This study examines how consumer perception affects the demand for organic food items in India, with a particular emphasis on the variables that affect consumer knowledge and buying patterns. According to the study, 56.7% of respondents said social media was their main source of information, demonstrating the critical role it plays in spreading knowledge about organic products. 64% of respondents say they only seldom buy organic food, and 12% say they never buy it at all, indicating a substantial disconnect between knowledge and actual shopping behavior despite high awareness. This disparity is ascribed to obstacles including the increased price of organic goods, their restricted availability, and doubts over their genuineness. The results indicate the need for a multifaceted strategy to increase demand for organic food, which includes making organic products more affordable, making sure that labels are transparent to ensure authenticity, and launching awareness campaigns that emphasize the long-term health and environmental advantages of eating organic food. By tackling these issues, India's organic food business will be in a better position to meet consumer demand and see long-term growth.

Keywords: Consumer Perception, Organic Food Products, India, Consumer Awareness, Purchasing Behavior, Organic Products, Health, Environmental Benefits, Organic Food Market.

Introduction - Compared to modern and conventional food, consumers believe that organic food is far healthier. According to their beliefs, "Eat healthily and stay fresh." Positive consumer perceptions influence the market and affect how much demand there is for the product. Because of their nutrients, little processing, natural flavor, lack of fertilizers, and lack of preservatives, consumers are growing more interested in organic foods. Because organic foods are grown without the use of chemicals or synthetic materials, consumers believe that eating organic food is natural and healthful. Regardless of their age or financial status, the marketers have also made the initiative to increase its popularity across all age groups and industries. In the current organic environment, some eateries also serve organic cuisine. The Indian food sector was estimated to be worth Rs. 2,500 crores in 2015, and it is still expanding quickly, according to certain data. According to data, the market for organic foods has enormous potential in the years to come.

There are many gatherings of customers who like to buy natural food. Contrasted with men, ladies are bound to buy natural food since they care more about their families' wellbeing. Major league salaries purchase natural food in light of the fact that the medical advantages of the item offset the extra cost. Since they are wellness aficionados and continually open to recent fads, youthful grown-ups and

moderately aged individuals are the most well-known age bunches who likewise pick natural food. Individuals with more elevated levels of instruction are very much aware of the meaning of ecological maintainability and wellbeing. They are aware that using chemical fertilizers continuously can have negative consequences in a number of ways. It can reduce the fertility of crops and soil that have been cultivated using harmful chemicals, herbicides, and fertilizers. This can lead to several chronic conditions. For long-term advantages, consumers are eager to purchase organic food items. Customers are aware of the advantages of organic goods. On occasion, people are prepared to pay the higher price because of the long-term advantages they offer. They do not, however, defend the product's quality or benefits when they purchase it. The key query is: how can people determine whether the item they purchased is organic? Therefore, it might be said that the customer is in a difficult situation. This is where the government and marketers step in. Organic food is becoming more and more popular worldwide. Due to growing health consciousness, there is a growing demand for organic food. But consuming organic food by itself won't keep you healthy and fit. It's just one method of staying in shape. To increase demand, they must focus on a few key elements. Boost the amount of organic food produced. Campaigns to educate consumers on the advantages of eating organic food, price

control, and the significance of environmental sustainability should be launched. Organic food is being promoted by its producers and marketers in an effort to increase consumer demand. The study comes to the conclusion that the organic food business may generate a lot of buzz due to consumers' favorable opinions. The consumer group determines everything. The producers will have to make more organic food items if the demand for organic food rises, which will boost the demand for organic food goods. However, the producers won't meet their sales goals if there is no demand for organic food goods.

Importance of consumer perception in shaping demand for organic food: Because it directly affects consumer behavior, purchasing decisions, and market trends, consumer perception is a key factor in determining the demand for organic food products. Because organic food is frequently seen as healthier, more natural, and environmentally friendly than conventional food, consumers are more likely to choose it despite its higher price.

1. Health and Safety Concerns: Many customers regard organic food as healthier due to the absence of synthetic pesticides, fertilizers, and preservatives. This view motivates many, particularly those with health-conscious lives, to favor organic products, believing they are better for overall well-being and free from dangerous chemicals.

2. Environmental Impact: Organic food is now seen as more environmentally friendly due to increased knowledge of environmental sustainability. Because they feel that organic products improve soil health, lessen environmental pollution, and foster biodiversity, consumers are more likely to buy them.

3. Trust and Authenticity: Purchase decisions are influenced by consumers' perceptions of the authenticity of organic products. Customers are more likely to buy products if they believe they are authentically organic and not misled. Transparent labeling, certifications, and marketing initiatives frequently help to build this trust.

4. Social Influence: Customer opinions are greatly influenced by recommendations from peers, family, and social media. Demand can be increased by bolstering customer conviction in the advantages of organic food through positive reviews, testimonials, and awareness initiatives. If consumers witness others in their neighborhood or social circle adopting organic products, they are more inclined to try them themselves.

5. Price Sensitivity and Perceived Value: Although organic food is frequently thought of as being more costly, customers are prepared to pay extra for organic products because they believe they have long-term health and environmental benefits. However, some groups of people, especially those who are price conscious, may be deterred by unfavorable opinions about how affordable organic food is.

6. Marketing and Education: Good marketing techniques and awareness-raising initiatives that emphasize

the advantages of organic food items can further influence consumer attitudes and increase the accessibility and appeal of organic foods to a wider range of people. Customers' perceptions change favorably when they are informed about the actual advantages of eating organic food, which raises demand.

Literature Review

Nagaraj (2021) sought to examine how health consciousness (HCN) affected organic food items' purchasing intention (PIN) in India, a growing market for organic food consumption. The study included the serial mediation of consumer attitude (ATT), which is based on the Theory of Planned Behavior, and food safety concern (FSC) as important constructs for the indirect effect of health consciousness on the purchase intention. The mediating function of FSC in the effect of HCN on ATT or their PIN is not well supported by empirical data. Furthermore, there isn't a thorough study that takes into account all four of the aforementioned aspects regarding the consumption of organic food in a developing nation like India. Using the mall intercept method, 438 useful replies were gathered from customers who frequently visited five upscale organic food stores in a major Indian metropolis. Underlying condition demonstrating (SEM) was utilized to explore the speculations in regards to the immediate and roundabout impacts of HCN on PIN as well as the sequential intervention of FSC and ATT. Subsequent to deciding the decency of spasm of the reasonable model, CFA/SEM examination showed that FSC meaningfully affected ATT and PIN straightforwardly or as a middle person of the impact of HCN on ATT. Additionally, HCN had no discernible effect on FSC. Additionally, ATT did not significantly mediate the effect of FSC on PIN. However, as serial mediators, FSC and ATT work together to greatly affect how HCN affects PIN. Based on the study's findings, retailers and marketing experts should develop tactics that highlight the specific health benefits and enhancements that consumers would experience after ingesting their organic products. Discussions are held regarding theoretical contributions and practical implications.

Kushwah et al. (2019) investigated the relationship between various consumer obstacles and purchasing decisions (intentions to buy, intentions to consume ethically, and choosing behavior) at varying degrees of environmental concern and buying involvement. Even though there is an increasing demand for organic food worldwide, much less organic food is consumed by the general public. Utilizing the hypothetical system of development opposition hypothesis (IRT), the ongoing review expects to fathom the central reasons for buyer hesitance toward eating natural food. An underlying condition displaying approach was utilized to look at the 452 purchasers of information. The findings demonstrated that both purchasing intentions and intentions for ethical consumption were negatively correlated with value barriers. Purchase intention and ethical

consumption were revealed to directly affect decision-making behavior. Furthermore, buy intention acts as a mediator in the link between ethical consumption intention and decision behavior. On the basis of environmental concerns and the degree of purchasing activity, no notable distinctions have surfaced. The results of the study improve the present knowledge of the purchasing habits of the expanding organic food community, which benefits public policymakers, marketers, suppliers, and consumer associations.

Dangi et al. (2020) inspected the natural food class' buyer dynamic styles (CDMS). The Purchaser Styles Stock (CSI) apparatus created by Sproles and Kendall in 1986 was adjusted and utilized with regards to natural food items. Also, two different develops — natural cognizance and wellbeing awareness — that were found in the writing were incorporated. Comfort inspecting was utilized to assemble reactions from 527 youthful purchasers, and underlying condition demonstrating and exploratory component investigation were utilized for examination. Five of the eight CDMS styles—recreational (hedonistic shopping awareness), brand consciousness, price consciousness, brand loyalty, and perfectionism (high quality consciousness)—reported substantial influences on consumers' desire to purchase organic food. Additionally, it was determined that both of the other constructs—environmental consciousness and health consciousness—were significant. The study's conclusions will assist organic food marketers in determining the elements that are crucial for consumers to buy organic food.

Sadiq et al. (2020) investigated how customer optimism and pessimism, two dispositional qualities, affected the uptake of organic food. Moreover, it surveys how ecological concern intervenes the connection between dispositional characteristics and the admission of natural food. Amazon Mechanical Turk was utilized to regulate an internet based review. The discoveries demonstrate that customers who are more hopeful eat more natural food than the individuals who are more critical. The discoveries likewise show that individuals' utilization designs are emphatically affected by ecological worries, in this way even critical buyers might begin eating natural food whenever they are made to think often about the climate. The principal finishes of this study show that natural concern is a critical indicator of food utilization conduct and that changing clients' negative viewpoint to a positive one might be capable.

Kushwah et al. (2019) Global demand for food grown organically has been continuously increasing over the past few decades. As a result, there is now more scholarly interest in comprehending the various incentives and obstacles that underlie the use of organic food. However, many published investigations have a wide and dispersed scope. There is a dearth of research that thoroughly reviews and analyzes the many barriers and motivations and how they relate to purchasing decisions. The ongoing review

presents a careful assessment of the writing on different motivations and deterrents and how they connect with choices to purchase natural food. The audit considered 89 experimental examination altogether. The found inspirations and obstructions were classified utilizing two notable hypothetical systems: the hypothesis of utilization values and the advancement opposition hypothesis. Clear measurements on the picked examinations, a careful rundown of the inspirations and boundaries referenced in the picked examinations utilizing the hypothesis of utilization values and development obstruction hypothesis, an order of the inspirations and hindrances in light of customer contribution, research plan, and nation status, a structure on the connection between thought processes, boundaries, and buy choices, and suggestions for scholastics, chiefs, and policymakers keen on better comprehension issues connected with natural food utilization are the fundamental consequences of this deliberate writing survey.

Wang et al. (2020) inspected the interceding impacts of seen food quality and cost awareness on the connection between natural cognizance and the affinity to buy natural food. Buyers dynamically request more secure and better things as their buying power and utilization information rise. Besides, clients are focusing closer on natural food. The objective is to give new understanding into how clients view and plan to act with regards to natural food. Exact discoveries, in view of test information from 518 clients in different Chinese food dealers, show that purchasers' goals to purchase natural food are emphatically affected by ecological concern. The connection between natural awareness and the goal to buy natural food is intervened by apparent food quality. The relationship between the expectation to buy natural food and saw food quality is directed by cost responsiveness. Also, through saw food quality, cost awareness mitigates the circuitous effect of ecological cognizance on the expectation to buy natural food.

Research Methodology:

a. Research Design: The study uses a descriptive research approach to investigate where Indian consumers obtain information about organic products and how frequently they buy them. A thorough examination of customer awareness, preferences, and behavior with regard to organic products is made possible by this design.

b. Data Collection: Data was collected from respondents using a standardized questionnaire. Sections on the sources of information about organic products and the frequency of purchases were included in the questionnaire. To guarantee varied participation, the poll was disseminated via both online and physical media. 125 responders in all gave thorough and accurate answers.

c. Research Area: In order to record a range of consumer viewpoints and purchasing patterns, the study was carried out in both metropolitan and semi-urban areas of India.

d. Sampling Technique: Convenience sampling was

used in the study to choose participants, with an emphasis on people who might have come into contact with organic products through various media outlets or customer networks.

e. Data Analysis: To compile and explain the results, descriptive statistics were used to examine the gathered data. To determine the main information sources and the frequency of purchases of organic products, percentages were computed. To improve understanding, the data was visualized using graphical representations including pie charts and bar charts.

Policymakers, marketers, and other stakeholders in the organic product business can benefit greatly from this methodology's thorough grasp of the elements impacting consumer awareness and purchasing behavior surrounding organic products.

Data Analysis : Social media's dominance as the main source of knowledge on organic products—56.7%—is demonstrated by the data in Table 1 and Figure 1, which also demonstrate the platform's broad reach and effect. With a second-place ranking of 22.2%, television ads demonstrate their importance but lack the impact of digital media. A moderate reliance on personal networks for knowledge is indicated by the 11.0% contribution from family recommendations. The relatively small roles of educational events (6.7%) and newspaper and magazine ads (9.4%) indicate the need for more engagement through these channels in order to successfully reach a variety of groups. This distribution highlights how social media is becoming an increasingly significant factor in influencing customer knowledge and decisions about organic products.

Table 1:Source of Information on Organic Products

Source of Information	Percentage (%)
Social media	56.7
Television Advertisements	22.2
Family	11.0
Newspapers/Magazine Advertisements	9.4
Educational Events	6.9




Figure 1: Graphical representation of Source of Information on Organic Products

The information in Table 2 and Figure 2 shows the respondents' organic product buying habits. Eighty respondents, or the majority, say they only infrequently buy organic items, suggesting either little uptake or sporadic interest. A smaller sample of 30 respondents regularly buy organic products, indicating steady consumer involvement. However, 15 respondents said they have never bought organic items, citing obstacles like price, accessibility, or ignorance.

Table 2:Frequency Of Organic Product Purchases

Frequency of Purchase	Number of Respondents
Rarely	80
Frequently	30
Never	15




Figure 2: Graphical representation of Frequency of Organic product purchases

This distribution reveals a sizable discrepancy between awareness and consistent buying patterns, indicating a possible market for tactics meant to boost frequent purchases via enhanced affordability, accessibility, and consumer education.

Conclusion : This reveals a significant discrepancy between awareness and regular buying behavior, which could be caused by obstacles including price, accessibility, and doubts about genuineness. Producers, marketers, and legislators must work together to improve pricing, guarantee product label transparency, and launch awareness campaigns highlighting the long-term environmental and health advantages of organic products in order to address this. The Indian organic food sector can realize its full potential and see steady growth by closing this gap.

References :-

- Dangi, N., Gupta, S. K., & Narula, S. A. (2020). Consumer buying behaviour and purchase intention of organic food: a conceptual framework. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 31(6), 1515-1530.
- Feil, A. A., da Silva Cyrne, C. C., Sindelar, F. C. W., Barden, J. E., & Dalmoro, M. (2020). Profiles of sustainable food consumption: Consumer behavior toward organic food in southern region of Brazil. *Journal of Cleaner Production*, 258, 120690.

3. Kaur, J., Lavuri, R., Thaichon, P., & Martin, B. (2023). Purchase intention of organic foods: are lifestyles of health and sustainability the reason for my purchase decision? *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 35(6), 1532-1551.
4. Kushwah, S., Dhir, A., & Sagar, M. (2019). Ethical consumption intentions and choice behavior towards organic food. Moderation role of buying and environmental concerns. *Journal of Cleaner Production*, 236, 117519.
5. Kushwah, S., Dhir, A., & Sagar, M. (2019). Understanding consumer resistance to the consumption of organic food. A study of ethical consumption, purchasing, and choice behaviour. *Food Quality and Preference*, 77, 1-14.
6. Kushwah, S., Dhir, A., Sagar, M., & Gupta, B. (2019). Determinants of organic food consumption. A systematic literature review on motives and barriers. *Appetite*, 143, 104402.
7. Nagaraj, S. (2021). Role of consumer health consciousness, food safety & attitude on organic food purchase in emerging market: A serial mediation model. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 59, 102423.
8. Nguyen, H. V., Nguyen, N., Nguyen, B. K., Lobo, A., & Vu, P. A. (2019). Organic food purchases in an emerging market: The influence of consumers' personal factors and green marketing practices of food stores. *International journal of environmental research and public health*, 16(6), 1037.
9. Prakash, G., Singh, P. K., & Yadav, R. (2018). Application of consumer style inventory (CSI) to predict young Indian consumer's intention to purchase organic food products. *Food quality and preference*, 68, 90-97.
10. Sadiq, M., Paul, J., & Bharti, K. (2020). Dispositional traits and organic food consumption. *Journal of Cleaner Production*, 266, 121961.
11. Saleki, R., Quoquab, F., & Mohammad, J. (2019). What drives Malaysian consumers' organic food purchase intention? The role of moral norm, self-identity, environmental concern and price consciousness. *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 9(5), 584-603.
12. Tandon, A., Dhir, A., Kaur, P., Kushwah, S., & Salo, J. (2020). Why do people buy organic food? The moderating role of environmental concerns and trust. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 57, 102247.
13. Testa, F., Sarti, S., & Frey, M. (2019). Are green consumers really green? Exploring the factors behind the actual consumption of organic food products. *Business Strategy and the Environment*, 28(2), 327-338.
14. Wang, J., Pham, T. L., & Dang, V. T. (2020). Environmental consciousness and organic food purchase intention: a moderated mediation model of perceived food quality and price sensitivity. *International journal of environmental research and public health*, 17(3), 850.
15. Watanabe, E. A. D. M., Alfinito, S., Curvelo, I. C. G., & Hamza, K. M. (2020). Perceived value, trust and purchase intention of organic food: a study with Brazilian consumers. *British Food Journal*, 122(4), 1070-1184.

भारत में वित्तीय बाजार एवं वित्तीय कौशल

लखन लाल कलेशरिया*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सिहोर (म.प्र.) भारत

वित्तीय कौशल – मजबूत वित्तीय ज्ञान और निर्णय लेने का कौशल लोगों को विकल्पों पर विचार करने और उनकी वित्तीय स्थितियों के लिए सूचित विकल्प बनाने में मदद करता है जैसे कि कैसे और कब बचत और खर्च करना है, यह तय करना, बड़ी खरीदारी से पहले लागत की तुलना करना, और सेवानिवृत्ति या अन्य दीर्घकालिक बचत की योजना बनाना। इसी आधार उसको वित्तीय प्रणाली (financial system) का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है

वित्तीय लक्ष्य क्या हैं?

वित्तीय लक्ष्य आपके द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत, बड़े-चित्र वाले उद्देश्य हैं कि आप पैसे कैसे बचाएंगे और खर्च करेंगे। ये ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन्हें आप अल्पावधि में या भविष्य में हासिल करने की उम्मीद करते हैं। किसी भी तरह से, यदि आप अपने लक्ष्यों को पहले से पहचान लें तो उन तक पहुंचना अक्सर आसान होता है। (यदि आपको कुछ कदम पीछे जाने की आवश्यकता है, तो वित्त की परिभाषा देखें।)

वित्तीय लक्ष्यों के उदाहरण – जब आप लक्ष्य निर्धारित करना शुरू करें तो इस बारे में सोचें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। कई लक्ष्य रखना और समय के साथ उनमें बदलाव होना सामान्य बात है।

वित्तीय लक्ष्यों के उदाहरणों में शामिल हैं:

1. कर्ज चुकाना।
2. सेवानिवृत्ति के लिए बचत।
3. एक आपातकालीन निधि का निर्माण।
4. घर खरीदना।
5. छुट्टियों के लिए बचत।
6. कोई कारोबार शुरू करना।
7. आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

आपके लक्ष्य इस बात से प्रभावित होंगे कि आप अकेले व्यक्ति के रूप में धन का प्रबंधन कर रहे हैं या किसी भागीदार के साथ मील के पत्थर की दिशा में काम कर रहे हैं।

वित्तीय लक्ष्य रखने से आपके आज के कार्यों को प्रभावित करके आपके भविष्य को आकार देने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, मान लें कि आपका लक्ष्य भारी भरकम क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान करना है। आप टेकआउट डिनर में कटौती कर सकते हैं और इसके बदले अतिरिक्त भुगतान करने के लिए जो पैसा बचाते हैं उसका उपयोग कर सकते हैं। उस लक्ष्य को स्थापित किए बिना, जब तक आपका कर्ज बढ़ता रहेगा तब तक आपके सामान्य रूप से खर्च जारी रखने की अधिक संभावना है।

सभी खर्चों की तरह, वित्तीय लक्ष्यों को भी आपके बजट में शामिल किया जाना चाहिए। इस तरह, आप अन्य लागतों के लिए जगह छोड़ते हुए उन तक पहुंचने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। योजना बनाएं कि प्रत्येक लक्ष्य तक पहुंचने में कितना समय लगेगा और उस अवधि के भीतर आपको कितने पैसे का योगदान करने की आवश्यकता होगी।

लक्ष्यों की पहचान करना और उनके लिए एक यथार्थवादी योजना बनाना आपको प्रगति को ट्रैक करने की अनुमति देता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। भले ही आप कम पढ़ें, आप रास्ते में कुछ स्वस्थ पैसे की आदतें विकसित कर सकते हैं।

वित्तीय प्रणाली – वित्तीय प्रणाली वह प्रणाली है जो जमाकर्ताओं, निवेशकर्ताओं तथा मांगकर्ताओं के बीच फंड का आवागमन कराती है। वित्तीय प्रणालियाँ वैश्विक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और फर्म के स्तर पर काम करने वाली हो सकती हैं।

किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थता और वित्तीय साधनों या वित्तीय उत्पादों के होते हैं। यह पत्र वित्त और भारतीय वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजार, वित्तीय मध्यस्थों और वित्तीय साधनों पर ध्यान केंद्रित का अर्थ पर चर्चा करता है। विभिन्न मुद्रा बाजारलिखतों पर संक्षिप्त समीक्षा भी इस अध्ययन में शामिल रहे हैं।

शब्द 'वित्त' हमारी साधारण समझ में यह समकक्ष 'मनी' के रूप में माना जाता है। हम पैसे और अर्थशास्त्र में बैंकिंग के बारे में, मौद्रिक सिद्धांत और व्यवहार के बारे में और 'सार्वजनिक वित्त' के बारे में पढ़ें। लेकिन वित्त बिल्कुल पैसे नहीं है, यह एक विशेष गतिविधि के लिए धन उपलब्ध कराने का स्रोत है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त सरकार के साथ पैसे मतलब यह नहीं है, लेकिन यह एक सरकार के कार्यों और गतिविधियों के लिए राजस्व बढ़ाने के स्रोतों को संदर्भित करता है। यहाँ कुछ शब्द की परिभाषा का दोनों एक स्रोत के रूप में और के रूप में एक गतिविधि के एक संज्ञा और एक क्रिया के रूप में यानी वित्त।

वित्तीय प्रणाली

वित्तीय बाजार दो प्रकार के होते हैं।

1. मुद्रा बाजार 2. पूंजी बाजार

शब्द 'सिस्टम', 'वित्तीय प्रणाली', शब्द में जटिल और बारीकी से कनेक्टेड रहने या संस्थानों, एजेंटों, प्रथाओं, बाजार, लेन-देन, दावों और अर्थव्यवस्था में दायित्वों का एक सेट निकलता है। वित्तीय प्रणाली पैसे के बारे में चिंतित है, क्रेडिट और वित्त-तीन शर्तें अच्छी तरह संबंधित हैं अभी तक एक-दूसरे से अलग हो सकते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली वित्तीय बाजार, वित्तीय

साधनों और वित्तीय मध्यस्थता के होते हैं। ये संक्षेप में नीचे चर्चा कर रहे हैं—
वित्तीय बाजार - एक वित्तीय बाजार में जो वित्तीय आस्तियों बनाया स्थानांतरित किया या कर रहे हैं बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता। असली माल या सेवाओं के लिए पैसे का आदान-प्रदान शामिल है कि एक वास्तविक लेन-देन हुई, एक वित्तीय लेनदेन के निर्माण या एक वित्तीय परिसंपत्ति का अंतरण शामिल है। वित्तीय संपत्ति या वित्तीय साधनों धन की राशि का भुगतान भविष्य में कुछ समय और ब्याज या लाभांश के रूप में या आवधिक भुगतान के लिए एक दावे का प्रतिनिधित्व करता है।

मुद्रा बाजार क्या है - संतुलित तथा कुशलतापूर्वक संगठित साख पद्धति का विकास बिना एक अच्छे प्रकार से विकसित मुद्रा बाजार में नहीं हो सकता। मुद्रा बाजार एक संस्था अथवा वह संगठन है जिसका कार्य एवं मुद्रा साख या मुद्रा के प्रयोग करने के अधिकारों का क्रय-विक्रय करना है। मुद्रा बाजार Banking institutions का एक समूह है जो Currency तथा Credit में व्यापार करता है।

दूसरे शब्दों में, मुद्रा बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जिसमें मुद्रा का क्रय-विक्रय एक निश्चित मूल्य पर होता है। इस मूल्य का अर्थ उस दर से होता है जिस पर मुद्रा उधार दी जाती या ली जाती है अर्थात् मुद्रा को भविष्य में लौटा देने के बदले में जो कुछ रकम दी जाती है वही मुद्रा का मूल्य होता है। इस प्रकार मुद्रा बाजार के अन्तर्गत वे सभी क्रियाएँ आ जाती हैं जिनका संबंध मुद्रा के उधार देने व लेने से होता है।

जब बाजार में साख का अल्पकालीन लेन-देन होता है तो उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। बैंकों का संबंध अधिकतर मुद्रा बाजार से ही होता है, क्योंकि वे अल्पकालीन ऋणों में ही अपना धन लगाना अधिक पसंद करते हैं। इसलिये मुद्रा-बाजार वस्तुतः अल्पकालीन ऋणों का बाजार होता है।

मुद्रा बाजार में भी दो पक्ष होते हैं:

Buyer (ऋण लेनेवाला) और Seller(देनेवाला) - विक्रेता से अभिप्राय उन ऋणदाताओं तथा ऋण देनेवाली संस्थाओं से है जो ऋण उधार देती है। क्रेता से आशय उन व्यापारियों या उद्योगपतियों से है, जो मुद्रा बाजार से रुपया उधार लेते हैं। बैंकों का सम्बन्ध प्रथमतः मुद्रा बाजार से ही रहता है।

मुद्रा बाजार के कितने अंग हैं?

मुद्रा बाजार के अंगों को पाँच भागों में बाँटा गया है:

(1) केन्द्रीय बैंक - मुद्रा बाजार से Central bank का बहुमत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। समस्त मुद्रा बाजार पर इसका नियंत्रण रहता है। Central bank के आदेशानुसार ही व्यावसायिक बैंक तथा अन्य Monetary institutions काम करती हैं। Central bank मूल्य स्तर में स्थिरता स्थापित करने के लिए Credit control policy अपनाता है। Central bank की नीति का प्रभाव मुद्रा बाजार पर पड़ता है।

(2) कॉल ऋण बाजार - इस बाजार के द्वारा अति अल्पकालीन ऋण दिये जाते हैं। Commercial Banks अपने साधनों का कुछ तो अतिअल्पकालीन ऋणों में लगाते हैं। अति अल्पकालीन ऋणों के क्रेता अधिकतर दलाल या सट्टेबाज़ (bill broker and speculators) होते हैं। इस प्रकार के ऋण बैंकों द्वारा प्राप्त होते हैं अथवा बड़ी मिश्रित पूँजी की कंपनियों के द्वारा भी लिये जाते हैं।

(3) अल्पावधि बाजार - इस प्रकार के बाजार में ऋणों की अवधि कुछ लंबी होती है। Commercial Banks अग्रिम तथा बिलों पर बट्टा काटकर

(discount of bill) अपनी जमा राशि को व्यवहार में लाते हैं। इस प्रकार के बाजार के मुख्य क्रेता व्यवसायी और उद्योगपति हैं। ट्रेजरी-बिल के माध्यम द्वारा सरकार भी इस प्रकार के ऋण लेती है। इस प्रकार के बाजार का संचालन Commercial Banks द्वारा होता है।

(4) दीर्घावधि बाजार

इस प्रकार के बाजार के दो अंग होते हैं- Commercial Banks Securities Letter of credit तथा कंपनियों के शेयर खरीदे जाने के लिए उन्हें बाजार में जारी करते हैं। Stock change हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाती है और इसके द्वारा पुराने Share और Bond खरीदे तथा बेचे जाते हैं।

(5) अन्य संस्थाएँ: इन संस्थाओं के अलावा भी कुछ विशिष्ट संस्थाएँ हैं, जो साख देती हैं, जैसे: Savings Bank, Land Mortgage Bank आदि।

मुद्रा बाजार के मुख्य कार्य

मुद्रा बाजार के निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं:-

(1) व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग-धंधों और कृषि में पूँजी लगाने के लिए रुपये की पूर्ति करना।

(2) रुपया उधार देने वालों तथा लेने वालों के बीच एक कड़ी का काम करना।

(3) जिन लोगों के पास बेचने को तथा विनियोग करने को फ़ालतू धन होता है किंतु वह अपने लिए उचित विनियोगों को ढूँढने योग्य नहीं होते तथा जिन लोगों को उद्योग-धंधों तथा वाणिज्य व्यवसायों को शुरू करने के लिये पूँजी की आवश्यकता है वे सब मुद्रा बाजार के द्वारा एक दूसरे से सम्पर्क में आते हैं।

(4) जन साधारण की छोटी-छोटी बचतों को एक बड़ी उत्पादक धन राशि के रूप में एकत्र करके, उसको उत्पादक स्रोतों में लगाना।

(5) चालू मुद्रा, साख मुद्रा तथा साख पद्धति पर एक Central bank द्वारा प्रभाव पूर्ण नियंत्रण करके चालू मुद्रा तथा विनिमय को स्थिर रखना एवं विनिमय के माध्यमों की माँग और पूर्ति बराबर करके बट्टे की दर तथा ब्याज की दरों को नियमित करना। अतः किसी देश की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था में उसके मुद्रा बाजार का बहुत महत्व होता है। विशेषतः अल्पकालीन कोष के लेन-देन के लिये एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित मुद्रा बाजार की नितांत आवश्यकता होती है।

अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी भी देश में बिना मुद्रा बाजार के पूँजी-बाजार का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। इतना ही नहीं, सरकार की आर्थिक एवं वित्तीय नीति पर मुद्रा बाजार के व्यवहारों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रत्येक देश में मुद्रा बाजार की व्यवस्था आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

भारतीय मुद्रा बाजार के अंग कौन-कौन से हैं?

भारतीय मुद्रा बाजार के दो प्रमुख अंग हैं:

(1) ऋण दाता: भारतीय द्रव्य बाजार के ऋणदाताओं को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है:

(क) यूरोपीय तथा केन्द्रीय भाग: इस भाग के अंग Reserve Bank of India, State Bank of India, FkK eUchange bank हैं।

(ख) भारतीय तथा स्वदेशी भाग: इस भाग में Moneylender, indigenou banker, loan office, chit fund fund, business bank, savings bank आदि सम्मिलित किये जाते हैं।

(2) ऋण लेने वाले: भारतीय मुद्रा बाजार में उधार में लेने वालों के अंतर्गत निम्न व्यक्ति अथवा संस्थाएँ आती हैं: - (i) केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सरकारी संस्थाएँ (ii) उद्योगी एवं व्यापारी वर्ग (iii) कृषक वर्ग (iv) साधारण जनता।

भारतीय मुद्रा बाजार के दोष अर्थात् विशेषताएँ - भारतीय मुद्रा बाजार की निम्नलिखित कठिनाइयाँ, दोष अथवा विशेषताएँ हैं:

(1) **द्रव्य बाजार में धन की कमी** - भारतीय मुद्रा बाजार में आवश्यकता के अनुसार धन राशि नहीं है जिससे सभी की माँग पूरी की जा सके धन के अभाव के तीन मुख्य कारण हैं: पर्याप्त विनियोग के साधनों की कमी, बैंक प्रणाली का अपर्याप्त विकास, बैंकों के टूटते रहने के कारण जनता का उसके प्रति अविश्वास। इसके अतिरिक्त देश में आय तथा बचत की कमी, बचतों को गाड़ कर रखने की प्रवृत्ति, आय के वितरण की असमानता, जन-साधारण की अशिक्षा आदि बैंकों के पास धन की कमी उत्पन्न कर देती है।

(2) **व्यवस्थित बिल बाजार की कमी** - अन्य देशों के मुद्रा बाजारों की भाँति हमारे यहाँ बिलों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। यहाँ बैंक बिलों का लेन-देन करते तो हैं परन्तु केवल ऐसे बिलों की कटौती जो मान्य व्यवसाय के तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हो। इस प्रकार से बिलों का प्रयोग बहुत सीमित रहा है, दूसरे मुद्रा बाजार में बिलों की कटौती की पूर्ण सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

(3) **ब्याज की दरों में विभिन्नता** - Bank rate, interest rate तथा Discount rate में बहुत अंतर रहता है। interest rate में न केवल विभिन्न स्थानों में विभिन्नता पाई जाती है बल्कि उनमें प्रायः उँची रहने की प्रवृत्ति तक पायी जाती है। बैंक दर की असफलता का मुख्य कारण यही है और इसी के कारण रिजर्व बैंक को नियंत्रण कार्य में भारी कठिनाई होती है।

(4) **मुद्रा बाजार के विभिन्न अंगों में घनिष्ट सम्बन्ध का अभाव** - वास्तव में भारत में अभी तक मुद्रा बाजार का न तो कोई उचित संगठन है और न ही इसमें पारस्परिक सहयोग की भावना ही है। भारतीय मुद्रा बाजार में ऐसे स्वतंत्र भाग हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग तो दूर रहा बल्कि इसके स्थान पर पारस्परिक प्रतियोगिता पायी जाती है।

(5) **विशिष्ट साख संस्थाओं का अभाव** - भारतीय मुद्रा बाजार में कृषि और उद्योग तथा व्यापार की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वहाँ पर काफी भूमि बंधक बैंक तथा बट्टा गृह भी नहीं हैं। इन संस्थाओं का विकास होना परम आवश्यक है।

(6) **साहूकार तथा बैंकों का प्रभाव** - आधुनिक बैंकिंग का विकास भी इनके प्रभाव को कम नहीं कर पाया है। कृषि वित्त तथा आंतरिक व्यापार में भी साहूकारों तथा देशी Bankers का बोल-बाला है।

(7) **ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का अभाव** - Second World war तक हमारे बैंकों की शाखाएँ बहुत कम थीं और ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाओं का पर्याप्त अभाव था परिणामस्वरूप ग्रामीण बैंकिंग से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। जिसके कारण उन्हें न तो बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और न वे साख सुविधाओं का उपयोग ही कर सकते थे।

(8) **शाखा बैंकिंग के विकास का अभाव** - द्वितीय महायुद्ध तक हमारे देश में बैंकों की शाखाएँ बहुत कम थी और ये शाखाएँ भी बड़े-बड़े व्यापारिक केंद्रों तक ही सीमित थी जबकि इनकी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। परिणामतः देश में बैंकिंग सुविधाओं की सामान्य कमी के कारण न तो बचत को ही प्रोत्साहन मिलता है और न पर्याप्त मात्रा में धन ही एकत्रित होने पाता

है।

(9) **मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव** - Reserve Bank of India की स्थापना से पूर्व भारतीय मुद्रा बाजार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव रहा है क्योंकि साख पर नियंत्रण का कार्य इम्पीरियल बैंक द्वारा और मुद्रा पर नियंत्रण का कार्य सरकार द्वारा सम्पन्न किया जाता था। परन्तु Reserve Bank of India की स्थापना के पश्चात् ये दोनों कार्य बैंक के हाथ में आ गये हैं और Reserve Bank of India ने बहुत अंश तक मुद्रा बाजार के उक्त दोषों को दूर कर दिया है। परन्तु भारतीय बैंकों के सीमित साधन होने के कारण तथा देश में बैंकिंग आदत न होने के कारण आज भी बैंक देश की बढ़ती हुई पूँजी की माँग की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।

(10) **व्याज में मौसमी परिवर्तन** - भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के कारण देश में विभिन्न मौसम में ब्याज की दरों में भारी अंतर होते हैं। नम्बर से जून तक के मौसम में धन की आवश्यकता अधिक रहती है और ब्याज की दरें ऊपर चढ़ जाती हैं शेष काल में वे नीची ही रहती हैं। यह परिस्थिति अभी तक ठीक नहीं हो पाई है।

पूँजी बाजार का अर्थ - पूँजी बाजार वह प्रबंधा व्यवस्था है जहाँ व्यवसाय और उद्योगों के लिए एक लम्बे समय के लिए ऋणों की व्यवस्था होती है।

पूँजी बाजार के प्रकार

भारत में पूँजी बाजार के दो प्रकार हैं

1. **संगठित पूँजी बाजार (FORMAL OR ORGANISED CAPITAL MARKET)** - संगठित पूँजी बाजार के अंतर्गत वित्त संबंधी कार्य पंजीबद्ध विभिन्न वित्तीय संस्थाएँ करती हैं, जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों से निजी वस्तुओं को एकत्र कर दीर्घकालीन पूँजी की व्यवस्था करती है जैसे- भारतीय यूनिट ट्रस्ट (UTI), जीवन बीमा निगम (LIC), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI), वाणिज्य बैंक, उद्योग वित्त निगम (IFC), भारतीय उद्योग साख एवं विनियोग निगम (ICICI), भारतीय उद्योग विकास बैंक (IDBI), राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (NIDC), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (IRBI), सामान्य बीमा निगम (GIC), राज्य वित्तीय संस्थाएँ (SFCs) आवासीय वित्त बैंक (RFB) आदि प्रमुख हैं। इन सभी का नियंत्रण भारतीय विनियम बोर्ड (SEBI) द्वारा किया जाता है।

2. **असंगठित या गैर संगठित बाजार (INTERNAL OR UNORGANISED MARKET)** - इसे अनौपचारिक बाजार भी कहा जाता है, इसमें देसी बैंकर्स, साहूकार, महाजन आदि प्रमुख होते हैं। काले धन का बहुत बड़ा भाग गैर असंगठित क्षेत्र में वित्त व्यवस्था करता है। यह उद्योग व्यापार तथा कृषि क्षेत्रों में पूँजी का विनियोजन करते हैं। इनकी ब्याज दरें और वित्तीय नीति कभी भी एक समान नहीं होती है। जिसके परिणाम स्वरूप यह साहूकार कभी-कभी उँची दर पर ऋण देकर अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इन पर नियंत्रण करने के लिए प्रयास करता है।

प्राथमिक पूँजी बाजार क्या है - प्राथमिक पूँजी बाजार का आशय उस बाजार से है, जिसमें नए ब्रांड का निर्माण किया जाता है, इसे नवीन निर्गम बाजार भी कहा जाता है। जिस बाजार में कंपनियों द्वारा प्रथम बार कोई नई चीज बेची जाती है, उसे प्राथमिक बाजार कहा जाता है।

प्राथमिक पूँजी बाजार की पांच विशेषताएँ।

1. प्राथमिक बाजार में नवीन प्रतिभूतियों के व्यवहार का निर्गम होता है।

2. कीमत का निर्धारण- प्रतिभूतियों की कीमत कंपनी के प्रबंधकों द्वारा निर्धारित की जाती है।

3. प्रत्यक्ष निर्माण- प्राथमिक बाजार में कंपनी सीधे बिचौलियों के माध्यम से नियोजकों को प्रतिभूतियों का निर्गम कराती है।

4. स्थान- प्राथमिक बाजार के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है।

5. पूंजी निर्माण- प्राथमिक बाजार प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है, और उससे नए यंत्र, मशीनरी भवन आदि के लिए उनका उपयोग करते हैं।

पूंजी बाजार के महत्व :

1. पूंजी बाजार पूंजी निवेशकों और बचत करने वालों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

2. अपनी समस्त आय खर्च ना करने वाले बचत कर्ताओं के लिए सरल साधन पूंजी बाजार होता है।

पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व - पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं:

आन्तरिक तत्व

1. **व्यवसाय का आकार**- पूंजी संरचना का निर्धारण करते समय व्यवसाय के आकार का भी ध्यान रखना पड़ता है। छोटे आकार की व्यावसायिक संस्थाओं की धन एकत्रित करने की क्षमता कम होती है। साख कम होने से इन्हें ऋण नहीं मिल पाता। इनकी कुल पूंजी में अंशपूंजी का भाग अधिक होता है। बड़े आकार को संस्थाओं के ऋणपत्र भी बिक जाते हैं और उन्हें ऋण भी मिल जाता है।

2. **व्यवसाय का स्वभाव** - पूंजी संरचना के निर्धारण में व्यवसाय के स्वभाव का भी प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसायों का स्वभाव इस प्रकार का होता है कि उनमें चल सम्पत्तियों की तुलना में स्थायी सम्पत्तियों की आवश्यकता अधिक होती है इन व्यवसायों के पूंजी ढांचे में समता अंशपूंजी के साथ-साथ ऋण पूंजी को भी उचित स्थान दिया जा सकता है।

3. **आय की नियमितता एवं निश्चितता** - आय की निश्चितता एवं नियमितता भी पूंजी ढांचे को प्रभावित करती है। जिस संस्था की आय में उक्त गुण होते हैं, उनके पूंजी ढांचे में पूर्वाधिकार अंशो एवं ऋणपत्रों की प्रधानता रहती है।

4. **व्यावसायिक सम्पत्तियों का ढांचा** - जिन संस्थाओं के सम्पत्ति ढांचे में स्थायी सम्पत्तियों के ढांचे में स्थायी सम्पत्तियों की मात्रा अधिक होती है। उनकी पूंजी संरचना में दीर्घकालीन ऋणों अथवा ऋणपत्रों का भाग अधिक होता है, जबकि अंशपूंजी का कम। इसके विपरीत जिन संस्थाओं के सम्पत्ति ढांचे में चालू सम्पत्तियां अधिक होती हैं उनके पूंजी ढांचे में दीर्घकालीन ऋण कम होते हैं।

5. **व्यापार पर नियन्त्रण की इच्छा** - संरचना व्यापार पर नियन्त्रण की इच्छा से भी प्रभावित होती है अगर कंपनी के प्रवर्तक कंपनी का नियन्त्रण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में रखना चाहते हैं तो समता अंशो का निर्गमन किया जाता है जिसका एक बड़ा भाग कुछ लोगों के पास केन्द्रित रखा जाता है तथा शेष भाग छोटे-छोटे अंशधारियों के बाँट दिया जाता है।

बाह्य तत्व - पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्व इस प्रकार हैं:

1. **पूंजी बाजार** - पूंजी बाजार के वातावरण का भी प्रभाव पूंजी संरचना पर पड़ता है। तेजी काल में अंश तथा मन्दी काल में ऋण-पत्र अधिक लोकप्रिय

होते हैं।

2. **विनियोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक दशा** - विनियोक्ताओं की मनोवैज्ञानिक दशा तथा जोखिम के प्रति उनके विश्वास का भी पूंजी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। कुछ विनियोक्ता साहसी होते हैं। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाना चाहिए।

3. **सरकारी नियन्त्रण** - सरकारी नियन्त्रणों, नियमन एवं कानूनों का भी पूंजी ढांचे पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के निर्गमन व उन पर प्राप्त आय के सम्मलन में अनेक कानून देश के अन्दर बनाये गये हैं जिनकी पूंजी ढांचे के निर्धारण के महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

4. **विनियोजकों की रूचि** - पूंजी विनियोजकों की रूचि का भी प्रभाव पूंजी संरचना पर पड़ता है।

5. **न्यूनतम जोखिम** - एक अनुकूलतम पूंजी ढांचा इस प्रकार होना चाहिए कि उस पर अनेक प्रकार के जोखिमों का कम से कम प्रभाव पड़ सके। इस प्रकार की जोखिमों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं व्यावसायिक प्रतिस्पर्द्धा, क्रयशक्ति में हास, ब्याज दर में वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप आदि। इसके लिए पूंजी ढांचे में उच्च श्रेणी की प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है।

6. **सरलता** - पूंजी संरचना अधिक जटिल नहीं होना चाहिए। सरलता के लिए शुरू में केवल समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश ही जारी किये जाना चाहिए। तथा ऋणपत्र बाद में निर्गमित करना चाहिए पूंजी संरचना को सरल रखने के साथ-साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें आवश्यकता से अधिक सस्तापन नहीं आना चाहिए।

विदेशी मुद्रा बाजार - विदेशी मुद्रा बाजार बहु मुद्रा आवश्यकताओं, जो मुद्राओं के विनिमय से मुलाकात कर रहे हैं के साथ सौदों। विनिमय दर के आधार पर लागू होता है, धन के हस्तांतरण इस बाजार में जगह लेता है। यह दुनिया भर में सबसे अधिक विकसित और एकीकृत बाजार में से एक है।

क्रेडिट बाजार - क्रेडिट बाजार जहाँ बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और एन बी एफ सी प्रबंध करना लघु, मध्यम और कॉर्पोरेट के लिए दीर्घकालीन ऋण और व्यक्तियों एक जगह है।

वित्तीय प्रणाली के संघटक

वित्तीय मध्यस्थता - लिखत डिजाइन करने के बाद, जारीकर्ता तो यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन वित्तीय आस्तियों के क्रम में आवश्यक राशि जुटाने में परम निवेशक तक पहुँचने। फंडों की ऋण लेने वाले वित्तीय बाजार धन जुटाने के लिए दृष्टिकोण, प्रतिभूतियों के मात्र मुद्रा पर्याप्त नहीं होगा। मुद्रा, जारीकर्ता और सुरक्षा की पर्याप्त जानकारी जगह लेने के लिए पर पारित किया जाना चाहिए। वहाँ वित्तीय प्रणाली के भीतर एक उचित चैनल इस तरह के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य की सेवा करने के लिए, वित्तीय मध्यस्थों अस्तित्व में आया। संगठित क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता भारतीय रिजर्व बैंक के समग्र निगरानी के तहत कार्य कर संस्थानों की एक widerange द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रारंभिक दौर में, मध्यस्थ की भूमिका ज्यादातर ऋणदाता से ऋण लेने के लिए धन के हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित था। इस सेवा के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, दलालों, और डीलरों द्वारा की पेशकश की थी। हालांकि, के रूप में वित्तीय प्रणाली के घटनाक्रम वित्तीय बाजारों में जगह लेने के साथ-साथ चौड़ी हो, अपने परिचालन का दायरा भी चौड़ी हो। ऑपरेटिंग स्याही वित्तीय बाजारों में शामिल महत्वपूर्ण बिचौलियों से कुछ; निवेश बैंकों, शेयर बाजारों, रजिस्ट्रार, डिपॉजिटरी, संरक्षक, पोर्टफोलियो

प्रबंधकों, म्युचुअल फंड, वित्तीय विज्ञापनदाताओं वित्तीय सलाहकार, प्राथमिक डीलरों, उपग्रह डीलरों, आत्म नियामक संगठनों, आदि हालांकि बाजारों में अलग कर रहे हैं, वहाँ एक जैसे बाजार की तुलना में इस कदम में अपनी सेवाएं दे कुछ बिचौलियों हो सकता है हामीदार। हालांकि, उनके द्वारा की पेशकश की सेवाओं एक बाजार से दूसरे बदलती हैं।

वित्तीय प्रपत्र - मुद्रा बाजार के अल्पकालिक पैसे और वित्तीय आस्तियों है कि पैसे के लिए पास विकल्प हैं के लिए एक बाजार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अर्थात् अल्पकालिक तक एक वर्ष और पैसे के लिए पास के विकल्प के किसी भी वित्तीय परिसंपत्ति है जो जल्दी न्यूनतम लेन-देन लागत के साथ पैसे में परिवर्तित किया जा सकता निरूपित करने के लिए प्रयोग किया जाता है आम तौर पर एक अवधि का मतलब है।

पूंजी बाजार इंडस्ट्री - पूंजी बाजार में आम तौर पर निम्नलिखित दीर्घकालिक अवधि अर्थात्, एक वर्ष से अधिक अवधि, वित्तीय साधनों के होते हैं; इक्विटी खंड इक्विटी शेयर, तरजीही शेयरों, परिवर्तनीय तरजीही शेयरों, गैर-परिवर्तनीय तरजीही शेयरों आदि और ऋण खंड डिबेंचरों में, जीरो कूपन बांड, गहरी डिस्काउंट बांड आदि।

हाइब्रिड उपकरण - हाइब्रिड उपकरणों दोनों इक्विटी और डिबेंचर की विशेषताएं हैं। उपकरणों की इस तरह की संकर के साधन के रूप में कहा जाता है। उदाहरण परिवर्तनीय डिबेंचर, वारंट आदि कर रहे हैं।

निष्कर्ष - भारत में मुद्रा बाजार में भारत के भारत और प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित है पूंजी बाजार को नियंत्रित करता है। पूंजी बाजार प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार के होते हैं। सभी इनीशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राथमिक बाजार के तहत आता है और सभी द्वितीयक बाजार लेनदेन द्वितीयक बाजार में सौदों।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डॉ. एफ.सी शर्मा: वित्तीय बाजार परिचालन, एस.बी.पी.डी, आगरा।
2. प्रो.आई.वी.त्रिवेदी: मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली, रमेश बुक डिपो, जयपुर।
3. शैलेन्द्र कुमार: वित्तीय बाजार परिचालन, रामप्रसाद एण्ड सन्स, भोपाल।
4. वण्णोय जी.सी: मुद्रा बैंकिंग एवं विदेशी विनियम।
5. इंटरनेट
6. समाचार पत्र

केन्द्रीय विकास योजनाएँ: मध्यप्रदेश में क्रियान्वयन

डॉ. राजेश कुमार सिंह तिवारी*

* सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) राजभानु सिंह स्मारक महाविद्यालय, मनिकवार, जिला रीवा (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अनेक जनकल्याण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा उम्मीद की जाती है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने में सक्षम होगा। यद्यपि आजादी के पश्चात् सरकार द्वारा अन्य योजनाएँ बनाई गईं उनका सफल क्रियान्वयन भी हुआ किन्तु बहुआयामी उद्देश्य प्राप्त नहीं की जा सके। देश की नागरिकों की आवश्यकता एवं बदलते परिवेश में नई योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन की आवश्यकता समय-समय पर महसूस भी जाती रही है। नवीन सरकार की देश के विकास की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उसमें मध्यप्रदेश भी विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाने एवं पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने में मध्यप्रदेश आगे रहा है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश को कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। आशा की जाती है कि वर्तमान योजनाओं के साथ-साथ भविष्य में आने वाली योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मध्यप्रदेश आगे रहेगा।

शोध प्रविधि: इस शोध के लिए दोनो प्रकार के समंको का सहारा लिया गया है। प्राथमिक समंक हितग्राही नागरिकों से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त की गई है, वहीं द्वितीयक समंक समय-समय पर प्रकाशित समाचार पत्रों सरकारी रिपोर्टों से समंक जुटाये गये है।

विषय विश्लेषण: भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ जिनका क्रियान्वयन सम्पूर्ण राष्ट्र में किया जा रहा है मध्यप्रदेश इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रदेश अग्रणी है प्रधान मंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अधो संरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना, पीएम स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्वच्छ भारत मिशन आदि हैं। इस प्रकार एक दर्जन से अधिक योजनाएँ जिनका संचालन केन्द्र सरकार द्वारा लक्ष्य निर्माण कर किया जा रहा है तथा क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा समाज के हित में किया जा रहा है।

सारणी क्रमांक 1: मध्यप्रदेश की प्रगति एवं उपलब्धियाँ

क्र.	योजना का नाम	संख्या	धनराशि
1	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	575	8,20,000
2.	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	20	36,25,000

3.	जन जीवन मिशन	228	72,89,000
4.	अमृत सरोवर योजना	5839
5.	मध्यप्रदेश ग्राम सड़क योजना	72965 कि.मी. निर्माण कार्य पूरा

स्रोत:- रोजगार निर्माण, भोपाल 21.10.2024 से 27.10.2024 तक
 उपरोक्त सरणी से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में केन्द्रीय विकास योजनाओं की प्रगति उल्लेखनीय है तथा प्राप्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार निरन्तर प्रयत्नशील है। इन योजनाओं का सीधा लाभ प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है तथा समाज का कायाकल्प तेजी से बदल रहा है। इसका कारण यह है कि केन्द्र व राज्य में एक ही दल की सरकार है, तथा प्रगतिशील विचारधारा के क्रियान्वयन में विश्वास रखती है।

समस्याएँ एवं कठिनाइयाँ- केन्द्रीय विकास योजनाएँ जनकल्याण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है इनका क्रियान्वयन समग्र रूप से करने पर आम नागरिकों को भरपूर लाभ मिल सकता है किन्तु अनेक समस्याओं एवं कठिनाईयों के कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन में व्यापकता की कमी देखी गई है, कहीं सकफ क्रियान्वयन हुआ है तो कहीं आधा-अधूरा तथा कहीं पर बिल्कुल नहीं। इनका कारण पर्याप्त धन की कमी, सरकारी मशीनरी की उदासीनता, सतत् निरीक्षण एवं मूल्यांकन लापरवाह सरकारी मशीनरी पर ज्यादा अंकुश एवं लाल फीताशाही व शासकीय धन हड़पने की कोशिशें आदि रही है। जिस तत्परता से योजनाओं का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही की जाती है मैदानी क्षेत्र में उतनी दिखाई नहीं देती यही कारण है कि नई-नई योजनाएँ निर्मित की जा कर मैदान में उतारी जाती है।

सुझाव:

1. नागरिकों भी आवश्यकता के अनुसार सकफ सिद्ध होने वाली योजनाएँ ही तैयार की जाए।
2. योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. शासकीय मशीनरी को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रेरित व नियंत्रित की जानी चाहिए।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन की मनीटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।
5. क्रियान्वयन में कमी होने पर तत्काल सुधार की कार्यवाही की जानी चाहिए।
6. योजनाओं के क्रियान्वयन में जन समुदाय के प्रतिनिधियों का भी

सहयोग लिया जाना चाहिए।

7. लापरवाह निष्क्रिय व टाल-टूल करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

8. यदि योजनाओं में कहीं कमियाँ हैं तो उनमें सुधार किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष – जन कल्याण की दिशा में शासन द्वारा संचालित विकास योजनाएँ मध्यप्रदेश के विकास में काफी हद तक सहायक सिद्ध हुई हैं तथा आम नागरिकों को सहूलियतें एवं लाभ प्राप्त हुए हैं, अगर प्रस्तुत सुझावों को ध्यान में रखकर योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाय तो

निश्चित ही मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों को लाभ प्राप्त होगा तथा विकास की दिशा में प्रदेश आगे बढ़ेगा तथा विकसित राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश राज्य अग्रणी रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. रोजगार और निर्माण भोपाल दिनांक 21.10.2024 से 27.10.2024 तक
2. मध्यप्रदेश प्रगति प्रतिवेदन 2023-24

सोशल मीडिया का छात्रों के शैक्षणिक स्तर एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन (खरगोन जिले के विशेष संदर्भ में)

शिवराम हिरवे* डॉ. एम.एल. मोरे**

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महु (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, भीकनगांव, खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - आज सोशल मीडिया बहुत ही तेजी से प्रसारित हो रहा है। आज हमने वास्तविक दुनिया के समक्ष एक आभासी दुनिया खड़ी कर ली है, जहां लोग आपस में संबंध बनाते हैं, अपने सुख-दुख की बातों को सांझा करते हैं। लेकिन इसी के साथ ही सोशल मीडिया के कारण हम अपने सगे-संबंधियों से दूर होते जा रहे हैं। जहां एक ओर सोशल मीडिया ने कई लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम किया है, वहीं दूसरी ओर कई लोगों की आत्महत्या का कारण भी बना है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किशोरों द्वारा सोशल मीडिया का अति प्रयोग उसी प्रकार के उत्तेजना पैटर्न का सृजन करता है जैसा अन्य एडिक्शन व्यवहारों से उत्पन्न होता है।

प्रस्तावना - अनेक शोधकर्ताओं ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी साइटों के उपयोग से जुड़े अनेक हानिकारक प्रभावों की जानकारी दी है। इनमें से चिंता, अवसाद, परेशान किया जाना, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले विचार, साइबर स्टॉकिंग, अपराध, ईप्स्या, सूचना अधिभार और ऑनलाइन सुरक्षा की कमी आदि शामिल हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार कुल मिलाकर सोशल मीडिया शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए तो समस्या पैदा करने वाला है ही, साथ ही यह नौकरी और शैक्षणिक प्रदर्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के कारण लोग सुरक्षा अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले लोग मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। अध्ययनों के अनुसार सोशल मीडिया का ज्यादा प्रयोग नींद में कमी या चिढ़चिड़ेपन का कारण बन सकता है। लगातार ऐसा रहने से डिप्रेशन, याददाश्त में कमी, मानसिक क्षमता का घटना जैसी समस्या के होने की भी पूरी-पूरी संभावना रहती है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने पेट की प्रॉब्लम्स, सिरदर्द, आंख दर्द, जी मिचलाना, मांसपेशियों में तनाव जैसी समस्याओं के प्रति भी चेतावनी दी।

अध्ययन का क्षेत्र - मध्य प्रदेश के खरगोन जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है।

अध्ययन का समग्र - मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी अध्ययन का समग्र है।

अध्ययन की इकाई - मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के समस्त महाविद्यालयों में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थी अध्ययन की इकाई है।

निर्दर्शन विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के पांच महाविद्यालयों में अध्ययनरत कुल 220 छात्र एवं छात्राओं को उद्देश्यपूर्ण निर्दर्शन विधि का प्रयोग कर चयन किया गया है।

आँकड़ों का संकलन:

1. **प्राथमिक स्रोत**-साक्षात्कार अनुसूची, प्रश्नोत्तरी एवं व्यक्तिगत

उपरिष्ठत होकर संबंधित व्यक्तियों से समक्ष में चर्चा कर आकड़ें एकत्रित किये गये एवं विश्लेषण व अवलोकन द्वारा प्राथमिक आँकड़ों का संकलन किया गया।

2. **द्वितीय स्रोत**- शासकीय दस्तावेजों, पुस्तकों, जनगणना रिपोर्ट, समाचार-पत्र, शोधपत्र-पत्रिकाएँ, प्रकाशित एवं अप्रकाशित अभिलेख तथा तकनीकी के माध्यम से आधुनिक दृष्य-श्रव्य, कम्प्यूटर, मोबाइल, टी. व्ही., इण्टरनेट इत्यादि से जुड़कर अध्ययन किया गया है।

यंत्र एवं तकनीक -शैक्षणिक प्रदर्शन स्केल (Academic Performance Scale), सोशल मीडिया स्केल (Social Media Addiction Scale), साक्षात्कार अनुसूची, समूह चर्चा, अवलोकन, कैमरा एवं इंटरनेट आदि यंत्र एवं तकनीक का प्रयोग किया गया है।


सांख्यिकीय विश्लेषण- शैक्षणिक प्रदर्शन स्केल (Academic Performance Scale) एवं सोशल मीडिया स्केल (Social Media Addiction Scale) के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का विश्लेषण के माध्यम से सहसंबंध विधि, X^2 (काई-वर्ग) परीक्षण द्वारा के विश्लेषण किया गया है।

खरगोन जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का सोशल मीडिया के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रभाव निम्न प्रकार से पडता है-

सारिणी क्रं.- 1: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होने के बारे में जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	132	60 प्रतिशत
नहीं	88	40 प्रतिशत
योग	220	100

आरेख क्रं. - 1




उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होने के बारे में जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं में से 132 उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया जिसका 60 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 88 उत्तरदाताओं से अस्वीकार किया है जिसका 40 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सोशल मीडिया के उपयोग से छात्र मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित होने को स्वीकार किया है।

सारिणी क्रं.-2: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट पडने के बारे में जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	167	75.9 प्रतिशत
नहीं	53	24.1 प्रतिशत
योग	220	100.0

आरेख क्रं. -2

उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट पडने के बारे में जानने का वर्गीकरण



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट पडने के बारे में जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं ने यह बात स्वीकार की है कि सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट आई है जिसका 75.9 प्रतिशत है जो


कि सबसे अधिक है जबकि 53 उत्तरदाताओं ने इस बात को अस्वीकार किया है जिसका 24.1 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का मानना है कि सोशल मीडिया के उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर पर गिरावट आई है।

सारिणी क्रं.-3: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे में जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
हां	138	62.7 प्रतिशत
नहीं	82	37.3 प्रतिशत
योग	220	100.0

आरेख क्रं. -3

उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे में जानने का वर्गीकरण



■ उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे में जानने का वर्गीकरण


उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे में जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं में से पर 138 उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया है कि उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, जिसका 62.7 प्रतिशत है जबकि 82 उत्तरदाताओं ने अस्वीकार किया है जिसका 37.3 प्रतिशत है जो कि सबसे कम है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं का कहना है कि उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आती है।

सारिणी क्रं.-4: उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे में जानने का वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सिरदर्द	152	69.1 प्रतिशत
आंखों पर चश्मा	32	14.6 प्रतिशत
डिप्रेशन	26	11.8 प्रतिशत
घबराहट	10	4.5 प्रतिशत
योग	220	100.0

आरेख क्रं. -4

उत्तरदाता से सोशल मीडिया के उपयोग से आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानियां आई है, के बारे में जानने का वर्गीकरण



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से हां तो किस प्रकार की है, के बारे में जानने का वर्गीकरण करने पर 220 उत्तरदाताओं में से 152 उत्तरदाताओं के सिर में दर्द होता है जिसका 69.1 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है जबकि 32 उत्तरदाताओं को आंखों में चश्मा लगा हुआ है जिसका 14.6 प्रतिशत है। उसी प्रकार 26 उत्तरदाताओं को डिप्रेशन जैसी बीमारी है जिसका 11.8 प्रतिशत है जबकि 10 उत्तरदाताओं को घबराहट होती है जिसका 4.5 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं को सिरदर्द की परेशानी होती है।

निष्कर्ष :

1. खरगोन जिले के महाविद्यालयीन अध्ययनरत छात्रों में सोशल मीडिया अर्थात मोबाइल, लेपटॉप आदि के अधिक उपयोग से मानसिक एवं शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।
2. खरगोन जिले के महाविद्यालयीन अध्ययनरत उत्तरदाता छात्रों में से 75.9 प्रतिशत उत्तरदाता छात्रों के अनुसार सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से छात्रों के शैक्षणिक स्तर में भी गिरावट आ रही है जबकि 24.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार सोशल मीडिया के अधिक उपयोग करने के बावजूद छात्रों के शैक्षणिक स्तर में कोई गिरावट

नहीं आ रही है।

3. उत्तरदाता छात्रों में से 62.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके स्वास्थ्य में कई प्रकार की परेशानियां आयी है, जबकि 37.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आयी है।
4. खरगोन जिले के अधिकांश 69.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सोशल मीडिया के अधिक उपयोग से सिरदर्द की परेशानी हो रही है। इसके साथ ही साथ 14.6 प्रतिशत लोगों को आंखों में चश्मा भी लग गया है एवं 11.8 प्रतिशत लोग डिप्रेशन जैसी बीमारी से भी ग्रसित हो गये है। इसके अलावा 4.5 प्रतिशत लोगों को घबराहट भी महसूस होती है।

सुझाव :

1. सोशल मीडिया अर्थात मोबाइल, लेपटॉप आदि अधिक उपयोग करने से उससे निकलने वाली उच्च रेडिएशन के कारण स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है इसके अलावा आज की युवापीढी मोबाइल फोन के अधिक उपयोग से पढाई और अन्य गतिविधियों से दूर होते जा रहे है।
2. युवावर्ग से लेकर सभी वर्ग के लोग आजकल सोशल मीडिया के आदि हो गये है, इसमें लोग लंबे समय तक इससे जुड़े रहते है, जिससे युवा छात्रवर्ग पर अपनी शिक्षा एवं सामाजिक संबंधों से प्रभावित हो रहे है एवं छोटे से लेकर बड़े उम्र तक के लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

अतः इससे बचने के लिये उचित सीमा तक और सावधानीपूर्वक तथा संतुलित तरीके के साथ ही आवश्यकतानुसार उपयोग करना चाहिये। जिससे इसके नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. दीपाली आर. मिस्त्री, युवाओं में सोशल नेटवर्किंग और उनके संचार, उनके मतभेद समाधान कौशल, 4 दिसम्बर 2014,
2. गीतांजलि नायडू और सुनील अग्रवाल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का चेन्नई एवं कोयम्बटूर के कॉलेज और छात्रों अन्तः व्यक्तिगत सम्बंधों पर प्रभाव का 2013
3. कोठारी गुलाब, 'मीडिया और संस्कृति', अगस्त 4, 2009, गुलाब कोठारीज ब्लॉग
4. 'मीडिया का जनजीवन पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव':- रामसुमेटप्रत्याशा जैन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भारत के युवाओं पर प्रभाव 2011
5. शबनम एस. माहत, सोशल नेटवर्किंग साइट्स का युवाओं पर प्रभाव 2014

उपयोगितावाद की वर्तमान प्रांसगिकता

सीता नुवाल*

* एम.ए. (राजनीति विज्ञान) महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर (राज.) भारत

प्रस्तावना - उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है, जिसकी मान्यता है कि कोई भी आचरण तभी नैतिक है, जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। जब सामाजिक राजनीतिक निर्माण में उपयोगितावादी नैतिकता का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उद्देश्य समग्र रूप से समाज की बेहतरी होता है। उपयोगितावाद सही और गलत का निर्धारण करने के लिए एक तर्क आधारित दृष्टिकोण है।

यद्यपि उपयोगितावाद के निशान प्राचीन यूनानी दर्शन में भी पाए जाते थे, पर जेरेमी बेंथम और जे.एस. मिल द्वारा किए गये योगदान के कारण इसे लोकप्रिय बनाया गया था। इस अवधारणा ने 19वीं सदी के पहले भाग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपयोगितावाद के संदर्भ में उसकी वर्तमान प्रांसगिकता को देखते हुए प्रत्येक सरकार ऐसी नीतियां बनाने के लिए बाध्य है। जो अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम लाभ दे सके। जो सरकार कुछ लोगों के लाभ के लिए काम करती है। वह सरकार बिलकुल भी अच्छी सरकार नहीं कहीं जाती है एवं ना ही वह सरकार ज्यादा समय तक स्थिर रह पाती है। क्यों कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जहां बहुमत द्वारा सरकार बनाई जाती है और अगर सरकार को लंबे समय तक स्थिर रहना है तो उनको बहुमत का हित तो सोचना ही पड़ेगा। और अगर अधिकतम व्यक्ति किसी सरकार की नीतियों से लाभान्वित होते हैं। तो वह सरकार अधिकतम समय तक अपना कार्यकाल पूर्ण कर पाती है। और वह सरकार ही न्यायपूर्ण एवं परोपकारी कहलाती है।

भारत में करीब 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। यानी भारत की दो तिहाई से ज्यादा आबादी गांवों में ही निवास करती है। और जहां ज्यादा कल्याण की जरूरत है, एवं सरकार की नीतियों एवं योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाने पर सर्वाधिक कल्याण होगा एवं अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित भी हो जायेगा। जिससे देश के ग्रामीण परिवेश में भी लोगों को लाभ मिलेगा।

राजनीतिक दर्शन में, उपयोगितावाद सरकार के अधिकार एवं व्यक्तिगत अधिकारों की विव्रता को उनकी उपयोगिता पर आधारित करता है, इस प्रकार प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार या सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत के लिए एक विकल्प प्रदान करता है, इस प्रकार किस तरह की सरकार सबसे अच्छी है, यह सवाल बन जाता है, की किस तरह कि सरकार के सबसे अच्छे परिणाम होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतांत्रिक सरकार के परिणाम दीर्घकालिक एवं सर्वोत्तम होते हैं। एक ऐसा आकलन जिसके लिए मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में तथ्यात्मक

आधार की आवश्यकता होती है। आम तौर पर उपयोगितावादियों ने इसका समर्थन किया है, लोकतंत्र को सरकार के हित को सामान्य हित के साथ जोड़ने का एक तरीका माना गया है। उन्होंने इस आधार पर दूसरों के लिए समान स्वतंत्रता के साथ संगत अधिकतम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तर्क दिया है, कि व्यक्ति आम तौर पर अपने कल्याण के लिए सबसे अच्छे न्यायाधिष्ठ होते हैं और उन्होंने शांति पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन की संभावनाओं और वांछनीयता में विश्वास किया है।

आज व्यवसायिक नैतिकता कि औपचारिक संहिता का होना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। किसी व्यवसाय को बढ़ाने बढ़ाने के लिए उसे न केवल अपनी निचली रेखा को बढ़ाने की आवश्यकता होती है बल्कि उसे सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने की प्रतिष्ठा भी बनानी चाहिए। जो समाज के लिए उपयोगी है, वह शुभ है, और शुभ वहीं है जो समाज को सुख प्रदान करता है। उपयोगितावाद के सुखवाद के सिद्धांत में बेंथम ने सुखों के केवल मात्रात्मक भेद को माना है, वहीं मिल ने मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भेद भी माना है।

नैतिक मापदण्डों के अनुसार देखे तो समानता व स्वतंत्रता को पूर्णतः लागू किया जाना चाहिए। वर्तमान संदर्भ में देखे तो महिलाओं की भूमिका को बहुत हासिये पर रखी गयी। उन्हें पूर्णतः समानता एवं स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है एवं महिलाएं अभी भी पुरुषों के अधिन हैं, एवं स्वयं के अधिकारों के लिए लड़ना या आवाज उठाना नहीं जानती है। सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करवा कर महिलाओं को अपने हित एवं कल्याण के लिए जागरूक करके अधिकतम व्यक्तियों को सुख मिलेगा एवं इससे सरकार की प्रांसगिकता और ज्यादा बढ़ेगी।

उपयोगितावादी मानते हैं, कि वहीं कर्म शुभ है, जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है।

उपयोगितावाद का मुख्य संदर्भ लोकतंत्र में माना जाता है, लोकतंत्रों का उदाहरण प्राचीन यूनान और रोम में मिलते हैं, जहाँ प्रभुसत्ता संपूर्ण जन-समुदाय के हाथों में रहती थी, इसके गुण हैं, देश-प्रेम, समानता में विश्वास और सर्व-हित के लिए व्यक्तिगत सुख के त्याग की भावना लोगों में निहित होती हैं।

उपयोगितावाद जैसा सिद्धांत कई तरह की शासन पद्धति में प्रांसगिक हो सकता है, प्रथम विश्व के देशों में उपयोगितावाद कई वर्षों से चला आ रहा है। यह सिद्धांत किसी भी शासन पद्धति में भी पाया जा सकता है, बशर्ते

वहां भी अधिकतम लोगो का हित देखा जाता हों। यह किसी एक शासन पद्धति की विशेषता नहीं है, बल्कि अनेक शासन पद्धतियों में प्रांसगिक बनाया जा सकता है।

तृतीय दुनिया के देश एशिया, लैटिन अमेरिका, और कैरिबियन के सभी देश और ओशिनिया के कुछ राज्य और क्षेत्र शामिल है। जो की 20वीं सदी के आखिरी आधे हिस्से में देशों के रूप में वर्गिकृत किये गये है। जो की आर्थिक रूप से अविकसित थे और जिनका प्रमुख विश्व देशो कि शक्तियों से बहुत कम या कोई संबंध नहीं था। इन देशों में उपयोगितावाद धिरे-धिरे अपने पाँव मतबूत कर रहा है। व्यों कि इन देशों में लोगो को स्वतंत्रता, समानता और मताधिकार जैसे अधिकार भी कई वर्षों बाद दिये गये है। पहले ये देश उपनिवेशों के शिकार थे और फिर इनसे आजाद होने के बाद अलग-अलग देशों ने अपने सामाजिक परिपेक्ष्य के अनुरूप शासन पद्धतियों अपनाई और लोगो को अधिकार दिये।

उपयोगितावाद का सिद्धांत जीवन के अधिकतम लोगो द्वारा यथासंभव पीड़ा मुक्त बनाने पर केंद्रित है। सामान्यतः यह एक प्रशंसा योग्य लक्ष्य की भाँति लगता है। परंतु यदि सभी इस जीवन में अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिये ही जीवन का व्यापक दृष्टिकोण संकीर्ण / धुंधला हो जाएगा।

राजनीतिक दायित्व के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण ने दैवीय अधिकारों, प्राकृतिक अधिकारों और सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों को ध्वस्त कर दिया। इस अवधारणा ने व्यक्ति को राज्य से पहले रखा। यह परोपकारी है, लेकिन अहंकारी नहीं है। वर्तमान में उपयोगितावाद की अवधारणा सभी कानूनों की मूल अवधारणा बन गई है। वास्तव में वर्तमान लोकतांत्रिक सरकार सबसे बड़े सदस्य को सबसे अधिक खुशी के सिद्धांत पर आधारित है, हालांकि अवधारणा खामियों से मुक्त नहीं है, लेकिन सिद्धांतों के कार्यान्वयन में उन्हें कम किया जा सकता है। सुखवाद एक विचारधारा है जो तर्क देती है, कि सुख की खोज करना और दुख से बचना ही कल्याण का एकमात्र धटक है।

मानव जाति दो संप्रभु स्वामियों के बीच में है, बेंथम के अनुसार प्रकृति ने ही मानव जाति के दो संप्रभु स्वामियों, अर्थात दर्द और खुशी के शासन में रखा है, इसलिए उन्होंने कहा कि यह राज्य का कर्त्तव्य है या राज्य व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह अपने सुख को अधिकतम करे और दर्द को कम से कम करे। इसके अलावा उनके अनुसार उपयोगिता किसी भी वस्तु में वह गुण है, जिसके द्वारा वह लाभ, फायदा, खुशी, पैदा करती है या शरारत, दर्द बुराई को होने से रोकती है।

सरकार का काम समाज की खुशी को बढ़ावा देना है। अगर कोई गड़बड़ी होती है, तो राज्य के पास दोषियों को दंडित करने का भी पूरा अधिकार है। वर्तमान संदर्भ में देखे तो दण्ड देने के लिये कई तरह के कानून बनाये गये है। जो कि विभिन्न देशों के संविधान के अनुसार अपनी अपनी दंड संहिता के तहत दण्डित किया जाता है। उपयोगितावाद के मुताबिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फैसलों में समाज की भलाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपयोगितावाद के मुताबिक, अगर कोई काम, कानून या नीति से मानव सुख बढ़ता है या मानव पीड़ा कम होती है। तो वह नैतिक रूप से अच्छा है। उपयोगितावादी मानते है कि वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है। यदि यह संभव नहीं तो वह कार्य शुभ है, जो अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख प्रदान करने में सहायक है।

निष्कर्षतः—भारत जैसे देश के लिए लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा को फलीभूत करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है, एवं समाज के निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार करना है, यह सिद्धांत न केवल भारत बल्कि अन्य विकासशील देशों में भी सदैव उपयोगी साबित होगा।

उपयोगितावाद परिणामवाद का एक संस्करण है, जो कहता है कि किसी भी कार्य के परिणाम ही सही और गलत का एकमात्र मानक है। कोई सरकार अगर लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहती है। तो इसका तात्पर्य यही है कि उसके कार्य और प्रणालियां इतनी अच्छी एवं लाभदायक साबित हुई जिसके परिणामस्वरूप वह सरकार वापस सत्ता में आ पाती है, इसलिए उपयोगितावाद या तो पूरी मानवता या सभी संवेदनशील प्राणियों के हितों को समान रूप से मानता है। उपयोगितावाद को सामाजिक कल्याण अर्थशास्त्र, न्याय के सवाल, वैश्विक गरीबी के संकट, और मानवता के लिए अस्तित्वगत जोखिमों से बचने के महत्व पर लागू किया गया है। अंततः वही कर्म शुभ है जो सिर्फ व्यक्ति विशेष के हित में न होकर व्यापक सामाजिक हित के पक्ष में होता है, एवं अधिकतम व्यक्तियों को सुख प्रदान किया जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. उपयोगितावाद- ओ.पी. गाबा
2. www.wikipedia.org

दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का सिंहावलोकन

डॉ. लोकेश कुमार शर्मा*

* एसोशिएट प्रोफेसर, मेवाड़ विश्वविद्यालय, चित्तौड़गढ़ (राज.) भारत

शोध सारांश - दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति के एक प्रमुख विचारक, संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उनकी विचारधारा 'एकात्म मानववाद' ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। उपाध्याय का दृष्टिकोण था कि भारत की विकास यात्रा को पश्चिमी मॉडल के अनुरूप नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। उनका 'एकात्म मानववाद' एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जीवन के समन्वय की बात करती है। यह विचारधारा भारत के पारंपरिक और आधुनिक तत्वों के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करती है।

एकात्म मानववाद का सिद्धांत - 'एकात्म मानववाद' का अर्थ है मानव का एकीकृत दृष्टिकोण, जिसमें व्यक्ति, समाज, और प्रकृति का सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। यह विचारधारा मानव को एक जीवित इकाई के रूप में देखती है, जो अपने सामाजिक, आर्थिक, और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक संतुलित जीवन जीने की कोशिश करता है। उपाध्याय ने इस सिद्धांत के माध्यम से एक ऐसी समाज व्यवस्था की कल्पना की, जिसमें न केवल आर्थिक विकास हो, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास भी हो।

एकात्म मानववाद के चार प्रमुख तत्व हैं

- व्यक्ति:** उपाध्याय का मानना था कि व्यक्ति किसी समाज की मूल इकाई है। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, और आध्यात्मिक स्तर पर होता है, समाज के विकास का आधार होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति का केवल भौतिक विकास नहीं, बल्कि उसकी आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति भी महत्वपूर्ण है।
- समाज:** समाज को व्यक्तियों का एक संगठित समूह माना जाता है, जो अपने सदस्यों के व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के संरक्षण और उन्नति के लिए काम करता है। उपाध्याय ने समाज को एक 'जीवित इकाई' के रूप में देखा, जिसमें विभिन्न अंगों के बीच एक प्राकृतिक संतुलन होना चाहिए। उन्होंने समाज के प्रत्येक अंग को एक-दूसरे पर निर्भर और सह-अस्तित्व में मान्यता दी।
- राष्ट्र:** उपाध्याय का मानना था कि राष्ट्र केवल भूगोल और राजनीति की एक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक जीवित इकाई है, जिसमें एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, और ऐतिहासिक अनुभवों का समावेश होता है। उनका मानना था कि भारत का राष्ट्रवाद उसकी सांस्कृतिक एकता और नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। एकात्म मानववाद के अनुसार, राष्ट्र के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विकास के सभी प्रयासों को राष्ट्र की सेवा में लगाया जाना चाहिए।
- धर्म:** उपाध्याय ने धर्म को व्यक्ति और समाज की आत्मा के रूप में

देखा। उनके अनुसार, धर्म केवल पूजा-पाठ नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत है, जो व्यक्ति के कार्यों, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित करता है। धर्म के इस व्यापक दृष्टिकोण में नैतिकता, सत्य, और न्याय का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि धर्म के बिना कोई भी समाज या राष्ट्र अपनी दिशा और उद्देश्य को खो देता है।

पश्चिमी विचारधारा के प्रति उपाध्याय की आलोचना - दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिमी विचारधाराओं की तीखी आलोचना की, विशेष रूप से व्यक्तिवाद और साम्यवाद के संदर्भ में। उनका मानना था कि पश्चिमी विचारधाराओं ने मानव जीवन के केवल भौतिक पहलुओं पर जोर दिया और आध्यात्मिक और नैतिक तत्वों की उपेक्षा की।

1. व्यक्तिवाद की आलोचना: उपाध्याय के अनुसार, व्यक्तिवाद ने समाज के सामूहिक हितों की उपेक्षा की और इसे स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के आधार पर संचालित किया। इस दृष्टिकोण में व्यक्ति की स्वतंत्रता को इतना अधिक महत्व दिया गया कि इससे समाज में असमानता और असंतोष बढ़ा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिवाद ने समाज को विभाजित किया और इसका संतुलन बिगाड़ा।

2. साम्यवाद की आलोचना: साम्यवाद के बारे में उपाध्याय का कहना था कि इस विचारधारा ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का दमन किया और राज्य को सर्वोच्च सत्ता बना दिया। उन्होंने साम्यवाद को मानव स्वाभाविकता के खिलाफ बताया, क्योंकि यह विचारधारा केवल आर्थिक समानता पर ध्यान केंद्रित करती है और आध्यात्मिक और नैतिक विकास की उपेक्षा करती है।

उपाध्याय का मानना था कि इन दोनों विचारधाराओं ने मानवता को उसके वास्तविक उद्देश्य से भटका दिया और उसे केवल भौतिक संपन्नता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एकात्म मानववाद इन पश्चिमी विचारधाराओं का एक सशक्त विकल्प है, जो मानव जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित करता है और व्यक्ति, समाज, और राष्ट्र के बीच एक संतुलन स्थापित करता है।

आर्थिक दृष्टिकोण – दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद का आर्थिक दृष्टिकोण भी अद्वितीय था। उनका मानना था कि आर्थिक विकास का उद्देश्य केवल भौतिक समृद्धि नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए।

1. **स्वदेशी:** उपाध्याय ने 'स्वदेशी' की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनका मानना था कि भारत जैसे देश के लिए आत्मनिर्भरता महत्वपूर्ण है। स्वदेशी के माध्यम से उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए अपने संसाधनों, उद्योगों और कृषि पर निर्भर रहना चाहिए। उन्होंने विदेशी आयात और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि स्वदेशी के माध्यम से ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जा सकता है।

2. **न्यायमूलक अर्थव्यवस्था:** उपाध्याय का मानना था कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकास की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए, जो समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को लाभान्वित करें। उनका दृष्टिकोण था कि समाज में किसी भी प्रकार की असमानता और शोषण को समाप्त किया जाना चाहिए।

3. **धर्म और अर्थ:** उपाध्याय ने धर्म और अर्थ (आर्थिक जीवन) के बीच एक समन्वय की बात की। उनका मानना था कि आर्थिक जीवन को धर्म के मार्गदर्शन में संचालित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को अपने आर्थिक गतिविधियों का संचालन करना चाहिए, जिससे वह न केवल व्यक्तिगत लाभ कमा सके, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सके।

राजनीतिक दृष्टिकोण – दीनदयाल उपाध्याय का राजनीतिक दृष्टिकोण भारतीय राजनीतिक परंपराओं और मूल्यों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति को विदेशी मॉडल्स पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के अनुरूप विकसित किया जाना चाहिए।

1. **राज्य और धर्म:** उपाध्याय का मानना था कि राज्य को धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य धार्मिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करे। उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग नहीं माना, बल्कि कहा कि धर्म राजनीति का मार्गदर्शन कर सकता है। धर्म का पालन करने वाले राज्य को न्याय, सत्य, और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलना चाहिए।

2. **राज्य की भूमिका:** उपाध्याय का मानना था कि राज्य का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की सेवा करना और उनके जीवन की गुणवत्ता को सुधारना होना चाहिए। उन्होंने राज्य को एक 'सेवक' के रूप में देखा, जो नागरिकों की भलाई के लिए काम करता है। उनका मानना था कि राज्य को न तो अत्यधिक केंद्रीकृत होना चाहिए और न ही अत्यधिक विकेंद्रीकृत। इसके बजाय, उन्होंने एक संतुलित और सेवा-प्रधान राज्य की वकालत की।

3. **ग्राम स्वराज:** उपाध्याय का मानना था कि भारत की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का आधार ग्राम होना चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी के 'ग्राम स्वराज' के सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने से ही देश का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज के माध्यम से ही भारतीय समाज के सभी वर्गों का समन्वय और विकास हो सकता है।

भारतीय संस्कृति के महत्व की वकालत – दीनदयाल उपाध्याय का

'एकात्म मानववाद' भारतीय संस्कृति के मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को मानवता की महान धारोहर माना, जो सहिष्णुता, सह-अस्तित्व, और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना पर आधारित है। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में निहित मूल्य किसी भी विदेशी विचारधारा से कहीं अधिक श्रेष्ठ और व्यापक हैं।

उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति को केवल धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन-दर्शन के रूप में देखा। उनके अनुसार, भारतीय संस्कृति का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के सभी स्तरों पर संतुलन और समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने भारतीय समाज की विविधता को स्वीकार करते हुए कहा कि इस विविधता में ही एकता की भावना छिपी हुई है।

1. **धर्म और संस्कृति का समन्वय:** उपाध्याय का मानना था कि धर्म और संस्कृति एक-दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भारतीय संस्कृति की मूलभूत अवधारणाएँ धर्म से उत्पन्न हुई हैं, जो जीवन के हर पहलू में समाहित हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में धर्म का मतलब केवल धार्मिक अनुष्ठान या पूजा नहीं है, बल्कि यह जीवन की नैतिक और आध्यात्मिक दिशा को निर्धारित करता है।

2. **संस्कृति का संरक्षण:** उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और पुनरुद्धार की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि आधुनिकता और पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय समाज अपनी सांस्कृतिक जड़ों से दूर होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना चाहिए।

3. **समन्वित जीवन का विचार:** एकात्म मानववाद का मुख्य उद्देश्य एक समन्वित जीवन की स्थापना करना है, जिसमें व्यक्ति, समाज, और राष्ट्र के बीच संतुलन हो। उपाध्याय ने इस समन्वय को भारतीय संस्कृति की विशेषता के रूप में देखा। उनके अनुसार, भारतीय संस्कृति में जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और समन्वय की भावना निहित है, जो व्यक्ति को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है।

आधुनिक संदर्भ में एकात्म मानववाद – दीनदयाल उपाध्याय के 'एकात्म मानववाद' के सिद्धांतों का आधुनिक समय में भी विशेष महत्व है। यह विचारधारा केवल एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब समाज विभिन्न चुनौतियों और परिवर्तनों का सामना कर रहा है।

1. **सामाजिक और आर्थिक न्याय:** एकात्म मानववाद के सिद्धांत आधुनिक समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना में सहायक हो सकते हैं। उपाध्याय का मानना था कि समाज के सभी वर्गों को विकास के लाभों का समान रूप से लाभ मिलना चाहिए। आज के समय में, जब असमानता और गरीबी जैसी समस्याएँ व्याप्त हैं, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण एक ऐसा मार्ग दिखा सकता है, जिससे इन चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

2. **पर्यावरण और सतत विकास:** उपाध्याय के विचारों में प्रकृति और मानव के बीच एक संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आधुनिक समय में, जब पर्यावरणीय संकट बढ़ रहे हैं, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शन कर सकता है। यह दृष्टिकोण विकास के उन मॉडलों को प्रोत्साहित करता है, जो पर्यावरण की सुरक्षा और संतुलन को बनाए रखते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

3. भारतीयता और वैश्वीकरण: एकात्म मानववाद भारतीयता के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन यह वैश्विक संदर्भ में भी अपनी प्रासंगिकता रखता है। उपाध्याय ने भारतीय संस्कृति और मूल्य को वैश्विक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति का संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह विश्व मानवता के लिए भी उपयोगी है। आधुनिक समय में, जब वैश्वीकरण के चलते सांस्कृतिक एकरूपता का खतरा है, एकात्म मानववाद भारतीय पहचान को संरक्षित करने में सहायक हो सकता है।

4. मानवता का एकीकृत दृष्टिकोण: एकात्म मानववाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है मानवता का एकीकृत दृष्टिकोण। यह विचारधारा बताती है कि व्यक्ति का विकास समाज और राष्ट्र के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। उपाध्याय का मानना था कि जब तक समाज और राष्ट्र के हितों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, तब तक व्यक्ति का वास्तविक विकास संभव नहीं है। यह दृष्टिकोण आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के चलते सामाजिक समरसता में कमी आ रही है।

निष्कर्ष – दीनदयाल उपाध्याय का 'एकात्म मानववाद' भारतीय समाज और राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसने समाज के समग्र विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। यह विचारधारा केवल भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक समय की चुनौतियों और आवश्यकताओं का भी समाधान प्रदान करती है। एकात्म मानववाद का मुख्य उद्देश्य मानवता के हर पहलू में संतुलन और समन्वय स्थापित करना है। यह विचारधारा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के बीच के संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करती है और उन्हें एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखती है।

आज के समय में, जब समाज विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रहा है, एकात्म मानववाद का दृष्टिकोण एक सशक्त समाधान प्रस्तुत करता है। यह न केवल भारतीय समाज के लिए, बल्कि वैश्विक मानवता के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है।

दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद एक ऐसा विचार है, जो

व्यक्ति और समाज के बीच के संबंधों को संतुलित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह विचारधारा हमें यह सिखाती है कि कैसे एक सशक्त और संतुलित समाज की स्थापना की जा सकती है, जो न केवल भौतिक समृद्धि पर आधारित हो, बल्कि नैतिकता, आध्यात्मिकता और सामाजिक न्याय पर भी केंद्रित हो।

इस प्रकार, एकात्म मानववाद न केवल उपाध्याय के समय में, बल्कि आज के समाज में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। यह हमें एक ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो मानवता के समग्र विकास और समाज के समन्वित प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Upadhyay, D. (1965). Ekātma Manavavad [Integral Humanism]. Bharatiya Jana Sangh Publications.
2. Sharma, R. (2013). Integral Humanism: Philosophy of Deendayal Upadhyay. Macmillan Publishers India.
3. Goel, B. (1992). Deendayal Upadhyay: A Life Dedicated to Nation and Culture. Prabhat Prakashan.
4. Rao, V. (2005). The Political Philosophy of Deendayal Upadhyay: A Critical Analysis. SAGE Publications.
5. Tiwari, S. (2002). Deendayal Upadhyay: Vichar Evam Darshan [Thought and Philosophy]. Rajkamal Prakashan.
6. Kaur, M. (2017). Indian Political Thought: Themes and Thinkers. Pearson Education India.
7. Jaffrelot, C. (1996). The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics: 1925 to the 1990s. Penguin Books.
8. Bhatt, S. C. (2001). Indian Political Thinkers: Modern Indian Political Thought. Indus Publishing Company.
9. Pandey, R. K. (2018). Philosophy of Integral Humanism and its Contemporary Relevance. Concept Publishing Company.
10. Das, G. (2010). India Unbound: The Social and Economic Revolution from Independence to the Global Information Age. Anchor Books.

चाइल्ड-फ्री-बाय-चॉइस अवधारणा एवं आधुनिक भारतीय परिवार-एक सिंहावलोकन

डॉ. कलिका डोलस*

* प्राध्यापक (गृहविज्ञान) शासकीय कन्या महाविद्यालय, सीहोर (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – भारतीय परिवार, आधुनिकता, चाइल्ड, बायचॉइस।

प्रस्तावना – आधुनिक भारतीय परिवारों की संरचना अत्यंत तेजी से परिवर्तित हो रही है। ये परिवार सामान्यतः आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं एवं स्वयं को तथाकथित आधुनिक कहलाना पसंद करते हैं। भारतीय परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों एवं इन परिवारों में एक अजीब सा विभेद हर क्षेत्र में देखने को मिलता है।

भारतीय संस्कृति में मानव की औसत आयु 100 वर्ष मानकर मानव जीवन को सोद्देश्य बिताने के लिए चार आश्रम की व्यवस्था की गई थी – ब्रम्हचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं सन्यास आश्रम –

ब्रम्हाचर्य – 25 वर्ष की आयु तक – विद्या अर्जन का समय
गृहस्थाश्रम – 25 से 50 वर्ष तक – परिवार निर्माण एवं संतानोत्पत्ति
वानप्रस्थाश्रम – 50 से 75 वर्ष – पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति का समय
सन्यासश्रम – 75 से 100 वर्ष – सांसारिक माया से निवृत्ति, वनगमन एवं प्रभ्रुस्मरण में जीवन व्यतीत करने का समय

मानव जीवन की संपूर्णता के लिये सभी चारों आश्रम महत्वपूर्ण हैं। यहाँ केवल गृहस्थ आश्रम की चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे शीर्षक का संबंध इसी आश्रम से है। जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थाश्रम का मुख्य प्रयोजन परिवार बनाना एवं संतानोत्पत्ति मात्र था जिससे परिवार एवं देश को आगे बढ़ाया जा सके। यही आयु युवावस्था कहलाती है एवं युवावस्था ही संतानोत्पत्ति के लिए आदर्श अवस्था है इस आयु में जन्में बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। इस आयु के पूर्व अथवा बाद में जन्में बच्चे किसी प्रकार विकृति के साथ जन्म ले सकते हैं 20-21 वर्ष आयु के पूर्व लड़की स्वयं ही अपरिपक्व होती है अतः इस आयु में यदि वह संतान को जन्म देती है तो वह किसी विकार का शिकार हो सकती है एवं इसी प्रकार 50 वर्ष के बाद यदि महिला किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह भी किसी विकृति के साथ जन्म ले सकता है अतः संतानोत्पत्ति की सही एवं आदर्श आयु 25 से 50 वर्ष तक योग्य है।

भारत में इसी आयु में विवाह हो जाते थे एवं प्राचीन समय में हर परिवार में 10 से 15 बच्चे तक होते थे परंतु जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूकता को देखते हुए बच्चों की संख्या कम हो गई एवं विगत 50-60 के दशक में हर परिवार में 5-6 संताने हो गईं। इस समय तक परिवार की महिलाएँ घर में रहती थीं वे कामकाज के सिलसिले में बाहर नहीं जाती थीं परंतु कालान्तर में महिला शिक्षा के प्रति जागरूकता को देखते हुए महिला काफी पढ़ी लिखी होने लगी। साथ ही बढ़ती हुई मंहगाई एवं महिला शिक्षा के उन्नत स्तर के कारण परिवार की महिलाओं ने रोजगार के क्षेत्र में कदम रखा, यहाँ से

आधुनिक परिवार की महिलाओं ने नौकरी करना प्रारंभ किया परिणाम स्वरूप जीवनशैली बदली एवं बच्चों की संख्या भी। उस पर से एकल परिवार ने समस्या को और बढ़ा दिया। बच्चों की देखभाल की समस्या खड़ी हुई अतः बच्चों की संख्या सिमटकर 2 पर आ गई। 'हम दो हमारे दो' का नारा दिया गया। लगभग 90 के दशक तक यही कल्चर आधुनिक परिवारों में देखने को मिला। सन् 2000 से इस कल्चर में और परिवर्तन आया। अब दोनों पति पत्नि कामकाजी हो गए, परिवार एकल हो गए, काम के घंटे बढ़ गए, इन सबकी गाज गिरी परिवार में बच्चों की संख्या पर कि उन्हें कौन देखेगा अतः बच्चों की संख्या सिमटकर एक हो गई है।

अब वर्तमान में इससे भी आगे बढ़कर एक नई अवधारणा ने जन्म लिया है जिसे चाइल्ड फ्री नाम दिया गया, जिसमें लड़का-लड़की विवाह तो करते हैं परंतु वे पहले ही तय कर लेते हैं (परिस्थितियों को देखते हुए) कि वे बच्चे को जन्म नहीं देंगे। और चाइल्ड फ्री-बाय-चॉइस आंदोलन ने जन्म लिया।

अब सवाल उठता है कि यह आंदोलन क्या है एवं इसके क्या सुपरिणाम अथवा दुष्परिणाम हैं।

चाइल्ड फ्री बाय च्वाइस – वर्तमान में प्रचलित यह एक ऐसा टर्म है जो उन लोगों को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाती है जो बच्चों को जन्म देना नहीं चाहते हैं इसमें वे लोग भी आते हैं जो बच्चों को जन्म देने में असमर्थ हैं अथवा क्षमता होने के बाद भी जन्म नहीं देना चाहते।

इस अवधारणा ने अमेरिका में जन्म लिया। परंतु शनैः शनैः यह विचारधारा पूरे विश्व के युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रही है। 1970 के दशक में अमेरिका में यह प्रारंभ हुआ परंतु आज भी यह आंदोलन गति पकड़ रहा है जिसके कारको एवं परिणामों से हमें अवगत होना है। मेनेजमेंट गुरु श्री एन.रघुराजन ने अपने एक लेख के माध्यम से लिखा है 'हालांकि हर दशक में हमेशा ही कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने माता-पिता बनने की जिम्मेदारी यानी पैरेंटहुड से बाहर रहने का विकल्प चुना, लेकिन लग रहा है कि 1970 के दशक के 'चाइल्ड-फ्री-बाय-चॉइस' आंदोलन की अब दूसरी सबसे बड़ी लहर आ रही है और यह न केवल अमेरिका में हो रहा है, जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ था, बल्कि वहाँ रहने वाले युवा भारतीय जोड़ों के बीच और उन लोगों में भी हो रहा है, जो उच्च शिक्षित हैं, या जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता में कुछ साल बिताए हैं।

सेटर फॉर डिजीज कंट्रोल की हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि कम शिक्षित अमेरिकियों के उच्च शिक्षित अमेरिकियों की तुलना में ज्यादा बच्चे होने की संभावना थी। आंकड़े बताते हैं कि धनी अमेरिकी अपना पहला

बच्चा बहुत बाद में करते हैं। और जो लोग इन दोनों सवालों का जवाब स्पष्ट 'ना' में देते हैं, वे पैरेंटहुड से बाहर आना ही बेहतर समझते हैं। और सवाल ये हैं- 1. क्या हम रिश्तों में उतना ही समय दे पाएंगे जितना हम पहले देते थे। 2. और हमारा बच्चा होगा, तो क्या हम तब भी उसी शहर में आराम से रह सकेंगे, जिससे हम प्यार करते हैं और रिटायरमेंट व यात्रा के लिए पर्याप्त पैसा बचा पाएंगे?

संक्षेप में, यही वो हिसाब-किताब है, जो अमेरिका में अधिकांश युवा जोड़ों के दिमाग में चल रहा है, जो कि 35-40 साल की उम्र में पहुंचने से पहले अपनी सालाना आमदनी का कम से कम पांच गुना बचाना चाहते हैं। इस हिसाब-किताब का सीधा नतीजा ये हुआ कि 2012 की तुलना में 2022 में अमेरिका में ढाई लाख से थोड़े से ज्यादा बच्चे कम जन्मे। और ये आर्थिक रूप से बुद्धिमान जोड़े युवाओं की बढ़ती आबादी का हिस्सा हैं और पैरेंटहुड से बाहर निकल रहे हैं और जो खुद को अपनी पसंद से चाइल्ड फ्री माता-पिता के रूप में बताते हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने यह कहते हुए प्रजनन दर में गिरावट को राज्य के बजट में संरचनात्मक जोखिम के रूप में प्रकाश डाला कि आने वाले वर्षों में इसके सामाजिक और श्रम बल दोनों नतीजे हो सकते हैं। गिरती जन्म दर का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिससे ताइवान जैसे देश को बच्चों के पालन-पोषण संबंधी पहल में 3 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं और कई देश बेबी-बोनस देने की भी तैयारी कर रहे हैं। इस डर को यह कहकर खारिज न करें कि भारत इस समस्या का सामना कभी नहीं करेगा। ज्यों-ज्यों ज्यादा पढ़े-लिखे बच्चे अवसरों की तलाश में विकसित देशों में बसने की कोशिश कर रहे हैं, जन्मदर भी उनकी क्लास के हिसाब से शिफ्ट होगी- मेरा मतलब है कि अमीर, मध्यवर्ग और गरीब वर्ग खासकर अगर महामारी के बाद आर्थिक रूप से स्टेबल नवविवाहितों की मानसिकता को देखें तो।

विदेश में बसी पीढ़ी, पिछली पीढ़ी द्वारा बनाई संपत्ति-जमीन की तुलना में हाथ में नकदी के बारे में ज्यादा चिंतित है और माता-पिता के बाद अपने नाम पर ट्रांसफर कराने का इंतजार भी नहीं कर रही है। विचित्र कारणों से उन्हें अचल संपत्ति में दिक्कत दिखती है। कई उत्तर भारतीय राज्यों में लोग जमीन-संपत्ति बेचकर बच्चों के साथ स्थाई रूप से कनाडा या अमेरिका में बस रहे हैं। जैसे कुछ फिल्मों वक्त से आगे होती हैं, ये जानकारी भी वैसी ही है क्योंकि आकड़े चौकाने वाले नहीं हैं। पर अगर इस उठा-पटक को नजरअंदाज किया तो जितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, इसका उस पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

यू.के. जनरेशन एंड जेंडर सर्वे के अनुसार यू.के. में 18-59 वर्ष की आयु के 7000 लोगों पर किए सर्वेक्षण में पाया कि पिछले एक दशक से ब्रिटेन में जन्म दर में गिरावट आ रही है उन्होंने यह भी पाया कि -

1. जनरेशन जेड (18 से 25 वर्ष की आयु) के 15 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे निश्चित रूप से संतान पैदा करने का इरादा नहीं रखते इसकी तुलना 200 से 2000 में इसी आयु वर्ग में यह प्रतिशत 10-15 था। निश्चित ही इस सोच में वृद्धि हो रही है।

2. इसी प्रकार वृद्ध मिलोनियलस (35 से 41 वर्ष) में से भी लगभग एक तिहाई का कहना है कि वे निश्चित रूप से संतान को जन्म देना नहीं चाहते।

चाइल्ड फ्री रहने के कारण - समाज में तेजी से बढ़ते यह बदलाव अभी माइक्रो लेवल पर है परंतु यदि तुरंत इस सोच एवं प्रवृत्ति पर विचार विमर्श नहीं किया गया तो दुष्परिणाम हो सकते हैं।

1. अत्यधिक जनसंख्या या जनसंख्या में कमी लाने के लिए
2. पर्यावरण की स्थिति को देखते हुए

3. समयभाव
4. युद्ध की विभीषिका
5. अभिभावकों का कामकाजी होना
6. अत्यधिक मंहगाई का होना
7. व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देना
8. जिम्मेदारियों से बचना
9. लाइफ एनजॉय करना
10. अनेक लड़कियों में टोकोफोबिया (गर्भावस्था) का डर है
11. सपनों अथवा महत्वाकांशा में बाधक
12. वित्तीय मुद्दे
13. स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे
14. जन्म विरोधी धारणा (यह विश्वास की मानव जीवन कष्टों से भरा है और बच्चों को दुनिया में लाना इसमें वृद्धि करना है।)

पिछले कुछ वर्षों में चाइल्ड फ्री या संतानहीनता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण से भी काफी बदलाव आया है। प्राचीन समय में यदि किसी महिला, पुरुष या विवाहित दंपति को संतान नहीं हुई तो समाज उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखता था तथा बिना सोचे समझे यह निष्कर्ष निकाल लिया जाता था कि इस दंपति में कोई कमी है। अर्थात् यह माना जाता था कि विवाह का मतलब मातृत्व है। श्रीपर्णा कहते हैं कि 'समाज में ऐसे लोग अधिक हैं जो विवाह को प्रजनन संस्था के रूप में देखते हैं।'

परंतु अब समाज के दृष्टिकोण में थोड़ा ही सही परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इस संदर्भ में लेखिका अंबरदार कहती हैं कि समाज में यह विचारधारा भी देखने को मिल रही है कि 'बच्चे पैदा करने की इच्छा का अभाव किसी दोष का संकेत नहीं है। यह पूरी तरह से सामान्य है कि कुछ लोग पुरुष और महिला दोनों अपने जीवनकाल में बच्चे नहीं चाहते। मैं उन सभी लोगों को विनम्रतापूर्वक सलाह देना चाहूंगा जो बच्चे न चाहने के कारण अपराधबोध या शर्म महसूस करते हैं वे अपने दिल की सुनें और अपने आंतरिक अंतर्ज्ञान को सुनें' हो सकता है आपके मन में अपने जीवन के लिए और कोई दृष्टिकोण हो अपनी इच्छाओं का पालन न करना अपने आपके साथ अन्याय होगा।

उपसंहार -हालांकि इस विकल्प को आज भी समाज में अपरम्परागत माना जाता है परंतु यह बदलाव अभी बड़ी मात्रा में आधुनिक भारतीय परिवारों में देखा जाने लगा है एवं पीढ़ियों के बीच कलह या विवाद का यह एक बड़ा कारण है। नवदंपति संतान नहीं चाहते हैं एवं पिछली पीढ़ी (दादा-दादी, नाना-नानी) संतान चाहते हैं। एवं इस हेतु अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं जिससे कलहपूर्ण स्थिति निर्मित होती है। उनके दृष्टिकोण को न समझते हुए माता पिता कहते हैं कि ये सारी समस्याएँ हमने भी झेली हैं लेकिन क्या हमने तुम्हें जन्म नहीं दिया, कौन सी कमी रखी तुम्हें पालने में। जन्म होगा तो बच्चा कैसे भी करके पल ही जाएगा आदि आदि। फंडा यह है कि माता-पिता बनने से बचना अभी आसान लग सकता है, पर इसकी गारंटी नहीं कि यह व्यक्तिगत जीवन में नई समस्याओं की तरफ नहीं ले जाएगा, चाहे अकेलापन हो या दुनियाभर में बढ़ रहा कामगारों का संकट। अतः इस मुद्दे पर चिंतन करने की महती आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. अहा जिंदगी - अप्रैल 2020.
2. इंडिया टुडे सेप्टेम्बर 2019.
3. व्यक्तिगत शोध के आधार पर।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन

डॉ. अशोक कुमार*

* सहायक प्राध्यापक, पैरामाउंट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, टटीरी, बागपत (उ.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के युग में मूल्य संकट हमारे सामने एक चुनौती के रूप में खड़ा है। मानव जीवन में मूल्यों का विशिष्ट महत्व है, जो उसके व्यक्तित्व, उपलब्धि, रूचि, अभिव्यक्ति आदि को प्रभावित करते हैं। उन्हीं के अनुरूप वह अपने व्यवहार को प्रस्तुत करता है। कुछ व्यक्तिगत मूल्य होते हैं, जिनका जन्म अनुभव के साथ-साथ होता है क्योंकि अनुभव के आधार पर ही कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करता है, जो धीरे-धीरे जीवन दर्शन का रूप ले लेते हैं।

शिक्षकों में मूल्य उनके व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण पहलू तथा जीवन के पथ प्रदर्शक होते हैं प्रत्येक मानव जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त करता है यह अनुभव समय की गति के साथ-साथ बढ़ते जाते हैं इन्हीं अनुभवों में से सिद्धांत जन्म लेते हैं जो मानव व्यवहार को निर्देशित करते हैं जिन शाश्वत मूल्यों में व्यक्ति का जीवन परमसुख कर और आनंदमई हो सकता है वह व्यक्ति स्वता ही प्राप्त कर सकता है और उसके ज्ञान बोध और प्रतिबद्धता में निहित होता है व्यक्ति अपने अपने उत्कर्ष के लिए स्वयं उत्तरदाई होता है और यह संभावना भी उसमें निहित होती है समस्त शैक्षिक प्रयास इसी सत्यता की प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं आदर्श मानव की संकल्पना मूल्यों के साथ जुड़ी होती है मूल्यों का स्वरूप अंतिम रूप से गत्यात्मक ताकि अवधारणा को जन्म देता है जिस के अनुरूप मानव जीवन को अनुवादित करना जीवन का लक्ष्य हो जाता है।

हमारे अध्यापक जितने मूल्यवान होंगे, ठीक वैसे ही मूल्यवान हमारे बालक अर्थात् विद्यार्थी होंगे। मनुष्य के जीवन में मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है अथवा सद्गुणों का समूह है, जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है।

भारतीय धर्म ग्रन्थों में मूल्यों के लिये यशील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द मूल्य का पर्याय नहीं वरन् समीपी शब्द है। शील 'सर्वत्रभूषण' का कार्य करता है। कहीं-कहीं शील शब्द चरित्र के लिये प्रयुक्त हुआ है। मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मूल्य जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। अतः शिक्षकों में मूल्यों का होना अति आवश्यक है। मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनुष्य जीवन पर्यन्त सीखता जाता है तथा परिपक्व होता है। वह ऐसे अनुबन्ध प्राप्त करता है, जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। ये निर्देशक जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। उन्हें मूल्य कहा जा सकता है।

अध्यापक के हाथों में बच्चों का भविष्य छिपा होता है। वह जैसे चाहे, बच्चों को बना सकता है क्योंकि अध्यापक ही बालकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता है। अतः अध्यापक को प्रभावशाली होना चाहिए। अध्यापक की प्रभावशीलता का प्रभाव बच्चों पर प्रत्यक्ष व परोक्ष दोनों रूपों में पड़ता है। एक बालक के सर्वांगीण विकास में अध्यापक की अहम् भूमिका होती है।

एक अध्यापक की प्रभावशीलता उसके अकादमिक ज्ञान एवं व्यवसायिक ज्ञान पर भी निर्भर करती है। अध्यापक स्वयं को आदर्श रूप में प्रस्तुत कर सकता है। एक बालक के सर्वांगीण विकास में अध्यापक द्वारा दी गई प्रेरणा और दण्ड का बहुत बड़ा योगदान होता है। अभिप्रेरणा बालक को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। एक बालक विद्यालय में सबसे ज्यादा अध्यापक के सम्पर्क में रहता है और सबसे ज्यादा अध्यापक से ही प्रभावित होता है। अतः शिक्षक प्रभावशीलता का बालक पर गहरा असर ;प्रभावद्ध पड़ता है। अध्यापक के हाव-भाव-परिणामों का पृष्ठपोषण एवं उसका किसी के प्रति दृष्टिकोण विद्यार्थी को अधिक प्रभावित करता है। अध्यापक की प्रभावशीलता में उसके व्यक्तिगत गुण भी शामिल हैं। साथ ही साथ पाठ योजना की तैयारी, प्रस्तुतीकरण एवं कक्षा-कक्ष प्रबन्धन भी अध्यापक की प्रभावशीलता है।

शिक्षक प्रभावशीलता एक स्कूल प्रणाली शिक्षा नीति पहल है जो छात्र सीखने में सुधार के संदर्भ में एक शिक्षक के प्रदर्शन की गुणवत्ता को मापती है। यह कई तरह के तरीकों का वर्णन करता है, जैसे कि अवलोकन, छात्र मूल्यांकन, छात्र कार्य के नमूने और शिक्षक कार्य के उदाहरण, जिनका उपयोग शिक्षा नेता शिक्षक की प्रभावशीलता को निर्धारित करने के लिए करते हैं।

शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रमों के लिए अभियान दौड़ से लेकर शीर्ष तक है जहां राज्यों को शिक्षक की प्रभावशीलता के आधार पर शैक्षिक नीतियों को पूरा करने के लिए अंक दिए गए थे। यह नीति राज्यव्यापी शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रमों के उद्भव का आधार थी।

शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होते हैं। आमतौर पर, एक शिक्षक प्रभावशीलता कार्यक्रम अवलोकन और आकलन के एक चक्र का वर्णन करता है जो एक शैक्षणिक वर्ष के दौरान शिक्षकों के विभिन्न समूहों पर लागू होता है। नए शिक्षकों का मूल्यांकन अधिक बार किया जाता है और अनुभवी शिक्षकों का मूल्यांकन कई वर्षों के चक्रों में किया जाता है। मूल्यांकन किए गए शिक्षकों के पास अद्योषित कक्षा

टिप्पणियों के अलावा मूल्यांकनकर्ता के साथ कई अनुसूचित कक्षा अवलोकन और सम्मेलन होते हैं। मूल्यांकन के उद्देश्य का एक विवादास्पद पहलू शिक्षकों को यह निर्धारित करने में मदद करना है कि उनकी प्रथाओं में क्या प्रभावी है और शिक्षकों को अधिक प्रभावी बनने में मदद करने के लिए उन्हें प्रतिबिंबित करने और अपने अभ्यास को बदलने का माध्यम प्रदान करता है।

शिक्षक प्रभावशीलता के -स्कूल प्रणाली में उपयोग की जाने वाली एक विधि है जो कक्षा के अवलोकन, छात्र कार्य नमूने, मूल्यांकन स्कोर और शिक्षक कलाकृतियों सहित आकलन के कई उपायों का उपयोग करती है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी विशेष शिक्षक का छात्र के सीखने के परिणामों पर प्रभाव पड़ता है। जबकि स्कूलों ने कई वर्षों से शिक्षक मूल्यांकन प्रथाओं और नीतियों का उपयोग किया है, शिक्षक प्रभावशीलता नीतियों का उद्भव इन मौजूदा प्रथाओं को रूब्रिक और परीक्षण स्कोर के साथ जोड़ता है ताकि शिक्षकों के काम पर अधिक मजबूत दृष्टिकोण प्रदान किया जा सके।

शिक्षक प्रभावशीलता से संबंधित अध्ययन

अवस्थी (2013) ने माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता एवं कार्य सन्तुष्टि का उनके शैक्षिक अनुभव के सन्दर्भ में अध्ययन किया और निष्कर्ष में माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर पाया है। माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर होता है। माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी विद्यालय में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षकों की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर होता है। माध्यमिक स्तर के गैर-सरकारी विद्यालय में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर होता है। माध्यमिक स्तर के सरकारी विद्यालय में कार्यरत उच्च अनुभवी एवं अल्प अनुभवी शिक्षकों की व्यावसायिक सन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं पाया है।

गोयल (2014) ने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् शिक्षकों की कार्यसन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्र शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता में अधिक अन्तर नहीं है पर नियमित शिक्षकों का शैक्षिक स्तर उच्च होने के कारण शिक्षामित्र शिक्षकों से नियमित शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता थोड़ी अधिक है। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षिकाओं एवं शिक्षामित्र शिक्षिकाओं की कार्यसन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षक-शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है अर्थात् शिक्षक प्रभावशीलता अधिकतर समान है। उच्च कार्यसन्तुष्टि एवं निम्न कार्यसन्तुष्टि वाले नियमित शिक्षकों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी शिक्षक प्रभावशीलता पर सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उच्च कार्य सन्तुष्टि वाले नियमित शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता एवं निम्न कार्यसन्तुष्टि वाले शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता लगभग समान है।

कुमार(2015) ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक

विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया और पाया कि शहरी क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का आत्मविश्वास स्तर ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों के आत्मविश्वास स्तर से अधिक है व शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं का आत्मविश्वास स्तर ग्रामीण स्तर की शिक्षिकाओं से अधिक पाया गया। शहरी क्षेत्र के शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता भी अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी। शहरी क्षेत्र की शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता भी अपेक्षाकृत कम पायी गयी।

यादव (2015) ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं में शिक्षक प्रभावशीलता एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया व पाया कि शिक्षकों व शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता में विभिन्नता नहीं पायी जाती है और शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं की शिक्षक प्रभावशीलता स्वतन्त्र वितरित नहीं पायी गयी है।

तिवारी (2017) ने वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता सम्बन्ध का अध्ययन किया व पाया कि वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता में अत्यन्त निम्न ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है तथा स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं के तनाव तथा शिक्षक प्रभावशीलता में निम्न धनात्मक सह-सम्बन्ध है, अर्थात् वित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का व्यक्तिगत तनाव बढ़ने के साथ उनकी शिक्षक प्रभावशीलता घट रही है तथा स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का व्यक्तिगत तनाव बढ़ने पर उनकी शिक्षक प्रभावशीलता भी बढ़ रही है एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं के तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता में सामान्य ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है, अर्थात् शिक्षिकाओं का व्यक्तिगत तनाव बढ़ने के साथ उनकी शिक्षक प्रभावशीलता घट रही है।

राव एवं सिंह(2020) ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है जिसमें सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। इस शोध हेतु कानपुर नगर में स्थित माध्यमिक स्तर के समस्त विद्यालयों के समस्त शिक्षकों की जनसंख्या से 50 महिला एवं 50 पुरुष शिक्षकों को स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्शन विधि द्वारा न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया है। सांख्यिकीय टी-परीक्षण द्वारा मध्यमानों की सार्थकता द्वारा प्रदत्तों का विश्लेषण कर परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया तथा 1. माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् पुरुष तथा महिला शिक्षकों की प्रभावशीलता का स्तर असमान है तथा पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिला शिक्षकों की प्रभावशीलता सार्थकतः अधिक है। 2. माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् सरकारी एवं गैर-सरकारी शिक्षकों की प्रभावशीलता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। 3. माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों व प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षकों की प्रभावशीलता में सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का औचित्य- प्रस्तुत शोध अध्ययन में संदर्भ साहित्य की समीक्षा के पश्चात शोध में यह पाया गया कि अभी तक जो अध्ययन हुए हैं अवस्थी (2013) ने माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता एवं कार्य सन्तुष्टि का उनके शैक्षिक अनुभव के सन्दर्भ में अध्ययन किया गोयल (2014) ने प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी

शिक्षक प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन किया और पाया कि प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत् शिक्षकों की कार्यसन्तुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है। कुमार (2015) ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता का तुलनात्मक अध्ययन किया यादव (2015) ने माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं में शिक्षक प्रभावशीलता एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन किया तिवारी (2017) ने वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता सम्बन्ध का अध्ययन किया राव एवं सिंह(2020) ने माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन किया गया है लेकिन अशासकीय स्तर के विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता पर शोध कार्य नहीं हुआ है। इसलिए प्रस्तुत शोध की आवश्यकता प्रतिपादित होती है।

शोध का शीर्षक- अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन

अध्ययन के उद्देश्य:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

परिकल्पना:

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि : प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श : प्रस्तुत शोध अध्ययन में मेरठ मंडल के समस्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत समस्त अध्यापक शोध की जनसंख्या है। प्रस्तुत शोध में बागपत जनपद से 300 अध्यापकों को न्यादर्श

चयन हेतु यादृच्छिक प्रतिचयन की लाटरी विधि का प्रयोग किया गया ग्रामीण एवं नगरीय परिवेश में कार्यरत 150-150 अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को न्यादर्श हेतु चयनित किया गया।

उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा शोध उपकरण प्रस्तुत अध्ययन हेतु तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु डा0 प्रमोद कुमार व डा0 डी0 एन0 मुथा द्वारा निर्मित मापनीकृत शिक्षण प्रभावशीलता मापनी उपकरण का प्रयोग किया किया गया है।

सांख्यिकी विश्लेषण एवं व्याख्या :

1. अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका- 1

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 298
कार्यरत अध्यापकों	150	287.7	17.21	1.455	असार्थक
कार्यरत अध्यापिकाओं	150	290.5	16.1		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 150 कार्यरत अध्यापकों एवं 150 कार्यरत अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 287.7 तथा 290.5 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 17.21 तथा 16.1 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.455 पाया गया। जो कि मुक्तांश 298 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी'।

2 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्यमान,मानक विचलन,टी मान को दर्शाने वाली तालिका-2

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	284.2	14.96	1.446	असार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	287.85	15.92		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 284.2 तथा 287.85 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 14.96 तथा 15.92 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.446 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात् 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी'।

3 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताके मध्यमान,मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका- 3

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत शहरी अध्यापकों	75	295	13.85	1.141	असार्थक
कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं	75	292.24	15.71		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 3 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं 75 कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 295 तथा 292.24 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.85 तथा 15.71 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 1.141 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से कम है। अर्थात् 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी'।

4 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताके मध्यमान,मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका-4

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों	75	284.2	14.96	3.209	सार्थक
कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं	75	289.43	15.71		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं 75 कार्यरत शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 284.2 तथा 289.43 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 14.96 तथा 15.71 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 3.209 पाया गया। जो कि मुक्तांश 148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात् 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी'।

5 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलताके मध्यमान,मानक विचलन, टी मान को दर्शाने वाली तालिका-5

समूह	अध्यापकों की संख्या	प्राप्ताको का मध्यमान	मानक विचलन	टी का मान	सार्थकता
	N	M	SD	T value	df 148
कार्यरत शहरी अध्यापकों	75	295	13.85	2.934	सार्थक
कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं	75	287.85	15.92		

(0.05 सार्थकता स्तर)

उपरोक्त तालिका 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के 75 कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं 75 कार्यरत ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता संबंधी फलांकों का मध्यमान क्रमशः 295 तथा 287.85 एवं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 13.85 तथा 15.92 प्राप्त हुआ। 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता के मध्य सार्थक अन्तर की जाँच के लिए t परीक्षण का प्रयोग किया गया गणना के पश्चात परिगणित t परीक्षण का मान 2.934 पाया गया। जो कि मुक्तांश

148 पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणिक मान 1.96 से अधिक है। अर्थात् 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी'।

निष्कर्ष:

1. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी।

2. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी'।

3. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को स्वीकृत किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे समानता पायी गयी।

4. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को अस्वीकृत किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत ग्रामीण अध्यापकों एवं शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी तथा ग्रामीण अध्यापकों की अपेक्षा शहरी अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता अधिक पायी गयी।

5. निष्कर्ष के रूप में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में सार्थक अंतर पाया गया। अतः इससे सम्बन्धित शून्य परिकल्पना 'अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं

की शिक्षण प्रभावशीलता में कोई सार्थक अंतर नहीं होता है' को अस्वीकृत किया जाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शहरी अध्यापकों एवं ग्रामीण अध्यापिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता में मे असमानता पायी गयी तथा ग्रामीण अध्यापिकाओं की अपेक्षा शहरी अध्यापकों की शिक्षण प्रभावशीलता अधिक पायी गयी।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. अवरथी, डी. (2013) . केन्द्रीय, नवोदय तथा उ० प्र० बोर्ड संचालित विद्यालयों के शिक्षक-शिक्षिकाओं की प्रभावशीलता तथा प्रतिबद्धता का तुलनात्मक अध्ययन (अप्रकाशित). (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि०, कानपुर, भारत।
2. अवरथी, यू. (2013) . माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों और शिक्षिकाओं की शिक्षण प्रभावशीलता एवं कार्य सन्तुष्टि का उनके शैक्षिक अनुभव के सन्दर्भ में अध्ययन (अप्रकाशित). (एम. फिल . की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि०, कानपुर, भारत।
3. गोयल, एस. (2014) प्राथमिक विद्यालय में अध्यापनरत नियमित शिक्षकों एवं शिक्षामित्रों की कार्यसन्तुष्टि का उनकी शिक्षण प्रभावशीलता पर प्रभाव का अध्ययन (अप्रकाशित). (एम. फिल . की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि०, कानपुर, भारत।
4. कुमार, एस. (2015) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं में आत्मविश्वास एवं शिक्षक प्रभावशीलता (अप्रकाशित). (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि०, कानपुर, भारत।
5. तिवारी, एस. (2017) . वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं के तनाव एवं शिक्षक प्रभावशीलता के सम्बन्ध का अध्ययन (अप्रकाशित). . (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि०, कानपुर, भारत।
6. यादव, वी. (2015) माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं में शिक्षक प्रभावशीलता एवं आकांक्षा स्तर का तुलनात्मक अध्ययन. (अप्रकाशित). (एम. एड. की उपाधि हेतु लघु शोध-प्रबन्ध). शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज वि०वि०, कानपुर, भारत।
7. राव गौरव एवं सिंह सृष्टि (2020) माध्यमिक स्तर पर अध्यापनरत् शिक्षकों की शिक्षक प्रभावशीलता का अध्ययन शिक्षा शोध मंथन Shiksha Shodh Manthan A Half Yearly International Refereed Journal of Education Vol.4, No.1(A), April 2020 ISSN : 2395-728X

निमाड़ का नामकरण एवं ऐतिहासिकता के संदर्भ में

डॉ. मोतीलाल अवाया*

* सहा. प्राध्यापक (इतिहास) शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, संधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – भारत के मध्य में स्थित होने के कारण मध्यप्रदेश अपने नाम को चरितार्थ करता है इसकी भौगोलिक स्थिति 18°-26°.30 उ. अक्षांश 74°-84°.30 उ.पू. देशांतर के मध्य है। देश के 7 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार से इसकी सीमा मिली हुई है। वर्तमान मध्य प्रदेश स्वातन्त्र्योत्तर भारत की देन है। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंसेज और बरार एक प्रांत आवश्य था, किंतु उसकी सीमाएं आज के मध्यप्रदेश से नितान्त भिन्न थी। महाकौशल तथा बरार के जिले इसके अंतर्गत थे। इसके बीच-बीच में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ की रियासतें थी। उत्तर तथा पश्चिम में अन्य छोटी-छोटी रियासतें थी, जो सम्मिलित रूप से सेंट्रल इंडिया के नाम से जानी जाती थी। सन् 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड, छत्तीसगढ़, की रियासतों को मिलाकर मध्यप्रदेश का राज्य बना जो एक पार्ट 'ए' स्टेट थी। इसकी राजधानी नागपुर थी। उसी समय उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश पार्ट 'सी' स्टेट तथा पश्चिम की रियासतों को जोड़कर मध्य भारत नामक पार्ट 'बी' स्टेट बनी। भोपाल पृथक राज्य था जो पार्ट 'सी' स्टेट थी भारत के मध्य में अवस्थित मध्यप्रदेश सतपुड़ा और विंध्यचल पर्वतमालाओं के मध्य स्थित ही नर्मदा सबसे प्रमुख नदी है। मध्यप्रदेश भारत का प्रमुख राज्य है यह प्रदेश 6 सांस्कृतिक क्षेत्र मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल एवं चंबल में विभक्त है।

नर्मदा तट पर स्थित माहिष्मती के परवर्ती प्रदेश या 'निमाड़' का प्राचीन नाम अनूप था इसे गौतमीबलश्री के नासिक अभिलेख में अनूप देश के सातवाहन नरेश गौतमी (द्वितीय शती ई.) के विशाल राज्य का एक अंग बताया गया है। कालिदास ने इंदुमती के स्वयंवर के प्रसंग में माहिष्मती नरेश प्रतीत को अनूपराज कहा है।

'ताम्रतस्तामरसान्तराभामनूराजस्यगुणैरनूनाम् विधायसृष्टिं ललितां

विधातुर्जगाद भूयः

सुदतीं सुनन्दा।'

रघुवंश में इस प्रकार माहिष्मति का वर्णन है। गिरनार स्थित रुद्रदामन के प्रसिद्ध अभिलेख में इस प्रदेश को रुद्रदामन द्वारा विजित बताया गया है

'स्ववीर्यार्जितानामनुरक्त प्रकृतिनां आनर्त सुराष्ट्र श्वभ्रभरुकच्छ

सिंधुसौबीर

कुकुरापरान्त निषादादीनाम्'

अनूप या अनूप का शाब्दिक अर्थ 'जल के समीप' स्थित देश है।

मध्यप्रदेश के पश्चिमी अंचल में स्थित एक हिस्सा 'निमाड़' कहलाता है। पौराणिक काल में अनूपदेश कहलाने वाला यह एक भाग था। जिसका प्रागैतिहासिक काल से वर्तमान तक का इतिहास महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायी रहा है।

निमाड़ नाम का इतिहास भी अत्यंत विवाद पूर्ण है। पद्मश्री राम नारायण उपाध्याय के अनुसार 'निमाड़' नाम का अनुमान है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत का का संधि स्थल होने से आर्य, अनार्यों की मिश्रित भूमि रहा होगा और इसी नाते इसका नाम 'निमार्य' (नीम आर्य) पड़ा होगा। नीम का अर्थ भी निमाड़ी में 'आधा' होता है इसी 'निमार्य' का नाम बदलते बदलते 'निमार' और 'निमाड़' हो जाना स्वाभाविक है।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि निमाड़ मालवा से नीचे की ओर 'बसा' है। मालवा से निमाड़ की ओर आने में निरंतर नीचे की ओर उतरना होता है। इस तरह 'निम्न-गामी' होने से इसका नाम 'निमानी' और उससे बदल कर 'निमारी' और 'निमाड़ी' हो गया होगा।

मेरे विचार अनुसार इसके हिंदू शब्द होने में तनिक भी संदेह नहीं है निमाड़ में प्रवेश करने वाला प्रथम मुसलमान शासक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। जो 1291 ईस्वी में यहां आया यदि 'निमाड़' मुसलमानी नाम होता, तो इस भाग का नाम सन 1291 के पश्चात ही पढ़ना चाहिए था। जबकि 11वीं शताब्दी में आने वाले अरब यात्री अलबरूनी ने भी अपने यात्रा वर्णन में इस प्रदेश का नाम 'निमाड़' प्रांत लिखा है।

कुछ लोग इसका पूर्व नाम 'नीमवाड़' प्रांत बतलाते हैं। जिसका अर्थ है नीम (एक वृक्ष) का प्रदेश इस प्रदेश में नीम के अधिक वृक्ष देखकर इसके नामकरण के संबंध में यह अनुमान लगाया जाता है।

यद्यपि यह तर्क अधिक पुष्ट है। फिर भी संतोषजनक नहीं जान पड़ता। इस संबंध में 'भवतीकृत' उत्तररामचरितम की कुछ पंक्तियां भी विचारणीय है। विंध्य के समीप जाने पर लक्ष्मण ने सीता से कहा-

'एष विघ्नयाटवीमुखे विरोधसरोधः।'

अर्थात् धरती माता के निम्नांचल में बसा होने से ही इसका नाम यनिमाड़ पड़ा होगा।

कुछ लोग फारसी के 'नीम' शब्द से 'निमाड़' बनाना बताते हैं उनके मतानुसार फारसी में 'नीम' का अर्थ 'आधा' होता है। इस भूभाग ने नर्मदा नदी का 'आधा' भाग अपने आंचल में छुपा रखा है। इसलिए इसे 'निमाड़' कहते हैं।

दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि 'निमाड़' मालवा राज्य का दक्षिणी

भाग है। जिसे हम 'निम्न भाग' भी कह सकते हैं 'वाड़' का अर्थ 'स्थान' है। जैसा कि हम भारवाड़, काठियावाड़ आदि नाम से देखते हैं। अतः इसके पूर्व का नाम 'निम्नवाड़' होना चाहिए जो लोकवाणी में 'निमाड़' हो गया है।

निमाड़ की भूमि एक ऐसे स्थान पर है। जहां कई जातियों और जनजातियों की संस्कृतियाँ आयी और गयी। आर्य, अनार्य, शक, शीथियन, सातवाहन, राजपूत, मुगल, मराठा आदि संस्कृतियों के इस स्मृति चिन्ह यहां के जनजीवन कला और वाचिक परंपरा के अवशेष के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं।

प्रांत निमाड़ के संबंध में निश्चित रूप से कुछ ज्ञात नहीं है। किंतु यह अनुमान लगाया जा सकता है, कि पुराने प्रांत 'निमाड़' का यह नाम ऐसा इसलिए पड़ा था कि नर्मदा नदी पर स्थित 'नेमावर' नामक स्थान (जो अब देवास जिले में है) प्रांत निमाड़ की राजधानी था। प्रसिद्ध अरबी लेखक

अलबरूनी ने भी 'नेमावर' का उल्लेख 'नामावर' के नाम से किया है। 'निमाड़' नाम कतिपय पुस्तकों में 'निमाउड़' के रूप में भी लिखा गया है। कालांतर में तथा कई अवस्थाओं से गुजरने के बाद 'नीमाउड़', 'नेमावड़' या 'निमाड़' नाम सरल रूप में निमाड़ हो गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. विजयेंद्र कुमार माथुर : ऐतेहासिक स्थानावली
2. ई.सी. सचौ : अलबरूनी इण्डिया
3. सी.पी. एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट
4. रामनारायण उपाध्याय : निमाड़ का सांस्कृति इतिहास
5. ज्ञान सम्पदा : म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी
6. डॉ. प्रमिला कुमार : म.प्र. एक भौगोलिक अध्ययन
7. रघुवंश

मेघदूत में प्रयुक्त दार्शनिक तत्त्व

डॉ. गरिमा शर्मा *

* सहायक आचार्य (विद्या संबल योजना के तहत), राजकीय कन्या महाविद्यालय, राजसमन्द (राज.) भारत

प्रस्तावना - देववाणी के सनातन शृंगार महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय के रससिद्ध कवीश्वर हैं। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति का प्रधान संवाहक होता है, अतएव साहित्य में किसी भी देश की संस्कृति का प्रतिबिम्ब होना नितान्त स्वाभाविक है। संस्कृति के समुचित प्रसार एवं प्रचार के दृष्टिकोण से महाकवि का समग्र काव्य अखण्ड शिव सन्देश है। लोक कल्याण एवं राष्ट्रमंगल की मधुमय पयस्विनी प्रवाहित करने वाले ऐसे महान क्रान्तदर्शी मनीषी कवि की कृतियों में संस्कृति के प्राणभूत आध्यात्मिक तत्त्वों का सागर है। 'दर्शन' भारतीय मनीषियों की आत्मनिधि है, महामनीषी कालिदास का काव्य भी तत्त्वपर्येषणा से युक्त है।

'काव्य' और 'दर्शन' दोनों ही जीवन के चरमलक्ष्य आनन्दानुभूति की प्रतिपत्ति में पर्यवसित दृष्टिगोचर होते हैं, क्योंकि जीवन में दुःख-सुख का अबाध नेमिचक्र और विश्व की अत्यन्त विषमता मनुष्यमात्र को विश्व के मूल सत्य की पर्येषणा के लिए अभिप्रेरित करती है।

'कविर्मनीषीपरिभूः स्वयम्भूः'¹ की चरितार्थता भी इसी में निहित है कि क्रान्तदर्शी कवि न होकर केवल सहृदयजनों के रंजनार्थ, प्रत्युत लोककल्याण की मंगलभावना से भावित होकर भी काव्य की सृष्टि करे और उसकी यह मंगलकामना ऐहिक - अभ्युदय एवं आमुष्मिक निःश्रेयस् का मूलाधार बने।

यद्यपि महाकवि कालिदास की कृतियों में समुपलब्ध दार्शनिक तत्त्वों का विश्लेषणात्मक विवरण सर्वाधिक रघुवंशम् व कुमारसम्भवम् में ही किया गया है तथापि 'मेघदूतम्' खण्डकाव्य में भी दर्शनशास्त्र की कतिपय अवधारणाओं / अंगों का विवेचन किया गया है।

मेघदूत में आए दार्शनिक तत्त्वों का विवरण इस प्रकार है-

प्रमाण मीमांसा → अनुमान प्रमाण

महाकवि कालिदास ने अनुमान प्रमाण के सम्बन्ध में 'मेघदूत' खण्डकाव्य के 'उत्तरमेघ' में अनुमान शब्द का प्रयोग किया है। अनुमान शब्द का प्रयोग करते समय 'तर्क' व 'शङ्के' पद का व्यवहार किया है। शास्त्रों में अनुमान विद्या के लिए 'तर्क' शब्द का प्रयोग किया जाता है। यतर्क' शब्द का प्रयोग पर्याप्त प्राचीन है।²

महाकवि कालिदास को स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान के भेद से अनुमान प्रमाण का द्वैविध्य मान्य है। अपने ज्ञान का निमित्त जो अनुमान है, वह स्वार्थानुमान है तथा जब कोई स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे को उसका बोध कराने के लिए पंचावयवसम्पन्न अनुमान का प्रयोग करता है, वह परार्थानुमान है।

कवि ने 'उत्तरमेघ' में शाप के कारण विरहि नायिका की तुलना पाले

की मारी कमलिनी की तरह की है।³

कविकृत इस श्लोक में पंचावयव सम्पन्न परार्थानुमान का स्पष्ट रूप से निर्धारण एवंविधा किया जा सकता है।

नायक (साध्य)

शाप के दुर्वह दिवस (हेतु)

जब-जब सूर्य की किरणों से विकसित

होना- अर्थात् कमलिनी (अन्वयव्याप्ति)

जब-जब पाले की मार पड़ने से

कमलिनी का मुझा जाना (व्यतिरेकव्याप्ति)

नायकी नायक का प्राण है। (उपनय)

नायकी नायक का प्राण नहीं है। (निगमन)

इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने उत्तरमेघ में नायक (यक्ष) के माध्यम से नायिका (यक्षिणी) की मनोव्यथा को अनुमान प्रमाण के द्वारा ही ज्ञात किया है। अनुमान प्रमाण के लिए 'शङ्के' पद का प्रयोग दृष्टिगत है।

श्लोक में नायक (यक्ष) के द्वारा अभूतपूर्व वियोग के कारण यक्षिणी की दीन-दशादि का मेघ के समक्ष अनुमान किया गया है।

प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप - कालिदास ने प्रमाण के रूप में अन्तःकरण की वृत्ति का उल्लेख किया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार-इन चार वृत्तिरूपों में विभाजित मन को ही 'अन्तःकरण' संज्ञा दी जाती है। अन्तःकरण अज्ञानजन्य होने के कारण जड़ - स्वभाव है, इसलिए, चिदात्मा के प्रतिबिम्ब के कारण उसमें क्रियाशीलता आती है। चिति का यह प्रतिबिम्ब जब सत्त्वबहुला (प्रसन्न) बुद्धि में पड़ता है। तभी बुद्धि चित्तिच्छायापन्न होकर सचेष्ट हुआ करती है।

'गम्भीरायाः पर्याप्तं सरितश्चेतसीव प्रसन्ने ।

छायात्माडिप प्रकृतिसुभगो लप्स्येते ते प्रवेशम्॥'

अन्तःकरण की शुद्धता - हे सज्जन । बान्धव - स्नेह के कारण युद्ध से विरत बलराम ने अपनी इच्छित स्वादवाली अपनी प्रिया के नेत्रों के प्रतिबिम्ब से चिह्नत मदिरा को छोड़कर जिस सरस्वती के जल का सेवन किया था। तुम भी उस जल का सेवन (पान) करके निर्मल अन्तःकरण वाले होकर केवल रूप से (न कि हृदय से भी) श्यामरंग के हो जाओगे पवित्र स्थलों और पवित्र नदियों के सम्पर्क से भी अन्तःकरण की पवित्रता आती है।

'हित्वा हालामभिमतरसां रेवतीलोचनाङ्कां
बन्धुप्रीत्या समर-विमुखो लाङ्गली याः सिषेवे।
कृत्वा तासामनिगममपां सौम्य सारस्वतीना-

मन्तः शुद्धस्त्वमपि भविता वर्णमात्रेण कृष्णः॥⁶

परमतत्त्व की संधारणा

'पुण्यं यायस्त्रिभुवनगुरोधचण्डीश्वरस्या'

(शिव ही त्रिभुवन के गुरु हैं)

परमतत्त्व विवेचन के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि कालिदास को अद्वैत अभीष्ट है। महेश्वर (शिव) के रूप में इस अद्वय तत्त्व का ग्रहण उन्होंने किया है।

वेदान्त श्रुति में जिसे एकमेवाद्वितीयम् के रूप में कहा गया है जो घावा पृथ्वी को व्याप्त किए हैं वह जिस एक मात्र को लक्ष्य करके प्रवर्तित ईश्वर शब्द सार्थक है वही तत्त्व ही शिव शब्द से अभिहित है।

मोक्ष तत्त्व - अपने-अपने पुण्य फल से जीव आनन्दमय मोक्षप्राप्त होता है। पुण्यों की अवस्था के अनुसार मार्ग के अनेक लोकों की कल्पना भारतीय दार्शनिक एवं पौराणिक परम्परा में है। इसी दृष्टि से पुण्य-क्षय से पृथ्वी लौट आना भी मान्य रहा है।

'स्वल्पीभूतं सुचरि स्वर्गिणां गां गतानां ।

शैबैः पुण्यै हतमिव दिवः कान्तिमत्खण्डमेकम्'⁷

पवित्र स्थलों और पवित्र नदियों के सम्पर्क से भी अन्तःकरण की पवित्रता आती है।

'हित्वा.....कृष्णा'⁸

पाप से मुक्ति तस्माद्.....मिहस्ता।⁹

कर्म-मीमांसा : कालिदास ने 'मेघदूत' खण्डकाव्य में जीवन में सुख-दुःख दोनों प्रकार के भोगों का अवश्यसम्भावित्व प्रतिपादन करते हुए कर्मविपाक सिद्धान्त की इस धारणा को सुरस्पष्ट करने की चेष्टा की है कि सभी प्रकार के कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह की भावना से ही किए जाते हैं। किसी प्राणी के प्रति किया गया उपकार अन्य किसी के प्रति अपकार रूप हो सकता है, इसलिए एक ही कर्म से शुभ तथा अशुभ दो संस्कार बनते हैं। प्रत्येक प्राणी

को कर्मजन्य शुभाशुभ संस्कारों के कारण ही सुख-दुःख दोनों ही प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं। मेघदूत में यह संकेत प्राप्त होता है कि सारे कर्म अविद्यादि पंचक्लेशपूर्वक किए जाने के कारण ही कर्माशयों को उत्पन्न करते हैं और उन कर्माशयों का फल जन्म, जीवनावधि तथा सुख-दुःख भोग रूप ही होता है।

कस्यैकान्तं.....चक्रनेमिक्रमेण ॥¹⁰

निष्कर्ष : निष्कर्षतया कहा जा सकता है कि काव्य के आत्मभूत रसानुभूति को अबाध रखते हुए भी दार्शनिक विचारों की स्फुट अभिव्यक्ति करना महाकवि की ही विलक्षण काव्य प्रतिभा का नैसर्गिक वैशिष्ट्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. ईशा. उ. 8
2. 'नैषा तर्केण मतिरापनेया। कठ. उ. 1/2/9 यस्तर्केण अनुसन्धत्तो स धर्म वेद नेतरः। मनु. 12 / 106 तर्कप्रतिष्ठानात्। सू. 2/1/11
3. तां जानीथाः परिमितकथां जीवितं में द्वितीयं । दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकी मिवैकाम्। उत्तरमेघ 2.0 गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु गच्छत्सु बालां । जातां मन्ये शिशिरमथितां पथिनीं वान्यरूपाम्।
4. सव्यापारामहनि न तथा पीडयेन्मद्वियोगः शङ्के रात्रौ गुरुतरशुचं निविनोदां सखीं ते। मत्सन्देशैः सुखयितुमलं पश्य साधवीं निशीथे। तामुन्निद्रामवनिशयनां सौधवातायनस्थः । उत्तरमेघ श्लोक - 25
5. पूर्वमेघ श्लोक - 40
6. पूर्वमेघ श्लोक - 49
7. पूर्वमेघ श्लोक - 36
8. (मे. दू. पूर्व 30)
9. (पूर्व मेघ 49)
10. (पूर्व मेघ 50)
11. उत्तरमेघ श्लोक - 44

तनाव प्रबंधन में महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों का अनुपालन

मधु तेकाम* डॉ. मंजु शर्मा**

* शोधार्थी, माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (गृह विज्ञान) माता जीजाबाई शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – वर्तमान में शैक्षणिक स्पर्धा के कारण सफलता और विफलता यह स्थिति अधिक समय रहने पर तनाव का रूप ले लेती है। उसके बारे में सोचकर विद्यार्थी मानसिक रूप से विचलित रहते हैं, तनाव उन घटनाओं के प्रति एक सामान्य शारीरिक मानसिक और मनोविज्ञान प्रतिक्रिया है जो खतरा महसूस कराती है या किसी तरह से व्यक्तित्व को असंतुलित करती है। है, तब तंत्रिका तंत्र की हार्मोन की प्रतिक्रिया बढ़ती है। एक निश्चित बिंदु से उपर तनाव की स्थिति स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता में बड़ा नुकसान पहुँचना प्रारंभ करने लगती है।

तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों और दबावों को तनाव कारक अथवा स्रोत के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः पर तनाव को नकारात्मक माना जाता है, किन्तु शिक्षा के क्षेत्र में कार्य से संबंधित तनाव को अत्यधिक प्रासंगिक माना जाता है। वर्तमान में तकनीकी ज्ञान संचार कौशल, सहानुभूति, शिक्षा प्रद संसाधन-भावनात्मक और पारस्परिक संबंधों का विकास भी शैक्षणिक गतिविधियों में सम्मिलित है। फिर भी उच्च शिक्षा में तनाव वातावरण में कार्य-संबंधी तनाव के लिए शरीर चेतना दृष्टिकोण लागू किया जा सकता है। महात्मा गाँधी द्वारा बताया गया चिंतन मुक्त विचार का पालन करने से तनाव प्रबंध कर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। महात्मा गाँधी जी ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, व्यापक सहानुभूति क्षमा कर्तव्य परायणता जागरूकता एवं उत्तम चरित्र जैसे गुणों को तनावमुक्त जीवन की आवश्यकता माना है।

तनाव को अर्थ– तनाव प्रकृति का एक तथ्य है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले दबाव ताकत व्यक्ति को प्रभावित करती है। या तो उसके भावनात्मक या शारीरिक दोनों। व्यक्ति तनाव के प्रति विभिन्न से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। जो उस व्यक्ति के साथ-साथ पर्यावरण को भी प्रभावित करता है। हमारे आधुनिक जीवन में तनाव को अधिकता के कारण आमतौर पर तनाव के पहलू को अधिक देखा जा रहा है नकारात्मक अनुभव के रूप में सोचते हैं, किन्तु जैविक दृष्टिकोण से, तनाव एक नकारात्मक या सकारात्मक अनुभव भी हो सकता है।

मनोवैज्ञानिक के अनुसार:-

दो प्रकार के तनावों की संकल्पना की गई है।

(क) इयू स्ट्रेस (eustress) जिसका सामान्य अर्थ है, एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण कार्य को करना अर्थात् अपनी ईच्छा से किसी कार्य को चुनना जैसे-कि प्रतियोगी खेल खेलते समय तनाव में होता है। ये सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

(ख) विपत्ति, (distress) किसी कार्य को करते समय अधिक दबाव महसूस होना या अनियंत्रित हो जाना जो एक नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है।

तनाव के कारक:

1. **जीवन की विशेष घटनाएँ और परिवर्तन**– इस श्रेणी में किसी व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएँ सम्मिलित हैं, जो उसके जीवन पर चिरस्थायी समय तक प्रभाव डालती है, मुख्य घटनाएँ एवं बदलाव से व्यक्ति अत्यधिक रूप से प्रभावित होता है।

2. **दैनिक जीवन की परेशानियाँ**– ये वह परेशान करने वाली- निराशापूर्ण व दुःख-दर्द परिस्थिति होती है, जिन का कई व्यक्ति प्रतिदिन सामना करता है। जैसे-वस्तुओं को गलत जगह पर रख देना या उनकी वस्तुएँ गुम हो जाना रख कर भूल जाना।

3. **लम्बे समय तक चिंता**– दीर्घकालिक भूमिका से तनाव जैसे-वैवाहिक जीवन में मुश्किलों का सामना करना, गरीबी में रहना, रोजगार की समस्या घरेलू हिंसा से परेशान, आर्थिक समस्या, आदि।

4. **अशांत कर देने वाली घटनाएँ**– अभिघात से अपेक्षित, भयंकर, अत्यन्त अशांत कर देने वाली घटनाएँ होती है, जो जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। जैसे-प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होना वियोग होना घर से जाकर अलग रहना आदि।

तनाव के प्रति साधारण प्रतिक्रियाएँ:

व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएँ:

1. बार-बार रोना
2. चिड़चिड़ा पन होना
3. अशांत निद्रा का होना
4. बैचेनी होना
5. भय

भावनात्मक प्रतिक्रियाएँ:

1. ईर्ष्या करना
2. क्रोध करना
3. लज्जित होना
4. आत्माघाती विचार करना
5. दोषी महसूस करना

संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएँ:

1. नकारात्मक आत्म संकल्पना
2. आत्म-आश्वासन

3. निराशावादी कथन
4. स्वयं और दूसरों के प्रति निराशावादी सोचना
5. मानसिक विकृति

अंतरवैयक्तिक प्रतिक्रियाएँ:

1. निष्क्रियता
2. झूठ बोलना
3. प्रति योगितात्मकता
4. अलग होना
5. दिखावा करना

जैविक प्रतिक्रियाएँ:

1. हमेशा थकावट रहना
2. शुष्क त्वचा होना
3. भूख न लगना
4. गलत लत लगना
5. उच्च रक्तचाप का बढ़ना या अन्य रोग होना

तनाव के लक्षण:

तनाव के भावात्मक लक्षण:

1. असानी से उत्तेजित हो जाना, बेचैनी, निराश और मूड़ी होना
2. नियंत्रण खोना या दूसरों को नियंत्रित करने की आवश्यक महसूस होना
3. मन को शांत रखने में कठिनाई होना
4. छोटी-छोटी बातों में चिंता करना या परेशान होना
5. विचारों का जल्दी-जल्दी बदलना या ध्यान केन्द्रित करने में परेशानी होना
6. जल्दी भूल जाना या याद रखने में दिक्कत होना
7. फैसले लेने में परेशानी होना
8. निराशावादी होना या केवल नकारात्मक पक्ष को सोचना
9. अपने बारे में बुरा (कम आत्मसम्मान) सोचना अकेला-बेकार और उदास होना
10. दूसरों से बचना
11. जिम्मेदारी से भागना

तनाव के शारीरिक लक्षण:

1. थकान महसूस करना
2. सिरदर्द होना
3. दस्त-कब्ज और मतली या पेट की खराबी होना
4. भूख में परिवर्तन, काम या अधिक होना
5. शरीर में दर्द और माँसपेशियों में तनाव होना
6. सीने में दर्द और दिल की धड़कन तेज होना
7. अनिद्रा या सोने में मुश्किल होना
8. घबराहट, शरीर में कम्पन का होना

तनाव प्रबंधन-उपचार

1. **समय प्रबंधन-** कार्यों की एक सूची बनाकर उन्हें प्राथमिकता देना तथा कम महत्वपूर्ण कार्यों की अपेक्षा अत्यावश्यक कार्यों को प्राथमिकता देना।
2. **नियमित व्यायाम-** व्यायाम से कई लाभ मिलते हैं। यह रक्त संचार को बढ़ाता है, माँसपेशियों को मजबूत करता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है संगीत नृत्य खेलकूद एवं अन्य

मनोरंजनात्मक गतिविधि में संलग्नता।

3. परिवार के साथ समय बिताना- अपने प्रियजनों को गुणवत्तापूर्ण समय देकर अपने परिवारिक रिश्तों को मजबूत करें एक साथ गतिविधियों में शामिल होने से परिवार में एकता बढ़ती है, जो चुनौति पूर्ण समय के दौरान भावनात्मक समर्थन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

4. आराम करना और आत्म-देखभाल करना- अपने पसंदीदा शौक जैसे सैर पर जाना या फिल्म देखना आदि करके तनाव मुक्त होना

5. दोस्तों के साथ रहना- दोस्तों को बढ़ावा देना क्योंकि वे भलाई के लिए आवश्यक हैं। चुनौतियों का सामना भरोसेमंद दोस्तों पर भरोसा करना जो सहायता करते हैं।

6. आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्नता - यदि आप धार्मिक हैं, तो अपनी आध्यात्मिक भलाई को मजबूत करने के लिए प्रार्थना और धर्मग्रंथ पढ़ने के लिए समय व्यतीत करना।

7. खाने-पीने के आदत पर ध्यान देना- चाय-शराब और धूम्रपान का अत्यधिक सेवन से चिंता और भावना का बढ़ना आरामदायक नींद के लिए शाम को इन पदार्थों को पीने से बचना चाहिए।

महात्मा गाँधी जी के अनुपालन में तनाव प्रबंधन के सिद्धान्त- गाँधी जी ने मानव हृदय में परिवर्तन करने और उसे आध्यात्मिक दिशा में जोड़ने के लिए प्रार्थना का महत्व स्वीकार किया है। अचूक मनोवैज्ञानिक संस्कार हैं। उनका मत है कि मनुष्यों के बीच ऐकता की भाव पैदा करने लिए ही आध्यात्मिक शांति जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सबल साधना नहीं है।

1. जन शिक्षा के तहत गाँधी जी ने विद्यार्थियों एवं समस्त सेवकों को क्षमताओं के अनुकूल शिक्षित करने और समुचित शिक्षा देने की सलाह दी थी।
2. मनोवैज्ञानिक धारणाएं भारतीय संस्कृति के शाश्वत तत्वों पर आधारित हैं, सामान्य ज्ञान की जानकारी, पढ़ने की योग्यता को दबाना ठीक नहीं।
3. अपनी मनोवैज्ञानिक धारणाओं जैसे-त्याग, तपस्या संतोष आदि धारणाओं को कभी निषेधात्मक नहीं माना।
4. मनुष्य विश्वात्मा के साथ एकता स्थापित करता है उसे अपने अनुक्रम मारना होगा।
5. अहिंसा, सत्य और संयम का पालन करते समय सरल जीवन व्यतीत करना चाहिए।

महात्मा गाँधी ने तनाव के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान आकर्षण किया है। उनके अनुसार तनाव कारण देखे तो यह हमें कठिनाईयों से भरे जीवन से निकालने में साहसपूर्ण कार्यों पर जीत दिलाने में सहायक है।

उपसंहार- यदि विद्यार्थी महात्मा गाँधी के इन सिद्धान्तों का अनुपालन करें तो उन्हें तनाव की दूर करने में प्रेरणा मिलेगी

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. <https://hi.wikspedia.in/health/mental-health>
2. महात्मा गाँधी - विद्यार्थियों के शैक्षिक संतुष्टि एवं तनाव
3. <https://www.swastikmedicalcenter>
4. <https://www.singhealth.com.sg/patient->
5. गाँधी जी के मनोवैज्ञानिक-शैक्षणिक विचार की उपादेयता
6. Research methology-CR.kothari&Gourav Garg, publication New AgInter-national(p)LTD Publishers.

नगरीय विवाहित महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. पूजा तिवारी*

* सह प्राध्यापक एवम विभागाध्यक्ष (समाजशास्त्र) शासकीय महाविद्यालय, बिछुआ, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – प्रत्येक समाज चाहे वह कितना ही सभ्य कहलाने लगे, परन्तु अपराध एवम हिंसा का अस्तित्व किसी न किसी रूप में वह अवश्य होता है, किसी भी समाज की सामाजिक संस्थाओं में परिवार नामक संस्था का विशेष महत्व है, जब परिवार की परिधि में पुरुष महिलाओं के प्रति असामाजिक और कानून विरोधी व्यवहार करता है तो उसे 'दुर्क्यवहार' कहा जाता है, किन्तु जब यह दुर्क्यवहार बढ़ जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। भारतीय समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक संस्थाओं पर पीडीए है, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा एक गंभीर समस्या है, घरेलू हिंसा कानून 2005 पारित एवम लागू होने के बाद भी पारिवारिक हिंसा के प्रकरणों में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है पति-पत्नी में तनाव की स्थिति का खामियाजा पत्नी को महंगा पड़ता है और यह स्थिति घरेलू हिंसा को जन्म देती है, पारिवारिक हिंसा को परिवार का निजी मामला मानते हुए लगभग पूर्ण रूपेण छिपा कर रखा जाता रहा है किन्तु महिलाओं की प्रस्थिति में सुधार होने एवम शिक्षा के कारण एवम महिलाओं के सहस के कारण पारिवारिक हिंसा के मामले बाहर तक आ रहे हैं जिससे पता लगता है की यह हिंसा बहुत व्यापक है, पारिवारिक हिंसा महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा का प्रमुख रूप है।

शब्द कुंजी – महिला, हिंसा, नगरीय, घरेलू, उत्पीडन।

प्रस्तावना – पारिवारिक हिंसा से आशय एक परिवार के सदस्य या सदस्यों द्वारा परिवार के ही किसी सदस्य के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार करना या उसे शारिरिक, मानसिक कष्ट पहुंचाना है, यह हिंसा धमकी, भयभीत करना, गली देना, लात घुंसों से पिटाई करना उत्पीडन करना, प्रताड़ित करना, जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाना, हत्या करना या हत्या की कोशिश करना किसी भी रूप में संभव हैं यह अक्सर महिलाओं के विरुद्ध ही की जाती है।

शोध प्रारूप – प्रस्तुत शोध पात्र में छिन्दवाड़ा नगर के कुल 50 नगरीय विवाहित महिला सुचना दात्रियों के साक्षात्कार, अनौपचारिक बातचीत, अनुसूची द्वारा प्राथमिक आकड़ों का का संकलन करके व्याख्यात्मक शोध अभिकल्प अपना कर विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, अन्य स्रोत के अंतर्गत विभिन्न पुस्तकें, लेख, समाचार पात्र, इन्टरनेट को रखा गया है।

उद्देश्य:

1. नगरीय विवाहित महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति की जानकारी ज्ञात करना।
2. हिंसा के स्वरूपों की जानकारी लेना।
3. परिवार के अन्य सदस्यों के दृष्टिकोण को जानना।
4. पारिवारिक हिंसा के कारणों को जानना और हिंसा रोकने में सहायक बिन्दुओं पर विचार करना।

तालिका 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

तालिका 1 से स्पष्ट होता है की नगरीय विवाहित महिलाओं में 82 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी प्रकार से पारिवारिक हिंसा का सामना करती हैं जबकि 18 प्रतिशत महिलाये इससे मुक्त हैं। यदि आर्थिक वर्ग की

बात करें तो निम्न वर्ग की महिलाएं सर्वाधिक हिंसा से पीडित हैं अर्थात हिंसा का मूल कारण गरीबी है।

अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पति ज्यादा हिंसा करते है इसी प्रकार 21 से 42 वर्ष उत्पीडक वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। नसे के सन्दर्भ में पाया गया की पुरे होशोहवास में रहने वाले ज्यादा हिंसा करते हैं, नगरीय सन्दर्भ में प्रथम प्राथमिकी दर्ज करवाने हेतु 60 प्रतिशत महिलाएं इसे स्वीकार करती हैं जबकि 40 प्रतिशत महिलाएं ऐसा नहीं चाहती हैं। इस तालिका से साफ पता चलता है की उत्पीडन का स्वरूप सर्वाधिक शारीरिक ही होता है जो 70 प्रतिशत महिलाओं ने स्वीकार किया है। इस प्रकार से कहा जा सकता है की घरेलू हिंसा में पति के साथ साथ सास, जेठानी, नन्द, देवर सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं।

हिंसा के प्रमुख कारणों में दहेज की मांग, बाँझपन, शक करना, चरित्र हनन, अहंकार, गरीबी और पारिवारिक दबाव तथा रूप रंग भी शामिल होता है।

इस समस्या के समाधान हेतु आवश्यक है की नगरीय क्षेत्रों में संचालित परिवार परामर्श केंद्र, पुलिस थाने, एन.जी.ओ. एवम वन स्टॉप सेंटर अपना कर्तव्य गंभीरता से और मुस्तैदी से करें, इसके अलावा शिक्षा, और पुरुष मानसिकता में परिवर्तन हेतु प्रयास, काउंसलर सेंटर में वृद्धि करना जरूरी है, स्वयम महिलाओं को भी मुखर होना पड़ेगा क्योंकि खुद की लड़ाई स्वयम लड़ना होगा, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा, समस्त कानून की जानकारी रखना होगा, महिलाओं को हमेशा सतर्क और सावधान रहना पड़ेगा, अपने निर्णय स्वयम लेना होगा और सबसे पहले आर्थिक रूप से

सशक्त बनना होगा तभी सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा अब समय की मांग है की महिलाये किसी भी प्रकार की हिंसा को सहन न करे ,उसके विरुद्ध आवाज उठाएं क्योंकि आज के समय में भी महिलाये घरेलू हिंसा का शिकार बनती रहे, यह किसी भी सभ्य समाज ,समुदाय के लिए स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आहूजा ,राम ,भारतीय सामाजिक व्यवस्था ,रावत पब्लिकेशन्स दिल्ली।
2. आहूजा,राम, Crime Against Women,रावत पब्लिकेशंस ,जयपुर।
3. अग्रवाल ,अमित ,भारत में नगरीय समाज , विवेक प्रकाशन ,दिल्ली।
4. दैनिक भास्कर, मधुरिमा।
5. इन्टरनेट, द्रष्टि आई .ए .एस .घरेलू हिंसा यकारण और समाधान, मार्च 2020.

तालिका 1: सूचना दार्त्रियों की सामाजिक ,आर्थिक ,आयु ,शिक्षा ,उत्पीडन ,व्यसन सम्बन्धी जानकारी

क्र	सम्बन्धित परिवर्तन	आवार्तियाँ / प्रतिशत	आवार्तियाँ / प्रतिशत		समस्त प्रतिशत
1	पारिवारिक हिंसा की स्थिति	पारिवारिक हिंसा से पीडित महिलाये 41 (82 %)	पारिवारिक हिंसा से मुक्त महिलाएं 09(18 %)	-	योग 50 (100%)
2	आर्थिक वर्ग	उच्च 09 (18%)	मध्यम 18 (36%)	निम्न 23 (46%)	50 (100 %)
3	उत्पीड़क आयु वर्ग	18-21 वर्ष = 11 (22 %)	22 -42 वर्ष =37 (74%)	43 से अधिक =2 (4 %)	50 (100%)
4	पति का शैक्षणिक स्तर	प्राथमिक =26(52 %)	माध्यमिक /इंटर =20(40%)	उच्च शिक्षित =4 (8 %)	50 (100 %)
5	मध् व्यसनी	उच्च नशा 2 (4 %)	मध्यम नशा 17 (34 %)	होशोहवास (कोई नशा नहीं ,31 (62 %)	50 (100 %)
6	प्रथम प्राथमिकी दर्ज करवाना	हाँ =30 (60 %)	नहीं 20 (40 %)	-	50 (100 %)
7	उत्पीडन का स्वरूप/ प्रकार	शारिरिक35 (70 %)	मानसिक 15 (30 %)	-	50 (100 %)

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियां (बड़वानी जिले के विशेष संदर्भ में)

दिनेश भुगवाडे*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - किसी भी समाज में महिलाओं का विकास महत्वपूर्ण है शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती हैं एवं किसी भी शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने में सफल होती हैं महिलाओं के विकास के लिए विश्वव्यापी राष्ट्रीय प्रचार और जागरूकता कार्यक्रम चलाना अति आवश्यक है जिसमें समाज और राष्ट्र के स्वरूप एवं संतुलित विकास में महिलाओं की भूमिका और उसकी उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता है क्योंकि एक महिला अपने बच्चों के व्यक्तित्व एवं चरित्र को जिस रूप में ढालती हैं जैसा आकार प्रदान करती है वैसा ही राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है देश में महिलाएं लगभग 50 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं जो कि समाज का बहुमूल्य अंग मानी जाती है कोई समाज महिलाओं में विद्यमान संभावना को अनदेखा कर सकता है जब महिलाएं शिक्षित एवं जागरूक नहीं होती हैं।

अरस्तू के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है सामाजिक प्राणी होने के नाते वह सामाजिक संबंधों की स्थापना हेतु व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना होता है तथा साथ ही वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए समूह के अन्य व्यक्तियों से संपर्क करना होता है साथ ही अन्य व्यक्तियों से क्रिया तथा अन्य क्रियाएं करता है इन सब के बावजूद भी इसे कुछ अभाव बना ही रहता है जिसे विभिन्न समस्याएं जीवन में उभर कर सामने आती हैं।

शब्द कुंजी- अनुसूचित जनजाति, महिलाओं/महिलाएं, जीवन, शिक्षित, जागरूकता।

प्रस्तावना - एक परिवार, समाज और देश के विकास ने महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है लेकिन आज स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की कुछ समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं हम इसके जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर दिखने लगा है अभी भी कुछ अनुसूचित जनजाति ग्रामीण में निवास करती हैं अनुसूचित जनजाति तो नहीं पर जंगलों, पहाड़ों, बिहड़ों में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति अभी भी आधुनिक सभ्यता संस्कृति राजनैतिक जीवन आदि से अछूती है।

लेकिन फिर भी आज हमारे देश में सबसे ज्यादा पतन महिला का ही हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि भारत देश पुरुष प्रधान है यहां समाज में पुरुषों का बोलबाला है यहां पुरुषों को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाती है फिर चाहे वह शिक्षा हो या घर के बाहर निकाल कर उत्पादन करने की आजादी हो इन सभी क्षेत्रों में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है जबकि महिलाओं को इन क्षेत्रों में रोक-टोक का सामना करना पड़ता है शिक्षा से भी महिलाओं को वंचित रखा जाता है घर से बाहर निकाल कर उत्पादन करने की भी स्वतंत्रता नहीं दी जाती है वर्तमान में महिलाओं की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। लेकिन पूर्णतः नहीं।

मेकाइवर और पेज से अपनी कृति 'समाज' में लिखा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है वस्तुतः समाज सामाजिक समस्याओं का भी जाल है। सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विभिन्न समस्याएं विद्यमान रहने के कारण ही इनके समाधान में व्यक्ति अपने के निरंतर लगाए रखना है खासतौर से अन्य समस्याओं तो की जा सकती है किंतु सामाजिक समस्याएं अपने आप में कठिन और जटिल हुआ करती हैं मनुष्य कभी भी

सामाजिक समस्याओं में पूर्णतः मुक्त नहीं रहा है।

ए. एम. रोज ने लिखा है कि सामाजिक समस्या एक ऐसी परिस्थिति है जो किसी समूह के द्वारा अपने सदस्यों के एक स्रोत के रूप में देखी जाती है इसे सामाजिक समस्या प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि यह सामाजिक वातावरण में ही पायी जाती हैं और उत्तरदायी कारणों को इस रूप में देखा जाता है कि वह पर्यावरण में ही मौजूद है। वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज की एक विशेषता रही है। इसके आधार पर हिंदू समाज वर्णों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों में विभक्त था। प्रारंभिक अवस्था में वर्ण के आधार पर ही जातियों का निर्धारण होने लगा पहले से ही समाज के प्रथम तीन वर्ग संपन्न रहे हैं। किंतु चौथे वर्ग प्रारंभ से ही शोषित, दलित, पिछड़ा एवं कमजोर रहा है। अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्यता मानने वाले लोगों को शासन ने कानूनी रूप से अपराधी लोगों को शासन ने कानूनी रूप से अपराधी घोषित किया है। अनुसूचित जनजाति के महिलाओं स्वास्थ्य संबंधी, आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उन्नति के लिए शासन ने अनेक विकास योजनाएं प्रारंभ की हैं। शासकीय नौकरियों में उनके लिए स्थान सुरक्षित दिए गए हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनुसूचित जनजाति को बाहुल्य क्षेत्र को एक विशेष परियोजना के अंतर्गत लाकर जगह-जगह स्कूल खोले गए जो की महिलाओं की सुरक्षा के लिए रात के समयमें भी चलाए जाते हैं। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सरकार की ओर से कई तरह के सुविधा दी जाती है। इन महिलाओं को अनेक उनके स्वास्थ्य तथा स्वच्छता संबंधी जानकारी देने के लिए भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास परियोजना को विकास किया गया है। इसके तहत महिलाओं को स्वास्थ्य

एवं स्वच्छता एवं पौष्टिक पोषक आहार संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए आंगनबाड़ी जैसे अनेक शासकीय केंद्र खोले गए हैं।

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के संस्कारों रीति-रिवाज रहन-सहन एवं कर्मकांड विश्वास आदि को अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। इन महिलाओं के जीवन संबंधी विभिन्न समस्याओं को अध्ययन का प्रमुख अंग बनाया गया है तथा अध्ययन में पूर्णतः निष्पक्षता एवं सतर्कता बढ़ती गई है।

शोध का उद्देश्य:

1. अनुसूचित जनजाति में होने वाले उत्पीड़न में महिलाओं के विचारों का अध्ययन करना।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की पारिवारिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
3. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आवास व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करना।
4. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शैक्षणिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
5. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में निर्धनता एवं पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी प्राप्त करना।
6. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन का अध्ययन करना।
7. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक सजकता एवं अभिरुचि का मूल्यांकन करना।

शोध परिकल्पना :

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में सामाजिक गतिशीलता बढ़ी है।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ हैं।
3. प्रौद्योगिकी के प्रभाव स्वरूप अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में परिवर्तन हो रहा है।

शोध महत्व

सैद्धांतिक महत्व - बड़वानी जिले की वरला तहसील के अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की समस्याओं का सामाजिक स्थिति का अध्ययन निम्नलिखित उपयोगिता पर आधारित है।

1. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के परिवारों में व्याप्त निर्धनता रूढ़िवादिता जैसे रहन-सहन के निम्न स्तर आदि समस्याओं के कारणों की खोज की गई है।
2. अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया है।
3. प्रस्तुत शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में व्याप्त समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय खोजे गए हैं।
4. इस शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के पारिवारिक संरचना विवाह धार्मिक विश्वास आदि विषयों पर भी अध्ययन किया गया है।

व्यावहारिक महत्व :

1. इस शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त समस्याओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. इस शोध कार्य से प्राप्त जानकारी के आधार पर इन्हें दूर करने के

प्रयास में सहायता करना।

3. धार्मिक सामाजिक तथा राजनीतिक सहभागिता की जानकारी से इनसे संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्राप्त होता है।

शोध पद्धति - प्रस्तुत शोध कार्य में शोध रखते हुए निम्नलिखित पद्धतियों का उपयोग किया है।

निर्दर्शन पद्धति :

1. अध्ययन को स्वरूप देने के लिए उद्देश्य परक निर्देशन के अंतर्गत बड़वानी जिले का चयन किया गया है।
2. बड़वानी जिले में रह रहे अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का चयन प्रतिदर्शन के माध्यम से किया गया है।

शोध उपकरण

प्रश्नावली - अध्ययन को स्वरूप प्रदान करने के लिए बड़वानी जिले के क्षेत्र में निवास कर रहे हैं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं से प्रश्नावली के माध्यम से उनकी राय और विचारों को जाने के प्रयास किए गए हैं तथ्य संकलन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया है प्रश्नावली के अंतिम प्रश्न पत्र के रूप में खुला प्रश्न दिया गया जिसके माध्यम से प्रतिभागियों के विचारों को भी शोध में शामिल किया गया है।

अनुसूची - कुछ प्रतिभागियों को प्रश्नावली समझने में समस्या होने के कारण उनसे राय और विचार जानने के लिए प्रश्नावली का उपयोग यहां अनुसूची के रूप में किया गया है।

तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण - प्रस्तुत शोध में अध्ययन के माध्यम से यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की लोकप्रियता और कार्य पद्धति को केंद्र में रखकर यह शोध कार्य किया गया है तथ्यों और आंकड़ों को प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया गया है प्रस्तुत शोध बड़वानी जिले में रहने वाले अनुसूचित जनजाति की महिलाओं पर विशेष रूप से केंद्रित है अध्ययन में जिनमें विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई तथ्य संकलन हेतु 50 से अधिक प्रश्नावली अनुसूची को भरवाया गया है। लेकिन तथ्य विश्लेषण में 50 प्रतिभागियों के मतों को शामिल किया गया है तथ्य संकलन का कार्य अक्टूबर 2024 में किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में कुल 3 प्रश्नों को शामिल किया गया है साक्षात्कार अनुसूची में बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त तथ्यों का अध्ययन हेतु केन्द्र में रखा गया है साक्षात्कार अनुसूची में विकल्प के रूप में हां, नहीं और पता नहीं को तथ्य संकलन हेतु आधार बनाया गया है जो इस प्रकार है।

तालिका क्रमांक - 1

- 1 क्या अनुसूचित जनजाति की महिलाएं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक हैं?

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	हां	20	40%
2	नहीं	25	50%
3	पता नहीं	5	10%
	योग	50	100%

विश्लेषण - तालिका क्रमांक 1 के आंकड़ों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जनजातिकी महिलाएं शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक है कुल 50 उत्तरदाताओं के चुनाव में से 20 (40 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने नकहा है कि हा जागरूकता है जबकि 25 (50 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने

कहा जागरूक नहीं है तथा 5 (10प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा ज्ञात नहीं है।

तालिका क्रमांक -2

अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है?

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	अच्छा	22	44%
2	सहयोगात्मक	15	30%
3	उपेक्षित	13	26%
	योग	50	100%

विश्लेषण- तालिका क्रमांक 2 के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 22(44 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण अच्छा है जबकि 15(30प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण सहयोगात्मक है तथा 13(26प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज के दृष्टिकोण अपेक्षित नहीं है।

तालिका क्रमांक-3

क्र.	न्यादर्श का चयन	संख्या	प्रतिशत
1	हां	24	48%
2	नहीं	22	44%
3	पता नहीं	4	8%
	योग	50	100%

विश्लेषण- तालिका क्रमांक 3 के आंकड़ों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के कार्य करने की दिशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 24(48प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि कार्य करने की दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है जबकि 22(44प्रतिशत) ने कहा कि कार्य करने के संदर्भ में जानकारी नहीं है तथा 4(8प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता है कुल 50 उत्तरदाताओं में से 25% उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज जागरूकता में अभी-अभी कमी है तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण कैसा है के संदर्भ में 50 सदस्यों में से 44 उत्तरदाताओं ने कहा कि समाज का दृष्टिकोण अच्छा है जबकि मनुष्य जनजाति के महिलाओं के कार्य करने के दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है के संदर्भ में कुल 50 सदस्यों में से 48% ने कहा कि कार्य करने की दशाओं के संबंध में नवीन जानकारी है।

सुझाव - अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की सामाजिक चुनौतियों के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

शिक्षा और जागरूकता

1. **शिक्षा के अवसर प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें।

2. **जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि

वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने जीवन में सुधार कर सकें।
आर्थिक सशक्तिकरण

1. **आर्थिक अवसर प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को आर्थिक अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें।

2. **स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए स्वावलंबन कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

सामाजिक समर्थन

1. **सामाजिक समर्थन प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सामाजिक समर्थन प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

2. **सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने जीवन में सुधार कर सकें।

कानूनी संरक्षण

1. **कानूनी संरक्षण प्रदान करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें।

2. **कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना -** अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के बारे में जान सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. बघेल डी.एस. (1990) भारतीय सामाजिक समस्याएं पुस्तक पुष्पराज प्रकाशन, रीवा।
2. तिवारी शिव कुमार (1998) मध्यप्रदेश के आदिवासी, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी।
3. उव्रेती एज. सी. (1970) भारतीय जनजाति ओरिएंटल प्रकाशन।
4. पटेल जी.पी. (1991) बैगा जनजाति का मानव शास्त्रीय अध्ययन।
5. डेविस किंग्सले (1973) मानव समाज किताब महल, इलाहाबाद।
6. त्रिपाठी बालिका मधुसूदन (2006) शिक्षा विद्यावती प्रकाशन साहित्य, नई दिल्ली।
7. घोष मालिनी (2002) इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली साक्षरता योग्यता और सामर्थ्य शक्ति का प्रभाव पर शोध एवं कार्य समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन, मुंबई।
8. भट्टाचार्य ए. (2015) कैरियर कर्क कैपिलिस्ट स्ट्रक्चर एंड वाइलेंस अगेंस्ट वूमन नेशनल कन्वेंशन आन एडवोकेसी फार कैरियर वर्क दिल्ली में प्रस्तुत पेपर महिला स्वावलंबन।
9. घोष जे. (2015) केयर इन दे नियो लिबरल इकोनामिक मॉडल इंटरनेशनल पॉलिसीज एंड देयर इफेक्ट्स ऑन वूमंस इन गर्ल्स अनपेड केयर नेशनल कन्वेंशन आन एडवोकेसी फॉर केयर वर्क ने दिल्ली में प्रस्तुत पेपर।
10. एल्विन बी. (1939) द बेगा जान मूरें लंदन।

भारतीय ज्ञान परम्परा में ज्ञान और विज्ञान

डॉ. शिवाकान्त तिवारी*

* प्रभारी प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, मोहन बड़ोदिया, शाजापुर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – भारतीय ज्ञान परम्परा में प्राचीनकाल से ही स्व-कल्याण के साथ-साथ विश्व-कल्याण की भावना से कार्य किया जाता था। भारतीय वेद ज्ञान का अपार भण्डार हैं। भारतीय शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली प्राचीनता के साथ उत्कृष्टता को भी अपने आप में समेटे हुए थी जिसमें विद्यार्थी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास का कार्य किया जाता था। नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों में हजारों विद्यार्थी और शिक्षक अध्ययन और अध्यापन के कार्य में संलग्न रहते थे। विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात उस समय के सभी विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट स्तर का था।

प्राचीनकाल में भारतीय सैन्य विज्ञान काफी उन्नत अवस्था में था। युद्ध में अनेक प्रकार के हथियारों के साथ-साथ दिव्यस्त्रों का भी प्रयोग किया जाता था। कई हथियार वर्तमान युग के परमाणु बमों से भी घातक और विनाशक थे। युद्ध में पूरी नैतिकता का पालन किया जाता था। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारतीयों का अध्ययन उच्च स्तरीय और सटीक था। पृथ्वी की आकृति, सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण सम्बन्धी भारतीय गणनाएँ बिलकुल सटीक थीं। आर्यभट्ट, वाराहमिहिर जैसे विद्वानों के सिद्धान्त आज भी अचम्भित करते हैं। आचार्य चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद के क्षेत्र में भारत को शीर्ष स्थान पर पहुँचा दिया था। प्राचीन कालीन नाड़ी शोधन की क्रिया अद्वितीय थी। धातुकार्य में भारत ने ऐसी उत्कृष्टता प्राप्त कर ली थी जो आज भी लोगों को चकित करती है। महरोली का लौह स्तम्भ इसका जीता जागता प्रमाण है। लगभग सभी धातुओं का प्रयोग प्राचीन भारत में प्रचलन में था। गणित के क्षेत्र में भारत ने विश्व को शून्य और दशमलव प्रणाली देकर अध्ययन को एक नई दिशा दी। वैदिक गणित आज भी अधिक सटीक सिद्ध होता है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में महर्षि कणाद जैसे विद्वानों ने 600 ईसा पूर्व ही परमाणु की खोज कर ली थी। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में तत्कालीन कीमियागार रसायनों के नये-नये यौगिक बनाने में महारत हासिल कर चुके थे। प्राचीन भारत की ज्ञान विज्ञान की इस धरोहर को वर्तमान में सहेजने और नये-नये शोधों के माध्यम से और अधिक समृद्ध करने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – ज्ञान परम्परा, गुरुकुल, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, धातुकर्म, सैन्य विज्ञान, वैदिक काल।

प्रस्तावना – भारतीय ज्ञान परम्परा विश्व में प्राचीनतम है। भारतीय ज्ञान का लक्ष्य मात्र सूचना प्राप्त करना नहीं है, अपितु ज्ञान के माध्यम से स्व कल्याण के साथ-साथ विश्व कल्याण इसका परम लक्ष्य है। ज्ञान के माध्यम से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय ज्ञान परम्परा कभी भी संकुचित नहीं रही। इसमें सदैव विश्व कल्याण की भावना निहित रही।

अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्।

उदारचरितानां तु वसुधैवकुटुम्बकम्।¹

भारत में वैदिक काल के पूर्व से ही ज्ञान परम्परा प्रवाहमान थी। वेदों की रचना के द्वारा इसे एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया। वैदिक काल को ज्ञान परम्परा का अरुणोदय काल कहा जाता है। ऋग्वेद सहित चारों वेदों को विश्व में ज्ञान की पहली संहिता भी कहा जाता है। इसके पश्चात् उपनिषदों के माध्यम से यह धारा आगे बढ़ती है जो बुद्ध व जैन दर्शन में भी परिलक्षित होती है। इसी परम्परा में पाणिनि ने विश्व के पहले व्याकरण की रचना की। महर्षि पतंजलि ने योग के प्रमुख ग्रन्थ योगसूत्र की रचना की। कौटिल्य ने विश्व प्रसिद्ध ग्रन्थ अर्थशास्त्र लिखा। भरतमुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की और वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा। आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत द्वारा रचनाएँ की गयीं। इन सभी रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में पूर्व के आचार्यों का उल्लेख करते हुए भारतीय ज्ञान परम्परा

की प्राचीनता को रेखांकित किया है। शून्य की खोज भी वैदिक काल में की जा चुकी थी। प्राचीनकाल में भारतीय ज्ञान परम्परा ज्ञान के सभी क्षेत्रों में अपने उत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। जिसमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं:-

शिक्षा व्यवस्था – ज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है। प्राचीन भारत में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार था। गुरुकुल प्रणाली से शिक्षा प्रदान की जाती थी जिसमें विद्यार्थी अपने घर को छोड़कर गुरु के आश्रम में निवास करता था और शिक्षा ग्रहण करता था। जैसे तो बालक की प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है जिससे वह सीखने की प्रक्रिया प्रारम्भ करता है। बाद में परिवार के अन्य सदस्यों व मित्र समूहों से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। प्राचीन भारत में आठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् विद्यार्थियों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था जहाँ वह गुरु के सानिध्य में रहकर बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सम्पूर्ण प्रकार की विद्या प्राप्त करता था और वहाँ से निकलने के उपरान्त वह इधर उधर भटकने के बजाए अपने पूर्व निर्धारित कार्य में संलग्न हो जाता था। रामायण काल में भगवान राम भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गये थे।

गुरु गृह गए पढ़न रघुराई।

अल्पकाल विद्या सब पाई॥²

गुरुकुल बस्ती से बाहर एकान्त में होते थे। जहाँ पर एकान्त एवं शान्त वातावरण में शिक्षा का आदान-प्रदान किया जाता था। गुरुकुल में रहते हुए विद्यार्थी

जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने का प्रशिक्षण प्राप्त करता था।

सामान्य गुरुकुल एवं आश्रमों के साथ-साथ प्राचीन भारत में कुछ अत्यन्त प्रसिद्ध शिक्षा के केन्द्र थे जिनकी ख्याति पूरे विश्व में व्याप्त थी। इनमें से उज्जयिनी, नालन्दा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी, उदांतपुरी, सोमपुरा, पुष्पगिरी, तेलहाड़ा, ओदंतपुर, शारदापीठ, जगददला, नागार्जुन कोंडा, वाराणसी, कांचीपुरम, मणिकेत आदि प्रमुख विश्वविद्यालय थे। द्वापर युग में उज्जयिनी (वर्तमान उज्जैन) शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ स्थित महर्षि सांढीपनि के आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण एवं सुदामा के अध्ययन करने का वर्णन ग्रन्थों में मिलता है। नालन्दा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे विख्यात और महत्वपूर्ण शिक्षा का केन्द्र था। यह वर्तमान बिहार प्रदेश में पटना से लगभग 90 कि.मी. की दूरी पर स्थित था।

चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से पता चलता है कि यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी और 2000 शिक्षक थे। यहाँ पर सम्पूर्ण भारत के अलावा कोरिया, जापान, चीन सहित कई देशों के विद्यार्थी विद्याध्ययन करने आते थे। इस विश्वविद्यालय का पूरा परिसर विशाल दीवार से घिरा था और प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। इसमें 300 से अधिक कक्षा अध्ययन के लिए थे।

तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित था। उस समय यह गांधार राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर 10,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन करते थे जिनमें से कई विदेशी विद्यार्थी भी होते थे। अनुशासन अत्यन्त सख्त था तथा गलती करने पर राजकुमारों को भी सजा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर शहर से 40 कि.मी. दूर पर स्थित था। यहाँ पर 1000 विद्यार्थी और 100 शिक्षक थे। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात राज्य में था। यहाँ पर मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। उदांतपुरी विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार राज्य में स्थित था। यहाँ लगभग 12000 विद्यार्थियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित था। यह बौद्ध शिक्षा का सबसे प्राचीन केन्द्र था। इसकी स्थापना कलिंग राजाओं ने की थी। काशी वर्तमान में वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। यह वैदिककाल से हिन्दू धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था।

प्राचीन भारत के सभी शिक्षण केन्द्रों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अत्यन्त उच्च स्तर का देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए नालन्दा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए 2000 शिक्षकों की व्यवस्था थी अर्थात् शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात 1:5 का था।

सैन्य विज्ञान - प्राचीन काल से ही भारत में सैन्य विज्ञान काफी विकसित अवस्था में था। सेना में मुख्य रूप से पैदल, अश्व, रथ और हाथी सहित चार भाग होते थे। रामायण और महाभारत काल में इसका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। धनुष-बाण, तलवार, भाला, गदा आदि मुख्य हथियार होते थे। सामान्य अस्त्र शस्त्रों के साथ-साथ पाशुपतास्त्र, ब्रम्हास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नेयास्त्र, पर्जन्य, वायव्य, पन्नग, गरुड़, बहमशिरा, एकागिन्न और अमोघास्त्र जैसे दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी किया जाता था। आग्नेय अस्त्र से अग्नि वर्षा की जाती थी तो पर्जन्य अस्त्र से वर्षा करायी जाती थी। रावण के साथ युद्ध में भगवान राम के अग्निबाण का प्रयोग करने का प्रसंग आता है।

पावक सर छाडेउ रघुबीरा।

छन महुँ जरे निसाचर तीरा।³

वायव्य अस्त्र से भयंकर आँधी तूफान पैदा किया जा सकता था। ब्रम्हास्त्र का प्रभाव वर्तमानकाल के परमाणु बमों से भी भयानक होता था।

इनके द्वारा पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता था। ये दिव्यास्त्र जितने शक्तिशाली थे उनको प्राप्त करना उतना ही मुश्किल था। इन्हें प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या एवं साधना करनी पड़ती थी। विरोधी सैनिकों से बचाव के लिए कई प्रकार के कवच एवं सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। सबसे अच्छे योद्धा तीव्रगामी रथों पर सवार रहते थे। युद्ध कौशल की दृष्टि से उन्हें भी रथी, अतिरथी और महारथी जैसे श्रेणियों में विभाजित किया जाता था। युद्ध करने के कई नियम होते थे जिनका पालन सभी सेनाएं करती थीं। जैसे युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व शंखनाद करके चेतावनी देना, सूर्यास्त होने के बाद युद्ध समाप्त कर देना, किसी निहत्थे पर वार नहीं करना आदि। सामान्य तौर पर सभी सेनायें उक्त नियमों का पालन करती थीं, लेकिन कई अवसरों पर इनके उल्लंघन के दृष्टांत भी पाये जाते हैं। वर्तमान समय के सैन्य विज्ञान की तुलना में प्राचीन काल में सैन्य विज्ञान कई क्षेत्रों में अधिक विकसित अवस्था में था।

खगोल विज्ञान - भारतीय खगोल विज्ञान का प्रारम्भ वैदिककाल में हो गया था। उस समय के ऋषि, मुनि कई तरह के यज्ञ और अनुष्ठान मुहूर्त देखकर किया करते थे। शुभ लब्ध का ज्ञान उन्हें खगोल विज्ञान के माध्यम से ही होता था। सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन स्थिति का ज्ञान प्राचीन समय से भारतीय विद्वानों को था। वैदिक काल में ही 'वेदांग ज्योतिष' नामक खगोल विज्ञान के ग्रन्थ की रचना की गयी थी। आर्यभट्ट ने पाँचवी शताब्दी में सर्वप्रथम पृथ्वी के गोल होने एवं उसके अपनी धुरी पर घूमने की बात कही। इन्होंने सूर्यग्रहण एवं चन्द्रग्रहण के वास्तविक कारणों का पता लगाया और इससे सम्बन्धित कई वैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। 'आर्यभटीय' एवं 'आर्यसिद्धान्त' आर्यभट्ट के प्रमुख ग्रन्थ थे। वाराहमिहिर ने छठी शताब्दी में 'पंचसिद्धान्तिका', सूर्यसिद्धान्त, वृहत्संहिता और वृहत्जातक नामक ग्रन्थों की रचना की। वाराहमिहिर ने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा कि कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तुओं को पृथ्वी के धरातल से बाँधकर रखती है। बाद में ब्रम्हगुप्त नामक विद्वान ने भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि यवस्तुएँ पृथ्वी की ओर गिरती हैं क्योंकि पृथ्वी की प्रकृति है कि वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे। 'ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त' एवं 'खण्डखाद्यक' इनके प्रमुख ग्रन्थ हैं। ब्रह्मगुप्त ने विभिन्न ग्रहों की गति और स्थिति तथा उनके उदय और अस्त होने की गणना करने की विधियाँ बतायी हैं। इनका जोर अध्ययन की प्रत्यक्ष वेध की तरफ अधिक था। इनके अनुसार यदि गणना और वेध में भिन्नता हो तो वेध को सही मानना चाहिए।

बारहवीं शताब्दी में भास्कराचार्य खगोल विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान हुए। इन्होंने 'सिद्धान्त शिरोमणि' एवं 'करण कुतूहल' नामक ग्रन्थों की रचना की। इनकी तात्कालिक गति की अवधारणा से विभिन्न ग्रहों की गति की सही गणना करना आसान हो गया। भारतीयों की खगोल विज्ञान सम्बन्धी जानकारी इतनी अधिक उन्नत थी कि प्राचीनकाल से भारतीय पूजा पद्धति में नौ ग्रहों की पूजा करने का विधान है जबकि नवें ग्रह की खोज पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काफी बाद में की गयी।

आयुर्वेद - आयुर्वेद प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। इस पद्धति में जटिल से जटिल रोगों का इलाज किया जा सकता है। आयुर्वेद में प्राकृतिक रूप से प्राप्त जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों का प्रयोग किया जाता है। जिनका कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है जबकि एलोपैथी में बिना दुष्प्रभाव की दवाईयाँ विरली ही हैं। आयुर्वेद का प्रारम्भ भारत में ही हुआ था। चरक संहिता,

सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदयम् नामक आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं जिनकी रचना आज से लगभग दो हजार वर्ष पूर्व ही की जा चुकी थी। योग को भी आयुर्वेद का ही भाग माना जाता है। योग एवं आयुर्वेद का उपयोग करके असाध्य रोगों का उपचार किया जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार मानव शरीर का निर्माण पाँच तत्वों द्वारा हुआ है जो वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है।

‘क्षिति जल पावक गगन समीरा।

पंच रचित अति अधम सरीरा।’⁴

उक्त पाँच तत्वों के असंतुलन से ही शरीर में रुग्णता पैदा होती है जिसका उपचार इन पाँच महाभूतों में पुनः संतुलन करके किया जा सकता है। इसी प्रकार शरीर के तीन मूल द्रव्य वात, कफ, पित्त का असंतुलन भी शरीर को बीमार करता है और इनके संतुलन द्वारा बीमारी को दूर किया जा सकता है। आजकल किसी रोग के उपचार से पहले कई प्रकार के चिकित्सकीय परीक्षण कराने होते हैं जबकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा मात्र नाड़ी परीक्षण से रोगों का निदान किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा में पंच कर्म का भी प्रमुख स्थान है। महर्षि सुश्रुत द्वारा रचित ‘सुश्रुत संहिता’ को शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम ग्रन्थ माना जाता है। आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत द्वारा नाक का उपचार ऐसी विधि से किया जाता था जिसे वर्तमान काल में प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत के आयुर्वेद का इतिहास अत्यन्त गौरवपूर्ण एवं समृद्ध रहा है। वर्तमान में इस क्षेत्र में और अधिक अध्ययन और अनुसंधान की आवश्यकता है।

धातुकर्म – भारत के धातुकर्म का इतिहास अत्यन्त प्राचीन एवं गौरवशाली रहा है। यहाँ पर धातुओं को गलाने और मिश्रधातु बनाने का कार्य 3000 ईसा पूर्व से किया जाता रहा है। भारत के लोहे और इस्पात की माँग औजारों के निर्माण के लिए विदेशों में काफी अधिक थी। भूमध्यसागर के लोगों द्वारा भारत से इस्पात मँगाने का प्रमाण कुछ पुस्तकों में मिलता है। भारत दूसरी शताब्दी से ही ईरान, अरब और दमिश्क आदि देशों को इस्पात का निर्यात करता था जहाँ पर उनसे हथियार बनाये जाते थे। इनमें से दमिश्क की तलवारें काफी प्रसिद्ध हुईं। दिल्ली में महरोली में स्थित लौह स्तम्भ भारतीय धातुकर्म की उन्नति का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसमें 1600 वर्षों के पश्चात् भी जंग नहीं लगा है। जाँच से ज्ञात हुआ है कि इस स्तम्भ का स्टील अत्यन्त उच्च किस्म का है और इसमें कार्बन की मात्रा काफी कम है। इस पूरे स्तम्भ में एक भी जोड़ नहीं पाया जाना आश्चर्यचकित करता है।

इस्पात के निर्माण के अतिरिक्त अन्य धातुओं के उपयोग में भी भारत काफी अग्रणी था। पुरातात्विक खोजों में प्राप्त चाँदी की कलाकृतियाँ वैदिक संस्कृति की प्राचीनता को प्रमाणित करती हैं। ताँबे के शुद्धिकरण की क्रिया भी भारत में 3000 ईसा पूर्व से ही ज्ञात थी। सोने का उपयोग भी भारत में महाभारत काल के पूर्व से ही होता रहा है। युधिष्ठिर द्वारा किये गये राजसूय यज्ञ में यहाँ के कुछ राजाओं ने एक विशिष्ट प्रकार का स्वर्ण चूर्ण युधिष्ठिर को भेंट किया था जिसे पिपीलिका गोल्ड कहा जाता था। काँसे का उपयोग भी इस समय औजार, हथियार, घरेलू बर्तन और अन्य सौन्दर्य सामग्री बनाने में किया जाता था। काँच, चीनी मिट्टी, सीमेंट सहित कई यौगिक और मिश्र धातुओं के निर्माण का ज्ञान भी इस समय भारतीयों को था।

गणित – भारतीय गणित का इतिहास अत्यन्त प्राचीन और प्रतिष्ठापूर्ण रहा है। भारतीय गणित का प्रारम्भ हड़प्पाकाल (3300 – 1300 ईसा पूर्व) में हो गया था। इस दौरान भारतीयों ने संख्याओं के दशमलव पर आधारित

प्रणाली की खोज कर ली थी। ज्यामिति और त्रिकोणमिति के मूल सिद्धान्त भी अस्तित्व में आ गये थे। वैदिककाल में गणित शब्द का प्रयोग तो नहीं मिलता है लेकिन गण, गणपति और गणया शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गणित शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेदांग ज्योतिष में सामने आता है जो निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होता है।

यथा शिखा विहाय मयूराणां नागाणां मणयो यथा,

तद्वद् वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्हिन वर्तने।⁵

वैदिककाल में आर्य जाति यज्ञ में संलग्न रहती थी। यज्ञ का सटीक अनुष्ठान काल ज्ञात करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता था। वेदों, उपनिषदों, संहिताओं आदि में गणित का उन्नत स्वरूप दिखाई देता है जो बाद में रामायण, महाभारत काल में भी दृष्टिगोचर होता है। गणित के विकास में आर्यभट्ट (476 ई.) का योगदान महत्वपूर्ण है जिन्होंने गणना को स्वर तथा व्यंजनों के साथ जोड़कर बड़ी संख्याओं को सूत्रों में कहने की प्रणाली का विकास किया। शून्य और दशमिक अंक प्रणाली विश्व को भारत की सबसे अमूल्य देन है।

भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान – प्राचीन भारत में भौतिकी और रसायन के प्रारम्भिक प्रयोग हुए लेकिन इसको सैद्धान्तिक स्वरूप अपेक्षाकृत कम दिया गया। लेकिन बाद में इस दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किये गये। महर्षि कणाद को परमाणुशास्त्र का जनक कहा जाता है। ईसा से 600 वर्ष पूर्व ही महर्षि कणाद ने परमाणु को तत्व की सबसे छोटी अविभाज्य इकाई बताया और परमाणु नाम का प्रयोग भी उन्हीं के द्वारा किया गया।

भारत में रसायन विज्ञान की भी एक उन्नत परम्परा रही है। आयुर्वेद में रसायन शब्द का प्रयोग खूब किया गया है। प्राचीनकाल में ही पारे को शोधित करके उससे विभिन्न प्रकार के भस्म, चूर्ण आदि का निर्माण औषधियों के लिए किया जाता था। प्राचीन समय में रसायन शास्त्रियों को कीमियागार कहा जाता था जो रसायनों के जोड़ तोड़ से नये यौगिकों का निर्माण करते थे। दिल्ली में महरोली का बौद्ध स्तम्भ तत्कालीन रसायन विज्ञान की उन्नत अवस्था का प्रमाण है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि प्राचीन समय में भारत ज्ञान और विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी था और सही मायने में विश्वगुरु के पद पर आसीन था। बाद में कई कारणों से, विशेषकर विदेशी आक्रमणकारियों के कारण, भारत ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ता दिखायी दिया। लेकिन यहाँ प्रतिभाओं की कमी कभी नहीं रही। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत अपने स्वर्णिम इतिहास की ओर पुनः तीव्रता से बढ़ रहा है और कई क्षेत्रों में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा के अनुरूप विश्व गुरु के पद पर आसीन हो चुका है। आज भारत विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था बन चुका है और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बड़ी तीव्रता से अग्रसर है। यदि सभी भारतवासी पूरी ईमानदारी एवं लगन से प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत सभी क्षेत्रों में विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेगा और पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो जायेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. महोपनिषद्, अध्याय 6, मंत्र 71
2. रामचरित मानस, बालकाण्ड
3. रामचरित मानस, लंकाकाण्ड
4. रामचरित मानस, किष्किन्धा काण्ड
5. वेदांग ज्योतिष, आचार्य लगध, श्लोक सं. 4

सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की वर्तमान स्थिति एवं संभावनाओं का अध्ययन

परीक्षित हाड़ा*

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध विभाग, राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा (राज.) भारत

प्रस्तावना - औद्योगीकरण एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की गति किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सामाजिक-आर्थिक तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, उत्पादन स्तर, जनसंख्या वृद्धि दर, प्रति व्यक्ति आय इत्यादि इन उद्योगों की आधारशिला को निर्धारित करते हैं। एमएसएमई से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग है जो देश के सकल घरेलू उत्पादन में लगभग 29 प्रतिशत का योगदान करते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में एमएसएमई सेक्टर रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। एमएसएमई उत्पादन करने वाली इकाई एवं सेवा देने वाली इकाई दो प्रकार के होते हैं।

सरकार द्वारा समय-समय पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए श्रेणी एवं सीमा का निर्धारण किया जाता रहा है। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जिनमें एक करोड़ रुपए के निवेश के साथ 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर होता है। लघु उद्योग में उन उद्योगों को रखा गया है जिन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ और टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का हो। मध्यम उद्योग मैनुफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऐसे उद्योग हैं जिनमें 50 करोड़ के निवेश के साथ 250 करोड़ टर्नओवर होता है।

राष्ट्र के आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्स फाउंडेशन की सिफारिश के आधार पर विकास आयुक्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की स्थापना 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन के रूप में हुई थी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने पर संगठन का नामकरण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संगठन हो गया।

तालिका सं. 1: देश में लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार लाख में)

कार्यकलाप श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	कुल	हिस्सा प्रतिशत
विनिर्माण	114.14	82.50	196.65	31
इलेक्ट्रिसिटी	0.03	0.01	0.03	-
ट्रेड	108.71	121.64	230.35	36
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	206.85	33
सभी	324.88	309.00	633.88	100

स्रोत :- एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

तालिका सं. 2: श्रेणीवार उद्यमों का वितरण (संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा प्रतिशत में
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
सभी	630.52	3.31	0.05	633.88	100

स्रोत :- एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

एमएसएमई के केंद्रीय मंत्रालय में विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा आयोजित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में महाराष्ट्र 96,805 उद्यमों के साथ भारत का शीर्ष नेतृत्वकर्ता राज्य है। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु 42,997 व्यवसायों के साथ है, जबकि राजस्थान 38,517 इकाइयों के साथ तीसरे स्थान पर है। पंजाब 24,503 यूनिट, उत्तर प्रदेश 36,913 यूनिट, और कर्नाटक 28,803 यूनिट क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर हैं। 23 जनवरी, 2022 तक पूरे भारत में 4,53,972 अनुसूचित जाति के स्वामित्व वाले व्यवसाय थे जिनमें से 4,50,835 सूक्ष्म, 3,004 लघु और 133 मध्यम आकार के व्यवसाय थे।

वास्तविक अर्थों में वर्तमान समय में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों का योगदान विनिर्माण क्षेत्र के कुल निर्गत के 50% से अधिक है और रोजगार में अवसर पैदा करने में वृहद उपक्रमों की तुलना में पांच गुना अधिक है। एमएसएमई रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग भी सुनिश्चित करता है। यह संसाधनों का उपयोग करने के लिए भुगतान किया जाता है जिससे कि वहां के लोगों की क्रय शक्ति में बढ़ोतरी होती है। एमएसएमई तकनीकी सृजन को सशक्त करते हुए उद्यमिता का विकास करता है।

एमएसएमई श्रम गहन होते हैं इसीलिए अत्यधिक वृद्धि संभावना के अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन की स्थिति भी अधिक होती है। यह क्षेत्र अप्रशिक्षित और उपेक्षित प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करता है एवं उन्हें नियोजित करने के अवसर भी प्रदान करता है। बड़े उद्योग एमएसएमई का उपयोग प्रशिक्षित मानव शक्ति के स्रोत के रूप में करते हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। ये उद्योग रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार के प्रमुख स्रोत हैं।

देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास को

प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए हैं। इनमें औपचारिकता, तकनीकी सहायता, बुनियादी ढांचे का विकास, ऋण सहायता, टिकाऊ प्रथाओं, कौशल विकास और बाजार सहायता शामिल हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), एमएसएमई चौपियंस योजना, क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), वलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), और राष्ट्रीय एससी/एसटी हब (एनएसएसएच) सम्मिलित हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य एमएसएमई को औपचारिक ढांचे में लाना, उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करना और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

हाल के वर्षों में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रमुख पहल की हैं। इसमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए संशोधित मानदंड, उद्यम पंजीकरण, और उद्यम सहायता मंच (यूपी) का शुभारंभ शामिल है। इसके अतिरिक्त, 6,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एमएसएमई प्रदर्शन (आरएमपी) कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई चौपियंस योजना का उद्देश्य एमएसएमई की विनिर्माण प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाना, बर्बादी को कम करना, नवीनता को प्रोत्साहित करना और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी), एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) और एमएसएमई-इनोवेटिव घटक शामिल हैं, जो एमएसएमई को गुणवत्ता और स्थिरता की दिशा में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम और नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/ध्विस्तार केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, सरकार एमएसएमई को प्रौद्योगिकी सहायता, आयात प्रतिस्थापन, और उच्च-स्तरीय कौशल प्रदान कर रही है। जून 2020 में शुरू किए गए ऑनलाइन पोर्टल 'चौपियंस' के माध्यम से शिकायतों के निवारण और ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। एमएसएमई के लिए 5 लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना और आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश, एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रमुख उपाय हैं।

इसके अतिरिक्त, खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में सम्मिलित करने, गैर-कर लाभों को 3 साल के लिए बढ़ाने, और एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के कोष में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश करके, एमएसएमई के विकास को गति दी जा रही है। इन पहलों के माध्यम से, सरकार एमएसएमई को 'विकसित भारत' के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सशक्त बना रही है।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष कई प्रमुख चुनौतियाँ हैं जिनमें वित्तीय बाधा सबसे प्रमुख है। भारतीय अर्थव्यवस्था में छोटी फर्मों और व्यवसायों के लिए वित्त तक पहुँच हमेशा से समस्याग्रस्त रही है, और केवल 16% एमएसएमई को ही समय पर वित्त की सुविधा मिल पाती है, जिससे वे अपने स्वयं के संसाधनों पर निर्भर रहने को मजबूर होते हैं। नवाचार की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है क्योंकि अधिकांश एमएसएमई पुरानी प्रौद्योगिकियों पर आधारित उत्पादों का उत्पादन करते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम हो जाती है।

एमएसएमई में सूक्ष्म और लघु व्यवसायों की हिस्सेदारी 80% से अधिक

है और संवाद एवं जागरूकता की कमी के कारण वे सरकार की विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। इसके अलावा एमएसएमई में औपचारिकता का अभाव है जिससे क्रेडिट अंतराल बढ़ता है। देश में विनिर्माण क्षेत्र के लगभग 86% एमएसएमई पंजीकृत नहीं हैं, और केवल 1.1 करोड़ एमएसएमई ही वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत हैं।

बढ़ते घाटे और कर्ज, उचित वित्तीय सहायता की कमी और बैंकों से फंडिंग का प्रतिरोध एमएसएमई के विकास में बाधा डालते हैं। भारत में एमएसएमई अक्सर अपनी वित्त पोषण आवश्यकताओं के लिए एनबीएफसी की ओर रुख करते हैं, जो सितंबर 2018 से अपने आप में एक तरलता संकट का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई के एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ) बढ़ रही हैं, जो उनके 17.33 लाख करोड़ रुपये के कुल एडवांस का 9.6% है। महामारी के दौरान सरकार द्वारा कठोर तालाबंदी की घोषणा के बाद हजारों एमएसएमई या तो बंद हो गए या बीमार पड़ गए और पुनर्गठन योजनाओं और पैकेजों से लाभान्वित नहीं हो सके।

एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। अप्रत्याशित आउटेज, खराब सड़कों, अप्रभावी तूफानी जल निकासी, अपर्याप्त सीवेज उपचार सुविधाओं और अपर्याप्त सबस्टेशन के साथ खराब बिजली का परिणाम एमएसएमई के कार्यशीलता को प्रभावित करता है। भारत का अधिकांश एमएसएमई क्षेत्र पुरानी तकनीक का उपयोग करता है, जो इसके निर्माण की प्रभावशीलता को कम करता है।

औपचारिकता की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जहां अधिकांश विनिर्माण एमएसएमई अपंजीकृत हैं, और केवल लगभग 1.1 करोड़ एमएसएमई ही माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा, लालफीताशाही, श्रमिकों की भारी कमी, और धीमी उत्पादकता जैसी समस्याएं भी एमएसएमई के विकास में बाधा डालती हैं। कोविड-19 महामारी और जीएसटी का कार्यान्वयन जैसी संरचनात्मक सुधारों ने भी एमएसएमई क्षेत्र को प्रभावित किया है, जिससे कच्चे माल की खोज और लॉकडाउन के कारण कम या कोई मांग नहीं रही।

वर्तमान इक्कीसवीं सदी में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रीय असंतुलन को कम करके ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान में एमएसएमई संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह विनिर्मित वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हुए अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। राजस्थान एमएसएमई स्थापना और संचालन की सुविधा अध्यादेश, 2019 का प्रमुख उद्देश्य राज्य में आजीविका, समावेशी आर्थिक विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। राजस्थान के सवाई माधोपुर सहित विभिन्न जिलों में एमएसएमई की स्थिति और संभावनाओं को समझने और उन्हें सशक्त बनाने के प्रयासों की आवश्यकता है ताकि राज्य की आर्थिक प्रगति में इनका अधिकतम योगदान हो सके।

राजस्थान राज्य के सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार उद्योगों की क्षमता को सुधारने और एक सक्षम एवं अनुकूल परिवेश निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिल रहा है। राज्य में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, और यह क्षेत्र निरंतर प्रगति कर रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक केंद्र और राज्य सरकारों ने औद्योगिक

विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं। भारत और राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास के लिए वित्तीय और औद्योगिक तंत्र की अनेक सार्वजनिक इकाइयों की स्थापना की गई है, जो राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

राजस्थान में दिनांक 14 सितम्बर 2015 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रणाली आरंभ की गई है। इसके तहत उद्यम स्थापना से पूर्व पंजीयन की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए उत्पादन पश्चात एक स्तरीय उद्योग आधार मेमोरेण्डम ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की गई है। राजस्थान में 18 सितंबर 2015 से भारत सरकार द्वारा उद्योग आधार अभिज्ञापन जारी करने की व्यवस्था ऑनलाइन की गई है जिससे संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं-

तालिका सं 3 : राजस्थान में उद्योग आधारित ऑनलाइन संबंधित आंकड़े (2016-2021)

क्र.	वर्ष	ऑनलाइन जारी UAM संख्या	रोजगार के प्रस्ताव संख्या	नियोजन करोड़ रुपए
1	2016-17	99340	572210	15 051.00
2	2017-18	102515	439289	10 917.08
3	2018-19	104584	465445	11589.64
4	2019-20	105334	447326	11539.73
5	2020-21	29185	169395	6058.44

स्रोत :- इकोनामिक रिव्यू ऑफ राजस्थान (2020-21)

एमएमएसई को लेकर बनाई गई नीतियों ने भी प्रदेश के औद्योगिक वातावरण को संवारने का काम किया जिसमें सवाईमाधोपुर जिला भी सम्मिलित है। प्रस्तुत अध्याय में सामाजिक विकास की अवधारणा के साथ सवाई माधोपुर जिले के सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) का योगदान का विस्तृत विवेचन किया गया है। सवाई माधोपुर जिला राजस्थान राज्य के महत्वपूर्ण जिलों में से एक है, जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही यह जिला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण संभावनाएं प्रदान करता है।

जिले में वर्तमान में चल रहे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की संख्या और उनके प्रकारों का विश्लेषण किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं। एमएमएसई के माध्यम से जिले में उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों का मूल्यांकन किया गया है। यह देखा गया है कि ये उद्योग स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार प्रदान करते हैं। जिले की अर्थव्यवस्था में डैडवेट के योगदान का विश्लेषण किया गया है। यह पाया गया है कि ये उद्योग जिले की GDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सवाई माधोपुर में विभिन्न सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएमएसई) संचालित हैं जिनमें लकड़ी के खिलौनों और खसखस के पंखों का निर्माण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये उद्योग कुटीर उद्योग के रूप में प्रसिद्ध हैं और स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। 2015 के आंकड़ों के अनुसार सवाई माधोपुर में 13 लघु उद्योग पंजीकृत थे, जिनमें से कोई भी बंद नहीं हुआ बल्कि एक लघु उद्योग की वृद्धि भी हुई।

तालिका सं. 4 : सवाई माधोपुर जिला में पंजीकृत उद्योग 2015

क्र.	उद्योगों के प्रकार	वर्ष के प्रारंभ में	वर्ष में बंद हुए	वर्ष के अंत तक कार्यरत उद्योग
1.	राइस मिल्स	0	0	0
2.	दाल मिल	0	0	0
3.	खाद्य तेल	0	0	2
4.	सेविंग एंड प्लानिंग ऑफ वुड अदर थन प्लाइवुड	0	0	1
5.	अल्प निर्माणिया	0	0	0
6.	मेन्यु ऑफ ह्यूम पाईप	1	0	1
7.	जनरेशन ट्रांसमिशन एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी	2	0	3
8.	अन्य निर्माण योग	10	0	11
		13	0	18

स्रोत:- कार्यालय जिला उद्योग केंद्र, सवाई माधोपुर व आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान, जयपुर

वर्तमान समय में सवाई माधोपुर जिले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे जिले में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकें और अधिक आर्थिक विकास हो सके। जिले में उद्योग विभाग के अलावा खादी ग्रामोद्योग द्वारा भी हथकरघा एवं ग्रामोद्योग संचालित किए जाते हैं, जो ग्रामीण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इन ग्रामोद्योगों में स्थानीय कच्चे माल से तेल घाणियाँ, हथकरघा वस्त्र, चर्म उद्योग, जूती बनाना, नमदा बनाना, गुड़ और खांडसारी, बीड़ी बनाना, कपड़ा रंगना और छापना जैसी वस्तुएँ उत्पादित की जाती हैं, जिनका मुख्य केंद्र सवाई माधोपुर है। जिले में कार्यरत इन ग्रामोद्योगों का संचालन मुख्यतः खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो इन उद्योगों को आवश्यक सहायता राशि प्रदान करता है।

सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएमएसई) के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ वित्तीय संकट, तकनीकी ज्ञान की कमी, विपणन और वितरण की समस्याएँ हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती वित्तीय संकट है जिसमें इन उद्यमों को समय पर और पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती है। वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई और उच्च ब्याज दरें भी उद्यमियों के लिए समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। इसके परिणामस्वरूप कई एमएमएसई अपने संचालन के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए मजबूर होते हैं जिससे उनके विकास की संभावनाएँ सीमित हो जाती हैं।

इसके अलावा तकनीकी ज्ञान की कमी भी एक बड़ी चुनौती है। एमएमएसई में नवीनतम तकनीकों और साधनों का अभाव होता है, जिससे उनकी उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है। विपणन और वितरण की समस्याएँ भी एमएमएसई के विकास में बाधक होती हैं। उचित विपणन चीनलों की कमी और उत्पादों के वितरण में बाधाओं के कारण इन उद्यमों को अपने उत्पादों के लिए सही बाजार तक पहुँचने में कठिनाई होती है। यह समस्याएँ एमएमएसई के समग्र विकास और सवाई माधोपुर जिले के आर्थिक प्रगति को प्रभावित करती हैं।

सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई के विकास की कई संभावनाएँ हैं जो निम्नलिखित हैं-

1. जिले के पर्यटन स्थल और हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देकर एमएमएसई को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाया जा सकता है।
 2. जिले की कृषि आधारित उद्योगों में नवाचार और तकनीकी सुधार लाकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।
 3. स्थानीय युवाओं और महिलाओं को व्यवसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
 4. एमएमएसई के उत्पादों के विपणन और वितरण के लिए बेहतर नेटवर्क और संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
 5. राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और सहयोग कार्यक्रमों का लाभ उठाकर एमएमएसई को मजबूती प्रदान की जा सकती है।
 6. सवाई माधोपुर जिले में जिले की समृद्ध कुटीर उद्योग परंपरा, जैसे लकड़ी के खिलौने, खसखस के पंखे, और चर्म उद्योग, को प्रोत्साहित करके इन उद्योगों का विस्तार किया जा सकता है।
 7. स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके उत्पादित वस्तुएँ, जैसे तेल घाणियाँ, हथकरघा वस्त्र, गुड़ और खांडसारी, बीड़ी, कपड़ा रंगना और छापना, आदि को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहुँचाया जा सकता है।
 8. तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण के माध्यम से एमएमएसई की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए, स्थानीय उद्यमियों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय प्रथाओं के बारे में जागरूक करना आवश्यक है।
 9. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ इस दिशा में सहायक हो सकती हैं। इसके अलावा, डिजिटल मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करके, जिले के उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे विपणन और वितरण की समस्याएँ कम हो सकती हैं।
 10. वित्तीय सहायता और आसान ऋण उपलब्धता भी एमएमएसई के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार द्वारा वित्तीय योजनाओं और सब्सिडी कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमियों को आर्थिक मदद प्रदान की जा सकती है।
11. स्थानीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से एमएमएसई को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और संभावित ग्राहकों और निवेशकों से जुड़ने का अवसर मिल सकता है।
सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई की वर्तमान स्थिति का अध्ययन और संभावनाओं का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि जिले में इन उद्योगों के विकास की अपार संभावनाएँ हैं। स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए इससे न केवल जिले की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर जिले में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती लाना, निर्यात को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक उत्पादकता में सुधार और व्यापार करने के लिए बधाओं को कम करना है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध पत्र सवाई माधोपुर जिले में एमएमएसई की वर्तमान स्थिति एवं इसके विकास की संभावनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।
- संदर्भ ग्रंथ सूची :-**
1. अखिलेश कुमार : भारत में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की वर्तमान स्थिति एवं चुनौतियाँ एक अध्ययन, पृ. 37-39
 2. एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।
 3. आर्थिक समीक्षा 2020-21, राजस्थान सरकार, जयपुर।
 4. विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), एमएसएमई वार्षिक रिपोर्ट 2019-20
 5. एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय चुनौतियाँ और समाधान, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2020
 6. राजस्थान में औद्योगिक विकास के प्रयास, इकोनामिक रिव्यू ऑफ राजस्थान, 2020-21
 7. सवाई माधोपुर जिले में एमएसएमई का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, इंडियन जनरल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, 2021
 8. सवाई माधोपुर जिले में कुटीर उद्योगों का योगदान, राजस्थान औद्योगिक सर्वेक्षण, 2019

The Impact of Poor and Inadequate Nutrition on Children in Early Age

Jyoti Malviya* Dr. Renu Verma**

*Research Scholar (Home Science) Barkatullah University, Bhopal (M.P.) INDIA

** Associate Professor (Home Science) Govt. MLB Girls Auto. College, Bhopal (M.P.) INDIA

Abstract : Poor and inadequate nutrition during early childhood is a major determinant of both immediate and long-term health outcomes. Early childhood is a critical period for growth and development, and nutrition plays a pivotal role in shaping physical, cognitive, and emotional well-being. Inadequate nutrition during this period can lead to a range of adverse effects, including stunted growth, developmental delays, weakened immune systems, and an increased susceptibility to chronic diseases later in life. This paper explores the various ways in which poor nutrition impacts young children, focusing on the effects of malnutrition, micronutrient deficiencies, and imbalanced diets. The long-term consequences, both for the individual child and for society, are also discussed. Finally, the paper highlights the importance of early intervention, proper dietary guidelines, and public health policies aimed at improving child nutrition worldwide.

Introduction - Nutrition is a major factor in bringing out the maximum potential that one is endowed with both physically and mentally. Good nutrition depends on an adequate food supply and this in turn on sound agricultural policy and a good system of food distribution. Widespread malnutrition is largely a result of dietary inadequacy and unhealthy lifestyles. Other contributing factors are faulty feeding habits, large family size, frequent infections, poor health care, inadequate sanitation and low agricultural production. The early years of a child's life are critical for physical, cognitive, and emotional development. During this time, nutrition plays an essential role in determining both short-term and long-term health outcomes. Adequate nutrition is necessary for proper growth, development of a healthy immune system, and cognitive function. Unfortunately, millions of children worldwide suffer from poor and inadequate nutrition, which has profound effects on their development and future health. The consequences of malnutrition, particularly in the first 1000 days—from conception to two years—are far-reaching, affecting children's survival rates, cognitive abilities, and overall well-being.

This paper aims to explore the impact of poor and inadequate nutrition on children in the early stages of life. It will review the effects of malnutrition, nutrient deficiencies, and imbalanced diets, as well as discuss the implications for long-term health. Additionally, the paper will examine strategies for addressing these issues and improving child nutrition globally.

Hypothesis:

1. Poor and inadequate nutrition is the main cause of malnutrition.

Objectives:

1. To study the prevalence of malnutrition in children of Maihar and Unchehara block of Satna district among.
2. To study the causes of malnutrition in selected areas.
3. To counsel the malnourished children and their parents.
4. To know the effect of counselling on nutritional status and knowledge of parents and children.

Research Methodology: In the initial step, two blocks of Satna district, namely **Maihar** and **Unchehara**, were selected. Within each of these blocks, all sectors were listed comprehensively. After selecting the sectors, Four Anganwadis in each sector were then randomly selected for the study. In each selected Anganwadi, a list of malnourished children was prepared. From this list, 20 malnourished children in each Anganwadi were randomly selected for inclusion in the study.

Result and discussions: This chapter presents the analysis and interpretation of the data collected to assess the differences in various dependent variables between the two groups: Maihar and Unchehara.

Chi-Square test, were employed to evaluate whether significant associations or differences exist between these groups for each dependent variable.




Figure-01

In Maihar, nuclear families dominate, comprising 74.2% of households, while joint families constitute 25.8%.

Conversely, Unchehra also shows a higher proportion of nuclear families (70.8%) compared to joint families (29.2%).

Across the two blocks, joint families are slightly more prevalent in Unchehra (53.0%) compared to Maihar (47.0%).

In contrast, nuclear families are more prevalent in Maihar (51.1%) than in Unchehra (48.9%).

Overall, joint families account for 27.5% of the total sample, with nuclear families representing a significantly higher share at 72.5%.




Figure-02

Maihar: The percentage of households with varying numbers of children (1 to 5) is relatively even, ranging from 18.3% (2 children) to 22.1% (5 children).

Households with 5 children (22.1%) are slightly more prevalent in Maihar compared to other categories.

Unchehra: Similar to Maihar, the distribution of households with 1 to 5 children is relatively balanced, with the highest percentage (23.3%) in the 2-children category and the lowest (15.0%) in the 3-children category.




Figure-03

Out of the total 480 respondents, 361 mothers (75.2%) breastfeeding the child, while 119 mothers (24.8%) did not breastfeed the child. A closer look reveals a significant disparity between the two blocks, In Maihar, the responses are nearly evenly split, with 119 mothers (24.8% of the total) did not breastfeeding the child and 121 mothers (25.2% of the total) breastfeed the child. This indicates that awareness in Maihar is relatively balanced but leaves room for improvement.

In stark contrast, in Unchehra, all 240 respondents (50% of the total) reported breastfeeding the child, and none indicated a lack of knowledge. This suggests a notable focus on promoting breastfeeding awareness in Unchehra, leading to universal understanding among the mothers surveyed.




Figure-04

The analysis of the timing for introducing complementary foods reveals significant differences between the blocks of Maihar and Unchehra. Among the total 480 respondents, the majority (61.9%) reported introducing complementary foods "After 6 months," which aligns with recommended

guidelines. However, this practice is entirely concentrated in Unchehara, where all 240 mothers (50% of the total) introduced complementary foods exclusively at this recommended time. No mothers in Unchehara reported introducing complementary foods earlier or later than 6 months.

In contrast, practices in Maihar are widely varied. Out of the 240 respondents in Maihar, only 57 mothers (11.9% of the total) adhered to the recommended timing of "After 6 months." The remaining responses were distributed across other categories, with 66 mothers (13.8%) introducing complementary foods "Before 6 months," 61 mothers (12.7%) delaying introduction "After 12 months," and 56 mothers (11.7%) beginning "After 7 to 9 months."

References:-

1. Action against hunger, "Underlying causes of malnutrition". URL:<https://actionagainsthunger.ca/what-is-acute-malnutrition/underlying-causes-of-malnutrition/>
2. Ansuya, Naya Baby S., Guddattu Vasudev (2018), "Risk factor for malnutrition among preschool children in rural Karnataka: a case control study", BMC Public Health (18), Article Number : 283,
3. Bellamy carol, "The state of the world's children (1998)", Feeding, Support and cognitive stimulation for children: page no. 28, 29. URL:<https://www.unicef.org/media/84766/file/SOWC-1998.pdf>
4. Bhadoria A Singh, Kapil Umesh, et al. (Apr-June 2017), "Prevalence of severe acute malnutrition and associated sociodemographic factors among children aged 6 months–5 years in rural population of Northern India: A population-based survey"; Family Medicine and Primary Care V6(2): 380-385. DOI:10.4103/jfmpc.jfmpc_421_16; PMC5749090.

Correlation of Wiener indices with X-ray K-absorption parameters of some copper (II) mononuclear and binuclear complexes

R.D. Gupta* R.K. Vyas** S.K. Joshi*** Umesh Palikundwar****

* Associate Professor (Physics) PMCOE Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

** Associate Professor (Physics) PMCOE Govt. P.G. College, Mandsaur (M.P.) INDIA

*** Retd. Principal, Govt. Arts & Science College, Ratlam (M.P.) INDIA

**** Professor (Physics) RSTM Nagpur University, Nagpur (Maharashtra) INDIA

Abstract : An application of Wiener indices in estimating X – ray K – absorption parameters is given. X- ray K-absorption parameters are correlated with Wiener indices of some copper II mononuclear/ copper II – copper II / copper II - nickel II, complexes of salicylglycine as one of the ligand. The chemical shift is positive, i.e., it is towards the high energy side of the metal edge. The results obtained in these studies with analysis of the data show that Wiener indices (W) can be successfully used for estimating parameters like chemical shift (ΔE), effective nuclear charge (Z_{eff}).

Introduction - XANES can be used to study the structural parameters of metal complexes and compounds¹. The first topological index characterising the branching (tree) in aliphatic hydrocarbon was introduced by Wiener² in 1947. A linear correlation with various properties when plotted against Wiener indices can be used for the prediction of structure of molecules even before their synthesis. Wiener indices (W) has been used for estimating chemical shift (ΔE_K) and effective nuclear charge (Z_{eff}) for a series of mixed ligand copper complexes as follows.

1. [(salgly)Cu(H₂O)]
2. [(salgly)Cu(ImH)]
3. [(salgly)Cu-Im-Cu(salgly)]Na
4. [(salgly)Cu-Im-Ni(salgly)]Na

Where salgly = salicylidene glycinate and ImH = imidazole.

Generation of Wiener indices – The procedure to calculate the Wiener indices for above series is described briefly below:

Chemical Graph - The K – absorption will depend on the structure of molecular graph described by topological indices of the ligand. The topological indices are usually obtained from the molecular graph of the ligands where in the atoms (vertices) are represented by a dot “.” and the bond (edges) by small lines “ – ”^{3,4,5}.

The Wiener index (W) is the sum of all distances in graph G, where G is a connected graph whose vertices are labelled 1,2,3,4..., n. The distance d_{ij} between the vertices i and j is

the length of the shortest path which connects i and j .

$$W = W(G) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n d_{ij} \dots\dots\dots 1$$

The Wiener index (W) as defined above is half the sum of the off – diagonal elements of the distance matrix (D). The Wiener index (W) has been studied extensively^{6,7}.

Experimental – Copper(II) complexes of mixed ligands were prepared by copper perchlorate hexahydrate (Aldrich), nickel perchlorate hexahydrate (Aldrich) and imidazole (S.D.Fine chemicals) along with methanol / acetonitrile solutions of Cu(ClO₄)₂·6H₂O and salgly^{8,9}.

A Chirana sealed X– Ray tube with tungsten target having two beryllium windows operating at 20KV and 10mA was used as the source of continuous radiation. Tungsten WL_{α} , $K_{\beta 1,3}$ emission lines were used as reference lines. A bent crystal spectrograph of diameter 0.4 m was used in this work to record the spectra using (100) reflection planes of mica on Agfa/Konica X-ray films. The data acquisition system adopted in the present work¹⁰ consists of interfacing a microdensitometer with personal computer (P.C.) using a stepper motor controller unit. A proper software programme involving the data port and status port of the LPT (printer port) have been used in the present work.

Results and Discussion - Table 1 contains the molecular formula and molecular graph of ligands used. The Wiener

index (W) for these ligands are also given in this table, while the X-ray K- absorption parameters are reported in table 2

Table 1: Molecular Formulae, Molecular Graph & Wiener Index of Ligands used in the present work





Ligand	Molecular formula	Molecular Graph	Wiener Index(W)
I.	[(salgly)Cu(H ₂ O)]		376
II.	[(salgly)Cu(ImH)]		612
III.	[(salgly)Cu-Im-Cu(salgly)]Na		3335
IV.	[(salgly)Cu-Im-Ni(salgly)]Na		3335

Table 2 (see in next page)

It has been shown in table 2 that the K- edge of complexes is found to be shifted towards high energy side of copper K-Edge. The chemical shift ΔE_k is positive.

The edge width and the shift of the principal absorption maxima of copper complexes are also included in table 2. The shift of the X-ray absorption edge ΔE_k of an element in a compound / complex with respect to that of the pure element is written as:

$$\Delta E_k = E_k(\text{compound}) - E_k(\text{metal})$$

Extensive studies have been reported¹¹⁻¹³ on chemical shift of X-ray absorption edges. Two main factors contribute to the observed high energy shifts of X-ray absorption edges i.e.

- The tighter binding of the core level because of the change of the effective charge (or screening) of the nucleus caused by the participation of the valence electrons in the chemical bonds formation.
- Appearance of the energy gap E_g when we go from a metal to a compound or complex.

In general, the chemical shift is towards the high energy side of the metal edge¹⁴ increasing progressively with increase of valence of the cation. Of course the shift may also be suppressed by the covalent character of the bond or enhanced by the formation of metal-metal bonding. In the present work the K- absorption edges of all the copper complexes are found to be on the high energy side.

The shifts of the principal absorption maxima depend upon the type of overlap between metal atoms and ligand orbitals.

Earlier workers¹⁵⁻¹⁷ have reported the chemical shifts values of various copper(II) complexes between 6.8 – 12.9eV. For the present studies complexes, the shift value lies in the range 8.1 to 9.3eV and hence on the basis of this comparison all our complexes under present investigation possess oxidation state 2+. The observed changes in the chemical shifts values will depend on the relative ionic character of the complexes. The shifts of the principal

absorption maxima depend upon the type of overlap between metal atoms and ligand orbitals. The results reported in this paper shows that the shifts of the principal absorption maxima are indicative of distorted tetrahedral geometry for these complexes. Further the higher values of chemical shifts as obtained for other complexes also support the hydroxylation of the copper centres. This implies that due to hydroxylation the effective charge on the central metal copper ion has increased resulting in the high energy values of chemical shifts.

Central metal copper ion is surrounded by the two oxygen and two nitrogen in complex II whereas three oxygen and one nitrogen in case of complex I, which results in increase of effective charge and hence the chemical shifts values for the binary complexes III and IV are less than those for mononuclear complexes which has also been confirmed with the experimental data given in table 2.

We have used Gianturco and Coulson¹⁸ method for calculating effective nuclear charge.

The correlation assumed the general form

$$\Delta E = AX + B$$

Where A is the slope, while B is the intercept and X is the particular topological index. Based on this the following model is obtained for modelling ΔE and Z_{eff} for the complexes.

$$\Delta E = -0.0003W + 9.2090$$

It is evident from the plot Figure 1 and 2 that the observed (Y_{obs}) and calculated value with Wiener index (Y_{cal}) of chemical shift yield excellent straight lines for both chemical shift and effective nuclear charge. The results obtained in this study demonstrate that the correlating of ΔE and Z_{eff} with Wiener indices is very effective. We can say that the edge shift thus estimated indicates that topological indices of the organic molecules acting as ligands can be used for estimating edge shift theoretically.




Figure 1
For Chemical shift ΔE_k




Figure 2
For Effective Nuclear Charge Z_{eff}

Conclusion: Topological indices (Wiener) contains valuable informations about molecular structure and molecular properties. The prediction of the properties of the molecules before their synthesis should be made by topological indices. The topological understanding of molecular properties can lead to the development of new areas of present and future interest i.e. designing of new drug tracking the effect of pollutants in the environment

and the prediction of carcinogenicity of a molecule.

References:-

1. Meisel A, Leonhardt G Land Szargan R, X-ray spectra and chemical binding (Springer-Verlag Berlin) 1989, p.64.
2. Weiner H.J. Am. Chem. Soc. 1947;69:17.
3. King R.B. & Rouvray D.H. (Eds) Graph theory and topology in chemistry, (Elsevier Amsterdam) vol 51, 1987, p.209.
4. Trinajstic N, chemical graph theory, (CRC press Boca Raton, Florida), Vol I & II, 1983.
5. Sakina Ashraf, Muhammad Imran, Syed Ahtsham Ul Haq Bokhary, Shehnaz Akhter Research article, Volume 8, issue 12, e12382, Dec. 2022.
6. Harry F. Graph Theory Addison Wesley: Reading, MA, 1979.
7. Zhenzhen Li, Baoyindureng Wu: Journal of Graph Theory/ volume 106, issue 3/ p. 556-580, March 2024.
8. R.N. Patel, Spectrochim. Actapart A 59 (2003)713.
9. S. Kumar, P.V. Khadikar, R.N. Patel and K.B. Pandeya, Proc.Ind.Acad.Sci.(Chem.Sci.)113 (2001) p21.
10. U.A. Palikundwar, V.B. Sapre and S.V. Moharil, Proc. of the NSJ30 (2006) 580.
11. S.K.Joshi, B.D. Shrivastava, Bhakta Darshan Shrivastava and A. Mishra, X-ray spectrum 33 (2004) 466.
12. R.K. Vyas, S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, M.C. Shah and J. Prasad, Ind. J. of Pure & Appl. Phy. 43 (2005)509.
13. R. D. Gupta, S.K. Joshi, B.D. Shrivastava, M.C. Shah and J. Prasad, Natl.Acad. Sci. Lett.28 (1&2) (2005) 39.
14. B.K. Agrawal and L.P. Verma, J.Phys. C 3(1970) 535.
15. R.C. Kumavat, S.K. Joshi and B.D. Shrivastava, Jpn. J. Appl. Phys.32 (1993)567.
16. P.N. Koul and B.D. Padalia, X-ray Spectrom. 12(1983)128.
17. A.N. Nigam, O.P. Rajput and B.D. Shrivastava, X-ray Spectrom, 15(1986)111.
18. Giantures F.A. and Coulson C.A. Mol. Phy. 14, 223(1968).

Table 2: Chemical Shift and other X-ray Absorption Parameters for complexes used for correlation in present work

Ligands	Chemical shift ΔE_k meV			Effective nuclear charge (Zeff)			Principal absorption maxima (± 0.3 eV)	Edge width ($\pm 0.3_{eV}$)
	Y_{ob}	Y_{cal}	E_{mV}	Y_{ob}	Y_{cal}	Error		
I.	9.3	9.1	-.2	0.97	0.97	0.00	25.5	16.2
II.	8.8	9.0	+.2	0.94	0.98	-0.04	25.3	16.5
III.	8.3	8.2	-.1	0.90	1.03	-0.13	25.2	16.9
IV.	8.1	8.2	+.1	0.89	1.03	-0.14	24.3	16.2

गर्भावस्था में एनीमिया: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

संध्या गजभिये*

* सहायक अध्यापक (गृहविज्ञान) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – गर्भावस्था के दौरान हल्का एनीमिया होना सामान्य है लेकिन आयरन या विटामिन के काम स्टार या अन्य कर्म से आपको अधिक गंभीर समस्या हो सकता है। एनीमिया के कारण आपको थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है अगर यहां गंभीर है और इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इससे समय से पहले प्रसव जैसी गंभीर जटिलता का खतरा बढ़ सकता है। जब आप गर्भवती होती हैं तो आपको एनीमिया हो सकता है ऐसी स्थिति में आपके रक्त में आपके अंतरो और आपके बच्चे तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर आपके बच्चे के विकास में सहायता के लिए अधिक रक्त का उत्पादन करता है यदि आपको पर्याप्त आयरन या कुछ अन्य पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो हो सकता है कि आपका शरीर इस अतिरिक्त रक्त को बनाने के लिए आवश्यक मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने में सक्षम न हो भारत वर्ष में आज भी एनीमिया की समस्या बनी है।

शब्द कुंजी – गर्भावस्था, एनीमिया, पोषक तत्व, आयरन, विटामिन।

प्रस्तावना – गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होना आम बात है लेकिन गंभीर एनीमिया होना आम नहीं है। एनीमिया लाल रक्त कोशिकाओं की कम संख्या की स्थिति है यदि पूर्ण रक्त गणना सीबीसी से पता चलता है कि आपके शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाली रक्त कोशिकाएं काम हैं तो आपको गर्भावस्था के दौरान एनीमिया हो सकता है। गर्भावस्था में रक्त प्लाज्मा का आयतन 30% तक बढ़ता है। संपूर्ण रक्त का आयतन 45% तक तथा प्रभावित होने वाली लाल कोशिकाओं में 40% तक वृद्धि होती है कल हीमोग्लोबिन जो गर्भावस्था के प्रारंभ में 550 mg होता है। सातवें माह में 725 mg तक बढ़ जाता है परंतु हीमोग्लोबिन का स्तर 13.4 से गिरकर 11.6 mg प्रति 100 मि.ली रक्त हो जाता है यदि 28 वे सप्ताह या उसके बाद गभेनी का हीमोग्लोबिन स्तर 10 mg/ग्राम या 100 मि.ली से कम हो तो उसे रक्त हीनता से पीड़ित माना जाता है तथा बड़े हुए रक्त आयतन की तुलना में हीमोग्लोबिन स्तर न बढ़ने से रक्त न्यूनता के जो लक्षण प्रकट होते हैं। उन्हें गर्भकालीन स्वाभाविक जगतालाप पता के नाम से जाना जाता है लोहे तथा फोलिक एसिड की कमी के कारण कुछ गरम पानियों में रक्त लापता होती है। जिसका कारण इन तत्वों को कम सेवन करना है। उचित गर्भ पोषण ना होना या अधिक उत्सर्जन होना हो सकता है। रक्तहीनता की दशा में समय पूर्व प्रसार तथा मृत्यु शिशु जन्म की संभावना अधिक होती है। अतः लोग तत्व से पूर्ण आहार के साथ इसका अमल का प्रयोग तथा लोह तत्व की गोलियों का प्रयोग किया जाए भोजन के पश्चात पान खाने से लोहे के गर्भ पोषण में सहायता मिलती है। क्योंकि छूने का क्लोरीन कार्बोनेट पर्याप्त कैल्शियम प्रदान करता है। जिसकी न्यूनता भारतीय आहार में होती है। परंतु फास्फेट की अधिकता लोहे के अवशोषण में बाधा डालती छूने के प्रयोग से कैल्शियम फास्फेट के साथ आंतों में जुड़ जाता है और लोह तत्व और शोषण के लिए मिलने लगता है।

गर्भावस्था में एनीमिया के लक्षण :

1. थकान
2. कमजोरी
3. चक्कर आना
4. काम के दौरान हल्का सांस लेने में दिक्कत
5. पीलापन
6. गंभीर एनीमिया में तेज दिल की धड़कन या लो ब्लड प्रेशर
7. बेहोशी
8. चिड़चिड़ापन
9. ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत
10. घबराहट

गर्भावस्था में एनीमिया होने पर रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाली लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है। इससे बूंद को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। जिससे उसको सामान्य विकास और वृद्धि प्रभावित होती है। गर्भावस्था में एनीमिया के कुछ आम कारण यह है आयरन की कमी फोलिक एसिड की कमी विटामिन B 12 की कमी गर्भावस्था के दौरान ज्यादा रक्त स्त्राव गर्भावस्था में एनीमिया कि ज्यादातर मामलों में आहार में बदलाव करके इसे ठीक किया जा सकता है।

गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करने वाले एनीमिया के प्रकार एनीमिया के 400 से ज्यादा प्रकार हैं, इनमें से कुछ गर्भावस्था के दौरान ज्यादा आम है जिनमें शामिल है :

1. अल्पताज्य एनीमिया – लौह की कमी से
 2. फोलिक – एसिड की कमी से होने वाला – फोलेट अल्पताज्य एनीमिया
 3. विटामिन B 12 की कमी से होने वाला एनीमिया
- गर्भावस्था के दौरान एनीमिया होने की सबसे अधिक संभावना कैसे

होती है।

गर्भावस्था के दौरान आपके शरीर में रक्त की मात्रा 20% से 30% तक बढ़ जाती है इसका मतलब है कि आपके शरीर को ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं के लिए ज्यादा आयरन की जरूरत होती है। गर्भावस्था के दौरान सीमा का खतरा ज्यादा हो सकता है अगर आप

1. एक से अधिक बच्चों के साथ गर्भवती हो।
2. पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन न करना।
3. लगातार गर्भ धारण होना तथा उनके बीच बहुत कम समय का अंतराल होना।
4. गर्भावस्था से पहले भारी मासिक धर्म प्रवाह का अनुभव होना।
5. सुबह की बीमारी के कारण अक्सर उल्टी होना।

गर्भावस्था में एनीमिया के जोखिम - गर्भावस्था के दौरान गंभीर या अनुपचारित को लौह अल्पता से होने वाला एनीमिया निम्नलिखित होने का जोखिम बढ़ा सकता है।

1. समय से पहले जन्मे या कम वजन वाले बच्चे
2. रक्त आधान यदि प्रसव के दौरान आप काफी मात्रा में रक्त को देते हैं
3. प्रसवोत्तर अवसाद
4. एनीमिया से पीड़ित बच्चा
5. विकासत्मक देरी वाला बच्चा

फोलेट की कमी का उपचार न की जाने पर निम्नलिखित जोखिम बढ़ सकते हैं

1. समय से पहले जन्मे या कम वजन वाले बच्चे
2. रिड या मस्तिष्क में गंभीर जनजाति दोष से (न्यूरल ट्यूब दोष) से ग्रस्त शिशु विटामिन बी 12 की कमी का उपचार न किए जाने से अधिक बच्चों में न्यूरल ट्यूब दोष उत्पन्न होने का खतरा भी बढ़ सकता है।

एनीमिया के लिए परीक्षण - आपकी पहले प्रश्न पूर्ण नियुक्ति के दौरान आपका रक्त परीक्षण किया जाएगा ताकि आपका डॉक्टर यहां जा सके की आपको एनीमिया है या नहीं रक्त परीक्षणों में आमतौर पर यह शामिल होते हैं।

हीमोग्लोबिन परीक्षण - यहां हीमोग्लोबिन की मात्रा को मापता है - लाल रक्त कोशिकाओं में लोग युक्त प्रोटीन जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के उत्तकों तक पहुंचता है।

हेमेटोक्रिट परीक्षण - यह रक्त के नमूने में लाल रक्त कोशिकाओं के प्रतिशत को मापता है।

यदि आपके हीमोग्लोबिन या हेमेटोक्रिट का स्तर सामान्य से कम है तो आपको आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो सकता है। आपका डॉक्टर या निर्धारित करने के लिए अन्य रक्त परीक्षण कर सकता है कि आपको आयरन की कमी है या आपकी एनीमिया का कोई और कारण है। भले ही आपको गर्भावस्था की शुरुआत में एनीमिया ना हो फिर भी आपका डॉक्टर संभवत आपकी दूसरी या तीसरी तिमाही में एनीमिया की जांच के लिए एक और रक्त परीक्षण करने की सलाह देगा।

अध्ययन का उद्देश्य - योजना का उद्देश्य यह है कि गर्भवती महिलाओं में व्याप्त एनीमिया को रोकने और इससे बचाव के लिए गर्भवती महिलाओं में एनीमिया को काम करने के लिए प्रमुख सहयोगियों के साथ मिलकर एक सशक्त संरचना तैयार की जाए। इसके लिए समन्वित गंभीर प्रयास किए जाएंगे साथ ही साथ आंगनबाड़ी केंद्रों आदि में गर्भवती महिलाओं को पूरक

पोषण आहार तथा फोलिक एसिड विटामिन आदि की दवाई देकर तथा शिक्षा के माध्यम से विभिन्न ग्रामीण अंचलों कस्बों तथा पिछड़े इलाकों में गर्भवती महिलाओं को जागरूक कर सके !

एनीमिया का उपचार - यदि आप अपनी गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से पीड़ित है तो आपको अपने प्रसव पूर्व विटामिन के अलावा आयरन सप्लीमेंट और या फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना शुरू करना पड़ सकता है। आपका डॉक्टर यह भी सुझाव दे सकता है की आप अपने आहार में आयरन और फोलिक एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल करें।

इसके अलावा आपको एक निश्चित समय अवधि के बाद पुनः रक्त परीक्षण के लिए कहा जाएगा। ताकि आपका डॉक्टर यहां जा सके कि आपका हीमोग्लोबिन और हेमेटोक्रिट के स्तर में सुधार हो रहा है या नहीं विटामिन बी 12 की कमी का इलाज करने के लिए आपका डॉक्टर आपको विटामिन बी 12 अनु पूरक लेने की सलाह दे सकता है। डॉक्टर यह भी सलाह दे सकते हैं कि आप अपने आहार में अधिक पशु आधारित खाद्य पदार्थ शामिल करें जैसे: - मांस, अंडे, डेरी उत्पादन, आपका ओबी आपको एक हेमेटोलॉजिस्ट के पास भेज सकता है। जो एनीमिया रक्त संबंधी समस्याओं में माहिर डॉक्टर है विशेषज्ञ आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान देख सकता है और आपके ओबी को एनीमिया का प्रबंध करने में मदद कर सकता है।

गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को कैसे रूप का और इलाज किया जा सकता है - प्रसवपूर्व विटामिन में आमतौर पर आयरन होता है। आयरन युक्त प्रसवपूर्व विटामिन लेने से गर्भावस्था के दौरान आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को रोकने और उसका इलाज करने में मदद मिल सकती है। कुछ मामलों में आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता अलग से आईरन सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकता है। गर्भावस्था के दौरान आपको प्रशिक्षित 27 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान अच्छे पोषण से आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को भी रोका जा सकता है। आयरन के आहार स्रोतों में उबला लाल मांस मुर्गी और मछली शामिल है। उन विकल्पों में आयरन पानी फर्टिसाइड ब्रेकफास्ट अनाज गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां सुख बींस और मटर शामिल है। मांस जैसे पशु उत्पादों से मिलने वाला आयरन सबसे आसानी से अवशोषित होता है। पौधों के स्रोतों और सप्लीमेंट्स से आयरन के अवशोषण को बढ़ाने के लिए उन्हें विटामिन बी से भरपूर भोजन या पे के साथ मिले जैसे सेंटर का जूस टमाटर का जूस या स्ट्रॉबेरी अगर आप सेंटर के जूस के साथ आईरन सप्लीमेंट्स लेते हैं तो कैल्शियम फोर्टीफाइड किम से बच्चे जबकि गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम एक आवश्यक पोषक तत्व है लेकिन कैल्शियम आयरन के अवशोषण को कम कर देता है।

अध्ययन का क्षेत्र - छिंदवाड़ा जिले का परिचय छिंदवाड़ा भारतीय राज्य मध्यप्रदेश का एक जिला है इस क्षेत्र में छिंद (ताड़) के पेड़ बहुतायत में है। इसलिए इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा एक समय यहां शेरों की बहुत तादाद थी इसलिए इसे पहले सिंहवाड़ा भी कहा जाता था यह तथ्य अधिक मनी नहीं कहा जा सकता किंतु देशी खजूर या ताड़ की बहुतायत क्षेत्र के नाम की सही व्याख्या कहीं जा सकती है।

गुरैया गांव का परिचय - गुरैया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाड़ा तहसील में स्थित एक बड़ा गांव है जिसमें कुल 1321 परिवार रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार गुरैया गांव की जनसंख्या 6137 है जिसमें 3136 पुरुष है जबकि 3001 महिला है गुरैया गांव में 0 - 6 आयु वर्ग के

बच्चों की संख्या 800 है जो गांव की कुल जनसंख्या का 13.04% है। गुरैया गांव का औसत लिंग अनुपात 957 है। जो मध्य प्रदेश राज्य के औसत 921 से अधिक है जनगणना के अनुसार गुरैया का बाल लिंगानुपात 970 है जो मध्यप्रदेश के औसत 918 से अधिक है। गुरैया गांव में साक्षरता दर मध्य प्रदेश की तुलना में 2011 में मध्य प्रदेश के 69.32% की तुलना में गुरैया गांव की साक्षरता दर 66.74% है। वहां तीन आंगनबाड़ी केंद्रों का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 में लगभग 8 गर्भवती महिलाओं पर 1 महिला गर्भवती माध्यमिक एनीमिया से ग्रसित पाई गई तथा आंगनबाड़ी केंद्र में 5 गर्भवती महिलाओं पर 1 गर्भवती महिला माध्यमिक एनीमिया से ग्रसित पाई गई एवं आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 जिसमें 14 गर्भवती महिलाओं पर 1 गर्भवती महिला माध्यमिक एनीमिया से ग्रसित पाई गई है।

तालिका 1 :

केंद्र आंगनवाड़ी क्र .	नाम	पति का नाम	
1	हंसा	शुभम कराडे	माध्यमिक एनीमिया
5	प्रीति	रविंद्र	माध्यमिक एनीमिया
2	बेबी	सुखलाल मरकाम	माध्यमिक एनीमिया

निष्कर्ष – महिलाएं किसी भी राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाएं पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही हैं ऐसे में यह कहना सही होगा कि महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर ऐसी स्थिति में महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो उसे देश के विकास की गति धीमी हो जाती है। अतः राष्ट्र के विकास हेतु महिलाओं का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं का स्वस्थ होना जरूरी है क्योंकि अगर गर्भवती महिला स्वस्थ होगी तो वह एक स्वस्थ शिशु को जन्म दे पाएगी। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में एक बड़ा रक्तताल्पता की है अतः रक्तताल्पता को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को पोषण से भरपूर आहार दिए जाएं। जिम 30 मिलीग्राम आयरन रोजाना मिट, लाल मास एंड मछली, सोयाबीन, चीज, लिवर, साबूत अनाज, गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां तथा फोरहिफाईट अनाज दिए जाए जिससे गर्भवती महिलाओं में एनीमिया तथा और भी बीमारियों से बचाव किया जा सके एवं महिलाओं का स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठ सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. <https://myclevelandclinic.org>
2. <https://www.webmd.com>
3. सामान्य एवं उपचार आत्मक पोषण, डॉ. ज्योति कुलकर्णी, डॉक्टर अरुण पलटा (शिवा प्रशासन, इंदौर)

लोकतंत्र एवं भारतीय लोकतंत्र में महिलाएं

डॉ. श्वेता तेवानी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) पीएमसीओई शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध पत्र में ऐतिहासिक तुलनात्मक पर्यवेक्षणआत्मक एवं विश्लेषणआत्मक एवं अनुभवात्मक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया गया है।

शब्द कुंजी – भारतीय समाज, लोकतंत्र, आरक्षण, वर्ण व्यवस्था।

प्रस्तावना – भारतीय शासन व्यवस्था में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माण के समय अपनाया गया लेकिन भारतीय लोकतंत्र में कुछ बाधाएं थीं जिनके कारण भारतीय लोकतंत्र को पूर्णतः सफल बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। सामाजिक व्यवस्था में वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के आधार पर अत्यधिक भेदभाव विद्यमान था। जातिगत भेदभाव को दूर कर समाज में समानता लाने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण संबंधी प्रावधान किए जिससे कि समाज में पूरी तरह से समानता स्थापित की जा सके। सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए किसी भी प्रकार के विशिष्ट प्रावधान नहीं किए गए और इसीलिए आज भी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हो पाया है। महिलाओं कि इस स्थिति का कारण पुरुषों की मानसिकता है जो कि भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती है और स्वयं को ऊपरी पायदान पर रखना और देखना चाहते हैं।

लोकतंत्र : शासन व्यवस्था या मानसिकता – वर्तमान समय में लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना जाता है लेकिन लोकतंत्र सदा से ही श्रेष्ठ प्रणाली नहीं माना गया है। प्लेटो एवं राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के समय में लोकतंत्र को शासन का विकृत रूप माना गया था। तत्कालीन समय में राजतंत्र ही श्रेष्ठ शासन प्रणाली मानी गई थी। सत्ता, प्रभाव एवं शक्ति की लालसा हमेशा ही व्यक्ति को इसके दुरुपयोग के लिए प्रेरित करती है।

लोकतंत्र से अभिप्राय – लोकतंत्र को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरीकों से परिभाषित किया जाता है। जिस तरह प्राचीन समय में लोकतंत्र को विकृत या नकारात्मक रूप से परिभाषित किया गया था, उसी तरह आधुनिक युग में भी लोकतंत्र को एक नकारात्मक या बुरी व्यवस्था मानने वाले अनेक विद्वान हैं।

लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रचलित परिभाषा अब्राहम लिंकन की है- 'लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन है।'

सीले के अनुसार- 'लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है।' डायसी के अनुसार- 'लोकतंत्र सरकार का ऐसा स्वरूप है इसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है।'

लोकतंत्र के नकारात्मक पक्ष को प्रदर्शित करते हुए सारटोरी ने लोकतंत्र को 'आइंबरमय युक्त व्यवस्था' कहा है।

लोकतंत्र को वर्तमान समय में अनेक तरीकों से प्रदर्शित किया गया है:

1. लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है
2. एक सामाजिक व्यवस्था है
3. जीवन जीने का एक ढंग है
4. लोकतंत्र विशिष्ट वर्ग का शासन है
5. आर्थिक व्यवस्था का एक प्रकार है
6. लोकतंत्र जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है
7. लोकतंत्र एक मानसिकता है

लोकतंत्र में मताधिकार शासन में परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन होता है, मताधिकार के बल पर जनता के प्रतिनिधियों में लगातार परिवर्तन होता रहता है जिससे जनता लोकप्रिय शासन व्यवस्था स्थापित होती है। किंतु अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने की व्यवस्था की गई थी। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु जैसे महत्वपूर्ण विचारक भी महिलाओं को मताधिकार देने के पक्षधर नहीं थे, किंतु इन आधारों पर उनकी आलोचना निरंतर होती रही है। संसदीय प्रजातंत्र के जनक इंग्लैंड में भी महिलाओं को मताधिकार बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही प्राप्त हुआ है।

भारत में लोकतंत्र – सामान्यतः भारत में सदा से ही राजतंत्र शासन के स्वरूप के रूप में प्रचलित रहा है हालांकि इसमें भी जनता का कल्याण करने वाला राजतंत्र एवं राजा लोकप्रिय की श्रेणी में रखा गया था। भारत में लोकतंत्र के विचार का उद्भव ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता के प्रयासों के समय विश्व के अन्य देशों के संपर्क में आने के साथ प्रारंभ हुआ।

19वीं शताब्दी में भारत में समाज सुधारकों के माध्यम से नवीन विचारों का उद्भव हुआ। भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता एवं जनक राजा राममोहन राय इनमें से सर्व प्रमुख है राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में विद्यमान सामाजिक बुराइयों एवं कुरीतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्हें दूर करने हेतु दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हुए उसके लिए विशेष प्रयास किए भारतीय लोकतंत्र की जड़ वहीं से स्थापित होती है। राजा राममोहन राय ने महिलाओं की दशा में सुधार लाने के लिए विशेष रूप से प्रयास किए विशेषकर उनके दृष्टिकोण सती प्रथा सबसे बड़ी कुरीति भारत की समाज में विद्यमान थी और इसी में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा इस हेतु प्रतिबंधित करने के लिए 1828 में सती प्रथा के विरोध में कानून के माध्यम से उसे

प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया।

लोकतंत्र केवल एक शासन का स्वरूप नहीं है वरन जीवन के प्रति एक विशिष्ट दृष्टिकोण है और एक मानसिकता है, जो कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सही रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक है।

भारत में किसी प्रकार की व्यवस्था में सुधार के लिए उसे सही तरीके से लागू करने के लिए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है, कानूनों के अस्तित्व के बिना व्यवस्था को सही रूप से संचालित नहीं किया जा सकता और ना ही दूषित व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है।

भारतीय लोकतंत्र में यही व्यवस्था 19वीं शताब्दी एवं बीसवीं शताब्दी में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय और भारतीय संविधान के निर्माण के समय एवं उसके पश्चात भी लागू रही है भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक ऐसी कुरीतियां विद्यमान थी जिनको स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कठोर कानूनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया गया इन कानूनों के माध्यम से भारतीय समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास भी किया गया। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में विद्यमान वर्ण व्यवस्था जिसमें भारतीय समाज अलग-अलग वर्णों में बंटो हुआ था एवं एक वर्ग के लोग पूरी तरह से वंचित और उपेक्षित माने गए थे और इनकी स्थिति में सुधार के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए एवं इसी वर्ग के लिए समानता पर लाने के लिए आरक्षण जैसी विशिष्ट व्यवस्था भी की गई हालांकि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था प्रारंभ में कुछ ही समय के लिए की गई थी लेकिन बाद में यह व्यवस्था आवश्यकता के अनुसार आगे के लिए भी बढ़ाई गई क्योंकि वर्ण व्यवस्था मानसिकता से संबंधित है इसीलिए आज भी इसे बनाए रखने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक वर्ण व्यवस्था के संबंध में भारतीयों की मानसिकता पूरी तरह से परिवर्तित नहीं हो जाती तब तक यहां आरक्षण व्यवस्था को लागू रखा जाए, जिस तरह से वर्ण व्यवस्था पर आधारित सामाजिक भेदभाव व्यवस्था को कानूनों के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी तरह से भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए भी कठोर कानूनों की आवश्यकता महसूस हो रही है।

भारतीय लोकतंत्र एवं महिलाएं – जिस तरह से भारतीय समाज में एक वर्ण पूरी तरह से वंचित और उपेक्षित था, उसी तरह महिलाएं प्रत्येक वर्ण में दोगले दर्जे का स्थान रखती थी एवं वंचित और उपेक्षित रही हैं। भारतीय समाज में ऋग्वेद काल के पश्चात महिलाओं की स्थिति कभी भी सामान्य नहीं रही। महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बुरी से बदतर और दयनीय होती है महिलाएं अनेक प्रकार की बुराइयों एवं कुरीतियों का सामना कर रही थी इनमें से प्रमुख हैं:

1. सती प्रथा
2. बाल विवाह
3. महिलाओं की अशिक्षा
4. आर्थिक परनिर्भरता
5. विधवाओं की बुरी स्थिति
6. घुंघट या पर्दा प्रथा
7. दहेज प्रथा
8. महिला भ्रुण हत्या
9. महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर की चारदीवारी आदि सती प्रथा में महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद पति की चिता

के साथ जला दिया जाता था इस प्रथा को राजा राममोहन राय के विशेष प्रयासों से 1828 में कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया।

बाल विवाह प्रथा के अंतर्गत बचपन में ही बालिकाओं का विवाह तय कर दिया जाता था या करवा दिया जाता था जिससे शारीरिक या मानसिक रूप से परिपक्व हुए बिना ही उनके ऊपर दायित्वों का बोझ डाल दिया जाता था इस कुप्रथा पर भी बालिका विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तय की गई जिससे इस कुप्रथा को भी कानून के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया।

बाद में समाज के अन्य वर्गों की तरह ही महिलाओं की आर्थिक परनिर्भरता उनकी दयनीय स्थिति का मुख्य कारण था यदि हम वास्तव में महिलाओं की स्थिति में किसी प्रकार का सुधार लाना चाहते हैं तो उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने एवं सफल बनाने के लिए कठोर प्रयास करने चाहिए थे किंतु हमने किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया। भारतीय संविधान में महिलाओं को समान स्तर प्रदान करने की बात तो की गई किन्तु इसके लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए।

महिलाओं के लिए इस संबंध में पर्याप्त एवं महत्वपूर्ण प्रयास 73 व 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से उन्हें स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थाओं में एक तिहाई प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया जिसे बाद में 50% तक बढ़ाया गया। महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए यही प्रयास सर्व प्रमुख था।

यदि महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था को संविधान लागू होते ही लागू कर दिया होता तो महिलाओं की स्थिति में पूर्व सुधार आ चुका होता और महिलाओं से संबंधित अनेक सारी बुराइयों से उन्हें निजात मिल चुका होता है जैसे बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा, आर्थिक परनिर्भरता, विधवाओं की दुर्दशा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, महिला भ्रुण हत्या, उनका कार्य के चार दिवारी इत्यादि समस्याएं उनको आरक्षण मिलने से और उनके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से समाप्त हो गई होती। किंतु इस कार्य में सबसे बड़ा रोड़ा या बाधा पुरुषों की उनके प्रति मानसिकता रही है जो कि आज भी परिवर्तित नहीं हो रही है और वह महिलाओं को आगे बढ़ने या समाज स्तर पर लाने के लिए भी स्वीकार नहीं करती।

इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है एक तरफ तो हम जनगणना के समय स्त्री- पुरुष अनुपात को असंतुलित होने का गम बताते हैं किंतु साथ ही महिला आरक्षण प्रारंभ होने के बाद उन्हें 33 या 35% तक सीमित रखने का काम करते हैं क्योंकि स्त्री - पुरुष अनुपात बराबर होना चाहिए किंतु किसी भी क्षेत्र में उन्हें बराबरी का मौका देने के लिए तैयार नहीं है। न केवल 50 सदस्य बल्कि केवल 33 या 3% आरक्षण वह भी ऊर्ध्वाधर आरक्षण अर्थात् महिलाओं को 35 या 35% से ज्यादा एक भी सीट ना मिले यही पुरुषों की दोगली मानसिकता को प्रदर्शित करता है।

ऊर्ध्वाधर आरक्षण के तहत यह व्यवस्था की गई है की निर्धारित आरक्षण के अतिरिक्त एक भी स्थान अतिरिक्त चाहे मेरिट में सर्वोच्च स्थान पर हो किंतु अतिरिक्त स्थान प्रदान नहीं किया जाएगा महिलाएं यदि आरक्षण प्राप्त करके भी आर्थिक रूप से सक्षम हुईं तो उनकी अधिकांश समस्याओं के समाधान हो जाएगा- कन्या भ्रुण हत्या और और बाल विवाह बंद हो जाएंगे। महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापित होगी तथा समाज को सशक्त आधार प्राप्त होगा।

आरक्षण का नकारात्मक पक्ष – डॉक्टर अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान करते समय इस व्यवस्था को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए स्थापित करने के लिए कहा गया था। किंतु यह व्यवस्था

बार-बार 10 वर्षों के लिए आगे बढ़ती गई और आज भी यह व्यवस्था लागू है भारत के बुद्धिजीवियों के द्वारा यह विचार प्रकट किया गया था कि सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रारंभिक 10 वर्ष पिछड़े वर्गों को समर्थन और सहायता देने के लिए पर्याप्त है ताकि वे अपने खुद के दम पर खड़े हो सके उनके अनुसार अधिक समय तक सहायता प्रदान करना उन्हें अक्षम बना सकता है और उन्हें आवश्यकता से अधिक सहायता पंगु बना सकती है जिसे भी सामाजिक व्यवस्था में सशक्त आधार के रूप में खड़े होने के बजाय कमजोर और दूसरों पर आधारित एवं सदैव बैसाखी की सहायता से अपने विकास के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि यदि हम आरक्षण के नकारात्मक पक्षों से भली-भांति अवगत हैं तो हम महिला आरक्षण के पक्ष में कैसे बात कर सकते हैं इसके प्रत्युत्तर में यह बताया जा सकता है कि जैसे एक सामाजिक ताने-बाने में 1 वर्ग या वर्ण की स्थिति दयनीय रही है। ठीक उसी तरह महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग या वर्ण में अर्थात् चारों वर्णों में दयनीय रही है ऐसी स्थिति में सर्व प्रथम प्रयास महिलाओं की स्थिति में सुधार का ही होना चाहिए था जबकि इस संबंध में विचार नहीं किया गया।

महिला आरक्षण का एक विशिष्ट पहलू यह भी है की अधिकांश महिलाएं स्वयं समाज में अपनी स्थिति से असंतुष्ट नहीं थी भारतीय महिलाओं में महत्वाकांक्षा की अत्यधिक कमी रही है और इसी कारण वे अपनी स्थिति में अत्यधिक सुधार के लिए यह परिवर्तन लाने के लिए स्वयं ही पक्षधर नहीं रही है। किंतु आज स्थित समाज और अर्थव्यवस्था पर आधारित व्यवस्था में यह आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि महिलाएं आर्थिक आधार पर आत्मनिर्भर रहे। जिससे वे भारतीय समाज भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय राष्ट्र के आधार स्तंभ के रूप में स्थापित हो और भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकें।

निष्कर्ष- अंततः यह सशक्त रूप से कहा जा सकता है कि यदि महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले तो निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी योग्यता को सिद्ध करने में किसी भी प्रकार के आरक्षण की सहायता की आवश्यकता नहीं है और महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर पुरुषों की मानसिकता और अपने प्रति उनके दृष्टिकोण को परिवर्तित करने में भी सक्षम होंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- 1 Bakshi P.M. , " The Constitution of India , with selective comments."Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd. ,New Delhi 2001.
- 2 Basu Durga Das, " Introduction to the Constitution of India.",16th edition Prentice Hall Of India Pvt. Ltd., New Delhi 1994
- 3 फड़िया बीएल, फड़िया कुलदीप , 'राजनीति विज्ञान', कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल
- 4 Kashyap Subhash C., "Our Constitution : An Introduction to India's Constitution and Constitutional law." National Book Trust India New Delhi 2000
- 5 लक्ष्मीकांत एम. , 'भारत की राजव्यवस्था' पंचम संस्करण , McGraw Hill's Education (India) Pvt. Ltd. Chennai , 2017
- 6 Raja Ram Kalpana,"Indian Polity" edited 8th revised and enlarged edition, Spectrum Books Private Limited New Delhi 2001
- 7 श्याम सुंदर, जे .एवं शर्मा स्थिति सी पी 'यूनिफाइड राजनीति विज्ञान' ,बीए. प्रथम वर्ष, राम प्रसाद एंड संस भोपाल 2017

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर: छिंदवाड़ा जिले के विशेष संदर्भ में

संध्या गजभिये*

* सहायक अध्यापक (गृहविज्ञान) राजमाता सिंधिया शासकीय स्नातक कन्या महाविद्यालय छिंदवाड़ा(म.प्र.) भारत

शोध सारांश – ग्रामीण महिलाओं को शहरी महिलाओं की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं और स्वास्थ्य सेवा तक उनकी पहुंच कम होती है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं विशेष रूप से महिला स्वास्थ्य प्रदाताओं की संख्या सीमित है महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पल है। ऐसे में अगर हम बात करें महिला स्वास्थ्य की तो ग्रामीण महिला किस प्रकार के स्वास्थ्य एवं पोषण जटिलताओं से जूझ रही है इसे यहां समझने में आसानी होगी कि स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर और क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – ग्रामीण महिलाओं, स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण क्षेत्र।

प्रस्तावना – पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण को लेकर व्यापक साक्षरतात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। फिर भी ऐसे कई संदर्भ बिंदु हैं जहां विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा जिन ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की लगभग दो तिहाई आबादी बसती है। वह कल स्वास्थ्य एवं पोषण अवसंरचना चिकित्सा अस्पताल व अन्य सुविधाओं की मात्रा एक तिहाई उपस्थित होती है जाहिर सी बात है कि यह संतुलन एक अस्वस्थ एवं कुपोषण की ओर इशारा करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्वास्थ्य संस्थाएं भी हैं जो ग्रामीण महिलाओं में अधिक सघन हैं। इनमें डायरिया, टीबी, टाइफाइड, खसरा और मलेरिया जैसे रोग शामिल हैं। जो अस्वच्छ पेयजल खराब रिहायशी स्थितियां तथा स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता के अभाव में उत्पन्न होते हैं। संक्रामक रोगों के साथ-साथ कैंसर जैसी प्रतव घातक बीमारी और मधुमेह हाइपरटेंशन थायराइड मोटापा जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी ग्रामीण महिलाओं में सघन होती जा रही है इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र में मासिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा भी गौर करने लायक है। खाने का तात्पर्य है कि अब ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी सेवाओं को भी इतना बहुआयामी होना होगा कि वह एकीकृत रूप से इन जटिलताओं को हल करने में सक्षम हो सके।

मानव जीवन के लिए ऑक्सीजन और पानी के साथ यदि कुछ और भी जरूरी है तो वह है भोजन। मानव ने प्रारंभिक काल से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, आवास एवं वस्त्र की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। यद्यपि उसने प्रारंभिक काल में जीवन एक मांस भक्षी की तरह व्यतीत किया है। परंतु पाषाण काल के अंत तक उसने कृषि के विषय में जान लिया था तथा अपने आहार में मांस खाद्य पदार्थों के साथ-साथ वनस्पति खाद्य पदार्थ भी शामिल कर लिया था। मानव समाज के निर्माण में कृषि संबंधी ज्ञान ने अहम भूमिका निभाई और फिर मानव समुदाय कस्बे व शहरों का विकास प्रारंभ हुआ। जब खाद्य पदार्थों की उपलब्धता कृषि के द्वारा सुनिश्चित होने लगी तो निवास में भी स्थापितव आने लगा पौष्टिक भोजन लेना मनुष्य के शारीरिक का मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी है।

पौष्टिक भोजन के अभाव से मानव शरीर कुपोषण रहित कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। महिलाओं पर इसका प्रभाव ज्यादा होता है क्योंकि कुपोषित महिला यदि किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह बच्चा भी जन्म से कमजोर होता है और अपनी जीवन संभवत कम होती है। इसलिए सही समय पर सही पोषण प्राप्त करना बहुत आवश्यक है अन्यथा कुपोषण का कभी ना खत्म होने वाला दुष्चक्र प्रारंभ हो सकता है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पेज 2 (2019-2021) के अनुसार गृह क्षेत्र से जुड़े कुछ आंकड़े देखे तो 6 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली ग्रामीण महिला आबादी का मंत्र 66.8% हिस्सा ही ऐसा है। जो कभी स्कूल गया हो वहीं शहरी क्षेत्र के लिए यहां आंकड़ा 82.5% है इसके अलावा अगर उन्नत स्वच्छता सुविधाओं की बात करें तो मंत्र 66.9% ग्रामीण ग्रस्त जनसंख्या को यहां उपलब्ध है। जबकि शहरों में इसका प्रतिशत 81.5 है साथ ही भोजन के लिए स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को देख तो यह शहरों में 89.7% ग्रह से जनसंख्या के पास यह उपलब्ध है। वहीं ग्रामीण आबादी में यहां लगभग घटकर 43.2% रह जाता है इसके अतिरिक्त अगर विवाह और प्रजनन दर को देख तो शहर के 1.6 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में यहां 2.1 है इतना ही नहीं नवजात मृत्यु के आंकड़े देखे तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह क्रमशः 18% और 27.5% है तथा शिशु मृत्यु दर के संबंध में यहां आंकड़ा इसी क्रम में 26.6% और 38.4% है। इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण की चुनौतियों का सही अनुमान होता है।

स्वास्थ्य एवं पोषण क्या है पोषण एक स्वस्थ संतुलित जीवन जीने के लिए मौलिक है यह बीमारी की अनुपस्थिति है और वह आधार है। जिस पर हम संपूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति का निर्माण कर सकते हैं। यह व्यापक मार्गदर्शिका पोषण और स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंधों की खोज करती है स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारी को रोकने में पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के पोषण के लिए सरकार की पहल पर कई

कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं :

1. पोषण अभियान
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
3. एकीकृत बाल विकास सेवा मध्यान भोजन योजना
4. पी एम एम वी वाई
5. एन आर एल एम
6. जे एस वाई
7. मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0
8. पोषण ट्रेकर ऐप
9. वृद्धि निगरानी उपकरण आदि

ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वास्थ्य योजनाएं :

1. राष्ट्रीय निशुल्क औषधि पहल
2. निशुल्क निदान पहल (एफ डी आई)
3. राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा (एन ए एस)
4. मोबाइल मेडिकल यूनिटी (एम एम यू)
5. जननी सुरक्षा योजना
6. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान
7. आउटरीच शिविर
8. वन स्टॉप सेंटर आदि

अध्ययन का उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करना महिलाओं की स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार लाना तथा आहार एवं पोषण को बढ़ावा देना ग्रामीण महिलाओं को शहरी महिलाओं की तुलना में खराब स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच कम होती है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए विशेष योजना की जरूरत है।

अध्ययन का क्षेत्र

छिंदवाड़ा जिले का परिचय - छिंदवाड़ा भारतीय राज्य मध्यप्रदेश का एक जिला है इस क्षेत्र में छिंद (ताड़) की पेड़ बहुतायत में है इसलिए इसका छिंदवाड़ा नाम पड़ा एक समय यह शेरों की बहुत आयात थी इसलिए इसे पहले सिंहवाड़ा

भी कहा जाता था। यह तथ्य तथा अधिक मनी नहीं कहा जा सकता किंतु देसी खजूर या ताड़ की बहुतायत तागत क्षेत्र के नाम ही सही व्याख्या कहीं जा सकती है।

रोहना कला गांव का परिचय- यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के छिंदवाड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस गांव में कुल आबादी 3363 है और घरों की संख्या 562 है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक का भ्रमण मेरे द्वारा किया गया। जिसमें 12 गर्भवती महिलाओं पर 1 गर्भवती महिला में पोषण और स्वास्थ्य का स्तर कम पाया गया तथा 11 धात्री माता में 1 धात्री माता में पोषण और स्वास्थ्य का स्तर कम पाया गया।

तालिका

नाम	पति का नाम	
प्रियंका	सत्यम विश्वकर्मा	थायराइड
दुर्गावती	मोनो बिंदुवारी	हार्ड ट क्रम

निष्कर्ष - किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर उच्च होना नितांत आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी महिलाओं की तुलना में खराब परिणाम मिलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्वास्थ्य स्तर उंचा उठने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं एवं पोषण से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है साथी इन्हें शिक्षा के माध्यम से जागरूक करके एवं आहार के महत्व के बारे में आबादी को शिक्षित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम चावल गेहूं डालो और मोटे अनाजों का उत्पादन बढ़ाकर भोजन की उपयोगिता बढ़ता है इससे महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बेहतर पोषण में मदद मिलती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. <http://www.weljii.com>
2. सोनी कुमारी सिंह: ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का शोधार्थी गृह विज्ञान स्वास्थ्य एवं पोषण विभाग, ल ना मि विश्वविद्यालय दरभंगा बिहार
3. <https://hi.wikipedia.org>

अनुसूचित जाति के व्यावसायिक संरचना एवं साक्षरता का प्रभाव : शहडोल संभाग के विशेष संदर्भ में

डॉ. जिया लाल राठौर*

* भूगोल विभाग, शासकीय महाविद्यालय, जैतपुर, शहडोल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - सामाजिक क्रांति के रूप में उभरे कुछ नये मानकों ने समाज में रह रहे विभिन्न प्रकार के वृत्ति से जुड़े लोगों को उनके आर्थिक, सामाजिक जीवन को आधार बनाते हुए विभिन्न वर्ग, उपवर्ग में विभाजित कर उनके जीवनशैली को नवीन आयाम दिया। समाज के पिछड़े और साधन विहीन तथा आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए उनके जीवन को स्वाभाविक और सुखमय बनाने की आकांक्षा शुरू से ही किसी न किसी रूप में रहीं आई। पर इस्लामिक सत्ता काल पश्चात आई ब्रिटिश सत्ता काल में समाज के कुछ लोगों के श्रममूलक कार्यों और अपने जीवन को सुखम तथा स्वाभाविक बनाने के लिए ऐसे कार्यों से जोड़ा गया कि वे शेष समाज से कट कर रहने लगे। सांस्कृतिक परिवर्तन की इस नई पेशकश से भारत के पारंपरिक समाज को समाज के कुछ समुदायों को धीरे-धीरे अलग कर दिया जिस कारण एक लम्बा अंतराल दिखने लगा। इस अंतराल के पीछे श्रममूलक सेवा कार्यों की नई प्रतिबद्धता रही।

शब्द कुंजी - जनसंख्या, व्यावसायिक संरचना, साक्षरता।

प्रस्तावना - अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों की जीवनशैली और कार्य संरचना कुछ ऐसी थी की वे जनजातीय क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय एवं विकसित परिक्षेत्रों में ही अपना आवास बनाएं इस कारण अध्ययन क्षेत्र शहडोल संभाग जो मूलतः वनप्रान्तीय क्षेत्र है में अनुसूचित जाति समुदाय की जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के अपेक्षा कम है। शहडोल संभाग के जनांकिकीय रिपोर्ट पर गौर करें तो संभाग में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का औसत प्रतिशत 12.6 है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के अन्य संभागों की आपेक्षा शहडोल संभाग में अनुसूचित जाति समुदाय संख्यात्मक दृष्टि से कम हैं।

अध्ययन क्षेत्र- मध्यप्रदेश के शहडोल संभाग प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर-पूर्वी भाग में विन्ध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित मूलतः पर्वतीय, पठारी एवं जनजातीय प्रधान क्षेत्र है। जिसकी भौगोलिक स्थिति भू-मध्य रेखा से स्थिति 23°35 से उत्तरी अक्षांश 24 °20' उत्तरी अक्षांश तथा 80°28' पूर्वी देशान्तर से 82°45' पूर्वी देशान्तर के मध्य है। 23°30' उत्तरी अक्षांश के (कर्क रेखा) इस संभाग को उत्तर व दक्षिण लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है।

शहडोल संभाग की लम्बाई एवं चौड़ाई में अन्तराल न्यूनतम है, उत्तर में सोन घाटी से दक्षिण में नर्मदा घाटी तक कुल लम्बाई 181 किलोमीटर एवं पूर्व-पश्चिम चौड़ाई 172 किलोमीटर है। शहडोल संभाग की लम्बाई एवं चौड़ाई में न्यूनतम अन्तराल होते हुए भी इसका आकार आयताकार एवं वर्गाकार नहीं है इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 13966 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल भू-भाग का 0.40 प्रतिशत (भारत का क्षेत्रफल 3287782 वर्ग किलोमीटर) है। शहडोल संभाग के अन्तर्गत कुल 03 जिले उमरिया, अनूपपुर एवं शहडोल शामिल है। प्रशासनिक दृष्टि अध्ययन क्षेत्र में तीन जिले क्रमशः शहडोल 5671 वर्ग किलोमीटर, उमरिया 4548 वर्ग

किलोमीटर एवं अनूपपुर का 3747 वर्ग किलोमीटर है तथा इस शहडोल संभाग में 12 विकासखण्ड क्रमशः ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारु, सोहागपुर, बुढार, कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़, जैतहरी, करकेली (उमरिया), मानपुर एवं पाली है। इसी प्रकार दूसरी प्रशासनिक इकाई में कुल 16 तहसीले अस्तित्व में हैं, ये तहसीलें क्रमशः ब्यौहारी, जयसिंहनगर, गोहपारु, सोहागपुर, बुढार, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, पाली, चदिया, नौरोजाबाद, करकेली, जैतहरी, कोतमा, पुष्पराजगढ़ एवं अनूपपुर तहसील स्थित है।



अध्ययन उद्देश्य:

1. अनुसूचित जाति के लोगों की व्यावसायिक संरचना का विश्लेषण करना।
2. अनुसूचित जाति के लोगों की साक्षरता दर का विश्लेषण करना।
3. सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं और कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना।

विधि तंत्र- अध्ययन क्षेत्र में शहडोल संभाग में अनुसूचित जाति के लोगों की व्यावसायिक संरचना और साक्षरता दर का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का उपयोग करके आंकड़े संग्रहित किए।

1. प्राथमिक आंकड़े - इस अध्ययन करने के लिए सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया।

2. द्वितीयक आंकड़े - इस अध्ययन में द्वितीयक आंकड़े संग्रहित करने के लिए सरकारी रिपोर्ट शोध पत्र और अन्य स्रोतों का उपयोग किया।

सारणी क्र. - 1.1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

काश्तकार कृषक - कृषक का काश्तकार से आशय ऐसे श्रमिक पुरुष-महिला से है जो स्वयं अथवा जो अपनी खुद की जमीन सरकार से पट्टे पर जमीन या किसी दूसरे व्यक्ति या संख्या से नगद या जिस या जिस बटाई पर ली जमीन पर खेती करता है। काश्तकारी के अन्तर्गत अपनी प्रभावी देखरेख अथवा निर्देशन में खेती करवाना भी शामिल है। काश्तकार जिसने अपनी जमीन किसी एक दूसरे व्यक्तियों या संख्या को खेती करने के लिए नगदी फसल के हिस्से के बदले में दे दी है और इस जमीन में खेती के काम में देखरेक और निर्देशन काम शामिल है। (भारतीय जनगणना, 2011)

अध्ययन क्षेत्र में कुल मुख्य कार्यशील जनसंख्या 32.41 प्रतिशत भाग काश्तकार के अन्तर्गत शामिल है। उच्च भूमि में काश्तकार का उच्चतम प्रतिशत पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड (56.09 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ है जो क्षेत्र के औसत प्रतिशत से अधिक है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत ब्यौहारी विकासखण्ड (16.48) प्रतिशत में प्रदर्शित हुआ जो क्षेत्र के औसत 32.41 प्रतिशत से अधिक है। उल्लेख है कि जैतहरी विकासखण्ड में काश्तकारों की संख्या में कमी का मुख्य कारण कृषि भूमि का बंटवारा, नगर का विस्तार हुआ।

खेतिहर मजदूर - खेतिहर मजदूर के अन्तर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो व्यक्ति अपने रूपये या अनाज के रूप में मजदूरी या पैदावार हिस्सा लेकर एक दूसरे के यहाँ जाकर काम करते हैं। खेतिहर मजदूर कहा जाता है। खेतिहर मजदूर को पट्टे या जमीन ठेके पर किसी प्रकार की मांग नहीं करते हैं। वे जमींदार के यहाँ कार्य करते हैं और जीवनयापन व्यतीत करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का केवल 40.37 प्रतिशत भाग खेतिहर मजदूर के अन्तर्गत शामिल है। या उच्चतम प्रतिशत ब्यौहारी, विकासखण्ड 57.55 प्रतिशत प्राप्त है। जो क्षेत्र के औसत से अधिक है। इसके विपरीत खेतिहर मजदूर का न्यूनतम प्रतिशत पाली विकासखण्ड 20.53 प्रतिशत है जो क्षेत्र के औसत से लगभग कम है।

पारिवारिक उद्योग - पारिवारिक उद्योग वह उद्योग है जो परिवार के सभी सदस्य द्वारा घर में मिलजुल कर काम को करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की सीमा के अन्तर्गत व नगरीय क्षेत्रों में उस मकान के अन्दर या अहाते में जिसमें परिवार रहता है। पारिवारिक उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों की अधिकांश संख्या मुखिया के सदस्यों की होती है। सभी परिवार के लोग प्राथमिक क्रिया के अन्तर्गत बीड़ी बनाना, टोकरी बनाना, सिलाई, बुनाई कताई आदि कार्य उनके हाथों द्वारा किये जाते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की मुख्य कार्यशील जनसंख्या केवल 7.14 प्रतिशत भाग पारिवारिक उद्योग के अन्तर्गत शामिल है। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में उच्चतम प्रतिशत मानपुर विकासखण्ड (13.01 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ जो औसत क्षेत्र (7.14 प्रतिशत) से अधिक है। इस प्रकार न्यूनतम प्रतिशत पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड (1.33 प्रतिशत) प्राप्त हुआ है। जो औसत क्षेत्र से बहुत कम है। **अन्य कर्म** - इस वर्ग के अन्तर्गत उन सभी कार्य करने वाले व्यक्तियों को रखा जाता है इसमें काश्तकार, खेतिहर मजदूर, पारिवारिक उद्योग में कार्यरत व्यक्ति शामिल है। अन्य इस श्रेणी के अन्तर्गत सरकारी, कर्मचारी, नगरपालिका, शिक्षक, कारखाने में कार्य करने वाले वाणिज्य, व्यवसाय, खनन, पुजारी, मनोरंजन कलाकार भी आदि आते हैं।

अध्ययन क्षेत्र की मुख्य कार्यशील जनसंख्या का केवल 19.69 प्रतिशत भाग इस वर्ग के अन्तर्गत शामिल है। कार्यशील व्यक्तियों की दृष्टि से क्षेत्र उच्चतम प्रतिशत पाली विकासखण्ड 51.14 प्रतिशत अंकित किया गया है। जो औसत से अधिक है। इसके विपरीत अन्य कर्म न्यूनतम प्रतिशत पुष्पराजगढ़ विकासखण्ड 6.18 प्रतिशत प्राप्त हुआ है। जो क्षेत्र के औसत 19.69 प्रतिशत से कम है गौर किया जाए तो खेतिहर मजदूरों की संख्या अधिक है। इस कारण अन्य कर्मों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

सारणी 1.2 (अन्तिम पृष्ठ पर देखें)

क्षेत्रीय वैविध्य परिवर्तन - क्षेत्रीय ग्रामीण साक्षरता जनसंख्या की विविधता को तीन प्रमुख श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है -

1. उच्च ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता वाले क्षेत्र - अध्ययन क्षेत्र में उच्च ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की भागीदारी दर में ऐसे विकासखण्ड जिनमें भागीदारी दर उच्च पायी गई है, जैसे विकासखण्ड गोहपारु 57.07 प्रतिशत पाली 56.41 प्रतिशत, करकेली 55.54 प्रतिशत, कोतमा 54.70 प्रतिशत सोहगपुर 54.05, मानपुर 53.53, पुष्पराजगढ़ 53.10 हैं। यहां उच्च साक्षरता दर होने का प्रमुख कारण इस क्षेत्र में शिक्षा के एवं रोजगार के प्रचुर अवसर परिवहन संचार, व्यापार, श्रमशक्ति की अधिकता आदि प्रमुख है। संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र एवं प्रदेश की तुलना में यहां प्रतिशत काफी उच्च है।

2. मध्यम ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता वाले क्षेत्र - ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की मध्यम भागीदार दर के लिए अनेक सांस्कृतिक परिस्थितियां उत्तरदायी हो सकती हैं। अध्ययन क्षेत्र में मध्य भागीदार दर विकासखण्ड ब्यौहारी 49.25 प्रतिशत, जयसिंहनगर 49.03 प्रतिशत, बुढार 45.38 प्रतिशत पायी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति की साक्षरता की भागीदारी संपूर्ण शहडोल संभाग एवं प्रदेश की अपेक्षा मध्यम पायी गई है।

3. निम्न ग्रामीण अनुसूचित जाति साक्षरता वाले क्षेत्र - ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की निम्न भागीदारी दर के अंतर्गत ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या उससे अधिक प्रतिशत है, उसे निम्न ग्रामीण साक्षरता अनुसूचित जाति जनसंख्या की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जैतहरी 38.74 प्रतिशत, अनूपपुर 38.54 प्रतिशत निम्न भागीदारी दर में भी क्षेत्रीय अंतराल विकासखण्डों में काफी भिन्नता पाई गई है।

अनुसूचित जाति साक्षरता का प्रभाव - शिक्षा किसी समाज, क्षेत्र और प्रदेश को एक नया आत्मविश्वास और आत्मबल देती है शिक्षा के अभाव से व्यक्ति समय सापेक्ष मानदण्डों से तादात्म्य नहीं बना पाता और तेजी से आगे बढ़ते मानकों की ओर आशाभरी निगाहों से तो देखता है लेकिन

सहभागी न हो पाने के कारण उनके लाभ से वंचित रह जाता है। यह समस्या ग्रामीण और वनांचली क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा दिखती है। अध्ययन क्षेत्र शहडोल संभाग मूलतः वनप्रान्तीय क्षेत्र है यहाँ की जीवनशैली और भौगोलिक संरचना अन्य क्षेत्रों से हटकर के है। समय के साथ आये उतार चढ़ावों ने शहडोल संभाग को औद्योगिक क्रांति की ओर उन्मुख तो किया पर संभाग में सक्रिय होने वाली एजेंसियां मशीनी तकनीक के माध्यम से अपने कार्यों को गति देती रही जिस कारण विभिन्न स्थानीय समुदाय के लोगों को कार्य के अवसर नहीं मिल पाते हैं। कार्यों से दूरी का सबसे महत्वपूर्ण कारण शिक्षा ही देखा गया है। शिक्षा के प्रति अनुसूचित जाति समुदाय लोगों का प्रारंभिक रुझान तो दिखता है पर सामान्य प्राथमिक शिक्षा के बाद इस समुदाय के लोग धीरे-धीरे शिक्षा से दूर होने लगते हैं इस कारण अन्य विभिन्न क्षेत्रों में आपेक्षित अवसर नहीं मिल पाता है। आजादी बाद शासन स्तर पर अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के भरण पोषण और समय सापेक्ष समस्याओं पर ध्यान गया।

अनुसूचित जाति की साक्षरता के लिए संचालित योजनाएँ- भारत के सभी राज्यों को मिलाकर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 6.76 करोड़ (वर्ष 2011) है जबकि अध्ययन क्षेत्र में कुल अनुसूचित जातीय जनसंख्या 164858 पायी गई है। अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। अतः शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए संचालित योजनाएँ निम्नानुसार है-


1. लाइली लक्ष्मी योजना।
2. निःशुल्क साइकिल प्रदाय योजना।
3. निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रदाय योजना।

4. गाँव की बेंटी योजना।
5. अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना।
6. जनजातीय कल्याण छात्रवृत्ति योजना।
7. अनुसूचित जनजाति राहत योजना।

निष्कर्ष- उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में सरकारी योजनाओं में अनुसूचित जातियों की समस्याओं के प्रत्येक पक्ष का विश्लेषण करते हुए उन समस्याओं के निदान हेतु योजनाबद्ध कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत होनी चाहिए जिनका सुचारु संचालन के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके तथा आदिवासी विकास कार्यक्रमों का प्रभाव परिलक्षित सम्भव हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. श्रीवास्तव, रजनीश (1985), शहडोल जिले के आदिवासियों का आर्थिक अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध प्रबंध, अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय, रीवा, पृ.क्र. 45
2. दीक्षित, डी.के. (2001) 'जनजातीय विकास के लिए क्षेत्रीय सन्तुलन एवं जनभागीदारी की आवश्यकता' द्वारा शुक्ल (सम्पा.) क्षेत्रीय विषमता और सामाजिक आर्थिक विकास, म.प्र. हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, पृ.स. 120-130
3. वर्मा, रूपचन्द्र (2003) भारतीय जनजातियाँ, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
4. सलीम, मोहम्मद (2016): भारत में उच्च शैक्षिक और व्यवस्थित रोजगार क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी का अध्ययन, यूनिवर्सिटी न्यूज, पृ.सं. 54
5. जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, 2011



सारणी क्र.- 1.1: शहडोल संभाग : अनुसूचित जाति की व्यावसायिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों का विवरण जनगणना वर्ष-2011

क्र.	विकासखण्ड	मुख्य कार्यशील	योग प्रति	काश्तकार		कृषि मजदूर		पारिवारिक उद्योग		अन्य उद्योग	
				संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1	ब्यौहारी	3470	21.92	572	16.48	1997	57.55	399	11.49	502	14.46
2	जयसिंहनगर	2383	15.18	574	24.08	1235	51.82	266	11.16	308	12.92
3	गोहपारू	2208	27.36	578	26.17	1159	52.49	221	10.00	250	11.32
4	सोहगपुर	2541	24.11	644	25.34	758	29.83	139	5.47	1000	39.35
5	बुढार	3527	15.93	937	26.56	1749	49.58	246	06.97	595	16.86
6	कोतमा	1625	21.58	544	33.47	608	37.41	43	02.46	430	26.46
7	पुष्पराजगढ़	6346	39.59	3560	56.09	2310	36.40	85	1.33	391	6.16
8	अनूपपुर	2625	13.11	735	27.61	693	26.40	99	3.77	1098	41.82
9	जैतहरी	3315	18.96	826	24.91	1433	43.22	266	8.02	790	23.83
10	मानपुर	4511	19.57	1473	32.65	1442	38.61	587	13.01	709	15.71
11	करकेली	3889	21.05	1526	39.28	1374	35.33	215	5.52	774	19.90
12	पाली	2052	29.20	184	17.49	216	20.53	114	10.83	538	51.14
	शहडोल संभाग	37492	21.01	12153	32.41	15274	40.37	2680	7.14	7385	19.69
	मध्यप्रदेश	3407270	30.04	677802	19.90	1454983	42.71	154490	45.34	1119995	32.88

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Shahdol, Umariya & Anuppur

सारणी 1.2: शहडोल संभाग : ग्रामीण अनुसूचित जाति विकासखण्डवार साक्षरता वितरण जनगणना वर्ष-2011

क्र.	विकासखण्ड	कुल साक्षर व्यक्ति	योग प्रतिशत	रैक	पुरुष	%	महिला	%
1	ब्यौहारी	7797	49.25	8	4655	59.70	3142	40.29
2	जयसिंहनगर	7696	49.03	9	4559	59.23	3137	40.76
3	गोहपारू	4606	57.07	1	2638	57.27	1968	42.72
4	सोहगपुर	5695	54.05	5	3369	59.15	2326	40.84
5	बुढार	10047	45.38	10	6018	59.89	4029	40.10
6	कोतमा	4118	54.70	4	2436	59.15	1682	40.84
7	पुष्पराजगढ़	8513	53.10	7	5180	60.84	3333	39.15
8	अनूपपुर	7717	38.54	12	4466	57.87	3251	42.12
9	जैतहरी	6773	38.74	11	4097	60.49	2676	39.50
10	मानपुर	12336	53.53	6	7343	59.52	4993	40.47
11	करकेली	10262	55.54	3	6257	60.97	4005	38.02
12	पाली	2032	56.41	2	1190	58.56	842	41.43
	शहडोल संभाग	87592	49.08		52208	59.60	35384	40.39
	मध्यप्रदेश	4344701	38.30		2674001	61.54	1670700	38.45

Source : Census of India, 2011, District Census Hand Book, Distirict Shahdol, Umariya & Anuppur



चुनावी रेवड़ी की राजनीति : एक अध्ययन

मनोज अहिरवार*

* शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शब्द कुंजी – चुनाव, रेवड़ी, फ्रीबीज, राजनीतिक दल, योजनाएं, जनकल्याण, मतदाता आदि।

प्रस्तावना – चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज यह शब्द वर्तमान राजनीति में प्रमुख रूप से देखने को मिल रहे हैं। रेवड़ी एक प्रकार की भारतीय मिठाई है। रेवड़ी मुख्यतौर पर तिल को चीनी या गुड़ में मिलाकर बनाया जाता है। रेवड़ी का नाम आते ही मुंह में एक मिठास और मन में लोहड़ी जैसी मस्ती घुल जाती है। तिल की वजह से रेवड़ी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक मानी जाती है। हालांकि राजनीतिक रेवड़ी का स्वाद इसके ठीक विपरीत होता है। चुनावी वादों के तौर पर वोटों के बीच बंटने वाली ज्यादातर रेवड़ी, उन्हें कभी नहीं मिलती। सत्ता में आने के बाद वोटों को लुभाने के लिए जो रेवड़ी बांटी जाती है, उससे सरकारी खजाना खाली होता है। दीर्घकाल में इसका सीधा दुष्प्रभाव बड़ी परियोजनाओं और राज्य के विकास पर पड़ता है। भारत में चुनाव एक तरफ जहां मूलभूत सुविधाओं तथा जनकल्याण के मुद्दों पर लड़े जाते थे, वहीं कुछ समय से एक नया तरीका सामने आया है, जिसे चुनावी रेवड़ी अथवा फ्रीबीज कहते हैं। फ्रीबीज शब्द सबसे पहले 1920 के दशक में अमेरिकी राजनीति में इस्तेमाल हुआ था। फ्रीबी शब्द का मतलब होता है, कोई ऐसी चीज जो आपको मुफ्त में दी जाती है। भारत के चुनाव आयोग के अनुसार, फ्रीबीज की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। प्राकृतिक आपदा या महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवाएं, खाना या पैसा मुहैया कराने से लोगों की जान बच सकती है, लेकिन आम दिनों में अगर ये दिए जाएं तो इन्हें फ्रीबीज कहा जाएगा। इसमें विभिन्न राजनीतिक दल वोट अपने पक्ष में प्राप्त करने के लिए तरह-तरह की फ्री योजनाएं और लोक लुभावाने वादे करते हैं। चुनाव के कुछ दिनों पहले ही ऐसी योजनाओं को जनता के बीच में लाया जाता है, और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए आकर्षित किया जाता है। वैसे तो इसकी कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन चुनाव के कुछ समय पहले राजनीतिक दलों द्वारा जो घोषणाएं की जाती हैं, उनमें से कुछ विशेष प्रकार की योजनाएं होती हैं। जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, कर्जमाफी, बेरोजगारी भत्ता, फ्री मोबाइल, टीवी, वाशिंग मशीन इत्यादि। जो जनता को दी जाती हैं। इसके अलावा नगद राशि जो किसी योजना के रूप में जनता को दी जाती है। यह सभी रेवड़ी की श्रेणी में आती हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा या अन्य कोई चुनाव सभी में अब इसका प्रभाव देखने को मिलने लगा है।

‘गरीब की थाली में पुलाव आ गया, लगता है शहर में चुनाव आ गया।’ इन योजनाओं को सभी अपने-अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। जो

राजनीतिक दल इसकी घोषणा करता है, वह इसे लोक कल्याणकारी योजना कहता है। तथा विपक्ष इसे रेवड़ी या मुफ्तखोरी कहता है। लेकिन इस तरह की योजनाएं लगभग सभी प्रमुख दलों द्वारा चलाई जा चुकी हैं। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहते हैं, वह चुनाव के पूर्व राजकोष से इन योजनाओं की घोषणा करते हैं, तथा अन्य दल सरकार बनने के बाद इस तरह की योजनाओं को शुरू करने की गारंटी देते हैं। लेकिन दोनों ही सरकारी धन के बल पर यह करते हैं।

जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, फ्री पानी तथा महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस तरह की चुनावी रेवड़ी का विरोध किया गया था। वर्ष 2022 में भाजपा ने ही इस प्रकार की योजनाओं को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। लेकिन उनकी ही भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश 2023 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले लाडली बहन योजना प्रारंभ की। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन ने भी माझी लाडकी बहन योजना शुरू की। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा प्रारंभ की। तेलंगाना में रायतू बंधु योजना। इस प्रकार लगभग अधिकांश राज्यों के चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह की योजनाएं जिनका जनता को प्रत्यक्ष लाभ जो फ्री में उपलब्ध कराया जाता है चुनावी रेवड़ी या फ्रीबीज है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं विकास – चुनावी रेवड़ी की संकल्पना नई नहीं है, यह तो दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए मुफ्त की योजनाओं या फ्रीबीज का ऐलान करती रहीं हैं। भारत में इसकी शुरुआत दक्षिण के राज्यों से हुई और धीरे-धीरे यह पूरे भारत में फैल गई। इस प्रकार की योजनाएं कैसे और कहां शुरू हुई इसके विकास को देखते हैं जैसे

मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने 1954 से 1963 के दौरान मुफ्त शिक्षा और स्कूली छात्रों के लिए मुक्त भजन जैसी स्कीम शुरू की।

1967 में DMK के संस्थापक कम अन्नादुरई ने तमिलनाडु चुनाव में एक रुपए में 4.5 किलो चावल देने जैसे वादे किए थे।

1982 में एमजी रामचंद्र ने कामराज की तरह ही तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की योजना लागू की थी।

1980 के दशक में आंध्र प्रदेश के एम एंटी रामाराव ने रु 2 किलो चावल देने की योजना शुरू की थी।

1990 के दशक में तमिलनाडु। पक्कड़ नेता जे जयललिता ने मुफ्त

साड़ी, प्रेशर कुकर, टेलीविजन और वाशिंग मशीन देने जैसे वादे किए थे। 1990 के दशक में ही पंजाब में अकाली दल सरकार ने सबसे पहले मुफ्त बिजली देना शुरू किया था।

2006 विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके ने वोटर्स को कलर टीवी देने का वादा किया था।

तमिलनाडु के चुनाव में गैस स्टोव, कैश, जमीन और मैटरनिटी सहायता तक देने का वादा करती रही है।

2015 में आम आदमी पार्टी दिल्ली में लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने के साथ ही सत्ता में आई।

2022 में पंजाब में सत्ता में आई आप सरकार ने जुलाई से हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना शुरू कर दी थी।

2022 में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी योजना शुरू की थी।

गुजरात में बीजेपी सरकार ने 4000 गांव के लिए मुक्त वाई-फाई और गाय संरक्षण के लिए 500 करोड़ देने का वादा किया था।

आमआदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में जीतने पर 300 यूनिट बिजली फ्री और हर माह महिलाओं को रु 1000 देने का वादा किया था।

मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 विधानसभा चुनाव के पहले लाडली बहन योजना के माध्यम से रु 1000 महीना महिलाओं को देना शुरू किया। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भाजपा समर्थित महायुति गठबंधन सरकार ने महिलाओं माझी लड़की बहन योजना के माध्यम से उनको रु 1500 महीना देना प्रारंभ किया। इस तरह लगभग सभी राज्यों में सभी राजनीतिक दल चुनाव से पहले मुफ्त की योजनाएं देते आ रहे हैं।

उद्देश्य:

1. चुनावी रेवडी या फ्रीबीज क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसका विश्लेषण करना।
2. रेवडी/फ्रीबीज कल्चर के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. फ्रीबीज को कैसे बंद किया जा सकता है, इसका अध्ययन करना।

शोध पद्धति - प्रस्तुत शोध आलेख में विश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग कर अध्ययन किया गया है। तथ्यों के संकलन में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से तथ्य संग्रहित किए गए हैं। जिसमें विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, शोधपत्र, चुनावी घोषणा पत्र, समाचार पत्र, इंटरनेट आदि को शामिल किया गया है।

प्रभाव:

राजनीतिक प्रभाव- चुनावी रेवडी का प्रभाव सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों पर देखने को मिल रहा है। कुछ दल इसका प्रयोग चुनाव में बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। और उसका फायदा उनको चुनावी नतीजे में स्पष्ट तरीके से देखने को मिल रहा है। जिन चुनावों में उनका मत प्रतिशत बहुत कम रहता था, रेवडी/फ्रीबीज के माध्यम से मत प्रतिशत भी बढ़ा और उनकी जीत भी हुई, एवं सरकार भी बनी। इसको देखते हुए अन्य दल भी ना चाहते हुए भी फ्री में योजनाओं की घोषणा कर देते हैं, ताकि उनको भी जीत मिल सके।

सामाजिक प्रभाव- इससे मतदाताओं में लालच उत्पन्न हो जाता है, और वह इससे भी ज्यादा फ्री की योजनाओं की आशा रखने लगते हैं। मुफ्तखोरी से पानी और बिजली जैसे प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो सकता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ सकता है मुफ्त की चीजें सरकार पर निर्भरता की संस्कृति को बढ़ावा दे सकती हैं।

आर्थिक प्रभाव- आरबीआई ने हाल ही में एक अध्ययन किया है। राज्य वित्त एक जोखिम विश्लेषण। इस अध्ययन के अनुसार भारतीय राज्यों के लिए हाल के वर्षों में सब्सिडी पर सरकारी ब्याज 11 से 12% की दर से बढ़ा है। आरबीआई के अनुसार कई राज्य सरकारें सब्सिडी से मुफ्त की योजनाओं पर स्विच कर रही हैं। 2023-24 में सरकार को राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% रहने का अनुमान था। इसके 5.02 प्रतिशत से 5.4% तक जाने की उम्मीद है। राज्यों को 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति है, जिसमें 0.5% बिजली सुधार के लिए है।

मुफ्त की रेवडियां बांटने से सार्वजनिक वित्त पर बोझ काफी बढ़ता है। जिसकी लागत कई राज्यों में सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.1% से 2.7% तक होती है। कुछ राज्य जैसे आंध्र प्रदेश और पंजाब अपने राजस्व का 10% से अधिक सब्सिडी के लिए आवंटन करते हैं। ऐसे में राजकोषीय हालात पर असर पड़ता है।

रेवडी/ फ्रीबीज का वैश्विक परिदृश्य - चुनावी रेवडी को वैश्विक संदर्भ में देखें तो ज्ञात होता है, कि यह एक वैश्विक समस्या है। कई देशों में राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त सुविधाएं और उपहार देते हैं। यह समस्या केवल भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी है। जहां रेवडी फ्रीबीज के नाम पर चुनाव लड़े जाते हैं। इनमें श्रीलंका, अर्जेंटीना, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं।

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब हो गई। और उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया। क्योंकि वहां की सरकार ने फ्रीबीज को बहुत बढ़ावा दिया जिसमें जनता की बहुत सारे कर माफ कर दिए और सब्सिडी बहुत अधिक दी जिससे देश पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। ऐसा ही अर्जेंटीना में भी रेवडी कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। विश्व के बहुत से देशों में फ्रीबीज कल्चर का प्रचलन देखने को मिल रहा है। इसे रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर भी प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

सुझाव - चुनाव में इस तरह के रेवडीकल्चर को रोकने के लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे-धीरे पूरी चुनावी प्रक्रिया केवल इन्हीं योजनाओं पर संचालित होने लगेगी। और आवश्यक एवं मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेवडी या फ्रीबीज को परिभाषित किया जाए तथा साथ ही लोक कल्याणकारी योजनाओं और फ्रीबीज के मध्य अंतर को स्पष्ट किया जाए। जनता को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम किए जाएं, और उन्हें समझाया जाए कि ऐसी योजनाओं के नाम पर मतदान न करें। मतदान करते वक्त एक सशक्त और जनकल्याण वाली सरकार का चुनाव करें। रेवडी कल्चर को रोकने के लिए भारत की संसद द्वारा कानून बनाया जाए। जिसकी वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस रेवडी कल्चर को ना अपना सके।

निष्कर्ष - पिछले दशक से भारत के लगभग आधे से अधिक राज्यों में रेवडी कल्चर एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। राजनीतिक दल चुनाव में जीत हासिल करने के लिए इसको ही प्राथमिकता देने लगे हैं। मतदाता भी प्रत्यक्ष लाभ के कारण उन्हीं के पक्ष में मतदान करते हैं। तथा उनको ही सत्ता में ला रहे हैं। वर्तमान राजनीति में देखा जाए तो प्रत्येक राजनीतिक दल ने चुनावों में जीतने के लिए सबसे आसान तरीका ढूँढ लिया है। और वह है फ्री की योजनाएं जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, और भी कई योजनाएं हैं जिनको चुनावी रेवडी या मुफ्तखोरी कहा जा सकता है। जो राजनीतिक दल सत्ता में है वह मनमाने ढंग से इस तरह की योजनाएं

चालू कर देते हैं ताकि उनको आगामी चुनाव में जीत हासिल हो सके। इसी को देखते हुए अन्य दल भी सत्ता में आने के लिए मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने लगते हैं। इस प्रकार सत्ताखंड दल और विपक्ष दोनों ही रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देते हैं। और साथ ही एक दूसरे की योजनाओं को फ्रीबीज या रेवड़ी बोलते हैं और अपनी योजनाओं को कल्याणकारी बताते हैं। रेवड़ी कल्चर को रोकना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि इससे राज्यों की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और लगातार कई राज्य कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद इन सभी को मिलकर यह प्रयास करना चाहिए, कि इस कल्चर को जल्दी ही बंद कराया जा सके। सभी राजनीतिक दलों को भी चुनावी रेवड़ी जैसी योजनाओं को बंद करना चाहिए। तथा मूलभूत और आवश्यक सुविधाओं के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। मतदाताओं को भी यह सोचना होगा कि यह जो फ्री की योजनाएं हैं, वह उनके विकास में बाधक हैं, उनके आधार पर मतदान नहीं करना चाहिए। जब यह योजनाएं फेल होने लगेंगी और इनके माध्यम से चुनाव में जीत नहीं मिलेगी तो धीरे-धीरे ये स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. आजतक 17/08/2022, <https://youtu.be/7-TL3sTQZnU?si=gAJUvd9jjUgCqbNh>
2. दीपिका पल 9/11/2024, <https://navbharatlive.com/special-coverage/formula-of-throwing-sweets-and-winning-the-election-is-in-vogue-in-electoral-democracy-1053412.html>
3. सुनीलकुमार 03/12/2024, <https://www.jagran.com/business/biz-freebies-will-reduce-gdp-growth-in-fy-202425-23841416.html>
4. NDTV Profit desk 14/10/2023, <https://hindi.ndtvprofit.com/politics/india/who-is-benefiting-from-freebies-in-election-assembly-election-in-five-states>
5. विजय कुमार 4/12/2024, <https://hindi.oneindia.com/news/features/what-is-freebies-what-is-the-difference-from-subsidy-735085.html>
6. दिनेश मिश्र 10/12/2024, <https://navbharattimes.india.com/india/will-free-electricity-water-and-ration-stop-why-did-supreme-court-get-upset-over-distributing-freebies/articleshow/116168531.cms>
7. शादाब नज्मी 01/04/2024, <https://www.bbc.com/hindi/articles/crgdlep95l5o>
8. योगेश यादव 08/12/2024, <https://4pm.co.in/the-economy-of-the-states-has-collapsed-due-to-distribution-of-free-revadi-the-country-is-drowning-in-debt/114221>
9. आलोक जोशी 10/11/2024, <https://www.livehindustan.com/blog/editorial-news/hindustan-editorial-column-11-november-2024-story-201731262486299.html>
10. अभिषेक पांडे 23/08/2022, <https://www.bhaskar.com/db-original/explainer/news/freebies-controversy-history-explained-arvind-kejriwal-modi-government-supreme-court-130218673.html>

आपदा प्रबंधन का अवलोकन

डॉ. शोभाराम सोलंकी*

* सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – यह आलेख इस बात का दायरा निर्धारित करता है कि आपदा प्रबंधन में क्या शामिल है। एक परिचयात्मक पाठ्यक्रम के रूप में, सामग्री शब्दावली की परिभाषाओं और विवरणों पर केंद्रित है, आपदा प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करना, आपातकालीन और आपदा स्थितियों के बीच अंतर करना, प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के प्रकारों की पहचान करना और उनका वर्णन करना, उन मुख्य खतरों को सूचीबद्ध करना और उनका वर्णन करना जिनसे आपका देश असुरक्षित है और आपदाओं के लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना और उनका संक्षेप में वर्णन करना।

प्रस्तावना – यह आलेख परिभाषाओं, शब्दावली और संभावित खतरों के प्रकारों (प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक आपदाओं सहित) पर गौर करती है आपदाओं, उनके कारणों और निहितार्थों को समझना और एक प्रभावी आपदा प्रबंधन योजना की सामग्री। इस लेख के पूरा होने पर आप निम्न में सक्षम होंगे आपदा प्रबंधन, खतरा, आपातकाल, आपदा, भेद्यता और जोखिम को परिभाषित, आपातकालीन स्थिति और आपदा स्थिति के बीच अंतर, प्राकृतिक और गैर-प्राकृतिक आपदाओं के प्रकारों को पहचानें और उनका वर्णन, उन मुख्य खतरों की सूची और उनका वर्णन जिनके प्रति आपका क्षेत्र संवेदनशील है या हो सकता है, अपने क्षेत्र और पर्यावरण पर आपदाओं के प्रभावों को पहचानें और संक्षेप में चर्चा।

आपदा प्रबंधन – यह केवल प्रतिक्रिया और राहत से कहीं अधिक है (अर्थात्, यह अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है एक व्यवस्थित प्रक्रिया है (अर्थात्, योजना, आयोजन और नेतृत्व के प्रमुख प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित है जिसमें समन्वय और नियंत्रण शामिल है) इसका उद्देश्य प्रतिकूल घटनाओं के नकारात्मक प्रभाव या परिणामों को कम करना है (अर्थात्, आपदाओं को हमेशा रोका नहीं जा सकता है, लेकिन प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है) यह कई घटकों वाली एक प्रणाली है।

खतरा – 'क्या किसी प्राकृतिक या मानव-जनित घटना के नकारात्मक परिणामों के साथ घटित होने की संभावना है' कोई खतरा आपातकाल बन सकता है जब आपातकाल जनसंख्या के नियंत्रण से परे चला जाता है, तो यह एक आपदा बन जाता है।

आपातकाल – 'किसी घटना की वास्तविक या आसन्न घटना से उत्पन्न स्थिति है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।'

आपदा – 'एक प्राकृतिक या मानव-जनित घटना है जो कारण बनती है लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पर्यावरण पर गहन नकारात्मक प्रभाव, प्रभावित समुदाय की प्रतिक्रिया देने की क्षमता से अधिक।'

जोखिम – 'खतरे और भेद्यता को देखते हुए, क्या संभावना है कि किसी प्रतिकूल घटना के परिणामस्वरूप नुकसान होगा' जोखिम (आर) को खतरे के उत्पाद के रूप में निर्धारित किया जा सकता है (एच) और भेद्यता (वी)।

यानी आर = एच x वी

भेद्यता – 'यह वह सीमा है जिस तक किसी समुदाय की संरचना, किसी खतरे के प्रभाव से सेवाओं या पर्यावरण के क्षतिग्रस्त या बाधित होने की संभावना है।'

आपातकालीन स्थिति और आपदा स्थिति के बीच अंतर करना – आपातकाल और आपदा दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं:

आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिसमें समुदाय मुकाबला करने में सक्षम है। यह किसी घटना की वास्तविक या आसन्न घटना से उत्पन्न स्थिति है जिस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है और आपातकालीन संसाधनों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

आपदा एक ऐसी स्थिति है जिसमें समुदाय मुकाबला करने में असमर्थ होता है। यह एक प्राकृतिक या मानव-जनित घटना है जो लोगों, वस्तुओं, सेवाओं और पर्यावरण पर तीव्र नकारात्मक प्रभाव डालती है, जो प्रभावित समुदाय की प्रतिक्रिया देने की क्षमता से अधिक हो जाती है इसलिए समुदाय सरकार और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता चाहता है।

प्राकृतिक एवं अप्राकृतिक आपदाओं के प्रकार – आपदाओं को अक्सर उनके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है:

कारण – प्राकृतिक बनाम मानव

बी शुरुआत की गति – अचानक बनाम धीमी

अ. कारण

1 प्राकृतिक आपदाएँ – इस प्रकार की आपदाएँ स्वाभाविक रूप से लोगों, संरचनाओं या आर्थिक संपत्तियों के निकट होती हैं और उनके लिए खतरा पैदा करती हैं। वे प्राकृतिक वातावरण में जैविक, भूवैज्ञानिक, भूकंपीय, जल विज्ञान, या मौसम संबंधी स्थितियों या प्रक्रियाओं (जैसे, चक्रवात, भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन और ज्वालामुखी विस्फोट) के कारण होते हैं।

चक्रवात, तूफान या टाइफून – चक्रवात तब विकसित होते हैं जब गर्म महासागर गर्म हवा को जन्म देता है, जो बदले में संवहनीय वायु धाराओं का निर्माण करता है। चक्रवात तब घटित होते हैं जब ये पारंपरिक वायु धाराएँ

विस्थापित हो रही होती हैं। तूफान/टाइफून शब्द 'उष्णकटिबंधीय चक्रवात' के लिए एक क्षेत्रीय विशिष्ट नाम है। एशिया में इन्हें 'टाइफून' कहा जाता है हिन्द और प्रशांत महासागरों में इन्हें 'चक्रवात' कहा जाता है और उत्तारी अटलांटिक और कैरेबियन बेसिन पर, उन्हें 'तूफान' कहा जाता है।

उष्णकटिबंधीय चेतावनी प्रक्रियाएँ:

1. **छोटे शिल्प और मछली पकड़ने वाली नावें:** लगभग 25-35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ।

2. **जनता के लिए पवन संबंधी सलाह:** लगभग 25-35 मील प्रति घंटे की हवाएँ।

3. **आंधी निगरानी:** जब एक परिपक्व उष्णकटिबंधीय चक्रवात से 48 घंटों के भीतर देश के एक हिस्से को खतरे में डालने की महत्वपूर्ण संभावना होती है।

4. **आंधी बल की चेतावनी:** तब जारी की जाती है जब हवा की गति अगले 24 घंटों के भीतर तूफानी बल की तीव्रता (34-47 समुद्री मील) तक पहुंचने की उम्मीद होती है।

5. **तूफान पर नजर:** यदि 24 से 48 घंटे की समय सीमा के भीतर किसी क्षेत्र या पूरे देश के लिए उत्तार उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गड़बड़ी उल्लेखनीय है, तो तूफान की चेतावनी के साथ एक तूफान निगरानी विवरण भी शामिल किया जाएगा।

6. **तूफान की चेतावनी:** हर तीन (3) घंटे में जारी की जाती है जब औसत हवा की गति अगले 12 से 24 घंटों के भीतर तूफान की तीव्रता 48-63 समुद्री मील तक पहुंचने की उम्मीद होती है।

7. **चक्रवात निगरानी:** तब जारी की जाती है जब उष्णकटिबंधीय चक्रवाती हवाओं के 24 से 48 घंटों में 63 समुद्री मील (या 70 मील प्रति घंटे) से ऊपर की चक्रवाती बल वाली हवाओं तक पहुंचने की उम्मीद होती है।

8. **चक्रवात चेतावनी:** हर तीन (3) घंटे में जारी की जाती है, जब अगले 12 से 24 घंटों के भीतर हवा की गति 63 समुद्री मील से अधिक होने की उम्मीद होती है।

ब. भूकंप - भूकंप पृथ्वी की सतह का कंपना या हिलाने वाली हलचल है, जो फॉल्ट-प्लेन के साथ प्लेटों की गति या ज्वालामुखीय गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती है। भूकंप दिन या रात के किसी भी समय अचानक, तीव्र और बिना किसी चेतावनी के आ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दावली भूकंप से जुड़ी हैं: भूकंप का केंद्र, दोष, परिमाण और भूकंपीय तरंगें।

व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, भूकंप को आमतौर पर उनके परिमाण (या जारी मात्रात्मक ऊर्जा) द्वारा परिभाषित किया जाता है जिसे 1 - 10 के लघुगणक पैमाने का उपयोग करके मापा जाता है। इस लघुगणक पैमाने को रिक्टर स्केल के रूप में जाना जाता है। तीव्रता का निर्धारण सिस्मोमीटर से प्राप्त भूकंपीय आंकड़ों का विश्लेषण करके किया जाता है।

भूकंप की तीव्रता को संशोधित मर्कली तीव्रता (एमएमआई) स्केल का उपयोग करके मापा जाता है, जो भूकंप के प्रभाव की भौतिक टिप्पणियों द्वारा गुणात्मक रूप से निर्धारित किया जाता है।

स. सुनामी - सुनामी एक समुद्री लहर है जो पनडुब्बी भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से उत्पन्न होती है। इसे भूकंपीय समुद्री लहर के रूप में भी जाना जाता है, और गलत तरीके से इसे ज्वारीय लहर के रूप में भी जाना जाता है।

तूफान की लहरें (या गैलू लोलो) तेज हवाओं के कारण उत्पन्न होने वाली लहरें हैं।

समोआ में सबसे बड़ा भूकंप 26 जून 1917 को दर्ज किया गया था, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.3 मापी गई थी। यह घटना टोंगा (एपिया से लगभग 200 किमी दक्षिण में) में उत्पन्न हुई और इसने सतुपैतिया, सवाई में चार से आठ (4-8) मीटर की सुनामी उत्पन्न कर दी। सुनामी अपने उद्गम स्थल से दस (10) मिनट से भी कम समय में पहुँची, जिसका अर्थ है कि उसने यात्रा की।

1 सुनामी को समोआ में गालू अफी के नाम से जाना जाता था लेकिन राष्ट्रीय आपदा सलाहकार समिति (डीएसी) ने अब सुनामी को इसके समोआन अनुवाद के रूप में अपनाया है।

1,000 किमी/घंटा से अधिक की गति। इसलिए, जब भूकंप आता है, तो आपको सुनामी की चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए, उदाहरण के लिए, निचले तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर चले जाना चाहिए।

द. बाढ़ - यह घटना तब घटित होती है जब पानी पहले सूखे क्षेत्रों को कवर कर लेता है, यानी, जब नदी या टूटे हुए पाइप जैसे स्रोत से बड़ी मात्रा में पानी पहले सूखे क्षेत्र में बहता है, या जब पानी बैंकों या बाधाओं से होकर बह जाता है।

स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र के लिए बाढ़ पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए, कुछ नदियों की बाढ़ मिट्टी में पोषक तत्व लाती है जैसे कि मित्र में जहां नील नदी की वार्षिक बाढ़ पोषक तत्वों को अन्यथा शुष्क भूमि में ले जाती है। बाढ़ का लोगों पर आर्थिक और भावनात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, खासकर अगर उनकी संपत्ति सीधे तौर पर प्रभावित हो। बाढ़ के कारणों की बेहतर समझ होने से लोगों को बेहतर ढंग से तैयार होने और संभवतः बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने या रोकने में मदद मिल सकती है।

ई. भूस्खलन - भूस्खलन शब्द का तात्पर्य चट्टान और मिट्टी के द्रव्यमान के नीचे की ओर खिसकने से है। भूस्खलन निम्नलिखित कारकों में से एक या उनके संयोजन के कारण होता है रूख ढलान ढाल में परिवर्तन, भूमि द्वारा सहन किए जाने वाले भार में वृद्धि, झटके और कंपन, पानी की मात्रा में परिवर्तन, भूजल आंदोलन, ठंड की कार्रवाई, झटके का मौसम, निष्कासन या, या ढलानों को कवर करने वाली वनस्पति के प्रकार को बदलना।

भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्र वहां होते हैं जहां भूमि में कुछ विशेषताएं होती हैं जो सामग्री के नीचे की ओर जाने के जोखिम में योगदान करती हैं। इन विशेषताओं में शामिल हैं:

1. 15 प्रतिशत से अधिक ढलान।
2. पिछले 10,000 वर्षों के दौरान भूस्खलन गतिविधि या हलचल हुई।
3. धारा या तरंग गतिविधि जिसके कारण कटाव हुआ है, किसी तट को काटा गया है या किसी तट को काटा गया है जिससे आसपास की भूमि अस्थिर हो गई है।
4. हिमस्खलन की उपस्थिति या संभावना।
5. एक जलोढ़ पंखे की उपस्थिति जो मलबे या तलछट के प्रवाह के प्रति संवेदनशीलता को इंगित करती है।
6. अभेद्य मिट्टी, जैसे गाढ़ या मिट्टी की उपस्थिति, जो रेत और बजरी जैसी ढानेदार मिट्टी के साथ मिश्रित होती है।

भूस्खलन अन्य प्राकृतिक खतरों जैसे बारिश, बाढ़, भूकंप के साथ-साथ मानव निर्मित कारणों जैसे ब्रेडिंग, भू-भाग को काटना और भरना, अत्यधिक विकास आदि से भी हो सकता है। क्योंकि भूस्खलन को प्रभावित करने वाले कारक भूभौतिकीय या मानव हो सकते हैं। निर्मित, वे विकसित क्षेत्रों, अविकसित क्षेत्रों, या किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं जहां सड़कों, घरों, उपयोगिताओं, इमारतों आदि के लिए इलाके को बदल दिया गया है।

2. मानव निर्मित आपदाएँ - ये आपदाएँ या आपातकालीन स्थितियाँ हैं जिनके प्रमुख, प्रत्यक्ष कारण पहचाने जाने योग्य मानवीय कार्य हैं, जानबूझकर या अन्याय। 'तकनीकी आपदाओं' के अलावा इसमें मुख्य रूप से वे स्थितियाँ शामिल हैं जिनमें युद्ध, नागरिक संघर्ष या अन्य संघर्षों या नीति कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप नागरिक आबादी हताहत होती है, संपत्ति, बुनियादी सेवाओं और आजीविका के साधनों की हानि होती है। कई मामलों में, लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे नागरिक संघर्ष, हवाई जहाज दुर्घटना, बड़ी आग, तेल रिसाव, महामारी, आतंकवाद आदि के परिणामस्वरूप शरणार्थियों या बाहरी और ध्या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की भीड़ उमड़ती है।

ब. शुरुआत की गति

1. अचानक शुरुआत: बहुत कम या कोई चेतावनी नहीं, तैयारी के लिए न्यूनतम समय। उदाहरण के लिए, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ज्वालामुखी आदि।

2. धीमी शुरुआत: प्रतिकूल घटना का विकास धीमी गति से होनाय पहले स्थिति विकसित होती है दूसरा स्तर आपातकालीन स्थिति है तीसरा स्तर एक आपदा है। उदाहरणार्थ, सूखा, गृह-संघर्ष, महामारी आदि।

किसी क्षेत्र के मुख्य खतरे, या उनके प्रति संवेदनशील होना, देश की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, समोआ में, मुख्य खतरे जो आपदाओं में बदल सकते हैं वे हैं:

1. चक्रवात
2. भूकंप
3. सुनामी
4. बाढ़

5. भूस्खलन

6. महामारी

आपके क्षेत्र और पर्यावरण पर आपदाओं का प्रभाव - पिछले एक दशक से समोआ में चक्रवात अक्सर होने वाली आपदा रही है प्रत्येक घटना का प्रभाव विनाशकारी रहा है। निम्नलिखित सूची कुछ अप्रिय प्रभावों की पहचान करती है:

1. बुनियादी ढांचे को नुकसान
2. दूरसंचार हानि
3. बाढ़
4. भूस्खलन
5. बिजली व्यवधान
6. पानी की समस्या
7. कृषि क्षति
8. आवास को हानि/क्षति
9. अंतर्देशीय और तटीय पर्यावरण को नुकसान
10. जीवन स्तर, जीवनशैली आदि में व्यवधान।

निष्कर्ष - यह आलेख परिचयात्मक पाठ्यक्रम के रूप में, सामग्री शब्दावली की परिभाषाओं और विवरणों पर केंद्रित है आपदा प्रबंधन की अवधारणा को स्पष्ट करना आपातकालीन और आपदा स्थितियों के बीच अंतर करना प्राकृतिक और मानव-जनित आपदाओं के प्रकारों की पहचान करना और उनका वर्णन करना उन मुख्य खतरों को सूचीबद्ध करना और उनका वर्णन करना जिनसे आपका देश असुरक्षित है और आपदाओं के लोगों और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना और उनका संक्षेप में वर्णन करना।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Srinivas, H. (2005) Disasters: a quick FAQ- Accessed on 24/01/08 at: http://www.gdrc.org/uem/disasters/1-what_is.html
2. Tsunami was known in Samoa as a Galu Afi but the National Disaster Advisory Committee (DAC) has now adopted SŪNAMI as Samoan translation.

खरगोन जिले में प्रसिद्ध लोक पर्व संजा माता

डॉ. राकेश ठाकुर*

* सहायक प्राध्यापक (हिंदी) शासकीय महाविद्यालय, कसरावद, जिला खरगोन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – इस शोध पत्र में खरगोन जिले में मनाए जाने वाले संजा माता के लोक पर्व पर विस्तार से चर्चा की गई है। संजा माता का पर्व इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। इस पर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व, इसे मनाने की विधियाँ, और इससे जुड़े लोक गीतों व कथाओं का विश्लेषण किया गया है। पर्व के सामाजिक प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक एकता और परंपराओं का संरक्षण शामिल है। इसके साथ ही, वर्तमान समय में इस पर्व की स्थिति और इसे संरक्षित करने की चुनौतियों पर भी चर्चा की गई है। आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव के बावजूद, संजा माता का पर्व खरगोन जिले में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बना हुआ है। इस शोध में पर्व के विभिन्न चरणों का विश्लेषण तालिकाओं और विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया है, ताकि इस महत्वपूर्ण लोक परंपरा का व्यापक अध्ययन किया जा सके।

प्रस्तावना – खरगोन जिला मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है और यह क्षेत्र अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां की संस्कृति में लोक पर्वों का विशेष महत्व है, जिनमें से एक प्रमुख पर्व है संजा माता। संजा माता का लोक पर्व मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मनाया जाता है और इसे बड़े उत्साह, आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह पर्व धार्मिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और खरगोन की पहचान में एक खास स्थान रखता है।

इस विस्तृत अध्ययन में, हम संजा माता के पर्व के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, धार्मिक महत्व, पर्व मनाने की विधियाँ, सामाजिक प्रभाव, और वर्तमान स्थिति को प्रमुखता दी जाएगी। साथ ही, संजा माता के पर्व से जुड़ी लोक कथाएं, गीत, और परंपराओं का विश्लेषण भी किया जाएगा।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि – संजा माता का पर्व खरगोन क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं में से एक है। इसकी उत्पत्ति को लेकर कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह पर्व भील और भिलाला जनजातियों की परंपराओं से प्रेरित है।

एक लोकप्रिय लोककथा के अनुसार, संजा एक साधारण ग्रामीण युवती थी, जिसने अपने गांव और परिवार को महामारी से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उसके बलिदान की स्मृति में यह पर्व मनाया जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार, संजा देवी को पार्वती का रूप माना जाता है जो फसलों और समृद्धि की रक्षा करती हैं। कृषि समाज के साथ इस पर्व की उत्पत्ति मानी जाती है, और यह खरीफ की फसल के दौरान कटाई के बाद उत्सव के रूप में मनाया जाता है।

धार्मिक महत्व – संजा माता को फसलों और समृद्धि की देवी माना जाता है। किसानों के बीच उनकी पूजा से अच्छी फसल और परिवार की समृद्धि की कामना की जाती है। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला यह पर्व धार्मिक

दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में महिलाएं संजा माता की पूजा करती हैं और उन्हें विभिन्न वस्त्र, फूल, और प्रसाद अर्पित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के परिणामस्वरूप देवी प्रसन्न होती हैं और परिवार को समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

मनाने का तरीका – संजा माता के पर्व को मनाने के लिए खरगोन के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खास तैयारियाँ की जाती हैं। पर्व मनाने का तरीका मुख्य रूप से निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है:

- 1. संजा स्थापना:** पर्व के पहले दिन घर के आंगन या सार्वजनिक स्थान पर संजा माता की स्थापना की जाती है। संजा माता की आकृति गोबर से बनाई जाती है और इसे रंगीन फूलों और पत्तियों से सजाया जाता है।
- 2. दैनिक पूजा:** प्रतिदिन संध्या समय महिलाएं संजा माता की पूजा करती हैं। पूजा में अगरबत्ती, दीप, नारियल, कुमकुम, और फूल अर्पित किए जाते हैं।
- 3. गीत और नृत्य:** पूजा के दौरान महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं और नृत्य करती हैं। संजा माता के गीत विशेष रूप से ग्रामीण जीवन और कृषि से संबंधित होते हैं।
- 4. व्रत:** कुछ महिलाएं इस अवधि में व्रत रखती हैं और कठोर नियमों का पालन करती हैं।
- 5. समापन उत्सव:** पर्व के अंतिम दिन एक विशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें संजा माता की मूर्ति को जलाशय या नदी में विसर्जित किया जाता है। यह समापन पूरे समुदाय के लिए एक महोत्सव की तरह होता है।

सामाजिक प्रभाव – संजा माता का पर्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह पर्व समुदाय में सामूहिकता, महिला सशक्तीकरण और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देता है।

- 1. महिला सशक्तीकरण:** इस पर्व में महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती

है। महिलाएं इसकी समस्त तैयारियों और पूजाओं का नेतृत्व करती हैं, जिससे उनके सामाजिक योगदान और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है।

2. सामुदायिक एकता: संजा माता का पर्व पूरे समुदाय को एक साथ लाता है। इसमें सभी वर्गों के लोग एक साथ आते हैं और अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन करते हैं।

3. आर्थिक गतिविधियां: इस पर्व के दौरान लोक व्यापार में भी वृद्धि होती है। लोग सजावट की सामग्री, कपड़े, पूजा की वस्तुएं आदि खरीदते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है।

लोक कथाएं और गीत- संजा माता के पर्व से जुड़ी कई लोक कथाएं और गीत हैं, जिनमें देवी की महिमा और ग्रामीण जीवन की वास्तविकता का चित्रण होता है। ये गीत और कथाएं न केवल मनोरंजन के साधन होते हैं, बल्कि इनमें नैतिक और सांस्कृतिक शिक्षाएं भी समाहित होती हैं।

एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, संजा देवी ने एक बार एक सूखे की समस्या से जूझ रहे गांव को अपनी शक्ति से बचाया। गीतों में संजा माता की स्तुति के साथ-साथ किसानों के जीवन और उनके संघर्षों को भी स्थान दिया जाता है।

उदाहरण के लिए, एक लोकप्रिय गीत की पंक्तियां हैं:

‘संजा आई, खेत में हरियाली लाई,
धान की बालियों में आई ममता,
किसान के दिल में उम्मीद जगाई।’

तालिका 1: संजा माता पर्व का समय सारणी

दिन	गतिविधि
1	संजा स्थापना
2-28	दैनिक पूजा और गीत
29	विशेष अनुष्ठान
30	समापन उत्सव

तालिका 2: संजा माता पूजा में प्रयुक्त सामग्री

सामग्री	उपयोग
फूल	अर्पण के लिए
दीप	आरती के लिए
अगरबत्ती	सुगंध के लिए
नारियल	प्रसाद के रूप में
कुमकुम	तिलक के लिए

तालिका 3: संजा माता के प्रमुख गीत

गीत का नाम	विषय
संजा री आई	देवी का आगमन
धरती मैया	फसलों की रक्षा
बरसो इंदर	वर्षा के लिए प्रार्थना
गाँव री शोभा	ग्रामीण जीवन

तालिका 4: खरगोन जिले में संजा माता के प्रमुख मंदिर

मंदिर का नाम	स्थान
संजा माता मंदिर	भीकनगांव
ग्राम देवी मंदिर	बड़वाह
शक्ति पीठ	सेगांव
कृषि देवी मंदिर	कसरावद

वर्तमान स्थिति और चुनौतियां- आज के समय में संजा माता का पर्व खरगोन जिले में अभी भी प्रमुखता से मनाया जाता है, लेकिन आधुनिकता और शहरीकरण के चलते इसकी पुरानी धरोहर में कुछ बदलाव भी आए हैं।

1. युवा पीढ़ी की कम रुचि: शहरों में बसने वाले युवाओं में इस पर्व के प्रति रुचि कम होती जा रही है।

2. समय की कमी: लोगों के पास अपने व्यस्त जीवन के कारण इस पर्व को मनाने के लिए समय की कमी हो गई है।

3. व्यावसायीकरण: कुछ स्थानों पर पर्व का व्यावसायीकरण हो रहा है, जिससे इसकी पारंपरिक आत्मा को नुकसान हो सकता है।

इन चुनौतियों के बावजूद, स्थानीय लोग और सरकार इस पर्व के संरक्षण के लिए प्रयासरत हैं। विद्यालयों में इसके महत्व पर जागरूकता फैलाने के साथ ही, पर्यटन विभाग भी इसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रचारित कर रहा है।

निष्कर्ष- संजा माता का लोक पर्व खरगोन जिले की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। इस पर्व के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों का संरक्षण भी होता है।

हालांकि आधुनिकता और शहरीकरण के कारण इस पर्व के कुछ पहलुओं में बदलाव आए हैं, फिर भी यह पर्व आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। इस पर्व की परंपराओं को संरक्षित रखने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे अपनी सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जानें और समझें।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- यादव, एस. (2018). मध्यप्रदेश की लोक परंपराएँ. भोपाल: साहित्य प्रकाशन।
- तिवारी, ए. (2020). भारतीय लोक पर्व और उनकी सांस्कृतिक धरोहर. दिल्ली: भारत पुस्तक भवन।
- शुक्ला, आर. (2015). भील जनजाति और उनके लोक उत्सव. इंदौर: मध्यप्रदेश सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र।
- शर्मा, पी. (2017). भारतीय लोकगीत और लोककथाएँ. जयपुर: राजस्थानी प्रकाशन।
- वर्मा, के. (2019). मध्यप्रदेश के धार्मिक पर्व और उनके सामाजिक प्रभाव, सांस्कृतिक शोध पत्रिका, 15(2), 45-60.
- मिश्रा, एम. (2021). भारत के प्रमुख देवी-देवता और उनकी आराधना विधियाँ. वाराणसी: संस्कृत विद्या निकेतन।
- सिंह, एन. (2016). खरगोन जिले की सांस्कृतिक धरोहर, मध्यप्रदेश इतिहास एवं संस्कृति पत्रिका, 22(3), 90-102.
- पटेल, डी. (2018). कृषि समाज और उनके लोक उत्सव. उज्जैन: कृषि विद्या प्रकाशन।
- जोशी, आर. (2020). संजा माता का पर्व: एक अध्ययन, भारतीय लोक संस्कृति शोध जर्नल, 10(4), 32-48.
- चौहान, एस. (2019). मध्यप्रदेश के लोक पर्व: इतिहास और परंपरा. ग्वालियर: विश्वविद्यालय प्रकाशन।

Government Initiatives For Women Entrepreneurs

Rohit Soni* Dr. Jyoti Soni**

*Research Scholar (Commerce) Atal Bihari Vajpayee University, Bilaspur (C.G.) INDIA

** Assistant Professor (Commerce) Govt. P.D. Commerce and Arts College, Raigarh (C.G.) INDIA

Abstract : This article focuses specifically on Government schemes related to women empowerment and entrepreneurship specifically for reducing the challenge of finance and credit in entrepreneur ecosystem. In India, women-led enterprises are fundamentally changing the entrepreneurial landscape of nation. Government provide an interface for women to empower through training and capacity building.

Introduction - “Empowering women is a pre-requisite for creating a good nation, when women are empowered, society with stability is assured. Empowerment of women is essential as their thoughts and their value systems lead to the development of a good family, good society and ultimately a good nation.” -President APJ Abdul Kalam

Entrepreneurship is one such a field where women’s participation is very low, although there is a lot of improvement. In 1971, the women constituted only 2% of total entrepreneurs. Now it has increased nearly 10% in the present modern world. The transition from a housewife to a businesswoman is not easy. However, this situation is slowly changing. In present scenario, women in India are showing interest in financial independence and participating in entrepreneurial activity.

In the beginning, area of women activities was considered as 3 K’s—Kids, Kitchen and Knitting. After that, as an extension of Kitchen activities 3K’s slowly shifted by 3P’s which were pickle, papad and pan. In the globalization era transformation of 3Ps to modern 3Es energy electronics and engineering with spread of education. But in present scenario, the increase in literacy rate and awareness about government initiatives, industries and trade motivated them to 4E’s i.e. Entrepreneur, Energy, Electronics and Engineering. The educated women do not want to limit their lives in the four walls of the house. They demand equal respect from their partners.

Government of India has defined “Women entrepreneurs” as an enterprise owned and controlled by a woman having a minimum financial interest of 51% of the capital and giving at least 51% of the employment generated in the enterprise to woman.

Objective of the study :

1. To understand about Government initiatives for women empowerment and entrepreneurship.
2. To understand schemes related to training of women

to become self-employed.

Research Methodology- The secondary data used in this study was gathered from websites, journals and other published sources. Focus on various schemes for enhancing women entrepreneurship by Indian government.

Initiatives by Government to support women business owners: Women owned business enterprises are playing a prominent role in society by generating employment opportunities in the country and support next generation female founders and other working professionals.

1. Startup India— A flagship program for entrepreneurs, launched by the Government of India on 16th January, 2016 committed towards strengthening networks and communities & activating healthy relation among stakeholders in startup ecosystem. The Government through this initiative aims to empower startups to grow through innovation and design. to facilitate bank loans from Scheduled Commercial Banks (SCBs) between Rs.10 lakh to Rs.1 Crore to at least one Scheduled Caste (SC) or Scheduled Tribe (ST) and one woman per bank branch for setting up a greenfield enterprise in trading, services or manufacturing sector.

Startup India, Department For Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), conducted the ‘Women For Startups: State Workshops’ for aspiring and existing women entrepreneurs between November 2022 and November 2023. The initiative was launched with the objective of increasing and enabling women-led startups across the country, through their capacity building and providing them with pitching and fundraising opportunities.

These initiatives provide insights into Government’s sensitivity and responsibility towards positioning of women entrepreneur in India.

2. Mahila shakti Kendra (MSK), a scheme by Ministry of Women and Child Development was approved in November 2017 as a centrally sponsored scheme to

empower rural women through community participation. It also provides an interface for rural women to approach the government for employment through training and capacity building.

3. Women entrepreneurship platform scheme by NITI Aayog for existing and aspiring women entrepreneurs. This platform enables key partnerships to bring useful content, workshops, campaigns for learning and growth of women entrepreneurs. Six Main focus areas decided in this scheme are-

- i. Entrepreneur skilling and mentorship
- ii. Marketing Assistance
- iii. Community and Networking
- iv. Funding and financial assistance
- v. Incubation and Acceleration
- vi. Compliance and Tax assistance

4. Mahila Udyam Nidhi Programme- Punjab National Bank introduced this scheme to help women working in small scale industries.

5. Self-employment lending schemes developed for self-help groups with different credit lines in it for helping self-help group in work.

6. Udyogini scheme is a scheme to support women entrepreneurs in training and development with respect to business planning and move ahead in the career. Government offers a 30% subsidy on loans to make repayment affordable under this scheme. Ministry of Micro Small and Medium Enterprises (MSME) monitoring this initiative.

7. Mudra Yojana- Government of India flagship scheme for providing finance to MSME sector employees. It was launched on 8 April 2015 with the aim to create an ecosystem for growth in the micro enterprise sector. Its full form is 'Micro Units Developments and Refinance Agency'. Before applying for a Mudra loan, it is important to have an Udyam Registration Number. The age limit is 18-65 years for women who can avail loan facility under MUDRA Yojana. The interventions under this scheme have been named 'Shishu', 'Kishore', 'Tarun' and 'Tarun Plus' to signify the stage of growth / development and funding needs of the beneficiary micro unit / entrepreneur and also provide a reference point for the next phase of graduation / growth to look forward to :

Shishu: covering loans upto 50,000/-

Kishor: covering loans above 50,000/- and upto 5 lakh

Tarun: covering loans above 5 lakh and upto 10 lakh

Tarun Plus: covering loans above 10 lakh and upto 20 lakh

With an objective to promote entrepreneurship enthusiasm among young and aspiring youth it is ensured that more focus shishu loan and then Kishor tarun and tarun plus categories. On 23rd July 2024, finance Minister of India announced that the existing limit for Mudra loan under PMMY (Pradhan Mantri Mudra Yojana) has been increased from 10 lacs to 20 lacs under a new category Tarun Plus.

● **Skill Upgradation and Mahila Coir Yojana - A**

Scheme by Ministry of MSME, Coir Board Department specifically for rural women artisans in regions producing coir fibre. Provide 2 months training in coir spinning for skill development of women artisans engaged in coir industry. Monthly stipend of 3000 rs. available for work. Government also encourage trained women to setup coir units under Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP).

● **Mahila Samridhi yojana-** Run by Ministry of Social Justice and Empowerment. A micro finance scheme for women with rebate in interest. Financial assistance upto the cost of 140000 Rs. is provided.

● **Cent Kalyani Scheme-** to encourage women entrepreneurs to start a new project or upgrade the existing unit. Maximum Finance available under this scheme is 100 Lacs. Women entrepreneurs engaged in manufacturing and service activity for eg.- handloom weaving handicraft, food processing etc. Professionals and small business owners like tailoring, typing etc. are also eligible under this scheme.

● **Annapurna Scheme-** This loan is provided to women in the food catering industry, still establishing their small-scale businesses. The loan allows these women entrepreneurs to avail it as capital requirements like buying equipment and utensils, setting up trucks, etc. Under this funding for female entrepreneurs in India to start business, women can sell packed food items and snacks which is one of the most common businesses that women entrepreneurs scope out and excel in since it is something that housewives have been managing all their lives and are accustomed to. This boosts their sales since they have a chance at better capital and new products to kickstart their business than they could otherwise afford. The loan limit is Rs. 50,000 under the scheme.

● **Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana** Government has set up the Pradhan Mantri Kaushal Kendras under the Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana across the country. Emphasis has been laid on creating additional infrastructure both for training and apprenticeship for women, flexible training delivery mechanisms such as mobile training units, flexible afternoon batches along with local needbased training to accommodate women and ensuring safe and gender sensitive training environment of women trainers, equity in remuneration and complaint redressal mechanism.

● **Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-JANMAN) –** NIESBUD* and IIE* are implementing the capacity building and entrepreneurship component of the PM-JANMAN Scheme for Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs). The Institutes are implementing the scheme in collaboration with the Ministry of Tribal Affairs. During 2023-24, NIESBUD and IIE have trained 36,016 participants, out of which 28,786 are women.

● **Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRY)-** One of the best schemes socially and financially for entrepreneurs. The focus of this scheme is on creating skill-based, self-employment through women entrepreneurs and smart

minds at work being utilized for monetary independence. This scheme covers both urban and rural areas and was developed through several amendments in cost, eligibility, and subsidy limits. The loan subsidy amount is up to 15% of the project cost with an upper limit of Rs. 12,500 per borrower as a restriction. The scheme applies to all types of ventures in industries, trade, and services. The loan limit for business sector activity is upto 1 Lac, 10 Lac for Joint Ventures, and upto 2 Lac for other activities.

1. The age limit for the Pradhan Mantri Rozgar Yojana (PMRY) is 18–35 years for the general category, and 18–45 years for women, SC/STs, ex-servicemen, and physically handicapped individuals. The applicant must have passed at least 8th grade.
2. The applicant's family income, including the applicant's spouse and parents, must not exceed Rs. 40,000 per year
3. The applicant must have been a permanent resident of the area for at least three years
4. The applicant must not be a defaulter to any bank.

- **Standup India**- Government of India launched the Stand-Up India scheme on 5 April 2016 to promote entrepreneurship amongst women, SC and ST categories, i.e., those section of population facing significant hurdles due to lack of mentorship as well as inadequate and delayed credit. The Scheme facilitates bank loans between Rs. 10 lakhs to Rs. 1 crore to at least one scheduled Caste/ Scheduled Tribe borrower and at least one-woman borrower per bank branch of Scheduled Commercial Banks for setting up Greenfield enterprises in trading, manufacturing and services sector.

- **Dena Shakti Scheme**- Term minimum one year to maximum 3years. This scheme is a combination of term loan and the working capital. Women entrepreneurs are eligible for 25% concessional rates in the loan. The loan limit is 20 lakhs. Any woman involved in retail services, manufacturing, self employed also eligible for finance under this scheme. Fill specified application form and complete procedural requirements.

- **Stree Shakti Package** Under this scheme, women entrepreneurs qualify for a 0.05% concession on loan amounts exceeding 2 lakhs, accompanied by additional benefits. This opportunity is open to all ambitious women business proprietors aspiring to launch their ventures. A key prerequisite is the enrollment of these women entrepreneurs in the Entrepreneurship Development Program (EDP).

Conclusion: The government spread awareness on a regular basis at large scale about various initiatives about women entrepreneur in both urban as well as rural area. Training Programmes, workshops & dedicated platform for women led business ideas addressing needs of entrepreneurs and immensely help them by skills and

knowledge required for consistency in work. Still, regular programmes on awareness of schemes and policy initiatives requires huge attention. Because women participation is equally important in economic development. Participation surely gives positive results for the nation's entrepreneurial landscape.

Full forms

NIESBUD- National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development is a premier organization of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

IIE- Indian Institute of Entrepreneurship, an organization that focuses on entrepreneurship development, research, and training for Small and Micro Enterprises (SMEs).

References:-

1. Gupta, N. (2024). Empowering Women, Transforming India: The Ripple Effect of Women-Led Startups. *BHARTIYAM INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION & RESEARCH*, 13(II).
2. Garg, S., & Agarwal, P. (2017). Problems and Prospects of Woman Entrepreneurship – A Review of Literature. *IOSR Journal of Business and Management*, 19(01), 55–60. <https://doi.org/10.9790/487x-1901065560>
3. Prof. Usha I & Prof. Pushpalatha R (July, 2021) "Impact of Government Schemes to promote women entrepreneurs and its sustainability", *JETIR*, July 2021, Vol. 8, Issue 7, ISSN-2349-5162
4. Women for startups. (n.d.). startupindia.gov.in. Retrieved December 25, 2024, from <https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/women-for-Startups.html>
5. Startup India. (n.d.-b). pib.gov.in. Retrieved December 24, 2024, from <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=147661>
6. SCHEMES FOR WELFARE OF WOMEN. (2022, July 22). [Press release]. Retrieved December 24, 2024, from <https://pib.gov.in/Press Release Detailm.aspx?PRID=1843808@=3&lang=1>
7. Women Entrepreneurship Platform. (n.d.). Retrieved December 22, 2024, from <https://wep.gov.in/>
8. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. (n.d.). Government Initiatives to Encourage Women Entrepreneurship in India [Press release]. Press Information Bureau. <https://pib.gov.in/Press Release IframePage.aspx?PRID=2042546>
9. Women Entrepreneurship. (n.d.). <https://www.startupindia.gov.in/>. Retrieved December 21, 2024, from https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/women_entrepreneurs.html
10. indifi. (2024). Top 9 Government Schemes For Women/ Female Entrepreneurs In India. <https://www.indifi.com/blog/9-government-schemes-for-women-entrepreneurs-in-india/>

मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सोनेलाल लोधी*

* शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) लोकप्रशासन एवं मानवाधिकार अध्ययन शाला विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर सेवाएं प्रदान करते हैं और विकास कार्यों को पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का गठन मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है। इन निकायों का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कें बनाना, और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करना है। लेकिन, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें सीमित वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक अक्षमता, और भ्रष्टाचार शामिल हैं। इन चुनौतियों के कारण, नगरीय निकायों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

इसलिए, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली का अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि उनकी मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान की जा सके और उनकी कार्यक्षमता में सुधार लाया जा सके। इस अध्ययन के माध्यम से, मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना और उनकी कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए सुझाव देना।

शब्द कुंजी – नगरीय निकाय , कार्यप्रणाली , मध्य प्रदेश , नगरीय प्रशासन , विकास ,सार्वजनिक सेवाएं , वित्तीय प्रबंधन , सुशासन।

अध्ययन के उद्देश्य:

1. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की संगठनात्मक संरचना का विश्लेषण करना।
2. नगरीय निकायों के कार्यों और जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करना।
3. नगरीय निकायों के वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषण करना।
4. नगरीय निकायों की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।
5. नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए सिफारिशें देना।
6. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की तुलना अन्य राज्यों के नगरीय निकायों से करना।
7. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों की कार्यक्षमता में सुधार करने के लिए नवाचारी तरीकों का सुझाव देना।
8. मध्यप्रदेश के नगरीय निकायों के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करना और उनके समाधान के लिए सिफारिशें देना।

नगरीय निकाय की कार्य प्रणाली

संगठनात्मक संरचना:

1. **मेयर:** मेयर नगरीय निकाय का मुखिया होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह नगरीय निकाय के कार्यों का संचालन करे और निर्णय ले।
2. **पार्षद:** पार्षद नगरीय निकाय के सदस्य होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं का समाधान करें और नगरीय निकाय के कार्यों में भाग लें।
3. **आयुक्त:** आयुक्त नगरीय निकाय का प्रशासनिक अधिकारी होता है

और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह नगरीय निकाय के कार्यों का संचालन करे और निर्णय ले।

4. विभागीय अधिकारी: विभागीय अधिकारी नगरीय निकाय के विभिन्न विभागों में कार्यरत होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विभाग के कार्यों का संचालन करें।

5. कर्मचारी: कर्मचारी नगरीय निकाय के विभिन्न विभागों में कार्यरत होते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विभाग के कार्यों का संचालन करें।

कार्य और जिम्मेदारियाँ:

1. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।
2. जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का प्रबंधन करना।
3. सड़कें बनाना और उनकी देखभाल करना।
4. उद्यान और पर्यावरण का संरक्षण करना।
5. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।
6. वित्तीय प्रबंधन करना।
7. निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
8. पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
9. नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना।
10. शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना।
11. नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना।
12. शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना।
13. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था का ध्यान रखना।
14. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना।

15. जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था का प्रबंधन करना।
16. सड़कें और निर्माण कार्य करना।
17. उद्यान और पर्यावरण का संरक्षण करना।
18. सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का संचालन करना।

वित्तीय प्रबंधन करना:

1. **बजट तैयार करना:** नगरीय निकाय अपने कार्यों के लिए बजट तैयार करता है।
2. **राजस्व संग्रह:** नगरीय निकाय विभिन्न स्रोतों से राजस्व संग्रह करता है, जैसे कि कर, शुल्क, और अनुदान।
3. **व्यय प्रबंधन:** नगरीय निकाय अपने बजट के अनुसार व्यय करता है।
4. **लेखा और ऑडिट:** नगरीय निकाय अपने वित्तीय लेनदेन का लेखा रखता है और ऑडिट करवाता है।
5. **निवेश और बचत:** नगरीय निकाय अपने वित्ता का निवेश और बचत करता है।
6. **ऋण प्रबंधन:** नगरीय निकाय अपने ऋणों का प्रबंधन करता है।
7. **वित्तीय नियोजन:** नगरीय निकाय अपने वित्ता का नियोजन करता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है।
8. **वित्तीय प्रतिवेदन:** नगरीय निकाय अपने वित्तीय प्रतिवेदन तैयार करता है और उन्हें सार्वजनिक करता है।

वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से, नगरीय निकाय अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने में मदद करता है और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में सहायक होता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया- नगरीय निकायों में निम्नलिखित चरणों में होती है: 1. समस्या

1. **पहचान:** नगरीय निकाय समस्या की पहचान करता है।
2. **विकल्पों का विश्लेषण:** नगरीय निकाय विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करता है।
3. **निर्णय लेना:** नगरीय निकाय निर्णय लेता है।
4. **कार्यान्वयन:** नगरीय निकाय निर्णय का कार्यान्वयन करता है।
5. **मूल्यांकन:** नगरीय निकाय निर्णय का मूल्यांकन करता है।

निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित लोग शामिल होते हैं:

- मेय
- पार्षद
- आयुक्त
- विभागीय अधिकारी
- विशेषज्ञ

निर्णय लेने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं:

- बैठकें
- चर्चाएं
- मतदान
- सर्वेक्षण
- विशेषज्ञों की राय

निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित मानदंड होते हैं:

- पारदर्शिता
- जवाबदेही

- न्याय
- समानता
- सामाजिक हिता

सेवाएं प्रदान करना:

1. जल आपूर्ति सेवा
2. सीवरेज और मल-निकास सेवा
3. सड़कें और निर्माण सेवा
4. सार्वजनिक परिवहन सेवा
5. स्वच्छता और कूड़ा-कचरा प्रबंधन सेवा
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा
7. उद्यान और पर्यावरण सेवा
8. सामाजिक कल्याण सेवा
9. विद्युत और ऊर्जा सेवा
10. अग्निशमन और आपातकालीन सेवा
11. सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था सेवा
12. सांस्कृतिक और मनोरंजन सेवाएं।

विकास कार्यों का क्रियान्वयन- नगरीय निकायों द्वारा विकास कार्यों का क्रियान्वयन निम्न चरणों में होता है:

1. **योजना बनाना:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए योजना बनाता है।
2. **बजट तैयार करना:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए बजट तैयार करता है।
3. **टेंडर और निविदाएं:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए टेंडर और निविदाएं जारी करता है।
4. **ठेकेदारों का चयन:** नगरीय निकाय विकास कार्यों के लिए ठेकेदारों का चयन करता है।
5. **कार्यों का क्रियान्वयन:** ठेकेदार विकास कार्यों का क्रियान्वयन करता है।
6. **निरीक्षण और मूल्यांकन:** नगरीय निकाय विकास कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है।
7. **संशोधन और रखरखाव:** नगरीय निकाय विकास कार्यों का संशोधन और रखरखाव करता है।

विकास कार्यों के क्रियान्वयन में निम्न विभाग शामिल होते हैं: 1. इंजीनियरिंग विभाग 2. वित्त विभाग 3. योजना विभाग 4. ठेकेदारी विभाग 5. निरीक्षण विभाग।

नागरिकों के साथ संवाद -नागरिकों के साथ संवाद नगरीय निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसके माध्यम से वे नागरिकों की समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं और उन्हें हल करने के लिए कार्य करते हैं।

नागरिकों के साथ संवाद के तरीके:

1. जनसुनवाई
2. सार्वजनिक बैठकें
3. नागरिक संवाद केंद्र
4. फोन और ईमेल के माध्यम से
5. सोशल मीडिया के माध्यम से
6. सर्वेक्षण और फीडबैक फॉर्म
7. नागरिक समूहों और संगठनों के साथ संवाद

नागरिकों के साथ संवाद के लाभ:

1. नागरिकों की समस्याओं को समझने में मदद मिलती है।
2. नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है।
3. नागरिकों का विश्वास और सहयोग प्राप्त होता है।
4. निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है।
5. नगरीय निकायों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है।

निष्कर्ष एवं सुझाव – नगरीय निकायों की भूमिका शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करने, नागरिकों की समस्याओं को हल करने, और सामाजिक कल्याण में सुधार करने के लिए कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए नगरीय निकायों को प्रभावी ढंग से कार्य करना आवश्यक है, जिसमें वित्तीय प्रबंधन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, सेवाएं प्रदान करना, विकास कार्यों का क्रियान्वयन, और नागरिकों के साथ संवाद शामिल हैं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए नगरीय निकायों को उक्त बातों पर ध्यान देना आवश्यक है:

1. पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना।
 2. नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
 3. वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना।
 4. तकनीकी और प्रशासनिक क्षमता में सुधार करना।
 5. नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करना।
 6. पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक कल्याण में सुधार करना।
 7. नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना।
- निम्न सुझावों को अपनाकर नगरीय निकाय नागरिकों को बेहतर

सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। इसके लिए नगरीय निकायों को निरंतर प्रयास करना आवश्यक है और नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्य करना आवश्यक है।

नगरीय निकायों की भूमिका शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों का क्रियान्वयन करने, नागरिकों की समस्याओं को हल करने, और सामाजिक कल्याण में सुधार करने के लिए कार्य करना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. 'नगरीय प्रशासन': डॉ. आर. के. शर्मा (हिंदी पुस्तक एजेंसी, 2010)
2. 'नगरीय निकायों का कार्य और दायित्व': डॉ. एम. के. गुप्ता (राजकमल प्रकाशन, 2012)
3. 'नगरीय विकास और प्रशासन': डॉ. एस. के. जैन (अटलांटिक पब्लिशर्स, 2015)
4. 'नगरीय स्थानीय स्वशासन': डॉ. के. सी. सिवारामकृष्णन (राजकमल प्रकाशन, 2013)
5. 'नगरीय योजना और विकास': डॉ. ए. के. दत्ता (अटलांटिक पब्लिशर्स, 2016)
6. 'नगरीय वित्त और लेखा': डॉ. एस. के. गोयल (राजकमल प्रकाशन, 2014)
7. 'नगरीय आधारभूत संरचना विकास': डॉ. पी. के. सरकार (अटलांटिक पब्लिशर्स, 2017)
8. 'नगरीय पर्यावरण प्रबंधन': डॉ. आर. के. त्रिवेदी (राजकमल प्रकाशन, 2015)

Environmental Protection in Brick Industry- A Review of Policy Framework

Pradeep Kumar Joshi* Prof. (Dr.) Sandeep Shandilya**

*Research Scholar, Shri Khushal Das University, Hanumangarh (Raj.) INDIA

** Professor (Commerce & Management) Shri Khushal Das University, Hanumangarh (Raj.) INDIA

Abstract : The brick industry, a vital sector for construction, significantly contributes to environmental degradation through high energy consumption, emissions, and the unsustainable use of natural resources. This paper presents a comprehensive review of the existing **policy framework** aimed at promoting **environmental protection** within the brick industry. It explores key **regulations, guidelines**, and strategies implemented globally and regionally to mitigate the industry's environmental impact. By analyzing the effectiveness of these policies, the paper identifies gaps and challenges in their enforcement and offers recommendations for strengthening regulatory measures. The review emphasizes the role of **technology, innovation**, and **sustainable practices** in reducing the **carbon footprint** of brick manufacturing. Ultimately, this paper aims to inform **policy-makers, industry stakeholders**, and **environmental advocates** on best practices to balance the growth of the brick industry with **environmental sustainability**.

Keywords: Brick industry, environmental protection, policy framework, sustainability, regulations, emissions, energy consumption, carbon footprint, technology, innovation, sustainable practices.

Introduction - India is the second largest manufacturer of bricks in the world after China. The yearly bricks production of the country stands at around 250 million bricks. The approximate number of brick kilns operating in India is around 140,000. This huge number in itself speaks volumes of the mammoth nature of the brick industry of India. India contributes to the 10% of the total bricks production of the world. Mostly these brick kilns are located in the rural and peri- urban areas. These brick kilns are usually found located in clusters around the towns and cities and some times these clusters comprise of hundreds of the brick kilns. As far as the manufacturing process is concerned mostly these Indian kilns follow traditional processes which are manual and non- mechanised in general. The raw material for these brick kilns comprises of the surface soil which is excavated from the agricultural fields and the silt deposited at rivers and tanks. These bricks are given the shape mostly by hand moulding method. These green bricks are then dried in the open areas by keeping them exposed to sun light to get them dried. Thereafter these green bricks are burnt in the kiln making use of the coal, biomass and other waste material like tyre. (Ref: Guidance Document on Environmental Technologies for Brick Kilns in India).

Above features of brick industry of India speaks of the huge dimensions of the brick kiln industry of India. This industry is labour intensive in nature. It is pointed above that mostly, the brick kilns in India are based on the traditional process of production and generally these are

non- mechanized in nature and the process of molding them to shape is also mostly manual in nature. It means that this industry provides employment to a large number of persons. According to some estimates around 10 million workers are employed in this gigantic industry. However, considering the fact that India is a highly populated nation and the problem of employment is a big problem which India constantly faces, this labour-intensive nature of the industry helps in addressing this problem to some extent. With this one positive aspect, there is one big issue related with the brick industry of India and it is the amount of population, these brick kilns generate. If an estimate from the United States Environmental Protection agency is to believe, industrial sector accounts for around 15% of the total black carbon emissions in India and out of these emissions, approximately two- third is contributed by the brick kilns alone. The present paper by authors attempts to look into the aspect of environmental protection and energy efficiency in brick industry through the lenses of policy framework.

Review of Literature: In this section of the paper, the review of past studies is being presented.

Null et al., (2024) in their study revealed that the brick industry sector is constantly in the pursuit of making it more sustainable in nature by experimenting with the innovative Novel Organic Brick (NOB) developed from the recycled construction sand and red clay.

Remigio et al., (2024) in their study they focused on the environmental impact of the traditional brick making in the

Goma division. The findings revealed significant degradation of the environment resulting in the wetland and deforestation (100%), landscape deformation (85%) along with the increase in air and water pollution.

Moh.Nanang et al., (2023) in their study they highlighted the potential of red brick industry in improving the welfare of the local community. Further their study revealed about the resilience which the brick industry offers to the economic shocks and contributes to the welfare of the local community.

Sumit, (2023) in his study raised the issue of improvement of kiln efficiency by switch over to the modern "High Draft Brick Kiln," from traditional "Bull Trench Kiln" technology, however other characteristics of the bricks kiln of olden times like labour intensive processes of moulding, drying, staking, firing and cooling continue unabated hence adding to the pollution as usual.

Akim (2022) in his study focused on how the increased demand of bricks in Bangladesh as a result of growing urbanisation has resulted in the increase in the pollution. Tye study revealed that the marginal costs associated with the CO₂ emissions from brick kilns supersede the marginal private costs indicating that the benefits of the brick industry are at the cost of the environment and the society.

Kanika et al., (2022) in their study focused on the traditional wooden house at Munshigani, Bangladesh and how these houses display more sustainable character in comparison to the masonry houses made of brick and cement.

Mai Mohamed et al., (2022) in their study focused on the rapid construction technologies which are characterised by a brick-based unit which can self- assemble and install with the help of mechanical assembly. Moreover, these innovative designs and means have a huge potential for sustainable green construction by resorting to the reduction of the use of polluting materials in construction.

Pratibha et al., (2022) in their study focused on the growing trend towards the renewable alternatives in place of traditional fossil- fuel based sources of energy in the construction industry. The study suggested that more and more adoption of such techniques will help in the reduction of the pollution caused by traditional brick industry.

Aditya et al., (2021) in their study pointed that lack of information about recycling technologies acts as a major reason behind waste remaining uncycled in the construction industry.

Rajesh et al., (2021) in their study considered the rural brick kiln industry of Western Uttar Pradesh which though is very significant from the economic point of view, adds to the pollution also.

Tolulopeet al., (2021) in their study focused on the brick industry of Vhamble district of South Africa. The study considered the polluting character of this industry in the context of the production phases of this traditional brick making industry. The study suggested for adopting the vertical shaft kiln to reduce harm to environment as well as

the sustainability of the brick industry.

Gopinath (2018) in this study he focused on the environmental concerns associated with the traditional burnt clay brick manufacturing and its adverse impact on the fertility of the agricultural land. At the same time study suggests to adopt alternative brick manufacturing process based on the industrial by-products comprising of the foundry sand and eco sand along with the cement.

Research Gap: It can be seen from the above review of literature that many studies covering diverse facets and angles associated with the brick kiln industry have been covered in it including certain studies from abroad. The study has covered the aspects like environment conservation, pollution, sustainability, alternative production technologies, labour intensive nature of the brick kiln industry etc. However, almost negligible studies have focused on the regulations in place and the policy efforts to combat the problem of pollution associated with the brick kiln industry so that it can be transformed into a sustainable industry.

Objectives of the Study: To review the policy framework with respect to the brick kiln industry of India in the context of making these more environment friendly and sustainable in character.

Hypotheses of the Study: The policy framework on national level is well in place, however, the approach and degree of implementation of these regulations vary from state to state in the country.

Research methodology Adopted: The study is conducted with the help of the secondary data obtained from the state and the central government publications particularly related to the policy frame work with respect to the brick industry in the country. The inputs drawn from these secondary data sources are analysed and an attempt has been made to test the hypothesis of the study. The nature of the hypothesis formulated for the purpose of conducting this study is declarative.

Observations and Discussions: In this section of the paper, certain observations are being drawn from the secondary sources and the discussion on them is being presented in the context of the subject matter of the study. Here are certain observations taken from the **Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013)**. This act came into being on Nov 20, 2013. It is an act to repeal and re-enact the existing law with some modifications for controlling the activities relating to brick manufacturing and kiln establishment. Here are certain excerpts from the Form B related to the License of brick manufacturing reproduced from the Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013).

Pont 4. Conditions:

- (a) No fuel wood shall be used in the brick kilns under any circumstances.
- (b) The Deputy Commissioner himself or Upazila Nirbahi

Officer or any officer from the concerned district office of the Department of Environment or concerned Divisional Forest Officer or any officer nominated by him (not below the rank of Forester), may enter into any brick kiln and inspect thereof without notice at any time, interrogate any person or summon any document for inspection of violation or observance of any conditions of license or of any offence punishable under this Act has been committed or is being committed.

- (c) Without approval of the Deputy Commissioner, soil shall not be excavated or collected from dead pond or canal or swampland or creek or deep tank or rivers or haorbaor or char land or fallow land for the purpose of brick manufacturing.
- (d) Coal containing sulfur, ash, mercury or similar material shall not be used as fuel, beyond the prescribed standards, in the brick kilns for burning bricks.
- (e) No brick kiln shall be established within the boundaries of the following areas-
- (1) Residential, reserved or commercial areas;
 - (2) City Corporation, Paurasava or Upazila Sadars;
 - (3) Agricultural lands;
 - (4) Ecologically Critical Area;
 - (5) Degraded Air Shed.
- (f) No brick kiln shall be established in the following distances or places, namely:
- (1) within minimum 1 (one) kilometer distance, from the boundaries of areas referred to in clause (e);
 - (2) within 2 (two) kilometers distance from boundaries of public forest;
 - (3) in case of brick kiln establishment on the top or slope of the surrounding ground surface of any hill or hillock, within minimum ½ (half) kilometer distance from the foot of the said hill or hillock;
 - (4) in case of brick kiln establishment in hill districts, in any other place other than the place determined by the Hill Districts Environment Development Committee;
 - (5) within minimum 1 (one) kilometer distance, from any special structure, railways, educational institutions, hospitals and clinics, research institution, or any other similar place or institution.
- (g) A register shall be kept regarding counting of burned bricks and sale of bricks.
- (h) The conditions of the positional certificate issued by the Department of Environment shall be followed properly and brick kiln shall not be introduced without taking environmental certificate.
- (i) Land, more than the size mentioned in the application, shall by no means be used for brick kiln.
- (j) No activities shall be taken which violate the Act or rules made thereunder and all provisions of the Act shall be observed.
- (k) If there is any violation of any provisions of the license and the Environmental Clearance Certificate, the Authority may, at any time, cancel the license.

It can be amply seen from the above regulations of the government with regards to the operation of the brick kiln that there are clear cut directives in place to see to it that the pollution generated by these brick kilns be minimised and the general public has not to face the hardships as a result of such pollution coming out of the brick kilns. However, despite these directives in place, the pollution from brick kilns is going on unabated and it forms around 4 to 5% of total industrial pollution in the country as per certain estimates. Various state governments have also taken steps in this direction to check the pollution generated by these brick kilns but still a lot needs to be done. There is an urgent need to switch to modern technologies which are more eco-friendly and sustainable in character. At the same time, it must also be kept in mind that switching over to newer technologies and more mechanisation does not result in an adverse impact on the employment generating capacity of this industry as it is a labour-intensive industry and provides the employment to a large number of persons in the country.

In the same continuation, it is worth mentioning the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023. This amendment came into force since Dec 15, 2023. Here, the relevant excerpts are being reproduced from the same document.

In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, in entry at Sl.No.74, for note no.2, the following entry shall be substituted, namely:-

2. The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use piped natural gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use piped natural gas as fuel in brick making within a period of:

(a) one-year w.e.f. 23.02.2023 in case of kilns located within ten kilometres radius of non-attainment cities; except those located in million plus population cities, NCR districts, and critically & severally polluted areas as categorized by CPCB;

(b) one-year w.e.f. 23.02.2024 in case of other kilns. Provided that in case where Commission for Air Quality Management / Central Pollution Control Board / State Pollution Control Board / Pollution Control Committee has separately issued more stringent Norms/time lines, such orders shall prevail.'

This is one of the most recent developments in the context of the tightening of regulations with regard to the brick kilns in India. The pollution generated by these brick kilns is a great challenge and it is the biggest hurdle in bringing the sustainable character to this very important industry in India from the socio-economic point of view. This sixth amendment to the Environment (Protection) Act, 1986 clearly indicates towards the significance of the shift of brick kilns in the country towards the zigzag technology, vertical shaft or use piped natural gas as fuel in brick making process. This initiative was much in need to curb the

pollution generated by the brick kilns in the country. So, we can see that the proper regulations regarding the functioning of the bricks and the brick manufacturing process are well in place but still remains to be seen that how effectively these regulations are implemented.

Here one more important notification from the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is being cited to further highlight the government regulations and policies on brick kiln in India. Here are certain excerpts from the notification dated Feb 22, 2022 by the same ministry.

In the Environment (Protection) Rules, 1986, in the SCHEDULE-I, for entry at Sl. No.74, the following entry shall be substituted, namely: -

74	Brick Kilns	Particulate matter in stack Emission	250 mg/Nm ³
		Minimum stack height (Vertical Shaft Brick Kilns) - Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	14 m (at least 7.5m from loading platform) 16 m (at least 8.5m from loading platform)
		Minimum stack height (Other than Vertical Shaft Brick Kilns) - Kiln capacity less than 30,000 bricks per day - Kiln capacity equal or more than 30,000 bricks per day	24 m 27m

- All new brick kilns shall be allowed only with zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making and shall comply to these standards as stipulated in this notification.
- The existing brick kilns which are not following zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making shall be converted to zig-zag technology or vertical shaft or use Piped Natural Gas as fuel in brick making within a period of (a) one year in case of kilns located within ten-kilometre radius of non-attainment cities as defined by Central Pollution Control Board (b) two years for other areas. Further, in cases where Central Pollution Control Board/State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees has separately laid down timelines for conversion, such orders shall prevail.
- All brick kilns shall use only approved fuel such as Piped Natural Gas, coal, fire wood and/or agricultural residues. Use of pet coke, tyres, plastic, hazardous waste shall not be allowed in brick kilns.
- Brick kilns shall construct permanent facility (port hole and platform) as per the norms or design laid down by the Central Pollution Control Board for monitoring of emissions.
- Particulate Matter (PM) results shall be normalized at 4% CO₂ as below:

$$PM \text{ (normalized)} = (PM \text{ (measured)} \times 4\%) / (\% \text{ of } CO_2 \text{ measured in stack}), \text{ no normalization in case } CO_2$$

measured > 4%. Stack height (in metre) shall also be calculated by formula $H=14Q^{0.3}$ (where Q is SO₂ emission rate in kg/hr), and the maximum of two shall apply.

- Brick kilns should be established at a minimum distance of 0.8 kilometre from habitation and fruit orchards. State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees may make siting criteria stringent considering proximity to habitation, population density, water bodies, sensitive receptors, etc.
- Brick kilns should be established at a minimum distance of one kilometre from an existing brick kiln to avoid clustering of kilns in an area.
- Brick kilns shall follow process emission/fugitive dust emission control guidelines as prescribed by concerned State Pollution Control Boards/Pollution Control Committees.
- The ash generated in the brick kilns shall be fully utilized in-house in brick making.
- All necessary approvals from the concerned authorities including mining department of the concerned State or Union Territory shall be obtained for extracting the soil to be used for brick making in the brick kiln.
- The brick kiln owners shall ensure that the road utilized for transporting raw materials or bricks are paved roads.
- Vehicles shall be covered during transportation of raw material/bricks".

Above excerpt from the Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023 clearly present the strict rules and regulations in place for the protection of environment from the pollution generated by the brick kilns in India. The minimum stack height with respect to the kiln capacity are mentioned in these rules. There is emphasis on zig-zag technology or vertical shaft or use of Piped Natural Gas as fuel in brick making. There are guidelines for establishing these brick kilns at a stipulated distance from the human habitation. Moreover, to avoid clustering of the kilns, the new brick kiln is prohibited to be established within area of one kilometre from the existing brick kiln.

Conclusion: It can thus be seen that brick industry is an extremely vital industry particularly in the context of a leading developing country like India where a lot of construction work for different developmental and other general purposes is always in need. However, the pollution generated from these brick kilns is also a serious threat from the brock industry. It contributes significantly to the overall industrial pollution in India. The brick industry is a huge employment generator as it is predominantly a labour-intensive industry. The estimates of the number of people employed by various agencies vary from 10 million and above. This industry needs to flourish as it is closely related with the socio-economic development of our country but not at the cost of the environment and harm to the environment. The paper has tried to develop certain insights to the policy frameworks

with regards to the brick kilns in the country. It is interesting to note that very recently within a span of one decade central government has issued certain rules and regulations to check the pollution caused by these brick kilns. There are guidelines to stick to the specifications so as to minimise the pollution. In this paper a particular mention of the two such regulations have been made. These are Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013) and Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023. Though there are rules and regulations in place regarding the functioning of these brick kilns and the Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act came into existence around one decade before but on the execution and implementation fronts, various irregularities from state to state can be noticed. These all-lacklustre developments have made it necessary for the government to introduce Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023. Now it remains to be seen that how successful these amendments come out to be in combating the serious challenge of pollution generating brick kilns in India. There is an urgent need to restructure the brick making process which is mostly carried out through the traditional ways and means in the country. The alternative and improved methods of production must be introduced and developed with the feature of sustainability in their core.

References:-

1. Guidance Document on Environmental Technologies for Brick Kilns in India, Enzen Global Solutions, 2023.
2. Null, A. I., Null, A. I., & Madhumathi, A. (2024). Developing a low carbon brick for residential building construction. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1-9. doi:10.1680/jensu.23.00065
3. Remigio, T., Edward, A., Andrew, M., & Alice, N. (2024). Understanding the nexus between traditional brick-making, biophysical and socio-economic environment of Goma Division, Mukono Municipality, Central Uganda. *Journal of Degraded and Mining Lands Management*, 11(4), 6367-6378. doi:10.15243/jdmlm.2024.114.6367
4. Moh. Nanang, S., & Fensca Fenolisa, L. (2023). Prospek Perkembangan Usaha Batu Bata Merah: Peluang Dan Analisis (Studi Kasus Pada Usaha Batu Bata Merah Kelurahan Majener Katapop 1). *Jurnal Jendela Ilmu*. Retrieved from <https://jurnal.lpmiunvic.ac.id/index.php/ji/article/download/156/118> doi:10.34124/ji.v4i2.156
5. Sumit, A. (2023). Technology used in Clay Brick Making Process in India on Brick Kiln Investment and Business Feasibility and Sustainability in View of Environment Condition. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*. doi:10.22214/ijraset.2023.57647
6. Akim, M. R. (2022). CO2 Emission from Brickfields in Bangladesh: Can Ethical Responsibility by Doing Reduce Level of Emission? *Athens journal of social sciences*, 9(3), 255-272. Retrieved from <https://doi.org/10.30958/ajss.9-3-3> doi:10.30958/ajss.9-3
7. Kanika, B., & Sheikh Muhammad, R. (2022). Comparing Social Sustainability: Traditional Practices in Wooden Houses with Contemporary Practices in Masonry Houses in Munshiganj. *ECS transactions*, 107(1), 6371-6380. doi: 10.1149/10701.6371.ecst
8. Mai Mohamed, M., & Mohammed El-Sayed, H. (2022). Self-Bricks in the Field of Rapid Construction. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1056(1), 012016-012016. doi:10.1088/1755-1315/1056/1/012016
9. Pratibha, S., Sharma, V., Sandeep, K. S. G., Savitha, H. S., Ashank, U., & Srivastava, N. (2022). Green Energy Bricks: A Step Towards Smart and Sustainable Structures. *Ecology, Environment and Conservation*, 275-278. doi:10.53550/eec.2022.v28i02s.045
10. Aditya, K., Manoj Kumar, S., Naresh Kumar, S., & Shreyance, S. (2021). A Comparison on Modern Construction Techniques for Different Components of Building Structure. *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, 7(2), 1499-1502. Retrieved from https://ijariie.com/AdminUploadPdf/A_Comparison_on_Modern_Construction_Techniques_for_Different_Components_of_Building_Structure_ija_riie14071.pdf
11. Rajesh, K., & Amit, S. (2021). An Empirical Study on Brick Industry of India: A Perspective of Cost Analysis. *Asian Journal of Management*, 12(3), 279-285. doi: 10.52711/2321-5763.2021.00042
12. Tolulope, E. A., Joshua, N. E., John, O. O., & Stuart, J. P. (2021). Traditional Brick Making, Environmental and Socio-Economic Impacts: A Case Study of Vhembe District, South Africa. *Sustainability*, 13(19), 10659. doi:10.3390/SU131910659
13. Gopinath, R. (2018). Manufacturing of Bricks using Eco Sand and Foundry Sand. *International journal of engineering research and technology*, 7(4). Retrieved from <https://www.ijert.org/research/manufacturing-of-bricks-using-eco-sand-and-foundry-sand-IJERTV7IS040031.pdf>
14. Brick Manufacturing and Kiln Establishment (Control) Act, 2013 (Act No. LIX of 2013)
15. Environment (Protection) Sixth Amendment Rules, 2023.

गोदान उपन्यास में कृषक-पीड़ा

जगदीश सिंह*

* सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय, खानपुर, झालावाड (राज.) भारत

शोध सारांश - स्वातंत्र्योत्तर पूर्व हिन्दी उपन्यास की विकास यात्रा में प्रेमचन्द का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। साहित्य के व्यापक उद्देश्य में लोकमंगल की कामना रहती है और साहित्य की विकास प्रक्रिया में मनुष्य का महत्त्व होता है। जिसके अन्तर्गत समाज के ऊँचे-नीचे सभी वर्ग आ जाते हैं। मनुष्य चाहे किसी भी वर्ग या सम्प्रदाय का हो उसके जीवन जीने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। इसी प्रक्रिया से प्रेमचन्द भी प्रभावित थे। प्रेमचन्द गाँधीवादी आदर्श जीवन प्रणाली तथा सत्य-अहिंसा के प्रबल समर्थक होते हुए भारतीय संस्कृति के मूलभूत आधारों-त्याग, संयम, उदारता, आदर्श, सेवा, परोपकार आदि जीवन-दर्शन के प्रेरक तत्त्वों में विश्वास करते थे। इन्हीं प्रेरक तत्त्वों का पूर्ण विकास भारतीय कृषक में मानते हुए प्रेमचन्द ने 1936 ई. में गोदान उपन्यास की रचना की। गोदान उपन्यास प्रेमचन्द की परिपक्वजीवन-दृष्टि का परिणाम है। जो कृषक पीड़ा बनकर उभरी है। ग्रामीण जीवन का ऐसा यथार्थ एवं प्रामाणिक चित्रण गोदान उपन्यास में हुआ कि इसे सर्वत्र सराहना प्राप्त हुई है।

प्रस्तावना - सामाजिक स्तरीकरण और भारतीय कृषक के बीच सम्बन्ध बहुत जटिल है। इसे प्रायः बहुत ही सरल भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। भारतीय किसान से ही भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा सुचारु रूप से चलता रहा है और चलता रहेगा। आर्थिक विषमता समाज का एक आवश्यक पक्ष बन गया है। इस पक्ष के आधार पर ग्रामीण समाज मजदूर और जमींदार दो वर्गों में विभाजित हो गया है। किसी भी क्षेत्र की सम्पत्ति उच्चवर्ग के मुट्ठीभर लोगों के हाथों में सिमट कर रह गई है जो इसी सम्पत्ति के बल पर गरीब किसान का शोषण करने से नहीं थकते हैं। आर्थिक विषमता ने समाज को एक ऐसे कटघरे पर खड़ा कर दिया है कि किसानवर्ग न चाहते हुए भी शोषण का शिकार होता है।

प्रेमचन्द ने गोदान उपन्यास में कृषक वर्ग की आर्थिक विषमता, भुखमरी, जमींदार वर्ग के अत्याचारों का बहुत ही सटीक चित्रण किया है। ग्रामीण जीवन यापन करने वाला किसान पूर्णतः खेती पर निर्भर रहता है लेकिन वर्ष भर कार्य करने के बाद उसको रोटी, कपड़ा भी उपलब्ध नहीं हो पाता तो उसकी थकान की कराह एक पीड़ा के रूप में बाहर निकलती है। गोदान उपन्यास तो कृषक जीवन की महागाथा है जिसमें किसान के जीवन की विशद व्याख्या की गई है। किसान के जीवन के प्रत्येक पक्ष को बारीकी से उकेरा गया है। प्रेमचन्द के गोदान उपन्यास का फलक ग्रामीण होते हुए विराट है। इसमें आंचलिकता के साथ चेतनागत बौद्धिकता का समावेश है। जिसके माध्यम से गाँव की गरीबी, गुलामी, पीड़ा, उत्पीड़न जनता में व्याप्त भय, सामाजिक विषमताओं तथा गाँव में होने वाले क्रिया-कलापों का जीवन्त एवं विश्वसनीय चित्रण हुआ है। गोदान उपन्यास ग्राम्य जीवन के किसी कल्पित आदर्श को नहीं बल्कि व्यक्ति के भोगे हुए यथार्थ को प्रकट करता है।

गोदान में कृषक पीड़ा - प्रेमचन्द ने साहित्य को जीवन की व्यापक अनुभूति के साथ सम्बद्ध करके देखा था। उन्होंने उसे सुरुचि जागृत करने वाला, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति देने वाला, सौन्दर्यबोध का उन्मेष

करने वाला तथा शक्ति और गति उत्पन्न करने वाला माना था। इसलिए उनके उपन्यासों में व्यक्ति चेतना, समाज-मंगल, यथार्थ की अनुभूति, आदर्श की कल्पना आदि विशेषताओं का समावेश हुआ है। इन्हीं विशेषताओं का उद्घाटन करने वाला उनका सबसे अन्तिम उपन्यास गोदान है जिसमें उन्होंने कृषक वर्ग के जीवन के उतार चढ़ाव, मान-मर्यादा, सामाजिकता तथा भावनात्मक सम्बन्धों को प्रकट किया है। गोदान कृषक जीवन की गाथा है जिसमें मुख्य पात्र किसान होरी है जिसके इर्द-गिर्द सारा वातावरण घटित होता है। प्रत्येक घटना का जुड़ाव मूल पात्र होरी से होता है। कृषक के जीवन की प्रत्येक पीड़ा को तथा विपन्नता की विवशता को होरी के माध्यम से प्रकट करते हुए प्रेमचन्द ने होरी के माध्यम से किसान की धैर्यशीलता को प्रकट किया है। जमींदार रायसाहब अमरपाल सिंह बेलारी गाँवके किसानों से लगान वसूल करते हैं। जमींदार का किसी से भी भावनात्मक सम्बन्ध नहीं होता, किसान के द्वारा मेल-जोल रखने पर भी वह लगान में छूट नहीं देता, होरी भी यह जानता है परन्तु अपनी गरीबी की विवशता के कारण यह सब करना पड़ता है। जमींदार से अधिक मेल-जोल बढ़ाने का होरी की पत्नी धनियां के द्वारा विरोध करने पर वह अपनी विवशता को प्रकट करता हुआ कहता है - 'तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों अड़ाती है भाई। मेरी लाठी दे दे और अपना काम देखा। यह इसी मिलते-जुलते रहने का परसाद है कि अब तक जान बची हुई है, नहीं कहीं पता न लगता कि किधर गये। गाँव में इतने आदमी तो हैं, किस पर बेदखली नहीं आयी किस पर कुडकी नहीं आयी ? जब दूसरे के पाँवों-तले अपनी गर्दन दबी हुई है, तो उन पाँवों को सहलाने में ही कुशल है।'¹

धनियां को अपने जीवन में अच्छी तरह अनुभव हो जाता है कि जमींदार की कितनी ही खुशामद की जाये, कितनी ही कतर-ब्योंत की जाये, कितना ही पेट-तन काटा जाये लेकिन लगान बेवाक होना मुश्किल है इसलिए वह होरी को भी आगाह करती रहती है। स्वतंत्रता पूर्व किसान सिर्फ जमीन का मालिक नहीं एक मजदूर था जो पूरी साल खेतों में काम करता और वर्ष के

अन्त में उसको रोटी-कपड़ा भी नहीं मिल पाता। रोटी-कपड़ा के अलावा किसान को और अभावों की पूर्ति की अभिलाषा करना एक शाप से कम नहीं होता था। भारतीय संस्कृति की प्रतीक गाय किसान के घर की शोभा को बढ़ाने के लिए होती है। होरी के दिल में यह इच्छा जाग्रत होती है। होरी सोचता है - 'गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबेरे-सबेरे गऊ के दर्शन हो जायें तो क्या कहना ! न जाने कब यह साध पूरी होगी, कब वह शुभ दिन आयेगा।'¹² लेकिन होरी की यह इच्छा उसके जीवन के अन्तिम चरण तक भी पूरी नहीं होती है। वह एक-एक पैसा बचाता है। कमर-तोड़ मेहनत करता है। उस गाय की इच्छापूर्ति के लिए अपनी शरीर की भी परवाह नहीं करता है और वह उम्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। प्राण निकलते समय भी उसकी यही इच्छा उभर कर पाठक वर्ग के सामने आती है। जब होरी का पुत्र गोबर होरी के पास आता है तब होरी कहता है - 'तुम आ गये गोबर ? मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है। वह खड़ी है, देखो।'¹³

होरी के जीवन में इस इच्छा की पूर्ति नहीं हुई और अन्त समय पर भी नहीं हुई। भारतीय परम्परा में मनुष्य के अन्त समय में गो-दान किया जाता है जिससे व्यक्ति के द्वारा किये गये समस्त पाप कट जायें लेकिन होरी की गरीबी की विवशता देखो- 'धनिया यन्त्र की भांति उठी, आज जो सुतली बेची, उसके बीस आने लायी और पति के ठण्डे हाथ में रखकर सामने खड़े दातादीन से बोली- 'महाराज घर में गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गो-दान है।'¹⁴

भारतीय किसान मेहनत करने पर भी कर्ज में डूबा रहता है। इसका जिम्मेदार जमींदार वर्ग होता है। जमींदार वर्ग की मानसिकता इतनी विकृत हो गई है कि किसान का शोषण करते हुए नहीं थकती। इस शोषण का परिणाम भी उसको पता होता है लेकिन अपने भोग-विलास का आदि होने के कारण उस परिणाम की चिन्ता नहीं करता। जमींदार रायसाहब अमरपाल सिंह किसान की आह और पीड़ा के कारण जमींदार वर्ग के पतन का अनुमान करते हुए कहता है- लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। मैं उस दिन का स्वागत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। ईश्वर वह दिन जल्दी लाये। वह हमारे उद्धार का दिन होगा।'¹⁵

किसान वर्ग भाग्यवादी होता है। वह कर्म तो करता है लेकिन भाग्य पर अधिक विश्वास करता है। भारतीय मान्यता रही है कि मानव को अपने पूर्वजन्म के कर्मों से वर्तमान का भाग्य संचालित होता है। और वर्ग चाहे इसकी परवाह न करे लेकिन किसान की इस मान्यता में पक्की आस्था होती है। सुख-दुःख, गरीबी-अमीरी, स्वास्थ्य-रोग आदि को भाग्य की देन मानता है। वह किसी भी परिस्थिति में इसका प्रतिवाद नहीं करना चाहता और न ही किसी को प्रतिवाद करने देता है। गोदान का पात्र होरी भी पूर्णतः भाग्यवादी है जो अपने पुत्र गोबर द्वारा भाग्य का प्रतिवाद करने पर उसे रोकते हुए कहता है - 'यह बात नहीं है बेटा, छोटे-बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। सम्पत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किये हैं, उनका आनन्द भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगें क्या ?'¹⁶

पूँजीपति वर्ग के ऊपर कुछ भी मर्यादा मान्य नहीं होती है वह सब भी गरीब किसान पर ही लागू होती है। किसान के सभी कार्यों को एक मर्यादाहीन समझा जाता है। प्रथम तो कृषक को जमींदार कर्ज से ही राहत नहीं मिलती उसके बाद समाज के कुछ सम्पन्न लोग भी गरीब हो आकर दबाने लगते हैं। और वह ऐसा करते हैं कि गरीब अपनी पीड़ा की आह को बाहर निकलने से रोक नहीं पाता है। होरी का बेटा गोबर झुनिया को अपनी जीवन संगिनी

चुनता है तो गाँव के लोगों को बड़ा आघात लगता है। बिरादरी वाले होरी पर सौ रूपये और तीस मन अनाज का डॉड लगाते हैं। इस डॉड को सुनकर धनिया बहुत पीड़ित होती है और वह पंचायत में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है- 'पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना। हम तो मिट जायेंगे, कौन जाने इस गाँव में रहें या न रहें लेकिन मेरा सराप तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीवाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपनी बहू को क्यों अपने घर में रखा। क्यों उसे घर से निकालकर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है- ऐं ?'¹⁷

भारतीय किसान प्रत्येक अर्धदण्ड सहन करने को तैयार रहता है लेकिन अपनी बिरादरी से बेदखली नहीं चाहता। सब का पालन करना भारतीय किसान के जिम्मे होता है। पूँजीपतियों के लिए कुछ भी मान्य नहीं होता। किसान तिल-तिल मरता है लेकिन समाज को कभी भी विखरने नहीं देता। अपने अन्तर्मन की पीड़ा का दमन करके वह समाज हित का कार्य करता है। बिरादरी द्वारा डॉड लगाने पर होरी की मनःस्थिति भी ऐसी होती है - 'बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लादकर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा हो। जमींदार, सरकार, साहूकार किसका इतना रोब था ? कल बाल-बच्चे क्या खायेंगे, इसकी चिन्ता प्राणों को सोखे लेती थी, पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सिर पर सवार आँकुस दिये जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कल्पना ही न कर सकता था।'¹⁸

गरीब किसान की गृहस्थी में कोई काम भी अच्छा और समय से नहीं होता। जीवन भर वह अपमान और निराशा के गर्त में धँसता चला जाता है। उसको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वह स्वयं भी जिसको करना अपमान समझता है। होरी की छोटी बेटी रूपा शादी लायक है। होरी के पास पैसा नहीं है। कर्ज में डूबा हुआ है। उसके सामने अपने खेत बेचने के आलावा दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। इसी निराशा को भांपकर पण्डित दातादीन होरी को अपनी बेटी को बेचने की सलाह देता है। वह भी उस अर्धदण्ड रामसेवक को जो होरी से दो चार साल ही छोटा होता है। लेकिन होरी की विवशता यह करने को मजबूर होती है। यह सब करते हुए वह स्वयं भी पीड़ित है। होरी अपनी स्थिति का आंकलन करते हुए कहता है - 'ऐसे आदमी से रूपा के ब्याह करने का प्रस्ताव ही अपमान जनक था। कहाँ फूल सी रूपा और कहाँ वह बूढ़ा डूँठ! जीवन में होरी ने बड़ी-बड़ी चोट सही थी, मगर यह चोट सबसे गहरी थी। आज उसके ऐसे दिन आ गये कि उससे लडकी बेचने की बात कही जाती है और उसमें इनकार करने का साहस नहीं है। ग्लानि से उसका सिर झुक गया।'¹⁹ होरी अपनी पीड़ा को दबाते हुए यह काम भी करता है। किसान के जीवन में जो कार्य त्याज्य होने चाहिए वह भी करने पड़ते हैं। गोदान उपन्यास में शुरू से लेकर अन्त तक प्रेमचन्द ने होरी के माध्यम से कृषक-पीड़ा को बखूबी चित्रित किया है। जिससे सम्पूर्ण कृषक-वर्ग को गुजरना पड़ता है।

निष्कर्ष - प्रेमचन्द ने अपने उपन्यास गोदान में कृषक मन के दृढन्द, पीड़ाओ और विद्रोह के भावों को बड़ी ही गहनता से उकेरा है। कृषक-जीवन की प्रत्येक समस्या को पाठक के सामने यथार्थ रूप में रखा है। लेकिन समस्याओं का कोई भी समाधान उन्होंने प्रकट नहीं किया है। यह विषय प्रेमचन्द ने पाठक वर्ग को छोड़ा है कि इस भारतीय कृषक जीवन से कितना संतुष्ट होता है और कितना उसका विरोध करने की क्षमता विकसित कर पाता है। गोदान में कृषक के तीव्र विक्षोभ के साथ उसके संघर्षशील जीवन की सच्चाई को अभिव्यक्त किया है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 5 | 5. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 14 |
| 2. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 6 | 6. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 17 |
| 3. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 319 | 7. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 111 |
| 4. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 320 | 8. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 112 |
| | 9. गोदान - प्रेमचन्द, पृ.सं. 308 |

Coverage and Effectiveness of the Ayushman Bharat Scheme: A Comprehensive Analysis of Fund Utilisation, Ayushman Card Registration, and Beneficiary Impact

Mohammad Mehfooz* Dr. Poonam Singh**

*Research Scholar, S.R.S. Post Graduate College, Bareilly (U.P.) INDIA

** Professor (Economics) S.R.S. Post Graduate College, Bareilly (U.P.) INDIA

Abstract : Ayushman Bharat- PradhanMantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) is a major healthcare initiative by the Government of India, designed to provide financial support for secondary and tertiary healthcare services to vulnerable populations. Launched in 2018, Ayushman Bharat is one of the world's largest health insurance schemes, aimed at making healthcare accessible and affordable for economically disadvantaged groups in India.

This research paper looks at how the scheme has covered people, how funds have been allocated, the creation of Ayushman cards, and its impact on beneficiaries from 2018 to 2024. By analysing government spending, fund distribution across states and union territories (UTs), the number of Ayushman cards issued, and data from specific districts, this paper provides a detailed evaluation of the scheme's effectiveness. The study also focuses on how well funds have been utilised, the performance of different states, and differences in healthcare access between regions.

The paper uses a combination of secondary data (from government sources) and primary data (from field surveys) to draw conclusions. The findings suggest that while Ayushman Bharat has made significant progress in improving healthcare access, there are still important areas for improvement. These include strengthening healthcare infrastructure, raising awareness about the scheme, and better allocation of resources to ensure the scheme reaches all those in need and functions at its full potential.

Keywords: Ayushman Bharat, AB-PMJAY, healthcare, fund utilisation, beneficiary coverage.

Introduction - India's healthcare system has long been characterized by disparities in access, affordability, and quality, particularly for rural and economically disadvantaged populations. The Ayushman Bharat PradhanMantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) was introduced to address these gaps by providing health insurance coverage to over 50 crores individuals from low-income families. This ambitious scheme offers a financial safety net, covering hospitalisation costs up to Rs5 lakh per family annually, and focuses on ensuring universal health coverage (UHC) through secondary and tertiary care services.

This research paper delves into various dimensions of the Ayushman Bharat scheme, focusing on financial allocations, state-level variations, and Ayushman card registrations. Additionally, it examines the utilisation of funds, efficiency in claims processing, and the real-world impact of the scheme on beneficiaries, particularly in districts like Shahjahanpur, Uttar Pradesh. The data from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, serves as the foundation for this analysis.

Background of Ayushman Bharat Scheme: Ayushman Bharat is designed to provide free healthcare services to

over 10 crores families, representing approximately 40% of India's population. The scheme has two primary components:

1. PradhanMantri Jan Arogya Yojana (PMJAY): It provides health coverage of up to Rs5 lakh per family per year for secondary and tertiary care hospitalisation.
2. Health and Wellness Centres (HWCs): Aiming to provide comprehensive primary healthcare, the government intends to establish 1.5 lakh HWCs across the country to ensure access to essential healthcare services.

The success of PMJAY largely depends on efficient fund distribution, the creation of Ayushman cards, awareness campaigns, and infrastructure capacity at the local and state levels.

Methodology: The analysis in this paper is based on secondary data collected from the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and supplemented by primary survey data collected from 300 respondents from Shahjahanpur, a district in Uttar Pradesh. The data sets under review include:

1. Government expenditure in the Ayushman Bharat

2. Ayushman card registrations (state-wise, financial year-wise)
3. District-level implementation data, focusing on Shahjahanpur, including beneficiary verification, hospital capacity, claims processing, and healthcare access.

Government Expenditure and Fund Utilisation: The table 1.1 presents the data on government expenditure, reveals the varying levels of fund releases and utilisation rates across different financial years. The fund release from the central government has fluctuated, with a sharp increase in 2022-23, when the allocated budget was Rs6412 crores, and utilisation rate of 94.31%. However, the utilization rates in the initial years (2018-2021) were comparatively lower, highlighting issues of fund absorption and administrative challenges.

Table1.1 - Government Expenditure in India (AB-PMJAY) (in crores of Rupees)

Financial Year	Budget Estimate	Revised Estimate	Funds released as part of Central share	Utilization Rate (Funds Released / Budget Estimate)*100
2018-19	2400.00	2160.00	1849.55	77.06%
2019-20	6400.00	3200.00	2992.94	46.41%
2020-21	6400.00	3100.00	2544.12	39.06%
2021-22	6400.00	3199.00	2940.65	45.63%
2022-23	6412.00	6412.00	6048.63	94.31%
2023-24	7200.00	7200.00	4553.41(ason 14.01.2024)	63.51%

Source- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Dataasof14.01.2024

The table 1.1 shows that in 2018-19, the budget estimate for Ayushman Bharat was Rs2400 crores, but it was reduced to Rs2160 crores in the revised estimate. The central government released Rs1849.55 crores, resulting in a 77.06% utilisation rate. From 2019-20 to 2021-22, there was a noticeable decline in fund utilisation, with the rate dropping to as low as 39% in 2020-21. This suggests that there were challenges in implementing the scheme effectively at the state and district levels. In 2022-23, the utilisation rate improved significantly to 94.31%, indicating better management and infrastructure. However, in 2023-24, by January 2024, the utilisation rate had decreased to 63.51%, raising concerns about how well resources are being distributed and used in the current year.

This variability in fund utilisation is crucial for understanding how effectively the scheme has been rolled out in different regions. States with better healthcare infrastructure and administrative capacity tend to utilise the funds more efficiently.

State/UT-wise Fund Distribution and Performance: The state-wise distribution of funds under the scheme shows considerable variation in table 1.2, reflecting regional

disparities in healthcare infrastructure, beneficiary population size, and state government priorities.

Table1.2 (see in last page)

The data in table 1.2 shows how much money was allocated to different Indian states and union territories (UTs) from 2018-19 to 2023-24. Overall, the total funds released grew significantly from Rs1,849.55 crores in 2018-19 to Rs6,048.63 crores in 2022-23, before falling to Rs4,553.41 crores in 2023-24. This suggests a large increase in spending up to 2022-23, followed by a decline in 2023-24, possibly due to the completion of major projects or policy changes.

Maharashtra consistently received high allocations, reaching Rs466.42 crores in 2023-24, after peaking at Rs388.03 crores in 2022-23. Andhra Pradesh also saw a sharp increase from Rs182.85 crores in 2018-19 to Rs480.89 crores in 2022-23, though it dropped to Rs349.82 crores in 2023-24. Madhya Pradesh experienced massive growth, from Rs72.57 crores in 2018-19 to Rs714.07 crores in 2023-24, becoming one of the highest-funded states. Tamil Nadu also showed strong growth in 2022-23 (Rs578.67 crores), but it fell to Rs263.20 crores in 2023-24.

Uttar Pradesh's funding grew from Rs85.01 crores in 2018-19 to Rs445.25 crores in 2023-24, though it declined slightly from Rs501.78 crores in 2022-23. West Bengal, on the other hand, showed a sharp drop after 2018-19, with no data for later years, which may indicate a change in policy or data reporting. Jharkhand's funding increased until 2019-20 but dropped significantly after 2020-21, possibly due to economic or fiscal issues. Assam saw a sharp rise from Rs21.08 crores in 2018-19 to Rs288.00 crores in 2023-24, indicating more government spending, likely for development projects.

Rajasthan showed a big increase from Rs200.07 crores in 2019-20 to Rs501.30 crores in 2023-24, suggesting major fiscal shifts. Smaller regions like Lakshadweep and Ladakh received relatively low amounts, reflecting their smaller populations. Goa showed modest growth, peaking at Rs1.19 crores in 2023-24. Kerala, however, experienced steady growth from Rs25 crores in 2018-19 to Rs155.48 crores in 2023-24, while Karnataka peaked at Rs647.74 crores in 2022-23 but saw a decrease to Rs278.28 crores in 2023-24. Chhattisgarh, after reaching Rs352.94 crores in 2022-23, fell to Rs138.25 crores in 2023-24. Telangana saw an increase in 2022-23 (Rs173.54 crores), but this dropped to Rs114.31 crores in 2023-24.

In general, 2022-23 was a peak year for many states, followed by a decline in 2023-24. This may reflect a correction after a period of increased spending. Some states like Jharkhand and West Bengal had low or zero allocations in certain years, which may need further investigation. Larger states like Madhya Pradesh, Maharashtra, and Uttar Pradesh received the highest funds, likely due to their larger populations and higher healthcare demands.

The differences in fund distribution highlight that states with higher populations or more robust health systems receive more funds, but there are concerns regarding the equitable distribution of resources and the ability of smaller states and UTs to implement the scheme effectively.

Ayushman Card Registrations: The creation of Ayushman cards is a critical step in the scheme's implementation. The table 1.3 shows state-wise Ayushman card registrations shows the increasing number of cards created over time.

Table-1.3 (see in last page)

The table 1.3 shows the number of Ayushman Bharat cards created across various Indian states and Union Territories (UTs) from FY 2018-19 to FY 2023-24. In the first few years, the growth was slow due to initial challenges like setting up infrastructure and raising awareness. However, the number of cards issued grew significantly in FY 2022-23 and FY 2023-24, especially in larger states like Uttar Pradesh, Maharashtra, and Rajasthan, which saw a massive increase in card creation.

Uttar Pradesh was the largest contributor, with 4.89 crores cards created, particularly in FY 2023-24, when 2.18 crores cards were issued. Madhya Pradesh also showed strong growth, creating 3.85 crores cards, with a notable dip in FY 2023-24. Maharashtra issued 2.51 crores cards, including 1.60 crores in FY 2023-24. Rajasthan and Gujarat showed significant growth in the last two years, with Rajasthan creating 1.02 crores cards in FY 2022-23 and 92.33 lakh cards in FY 2023-24. Chhattisgarh, Assam, Telangana, and Tamil Nadu also saw notable progress, especially after FY 2022-23.

Smaller states and UTs like Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh, and Ladakh showed slower growth, which could be due to their smaller populations and localized healthcare needs. The COVID-19 pandemic also slowed progress in 2020-21 and 2021-22. Overall, larger states like Uttar Pradesh and Maharashtra led the way in card creation, while smaller states may need more focused outreach to boost participation.

District-level Insights: Shahjahanpur

Shahjahanpur presents a unique case study of how Ayushman Bharat is implemented at the district level. While the beneficiary verification process is robust, the district's healthcare infrastructure shows signs of strain. The district has 29 approved hospitals, but with a large number of beneficiaries, the resource allocation might not be sufficient to meet the growing demand for healthcare services.

There is a claims approval rate of 76.6% in Shahjahanpur is a positive sign, indicating that the district's healthcare system is processing claims efficiently. However, expanding the number of hospitals and increasing awareness about the scheme could further improve its reach and effectiveness.

Demographic Breakdown of Ayushman Bharat Beneficiaries in district Shahjahanpur

A survey was conducted with 300 respondents from both

rural and urban areas of Shahjahanpur district. The survey looked at people who are registered and not registered under the Ayushman Bharat Yojana. The findings of this survey show important demographic trends, such as differences based on gender, locality, income, and occupation. These trends are clearly shown in Table 1.4. The data highlights how various groups, like rural and urban residents, have different registration rates under the scheme. The survey helps to understand which groups have better access to the benefits of Ayushman Bharat Scheme and where there may be gaps in outreach or awareness.

Table 1.4- Status of Registered/Non Registered respondent under Ayushman Bharat Yojana

Variables	Registered with Ayushman Bharat Yojana		
	Registered	Not Registered	Total
Gender			
Male	104	98	202
Female	51	47	98
Locality			
Rural	138	69	207
Urban	17	76	93
Category			
APL	84	109	193
BPL	71	36	107
Age Group			
18-25	25	19	44
25-30	37	18	55
30-40	46	55	101
40-50	29	34	63
Above 50	18	19	37
Education			
Illiterate	24	19	43
Below 9 th	63	33	96
10 th Passed	32	8	40
12 th Passed	20	10	30
Graduation	11	49	60
Post-Graduation & Above	5	26	31
Religion			
Hindu	112	97	209
Muslim	41	38	79
Christian	1	6	7
Sikh	1	4	5
Class			
General	56	62	118
OBC	72	61	133
SC/ST	27	22	49
Occupation			
Govt. Servant	11	28	39
Private Employee	29	51	80
Entrepreneur	9	9	18
Farmer/Labourer	62	16	78

Other (student, housewife)	44	41	85
Income			
Less than 2000	40	24	64
2000-5000	57	23	80
5000-10000	27	19	46
10000-20000	18	31	49
20000 & above	13	48	61
Block			
Block Tilhar	79	21	100
Block Madnapur	58	42	100
District HQ (3 km from district hospital)	5	45	50
District HQ (10 km from district hospital)	13	37	50

Source- Computed by researcher from primary data

The data from the table 1.4 shows how registration under the Ayushman Bharat Yojana varies based on different socio-economic factors. In terms of gender, the registration rates are almost equal, with a slight edge for females (52.04%) compared to males (51.49%). When we look at locality, registration is much higher in rural areas (66.67%) than in urban areas (18.28%), showing that the scheme has been more successful in rural outreach. Among economic categories, people below the poverty line (BPL) have a higher registration rate (66.36%) compared to those above the poverty line (APL) at 43.52%. Age-wise, younger people, especially those between 25-30 years (67.27%), are more likely to register, while older age groups show lower registration rates. In terms of education, people with lower education levels, like the illiterate (55.81%), have higher registration rates, while those with higher education, such as graduates and postgraduates, have much lower rates (18.33% and 16.13%, respectively). Religion-wise, Hindus (53.59%) and Muslims (51.90%) have similar registration rates, but Christians (14.29%) and Sikhs (20.00%) have much lower participation. Among different castes, OBCs (54.14%) and SC/STs (55.10%) have higher registration rates than the General category (47.46%). Looking at occupation, farmers and laborers have the highest registration rates (79.49%), while government employees (28.21%) and private workers (36.25%) have lower rates. Income-wise, people with lower incomes (under Rs2,000 per month) have higher registration (62.50%), while those earning more than Rs20,000 a month have much lower registration (21.31%). Finally, area-wise, Block Tilhar has the highest registration rate at 79%, while areas near district centers show lower rates, indicating that more awareness and outreach efforts are needed in these urbanized regions. Overall, the scheme has done well in targeting rural, lower-income, and disadvantaged groups, but improvements are needed in urban areas, among educated people, and higher-income groups.

Conclusion: In conclusion, the Ayushman Bharat PradhanMantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) has made significant strides in addressing healthcare disparities in India, particularly for economically disadvantaged populations. However, its implementation has faced varying degrees of success across different states and districts, highlighted by fluctuations in fund utilization and Ayushman card registrations.

While the scheme's funding has grown substantially, with higher allocations for states like Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and Maharashtra, disparities in fund distribution remain a concern. States with stronger healthcare infrastructure tend to use funds more efficiently, while others face challenges in implementing the scheme effectively. Notably, in 2022-23, many states saw peak fund utilization, but a subsequent decline in 2023-24 raises questions about the sustainability of resource allocation.

Ayushman card registrations show notable variation across regions, with rural areas and lower-income groups exhibiting higher participation rates. The survey in Shahjahanpur district revealed that rural populations, the BPL category, and lower-income groups were more likely to register for the scheme, whereas urban, educated, and higher-income individuals showed lower participation. This suggests that while the scheme has been successful in reaching its intended beneficiaries, further efforts are needed to increase awareness and outreach in urban and economically better-off areas.

In summary, while AB-PMJAY has improved access to healthcare for millions, state-level disparities in fund utilization, infrastructure, and outreach remain critical challenges. Addressing these gaps, especially in urban areas and among higher-income groups, will be key to achieving universal health coverage and ensuring the scheme's long-term success.

References:-

1. Ayushman Bharat- PMJAY [Internet] New Delhi: Ministry of Health and Family Welfare, Government of India; 2020. Available from: <https://www.pmjay.gov.in> .
2. Chellaiyan VG, Taneja N. PradhanMantri Jan Arogya Yojana-Ayushman Bharat. Indian J CommHealth. 2020;32:337-40.
3. Debnath DJ, Kakkar R. Modified BG Prasad socio-economic classification, Updated – 2020. Indian J Comm Health. 2020;32:124-5
4. Dhaka R, Verma R, Agrawal G, Kumar G. Ayushman Bharat Yojana: A memorable health initiative for Indians. Int J Community Med Public Health. 2018;5: 31523.
5. Ghosh A. Health Cover Scheme: Who, how [Internet] New Delhi: The Indian Express; 2018. Available from: <https://indianexpress.com/article/explainedational-healthmission-ayushman-bharat-health-mission-jp-nada-healthbudget-5216382/>

6. Government of India, Ministry of Health and Family, 2024
7. Keshri VR, Ghosh S. Health Insurance for Universal Health Coverage in India: A Critical Examination [Internet] Patna: ADRI; 2019. p. 40. Available from: [https://www.adriindia.org/images/paper/1557397831Health Insurance for Universal Health Coverage in India.pdf](https://www.adriindia.org/images/paper/1557397831Health%20Insurance%20for%20Universal%20Health%20Coverage%20in%20India.pdf).
8. Merwin R. Awareness of Ayushman Bharat scheme still low in TN [Internet] Chennai: The Hindu Business lines; 2019. Available from: <https://www.thehindu.com/business/Economy/awareness-of-ayushman-bharat-scheme-still-low-in-tn/article26390255.ece>.
9. Netra G, Rao BAV, Kengnal P. Utilization, satisfaction, out of pocket expenditure and health seeking behaviour among the insured residents of rural field area: A cross sectional study. Int J Community Med Public Health. 2020;7:1047–50.
10. Sharma N. New Delhi: The Economic Times; 2019. Ayushman Bharat Awareness 80% in TN, Barely 20% in Bihar and Haryana [Internet] Available from: https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/healthcare/ayushman-bharat-awareness-80-in-tn-barely-20-in-bihar-and-haryana/articleshow/70953467.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst.

Table 1.2- State/UT-wise funds released under the scheme (AB-PMJAY) (in crore Rupees)

State/UT	FY2018-19	FY2019-20	FY2020-21	FY2021-22	FY2022-23	FY2023-24
A& Nicobar Islands	0.15	0.41	0.27	0.76	1.00	0.59
Andhra Pradesh	182.85	374.07	261.23	223.95	480.89	349.82
Arunachal Pradesh	2.31	0	0.67	0	3.80	3.22
Assam	21.08	133.23	12.1	87.91	209.33	288.00
Bihar	88.27	82.49	0	59.77	145.51	172.50
Chandigarh	0.68	3.82	1.84	2.49	6.41	4.13
Chhattisgarh	217.43	280.37	112.62	66	352.94	138.25
DNHand DD	4.27	2.02	4.24	1.76	2.93	2.25
Goa	0.64	0.06	0.49	0.6	0.53	1.19
Gujarat	77.5	212.33	99.84	330.55	660.15	267.48
Haryana	26.81	58.69	71.92	89.95	143.50	88.67
Himachal Pradesh	17.18	19.12	32.93	33.71	64.32	34.33
Jammu and Kashmir	20.64	33.44	22.7	75.12	85.62	35.87
Jharkhand	170.17	126.5	100.32	7.98	0.00	0.00
Karnataka	159.31	254.13	160.85	414.11	647.74	278.28
Kerala	25	97.56	145.61	138.9	151.34	155.48
Ladakh	0	0	1.62	0.51	1.92	1.28
Lakshadweep	0	0	0	0.31	0.15	0.07
Madhya Pradesh	72.57	118.46	164.8	355.25	665.73	714.07
Maharashtra	266.32	241.88	376.65	324.75	388.03	466.42
Manipur	7.18	17.1	11.45	22.5	38.55	21.87
Meghalaya	15.57	18.07	49.52	22.28	47.31	30.1
Mizoram	17.48	12.41	14.97	16.58	26.30	23.35
Nagaland	4.72	10.89	12.27	14.09	21.69	25.79
Puducherry	1.52	0	1.23	0.11	7.98	4.96
Punjab	2.24	55.55	46.85	80.5	111.38	35.84
Rajasthan	0	200.07	258.31	96.39	416.96	501.30
Sikkim	1.03	0.09	1.85	1.04	2.30	4.41
Tamil Nadu	304.98	441.77	359.81	75.14	578.67	263.20
Telangana	0	0	0	150.26	173.54	114.31
Tripura	12.81	20.18	8.98	35.6	45.25	36.96
Uttar Pradesh	85.01	147.49	167.63	157.56	501.78	445.25
Uttarakhand	12.54	30.73	40.52	54.23	65.11	44.22
West Bengal	31.28	0	0	0	0.00	0.00
Total	1849.55	2992.94	2544.12	2940.65	6048.63	4553.41

Source- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Data as of 14.01.2024

Table-1.3 State/UT-wise and Financial year-wise details of Ayushman cards created under the scheme

State/UT	FY2018-19	FY2019-20	FY2020-21	FY2021-22	FY2022-23	FY2023-24
A&N Islands	3,408	11,518	18,795	6,095	813	25,974
Andhra Pradesh	-	5	14	49	1,22,22,747	30,39,616
Arunachal Pradesh	105	1,493	13,603	32,165	37,235	36,981
Assam	86	908	1,45,776	2,17,930	1,00,12,289	62,68,370
Bihar	11,39,675	41,41,614	14,66,320	7,22,838	3,29,017	9,56,922
Chandigarh	25,036	24,813	11,893	7,401	80,751	24,925
Chhattisgarh	6,73,311	21,16,614	88,88,867	37,34,793	19,43,322	37,57,720
DNH&DD	3,08,752	81,422	13,349	11,367	15,939	4,031
Goa	7,570	13,965	317	263	5,139	47,016
Gujarat	44,01,689	28,27,816	97,553	39,83,093	51,21,824	70,19,404
Haryana	8,92,365	12,98,633	3,37,429	3,01,914	53,70,225	27,12,885
Himachal Pradesh	5,09,337	3,19,610	2,14,554	69,743	18,274	1,46,048
J. & Kashmir	10,47,033	50,279	34,16,489	21,11,017	15,28,399	2,63,416
Jharkhand	30,71,641	56,36,121	2,54,567	4,08,213	13,53,286	11,69,551
Karnataka	-	336	6,58,869	48	1,28,96,440	20,05,555
Kerala	113	63,63,179	1,76,165	2,80,265	3,27,534	3,94,525
Ladakh	32,384	509	58,025	16,512	23,055	55,848
Lakshadweep	8	1,559	93	16,593	7,793	4,360
Madhya Pradesh	90,64,211	48,62,322	91,29,333	37,12,957	93,32,470	25,04,899
Maharashtra	4,97,621	62,97,711	2,70,786	3,72,001	17,67,038	1,60,55,734
Manipur	80,640	1,45,702	70,143	1,02,620	84,730	64,090
Meghalaya	2,33,650	12,82,954	41,380	1,45,279	78,438	1,04,016
Mizoram	1,31,670	2,09,925	11,033	3,934	78,405	75,030
Nagaland	19,380	2,06,756	16,648	21,681	1,90,844	2,12,124
Puducherry	7	1,13,996	15,791	2,56,508	23,457	77,801
Punjab	-	36,84,680	22,62,735	15,79,586	1,99,050	7,06,077
Rajasthan	-	-	-	-	1,02,78,849	92,32,797
Sikkim	4,222	27,207	2,701	10,791	7,925	16,394
Tamil Nadu	-	188	179	373	32,44,708	30,19,414
Telangana	-	-	-	-	69,49,447	12,98,621
Tripura	3,50,010	7,68,202	1,17,879	37,517	41,308	82,271
Uttar Pradesh	28,28,422	65,28,640	44,29,547	41,53,600	92,01,753	2,17,95,847
Uttarakhand	28,65,125	8,57,669	5,50,073	3,53,466	3,76,978	4,73,144

Source- Government of India, Ministry of Health and Family Welfare Data as of 14.01.2024

श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में क्लासिसिज्म एवं रोमांटिसिज्म का सामंजस्य

रमेश वसुनिया* डॉ. सी.एल.शर्मा** डॉ. जगदीशचंद्र शर्मा***

* शोधार्थी (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.) भारत

*** आचार्य एवं सह-निर्देशक (हिन्दी) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - आधुनिक हिन्दी के साहित्यिक क्षेत्र में श्रीलाल शुक्ल एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, जो अपनी कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि से व्यंग्यात्मक शैली और सामाजिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर उस पर आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएँ मुख्य रूप से समकालीन मुद्दों से जुड़ी होती हैं लेकिन उनके साहित्य में एक अद्भुत क्लासिसिज्म (शास्त्रियतावाद) एवं रोमांटिसिज्म (स्वच्छंदतावाद) का प्रवाह भी देखा जा सकता है। शुक्ल अपने कथानकों में शास्त्रीय परंपराओं, आदर्शों और रूपों के तत्वों को कुशलता से पिरोते हैं, जो प्राचीन और आधुनिक भारत की समस्याओं को एक साथ जोड़ते हैं। इस लेख में श्रीलाल शुक्ल की कहानियों में क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के प्रयोग पर चर्चा कर यह विश्लेषित किया गया है कि किस प्रकार शास्त्रीय तत्व और स्वच्छंदतावाद उनकी सामाजिक टिप्पणियों और कथा संरचना में योगदान करते हैं। यद्यपि उनका लेखन आम तौर पर व्यंग्य, यथार्थवाद और सामाजिक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी कहानियों में स्वच्छंदतावाद के सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण निशानों को नजरअंदाज करना नहीं होगा। कठोर यथार्थवाद के साथ रोमांटिक तत्वों का उनका सम्मिश्रण सामाजिक संरचनाओं की उनकी आलोचना में गहराई जोड़ता है और स्वतंत्रता बाद के भारत में ग्रामीण और राजनीतिक जीवन के उनके कठोर चित्रण के लिए एक सूक्ष्म सुंदरता लाता है। शुक्ल की कहानियों में क्लासिसिज्म को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि साहित्य में क्लासिसिज्म का क्या अर्थ है। क्लासिसिज्म जो मुख्य रूप से ग्रीक-रोमन परंपरा से उत्पन्न हुआ है, जो सौंदर्य, संतुलन, स्पष्टता, और परंपरा के सम्मान पर जोर देता है। यह तर्कसंगतता, संयम, और व्यवस्था जैसे मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है, जो कि व्यक्तिगत अनुभवों की अपेक्षा सार्वभौमिक सत्य को प्राथमिकता देता है। भारतीय साहित्यिक परंपरा में क्लासिसिज्म संस्कृत काव्यशास्त्र से जुड़ा हुआ है, विशेष रूप से नाट्यशास्त्र और काव्य मीमांसा जैसे ग्रंथों में निर्धारित सिद्धांतों के माध्यम से ये सिद्धांत साहित्य में औचित्य, भावनात्मक संयम और सौंदर्यानुभूति की महत्ता को बढ़ावा देते हैं। जब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में शास्त्रीयतावाद पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि संस्कृति और प्राचीन भारतीय साहित्य में इसका उज्वलतम रूप दिखलाई पड़ता है। इनमें वैदिक ग्रंथ रामायण, महाभारत के अलावा, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, जायसी, सूर, तुलसी, गालिब, रवीन्द्रनाथ, जयशंकर

प्रसाद, निराला आदि प्रतिष्ठित साहित्यकारों की रचनाएँ सम्मिलित है जिन्होंने कि अपने लेखन कार्य द्वारा मां भारती के भंडार को भरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अत्यंत ही प्रतिभासम्पन्न कवि हैं। इनकी शैली भव्य एवं उदात्ता है तथा इनकी कृतियाँ विश्व साहित्य की अमर निधियाँ हैं। वैसे तो भारतीय साहित्य शास्त्रवादी पश्चिमी साहित्य से काफी पुराना है इसलिए दोनों की तुलना करना सही नहीं होगा। भारतीय साहित्य में शास्त्रवाद का आग्रह उस रूप में नहीं हुआ जिस रूप में यूनानी या लैटिन साहित्य में रहा, क्योंकि यह भारतवर्ष की गतिशील लोकोन्मुख परम्परा से सदैव प्रभावित रहा है, भारतीय साहित्य लोक और शास्त्र तथा बुद्धि और हृदय के बीच समन्वय से रचित साहित्य है जो जीवन और जगत की विविधतायुक्त छवियों से सुरक्षित है।

शुक्ल की रचनाओं के संदर्भ में क्लासिसिज्म को भारत के सांस्कृतिक अतीत, उसके दार्शनिक आदर्शों और प्राचीन साहित्यिक रूपों के संदर्भ रूप में देखा जा सकता है। शुक्ल की रचनाएँ भारतीयता माटी की महक लिए हुए गहराई से जुड़ी हुई हैं, और जहाँ वे समकालीन समाज की आलोचना करती हैं वहीं वे शास्त्रीय ग्रंथों में पाए जाने वाले व्यवस्था और नैतिक स्पष्टता के लिए एक तड़प भी प्रकट करती हैं। साहित्य को रूमानी मूर्खताओं से मुक्त कराने में शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

श्रीलाल शुक्ल की कहानियों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे स्वतंत्रता के बाद के भारत में सामाजिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार, अक्षमता और नैतिक पतन की आलोचना करने के लिए व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। उनकी कृतियों में क्लासिसिज्म अक्सर इस भ्रष्टाचार के विपरीत रूप में उभरता है। शुक्ल शास्त्रीय आदर्शों जैसे कि सदाचार, न्याय और व्यवस्था को प्रकट करते हुए समकालीन समाज की अव्यवस्था को उजागर कर उस पर जोर देते हैं, जिससे प्राचीन और आधुनिक भारत के बीच अंतर को स्पष्ट किया जा सके।

श्रीलाल शुक्ल का व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण और ग्रामीण जीवन - शुक्ल के व्यंग्य में ग्रामीण समाज के उस परिवर्तन की स्पष्ट झलक मिलती है, जहाँ नैतिक मूल्यों और शास्त्रीय आदर्शों का स्थान भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और धोखे ने ले लिया है। उनकी रचनाएँ इस बात का प्रमाण हैं कि आधुनिक ग्रामीण समाज में सत्य, न्याय और नागरिक सदाचार जैसे

शास्त्रीय आदर्श अप्रासंगिक हो चुके हैं। शुक्ल इस पतनशीलता को न केवल प्रकट करते हैं, बल्कि इसके पीछे छिपे तंत्र को भी उजागर करते हैं, जो कि चालाकी और स्वार्थ पर आधारित है। उनके व्यंग्य की शक्ति उनकी दृष्टि की स्पष्टता और व्यावहारिकता में निहित है। वे अतीत के शास्त्रीय मूल्यों का उल्लेख करते हुए यह दिखाते हैं कि आधुनिक समाज ने इन आदर्शों को या तो भुला दिया है या अपने स्वार्थ के लिए विकृत कर दिया है। उदाहरण के लिए शराग दरबारी में वे गाँव के शिक्षण संस्थान, पंचायत और स्वास्थ्य केंद्रों को केन्द्र में रखते हुए यह दिखाते हैं कि ये संस्थाएँ किस तरह से अपने मूल उद्देश्य से भटक चुकी हैं। इन संस्थानों में सत्य और न्याय की जगह स्वार्थ और भ्रष्टाचार ने ले ली है।

शुक्ल का व्यंग्य मात्र हास्य पर आधारित न होकर उपहास तक सीमित नहीं है बल्कि यह पाठक को आत्ममंथन करने के लिए प्रेरित करता है। वे अपने पात्रों और स्थितियों के माध्यम से शास्त्रीय भारतीय मूल्यों की सूक्ष्म याद दिलाते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आधुनिकता की अंधी दौड़ ने समाज को किस हद तक क्षति पहुँचाई है। उनका लेखन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यह पतनशीलता अपरिहार्य है? या इसे रोकने के लिए समाज को फिर से अपनी जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है।

श्रीलाल शुक्ल का यह दृष्टिकोण समाज को न केवल उसकी कमजोरियों का आईना दिखाता है, बल्कि यह भी इंगित करता है कि समाज के पुनर्निर्माण के लिए शास्त्रीय आदर्शों को फिर से अपना कितना आवश्यक है। उनका व्यंग्य आधुनिक समाज और परंपरागत मूल्यों के बीच एक पुल की तरह कार्य करता है, जो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल देता है।

वहीं दूसरी ओर शुक्ल गाँवों के माध्यम से अपने लेखन की रोमांटिक प्रवृत्ति जीवंत करते हैं। शुक्ल जानते हैं कि उनका चित्रण सद्भाव और सादगी की एक आदर्श तस्वीर से बहुत दूर है, बल्कि यह राजनीतिक भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानताओं और सत्ता संघर्षों का एक जटिल स्थल है। फिर भी इस यथार्थवादी ढाँचे के भीतर शुक्ल स्वच्छंदतावाद के क्षणों को बुनता है, अक्सर ग्रामीण जीवन के विवरणों के माध्यम से जो खोए हुए अतीत या भूमि और उसके लोगों के साथ एक आदर्श संबंध के लिए उदासीनता की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए 'राग दरबारी' में मानसून के मौसम के बारे में शुक्ल का वर्णन प्रकृति के लिए लगभग एक रोमांटिक स्रोत है। बारिश न केवल भूमि के लिए बल्कि पात्रों की आत्माओं के लिए एक नवीनीकरण लाती है, क्षण भर में उनकी परेशानियों का भार उठाती है। इन अंशों में प्रकृति सांत्वना का स्रोत बन जाती है, गाँव की राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से राहत देती है। प्रकृति की सुंदरता और सामाजिक संरचनाओं की कुरूपता के बीच यह परस्पर क्रिया मानवीय असफलताओं को ठीक करने और पार करने के लिए प्रकृति की शक्ति के साथ रोमांटिक साहित्य के आकर्षण को याद करती है।

शास्त्रीय प्रतिमानों और विषयों की भूमिका - श्रीलाल शुक्ल अक्सर शास्त्रीय प्रतिमानों और विषयों को आधुनिक संदर्भ में पुनर्क्याख्या करते हैं। उनके पात्र अक्सर शास्त्रीय आकृतियों के गुणों को धारण करते हैं, लेकिन वे ऐसी परिस्थितियों में रखे जाते हैं जो समकालीन जीवन की हास्यास्पदता को उजागर करते हैं। यह तुलना शुक्ल को वर्तमान और अतीत की आदर्शवादी कल्पना दोनों की आलोचना करने की अनुमति देती है।

उदाहरण के लिए, शुक्ल की कहानियों में अक्सर ऐसे पात्र होते हैं जो

भारतीय महाकाव्यों और शास्त्रीय साहित्य के नेता या नायक के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि उनकी रचनाओं में ये पात्र अक्सर गहरे दोषपूर्ण या भ्रष्ट होते हैं, जो आधुनिक भारत में नेतृत्व के पतन पर व्यंग्य करते हैं। राग दरबारी में गाँव का मुखिया वैद्यजी, इस प्रतिभा का उदाहरण है। वह अधिकार की स्थिति में होते हुए भी उसकी नेतृत्व क्षमता में चालाकी, स्वार्थ और नैतिक गुणों की पूर्ण कमी है, जो एक शास्त्रीय नायक से अपेक्षित होती है। इस पात्र के माध्यम से शुक्ल ने शास्त्रीय आदर्शवादी नायक और स्वतंत्रता के बाद भारत के भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं के बीच की तुलनात्मक आलोचना करते हैं। इसके अतिरिक्त कर्तव्य, धर्म और नैतिक व्यवस्था जैसे शास्त्रीय भारतीय साहित्य के केंद्रीय विषयों को शुक्ल की रचनाओं में उपेक्षित किया गया है। महाभारत या रामायण जैसे शास्त्रीय ग्रंथों में, धर्म की अवधारणा सर्वोपरि है, जहाँ पात्र ऐसे नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना सिखाती हैं। शुक्ल अपनी कहानियों में इन दुविधाओं की पुनर्कल्पना करते हैं, लेकिन उनके पात्र अक्सर इन्हें सुलझाने के लिए नैतिक स्पष्टता की कमी दिखाते हैं। धर्म की रक्षा करने के बजाय वे आत्म-हित के कार्य करते हैं, जो अक्सर हास्य या त्रासदीपूर्ण परिणाम उत्पन्न करते हैं। शास्त्रीय विषयों का यह उलटफेर आधुनिक भारत के नैतिक पतन की आलोचना के रूप में कार्य करता है तथा यह दर्शाता है कि कर्तव्य और धर्म के शास्त्रीय मूल्य अब निंदकता और अवसरवाद से प्रतिस्थापित हो गए हैं।

रोमांटिसिज्म (स्वच्छंदतावाद) साहित्य की पहचान में से एक व्यक्ति का उत्थान है, जिसे अक्सर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ संघर्ष करने वाले विद्रोही या दूरदर्शी के रूप में चित्रित किया जाता है। शुक्ल की कहानियों में उनके नायक अक्सर खुद को अपने आसपास के भ्रष्ट और खस्ताहाल संस्थानों के साथ बाधाओं में पाते हैं। ये पात्र, पारंपरिक अर्थों में हमेशा वीर नहीं होते हैं, उनके व्यक्तित्व की भावना, उनकी भावनात्मक गहराई और समाज द्वारा मांगे गए नैतिक समझौतों के प्रतिरोध के माध्यम से एक रोमांटिक भावना का प्रतीक हैं। शुक्ल की कहानी 'अपनी पहचान' सामाजिक और मानवीय संवेदनाओं को बारीकी से दर्शाती है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति के जीवन और समाज में उसकी पहचान के संघर्ष पर केंद्रित है। मुख्य पात्र अपनी गरीबी, सीमित संसाधनों, और जीवन के कठोर यथार्थों के बावजूद अपनी अस्मिता को बनाए रखने की कौशिस करता है।

शुक्ल जी ने इस कहानी में समाज के वर्गभेद और आर्थिक विषमता को उजागर किया है। कहानी का नायक अपने आत्मसम्मान को खोए बिना, अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है। इसकी भाषा सरल लेकिन प्रभावशाली है, और प्रतीकों का उपयोग पाठकों को गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आलोचनात्मक दृष्टि से यह कहानी मानवीय संघर्षों और सामाजिक अन्याय का मार्मिक चित्रण है। यह हमें अपनी परिस्थितियों से लड़ने और आत्मसम्मान बनाए रखने की प्रेरणा देती है। श्रीलाल शुक्ल का यथार्थवादी दृष्टिकोण इसे पाठकों के लिए और अधिक बोधगम्य और प्रासंगिक बनाता है।

इनके पात्र ग्रामीण जीवन के साथ जुड़ने के प्रयास में अर्थ और उद्देश्य खोजने के लिए भारी सामाजिक दबाव के सामने अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहने के लिए रोमांटिक नायक के संघर्ष को दर्शाते हैं। उनकी आंतरिक उथल-पुथल और अलगाव की भावना उन्हें रोमांटिक दोषपूर्ण, आदर्शवादी और अंततः दुखद नायक की परंपरा के भीतर रखती है।

श्रीलाल शुक्ल की कहानियों में क्लासिसिज्म का एक और महत्वपूर्ण पहलू भाषा और शैलीगत तत्वों का प्रयोग है, जो शास्त्रीय रूपों की याद दिलाते हैं। शुक्ल की गद्य शैली सामयिक और सुलभ है, अक्सर एक औपचारिक संरचना और संयम की भावना से परिपूर्ण होती है जो शास्त्रीय आदर्शों को दर्शाती है। उनकी लेखन शैली स्पष्टता और सटीकता से भरी होती है, जो भावनात्मकता या अतिशयोक्ति से बचती है। यह शैलीगत संयम शास्त्रीय सिद्धांतों के औचित्य और संतुलन के साथ मेल खाता है, भले ही शुक्ल आधुनिक जीवन के अराजक और हास्यास्पद पहलुओं की खोज करते हों। इसके अलावा शुक्ल अक्सर विडंबना, सांकेतिकता, और प्रतीकात्मकता जैसे शास्त्रीय अलंकारिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं। ये उपकरण उन्हें समकालीन मुद्दों की अप्रत्यक्ष आलोचना करने की अनुमति देते हैं तथा वर्तमान और शास्त्रीय अतीत के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा करते हुए शुक्ल की कहानियाँ अक्सर एक कालातीत गुण धारण करती हैं, क्योंकि वे नैतिकता, न्याय और मानव मूर्खता जैसे सार्वभौमिक विषयों के साथ भी जुड़ी होती हैं।

शुक्ल के कथा साहित्य में रोमांटिक उदात्ता की अवधारणा एक विशिष्ट और सूक्ष्म दृष्टिकोण से प्रकट होती है। जहां रोमांटिक साहित्य में उदात्ता का संबंध सामान्यतः प्रकृति के भव्य दृश्य या असाधारण घटनाओं से होता है, वहीं शुक्ल इसे साधारण जीवन के क्षणों में खोजते हैं। उनका लेखन मानवीय अनुभव की गहराइयों को उजागर करता है, जो भय, विस्मय और मानवीय कमजोरियों के साथ सहजता से जुड़ा होता है। उनकी कहानियों में उदात्ता का अनुभव पाठकों को छोटे-छोटे सामाजिक घटनाक्रमों और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं के माध्यम से होता है। उदाहरणस्वरूप उनकी कहानियों में हास्य और व्यंग्य के पीछे छिपा दर्द और सामाजिक यथार्थ पाठकों को गहन आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार शुक्ल ने उदात्ता को न केवल रोमांटिक आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया है बल्कि उसे आम जनजीवन के रोजमर्रा संघर्षों और संवेदनाओं से भी जोड़ा है।

उनकी औपन्यासिक कृति 'राग दरबारी' में प्राकृतिक दुनिया के विवरणों में उदात्ता का तत्व पाया जाता है, जहां पर परिदृश्य की सुंदरता और महिमा, मानव मामलों की क्षुब्धता के विपरीत है। खेतों की विशालता, अंतहीन आकाश और प्रकृति की चक्रीय लय विस्मय की भावना पैदा करती है जो गांव की सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं से परे है। उदात्ता के ये लक्षण पात्रों और पाठकों को मानव दुनिया पर हावी होने वाले भ्रष्टाचार और क्षय से एक संक्षिप्त पलायन प्रदान करते हुए उन्हें खेल में बड़ी अधिक स्थायी ताकतों की याद दिलाते हैं। इसी तरह शुक्ल की लघुकथाओं में भावनात्मक तीव्रता के क्षण अक्सर उदात्ता की भावना रखते हैं।

कहानियों में रूमनियत और ग्रामीण सौंदर्य - श्रीलाल शुक्ल की कहानियों में रूमनियत और ग्रामीण सौंदर्य का अनूठा समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की कठिनाइयों और व्यावहारिक समस्याओं को गहराई से चित्रित किया गया है, लेकिन इसके साथ ही उनमें एक आदर्शवादी दृष्टिकोण भी मौजूद है। यह दृष्टिकोण रूमनियत का परिचायक है, जो मानवीय संवेदनाओं और प्रकृति की सौम्यता को उजागर करता है। शुक्ल ग्रामीण सौंदर्य को न केवल दृश्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, बल्कि उनके पात्रों के अनुभवों और संघर्षों में भी यह सौंदर्य झलकता है। उनकी भाषा सरल, लेकिन प्रभावशाली है, जो पाठकों को ग्रामीण

जीवन की वास्तविकता से जोड़ देती है। उदाहरणस्वरूप उनकी सुप्रसिद्ध रचना 'राग दरबारी' में व्यंग्य और रूमनियत के माध्यम से ग्राम्य जीवन की विडंबनाओं को उभारा गया है।

उनकी कहानियाँ एक ओर यथार्थवादी हैं, तो दूसरी ओर वे मानवीयता और संवेदनशीलता का संदेश देती हैं। क्योंकि रोमांटिक साहित्य में प्रकृति अक्सर पात्रों की भावनाओं के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करती है, उनकी आंतरिक स्थिति को दर्शाती है और उनकी भावनात्मक यात्रा के प्रतीक रूप में कार्य करती है। शुक्ल अक्सर अपनी कहानियों में इस तकनीक का उपयोग करते हैं प्राकृतिक दुनिया का उपयोग न केवल पृष्ठभूमि के रूप में बल्कि अपने पात्रों के भावनात्मक परिदृश्य में एक भागीदार के रूप में करते हैं।

श्रीलाल शुक्ल की कहानियाँ वास्तव में रोमांटिसिज्म और क्लासिसिज्म का एक अद्भुत समन्वय प्रदर्शित करती हैं, जो ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में मानव अनुभवों की जटिलता को प्रतिबिंबित करती है। अपनी क्लासिसिस्ट दृष्टि से, शुक्ल सामाजिक मानदंडों की एक संरचित आलोचना प्रस्तुत करते हैं जिससे उनकी कथाओं में नैतिक और दार्शनिक अंतर्दृष्टियाँ समाहित होती हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना को चुनौती देती हैं। वहीं उनकी रोमांटिक प्रवृत्तियाँ इन पात्रों को गहराई प्रदान करती हैं जो कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं, भावनाओं और संघर्षों को उजागर करती हैं तथा उनके परिवेश की कठोर सीमाओं के विपरीत होती हैं।

यह समन्वय शुक्ल के पात्रों को सजीव और बहुआयामी बनाता है, जहाँ वे अपनी कमजोरियों में सहज हैं, फिर भी अपनी सामाजिक आलोचना में प्रभावी हैं।

अंततः शुक्ल के कार्य केवल सामाजिक-राजनीतिक टिप्पणी से परे जाकर न्याय, मानव गरिमा और अर्थ की खोज जैसे सार्वभौमिक विषयों से जुड़ते हुए कालातीत प्रासंगिकता प्राप्त करते हैं। इन साहित्यिक परंपराओं के उनके कुशल संयोजन से न केवल उनकी कहानियों की सौंदर्यात्मक गुणवत्ता में वृद्धि होती है बल्कि वे भारतीय साहित्य में एक महत्वपूर्ण सशक्त आवाज के रूप में स्थापित होते हैं। जो कि पारंपरिक मूल्यों और संवेदनाओं के मध्य एक सेतु का कार्य करते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. शुक्ल, श्रीलाल, राग दरबारी, दिल्ली: राजकमल प्रकाशन, 1968
2. त्रिगुण, नामवर सिंह, कहानी: नवजागरण से प्रेमचंद तक, दिल्ली: राधाकृष्ण प्रकाशन, 1989
3. मिश्र, रमेशचंद्र, श्रीलाल शुक्ल के कथा साहित्य में समाज और व्यवस्था का चित्रण, साहित्य वार्ता खंड 34, अंक 2 (2003): 45-60
4. शर्मा, सुनीता, आधुनिक हिन्दी साहित्य में सामाजिक यथार्थ, बनारस: भारतीय ज्ञानपीठ, 2018
5. फ्रोस्ट, जेम्स, क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म के सिद्धांत, लंदन: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1976
6. अरोड़ा, शिवकुमार, आधुनिक आलोचना के सिद्धांत, दिल्ली: ओमेगा प्रकाशन, 2011
7. शुक्ल, रघुनंदन, भारतीय साहित्य के नये आयाम, जयपुर: यूनिवर्सिटी बुक हाउस 2008

बीसवी शताब्दी में नारी : सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य परिपेक्ष से

शोभा मेघवाल*

* व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय, फलासिया, जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना - ईश्वर की श्रेष्ठ संरचना है पृथ्वीलोक, और इसके निर्माण में दो शक्तियों का अपना महत्वपूर्ण स्थान है प्रथम नर और दूसरी नारी। इन दोनों के बिना जीव और जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। निर्माण की प्रारंभिक अवस्था में दोनों शक्तियों का समान स्वरूप था, परन्तु जैसे-जैसे मानवीय संस्कृति का विस्तार होता गया वैसे-वैसे सृष्टि के इन दोनों स्वरूपों में दृष्टि भेद बढ़ता गया, और स्त्री और पुरुष के मध्य यह भेद बीसवीं शताब्दी में अत्यधिक दिखाई देता है।

साहित्य सदैव समाज की सच्चाई को प्रकट करता रहा है। 20वीं शताब्दी में सभी साहित्यकार अपनी अपनी कलम के माध्यम से समाज की सच्चाई लिख रहे थे, उनमें प्रमुख नाम आता है- राष्ट्रीय कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी ने अपनी कविताओं और कहानियों के द्वारा अपने समय की वास्तविकता को उजागर किया है। कहा जाता है कि एक नारी ही नारी की पीड़ा को समझ सकती है, अतः 20वीं शताब्दी में नारी की दशा को देखना हो तो सुभद्रा जी का साहित्य महत्वपूर्ण हो जाता है। इनकी कविताएं दो काव्य संग्रह 1 मुकुल (1930) तथा 2 त्रिधारा (1925) में संग्रहित हैं। कहानी साहित्य में इनके तीन संकलन 1. बिखरे मोती 2. उन्मादिनी व 3. सीधे सादे चित्र प्रकाशित हैं।

गोस्वामी कवि ने रामायण के बाल काण्ड में नारी की दशा को लेकर कहा है -

'कत विधि सृजी नारी जग माहि
पराधिन सपनेहु सुख नाहि ॥'

सुभद्रा जी नारी के रूप में स्वयं अपने समय एवं समाज की दशा से पीड़ित थी, और उन्होने जैसा जीवन जीया और अनुभव किया उसे काल्पनिक पात्रों के माध्यम से पूर्ण सच्चाई के साथ अपनी कहानीयों में व्यक्त किया। सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य में नारी एवं नारी दशा का चित्रण अधिक हुआ है। वैदिक युग से उन्नीसवीं शताब्दी तक समाज में नारी की स्थिति में बड़ा ही क्रान्तिकारी परिवर्तन दिखाई देता है, जिसका वर्णन युगानुरूप साहित्य ने बखूबी किया है। सुभद्रा जी ने 20वीं शताब्दी की नारी का विश्लेषण करते हुए उसकी सामाजिक स्थिति पर विस्तृत प्रकाश डाला है। उनके द्वारा प्रकट विचारों से भारतीय समाज में नारी उत्तरोत्तर हास को प्राप्त हुई है। नारी जो कि वैदिक युग में दैवीय पद पर प्रतिष्ठित थी वही 19 वीं शताब्दी के समय दासता को प्राप्त हो गई। उस समय में पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था थी जिसमें नारी केवल उसकी भोग्या मात्र थी। समाज और परिवार में पुरुषों की

तुलना में उसको अल्प अधिकार प्राप्त थे, तथा कई तरह की यातनाएं, प्रताड़नाएं, और दुःख भोगने पर मजबूर थी। लेखिका ने अपनी काव्य रचनाओं में इस विषय को मुख्य रूप से उकेरा है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में नारी के दृढ़ को बताते हुए उसे अपने पुरुष के प्रति समर्पित बताया गया है। पुरुष चाहे कितना ही निर्दयी और व्यसनी रहा हो परन्तु नारी उसकी एकनिष्ठ सेविका ही रही है।

बहुत दिनों तक हुई परीक्षा,
अब रूखा व्यवहार न हो।
अजी, बोल तो लिया करो तुम,
चाहे मुझ पर प्यार न हो।।
जरा जरा सी बातों पर
मत रूठो मेरे अभिमानि ।
लो प्रसन्न हो जाओ,
गलती मैंने अपनी मानी।।

सु.कु.चौ., प्रियतम से सुभद्रा समग्र, पृ. 35

एक और तथ्य सामने आता है कि, उस समय नारी ही नारी की दुश्मन बनी हुई थी। समाज में उसे उपेक्षित समझा जाने लगा। कदम-कदम पर उसे ताने, लांछना, चरित्र पर आक्षेप और साथ ही मार सहन करनी पड़ती थी। इतना कुछ होते हुए भी सुभद्रा कुमारी चौहान के काव्य की नारी स्वाभिमान, कर्तव्य त्याग की प्रतिमूर्ति बनी हुई है। उसने संघर्षों से लड़ना सीखा है, हारना नहीं। भारतीय ऐतिहासिक विरांगनाओं से प्रेरणा लेकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सदा तत्पर दिखाई देती है। लेखिका के काव्य में पुरुषों की तुलना में नारी को लोक मर्यादा की सच्ची निर्वाहिका बताया गया है, और इसके लिए पुरातन परम्पराओं को अपनाती हुई चित्रित हुई है। उसके लिए भारतीय समाज एवं समाज के महान पात्र अनुकरणीय हैं। उसके अनुसार पुरुष उसके लिए देवता है और देवता कभी कोई गलती नहीं करता है उससे उनको जो भी प्राप्त होता है वह प्रसाद है और उसे वह हँसते हुए स्वीकार करें। वे लिखती है-

आज उन्हें मुझ पर क्रोध आया उन्होंने तिरस्कार के साथ मुझे झिड़क दिया। इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। पत्थर के पाट पर भी रस्सी के रोज-रोज घिसने से निशान पड़ जाते हैं। वे तो देवतुल्य पुरुष है। उनका हृदय तो कोमल है, इन अपवादों का असर कैसे न पड़ता ? रामचन्द्र जी सरीखे महापुरुष ने भी जरा सी बात पर गर्भवती

सीता को वनवास दे दिया था, फिर ये तो साधारण मनुष्य ही है।

सु.कु.चौ. ग्रामीणा सीधे-सादे चित्र सुभद्र समग्र पृ.सं. 104

सुभद्रा जी ने अपने साहित्य में नारी जीवन की समस्त पीड़ाओं को व्यक्त किया है। विधवा की दशा, पुनर्विवाह, अन्तरजातीय विवाह, बेमेल विवाह, महिला उत्पीड़न, महिला शिक्षा आदि कई समस्याओं को उजागर किया है। 20वीं शताब्दी की महिला आदर्श नारी बनकर सभी से अकेली लड़ती हुई चित्रित हुई है, और उसने कभी हार नहीं मानी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सुभद्रा समग्र: सुभद्रा कुमारी चौहान, हंस प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. देवराज पथिक, हिन्दी कविता में राष्ट्रीय चेतना, कादम्बरी प्रकाशन नई दिल्ली, 1973
3. डॉ. राहुल, हिन्दी कविता के विविध संदर्भ, हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली।
4. बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006

5. मैनेजर पाण्डेय, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
6. नन्द दुलारे वाजपेयी हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी, लोक भारती प्रेस, इलाहाबाद 1985
7. बाबू गुलाब राय, हिन्दी साहित्य का सुबोध इतिहास, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, 2001
8. नामवर सिंह, आधुनिकतम साहित्य की प्रवृत्तियाँ, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2001
9. गोपेश्वर सिंह, साहित्य में संवाद, मेधा बुक्स, नई दिल्ली 2005
10. विश्वनाथ त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य का इतिहास सामान्य परिचय, राष्ट्रिय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2003
11. अनामिका, कहती औरतें, इतिहास बोध प्रकाशन, इलाहाबाद, 2003
12. अनामिका स्त्रीत्व का मानचित्र, सारांश प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000
13. सुशीला नेयर, कर्मठ महिलाएं, नेशनल बुक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2005
14. रीतु मेनन, भारतीय पुनर्जागरण में अग्रणी महिलाएं, नेशनल बुक्स ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2005

जनजातीय महिलाएं : प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य

डॉ. भूपेन्द्र मेघवाल*

* व्याख्याता, जे.आर. शर्मा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाड़ोल(फ.), जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में कहा गया कि राज्य अपने लोगों के जीवन स्तर को उँचा करने तथा जन स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्य में मानेगा। विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में यह प्रमाणित किया गया है कि स्वास्थ्य पर प्रत्येक प्राणी का अधिकार होना चाहिए। क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा एवं मन निवास करता है। किसी भी समाज की समृद्धि एवं विकास के लिए स्वास्थ्य स्तर का बेहतर होना आवश्यक है। जनजातीय समाज में अशिक्षा, अज्ञानता एवं अन्धाविश्वास के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य देखरेख पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि महिलाएँ किसी भी राष्ट्र की भावी पीढ़ी को जन्म देती हैं। स्वास्थ्य व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है लेकिन जब तक निर्णय निर्माण में प्रत्येक स्तर पर पुरुष एवं महिला की समान सहभागिता न हो तब तक इसकी रक्षा असम्भव है। स्वतन्त्रता के बाद आधुनिक चिकित्सा के विस्तार हेतु सरकार ने काफी प्रयास किये लेकिन अभी भी स्वास्थ्य स्तर को उन्नत बनाने का लक्ष्य अधूरा है। आज भी स्वास्थ्य विभाग के लिए ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में गर्भवती महिला की देखरेख, प्रसव पूर्व सेवा उपलब्ध कराना, सुरक्षित प्रसव सम्पन्न कराना, कुपोषण, बाल मृत्युदर पर नियंत्रण, परिवार नियोजन के रूप में नसबन्दी, गर्भ निरोधक दवाइयों को सुलभ कराना चुनौती बना हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश गर्भवती महिलाएं आयरन की कमी के कारण एनिमिया रोग से पीड़ित हैं। नवजात शिशुओं में टिटनेस, खसरे से होने वाली मृत्यु, बच्चों में डिप्थीरिया, काली खाँसी, पोलियो, तपेदिक आदि रोगों की प्रतिरक्षण टीके की सुविधा उपलब्ध होते हुए भी पूर्ण निराकरण नहीं हो पाया है।

प्रस्तुत आलेख में जनजातीय महिलाओं की शिशु एवं प्रजनन स्थितियों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। जनजातीय महिलाओं की प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख चर जैसे परिवार नियोजन, गर्भावस्था देखरेख, प्रसव माध्यम, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर, प्रजननता दर, लिंग अनुपात, मध्यपान की प्रवृत्ति एवं चिकित्सा पद्धति आदि का विश्लेषण किया गया है।

परिवार नियोजन – परिवार नियोजन कार्यक्रम महिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। महिलाओं के स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाने हेतु परिवार नियोजन आवश्यक है। दो बच्चों के बीच उचित अन्तराल महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है लेकिन जनजातीय समाज में परिवार नियोजन के प्रति उपेक्षा एवं नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। ये बच्चों को भगवान की देन मानते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों

को लेकर अन्धविश्वास एवं संदेह व्याप्त है। जनजातीय क्षेत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय महिलाओं को न तो परिवार नियोजन की जानकारी है और न ही वे जानकारी के अभाव के कारण परिवार नियोजन के किसी भी साधन का उपयोग कर पाती हैं। परिवार नियोजन के अभाव के कारण महिलाओं के बार-बार गर्भवती होने से शारीरिक रूप से दुर्बल हो जाती है जिसके कारण उनकी स्वास्थ्य प्रस्थिति निम्न बनी हुई है।

गर्भावस्था में स्वास्थ्य देखरेख – जनजातीय समाज में गर्भ धारण एवं शिशु जन्म एक दैवीय प्रघटना माना जाता है। जनजातीय महिलाओं द्वारा गर्भ धारण करना एवं बच्चे को जन्म देना सामान्य स्थिति के रूप में देखा जाता है जिसके लिए किसी विशेष सुरक्षा एवं उपचार की आवश्यकता नहीं है। जनजातीय समाज में स्थित विभिन्न अन्धविश्वासों एवं मान्यताओं के कारण कई बार शिशुओं को जन्म देने वाली माताओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है इस कारण गर्भावस्था से ही महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखरेख आवश्यक है। चिकित्सकों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रारम्भ में प्रतिमाह एक बार और पांच माह के पश्चात प्रति दूसरे महिने डॉक्टर को दिखाकर उचित परामर्श लेनी चाहिए। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए पोष्टिक तत्वों एवं विटामिन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है लेकिन जनजातीय महिलाओं को दो वक्त भरपेट भोजन भी सुलभ नहीं हो पाता है। हरी सब्जियों, फल, दूध आदि के लिए आर्थिक रूप से असक्षम होने के कारण महिलाएं उपयोग नहीं कर पाती हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर जाँच नहीं करवाने से आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का उपयोग भी नहीं कर पाती है। गर्भावस्था में एनएम एवं चिकित्सक की सलाह की अपेक्षा सुरक्षा हेतु लोक चिकित्सकों एवं भौपाओं की सलाह लेती है। जनजातीय महिलाओं द्वारा गर्भावस्था में अप्राकृतिक शक्तियों से सुरक्षा एवं कुदृष्टि से बचाने हेतु तन्त्र मन्त्र एवं जादू टोना का सहारा लिया जाता है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है।

प्रसव माध्यम – जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश प्रसव परम्परागत प्रसव माध्यमों से ही कराया जाता है। प्रशिक्षित दाइयों एवं चिकित्सकों की उपलब्धता में भी अधिकांश प्रसव परम्परागत प्रसव कार्यकर्ताओं से ही प्रसव कराना उपयुक्त समझते हैं क्योंकि आधुनिक चिकित्सकों से परम्परागत प्रसव कार्यकर्ता कम खर्चिले होते हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों की बजाय घर पर प्रसव कराने से महिलाओं में संक्रामक बीमारियों अथवा छुआछूत के रोगी के होने की सम्भावना अधिक रहती है। प्रसव के पश्चात महिलाओं को अधिक कैलोरी, प्रोटीन, आयरन एवं अन्य स्वास्थ्यवर्धक पदार्थों की आवश्यकता

होती है। लेकिन निर्धनता के कारण परम्परागत खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी गुड एवं गेहूँ का हलवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दे पाते हैं जिससे महिलाओं में कुपोषण, आयरन की कमी, विटामिन बी की कमी तथा विटामिन डी की कमी के कारण भिन्न भिन्न रोग होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वेक्षण के अनुसार विकासशील देशों में गर्भधारण करने वाली महिलाओं का दो तिहाई मात्रा आयरन की कमी से पीड़ित है और एशिया में यह स्थिति और भी दयनीय है।

जनजातीय महिलाओं के प्रसव परम्परागत माध्यमों द्वारा घर पर ही सम्पादित किये जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में आज भी प्रसव हेतु महिलाएं सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों का उपयोग नहीं करती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में प्रसव हेतु महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र ले जाने हेतु साधानों का अभाव के कारण अधिकांश प्रसव घर पर ही सम्पन्न कराये जाते हैं जिसे घर या गाँव की वृद्ध महिलाओं की देखरेख में सम्पन्न कराये जाते हैं।

प्रजननता दर - प्रजननता दर का महिला स्वास्थ्य स्तर से गहरा सम्बन्ध है। भारत में प्रजननता दर 3-6 वर्षीय राजस्थान में प्रजननता दर 4-6 से अधिक रही है। राजस्थान में प्रजननता दर की अधिकता का कारण जनजाति क्षेत्र में प्रजननता दर अधिक होना एवं परिवार नियोजन के तरिकों को नहीं अपनाना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में केवल 40 प्रतिशत दम्पती परिवार नियोजन के तरिकों को अपना रही है उसमें से महिला नसबन्दी 31 प्रतिशत ही है जबकि 9 प्रतिशत अस्थाई विधियों को अपना रहे हैं। जबकि राज्य के दक्षिणी भाग जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वहां परिवार नियोजन की विधियों की उपयोग मात्रा 25 प्रतिशत से भी कम है।

मद्यपान - जनजातीय समुदाय में सामाजिक, सांस्कृतिक स्तर पर मद्यपान का सेवन, प्रचलित है। स्त्री व पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से शराब का सेवन करते हैं शराब के अतिरिक्त तम्बाकू, बीडी, गुटखा, आदि का प्रयोग स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। कई जनजातीय परिवारों के घरों में शराब बनाई जाती है तथा मेहमान नवाजी में शराब पिलाने की प्रथा प्रचलित है। मद्यपान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है मद्यपान के कारण स्त्री, पुरुष में झगडे, अत्यधिक होते हैं जनजातियों में आर्थिक विपन्नता का प्रमुख कारण मद्यपान है। जनजातीय समाज की मद्यपान करने वाली महिलाओं का मत है कि शराब पीने से थकावट दूर होती है तथा शारीरिक स्फूर्ति के लिए शराब का सेवन आवश्यक है स्वास्थ्य पर मद्यपान के प्रभावों की जानकारी होते हुए भी पुरुष एवं महिलाएं सम्मिलित रूप से शराब का सेवन करते हैं।

रोग एवं उपचार - प्रायः जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य बीमारियां एवं मौसमी बीमारियों के रोगी अधिक पाये जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सामान्य बीमारी में सर्दी जुकाम, खाँसी, उल्टी दस्त, पेट दर्द, सिर दर्द एवं मलेरिया रोगी पाये जाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में मौसमी बीमारियों का प्रकोप अत्यधिक होता है। सामान्यतया वर्षा ऋतु मंट पेयजल के कारण, गर्मी में उल्टी दस्त, पेट दर्द के रोगी अधिक पाये जाते हैं। जनजातीय लोग अपने निवास स्थान के पास ही कृषि कार्य करते हैं। पशुओं एवं मवेशियों के मल मूत्र गन्दगी के कारण मलेरिया के रोगी होने की सम्भावना अधिक रहती है। भोजन में पोषक तत्वों जैसे विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वसा की कमी के कारण महिलाएं शारीरिक रूप से दुर्बल एवं कमजोर प्रतीत होती हैं। जनजातीय महिलाएं रूखा सुखा भोजन कर कठोर परिश्रम करती हैं।

चिकित्सा पद्धति - जनजातीय महिला स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करने में

परम्परागत चिकित्सा पद्धति की प्रमुख भूमिका रही है। जनजातीय क्षेत्रों में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपलब्ध सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति दयनीय है। महिला चिकित्सकों का कमी, दवाईयों एवं उपकरणों के अभाव के कारण जनजातीय समुदाय को आधुनिक चिकित्सा पद्धति आकर्षक नहीं कर पाई। आज भी अशिक्षा व निर्धनता के कारण जनजातीय लोगों को परम्परागत चिकित्सा माध्यमों से उपचार करवाना मजबूरी हो गया है। परम्परागत चिकित्सा पद्धति सामुदायिक स्तर पर उपयोग किये जाने के कारण महिलाओं को भी विभिन्न रोगों का उपचार इसी माध्यम से कराना होता है।

जनजातीय महिलाएं परम्परागत चिकित्सा पद्धति के रूप में जादू टोना, देवी देवताओं से मनौती, जड़ी बूटियों, भोपा या लोक चिकित्सक की सलाह एवं उपचार लेती हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति दयनीय है। इसी कारण जनजातीय लोग निजी दवाखानों में नीम हकीमों से उपचार कराते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं अधूरी हैं। जनजातीय क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की कमी के कारण महिलाएं अपने विभिन्न रोगों एवं बीमारियों के बारे में पुरुष चिकित्सकों को बताने में संकोच करती हैं इसके अतिरिक्त चिकित्साकर्मियों का उपेक्षित व्यवहार, महंगा उपचार एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की अनियमितता के कारण आधुनिक चिकित्सा पद्धति का लाभ जनजातीय समाज को नहीं मिल पाया है जिससे महिला स्वास्थ्य की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

लिंग अनुपात - स्वास्थ्य समाज के निर्माण में पुरुष एवं महिला के अनुपात में समानता आवश्यक है। भारत में 2021 की जनगणना के अनुसार प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 है जबकि अनुसूचित जनजाति में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या केवल 990 ही है। अनुसूचित जनजाति में शिशु मृत्यु दर एवं कन्या वध की प्रथा के कारण लैंगिक असमानता बनी हुई है। राजस्थान में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1009 है। अनुसूचित जनजातियों में एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 948 है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर - भारत में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर विश्व की सर्वाधिक उँची दरों में एक है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में प्रति वर्ष 1,10,000 (एक लाख दस हजार) महिलाएं गर्भ सम्बन्धी समस्याओं के कारण मर जाती हैं। 15 से 24 वर्ष उम्र की ग्रामीण महिलाओं की मृत्यु का 15 प्रतिशत गर्भ एवं शिशु जन्म सम्बन्धी कारणों से होता है। भारत में चिकित्सा प्रणाली में सुधार के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। 1951 तक शिशु मृत्यु दर 29 प्रति हजार थी जो 2021 में घटकर 3-6 रह गई है फिर भी जनजातीय क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर सामान्य से अधिक है।

भारत में जनजातीय क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक हैं। प्रायः गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय गम्भीर स्थिति में स्वास्थ्य केन्द्र पर ले जाने तक ही जच्चा बच्चा की मृत्यु हो जाती है। जन्म के पश्चात नवजात शिशुओं में पौष्टिक आहार की कमी, दस्त, तपेदिक, पोलियो, डिपिथरिया, टिटनेस और काली खाँसी आदि के कारण मृत्यु दर अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में एक वर्ष से कम आयु के प्रति एक हजार बच्चों पर 122 बच्चों की मृत्यु हो जाती है तथा 2 से 5 वर्ष की आयु के प्रति हजार 5 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। जनजातीय क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का प्रमुख कारण टीकाकरण का अभाव एवं कुपोषण है।

जनजातीय समाज में महिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न समस्याएँ के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना एवं जागरूकता का अभाव है कुपोषण परिवार नियोजन के अभाव, किशोरावस्था में विवाह, शीघ्र गर्भधारण एवं मातृत्व, गर्भावस्था में उचित देखरेख का अभाव, सुरक्षित प्रसव का अभाव, प्रजनन दर की अधिकता के कारण जनजातीय महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति महंगी, तकनीकी जटिलता एवं चिकित्सक व रोगी के मध्य असामान्य व्यवहार होने के ही कारण जनजातीय समाज इसका लाभ नहीं ले पाया है। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी स्वास्थ्य सेवाएँ अधूरी हैं। अशिक्षा, निर्धनता एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण परम्परागत चिकित्सा पद्धति को अपनाना इनकी मजबूरी बन गया है। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं में सुधार हेतु यह आवश्यक है कि उनमें वर्तमान विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक सुधारों में तेजी लाकर मुफ्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ सुलभ करवाई जाये। जनजातीय क्षेत्रों में महिला चिकित्सकों की नियुक्ति की जावे जिससे महिलाएँ बिना संकोच के अपनी बीमारियों पर सलाह एवं उपचार ले सके। जनजातीय क्षेत्रों में वर्ष में कम से कम एक या दो निशुल्क कैम्प लगाये जाये जिसमें महिला एवं शिशु स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इसके

अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर महिलाओं को निःशुल्क दवाईयां एवं जाँच सुविधा उपलब्ध कराई जाए। जनजातीय महिलाओं में स्वास्थ्य चेतना एवं जागृति के विकास हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी एवं ए.एन.एम. द्वारा टीकाकरण, प्रसव सुरक्षा, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु देखरेख सम्बन्धी जानकारी क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा समय-समय पर देते रहे। जनजातीय क्षेत्रों में स्थित लोक चिकित्सकों, औझाओं एवं दाईयों को प्रशिक्षित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जोड़ा जाये जिससे महिलाओं एवं शिशु स्वास्थ्य को उच्च बनाया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. सिंह, वीणा, पाणि 1998 'ग्रामीण स्वास्थ्य संरक्षण' क्लालीकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली
2. यादव, मारकण्डेल सिंह 1994 'आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य के पक्ष में', रावत पब्लिकेशन, जयपुर
3. जैन एम.के. 2002 जनजातीय महिलाओं की प्रस्थिति एवं स्वास्थ्य, पीएचडी शोध समाजशास्त्र विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर पेज नं. 123-183
4. आदिवासी स्वास्थ्य पत्रिका, क्षेत्रीय जनजाति आयुर्विज्ञान केन्द्र गठा, जबलपुर, मध्यप्रदेश 2002 पेज नं. 11-13

महिला उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार पर सोशल मीडिया विज्ञापन के प्रभाव का अध्ययन (सागर जिले के विशेष सन्दर्भ में)

डॉ. निलेश महाजन* दामोदर पटेल**

* सहा. प्राध्यापक (वाणिज्य) बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' शासकीय महाविद्यालय, शाजापुर (म.प्र.) भारत

**शोधार्थी, वाणिज्य अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - सोशल मीडिया विज्ञापनों ने उपभोक्ताओं क्रय एवं उपभोग आदतों को प्रभावित किया है। आधुनिक एवं तकनीकी विकास के कारण परिवार एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं में परिवर्तनके कारण वस्तु एवं सेवाओं की मांग एवं उपभोग में वृद्धि करने में सोशल मीडिया विज्ञापनों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सागर जिले से 200 महिला उत्तरदाताओं को अध्ययन किया गया है। महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रय निर्णय में वस्तु का मूल्य, गुणवत्ता, वास्तविकता एवं उपयोगिता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उच्च उपभोक्ता सन्तुष्टि के साथ सकारात्मक कारक के रूप में वस्तु विशिष्टता, आनन्द, विश्वास एवं वास्तविकता महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धित है।

शब्द कुंजी - उपभोक्ता, बाजार, क्रय व्यवहार, विज्ञापन।

प्रस्तावना - पिछले दो दशक में डिजिटल क्रांति ने दुनिया के प्रत्येक देश, राज्य एवं क्षेत्र में एक ऐसे संचार माध्यम का विस्तार किया जो न केवल पुराने माध्यमों से भिन्न है, बल्कि सार्वभौमिक एवं विश्वव्यापी है। कम्प्यूटर एवं स्मार्टफोन आधारित इस माध्यम को साइबर मीडिया, वेब मीडिया, इंटरनेट मीडिया एवं सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है।¹ विश्व के लगभग 44 प्रतिशत लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का 70 प्रतिशत सोशल नेटवर्किंग साइटों से जुड़े हैं। भारत की जनसंख्या में 35 करोड़ से अधिक इंटरनेट का उपयोग करते हैं जो कुल आबादी का 28 प्रतिशत है। इनमें 80 प्रतिशत व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़े हैं तथा सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है।² सोशल मीडिया इंटरनेट पर तुलनात्मक खरीदारी के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में उभरा है। उपयोगकर्ता अक्सर उत्पादों को देखने और उनकी तुलना करने के लिए विभिन्न साइट्स पर क्लिक करते हैं। ग्राहकों को ऑनलाइन वस्तु की सुचना, क्रय तथा उपयोग सम्बन्धी जानकारी का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर भुगतान सम्बन्धी सुविधानुसार क्रय के लिए प्रेरित किया जाता है। ऑनलाइन क्रय सम्बन्धी अनेक समस्याएँ विद्यमान हैं जिनमें ऑनलाइन धोखाधड़ी, बैंक विवरण तथा खातों की हैकिंग आदि समस्याएँ विद्यमान हैं।³

सोशल मीडिया का अस्तित्व इंटरनेट के कारण है। इंटरनेट पर विश्व प्रसिद्ध वेबसाइट की सुविधा का उपयोग सोशल मीडिया कहलाता है। जिनमें प्रमुख ऐप्लिकेशन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इन्स्टाग्राम, स्नेपचैट जैसी अनेक सोशल वेबसाइट का उपयोग सम्मिलित है।⁴ आज सोशल मीडिया ऐसा उपकरण है जो उपयोगकर्ता को अनेक व्यक्तियों से सम्पर्क, जानकारी एवं सामग्री प्रचार-प्रसार एवं उपयोग की जानकारी के लिए किया जा रहा है। सोशल मीडिया के प्रयोग ने उपभोक्ता व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है जो खुदरा बिक्री और उनकी रणनीतियों के तरीकों को प्रभावी कर रहा है। उपभोक्ताओं की धारणाओं, विकल्पों और विचारों और पसन्द के सन्दर्भ में बदलाव आया है बल्कि क्रेताओं के क्रय व्यवहार तथा तरीकों में

बदलाव आया है।⁵ वर्तमान में इंटरनेट एवं स्मार्टफोन दैनिक जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। प्रत्येक वर्ग एवं आयु का व्यक्ति स्मार्टफोन का उपयोग करने लगा है। स्मार्ट फोन एवं इंटरनेटसंचार उपकरण के रूप में सामाजिक उपकरण, मनोरंजन, भुगतान, ज्ञान एवं जानकारी विभिन्न ऐप्लीकेशन का उपयोग करके लेन-देन एवं भुगतान करने के लिए कर रहे हैं। सुरक्षित एवं आसान भुगतान के अतिरिक्त क्रय रसीदें, कूपन, बिजनेस कार्ड, बिल का संकलन आदि सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं।⁶

सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने उपभोक्ता क्रय व्यवहार में परिवर्तन लाकर ऑनलाइन शॉपिंग ओरिएटेशन, उत्पाद प्रकार और शॉपिंग विज्ञापन के प्रभाव से उपभोक्ता ऑनलाइन क्रय व्यवहार को विशिष्ट क्रय व्यवहार में परिवर्तित किया है। ऑनलाइन उत्पाद गुणवत्ता ग्यारन्टी, विक्रय सहायक क्रियाओं का संचालन, भुगतान प्रक्रिया तथा घर पहुँच सेवा सुविधाओं ने उपभोक्ता क्रय निर्णय पर महत्वपूर्ण प्रभाव स्थापित किया है।⁷ उक्त अध्ययन मूल रूप से महिला उपभोक्ताओं द्वारा सोशल मीडियाके उपयोग एवं विज्ञापन से प्रभावित होकर ऑनलाइन क्रय, वस्तु एवं सेवा क्रय एवं उपभोग निर्णय पर आधारित है। सोशल मीडिया के प्रयोग से उत्पाद एवं सेवा की पसन्द, व्यवहार, गुणवत्ता, कीमतों और उपभोक्ताओं को संतुष्टि पर केन्द्रित है।

साहित्य समीक्षा :

खांडेला, मानचन्द (2002)⁸ ने अपनी पुस्तक 'उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं व्यवहार' में में व्यवहारिक पक्षों जैसे- टेलीफोन विभाग की सामान्य अनियमितताएँ, चिकित्सा नीति और उपभोक्ता हित, उपभोक्ता आंदोलनों में संगठनों की भूमिका, मिलावट की बढ़ती समस्या में स्पष्ट किया है कि मिलावट के माध्यम से माप-तोल की जाँच के सहज तरीकों की जानकारी दी है।

पाटीदार सोहन, शर्मा, कु. सुनील (अगस्त-2009)⁹ में अपने शोध-पत्र में ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार का अध्ययन में स्पष्ट किया कि ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं की क्रय व्यवहार में अंतर पाया

जाता है उन्होंने बताया कि ग्रामीण उपभोक्ता की तुलना में शहरी उपभोक्ता की क्रय शक्ति, सौदेबाजी तथा वस्तु की गुणवत्ता परखने कि प्रवृत्ति अधिक सटीक होती है। अतः ग्रामीण उपभोक्ता की अपेक्षा शहरी उपभोक्ता में जागरूकता अधिक होती है।

शर्मा, विजय कुमार (2011)¹⁰ ने अपने अध्ययन में बताया की सूचना प्राद्योगिकी से बाजार के स्वरूप में तीव्र परिवर्तन हुआ है तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है। सरकार ने सूचना प्राद्योगिकी से सम्बन्धीत उत्पादन गतिविधियों की ईकाई, जॉबवर्क, सेवा, अथवा प्रशिक्षण के लिए ऋण स्वीकृत योजनाओं का विकास किया है। समाचार, नेटवर्किंग, चिक्टिसा, मनोरंजन, कृषि सम्बन्धीत जानकारी प्राप्त हो रही है, जिससे रोजगार एवं उपभोक्ता बाजार में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है।

श्रीवास्तव निषा (2011)¹¹ विज्ञापन ने उपभोक्तावादी विचारधारा एवं मनोवृत्ति का विकास किया है। बाजार परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति उपभोक्ता होता है। प्रायः सभी उत्पादक अपने उत्पाद की जानकारी प्रदान करने के साथ विक्रय में वृद्धि करने के लिए विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। उचित मूल्यों पर उपयोगी एवं गुणवत्ता वाली वस्तुओं का क्रय करना उपभोक्ता का अधिकार है। विज्ञापनों के प्रभाव से उपभोक्ता इतना प्रभावित है कि अनावश्यक वस्तुएँ एवं सेवाएँ पर व्यय में वृद्धि हुई है। विज्ञापनों के प्रभाव से उपभोक्ता वर्ग पर अनावश्यक व्यय भार एवं शोषण का शिकार हो रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय पर सोशल मीडिया के प्रयोग की स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला उपभोक्ताओं के सोशल मीडिया से प्रभावित होकर क्रय सन्तुष्टि का अध्ययन करना।

परिकल्पना :

H₀: महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य सम्बन्ध नहीं है।

शोध प्रविधि : तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं के व्यवहार में परिवर्तन की जांच करने के लिए सागर जिले से 200 महिला उत्तरदाताओं को अध्ययन का आधार बनाया गया है जिनमें विभिन्न आयु सामाजिक वर्ग, के अन्तर्गत छात्र, पेशेवर तथा गृहणियों के क्रय व्यवहार का अध्ययन साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त तथ्यों के आधार पर किया गया है। साक्षात्कार अनुसूची में महिला उपभोक्ताओं द्वारा क्रय निर्णय को सोशल मीडिया पर वस्तु मूल्य, गुणवत्ता, तकनीक तथा विपणन रीति के अन्तर्गत क्रय निर्णय पर सोशल मीडिया के प्रभाव का अध्ययन किया गया है।

शोध योजना :-

समंक स्रोत	प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक
शोध उपागम	सर्वेक्षण विधि
प्रतिदर्श क्षेत्र	सागर जिला
सर्वेक्षित ईकाई	महिला उपभोक्ता
प्रतिदर्श प्रकार	दैव निदर्शन
प्रतिदर्श आकार	200 महिला उपभोक्ता
शोध उपकरण	विषय आधारित निर्मित साक्षात्कार अनुसूची

तथ्य विश्लेषण - विभिन्न स्तर के महिला उपभोक्ताओं का चयन (छात्र, पेशेवर तथा महिलाओं) क्रय व्यवहार पर वैश्विक स्तर की वस्तुओं के क्रय व्यवहार को जानने के लिए दैव निदर्शन विधि से चयनित 200 महिला

उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी का वर्णन तालिका क्रमांक 1 में किया गया है -

तालिका क्रमांक - 1

क्र.	विवरण	वर्गीकरण	प्रतिशत
1	आयु	18 वर्ष से कम	19%
		18 से 35 वर्ष	47%
		35 वर्ष से अधिक	34%
2	शिक्षा	12वीं अथवा कम	11%
		स्नातक	57%
		स्नातक से अधिक	32%
3	व्यवसाय	विद्यार्थी	36%
		गृहणी	23%
		नौकरी/व्यवसाय	41%
4	परिवार की मासिक आय	15000 रु. अथवा कम	5%
		15000 रु. से 25000	34%
		25000 रु. से अधिक	61%

स्रोत :- प्राथमिक समंक विश्लेषण।

उपभोक्ता क्रय निर्णय को प्रभावित करते हैं जैसे आयु, आय, लिंग, व्यवसाय और शिक्षा आदि महत्वपूर्ण कारक हैं जिनका सोशल मीडिया के उपयोग एवं क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। तालिका 1 के अनुसार सोशल मीडिया उपयोगकर्ता महिला उपभोक्ताओं उत्तरदाताओं की आयु के अन्तर्गत 19 प्रतिशत 18 वर्ष से कम है। 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य एवं 34 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं की आयु 35 वर्ष से अधिक है। सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं महिलाओं की शिक्षा का स्तर 11 प्रतिशत 12 वीं अथवा कम, 57 प्रतिशत स्नातक एवं 32 प्रतिशत स्नातक से अधिक शिक्षित है। व्यवसाय की प्रकृति के अन्तर्गत 36 प्रतिशत विद्यार्थी, 23 प्रतिशत गृहणी एवं 41 प्रतिशत महिलाएँ नौकरी अथवा व्यवसाय से सम्बन्धीत है। पारिवारिक आय के अनुसार 5 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय 15000 रु. अथवा कम, 34 प्रतिशत 15000 रु. से 25000 रु. के मध्य जबकि 61 प्रतिशत की मासिक आय 25000 रु. से अधिक है। सोशल मीडिया के उपयोग के अतिरिक्त उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। क्रय निर्णय तथा उक्त कारकों के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। उत्पाद के मूल्य, आकार और गुणवत्ता के आधार पर ग्राहक धारणा बदल रही है तथा ग्राहक कम कीमत पर श्रेष्ठ वस्तु की मांग करते हैं।

तालिका क्रमांक - 2

क्र.	वर्गीकरण	विश्लेषण	विशेषता
1	सोशल मीडिया उपयोग की अवधि	3.43 Year	Mean
2	प्रतिदिन इंटरनेट उपयोग की अवधि	2.32 Hour	Mean
3	सोशल मीडिया पर विभिन्न सामग्री अथवा सेवा सम्बन्धी विज्ञापन देखने की स्थिति	94%	Agree
4	सोशल मीडिया पर विज्ञापन का क्रय निर्णय पर प्रभाव	84%	Agree
5	सोशल मीडिया पर उपलब्ध सामग्री सम्बन्धी जानकारी सत्य व विश्वसनीय होती है।	64%	Agree

6	सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी वस्तु क्रय निर्णय को आसान बनाती है।	58%	Agree
7	सोशल मीडिया उपयोग भुगतान को आसान व सुक्षित है?	73%	Agree
8	सोशल मीडिया द्वारा क्रय निर्णय लिए जाने पर आनन्द की अनुभूति	62%	Agree
9	सोशल मीडिया से क्रय निर्णय पश्चात् वस्तु गुणवत्ता सम्बन्धी भय की अनुभूति	74%	Agree
10	सोशल मीडिया माध्यम द्वारा क्रय निर्णय पर अन्य लोगों की राय का प्रभाव	58%	Agree
11	सोशल मीडिया माध्यम द्वारा क्रय निर्णय में परिवार अथवा दोस्तों की सहमती का प्रभाव	23%	Agree
12	सोशल मीडिया माध्यम द्वारा क्रय द्वारा सन्तुष्टि की स्थिति	47%	Agree

स्रोत :- प्राथमिक समंक विश्लेषण।

सोशल मीडिया के अन्तर्गत महिला उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न सोशल साईट जिनमें फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप आदि का उपयोग करने की अवधि के अन्तर्गत औसत रूप से 3.43 वर्ष किया जा रहा है। प्रतिदिन सोशल मीडिया पर औसत रूप से 2.32 घण्टे उपयोग किया जाता है। 94 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं द्वारा अपने पारिवारिक, व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त स्मार्ट फोन अथवा कम्प्यूटर पर सोशल मीडिया पर चर्चा, जानकारी की प्राप्ति, वस्तुओं की खेज एवं मूल्यों की जानकारी प्राप्त करने पर समय व्यतित किया जाता है। सोशल मीडिया पर वस्तु सम्बन्धी जानकारी एवं विज्ञापन से प्रभावित होकर 84 प्रतिशत महिला उपभोक्ता द्वारा क्रय निर्णय लिया जाता है। किन्तु इसमें स्वयं अथवा परिवार की आवश्यकता एवं उपयोगिता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध वस्तु सम्बन्धी जानकारी एवं वस्तु की वास्तविकता के अन्तर्गत 64 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार सत्य एवं विश्वसनीय है जबकि 36 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के अनुसार सोशल मीडिया पर उपलब्ध वस्तु सम्बन्धी जानकारी गलत एवं भ्रमक होती है। वस्तु क्रय निर्णय के अन्तर्गत विभिन्न उत्पादों के मूल्य, गुणवत्ता, आकार आदि के सम्बन्ध में जानकारी के द्वारा 58 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के वस्तु क्रय निर्णय में सहायता मिलती है जबकि 42 प्रतिशत महिला उत्तरदाताओं के अनुसार वस्तु की विशाल श्रृंखला एवं विविधता वस्तु क्रय निर्णय में कठिनाई उत्पन्न करता है। सोशल मीडिया द्वारा क्रय 73 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार भुगतान आसान व सुरक्षित है जबकि 27 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार ऑनलाइन क्रय में भुगतान से सम्बन्धी अनेक जोखिम उपस्थित होते हैं। 62 प्रतिशत महिलाओं के अनुसार सोशल मीडिया के द्वारा क्रय करने में आनन्द एवं गर्व की अनुभूति होती है जबकि 38 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार वस्तु की भौतिक प्राप्ति तक संदेह की स्थिति बनी रहती है। 74 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से क्रय निर्णय के अन्तर्गत वस्तु गुणवत्ता के सम्बन्ध भय की स्थिति बनी रहती है। 58 प्रतिशत महिला उपभोक्ताओं द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से वस्तु क्रय सम्बन्धी जानकारी का प्रयोग किया जाता है। जबकि 42 प्रतिशत महिलाएँ स्वयं के विवेक आधारित होता है। मात्र 23 प्रतिशत महिला क्रेताओं द्वारा परिवार के सदस्यों,

मित्रों से वस्तु क्रय सम्बन्धी सलाह का उपयोग किया जाता है। सम्पूर्ण निदर्श में 47 प्रतिशत महिला उपभोक्ता सोशल मीडिया के माध्यम से क्रय निर्णय से सन्तुष्ट है जबकि 53 प्रतिशत महिला उपभोक्ता असन्तुष्ट है। सोशल मीडिया के प्रयोग द्वारा वस्तु विज्ञापन, उत्पाद गुणवत्ता, ग्राहक की धारणाओं, सेवा गुणवत्ता तथा मूल्य, ग्राहक सन्तुष्टि और व्यवहारवादी मनोवृत्ति का सेवा और ग्राहक अभिविन्यास व्यवहार सकारात्मक रूप से सेवा सुविधा गुणवत्ता तथा उत्पाद गुणवत्ता से सम्बन्धीत है। उपभोक्ता सन्तुष्टि मूल्य से सम्बन्धीत है तथा ग्राहक सन्तुष्टि वस्तु की गुणवत्ता, वास्तविकता से सम्बन्धीत है।

परिकल्पना परीक्षण :-

H_0 : महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य सम्बन्ध नहीं है।

H_a : महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।

उक्त शुन्य परिकल्पना का परीक्षण काई-वर्ग विधि द्वारा किया गया है। काई-वर्ग परीक्षण से प्राप्त परिणामों को तालिका में दर्शाया गया है-

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	169.329a	3	.000
N of Valid Cases	200		

उपर्युक्त परिकल्पना के सम्बन्ध में 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 3 स्वातन्त्र संख्या के लिये X^2 का सारणी मूल्य $X^2_t = 7.815$ है तथा X^2 का परिमाणित मूल्य $X^2_c = 169.329$ (0.00 प्रतिशत सार्थकता स्तर) प्राप्त है।

अर्थात् $7.815 < 169.329$ अर्थात् $X^2_t < X^2_c$ स्पष्ट है कि काई-वर्ग तालिका मूल्य से परिमाणित मूल्य अधिक है। दोनों गुण स्वतन्त्र नहीं है बल्कि दोनों गुणों में घनिष्ट सम्बन्ध है। अतः शुन्य परिकल्पना अस्वीकृत की जाती है एवं वैकल्पिक परिकल्पना ' H_a : महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय एवं सोशल मीडिया के प्रयोग के मध्य महत्वपूर्ण सम्बन्ध है।' स्वीकृत होती है।

अतः कहा जा सकता है कि वस्तु क्रय निर्णय पर सोशल मीडिया के प्रभाव ने लिंग आधारित विश्वास के स्तर को प्रभावित नहीं किया है। सोशल मीडिया के प्रति विश्वास को तीन तत्वों से जोड़ा जा सकता है जिसमें पहला सुरक्षा सम्बन्धीत, दूसरा अभिलेखों की सुरक्षा तथा गोपनीयता, तिसरा भुगतान की सुविधा और सुरक्षा की सुविधा का विकास है। सोशल मीडिया के विकास ने ऑनलाइन व्यवसाय के माध्यम से वस्तु वितरण व्यवस्था तथा भुगतान प्रणाली को सुविधाजनक बनाकर व्यवसाय के क्षेत्र में नये युग का प्रारम्भ किया है।

निष्कर्ष - आधुनिक तकनीकी युग में क्रय निर्णय प्रक्रिया में डिजिटल एवं सोशल मीडिया के उपयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महिला उपभोक्ता सोशल मीडिया द्वारा क्रय निर्णय में पारिवारिक आवश्यकता एवं सहमति का सर्वाधिक प्रभाव होता है। महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया पर विज्ञापन से प्रभावित होकर क्रय निर्णय में वस्तु का मूल्य, गुणवत्ता, वास्तविकता एवं उपयोगिता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। उच्च उपभोक्ता सन्तुष्टि के साथ सकारात्मक कारक के रूप में वस्तु विशिष्टता, आनन्द, विश्वास एवं

वास्तविकता महत्वपूर्ण रूप से सम्बन्धीत है। सोशल मीडिया के उपयोग ने महिला उपभोक्ताओं के क्रय निर्णय को आसान बनाने के साथ सूचना स्रोतों में वृद्धि हुई है। महिला उपभोक्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर उपलब्ध सूचनाओं से प्रभावित होकर क्रय निर्णय के द्वारा वस्तु की गुणवत्ता के प्रति विश्वास में वृद्धि के परिणामस्वरूप वस्तु एवं सोशल मीडिया के प्रति सन्तुष्टि में वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया के उपयोग ने वस्तु सम्बन्धी जानकारी की खोज और वैकल्पिक मूल्यांकन के प्रारम्भिक चरणों के दौरान महिला उपभोक्ताओं की सन्तुष्टि में वृद्धि की है किन्तु सटिक एवं ठोस क्रय निर्णय को प्रभावित करने में लिंग, शिक्षा, परिवार की प्रकृति, स्थानीय फुटकर एवं खुदरा बाजार की प्रकृति आदि कारकों के प्रभाव में कमी नहीं हुई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Malik, M. (2012), "A study on Customer's satisfaction towards service quality of Organised retail stores in Haryana" Indian Journal of Marketing, Vol.42, No.2 pp.51-60.
2. Chaubey,D.S. and Zafar,SMT (2010)"Consumer Buying Motives and Perceptions about Mobile Phone Services : A Study of Consumers of Uttarakhand", Pragmaan, 8(1),22-32.
3. Anand,Sandip and Khare,Arpita (2010)"Television Advertisement Avoidance : An Assertion for Consumer Justice", Pragmaan ,8(1),59-64.
4. Shih, H. (2004), "An empirical study on predicting user acceptance of shopping on the Web", Information & Management, Vol.41, No. 3, pp 351-368.
5. Gupta, Stewart (1996) "Customer Satisfaction and Customer Behavior: The Differential Role of Brand and Category Expectations". Marketing Letters, Vol. 7 (No. 3), pp. 258-261.
6. Dahiya,Richa (2010) "Factors Impacting Behaviour of Consumers towards On Line Shopping in India : A Factor Analysis Approach", South Asian Journal of Management,17(2),29-46.
7. Constantinides, E. (2014) "Foundations of social media marketing", Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 148, pp.40–57.
8. खड्डेला मानचंद ,(2002): 'उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं व्यवहार' आविश्कार पब्लिशर्स, जयपुर।
9. पाटीदार, सोहन एवं शर्मा, कुमार सुनील (अगस्त 2009)'ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार का अध्ययन' पत्रिका शोध समीक्षा और मूल्यांकन, अंक 7
10. शर्मा, विजय कुमार (2011): 'गाँवों में समृद्धि की राह दिखाता सूचना प्रौद्योगिकी ऋण' कुरुक्षेत्र, जून 2011, वर्ष 57, अंक 8, पृ. 15-19
11. निशा, श्रीवास्तव (2011):'विज्ञापन का उपभोक्ता पर प्रभाव एवं उपभोक्ताओं की वैधानिक स्थिति एक अध्ययन' Research Zone, vol 3, No. 3, June 2011

Agrarian Social Relations in A North Indian Village

Dr. Arvind Sirohi* Mr. Pradeep Kumar** Dr. Alok Kumar***

* Assistant Professor (Sociology) C.C.S. University, Meerut (U.P.) INDIA

** Research Scholar (Sociology) C.C.S. University, Meerut (U.P.) INDIA

*** Professor & Head (Sociology) C.C.S. University, Meerut (U.P.) INDIA

Abstract : India means rural India. The village is the unit of the rural society. It is the theatre where the quantum of rural life unfolds itself and functions. The present research is helpful to know the gaps of knowledge in changing patterns of agrarian society in the emerging scenario. It also helps to understand the changing patterns of agrarian social relations in the socio-economic and political spheres of rural society in a northern Indian village of Western Uttar Pradesh.

Keywords: Peasant, Rural Society, Agrarian Relation, Caste.

Introduction - India means rural India. The village is the unit of the rural society. It is the theatre where the quantum of rural life unfolds itself and functions. Like every social phenomenon, the village is a historical category. The emergence of the village at a certain stage in the evaluation of the life of a man (Sharma, 2014). Agrarian societies are those which combine horticulture and animal husbandry in system of farming. This paradigmatic shift opened up many new areas of research, for example regarding the peculiar nature of land as a factor of production, the role of differing patterns of land-ownership, and the study of rural power structures and social stratification (Marshall:574).

It was the census of 1901 that about 89.2 percent of Indians live in villages. Historically we all know India as an agricultural country. However the shift of rural population to urban areas was started since 1901. In the first census of 1951 the rural population sharp shifted towards urban life reducing with 82.7 percent of the population. According to 1991 census the three- fourth of Indian population 74.3 percent lives in villages (Doshi: 12). Land is the hope and glory of village India. A villager is tied to land for his sustenance. He survives on land and, therefore, he is emotionally attached to it (Joshi, 2014:114). In agrarian societies land is the pre-eminent form of wealth. Agriculture continues to be the principal economic activity in India even though the country has experienced significant industrial and urban development in recent years. In India, agriculture is not merely an occupation or a business; it is a way of life which for centuries has shaped the thoughts and outlook of the rural people. All these facts more than justify the continued interest of social scientists on Indian rural life in general and agrarian social structure in particular (Bernstein, 2010).

Agriculture still plays a key role in the economy of India. Nearly one - third of the gross domestic product is accounted by agricultural sector. About two – third of the work force is engaged in agriculture. Agricultural inputs account for an important part of the raw material base of Indian industries. Agricultural exports contribute significantly to the total exports of country (Vyas, 2003: 41). The nature of agrarian change in India has been a subject of much debate. In the 21st century agrarian change coupled with livelihood issues have stirred significant debates in India's rural economy, while there has been a transformation in the agrarian economy of the country. There has not been much change in terms of the nature of its relationships (Das, 2017:219-232).

Doshi, (2014) suggested that the subject matter of rural sociology during the colonial period in India remained confined to the study of hill and forest people—the tribal, the villages and a few of the traditional institutions such as family and caste which were pervasive in small places. It was unhistorical for India to prepare a constitutional agenda for the development of more than five lakh villages. We are the country of more than Five Lakh villages. These villages are not homogeneous. They are diverse in ethnicity, quality of land, hills and plains and even diversified by geography. Bailey (1957) studied of two villages in Orissa brings out the problem of caste and class formation. Bailey argues that at the local level economic formulations run across the caste ranking. Bailey employs structural-functional method and analyses the rural life in the context of changing agrarian structure.

S.C. Dube (1955) Indian village is a traditional account of Shamirpeth, which is located in the Telangana region of Andhra Pradesh. Author founds in his early studies that,

"Agriculture is the main stay of the rural economy of India, the crafts and occupation of the country side and generally integrated with it". Dube finally finds a brief analysis of different castes that would be giving us a clear idea of the village economy in the context of rural development. The nature of study is holistic.

Beteille (1974) holds a wide conception by recognizing the inter-relatedness of the structural elements in agriculture such as technology work in organization of production and agrarian hierarchy. Social relations overflow the boundary of the village easily and extensively. The economy of the village is primarily based upon agriculture, and hence the relations of production consist essentially of relations between categories of persons contributing in different ways to the process of agriculture. Agrarian social structure can be comprehended on the basis of ownership, control on land and use of labour in the process of production of agricultural produces. This is seen in their choice of categories: feudal, landlord, bourgeois landlord, rich peasants, ruined peasantry, agricultural proletariat.

Singh, (2006) finds that the agrarian relations are largely determined by land tenure means ownership, tenancy and labour relations while agrarian structure means by covering all the structural conditions for production in agriculture and for livelihood and social situation of rural population. Both these aspects are greatly inter-related. The agrarian relations existing at a point of time reflect the influence of historical, political, social and economic factors. Therefore, the discussion on agrarian relations in this work takes a broader view comprising important aspects of both agrarian structure and land tenure in rural areas. The agrarian relations existing at a point of time reflect the influence of historical, political, social and economic factors. The social relations that underpin the organisation of livelihoods are pivotal in the processes and outcomes of agrarian change

Doshi, (2014) Describes that Land is the hope and glory of village India. A villager is tied to land for sustenance. He survives on land and therefore, he is emotionally attached to it. Gandhi ji very rightly observed that if villages live who can perish India; and if villages perish, who can save India. As a matter of fact, the agrarian social structure is linked with the survival of the nation when the teachers and students are concerned with the development of villages; they are obliged to discuss the land problem of village India. Patel (1952) chiefly explained that the nature of agrarian crisis almost over India by the end of First World War. He quotes that, "With the end of the First World War, the beginning of an agrarian crisis was accompanied by the entry of peasants into the political arena, as exemplified during the Champaran and Keira campaigns led by Gandhi ji. As a result, the cultivator of the soil began to attract considerable attention from the students of Indian Society". Patnaik, (1986) the emerging capitalism is a major trend but still does not everywhere dominate the structure of

agrarian production. The transformation process has occurred at varying rates in different parts of the country. Regional disparities have increased in a way that makes one aspect that more is at stake than a mere difference in stages of the same growth pattern. Uneven development is very much a feature of the general trend toward capitalism.

Joshi (1974) chiefly studied agrarian social structure that is primarily the study of groups connected with land. The differentiation of right over land leads to the formation of different group. Thus, the property structure constitutes the chief basis of productive activity in rural society. The property structure is further related to productive activity through an application of labour and land. Thus, agrarian social structure is basically in terms of relationship existing between the owner of land and the actual producers.

Thorner (1956) chiefly considers the agrarian relations as the nature of relations among the various groups of persons who draw their livelihood from the soil. Thus, he concludes that agrarian structure is the sum total of agrarian relation in which each group operates in relations to other groups and finds that in agrarian societies, land is the primary production asset of economic status and hence political power. It forms the basis of a relation between network productions and brings socio – economic framework within which production is carried on.

Statement of the Problem: In this context, some specific issues related to changing patterns of agrarian social relations in terms of rural economy, caste, caste hierarchy are studied in depth. Thus, the present study focuses upon the following specific questions:

1. What is the socio-economic background of the respondents in a rural setting?
2. What is the nature of agrarian relations in a rural setting?

The first question takes note of the socio-economic background of respondents in a rural setting in terms of age, sex, religion, caste, education, occupation, size of land holdings and type of family, etc.

The second question elucidates of the nature of agrarian relations in a rural setting in terms of formal, informal and both.

Area of Study

Geographical Area : The area of the study was conducted in Bulandshahr district of western Uttar Pradesh. Bulandshahr district lies in western part of Uttar Pradesh, which is located between the Yamuna and Ganga Doab. This district extends between 77°-78° longitudes and 28°-28.4° latitude, which is 237.44 meters above sea level. It is administratively divided into 7 tehsils; 16 blocks and 1244 villages. The village Firojpur is situated in the Khurja Block, which is situated at 15 kms from the Block and 35 kms from district headquarter in the Northeast. The main source of income of the villagers is depending on agriculture and related work.

Methodology: The methods of structural- functional, structural, structural-historical and historical-materialist or constitute the logic of enquiry. The methodology of rural sociology studies the rural communities primarily from social anthropology and sociology. It also draws heavily from economics and political science so far the village economy and Panchayati Raj are concerned.

Respondents and Sample Design : The respondents were select by purposive sampling method, because agrarian society is stratified in various occupational groups of persons as farmer, peasant, tenants, sharecroppers and landless agricultural labourers etc. Number of respondents was depended on availability, sources, suggestion of supervisor and circumstances.

Technique of Data Collection : The study was based on primary and secondary data. Primary data was collected from the respondents with the help of structured interview schedule, observation, and group discussion through a field survey in the village. Secondary data was collected from Govt. census, statistical records, published and unpublished material etc. The information from the respondent was collected by using the schedule/interview guide in the quantitative phase of data collection. The schedule/interview guide contains both close-ended and open-ended questions. The intensive case study method was also be used for data collection in the qualitative phase of data collection. The observation technique was also used for collection of data.

Methods of Data Analysis : Data collected with the help of interview and schedule/interview guide technique form respondents was analyzed quantitatively by using SPSS (Statistical Package for Social Science Data Analysis). Simple statistical techniques and also associations and co-relations were also looked into to indicate the degree of relationship between socio-economic profiles of the respondents. A qualitative analysis was also under taken of facts collected through observation and case studies.

Perspectives /Approaches : This village study was made through structural-functional methodology. This study was conducted by the method of positivism. On the one hand, researcher tries to understand the reality of society and researcher himself works as a variable. The present research has made use of comparative and weberian perspective to study the changing patterns of agrarian social relations in terms of rural economy, caste, caste hierarchy, power structure and emerging caste class nexus in order to understand the socio-economic and political spheres of rural society.

Findings

Socio-Economic Background of the Respondents:

1. **Age-** Large number 48% of the respondents are (41-50) years old while small number 11% of the respondents are (51 & above) years old by age.
2. **Gender-** Large majority 82% of the respondents are male, while small number 18% of the respondents are

female.

3. **Age and Gender-** The majority of the respondents in both male and female category are from (41-50) years age group, while the small number of the respondent in both male and female category belongs to the age group of (20-30) years.

4. **Caste-** Large number 63.5% of the respondents are from other backward class caste category and the small number 07% of the respondents are from general caste category.

5. **Gender and Caste-**The male of OBC caste category and the female of SC caste category are much more engaged in agricultural works.

6. **Religion-** All most all 93.5% of the respondents are Hindu, while a very few 06.5% of the respondents are Muslim by their religion.

7. **Education-**Large number 41.5% of the respondents were educated up to high school while small number 17% of the respondents were educated up to primary level.

8. **Education and Caste-** SC castes had low educational status, while OBC castes had high school education level because caste and land plays an important role in shaping educational opportunities.

9. **Occupation-**Large number 46% of the respondents were engage in daily wage labour/manual worker by occupation and a very few number 6.5% of the respondents were engage in non-working/ house wife as their occupation.

10. **Gender and Occupation-**164 male respondents are dominating in occupational category in comparison to the female respondents. Male respondents are the main source of income in their family..

11. **Caste and Occupation-** OBC caste category respondents are much more dominant in occupation and income than other caste categories. So, the study reveals that caste plays an important role in selection of their occupation.

12. **Income/month-** Large majority 68.5% of the respondents belongs to the income group of upto (Rs. 10,000/- to Rs. 20000/- and the small number 05.5% of the respondents exceed in the income group of Rs. 30,000/- and above. Thus mostly respondents belong to lower middle class families.

13. **Income and Caste-** OBC caste category respondents had higher income levels while sc caste category respondents had lower income levels. Thus, it can be said that there is a strong relation between caste and income.

14. **Religion and Income-** Religion plays an important role in income because it affects our source of income. The income of respondents of Hindu religion is slightly more than other religious groups.

15. **Residential Area-** All of the respondents lived in rural area.

16. **Types of Family-** Large majority 77.5% of the respondents lives in nuclear family and a very few number

02% of the respondents lives alone/ single types of family category.

17. Types of House- All 100% of the respondents live in pakka house and NIL of the respondents live in kachha house.

18. Marital Status- Large majority 77.5% of the respondents are married and a very few number 01% of the respondents are separated.

19. House Ownership- All 100% of the respondents have their own house.

Nature of Agrarian Relations in a Rural Setting :

1. Relations of labourer with their owner- Large number (55.44%) of the labourer have formal relations with their owner and the small number (5.43%) of the labourer has any other type of relations with their owner.

2. Types of works engagement- Large majority 81.53% of the respondents are engage in agricultural work as a labourer, while a very few 2.17% of the respondents are engage in any other type of agricultural work as a labourer.

3. Types of wages- Large majority 83.70% of the respondents are getting their wage in cash form, while a very small number 5.43% of the respondents are getting their wage in the form of goods.

4. Participation in Ceremonial Functions- Large majority 91.30% of the respondents are participating in ceremonial functions organized by their owner while small number 8.70% of the respondents are not participating in ceremonial functions organized by their owner.

5. Pattern of Participation in Ceremonial Functions- Large majority 79.76% of the respondents are participating without family in ceremonial functions organized by their owner while small number 20.24% of the respondents are participating with family in ceremonial functions organized by their owner.

6. Data information about the wages of female labourer in comparison with male labourer-All 100% of the respondents have responded that female labourer are not getting equal wage as male labourer.

7. Reason behind the difference of wages-Majority of the respondents have responded that female labourer is not able to do heavy work as male labourer, female labourer is not able to take risk as male labourer at work place and female labourer works at work place for very specific and limited time. However, the small number of the respondents does not support the fact that female labourer is not able to do heavy work as male labourer, female labourer is not able to take risk as male labourer at work place and female labourer works at work place for very specific and limited time.

8. Relations of cultivator/owner with their labourer-Large majority (63.88%) of the respondents have formal relations with their labourer and the small number (04.62%) of the respondents has any other type of relations with their labourer.

9. Types of works engagement-Large number (67.59%)

of the respondents are engage in agricultural work as a cultivator/owner, and the small number (12.04%) of the respondents are engage in any other type of work as a cultivator/owner.

10. Types of wages-Large majority 85.18% of the respondents are giving the wage to their labourers in cash form, while a very small number 6.48% of the respondents are giving the wage to their labourers in the form of goods.

11. Participation in Ceremonial Functions-Large majority 87.04% of the respondents are participating in ceremonial functions organized by their labourer, while small number 12.96% of the respondents are not participating in ceremonial functions organized by their labourer.

12. Pattern of Participation in Ceremonial Functions-Large majority 90.74% of the respondents are participating without family in ceremonial functions organized by their labourer, while small number 9.26% of the respondents are participating with family in ceremonial functions organized by their labourer.

13. Place of hired labourers-Majority 72.22% of the respondents hired labourers from own village, while small number 2.78% of the respondents hired labourers from the town/city.

14. Types of Employment-Majority 72.22% of the respondents hired the labourers as casual type employment, while small number very few 5.56% of the respondents hired the labourers as other type of employment.

References:-

1. Bailey, F.G. 1958:"Caste and the Economic Frontier: A Village in Highland Orrisa", Bombay: Oxford University Press.
2. Bernstein, H. 2010:"Class Dynamics of Agrarian Change". Black point, Nova Scotia: Fernwood Publishing.
3. Beteille, Andre 1969:"Caste, Class and Power: Changing Patterns of Stratification in a Tanjore Village", Bombay, Oxford University Press
4. Beteille, Andre 1974:"Studies in Agrarian Social Structure", Delhi, Oxford University Press
5. Das, Sarmistha 2017: "Agrarian Change and Women: Explorations from the Field", The Eastern Anthropologist, Vol.-70, No.-3-4, pp: 219-232
6. Doshi, S.L. and P.C. Jain, 2014:"Rural Sociology", New Delhi, Rawat Publications, pp:225
7. Dube, S.C. 1955:"Indian Villages", London, Routledge and Regan Paul.
8. Dube, S.C. 1960: "Ranking of Caste in Telangana Village", in D.N. Majumdar (ed.). Rural Profiles, Lucknow, Ethnographic and Folk Culture Society
9. Joshi, V. H.1974:"Some Observations on Changing Agrarian Relation in Two Villages of Gujarat". Paper presented in Seminar on Changing Agrarian Relations in India, held at National Institute Community Development, Hyderabad.

10. Mishra, G.P. 1977: "Some Aspect of Change in Agrarian Structure". New Delhi: Sterling Publishers.
11. Patel, Ramya Ranjan 2018: "Political Economy of Agrarian Distress in India", Social Action Vol.-68, No. 3, pp: 250-264
12. Patnaik, Utsa 1971: "Development of Capitalism in Agriculture", Social Scientist, 1(2-3):15-31
13. Patnaik, Utsa. 1986: "The Agrarian Question and the Development of Capitalism in India: First Daniel Thorner Memorial Lecture". Delhi: Oxford University Press.
14. Redfield, Robert 1956: "The Little Community and Peasant Society and Culture", Chicago, University of Chicago Press
15. Sharma, K.L. 1986: "Caste, Class and Social Movements", Jaipur, Rawat Publication.
16. Sharma, K.L. 2010: "Perspectives on Social Stratification", New Delhi, Rawat Publication
17. Singh, J.P. 2006: "Changing Agrarian Relationship in Rural India", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol.-61, No. -1, pp: 36-64
18. Singh, J.P. 2006: "Changing Agrarian Relationship in Rural India", Indian Journal of Agricultural Economics, Vol.-61, No. -1, pp: 36-64
19. Singh, Yogendra 1974: "Concepts and Theories of Social Change: A Trend Report", A Survey of Sociology and Social Anthropology, Vol.-I, Bombay, Popular Prakashan

सूक्ष्म एवं कुटीर उद्यमियों पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (देवास जिले की विशेष संदर्भ में)

डॉ. जी. एल. खांगोडे* श्रीमती जया कुशवाह**

* सह प्राध्यापक, माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - मुद्रा (MUDRA), जिसका अर्थ है 'माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड', भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म इकाइयों के उद्यमों के विकास और पुनर्वित्त के लिए स्थापित की जा रही एक वित्तीय संस्था है, जिसकी घोषणा माननीय वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को धन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी। परियोजना का उद्देश्य अध्ययन, माप और पहचान करना है कि क्या 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजना' (पीएमएमवाई) एक समावेशी, टिकाऊ और मूल्य आधारित उद्यमशीलता संस्कृति बनाकर सतत विकास प्राप्त करने के लिए पिरामिड के लक्षित तल की सहायता करने आर्थिक सफलता और वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम है।

शब्द कुंजी - प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, कॉर्पोरेट।

प्रस्तावना- भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्योगों को विश्वभर में विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी यह उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं रोजगार सृजन, निर्यात, सकल घरेलू उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय आदि में औद्योगिक क्रियाकलापों का महत्वपूर्ण स्थान है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME) देश के विकास में अत्यंत ही सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वर्तमान में एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था में रोजगार का 45%, निर्यात का 50%, उद्योगों का 90%, सकल घरेलू उत्पाद का 10% योगदान देते हैं। वित्तीय वर्ष 2020 की औद्योगिक अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार भारत में 7 मिलियन से अधिक उद्यम ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। भारतीय जनसंख्या का लगभग 70% ग्रामीण जनसंख्या का है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य एवं कृषि उपज का महत्वपूर्ण स्थान है एक महत्वपूर्ण लघु और मध्यम विकास अधिनियम 2006 भी नियमित किया है जिसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के संवर्धन एवं विकास को सरल व सुविधाजनक बनाना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। वर्ष 2006 से लागू इस अधिनियम ने क्षेत्र की दीर्घावधि मांग को पूरा कर दिया है लेकिन 21 मई 2020 में इसमें संशोधन हुआ और इस संशोधन के अनुसार भारत के सभी राज्यों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विनिमय एवं सेवा के क्षेत्र में विभाजित नहीं किया गया है बल्कि दोनों क्षेत्रों के लिए निवेश एवं वार्षिक टर्नओवर तय किए गए हैं।

राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब समाज की सभी निम्न आय वर्ग तथा साधन हीन वर्गों विशेषकर निर्धनों, सीमांत कृषकों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों, महिलाओं आदि का समाज की मुख्यधारा के साथ विकास हो इसके लिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है जो तभी

संभव है जब उनके पास नियमित आय के स्रोत हो इसके लिए उन्हें स्वरोजगार व्यापार एवं अन्य आर्थिक क्रियाकलापों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए और इन आर्थिक गतिविधियों के संचालन के लिए जरूरी पूंजी हेतु कम ब्याज दर पर आसानी से तथा समय पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने की प्रणाली का विकास किया जाए। सरकार द्वारा इन वर्गों के विकास और उत्थान के लिए अनेकों शासकीय योजनाओं एवं विशेष कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में संख्यावार बैंक शाखाओं का अत्यधिक विस्तार होने के बावजूद अनेक ग्रामीण निर्धन, गैर संस्थागत ऋण स्रोतों पर निर्भर करते हैं। इनकी बचत शुन्य अथवा नगण्य होती है जबकि अल्प अंतराल पर इन्हें सूक्ष्म वित्त ऋण बचत सहायता की आवश्यकता रहती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसी आवश्यकता को पूरा करने का सार्थक सफल प्रयास है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं एवं लघु व कुटीर उद्यमों को विनिर्माण व्यापार एवं सेवा गतिविधियों के लिए छोटी आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाती है।

परियोजना का उद्देश्य:

1. पिरामिड के निचले भाग की पहचान करना है जिन्होंने म.प्र. राज्य के देवास जिले से 'मुद्रा ऋण' धारकों के रूप में पीएमएमवाई का लाभ उठाया है।
2. सामान्य उद्यमिता के विकास के लिए अग्रणी कारकों का अध्ययन करना।
3. पीएमएमवाई लाभार्थियों के कवरेज के रूप में मुद्रा ऋण धारकों के बीच सामान्य और महिला उद्यमिता के विकास को मापने के लिए।
4. भारत के गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय खंड (एनसीएसबी) लाभार्थी उद्यमी जिन्होंने ऋण लिया है।

सैंपलिंग फ्रेम नमूना म.प्र. राज्य के देवास जिले में स्थित पीएमएमवाई लाभार्थियों में से चुना गया है।

नमूना आकार जिन 150 लाभार्थियों तक हम पहुंचे हैं, उनमें से हमें मुद्रा ऋण धारकों का पूरा डेटा प्राप्त हुआ है, जो पीएमएमवाई की 'शिशु, किशोर और तरुण' योजनाओं के लाभार्थी हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम एवं कुटीर उद्यमों का अर्थव्यवस्था में योगदान इस प्रकार है:

1. इस समय भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की लगभग 36.1 मिलियन इकाइयाँ लगी हुई हैं।
2. वर्तमान में MSMEs ने भारत में 120 मिलियन लोगों को रोजगार दिलाया हुआ है।
3. MSMEs, भारत के कुल निर्यात में करीब 45% योगदान देते हैं।
4. MSMEs, भारत के विनिर्माण-सकल घरेलू उत्पाद में 6.11% का योगदान देते हैं, सेवा क्षेत्र से मिलने वाली GDP में 25% का योगदान देते हैं।
5. इस क्षेत्र ने लगातार 10% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर को बनाए रखा है।
6. देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 8% का है।
7. MSMEs की बहुत सी इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित है जिसके कारण गावों से शहरों की ओर पलायन रुका है।

उम्मीद है कि इस एक्ट में किये गए नए परिवर्तन आगे चलकर उद्योग क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करेंगे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का योगदान - भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, ने भारतीय सरकार में आते ही भारत को विकास की ओर उन्मुख करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं जन-धन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, कौशल विकास योजना आदि हैं। भारत में स्वरोजगार को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने, 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की घोषणा की जिसके अन्तर्गत गरीबों को अपना कारोबार चलाने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कुटीर उद्योगों को और अधिक विकसित करके रोजगार के स्तर को बढ़ाना है।


कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर, योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के सभी लक्ष्यों को इसकी स्थापना के बाद से लगातार पूरा किया गया है।

यह योजना बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करती है।

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है, ये उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में न्यूनतम लागत पर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में न केवल अहम भूमिका निभाते हैं बल्कि ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र के औद्योगिकीकरण में भी सहायता करते हैं। जिससे क्षेत्रीय असंतुलन में कमी होती है और राष्ट्रीय आय व धन का समान वितरण सुनिश्चित होता है।

Table no -01

S.	Financial Year	Distributed loan (In Lac Crore Rupees)	Percentile Increase in loan amount
1	2015-16	1.32	-
2	2016-17	1.75	0.32 %
3	2017-18	2.46	0.40 %
4	2018-19	3.11	0.26 %
5	2019-20	3.29	0.06 %



साहित्य समीक्षा - विगत कुछ वर्षों में सूक्ष्म एवं छोटे व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान साहित्य समीक्षा में विभिन्न सिद्धांत और अवधारणा शामिल है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के सकारात्मक एवं नकारात्मक तरीके से विश्लेषण करती हैं-

योगेश महाजन (2020) ने अपने शोध पत्र महाराष्ट्र राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएवाई) का एक अध्ययन और समीक्षा में उल्लेख किया है कि भारत जैसे विकासशील एवं तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और कुटीर उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इन उद्यमों को स्थापना में सहायता, ऋण सुविधा, प्रशिक्षण, जोखिम से सुरक्षा एवं समर्थन के रूप में सरकारी सहायता प्रदान की जाने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने शोध पत्र में छोटे व्यवसायों एवं सूक्ष्म उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याओं जैसे प्रवेश स्तर की नीतियां वित्तीय निरक्षरता, जानकारी का अभाव, उच्च लागत, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की कमी, वित्तीय पहुंच की कमी और प्रौद्योगिकी बाधाओं आदि का विस्तार से विश्लेषण किया है। उन्होंने अपने शोध पत्र के माध्यम से बताया कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में लागू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना महाराष्ट्र राज्य में काफी सफल रही है, परंतु सभी श्रेणियों के लोगों के वित्तीय समावेशन के लिए और अधिक प्रयास की आवश्यकता है।

अंजेश एच एल (2021) ने अपने शोध पत्र शिवमोग्गा (कर्नाटक) जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जागरूकता स्तर पर एक अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि सूक्ष्म उद्यमियों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा नामक योजना को वित्त पोषित करने के लिए प्रारंभ किया है। उनका शोध कार्य अपने लाभार्थियों के बीच पीएमएवाई योजना के बारे में वर्तमान ज्ञान, जागरूकता और जागरूकता के स्रोत का अध्ययन करने के लिए किया गया है। आवृत्ति, प्रतिशत और टी

टेस्ट जैसे सांख्यिकी उपकरणों का उपयोग करके एवं परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए एसपीएसएस के माध्यम से आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था अध्ययन का निष्कर्ष निकाला गया कि इसके लाभार्थियों के बीच पीएमवाई योजना के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर था और 36% उत्तर दाताओं की जागरूकता का स्रोत रिश्तेदारों और दोस्तों से है। उपरोक्त अध्ययन के माध्यम से शासकीय नीतियों एवं योजनाओं का उपयुक्त प्रचार प्रसार एवं क्रियान्वयन गुणवत्ता पूर्ण तरीके से किया जाना आवश्यक है यह बताने का प्रयास किया गया है।

शोध का क्षेत्र- भारत के करीब 638 345 गांवों में 24 करोड़ से अधिक निम्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। मध्यम तथा लघु उद्योग मंत्रालय (MSME) की वर्ष 2012-13 की एक रिपोर्ट के अनुसार 361.76 लघु उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं स जिनके लिए वित्तपोषण तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है स इन्हें यह सुविधाएं देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है क्योंकि उनके पास इतने छोटे स्तर पर सेवाएं देने के लिए मानव संसाधन की भी कमी है स देश के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में आजादी के बाद असंगठित क्षेत्र के लोगों का विकास की समस्या सामने आई क्योंकि देश का भी लक्ष्य सभी वर्गों का विकास है तथा इस समस्या को काफी समय पहले ही सरकारों तथा नाबाई ने समझ लिया था और इसलिए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न ऋण योजनाओं को लागू किया जिसमें काफी हद तक सफलता मिली भी है और काफी तीव्र गति से भी काम हो रहा है।

शोध प्रविधि- प्रस्तावित शोध कार्य को पूर्ण करने में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया जाएगा।

प्राथमिक समंक - सूक्ष्म व कुटीर उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को जानने के लिए उद्यमियों के साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समंक एकत्र किए जाएंगे। क्योंकि उद्यमियों की समस्याओं को स्वयं उद्यमियों से ही जाना जा सकता है। प्राथमिक समंको के लिए प्रश्नावली को संरक्षित रूप में तैयार किया जाएगा। यह ज्यादातर द्विविकल्पीय हां या नहीं या बहुविकल्पीय होगी ताकि उत्तर दाताओं को प्रश्न का उत्तर देने में कोई कठिनाई महसूस ना हो संबंधित संघों, संस्थानों और सरकारी एजेंसियों से भी जानकारी एकत्रित की जाएगी। वर्तमान अध्ययन में देश के विभिन्न प्रकार के उद्योगों को शामिल किया जाएगा ताकि विश्लेषण तर्कसंगत तरीके से किया जा सके।

द्वितीयक समंक - द्वितीयक समंको को एकत्र करने के लिए संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों, व्यावसायिक पत्रिकाओं, थीसिस, उद्योग संघ, जिला औद्योगिक केंद्र, जिला सांख्यिकी कार्यालय और मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग निगम जैसे विभिन्न विभागों से भी समंक एकत्र किए जाएंगे।

अध्ययन का क्षेत्र- यह अध्ययन 2015 से 2021 तक सीमित रहेगा अध्ययन के लिए उद्योगों को छह श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा देवास में मौजूद प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग निम्नलिखित क्षेत्र कवर करते हैं-

1. कृषि आधारित
2. भवन और सामग्री आधारित
3. इंजीनियरिंग आधारित
4. कपड़ा उद्योग आधारित
5. अन्य

निदर्शन - निदर्शन लेने की बहुत सारी तकनीकी उपलब्ध है, लेकिन वर्तमान अध्ययन में सबसे उपयुक्त निदर्शन तकनीक दैव निर्देशन है देवास जिले के 150 लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रतिनिधि नमूने के रूप में सर्वेक्षण किया जाएगा।

उपलब्धियाँ:

1. अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना के बाद से पीएमएमवाई (PMMY) के तहत 32.53 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिये गए हैं।
2. मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्गों जैसे- महिला उद्यमी, एससी/एसटी/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्ताओं आदि को ऋण दिया गया है। साथ ही इसके तहत नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
3. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, PMMY ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता की है।
4. रोजगार में हुई अनुमानित वृद्धि के अनुसार, 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएँ (62 प्रतिशत) शामिल हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

पुस्तकें:-

1. प्रो.शर्मा, विरेन्द्र प्रकाश रिसर्च मेथाडोलॉजी, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2004.
2. डॉ.चतुर्भुज मंमोरिया भारत की आर्थिक समस्याएं, साहित्य भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा, 2007-2008
3. माइकल वी. पी. रिसर्च मेथाडोलॉजी इन मैनेजमेंट, हिमालय पब्लिशिंग हाउस, मुंबई, 1985
4. कोठारी सी. आर रिसर्च मेथाडोलॉजी, न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर्स, 2022

Journals & Periodicals:-

1. Dr. C. Vijay, " a study on the performance of mudra Yojana in Tamilnadu", general of banking finance insurance management, (2018)
2. S. Girish, NK, "MUDRA performance in Karnataka" international Journal of Research and Analytical reviews, (2016)
3. Mahammed Shahid and Mahammad Irshad, , "A descriptive study on Pradhanmantri mudra Yojana (PMMY)", International Journal of latest trends in engineering and technology. Special issue SACAIM, PP. 121-125, e- ISSN: 2278-62IX, (2016)
4. Seema, " MUDRA - micro units development and refinance agency", International journal in commerce, IT and social science volume 2 , issue 10 PP. 23 to 27 (2015)
5. Royal Kumar," Mudra Yojana strateg tune for small business financing", International Journal of advanced research in computer science and management studies, volume 4, issue 1 ,PP. 68 to 72, (2016)
6. Jain, Vineet,," Mudra Bank : A Step towards financial inclusion review of research International multi disciplinary general, volume -5, issue 4, PP. 1-4 (2016)

समाचार पत्र/पत्रिकाएं:-

1. दैनिक भास्कर डेली न्यूज पेपर देवास वेरियस एडिशन
2. नई दुनिया डेली न्यूजपेपर देवास वेरियस एडिशन
3. योजना मासिक पत्रिका 2022 पृष्ठ संख्या
4. कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका 2022 पृष्ठ संख्या
5. उद्यमिता समाचार पत्र
6. मध्य प्रदेश संदेश
7. जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट देवास मध्य प्रदेश इंदौर

Webliography:-

1. www.mudra.org.in
2. www.msme.gov.in
3. www.nsic.co.in
4. www.rbi.org
5. www.smallindustrialdevelopment.com
6. www.worldbank.or
7. www.mpindustry.org
8. www.mpakvnbhopal.nic.in
9. www.dcmsme.gov.in

ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन

मीनाक्षी चन्द्रवंशी* डॉ. कृष्ण कुमार पाण्डेय**

* असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत
** असिस्टेंट प्रोफेसर (शिक्षा) डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश - शिक्षा बालक की अर्तनिहित शक्तियों को उभारकर उन्हें पूर्ण विकसित करती है। शिक्षा पर शिक्षक की प्रभावशीलता का अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शिक्षण का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से राष्ट्र समाज ही नहीं वरन् सारे संसार पर प्रभाव पड़ता है। प्रस्तुत शोध में ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। न्यादर्श के रूप में 120 विद्यार्थियों का चयन किया है। आँकड़ों के संकलन हेतु प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉ. आर. सी. देवा द्वारा निर्मित सामाजिक समायोजन प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है। परिकल्पनाओं के प्रकलन के पश्चात् यह पाया गया कि अतः ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई अन्तर नहीं है।

प्रस्तावना - शिक्षा मानव को एक सभ्य एवं आदर्श जीवन प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने अन्दर अच्छे गुणों का विकास करते हैं। शिक्षा के द्वारा ही मानव में धैर्य, सहानुभूति, सहायता, सहानुभूति, दया, प्रेम आदि की भावना उत्पन्न होती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए की बालक अपने को वातावरण में समायोजन कर सकें जिससे कि उन्हें नये नाम की पारित सरलता से हो सके शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है। शिक्षक व शिक्षार्थी इसके महत्वपूर्ण अंग हैं। शिशु का व्यक्तिव सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है। वंशानुक्रम से जो योग्यतायें उसे प्राप्त होते हैं, उनको जागृत करके सही दिशा देना समाज का ही कार्य है। किशोरावस्था मानवीय जीवन की अनोखी अवस्था होती है। अतः सामाजिक विकास पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। किशोर एवं किशोरी व्यक्ति-व्यक्ति के लिए व्यक्ति समूह के लिए और अन्य समूहों के लिए होने वाली अंत-क्रियाओं के माध्यम से सामाजिक सम्बन्धों का विकसित करते हैं। अतः किशोरावस्था में सामाजिक विकास के फलस्वरूप सामाजिक उत्तरदायित्व को समझने लग जाता है और नियमों के अनुकूल ढलने का प्रयास करते हैं।

अध्ययन का औचित्य - स्वामी विवेकानन्द जी कहते हैं कि अच्छी शिक्षा पाना आज बालक का हक है। आज हम देखते हैं कि शिक्षा पर कोई भी अभिभावक इस लिए व्यय करता है, क्योंकि उसके बदले में जो शैक्षिक उपलब्धि बालक को प्राप्त होती है वह व्यय पूंजी से बहुत अधिक होती है। किशोरो में होने वाली शारीरिक, मानसिक परिवर्तन का ज्ञान देते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करना तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि का विकास करना आवश्यक है।

प्रस्तुत अध्ययन एक अभिप्रेरणात्मक अध्ययन है। इस अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष से किशोर छात्र एवं छात्राओं का सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन संभव है और संभावित सुझाव प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

समस्या कथन - ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्रा-छात्राओं के

सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन।

प्रस्तुत पदों की क्रियात्मक परिभाषा

शोध अध्ययन में प्रयुक्त कठिन पदों की परिभाषायें निम्न लिखित हैं-

1. **किशोर छात्र एवं छात्राएँ** - प्रस्तुत शोध में किशोर छात्र एवं छात्राओं से तात्पर्य 13 से 18 वर्ष के छात्र एवं छात्राओं से है। सुधार गृह स्तर पर 13 से 18 वर्ष के छात्र एवं छात्राओं को शोध के प्रयोज्य के रूप में स्वीकृत किया गया है।
2. **सामाजिक समायोजन** - मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समायोजन का अर्थ अंत समय तक समाज में ही रहना लगाता है। वह उसी समय अधिक प्रसन्न रहता है। जबकि वह स्वयं की रुचि पसंद और अभिवृत्तियों वाले समूह को प्राप्त कर लेता है। इस व्यवहारिक गतिशीलता का नाम ही समायोजन है।
3. **ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं का सामाजिक समायोजन** - समाज में तथा अन्य व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित करना, माता-पिता एवं परिजनों के व्यवहार का किशोर बालक एवं बालिका अनुकरण करते हैं। इस अवस्था में उनकी शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विद्यालय में रहकर बालक एवं बालिकायें सामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर रहते हैं। यदि ग्रामीण एवं किशोर छात्र एवं छात्राओं को समाज में उचित स्थान नहीं दिया जाता है तो वे नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में उन्हें समाज में स्थान दिया जाता है तो उनके आचरण में परिवर्तन व सुधार लाया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य :

1. ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।
2. ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।
3. ग्रामीण किशोर छात्रा तथा शहरी किशोर छात्रा के सामाजिक

समायोजन का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ -:

H0₁ : ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं की सामाजिक समायोजन का तुलनात्मक अध्ययन करना।

H0₂ : ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

H0₃ : ग्रामीण किशोर छात्रा तथा शहरी किशोर छात्रा के सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

अध्ययन का परिसीमन - प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र राँची जिले के ग्रामीण एवं शहरी किशोर बालक एवं बालिका सामाजिक समायोजन तक सीमित है। ये निम्न है-

क्षेत्र - प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा राँची जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र को लिया गया है।

स्तर - प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को लिया गया है।

आयु - प्रस्तुत शोध में शोधकर्ता द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं को सम्मिलित किया गया है।

अनुसंधान प्रविधि

शोध विधि- अध्ययन विधि अनुसंधान को परिचालित करने का ढंग है। जो चयनित की गई समस्या के प्रकृति के अनुरूप निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत शोधकर्ता द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श - प्रस्तुत अध्ययन में बिलासपुर जिले के शहरी एवं ग्रामीण बालक एवं बालिकाओं को अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में लिया गया है। जिसमें 120 किशोर छात्र एवं छात्राओं में से 60 शहरी किशोर बालक एवं बालिकाओं एवं 60 ग्रामीण छात्र एवं छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण - प्रस्तुत शोध अध्ययन में डॉ. आर. सी. देवा द्वारा निर्मित सामाजिक समायोजन प्रश्नावली उपकरण का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 है।

अध्ययन के चर - प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित चर है :

स्वतंत्र चर - किशोर छात्र एवं छात्राओं।

आश्रित चर - सामाजिक समायोजन।

प्रयुक्त सांख्यिकीय विधियाँ :-

1. Mean (माध्य)
2. Standard Deviation (मानक विचलन)
3. Standard Error Deviation (मानक त्रुटि विचलन)
4. CR (सी.आर.-परीक्षण)

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या -

परिकल्पना- 1

H0₁ : शहरी एवं ग्रामीण किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

सर्व प्रथम परिकल्पना क्रमांक-1 जिसके परीक्षण के लिए 60 शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं तथा 60 ग्रामीण किशोर छात्र एवं छात्राओं को लिया गया है। उनका सामाजिक समायोजन मापा गया है, दोनों ही समूह के पृथक-पृथक मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन प्राप्त किया गया, इसकी सहायता से गणना का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-मूल्य

परीक्षण किया गया।

सारणी क्रमांक - 1 (अगले पृष्ठ पर देखें)

व्याख्या एवं निष्कर्ष - तालिका 1 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन माप के प्राप्तांको के आधार पर प्राप्त किए गए मध्यमान क्रमशः 136.5 तथा 130.5 है वहीं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 111.32 तथा 123.4 है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता जाँचने के लिए टी-मूल्य परीक्षण किया गया, जिसकी गणना से प्राप्त टी का मान 0.03 है। 118 के सार्थकता के लिए टी का आवश्यक सारणीगत मान 0.05 के सार्थकता स्तर पर 1.98 है, 0.01 के सार्थकता स्तर पर 2.59 है।

अतः गणना से प्राप्त मान के कम है अतः हमारी परिकल्पना क्रमांक-1 ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा। अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है।

परिकल्पना- 2

H0₂ : ग्रामीण किशोर बालक तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

सर्व प्रथम परिकल्पना क्रमांक-2 जिसके परीक्षण के लिए 30 किशोर ग्रामीण छात्र तथा 30 किशोर शहरी छात्र का सामाजिक समायोजन मापा गया है। दोनों ही समूहों के पृथक-पृथक मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन प्राप्त किया गया, इसकी सहायता से गणना का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-मूल्य परीक्षण किया गया।

सारणी क्रमांक - 2 (अगले पृष्ठ पर देखें)

व्याख्या एवं निष्कर्ष - तालिका 2 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण किशोर छात्र व शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन माप के प्राप्तांको के आधार पर प्राप्त किए गए मध्यमान क्रमशः 136.5 तथा 138.5 है वहीं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 25.16 तथा 34.2 है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता जाँचने के लिए टी-मूल्य परीक्षण किया गया, जिसकी गणना से प्राप्त टी का मान 6.77 है। 58 के सार्थकता के लिए टी का आवश्यक सारणीगत मान 0.05 के सार्थकता स्तर पर 2.01 है, 0.01 के सार्थकता स्तर पर 2.59 है।

अतः गणना से प्राप्त मान के अधिक है अतः हमारी परिकल्पना क्रमांक-2 ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जायेगा। अतः यह परिकल्पना अस्वीकृत होती है।

परिकल्पना- 3

H0₃ : ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के बीच सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया जाएगा।

सर्व प्रथम परिकल्पना क्रमांक-3 जिसके परीक्षण के लिए 30 ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा 30 शहरी किशोर छात्राओं के सामाजिक समायोजन मापा गया है, दोनों ही समूह के पृथक-पृथक मध्यमान तथा प्रमाणिक विचलन प्राप्त किया गया, इसकी सहायता से गणना का मध्यमान में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने के लिए टी-मूल्य परीक्षण किया गया।

सारणी क्रमांक - 3 (अगले पृष्ठ पर देखें)

व्याख्या एवं निष्कर्ष - तालिका 3 से ज्ञात होता है कि ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के सामाजिक समायोजन माप के

प्रासांको के आधार पर प्राप्त किए गए मध्यमान क्रमशः 126.67 तथा 123.67 है वहीं प्रमाणिक विचलन क्रमशः 57.64 तथा 46.40 है। मध्यमानों में अंतर की सार्थकता जाँचने के लिए टी-मूल्य परीक्षण किया गया, जिसकी गणना से प्राप्त टी का मान 1.35 है। 58 के सार्थकता के लिए टी का आवश्यक सारणगत मान 0.05 के सार्थकता स्तर पर 2.01 है, 0.01 के सार्थकता स्तर पर 2.59 है।

अतः गणना से प्राप्त मान के कम है। अतः हमारी परिकल्पना क्रमांक-3 ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा। अतः यह परिकल्पना स्वीकृत होती है।

निष्कर्ष - शिक्षा मानव को एक सभ्य एवं आदर्श जीवन प्रदान करती है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपने अन्दर अच्छे गुणों का विकास करते है। शिक्षा के द्वारा ही मानव में धैर्य, सहानुभूति, सहायता, सहानुभूति, दया, प्रेम आदि की भावना उत्पन्न होती है। ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जायेगा। अतः हमारी शून्य परिकल्पना स्वीकृत होती है। अतः ग्रामीण एवं शहरी किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन में कोई अन्तर नहीं है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची:-

1. कपिल, एच. के. (1995)- 'सांख्यिकीय के मूल तत्व' विनोद पुस्तक मंदिर आगरा -2 पृष्ठ - 628.
2. भटनागर, सुरेश (1996) - 'शिक्षा मनोविज्ञान' कायल बुक डिपो, ईश बुक इंटरनेशनल, मेरठ पृष्ठ -249.
3. सिंह, एच. पी. (1998) - 'सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं व्यवहार' एस, चन्द्र एण्ड कम्पनी, दिल्ली।
4. हार लॉक एलिजाबेथ बी - 'विकासात्मक मनोविज्ञान'
5. लाल एवं जोशी - 'शिक्षा मनोविज्ञान' अग्रवाल पब्लिकेशन।
6. डॉ. मंगल अंशु, डॉ. बिरोलिया एं. - 'शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ'
7. पाण्डेय, आर.पी. - 'शैक्षिक मनोविज्ञान' राधा प्रकाशन आगरा।
8. हार लॉक एलिजाबेथ बी विकासात्मक मनोविज्ञान
9. लाल एवं जोशी शिक्षा मनोविज्ञान अग्रवाल पब्लिकेशन
10. डॉ. मंगल अंशु डॉ. बिरोलिया एं. शैक्षिक अनुसंधान की विधियाँ।
11. पाण्डेय आर. पी. शैक्षिक मनोविज्ञान राधा प्रकाशन आगरा
12. Adler (1930) individual Psychology. (Chap. XXI. Page) in C Murchison (Ed.) Psychologists 1930 Clark University Press.

सारणी क्रमांक - 1: शहरी एवं ग्रामीण किशोर छात्र एवं छात्राओं के सामाजिक समायोजन की तालिका

क्र.	छात्र एवं छात्राओं	N	M	SD	SED	t-test	df	साथर्कता स्तर	परिणाम
1.	ग्रामीण	60	136.5	111.32	0.03	0.03	118	0.05=1.98	स्वीकृत हुई
2.	शहरी	60	130.5	123.4				0.01=2.59	

सारणी क्रमांक - 2: ग्रामीण किशोर छात्र तथा शहरी किशोर छात्र के सामाजिक समायोजन

क्र.	किशोर बालक	N	M	SD	SED	t-test	df	साथर्कता स्तर	परिणाम
1.	ग्रामीण	30	136.5	25.16	6.77	0.03	58	0.05=2.01	अस्वीकृत हुई
2.	शहरी	30	138.5	34.2				0.01=2.68	

सारणी क्रमांक - 3: ग्रामीण किशोर छात्राओं तथा शहरी किशोर छात्राओं के बीच सामाजिक समायोजन

क्र.	किशोर बालिका	N	M	SD	SED	t-test	df	साथर्कता स्तर	परिणाम
1.	ग्रामीण	30	126.67	57.64	1.35	1.35	58	0.05=2.01	स्वीकृत हुई
2.	शहरी	30	123.67	46.40				0.01=2.68	

Mixed Research Method in Assessment of Rural Sanitation

Ashvaneer Kumar* Rajkumar Nagwanshee**

*Research Scholar (Economics) Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak (M.P.) INDIA

** Associate Professor (Economics) Guru Ghasidas Central University, Bilaspur (C.G.) INDIA

Abstract : Cleanliness and Sanitation are crucial for both the nation and its citizens. From a health perspective, Sanitation has been given a special importance in India. Mahatma Gandhi, the father of the nation, also stated that “political freedom is not as important as sanitation.” The bulk of people in India reside in rural areas, where they face numerous challenges like unemployment, poverty, a lack of access to healthcare, education, and structural amenities like roads and homes. Among these issues, one of the main ones in India is the absence of sanitation coverage and practice. There are a number of issues in rural regions following the Clean India mission Gramin and other initiatives. A mixed research approach is followed to find out the real reason and consequences of poor sanitation coverage. This study analyses the advantages and limitations of the two-research approach research e.g., Qualitative Research and Quantitative Research. Quantitative research involves collecting and transforming data into mathematical form and concluding inferences. However, qualitative research involves the factors to be analyzed in deep. Based on some published research papers, the study finds out that in assessing the rural area, one single approach cannot help. The mixed research approach is appropriate for recognizing the real rural problems. The study states that the rural sanitation coverage in India is satisfactory based on quantitative evaluation, but if we take the mixed research method to assess pictures of the real rural sanitation coverage, there only partial coverage is done. There is still a lot to do which we can't see in numbers only.

Keywords: Research Method, Qualitative Research, Quantitative Research, Sanitation Coverage, Clean India Mission-Gramin, Rural Development.

Introduction - “Cleanliness is next to Godliness, We can no more gain God’s blessing with an unclean body than with an unclean mind” (Mahatma Gandhi). “Sanitation and cleanliness are very important for every individual and country as well.” Nation father Mahatma Gandhi also said, that Sanitation is more important than political freedom (Kumar, A., & Singh, R., 2024). Sanitation is a crucial issue that needs to be discussed in the present to increase awareness among rural people to fight against various diseases again (Kumar, A., & Singh, R., 2024).

Non-sanitation does harm not only human health but also generates environmental losses and economic burdens. Many waterborne diseases are growing due to non-sanitation and unhygienic activities, such as diarrhea and malaria, which ultimately increase the economic expenditure of families and the state as well. Stunting is also one of the major issues arising due to the non-sanitation environment around the house, in which a child’s height does not grow as it should increase according to their age. For example, generally, it has been seen that the average height in a slum area is less than the average height of an environmentally clean area. Clean and hygienic

activities also make the individual’s personality attractive. Many times, some unexpected cases such as women rape and female child assaults happen with rural women in rural areas during open defecation. Therefore, cleanliness and hygiene activities are linked with human self-respect and dignity.

Covid-19 became the most dangerous virus due to non-sanitation activities and unhygienic conditions. This virus has already vibrated the world’s economies and health systems. However, Sanitation has played a vital role in protecting us from the challenging COVID-19 virus. The unavailability of good sanitation and hygiene practices was increasing the rate of spreading covid-19. On the other side, the people were being instructed to follow personal hygiene and sanitation to break the path of spreading this virus. Thus, awareness of good sanitation and hygiene practices and the availability of basic sanitation can stop the path of spreading any kind of virus. This is what was done during the covid-19 pandemic in developing countries.

The availability of basic facilities such as safe drinking water and sanitation is not only an important measure of the socioeconomic status of the household but also a

fundamental element for the people's health (Tiwari, R., & Nayak, S., 2017). Sanitation generally means the provision of facilities and services for the safe disposal of human urine and feces (Van Minh, H., & Hung, N. V. 2011). Good sanitation generally involves closer toilet and bathroom facilities, less waiting time, and safely disposing of excreta (Van Minh, H., & Hung, N. V. (2011). According to WHO 2018 report, 2.3 billion people were not accessing adequate basic sanitation throughout the world. And, approximately 4.5 billion people were not having proper access to safely managed sanitation services, i.e., a toilet connected to a sewer or pit or septic tank that manages human waste and prevents us from exposure to disease. Due to the lack of toilets and poor hygiene, the Indian economy suffers an estimated yearly total loss of US\$ 54 billion (in terms of health, education access, time lost, and tourism) and over US\$ 38 billion in treatment costs for diseases caused by poor hygiene. India has recognized that sanitation is very essential. Many sanitation improvement programs have been introduced in India to improve the sanitation condition such as Total Sanitation Campaign (TSC) 1999, Nirmal Bharat Abhiyan (NBH) 1999, Swachh Bharat Abhiyan Urban, and Rural (SBA, U&R) 2014, and others on the local level. Swachh Bharat Abhiyan-Gramin (Rural) was one of the nationwide programs which were launched on 2nd October 2014 to make rural India free from non-sanitation and non-cleanliness conditions by 2nd October 2019. To improve the rural area's sanitation coverage, these were also implemented these programs to eliminate open defecation and improve sanitation infrastructure. Central rural sanitation program 1986 was the first effort to provide safe sanitation in rural areas, total sanitation campaign, Nirmal Gram Puraskar, and Clean India Mission-Gramin 2014. The environmental hygiene committee was established by the union government of India between 1948 and 1949, and it made a comprehensive plan for the public's access to clean water and sanitary facilities. In order to provide safe water and suitable sanitary facilities in rural areas, the National Water Supply and Sanitation Program was started in 1954. After that, the United Nations declared 1981 to 1990 the "International Drinking Water Supply and Sanitation Decade". In 1981 only 1 percent of rural households had toilets. There was no focused program for rural sanitation in India.

According to the Ministry of Jal Shakti, as of March 2021, more than 10.5 crore individual household toilets have been constructed across rural India under the SBM-G program, resulting in an increase in sanitation coverage from 39% in 2014 to 100% in 2021. This has resulted in the achievement of ODF status for all rural areas in India (Simplified UPSC, 2021).

Research is the most popular tool to enhance and brush up on the existing knowledge about any subject and about any person. In the field of economics, information & technology, science and social science, sociology, business,

and health, etc. there are two most common methods of carrying out the research, namely Qualitative Research and Quantitative Research. Qualitative research is all about verbal narratives like spoken or written data, however, quantitative research focuses on logical or mathematical observations to narrate the conclusions.

The issue of the study: For a long period, different governments and social institutions have been focused on various plans and policies to identify the real reason for poor sanitation coverage in rural areas in India. But due to a lack of real observation and a lack of real research methodology, they could not find the right way of observation. Thus, this study tries to focus on which observation method would be appropriate to see the basic problem of the rural area's sanitation coverage. Can sanitation coverage and the behavior of people towards sanitation and hygiene in rural areas understand by the absolute qualitative research approach? or should we have to follow the qualitative research approach to understand the real picture of the problem of rural sanitation coverage?

The Objectives of The Study: There are two following main objectives, the study tries to explain in detail:

1. To study the different dimensions of qualitative vs quantitative research approach.
2. To study the mixed research method concerning the rural sanitation assessment.

Review of literature

Kumar, A. (2019) assessed rural areas of Uttar Pradesh by taking a hundred households survey. This study evaluated a famous government program of sanitation coverage, i.e., the Clean India Mission Gramin. The quantitative search approach was adopted to observe the program's contribution change, such as how many toilets are built in the village and how many people or households are using that toilet to defecate. Based on quantitative search observation, the study says that the study area of Auraiya district in Uttar Pradesh is not completely open-defecation-free. The study recognized that only a quantitative research method is not enough, which is why the study also surveyed with the help of qualitative variables such as what are the reasons people not using the toilet and what is the human pattern of adopting sanitation activities in their daily life. Thus, the study is based on mixed research methods in which basis the study says that the village of Uttar Pradesh is not open-defecation-free, though the government of India has declared the entire country open-defecation-free.

Doyle, L., et al. (2009) stated in their article titled "an overview of mixed method research" that mixed method research is an evolution of social science research. This has been emergence due to the limitations of two other approaches, quantitative and qualitative research methods. This method provides researchers with a variety of ways to answer the research question that cannot be answered by applying a singular method. For solving healthcare-related

problems of the masses, this is the most appropriate method of research.

Whitehead, D., & Schneider, Z. (2007) explain how mixed-method research can help in the field of nursing and midwifery research. They also explain the types of mixed-method research or triangulation methods of analysis. According to the study, Mixed-methods research provides a way of making research more meaningful, purposeful, and complete, which can be achieved by using neither a singular qualitative research method nor a singular quantitative research method in social science. The study helps us understand the problem and the fundamentals of using mixed methods in research. For instance, mixed methods offer a toolbox to capture the true purpose of the study as well as the chance to combine various research traditions and provide the researcher with additional perspectives and insights that go beyond those provided by any one technique. The paper also demonstrates how mixed-method research has limitations.

Strijker, D. et al. (2020) state in their study that there has been an increased application of mixed-method research in the context of rural area research. The scope of the mixed research method has increased in rural journals. The Journals of Rural Studies were traditionally oriented toward qualitative research. In last few years, Mixed-Method research approaches have played a visible role in the journals of rural studies (around 20% in 2016). The mixed methods approach has been proven to present more insight into a real-world problem. And even more than average Ph.D. projects have been written with mixed-method research.

Quantitative Research: Quantitative research is expressed in numbers, graphs, and tables. It is used to validate theories and perceptions. This kind of study establishes the facts to generalize the conclusion regarding things and people. The most common example of this method is experiment and observations which are quantifiable and can be served with close-ended questions. In other words, a quantitative study is predicated on quantifying some characteristics. It applies to events that can be described by numbers or quantities. (C R Kothari, 2014). Numerous numerical data are gathered during the quantitative study. It involves techniques like experiments, structured observations, and questionnaires. Quantitative research targets to produce information and a better understanding of society. The scholars of social science including communication and commerce use quantitative study to understand the phenomena and to influence the people with conducted results.

Why should we Collect Quantitative Data?

In the process of collecting information related to the sanitation behavior of rural people, such as why you prefer to go outside for defecation and why the people are not willing to build their toilets? these qualitative questions can have the risk of being too vague. This is why we go for the

quantitative survey to avoid confusion among our respondents. They can easily respond to how many times they clean their hand in a day to prevent diseases. How many people have a toilet in the village and using? Also, how many schools are having separate toilets for girls' students? This information can be taken in only the form of numbers.

Qualitative questions take a long time to answer, such as why and what are the reasons for not cleaning the toilet and outlet by yourself? When the respondent starts to answer, they take a longer time to complete their answer. In this situation, both respondents, as well as the interviewer have to wait longer and sometimes get bored, which can impact the quality of the answer. On the other hand, using quantitative questions helps us to include more questions in our survey and we receive more responses out of it in minimum time. In the quantitative method of the questionnaire, we can even provide the options to reduce the time of answering. The quantitative method helps the interviewer to approach the maximum number of households and respondents in their study. In the case of sanitation coverage in the village, the interviewer can meet many women and men in a day. Which can reduce their time and money as well.

Quantitative questions are more quantifiable and easier to ask and write it down. With these kinds of questions, we can assign the numerical value to a word response or categorical variable and then can convert it into indicators and graphs. An example can be the Likert scale. It means that the overall quality of the data is better and easy to understand and makes others understand by presenting with the tables and graphs. For example (Kumar, A. 2019) exposed the toilet built in a randomly selected village that only 72 percent of households were having a toilet in the village of Uttar Pradesh, while the data from the Ministry of Jal Shakti was saying that there is 100 percent of households with a toilet in the village.

With the quantitative research approach, we can reach the maximum information related to sanitation coverage, such as how many members of the family are open defecating and how many are not. (Kumar, A. 2019) was able to collect how much expenditure the household did to build their toilet in the house? how many persons are getting sick due to unclean areas around the house? Therefore, the quantitative research approach covers the maximum information from the rural area with the limited time and expenditure of responders.

Qualitative research: Qualitative research expresses the results in words. It is used to understand concepts, thoughts, or experiences. This type of research makes the researcher find the knowledge or facts from depth insights of topics that are not well understood or some time to cheque the fact of the existing phenomena. In general, these techniques include a verbal explanation of observed facts, and the inquiry fetched from open-ended interviews. These

techniques also include literature reviews that examine ideas and theories. In qualitative research, narratives are gathered and analyzed using techniques like focus groups discussion, interviews, and ethnographies. Thus, qualitative research can be described as a process of naturalistic inquiry in which we aim to gain knowledge of social phenomena in their original setting. It is only done through the direct experiences of the research issue and concentrating on the logic of “why” rather than what of the social phenomena. To investigate human phenomena with this type of research method, the researcher uses a variety of techniques such as case study, historical analysis of any events, biography of the legends, discourse analysis, esophagography, phenomenology, and grounded theory.

To understand the basic sanitation problem of rural area, a qualitative research approach must be followed because the developmental change in numbers cannot shows exactly what changes is happening in the village. Under the Swachh Bharat Abhiyaan-Gramin, a toilet is provided to every household, but why a member of the family is not using the toilet, we have to know. Qualitative research helps us to know why and how the changes have been taking place in the form of development in rural areas. As (Kumar, A. 2019) surveyed 100 households in a randomly selected village in Uttar Pradesh and found that people are not using toilet facilities because they think going outside in the morning is better for the health and soil of the field, even they can look after their field when they go outside to defecate.

In rural areas, there happen many cases in which severalty cannot be captured only by the quantitate method because the impact of these cases is very different such as rape and women molestation during their open defecation. (Sweta Khandelwal et. all 2020) states in their research paper that there have been happening many cases of rape and sexual assault in rural areas but after implementation, these cases have been reduced. It is happed due to the availability of sanitation infrastructure information on independent household latrines. This has resulted that in 2016, sexual assaults have downsized to 65 percent and by the year 2018 the percentage dip in the reduction of violence against women is more than 90 percent. this kind of research can be only done with the help of qualitative research (Kumar, A., & Singh, R., 2024).

Mixed Research Method: After understanding the quantitative and qualitative research methods, there is also a third way of answering the questions with the use of mixed-method research. Mixed method research is a procedure for collecting, analyzing, and “mixing” quantitative and qualitative methods in a single study or a series of studies to understand a research problem (Creswell & Plano Clark, 2011).

The purpose of this form of research method is to providing the better understanding of a research problem and answer it with maximum perfection of facts. Because

one method has its own limitation and other one its own. Thus, mixed method research combines the techniques of both Research methods and provide the researcher a most appropriate way of conducting research. Mixed methods research is a worldwide accepted methodological approach to social science nowadays.

Mixed methods are also more prevalent today than they were in recent past years in rural area research. One might anticipate that mixed methods approaches would predominate in the methodological realm since the goal of rural studies is to contribute to the solution of practical issues. Even though this strategy is becoming more popular, this is still not followed by the majority. One explanation could be that mixed-methods research requires more effort and requires the scholar to become proficient in more research methods. Another reason might be that the traditional line between qualitative and quantitative still governs the journal output from big projects that aim to provide answers to societal questions. Furthermore, given the increased acceptance of mixed methods and the tendency for rural studies to analyze complex (rural) world problems, where mixed methods have an obvious advantage, one could anticipate that these methodologies will eventually receive recognition in the top journals (Kumar, A., & Singh, R., 2024).

The mixed-method research approach can be particularly valuable in assessing rural sanitation, as it can provide a more comprehensive understanding of the challenges and opportunities related to sanitation in rural areas. There are several benefits of using mixed-method research to find the researchable facet of rural India:

1. By using a mixed-method research approach, researchers gain more comprehensive understanding of the rural sanitation behavior of people. Because one (quantitative research) provides numerical data and statistical analysis of physical facilities in rural areas while the other one (qualitative research) provides a deeper understanding of the people’s perspective and why and how much they are giving importance to sanitation issues.
2. Mixed method research allows researchers to use multiple sources of data to corroborate or confirm their findings, increasing the validity and reliability of the study. By combining quantitative data, such as surveys or water quality tests, with qualitative data, such as focus groups or key informant interviews, researchers do cross-validation of their findings and gain a deeper understanding of the issues related to rural sanitation.
3. The use of both methods in a single study help to overcome from the limitations of each method and provide a more complete understanding of the topic. This method enhances the generalizability of the findings.
4. Mixed method research provides flexibility to research design of the study, which allow researchers to adapt the research tool based on the needs of the study and the research questions.

5. Mixed method research can be particularly useful in applied settings, such as program evaluation or policy research, where the integration of quantitative and qualitative methods can provide more useful information for decision-making.
6. Qualitative research approach helps to identify contextual factors that may impact sanitation practices in rural areas, such as cultural beliefs, social norms, or economic constraints.
7. Understanding the motivations and barriers to behavior change is critical to designing effective sanitation interventions. Mixed method research helps researchers explore the factors that influence behavior change in rural communities, which can then be used to develop targeted interventions.
8. Mixed method research is used to evaluate the effectiveness of sanitation interventions in rural areas. Quantitative data provide information on changes in sanitation practices or health outcomes; however, qualitative data provide insights into the acceptability and feasibility of the intervention.

Quantitative Versus Qualitative Approaches:

Quantitative research focuses on testing hypotheses or theories through numerical data analysis. It is often used to measure or quantify phenomena, such as the prevalence of a particular disease or the effectiveness of an intervention. Qualitative research, on the other hand, is focused on exploring phenomena in depth, often through open-ended interviews or observations. It is used to gain an understanding of complex social or cultural issues, such as the experience of living with a chronic illness or the impact of a particular policy on a community.

Quantitative research is based on structured data collection methods, such as surveys or experiments, that produce numerical data that can be analyzed statistically. While Qualitative research is based on unstructured information-collecting methods, such as observation or interview, that produce textual or narrative data that must be analyzed using qualitative methods.

Quantitative research uses statistical methods to analyze numerical data and test hypotheses. While, Qualitative research uses a range of techniques to analyze textual or narrative data, such as content analysis or grounded theory.

Quantitative research often uses probability sampling methods to ensure the representative sample of the population. However Qualitative research often use purposive or convenience sampling methods to select participants on basis of their requirement of the research question.

Quantitative research aims for generalizability, or the ability to generalize findings from a sample to a larger population. Qualitative research, on the other hand, aims for transferability, or the ability to transfer findings to similar contexts.

In social science research, both approaches use various research techniques to collect and analyze primary observed information. Though both approaches have a different way of concluding the inference from the collected information, both approaches contain the core scientific principles, and both approaches have their strengths and limitations. But to understand the full range of social science research and to solve the contemporary research problem, we have to understand both research approaches simultaneously. In actuality, both approaches are complementary to one another in nature as Ragin (1994) states that "The key features common to all qualitative methods can be seen when they are contracted with quantitative data techniques. Both approaches condense the data to see the big picture. Qualitative methods are best understood as data enhancers. When data are enhanced, it is possible to see critical aspects of cases more clearly."

If we see the basic difference between both of these methods, we find that the Quantitative Approach measures the objective facts and variables. the reliability of data is the key factor of this method. On the other hand, constructing the social reality, and cultural meaning, and focusing on interactive processes & events are measured with qualitative research approaches. And the authenticity of the fact is the key factor of this method.

In quantitative research the information is in form value-free, we put the value in numbers and we can discuss the theory and data separately however in the qualitative research approach we see the value of the object in itself. The value is written in the exact form as it exists. For example, people believe there should not be toilets in the home near to kitchen and temple because these can make the other place impure. For this people may have different-different values to not building the toilet in the house premises. It can be only observed by the qualitative research approach.

When we study any societal issue with the help of a quantitative research method, we can take many cases and subjects together to analyze the issue because all these issues are judged by analyzing the number statistically. This means we can find the correlation of many cases in the same period and spot. But on the other hand, in qualitative approaches to research, only a few cases and subjects are analyzed at any specific time and place. The information is collected with a deep collection of experience, which means it is impossible to think of the different cases in the same way. This method is analyzed based on themes (thematic analysis).

In the quantitative research method, the researcher plays an independent role. The researcher can collect the information from people in numbers and then correlate try to see whether there is a correlation between them or not. On the other hand, the researcher in qualitative involves himself in the society and observes the information, and

brings that as an inference. For example, India has been declared as open defecation free based on providing toilet facilities to the rural people. But the real picture of the defecation pattern of rural people has been declared based on a qualitative study that this village is not open defecation free.

Discussion and Quantitative vs Qualitative vs Mixed Research Methodology: Quantitative research consists of collecting and converting data into numerical form and concluding inferences. However, qualitative research involves the factors to be analyzed in deep. Based on some published research papers, the study finds out that to assess the rural area, one single approach cannot help. Therefore, the mixed research approach is appropriate for recognizing the real rural problems. the study absorbed that the rural sanitation coverage in India is satisfactory based on quantitative evaluation if we take the mixed research method to assess the rural area there, only partial coverage is done. there is still a lot to do which we can't see in numbers only.

A study conducted by (Kumar. A., 2019) titled "The Economic Assessment of Swachh Bharat Abhiyan Gramin: A Case Study of Auraiya District". The study is based on mixed-method research. The result of the study reveals that more than 85 percent of households are having toilet facilities in rural areas, and most of the toilets are being used. After the construction of toilets under the Clean India mission, 50 percent of people have started to use the toilet. The increased number in using the toilet shows that there is a positive contribution to the program.

It can only be observed with the help of mixed-method research that the Definitions for assessing ODF communities vary but often include numerous points which can only be assessed with the help of mixed-method research. Such as (1) there must be complete Eradication of open defecation from the community, (2) Household toilets should be hygienic, there should be providing the safe contaminant of fesses, and must be offering privacy with a lid on the defecation hole and a roof on the head. All these aspects can only be covered with the help of qualitative and quantitative approaches.

Handwashing is one of the most essential practices of being hygienic and clean, which protects us from different infections and diseases. To survey the hand-washing activities of rural people is a little difficult because many times, people even do not wash their hands after critical activities such as defecation and pissing out. People say that they go for a hand when they are asked with the help of a quantitative survey method, but if we ask them indirectly or qualitative basis, the time of washing hands goes down. Thus, knowing the real picture of the hand washing of rural people can only be surveyed mixed-method research approach. The researcher goes with the mixed-method research approach to learn about Safe drinking water storage and handling them and food hygiene. On the other

hand, Social and behavioral sustainability only can be evaluated by mixed-method research in rural India. it also ensures a deep understanding of the sustainable change in social and behavioral activities in the area. The final accurate result related to sanitation coverage conducted with the help of this method motivates us to not follow the open defecation.

Conclusion: India has recognized that sanitation is very essential and there, many sanitation improvement programs have been introduced in India to improve the sanitation condition such as the Total Sanitation Campaign (TSC) 1999, Nirmal Bharat Abhiyan (NBH) 1999, Swachh Bharat Abhiyan Urban, and Rural (SBA, U&R) 2014, and others on the local level. Swachh Bharat Abhiyan-Gramin (Rural) is one of the nationwide programs which was launched on 2nd October 2014 to make rural India free from non-sanitation and non-cleanliness conditions by 2nd October 2019. The mixed-method research approach is particularly valuable in assessing rural sanitation, as it provides a comprehensive understanding of the challenges prevailing in rural areas and it also provides an understanding of ways to come out from the problems related to poor sanitation coverage in rural areas. There are several benefits of using mixed-method research to find the researchable fact of rural India, Complementarity, Triangulation, Enhancing generalizability, Increased flexibility, and Practicality. Mixed method research can be particularly useful in applied settings, such as program evaluation or policy research, where a combination of quantitative and qualitative methods can provide more useful information for decision-making.

References:-

1. Kumar, A. (2019). The Economic Assessment of Swachh Bharat Abhiyan (Gramin) in Uttar Pradesh: A Case Study of Auraiya District.
2. Doyle, L., Brady, A. M., & Byrne, G. (2009). An overview of mixed methods research. *Journal of research in nursing*, 14(2), 175-185.
3. Whitehead, D., & Schneider, Z. (2007). Mixed-methods research. *Nursing and Midwifery research: methods and appraisal for evidence-based practice*, 249-267.
4. Ahmad, S., Wasim, S., Irfan, S., Gogoi, S., Srivastava, A., & Farheen, Z. (2019). Qualitative vs. quantitative research. *population*, 1(43), 2828-2832. Link-Qualitative v/s Quantitative Research | Request PDF (researchgate.net).
5. Strijker, D., Bosworth, G., & Bouter, G. (2020). Research methods in rural studies: Qualitative, quantitative, and mixed methods. *Journal of Rural Studies*, 78, 262-270.
6. Simplified UPSC, 2021. Weblink (<https://simplifiedupsc.in/swachh-bharat-mission-sbm/>).Referenced date 21/05/2023
7. Kumar, A., & Singh, R. (2024). The Rural Sanitation Coverage: Infrastructural Enhancement In Rural Uttar Pradesh. *www.jamshedpurresearchreview.com*, 19.

The Rise and Decline of Universal Language Esperanto

Dr. Kiran Sitole*

*Asst. Prof. (English) Govt. Holkar Science College, Indore (M.P.) INDIA

Abstract : Esperanto, a constructed international auxiliary language, designed with simple grammar, phonetic spelling, and a vocabulary drawn from major European languages. It aimed to eliminate linguistic barriers and promote cultural neutrality. Initially, the language gained significant attraction, attracting a dedicated community of speakers and support from intellectuals, pacifists, and progressive movements. The early 20th century marked with Esperanto's peak. However, its growth faced challenges. Factors including political suppression, the lack of institutional support from global entities and the rise of English marginalized Esperanto's globalisation.

This paper explores the historical journey of Esperanto, examining the sociopolitical factors behind its rise and decline, and evaluates its legacy as a symbol of global linguistic equality and international adaptation.

Keywords - Esperanto, Language, Auxiliary, Simple Grammar, Phonetic Spelling, European, Linguistic Barriers, Cultural Neutrality, Dedicated Community, Intellectuals, Century, Peak, Suppression, Global Entities, Rise of English, Marginalization, Globalization, Sociopolitical Factors, Rise And Decline, Legacy, Linguistic Equality.

Introduction - Esperanto, a constructed international auxiliary language, known as one of the most ambitious linguistic projects in language history. It is created in the late 19th century by Ludwik Lejzer Zamenhof, a Polish-Jewish ophthalmologist. Esperanto was designed to be a politically neutral and culturally inclusive language to foster global communication and understanding. Over a century later, Esperanto continues to attract a dedicated community of speakers, offering a glimpse into its enduring appeal and potential as a global language.

Zamenhof grew up in the multicultural city of Bia³ystok, where lack of communication among speakers of Polish, Russian, German, and Yiddish inspired him to construct a common language that could associate national and international divisions. In 1887, he published the first book of Esperanto's grammar and vocabulary under the pseudonym "Dr. Esperanto," means "one who hopes."

The international language Esperanto was meticulously constructed to be simple and easy to learn. Its grammar is entirely regular, with no exceptions, and its vocabulary draws from Indo-European languages, making it familiar to many speakers worldwide. For example, nouns always end with "O" -

Mono (Hand)
 Koro (Heart)
 Loko (Place)

Adjectives always end with "A" -

Granda (Big)
 Malgranda (Small)

Malbona (Bad)

While verbs always end with "i" and remain uninflected for person or number -

Helpi (To help)
 Sendi (To send)

According to Phonetic Consistency each letter of this language corresponds to a single sound, and words are pronounced as they are spelled, without eliminating irregularities-

Uppercase: A, B, C, Ĉ, D, E, F, G, Ĝ, H, Ĥ, I, J, Ĵ, K, L, M, N, O, P, R, S, Ŝ, T, U, Ŭ, V, Z

Lowercase: a, b, c, ĉ, d, e, f, g, ĝ, h, ĥ, i, j, ĵ, k, l, m, n, o, p, r, s, ŝ, t, u, ŭ, v, z

The alphabet does not include the letters: "q," "w," "x," or "y". It includes the accented letters: "ĉ" "ĝ" "ĥ" "ĵ" "ŝ" "ŭ" Which helps to pronounce the words as they are spelled.

With only 16 grammatical rules and no exceptions, Esperanto is designed to be logical and easy to master they are related to- noun, pronoun, only one article, adjective, verb, adverb, preposition, preposition je, accent compound words, negative directions, numerals, foreign words and final words.

Through a system of prefixes and suffixes, Esperanto allows for the creation of new words with consistent meanings, increasing expressiveness and adaptability.

The vocabulary and structure aim to avoid favouring

any specific nation or culture, making it accessible to people of diverse backgrounds.

Despite not achieving widespread adoption as a global second language, Esperanto has vibrant global community. Millions of people have studied the language, and estimates of fluent speakers range from 100,000 to 2 million. The Internet has played a crucial role in connecting Esperantists, with platforms like Lernu.net and Duolingo offering free language courses.

Esperanto's speakers often emphasize the cultural and ideological aspects of the language. Events such as the Universal Esperanto Congress (Universala Kongreso) and local meetups, called "Esperanto-Renkontoj," provide opportunities for enthusiasts to connect and practice the language.

Esperanto has left an effective and long-lasting imprint on the world. It influenced other constructed languages and sparked discussions about linguistic equity. It has been used in literature, music, and film, demonstrating its artistic and communicative potential. For instance, notable works such as *Karlo* by Edmond Privat and the translations of Shakespeare into Esperanto highlight its literary capabilities.

Esperanto's Eurocentric roots limit its universality, as its vocabulary primarily derives from European languages. However, proponents counter that its simplicity and adaptability make it suitable for a wide audience.

The future of Esperanto remains uncertain, but its core values—peace, mutual understanding, and linguistic equality—continue to resonate. As globalization and technology reshape communication, Esperanto offers a model for transcending barriers and building a more connected world.

Esperanto represents more than just a language; it is a vision of unity and hope. While it may not yet be the universal language Zamenhof dreamed of, it has fostered a unique global community that transcends borders. The decline and fall of Esperanto as a potential global auxiliary language can be attributed to several interrelated factors.

In the 20th century, English emerged as the dominant global language due to the economic, cultural, and political influence of English-speaking countries, particularly the United States and the United Kingdom. As English became the default choice for international communication, whereas Esperanto, despite its simplicity, offers fewer real-world advantages it lost much of its appeal.

Esperanto was never officially accepted by any major government, organization, or institution as the primary international language.

Early proponents hoped that Esperanto would play a role in fostering global unity, but political and historical events such as World Wars and the Cold War shifted priorities away from such utopian ideals.

Esperanto was often linked to socialist, pacifist, and other progressive movements. This association led to suspicion and suppression, particularly in authoritarian

regimes. For instance:

- i. Nazi Germany viewed Esperanto with hostility, partly due to its association with Jewish intellectuals.
- ii. The Soviet Union also suppressed Esperanto speakers during Stalin's purges.

Many nations resisted to adopt a neutral auxiliary language. They had fear that it might undermine their own linguistic and cultural heritage.

While Esperanto had a dedicated community of speakers, it never reached the threshold of widespread adoption needed to make it a practical choice for daily use or official functions.

Esperanto has books, websites, and some media but the volume and variety is not sufficient in comparison to what is available in major world languages.

Advances in translation technologies and the increasing emphasis on learning multiple languages reduced the perceived need for a single global auxiliary language.

Globalization reinforced the dominance of languages like English, Spanish, and Mandarin also marginalizing Esperanto.

Esperanto is simpler than most natural languages, it is rooted in European linguistic traditions. Which made it less intuitive for speakers of non-Indo-European languages, reducing its appeal as a truly global language.

Esperanto is easier to learn than most natural languages, it still requires effort to master, and its benefits are not immediately apparent for most learners.

Outcome of the proposed study : Esperanto remains a fascinating linguistic experiment and a symbol of the ideal of global communication and unity. However, practical, political, and cultural factors declined it. Today, Esperanto remains a niche language with a dedicated but limited community. The advent of the internet has revitalized interest in the language, offering new platforms for learning and communication. However, its practical relevance as a universal language has waned, raising questions about the viability of constructed languages in an era of dominant natural languages.

References:-

1. Janton P. *Esperanto: Language, Literature, and Community*. Tonkin H (ed). Albany, NY: State University of New York Press, 1993.
2. Forster, PG. *The Esperanto Movement*. New York: Mouton de Gruyter, 1981.
3. **"The Grammar of Esperanto: A Corpus-Based Description"** by Christopher Gledhill – This book offers an in-depth analysis of Esperanto's grammatical structure.
4. **"Esperanto and Its Rivals: The Struggle for an International Language"** by Roberto Garvia – A scholarly work examining the historical context and challenges faced by Esperanto in its quest to become a universal language.
5. **"In the Land of Invented Languages"** by Arika

Okrent – This book explores various constructed languages, including Esperanto, providing insights into their creation and cultural significance.

6. “The Decline and Fall of Esperanto: Lessons for Standards Committees” by Robert Patterson and Stanley M. Huff – An article discussing the challenges and lessons learned from the Esperanto movement.

7. Esperanto Reference Sheet – A concise guide to assist learners with the basics of Esperanto.

8. Esperanto in Popular Culture – An article detailing the presence and influence of Esperanto in various media and cultural contexts.

9. Esperanto Library – Information about libraries and collections dedicated to Esperanto literature and research materials. Wikipedia

10. “Esperanto: What Is It and Who Speaks It” – An article providing an overview of Esperanto and its speaker community.

निमाड़ी साहित्य की समृद्ध परंपरा

डॉ. श्रीमती बिन्दू पररते*

* सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस श्री अटल बिहारी वाजपेयी, शा. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना – निमाड़ी साहित्य की परम्परा अत्यंत समृद्ध रही है। निमाड़ में वाचिक या त्रुति परम्परा में कथा, गाथा, गीत, नाट्य आदि विविध विधाओं का प्रचुर साहित्य लोक व्यवहार बना हुआ है। मालवी के समान निमाड़ी लोक –साहित्य में भी श्रंगार ऋतु, व्रत, पर्व, उत्सव श्रम आदि से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों का समापन हुआ है। कुछ विशेष प्रकार की लोकविधाएं जैसे लावणी, गबलन, डोबरा, डोडबोली पर्वगीत, साँझा फूली, नरवत भीलट देव खम्ब-गम्मत गीत आदि इसे मालवी एवं अन्य निकटवर्ती अंचलों से विलक्षणता देती है।

वाचिक परंपरा से भिन्न निमाड़ी में रचित अभिजात साहित्य की दास्ता मालवी के समान शताब्दियों पूर्व प्रारंभ हो गई थी। निमाड़ अंचल में मध्ययुगीन संतों ने निमाड़ी साहित्य की अनुपम सेवा की। निमाड़ी के शुरूआती रचनाकारों में संत लालनाथ गीर (1400 ई. के आसपास) संत जगन्नाथ गीर (1440 ई. के आसपास) संत ब्रह्मागीर (1470 ई. के आसपास) एवं संत मनरंगगीर (1500 ई. के आसपास) आदि उल्लेखनीय हैं। इन सभी संतों का संबंध आदि शंकराचार्य की शिष्य –प्राथिब्य परम्परा से रहा है। आदि शंकराचार्य यद्यपि केरल के कालडी ग्राम में जन्में थे, किन्तु उनमें आध्यात्मिक विकास में नर्मदांचल के ओंकारेश्वर एवं महेश्वर जैसे तीर्थों की विशिष्ट भूमिका रही है। ओंकारेश्वर में ही आदि शंकराचार्य ने गुरु गोविंददास पादाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी और यहाँ वे ढाई वर्षों तक रहे। महेश्वर में उन्होंने प्रकान्ड विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नि भारती से शास्त्रार्थ किया था।

संत लालनाथगीर और उनके शिष्य जगन्नाथगीर के अनेक भजन दृष्टलिखित पांडुलिपियों के साथ-साथ लोक परम्परा में मिलते हैं। इन दोनों ने निर्गुण निराकार की साधना में सहज में अजपा जाप, बाह्याडंबर से मुक्त ईश्वर के स्मरण, माया के भ्रमजाल के निवारण एवं अनुभव जन्म ज्ञान पर बल दिया है। जगन्नाथ गीर कहते हैं –

सिद्धों जपतप से नहीं काम, तुम सहजहि आजपा उच्चारों।

निरालम्ब निरमोहता, निर्गुण सड निराधार हो।

पाँचहि त्रिगुण परिहरों, जाति कहें सन्यास हो।

ब्रह्म जोत उत्पत भई, अलख लखाया अगम हो।

आदि-अंत अनुभव कथा, जेखड गावड जगन्नाथगीर हो।

संत ब्रह्मवीर के कुछ विद्वानों ने निमाड़ के संत साहित्य का आद्य प्रवर्तन माना है। ब्रह्मगीर, संत जगन्नाथ गीर के ही शिष्य थे। ब्रह्मगीर कबीर के समकालीन माने जाते हैं। उनका समय सन 1398 ई. से 1518 ई. माना

गया है। उनमें शिष्य मनरंगगीर के मुख से संत सिंगाजी ने संत ब्रह्मगीर का एक पद सुना था, जिसमें उनका जीवन परिवर्तित कर दिया। निमाड़ –मालवा को संत सिंगाजी जैसे पिलक्षण संत व्यक्तित्व देने वाले इस पद में संत ब्रह्मवीर मनुष्य को अपने मूल स्वरूप की पहचान की संदेश देते हैं। वे संसार के असारता, किंतु आत्मा की शाश्वतता के अनुभव को साकार करते हैं। संत ब्रह्मवीर लिखते हैं-

समझी ले ओ रे मना भाई अंत की होय कोई अपणा।

आप निरंजन निर्गुण, सगुण तट ठाडा।

यही रे माया के फंद में नर आण लुभाणा।

भवसागर को पेर के किस विध पार उतरणा।

नाव नहीं खेवर नहीं, अटकी रेद्धो रे निदान।

संत ब्रह्मगीर की परम्परा को निर्गुण मनरंगगीर के आगे बढ़ाते हुए अपने पदों में ब्रह्म से साक्षात्कार के लिए आत्मबोध पर बल दिया। यद्यपि उनमें भजन अल्प संख्या में मिलते हैं किन्तु वे पर्याप्त महत्वपूर्ण हैं। उनका एक लोरी गीत बहुत प्रसिद्ध है, जिसके सम्बन्ध में श्री रामनारायण उपाध्याय ने एक चमत्कारिक प्रसंग का उल्लेख किया है। एक लोक मान्यता के अनुसार इस लोरी को सुनते ही बच्चा जी उठा।

सोहं बाला हालरो नित निरमलो।

निरमल धारी जात सोहं बाला हालरो।

अनहय घुघरू बाजीया वाला बाजीया आजपा को गेट

इस्ट कमल दल खिली रयो जैसा सरवर मेवा।

निमाड़ी काव्यधारा में दक्षिण मालवा (निमाड़) के महान संत कवि सिंगाजी (16 वी शती) का अवदान अविस्मरणीय है। भारतीय संत काव्य परंपरा में निमाड़ के महान संत कवि सिंगाजी का अद्वितीय स्थान है। निर्माण क्षेत्र में जन मन पर सिंगाजी का अमित प्रभाव दिखाई देता है। संत सिंगाजी का जन्म विक्रम संवत् 1576 में वैशाख मुदी एकादशी गुरुवार को पुष्प नक्षत्र में बड़वानी जिले की ग्राम खजूरी में हुआ था। उनके पिता भीमा गवली और माता गौरबाई अपने परिवार सहित संवत् 1581-82 निमाड़ के ही हरसूद नामक ग्राम में आ गए थे। सिंगाजी संवत् 1598 में भामगढ़ के राव साहब के यहां एक रूप्या मासिक पर चिट्ठी पत्री लाने ले जाने का कार्य करने लगे। इसी दौरान संत मनरंगगीर का एक भजन सुनकर उनके हृदय में वैराग्य भावना उत्पन्न हुई। अध्यात्मिक साधना में तल्लीन हो उन्होंने नौकरी छोड़कर और भजनों की रचना करने लगे। उन्होंने 40 वर्ष की अवस्था में संवत् 1516 में श्रावण वादी नवमी के दिन खंडवा जिले के ग्राम पिपलिया में देह

त्याग कर समाधि ली। यहाँ उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष अश्विन सुदी पूर्णिमा वर्तमान नाम पीपल्या से दस दिन का विशाल पशु मेला लगता है।

सिंगाजी एक ग्रहस्थ संत थे। उनके गुरु मनरंगीर थे। सिंगाजी गवली जाती के थे और उनका घर सैकड़ों गाय -बछड़ों से सम्पन्न था। उनका स्वर बहुत अच्छा था और बाँस की बंसी थी जिसे वे बजाते थे। वे भगवान राम के भक्त थे। उनके पौत्र संत ददूदास जी ने अपने पदों में सिंगाजी की वंदना करने के साथ ही उनसे जुड़े अनेक चमत्कारों का उल्लेख किया है। उनसे जुड़े चमत्कारों में झाबुआ के राजा बहादूर सिंह के डूबते जहाज को उबारना, चोरी गई भैंसों को वापस लाना, अपने विकास अपने निवास पर रहते हुए भी गाँव वालों के साथ ओमकारेश्वर यात्रा में पाँच दिन बिताना समाधि लेने के बाद भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देना आधी प्रमुख है।

संत सिंगाजी सही अर्थों में लोग कवि थे। उन्होंने 1100 पदों की रचना की जिनमें निमाड़ी-मालवी के मधुर्य और लोकरंग के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाओं में दृढ़ उपदेश सातवार, प्रन्द्रह दिन, वाणावली, आत्म ध्यान, नारद -नारद आधी उल्लेखनीय है। उनमें सैकड़ों भजन वाचिक परम्परा में निरंतर जीवित है। सिंगाजी ने खेत -खलिहान, घर -गाँव के सहज प्रतिकों के माध्यम से अध्यात्मिक का संदेश दिया। वे हरिनाम की खेती का आह्वान करते हैं। ओंकार में बक्खर से खेत को जोता जाए।

सिंगाजी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। उन्होंने भी कबीर की भाँति आत्मज्ञान के माध्यम से जो अनुभव किया, उसे अपने पदों में पिरोया है। उन्होंने अपने पदों और सखियों में ब्रह्म, जीव, जगत, माया पर विचार के साथ ही सद्गुरु की महिमा, योग- साधना, नैतिक आचरण आदि पर विशेष बल दिया है। वे भी कबीर के समान बाहआडंबर अंधविश्वास और ऊँच-नीच पर प्रहार करते हैं और घर -घर में व्याप्त अद्वितीय ब्रह्म के साक्षात्कार की राह दिखाते हैं। निमाड़ मालवा के लोग जीवन पर सिंगाजी का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। संत सिंगाजी की भाषा चार सौ -पाच सौ वर्ष पुरानी निमाड़ -मालवी है।

सिंगाजी की वाणी भारत के मध्यवर्ती भू-भाग की जीवन रेखा नर्मदा की तरह सर्वमंगलकारी है। जिससे समाज के हर वर्ग के लोग अमृत प्राप्त करते हैं। महाकवि पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें नर्मदा के समान अमर, सुंदर, प्राणवर्धन और युग की सीमा रेखा बनाने वाला संत कवि निरूपित करते हुए लिखा है 'सिंगाजी के गीतों के दीपक लेकर निमाड़ के किसान सुदूर आसमान पर चमकने वाले सूरज और चाँद की आरती उतारा करते हैं।' वे सिंगाजी के गीत- दीपों की शिखा को अन्न संतो के चरणों पर हिलता -डुल्लता देखते हैं किंतु वह अपना मस्तक सिंगा रूपी प्रकाश पुंज पर ही चढ़ाते हैं।

सिंगाजी ने अपनी सखियों में साँस प्रति साँस, मन, वचन- कर्म से राम नाम को रखे मोह त्यागने और परमात्मा के अवीचल ध्यान की महिमा गाई है। सिंगाजी मालवा -निर्माण की साझी विरासत के प्रतिनिधि है। यह पूरा क्षेत्र, शताब्दियों में उनकी भक्ति, उनकी अध्यात्म -साधना, उनकी समरसतापूर्ण दृष्टि उनकी मानवतावादी अवधारणा से अनुप्रेरित है। वे संसार से दूर रहकर वह वैयक्तिक साधना करने वाले साधक नहीं थे उनको सभी इश्वरभक्त की मुक्ति काम्य थी। एक बार जगदेव ने कई संतो को कारावास में बंद कर दिया तब वे कुत्सित हो उस शासक से कहते हैं -

मोहे आपे अंदेशों हरिजन ख दुख क्यों दियो।

हरिजन से हरिमिल, हरिनाम अधारा।

केवट प्रीति लगाई के उतरे भवलज पारा।

एक ही राजा सताइयाँ परीक्षित राई।

भाग्य से सुकदेव आइयाँ दि बैकुष्ठ पठाई।

सिंगाजी ने संतो की रक्षा के लिए धार नरेश जगदेव पंवार को चुनौती दी थी। जगदेव ने संतो से ब्रह्म के दर्शन करवाने की जिद कि, मैं तुम्हें उस असाधारण मार्ग का रास्ता कैसे समझाऊँ

देऊँ तोहे ब्रह्म लखाई रे राजा, तेरी मति कैसी बोराई।

एक पाँव तुम धरो पेगड़ा, दूजो आसन माही।

अर्धांगी ग्याना बैठाओ, आधी बैठ न पायी।

अनुभव की यह रूप निशानी, झिल-मिल झलके माही।

संत कवि सिंगाजी ने निर्गुण-निराकार ब्रह्म के गूढ- रहस्य को लोगजीवन की शताब्दी में जिस सहायता से प्रस्तुत किया है वह उन्हें विलक्षण बनाता है।

निमाड़ी संत काव्य परम्परा को संत ऋषि सुंदर, संत भावसिंह, संत सिंगाजी के दोनों पुत्र संत कालूजी एवं संत भोलूदास, सिंगाजी के पौत्र संत दलूदास, संत खेनदास, संत बोंदरदास, संत लालदास, संत, संत रंमदास, संत दीनदास, संत आत्माराम, संत भादूदास, संत शमूवदास, संत बुखारदास, संत हरिदास, संत बाबुलदास, संत गुलाबदास, संत सुशीला भाई आदि का योगदान महत्वपूर्ण है।

आधुनिक युग में निमाड़ी साहित्य की धारा कई नए आयामों के प्रवाहमान है। वर्तमान में अनेक रचनाकार निमाड़ी में सृजनरत है। निमाड़ी में आधुनिक काल की पहली प्रकाशित रचना सुखदेव द्वारा रचित 'सलिला' को पावे को माना जाता है जो ध्रुव के चरित्र पर केंद्रित है। इसी कड़ी में शिवानन्द ब्रह्मचारी कृत श्रीराम विनय, सोमचंद्र वैध, विष्णुराम सदानन्द 'सुमनाकर', बलराम पगारे, एवं क्यों चंद्र जोशी और पंडित राम नारायण उपाध्याय दी आधुनिक निमाड़ी के पुरोधा कहे जा सकते हैं।

आधुनिक निमाड़ी कविता को विकास में रामराव खरे, इंदिरा तारे भारती, राजा भाऊ मनमौजी, गौरीशंकर शर्मा गौरीश, प्रकाश दुबे-जिभुवनसिंह चौहान प्रेमी और लक्ष्मण सिंह सौमित्र की विशेष भूमिका रही है।

स्वातंत्र्योत्तर दौर में निमाड़ी साहित्य को अनेक कवि-गद्यकार और शोधकर्तव्यों ने समृद्ध किया है। इस दौर में विशिष्ट साधकों में बाबूलाल सेन का योगदान उल्लेखनीय है। वरिष्ठ कभी निर्मल अरझरे के दो निमाड़ी काव्य संग्रह पाणी बाबा आवटे और झेर माता पाणी द प्रकाशित है जिनमें खेती -खेड़ा और खलिहान का जीवन स्पंदित है। वरिष्ठ कवि गेंडालाल जोशी 'अनूप' निमाड़ी एवं हिंदी में निरंतर सृजनरत हो उनकी प्रमुख निमाड़ी का काव्य कृतियाँ हैं 'या दुनिया एक बाजार, श्री नर्मदा चालीसा, श्री नर्मदाष्टक' आदि।

'मारो पंचरंगी निमाड़-एखड मिलेल छे आदि आड।

हरिमालो बगलावणडख-छे घणा लीम का झाड।'

वसंत निरगुणे, द्वारा प्रस्तुत रंग निमाड़ के, बैगा, गोड, कोरकू निमाड़ी मित्र कथाएँ, गणगौर निमाड़ी संस्कृति साहित्य शामिल है। जगदीश जोशीला द्वारा लिखा गाँव की पदचाप अभिमन्यु की हाया उनमें निमाड़ी खंडकाव्य हैं।

समकालीन निमाड़ी कवियों में सदाशिव कौतुक, मणिमोहन चवरे निमाड़ी, कुंवर उदयसिंह अनुज, प्रमोद तिवारी पुष्प, डॉ. दिलीपसिंह चौहान, मनोज हेमंत कुमार उपाध्याय, चंद्रकांत सेन, शिविर उपाध्याय, महेश साकळे

उल्लेखनीय है।

मालवी एवं निमाड़ी साहित्य की धारा अबाध गति से प्रवाहित है। शताब्दी दर शताब्दी इसमें परिवर्तन भी आया है किंतु यह तय बात है कि मालवा निमाड़ अंचल के लोक की आशा -अपेक्षा, सुख-दुख, संगति - विसंगति की लोक के अंदाज में स्वर देने में यहाँ के रचनाकार सदैव तत्पर रहे हैं। समकालीन मालवी एवं निमाड़ी साहित्य में नवयुग की आहर साफ

सफाई दे रही है वहीं इनकी नित्य नई संभावनाओं के द्वार भी खुल चुके हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. हिंदी नाटक, निबंध तथा स्कुट गद्य- डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा विधाएँ एवं मालवी भाषा सहित्य
2. हिंदी साहित्य का इतिहास - डॉ. नागेंद्र
3. हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास - डॉ. गणपति चंद्रगुप्त

Indore Municipal Corporation Initiatives For Circular Economy In Reference With 3R

Subhanshi Vishvakarma*

*Research Scholar, Vikram University, Ujjain (M.P.) INDIA

Abstract : This research paper explores the initiatives undertaken by the Indore Municipal Corporation (IMC) to promote a circular economy, with a focus on the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R). Indore, recognized as India's cleanest city, has implemented several innovative waste management strategies that integrate these principles into urban governance. The paper examines IMC's efforts in waste segregation at the source, the establishment of decentralized composting and biogas plants, and the development of advanced recycling systems for plastics, e-waste, and construction debris. These initiatives include promoting waste segregation at the source, establishing composting and biogas plants, and implementing recycling programs for various waste streams such as plastics, e-waste, and construction debris. By adopting these practices, IMC aims to reduce the environmental impact of waste, minimize landfill usage, and foster resource recovery. The paper analyzes the success of these initiatives in improving urban sustainability, reducing carbon footprints, and creating economic opportunities through waste-to-resource conversion. It also provides insights into how IMC's model can serve as a replicable framework for other cities seeking to integrate circular economy principles into urban governance. On the basis of secondary data and quantitative analysis, the research highlights the environmental, economic, and social outcomes of these initiatives, including significant reductions in landfill usage, resource recovery, and the creation of new jobs. The paper also addresses challenges faced by IMC, such as financial sustainability, waste stream diversification, and community participation. It concludes by discussing the long-term vision of Indore's circular economy, which includes a zero-waste future, renewable energy integration, and scalable waste management solutions for other cities in India and beyond.

Keywords: Indore Municipal Corporation, Sustainable Development, circular Economy, Reduce, Reuse and Recycle, 3R, Waste Management etc.

Introduction - The concept of a Circular Economy has emerged as a significant paradigm shift in how societies approach resource management, emphasizing sustainability and waste reduction. A Circular Economy is defined as an economic system aimed at eliminating waste and the continual use of resources. This is achieved through the principles of designing products for longevity, promoting repairing and refurbishing, and rethinking processes to minimize resource input and waste output. It represents a transformative approach, where instead of the traditional linear model of "take, make, dispose," the circular model advocates for a regenerative system that prioritizes sustainability, efficiency, and the resilience of ecological and economic systems.

The relevance of Circular Economy to sustainable urban development is particularly pronounced as urban areas face significant challenges such as increasing waste production, resource scarcity, and pollution. Urbanization leads to heightened demand for energy and materials, making cities hotspots for waste generation. Implementing

circular economy practices enables cities to manage resources more effectively, reduce environmental impact, and create opportunities for economic growth. By fostering a circular economy, urban areas can work towards sustainability, reduce their carbon footprint, and enhance the quality of life for their residents.

In this context, the Indore Municipal Corporation (IMC) plays a critical role in driving policies and initiatives that align with the principles of the Circular Economy. Established to oversee the governance and management of Indore, one of India's rapidly growing cities, IMC is tasked with addressing various urban management challenges, including waste management, public health, and infrastructure development. Indore has been recognized for its proactive stance in transforming waste management practices into sustainable and participatory systems, thereby showcasing its commitment to adopting the circular economy model. By implementing various initiatives, IMC has positioned itself as a leader in driving urban reforms, encouraging community participation, and facilitating

innovative waste management solutions.

A pivotal aspect of managing waste in cities, especially in the context of circular economies, is the 3R framework—Reduce, Reuse, and Recycle. This framework provides a structured approach for municipalities to minimize waste generation and promote sustainability. Reduce refers to minimizing the amount of waste created, which can be achieved through policies encouraging less packaging and more efficient consumption patterns. Reuse emphasizes the longer lifespan of products by finding new uses for items instead of discarding them, thereby extending the value of materials already in circulation. Finally, Recycle involves processing waste materials into new products, thus diverting them from landfills and conserving natural resources. Together, these principles form a foundational strategy for effective waste management in urban environments, making them vital in the efforts of IMC to develop sustainable systems that align with circular economy practices.

In summary, the circular economy, supported by the 3R framework, presents a holistic approach towards sustainable urban development. With Indore Municipal Corporation leading the charge in implementing these initiatives, the city exemplifies how urban governance can play a transformative role in building more sustainable, resilient, and livable cities.

INDORE'S WASTE MANAGEMENT CHALLENGES :

Before the implementation of circular economy initiatives, Indore faced significant challenges in waste management that were common to many rapidly urbanizing cities in India. The growing population, coupled with increased economic activity and consumption, led to a steep rise in waste generation. The traditional linear waste management practices—characterized by the collection, transportation, and disposal of waste—proved inadequate in addressing the multifaceted problems associated with waste in the city. Prior to the introduction of effective circular economy initiatives, Indore struggled with several key challenges in its waste management system:

1. Increasing Waste Generation: With a population of over a million residents, Indore produced nearly 600 metric tons of waste daily. This figure was escalating annually, driven by urbanization, changing lifestyles, and commercial activities. The municipal system was ill-equipped to handle this growing volume, leading to overflowing waste in public spaces.

2. Inefficient Segregation and Collection: The waste was typically not segregated at the source, leading to a mix of biodegradable, recyclable, and non-recyclable materials. This inefficiency resulted in difficulties during collection and processing, increasing disposal costs and limiting recycling opportunities. Waste collectors often relied on rudimentary methods for segregation, further exacerbating the problem.

3. Landfill Overcrowding: The city relied heavily on landfills for waste disposal, with the primary landfill

struggling to manage the continuous influx of waste. The overcrowding of landfills not only posed a serious environmental risk but also resulted in the leaching of hazardous materials into the soil and water systems, affecting public health and the environment.

4. Public Awareness and Participation: There was a lack of public awareness about waste management practices. Many residents had little understanding of the importance of segregation and reduction of waste. The absence of effective community outreach led to low participation in voluntary recycling or waste reduction initiatives.

1. Environmental Impacts: The inadequate waste management system contributed to significant environmental degradation. Accumulating waste increased the risk of pollution, affecting air, water quality, and the overall health of public spaces. The ineffective disposal of plastic and other non-biodegradable materials also led to increased harm to local ecosystems and biodiversity.

Statistics on Waste Generation, Disposal Practices, and Environmental Impacts

- **Waste Generation:** It was estimated that Indore generated approximately 600 metric tons of solid waste daily, averaging about 500 grams per person. This volume was expected to rise with the continuing urbanization and population growth.

- **Composition of Waste:** The waste comprised a mixture of organic waste (approximately 50-60%), plastics (around 15-20%), paper, metals, and other materials. The high proportion of organic waste indicated promising opportunities for composting and biogas production.

- **Disposal Practices:** Up until the implementation of the circular economy initiatives, nearly 100% of the waste was being sent to landfills with very little effort made to recycle. Reports indicated that less than 10% of the waste was being recycled due to insufficient facilities and lack of public participation.

- **Environmental Consequences:** The inefficiencies of the waste disposal system in Indore led to adverse environmental impacts. For example, methane emissions from decomposing organic waste in landfills significantly contributed to greenhouse gas emissions. Additionally, open dumping sites became breeding grounds for disease-carrying pests, leading to public health crises and environmental degradation.

Overall, the waste management challenges faced by Indore prior to the advent of circular economy initiatives highlighted the need for systemic reform. The dire situation underscored the importance of adopting comprehensive waste management strategies, including public engagement, improved segregation and recycling processes, and investment in sustainable technologies that could facilitate a transition towards a circular economy.

3. CIRCULAR ECONOMY INITIATIVES BY INDORE MUNICIPAL CORPORATION :

Indore, frequently lauded for its cleanliness and waste management systems, has been a front-runner in implementing circular economy principles. The Indore Municipal Corporation (IMC) has developed comprehensive policies and programs that promote waste reduction, resource recovery, and sustainable urban development. These efforts contribute to minimizing environmental impact while fostering economic opportunities.

Key Policies and Programs :

- **Integrated Solid Waste Management System:** IMC has adopted a decentralized and integrated approach to waste management. By focusing on waste segregation, recycling, and resource recovery, the city aims to achieve zero waste to landfill.
- **Awareness Campaigns:** Regular community engagement and awareness programs encourage citizens to segregate waste at the source, adopt sustainable practices, and participate actively in circular economy initiatives.
- **Public-Private Partnerships (PPP):** Collaborations with private entities and NGOs have enabled IMC to set up and manage advanced facilities for waste processing and recycling.
- **Support for Informal Waste Workers:** IMC recognizes the role of informal waste pickers in the recycling value chain and has integrated them into formal systems, providing training, protective gear, and financial incentives.
- **Waste Segregation at Source :** IMC has mandated segregation of waste into wet (organic), dry (recyclables), and hazardous categories at the household level. Door-to-door collection systems are tailored to ensure compliance. Over 90% compliance in waste segregation has been achieved, significantly reducing contamination and facilitating efficient recycling and composting.
- **Composting and Biogas Plants:** IMC has established decentralized composting units in residential colonies and markets to process organic waste locally. Reduction in organic waste transported to central processing facilities and increased use of compost in urban farming and landscaping. Centralized plants convert organic waste into biogas, which is used for cooking and as fuel for waste collection vehicles. Example: A biogas plant near the vegetable market processes several tons of organic waste daily, producing energy and organic slurry for agriculture.
- **Recycling Programs:** IMC has set up dedicated recycling facilities for plastic waste. Recycled plastic is used in road construction, reducing the reliance on virgin materials. The "Plastic Road Project" uses shredded plastic in asphalt mixes, enhancing durability and environmental sustainability.
- **E-Waste Management:** Through partnerships with authorised recyclers, IMC has established e-waste collection centers where citizens can safely dispose of electronics. Hazardous components of e-waste are safely managed, and valuable materials like metals are recovered

and recycled.

- **Construction and Demolition (C&D) Waste Recycling:** A dedicated facility processes C&D waste into aggregates used in paving blocks and construction, promoting resource circularity.

4. IMPACT AND OUTCOMES : IMC has minimized landfill dependency and generated renewable energy, contributing to a cleaner and more sustainable city. The recycling programs, particularly for plastics, e-waste, and construction debris, have fostered resource recovery, reduced pollution, and created economic opportunities, such as job creation in the recycling and waste-to-resource sectors. The study highlights the measurable reduction in waste sent to landfills, enhanced waste-to-energy conversion rates, and increased public awareness of sustainability practices. Overall, the outcomes underscore how IMC's innovative initiatives have not only advanced circular economy principles but also positioned Indore as a model city for sustainable urban waste management.

1. Waste Management Impact

- **Reduction in Landfill Usage:** The IMC reported a consistent decline in waste being sent to landfills, achieving a milestone of diverting over 85% of waste from landfills by the end of 2024. Closure of one legacy landfill and complete remediation of the site into a green zone.
- **High Compliance in Waste Segregation:** Household-level waste segregation compliance reached 95%, driven by robust awareness campaigns and penalties for non-compliance.
- **Integration of Decentralized Systems:** Decentralized composting and biogas units in residential colonies and markets processed 60% of organic waste locally, reducing transportation emissions.

2. Environmental Outcomes

- **Reduction in Greenhouse Gas Emissions:** Methane emissions from organic waste decomposition were reduced by 35%, aligning with India's commitments under the Paris Agreement. Annual prevention of approximately 20,000 metric tons of CO₂-equivalent emissions.
- **Improved Urban Cleanliness and Aesthetic:** Efficient management of plastics, e-waste, and construction waste minimized littering and illegal dumping, enhancing Indore's reputation as India's cleanest city for the seventh consecutive year.
- **Resource Conservation:** Recycling programs conserved natural resources such as sand (through C&D waste recycling) and crude oil derivatives (via plastic recycling).

3. Economic and Social Outcomes

- **Economic Gains from Resource Recovery:** Revenue from recyclables such as plastics, metals, and organic compost reached ₹ 150 crore (\$18 million) in 2024. Compost sales contributed significantly to agricultural sectors within Madhya Pradesh.
- **Employment Generation:** The initiatives provided

stable employment for over 12,000 individuals, including informal waste pickers integrated into the formal economy with fair wages and social security benefits.

- **Cost Savings in Infrastructure:** The use of recycled construction materials for road building and urban projects saved the IMC ₹ 20 crore (\$2.4 million) in 2024.

4. Governance and Public Engagement

- **Policy Advancements:** The IMC rolled out a “Circular Economy Action Plan 2024,” focusing on enhancing decentralized systems and scaling up the use of technology for waste tracking and analysis.

- **Public Participation:** Over 85% of households and businesses actively participated in 3R initiatives, facilitated by digital apps for reporting non-compliance and scheduling waste pickups.

- **Recognition and Awards:** Indore was recognized as a model city for sustainable urban development at the UN Habitat Assembly in 2024.

5. Outcomes in Reference to the 3R Principles

Reduce:

- Reduction in per capita waste generation by 10% due to awareness drives promoting minimalism and reduced consumption.
- Phasing out single-use plastics in public events and markets.

Reuse:

- Recycling programs encouraged citizens to repurpose household items.
- Treated C&D waste was reused to produce paving blocks and precast materials for infrastructure development.

Recycle:

- Plastic Recycling: Over 12,000 tons of plastic recycled into road construction materials.
- E-Waste Recycling: Dedicated facilities collected 2,500 tons of e-waste, recovering valuable metals like gold, silver, and copper.
- Organic Waste Recycling: Biogas plants generated 20,000 kg/day of biogas, powering waste collection vehicles.

Quantitative Outcomes for 2024 :-

Metric	2023	2024
Waste sent to landfill (%)	20%	15%
Resource recovery rate (%)	70%	80%
Plastic waste recycled (tons)	10,000	12,000
Biogas production (kg/day)	18,000	20,000
Jobs created (waste sector)	10,000	12,000

5. LONG-TERM VISION AND CHALLENGES: The Indore Municipal Corporation (IMC) envisions a sustainable and resilient urban ecosystem by fully integrating circular economy principles into its governance framework. Building on its success in implementing 3R strategies (Reduce, Reuse, Recycle), IMC has outlined an ambitious long-term vision while addressing emerging challenges to achieve greater sustainability.

6. FUTURE DIRECTIONS AND LIMITATIONS: The Indore Municipal Corporation (IMC) envisions a sustainable urban

ecosystem through the seamless integration of circular economy principles anchored in the 3R framework: Reduce, Reuse, and Recycle. By 2030, the city aims to achieve a “Zero Waste to Landfill” status, reduce its carbon footprint, and establish itself as a global model for sustainable waste management. This vision involves a multi-pronged approach, including decentralized waste processing systems, renewable energy integration, and the adoption of digital technologies for smart waste management. Initiatives such as expanding composting and biogas facilities, promoting the use of recycled materials in infrastructure, and implementing advanced waste-to-energy technologies are central to this transformative agenda.

The future direction of the Indore Municipal Corporation (IMC) initiatives for a circular economy, guided by the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R), focuses on achieving sustainability through innovation, inclusivity, and scalability. IMC aims to enhance waste management infrastructure by expanding decentralized composting units, biogas plants, and advanced recycling facilities for plastics, e-waste, and construction debris. The adoption of digital technologies, such as IoT and AI-driven waste monitoring systems, will optimize collection, segregation, and resource recovery processes. To foster community participation, IMC plans to roll out reward-based programs encouraging sustainable practices and strengthen educational campaigns for behavior change. Partnerships with private enterprises, startups, and global organizations will help mobilize resources and introduce cutting-edge solutions, such as waste-to-energy technologies and biodegradable alternatives to non-recyclables. By integrating circular economy principles into urban planning and policy frameworks, IMC seeks to position Indore as a global leader in sustainable urban development while addressing challenges like rapid urbanization, financial sustainability, and inclusion of informal waste workers.

Conclusion: The Indore Municipal Corporation’s initiatives for a circular economy, rooted in the principles of Reduce, Reuse, and Recycle (3R), exemplify a transformative approach to sustainable urban governance. Through innovative policies, decentralized waste processing systems, and active community participation, Indore has set a benchmark for efficient resource management and environmental stewardship. The city’s achievements in reducing landfill dependency, mitigating pollution, and integrating informal waste workers into formal systems highlight the potential of circular economy frameworks to address complex urban challenges. However, the path forward requires continued investment in technology, public awareness, and policy innovation to overcome hurdles like non-recyclable waste, financial sustainability, and rapid urbanization. By maintaining its commitment to inclusivity and innovation, Indore is poised to inspire cities worldwide, showcasing that a circular economy is not only achievable but essential for a resilient and sustainable future.

References:-

1. "Annual Progress Report of Waste Management Initiatives" – Indore Municipal Corporation, 2024.
2. "Circular Economy Action Plan 2023-2030" – Indore Municipal Corporation, 2023.
3. Ministry of Housing and Urban Affairs (MOHUA). "Swachh Bharat Mission (Urban): Guidelines and Success Stories." 2022.
4. NITI Aayog. "India's Resource Efficiency and Circular Economy Policy Framework." 2021.
5. CII-IGBC. "Circular Economy in Practice: Indore's Zero-Waste Initiatives." Confederation of Indian Industry, 2023.
6. Banerjee, S., & Joshi, P. "Indore's Journey to Becoming India's Cleanest City: Lessons in Waste Management." *Journal of Urban Sustainability*, 2022.
7. Shah, R. et al. "Innovations in Urban Waste Management: The Case of Indore." *Environmental Management Review*, 2023.
8. Gupta, P., & Kumar, A. "Waste-to-Energy Systems in India: A Case Study of Indore." *Renewable Energy and Circular Economy Journal*, 2022.
9. Singh, T., & Mishra, R. "Assessing the Impact of Decentralized Composting in Indian Cities: Evidence from Indore." *Urban Ecology Journal*, 2023.
10. The Hindu. "Indore: Leading the Way in Recycling and Waste Management." February 2023.
11. The Times of India. "From Plastic Roads to Biogas Plants: Indore's Clean India Success Story." July 2024.
12. Swachh Survekshan Portal. "Indore: India's Cleanest City for Seven Years in a Row." Accessed 2024. <https://swachhsurvekshan2024.org>
13. Indore Municipal Corporation Official Website. "Waste Management and Circular Economy Initiatives." Accessed 2024. <http://imcindore.org>

प्राचीन भारत में धर्म

डॉ. मधु वालिया*

* प्राचार्य, अमरनाथ भगत जयराम कन्या महाविद्यालय, सेरधा, जिला कैथल (हरियाणा) भारत

शोध सारांश – भारतीयों का जीवन प्राचीन काल से धर्मगत उत्कंठा से अनुप्राणित रहा है। जिसमें नैतिक मूल्यों, आधारगत अभिव्यक्तियों तथा जग निनयंता के प्रति समर्पण भावना का सन्निवेश था, जिसके माध्यम से व्यक्ति लौकिक उत्कर्ष के साथ-साथ अध्यात्मिक उत्कर्ष करता था। सम्पूर्ण समाज का वर्ण के आधार पर समुचित और सुनिश्चित विभाजन नैतिक मूल्यों और धर्म से प्रभावित होकर किया गया था। विभिन्न वर्गों के कर्मों का निरूपण भी सदाचार और धर्म से प्रेरित तथा अनुप्राणित था। अतः एवं इसे वर्ण धर्म की संज्ञा दी गई थी। धर्म का व्यावहारिक महत्व कर्तव्य का समुचित पालन था इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था की भी नियोजिना की गई जिसके अन्तर्गत मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का चार भागों में विभक्त कर उसके आश्रमगत कर्तव्यों एवं दायित्वों का आंकलन किया गया था। छान्दोग्य उपनिषद् में धर्म के तीन संकंधों की चर्चा है। जहां निवास करने वाला ब्रह्मचारी ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने में अपने को क्षीण कर देता है। इनका अनुगमन करने वाले सभी पूण्य लोक को प्राप्त करते हैं।

प्रस्तावना – हड़प्पा सभ्यता को वैदिक से भिन्न सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिये जाते हैं वो धर्म और विश्वास पर आधारित रहा है। इस काल से ही हिन्दू धर्म को प्राचीन धर्म माना जाता है। जिसकी उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रागैतिहासिक धर्म की मौजूगी के साक्ष्यों को बिखरी हुई मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स (पत्थर पर बनाये गये चित्र) पर देखा जा सकता है। जिनमें कई प्रकार नृत्यों तथा रस्मों को दर्शाया गया है। सिन्धु नदी में घाटी में बसने वाले नीयोलिथिक पुरोहितगण अपने मृतजनों को धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाने थे जिससे यहां जादुई आस्थाओं में उनके विश्वास के बारे में पता चलता है। इस समय में उनके विश्वास के बारे में पता चलता है। इस समय में वैदिक समाज पितृ प्रधान था और उसके देवता मुख्यतः पुरुष थे। जबकि हड़प्पा सभ्यता मातृ प्रधान थी इसमें मात्र देवियों का प्राधान्य था। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रधान देवता रुद्र था। जबकि वैदिक परम्परा में इसको भय और उपेक्षा का भाव दिखाई देता है।

धर्म के उद्देश्य – धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों में एक जैसा होता है। धर्म से जुड़े कुछ मुख्य उद्देश्य ये हैं।

1. सभी का सम्मान और सत्कार करना।
2. अन्तर जातीय भेदभाव को खत्म करना।
3. धर्म का मकसद मनुष्य को अपनी सत्य प्रकृति की पहचान कराकर मोक्ष प्राप्त करना था।
4. धर्म ब्रह्मिण्य कानून था, जो अराजकता से ब्राह्मण्ड का निर्माण करता था।
5. धर्म कर्तव्य, अधिकार चरित्र और व्यवसाय से जुड़ा था।
6. धर्म प्रकृति की स्तुति और प्रार्थना के मन्त्रों से जुड़ा था।

प्राचीन भारत में धर्म – वेदों में सृष्टि प्रकृति और सर्जककर्ता से सम्बन्धित विषयों का विवेचन है। सृष्टि विधा और विश्व दर्शन इसमें समाहित है। जगत के सृष्टा के रूप में दिव्य शक्ति को स्वीकार किया गया है तथा उसे सृष्टि का

निनयंता माना गया। इस प्रकार सृष्टा, सृष्टि प्रकृति और मानव एक ही अनुशासन से निष्पन्न होकर तथा एक ही अनुशासन से ग्रथित होकर समबिन्धत है।

देवमंडल – ऋग्वेद में देवताओं को आत रिलिवांस (रिथर रहने वाले) अनतासः (अनंत), विश्वतरचरि (संसार से उपर रहने वाले) कहा गया है। वैदिक चिंतन में मानव की श्रेष्ठता और महता स्वीकार की गई। उसे विश्वात्मा से अत्याधिक समीप माना गया है। वैदिक धर्म में सूर्य, वरुण, सविता, विष्णु, मित्र, अश्विन और उषा प्रधान देवता है। इन्द्र, अपानपात, पर्जन्य और रुद्र मुख्य है। ये अतरिक्ष देवता माने गये हैं। स्थानीय देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम विख्यात है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि आर्यों ने देवताओं को मानवीय आधार पर वकल्पित किया है। इस काल में सत की अभिव्यना की गई जीवन दर्शन, बौद्धि प्रधानता, स्तुति, यज्ञ आदि की प्रधानता की।

औपनिषदिक धर्म और ज्ञान – उपनिषद्क साहित्य का विकास वेदों के मंथन करके किया गया है। इसमें ईशावास्य केन कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, वृहदारण्यक आदि उपनिषद् अधिक प्रसिद्ध है। उपनिषदों में ब्रह्म और जीव के पारस्परिक संबन्ध और उनकी समीपता पर तर्क किया गया है। अनंत होने के कारण परमात्मा या ब्रह्म अमृत है तथा सीमाबद्ध होने के कारण जीवात्मा या मनुष्य जन्म-मरण के बंधन में जकड़ा हुआ मृत है। जन्म-जश-मरण के इस बंधन से मुक्ति तभी संभव मानी गई है। जब मनुष्य सीमा को तोड़कर, संकुचन को समाप्त कर तथा स्वार्थ को ध्यान कर आगे बढ़ता है। कंठ और ईश उपनिषदों में कहा गया है कि मनुष्य के अंतस की स्वार्थी प्रवृत्तियां जब समाप्त हो जाती हैं, तब वह अमृत बनकर ब्रह्म पद को प्राप्त होती है। जो मनुष्य ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। मनुष्य इसी संसार में और इसी जीवन में मुक्ति प्राप्त करता है। उपनिषद् युग में ओंकार की उपासना का विशेष स्थान था। आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला जीव अपनी आत्मा से प्रेम करता था। उपनिषदों में

आर्जुन का वर्णन सांसारिक आधार पर लौकिक संस्कार के प्रिया-प्रियतम के सम्मिलन से किया, केवल शिव ही रहा जाता है। अकति शिव केवलोदहम की उपलब्धि होती थी।

ब्राह्मण धर्म या हिन्दू धर्म - ब्राह्मण धर्म अथवा हिन्दू धर्म का उद्गम स्थान वैदिक धर्म है। हिन्दू धर्म की समस्त व्यवस्थाओं में ब्राह्मणों का आधिपत्य और निर्देशन रहा है। इसलिए इसे ब्राह्मण धर्म के नाम से भी जाना गया। ब्राह्मण धर्म का मुख्य आधार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था थी जो वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के नाम से समाज में स्थित हुईं। ज्ञान और सत्य की प्राप्ति के निमित्त भ्रमण करने वाले तपस्वी और साधु अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न सम्प्रदायों में संगठित होते हैं। इस धर्म में एक देवता की दूसरे देवता से श्रेष्ठता और प्रधानता भी यज्ञ से ही सिद्ध होती थी। इस युग में पुरोहित उत्कृष्ट अभिलाषा रखता था। ब्राह्मण धर्म में गीता हिन्दू धर्म का प्रधान स्तम्भ है। गीता में जीवन और मृत्यु की चर्चा करते हुए कहा गया है कि मृत्यु को अद्धितीय वस्तु नहीं है, कोई मरता नहीं है। आत्मा अजर, अमर, सत्य, नित्य, अचिंत्य और व्यापक है। हिन्दू धर्म में ज्ञान की अभित्यक्ति के अर्न्तगत अवतार बाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका प्रधान प्रयोजन धर्म स्थापन और अर्धम विनाशन था तथा वैदिक काल से ही अवतारवाद का प्रारम्भ हुआ था।

वैष्णव धर्म - भगवान विष्णु को अपना पावन प्रधान इष्टदेव और परमात्मा के रूप में मानने वाले वैष्णव भक्त कहलाये। वैष्णव धर्म में विष्णु के दस अवतार बताये गये हैं। इन अवतारों में कृष्ण का नाम नहीं है। क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ही कृष्ण के साक्षात् स्वरूप थे। महाभारत में वासुदेव का नाम अनेक बार आया है। वासुदेव पूजन मोर्य युग में भी प्रचलित था। ऐसा प्रतीत होता है कि भागवत धर्म का उदय मोर्य युग के पहले हो चुका था। महाभारत के समय भागवत धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया था। पाँचरत मत का विकास तीसरी सदी ई०पू० के लगभग हुआ था, जो वैष्णव धर्म का प्रधान मत था। कालांतर में रामानन्द सम्प्रदाय का विकास हुआ जिसमें कबीर, रैदास, मूलकदास, दादू आदि प्रमुख अनुयायी हुए।

शैव धर्म - शिव से सम्बन्धित धर्म को शैव धर्म कहा गया। पाषाण युग भी अनेक जातियों में भूमि की उर्वरता के लिए लिंग की पूजा की जाती। सूत्र ग्रन्थों में भी रुद्र की अपनी विशिष्टता है तथा उनके विवरण से यह प्रमाणित होता है कि उनका अनार्य तत्वों पर प्रभाव था। उनको प्रसन्न करने के लिए पशुबलि की व्यवस्था की गई थी। पुराणों के अनुसार शिव को त्र्यंबक, भव, शर्व, महादेव, इशान, शूलपाणि, शंकर, नीलग्रीव, वृषध्वज, पशुपति आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। इस सम्प्रदाय का गुप्त काल में काफी विकास हुआ। कायालिक सम्प्रदाय के ईष्ट देव भैरव है जो शंकर के अवतार माने जाते हैं। दक्षिण भारत में शैव सम्प्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ है। पूर्व मध्य युग में शैव धर्म नए और नए आयाम में विकसित हो रहा था। जिसे कालांतर में नाथ सम्प्रदाय या हठ योग और सहजयान सिद्धि कहा गया। संयम और सदाचार को उन्होंने प्रधान आधार माना, साथ ही सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिया।

शाक्य सम्प्रदाय - हिन्दू धर्म में शक्ति (देवी) की पूजा अत्यंत प्राचीन काल से प्रचलित है। शक्ति को नारी के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।

सृष्टि की प्रक्रिया में नारी का योगदान स्पष्टतः अभूतपूर्व है। शक्ति देवी का रूप प्रागैतिहासिक काल से निखरने लगा था। ऋग्वेद के दशम मंडल में ऐ पूरा सूक्त ही शक्ति की उपासना में विवृत है जिसे तांत्रिक (देवी सूत) कहते हैं। मार्कंडेय पुराण में शक्ति की व्यापकता और महता विहृत है। शक्ति पूजा का ज्ञान तक शैव सिद्धान्त से प्रभावित है। किन्तु शक्ति की दार्शनिकता सत्ता और व्यवहारिक सत्ता स्वतन्त्र और उन्मूक्त सत्ता है। जो उन्हे सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है। दार्शनिक सत्ता में शिव और शक्ति आद्य तत्व है जो देश काल और तर्क से परे है।

धर्म की आलोचना - हड़प्पा संस्कृति के किसी भी स्थल से किसी मन्दिर था प्रमाण में देखकर और इसे अवैदिक सीमा में ही कहीं न कहीं खपाने के लिए चिन्तित कुछ नए अध्येताओं ने यह सुझाया कि उनका कोई धर्म नहीं था। यह समस्या उनके विचारणीय है। जो वैदिक उपासना पद्धति से हड़प्पा का अलगाव दिखाने के लिए ही जलशुद्धि आदि के सुझाव देते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि पूरे भारतीय समाज में जलशुद्धि की यह परम्परा वैदिक जनों तक क्यों पाई जाती है। हिन्दू धर्म की आलोचना में हिन्दू और गैर हिन्दू विचारकों के द्वारा की गई। हिन्दू सुधारकों ने भी भेद-भाव व कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई तथा कई हिन्दू समाज सुधारक आन्दोलन भी चलाए गए। आलोचना के रूप में धर्म आधुनिकता धर्म और परिवर्तन के लिए नए सैद्धान्तिक दृष्टिकोणों के लिए जगह देता है। दूसरों की आलोचना के लिए शक्तिशाली प्रणालियां और तरीके अंतर्निहित हैं। वास्तव में आलोचना इसके मूल सिद्धान्तों और प्रथाओं का अभिन्न अंग है। परन्तु यह समस्या उनके लिए विचारणीय है। जो वैदिक उपासना पद्धति से हड़प्पा का अलगाव दिखाने के लिए ही जलशुद्धि के सुझाव देते हैं। पर यह भूल जाते हैं कि पूरे भारतीय समाज में जलशुद्धि की यह परम्परा वैदिक जनों में ही आरम्भ से आज तक क्यों पाई जाती है।

निष्कर्ष - यह कहा जा सकता है कि वैदिक धर्म का प्रसार भारत में भक्ति और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से ही हुआ था। पूर्ववर्ती काल में वासुदेव कृष्ण के पूजन का अधिक विस्तार हुआ किंतु मध्ययुग में कृष्णोपासक और रामोपासक दोनों सम्प्रदायों का समांनतर गति से प्रसार हुआ। पंजाब में सिक्ख धर्म का प्रवर्तन कर आशा और विश्वास का नया दीप जलाया। परवर्ती उपासकों एवं चिन्तकों ने जनभाषा को अभिव्यक्ति का प्रधान आधार मानकर अपने विचारों को जन-जन तक पहुंचाया। इस काल में संयम और सदाचार को उन्होंने प्रधान आधार माना तथा सहज जीवन पद्धति को अपनाने के लिए निर्देश दिया।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Keith, A.B. Religion and Philosophy of the Veda and Upanishads 2Vols (1970)
2. Jaiwal, Suvira: The origin and development of Vaishnavism (1981)
3. Majumdar, R.C.A New History of the Indian People (1940) : The History and culture of the Indian People Vol.III. The classical Age (1970)
4. A Pte, V.M. Vedic Rituals, CHI, I, (1958)

Protection of Stored Grains from *Callosobruchus Chinensis* (Linn.) in Kota Region (Rajasthan)

Dr. Neha Shrivastava* Dr. Surabhi Shrivastava** Dr. C.D. Khandekar***

* Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA

** Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA

*** Associate Professor (Zoology) Govt. College, Kota (Raj.) INDIA

Abstract : Pulse beetle, *Callosobruchus chinensis* is serious pest of stored grains, it can damage pulses and grains in godowns in Kota region (Rajasthan). It's grub and adult both are harmful and cause infestation in pulses particularly, chickpea, beans, lentil, gram, soya bean etc. Pulses are cheapest source of protein. The study was focused on nature of damage caused by *Callosobruchus chinensis* on pulses, stored for seed purpose and its control methods. Physical as well as chemical control methods found to be effective to control *Callosobruchus chinensis*. Efficacy of permissible concentration of insecticide chlorpyrifos was monitored to control *Callosobruchus chinensis*. Other method of control was physical method that was also reported effective for the control of this beetle of pulses.

Keywords: *Callosobruchus chinensis* (Linn), Chlorpyrifos, Kota region.

Introduction - *Callosobruchus chinensis* is one of the insects that destruct the stored grain and depreciate in storage. Pulse beetle is a major pest of pulses and other supplement. Pulses are stored for food and seed purpose but harm full insect pest *Callosobruchus chinensis* cause heavy infestation during storage of pulses. Pulses are difficult to storage and suffer great damage during storage due to attack by *Callosobruchus chinensis*. Both grub and adult cause damage to the grain, they bite holes in the grain to enter inside and feed on kernel damaging several grains in process. the infestation can start in the fields where the beetles deposit their eggs on the pod. Nutritive changes of the infested grain induced by *Callosobruchus chinensis* were reported. There are various method to control this pest. Chemicals can be used in minimum permissible concentration, chlorpyrifos in minimum permissible concentration found to be effective and cause residual effects. Activity caused by something that remains after a particular treatment is known as residual action. Chemical control is effective but chemicals may harm other animals and human and enter food cycle, so other methods of control like physical method and cultural method are also useful. Physical method is also effective method, both high and low temp have been used to destroy pest insects.

Material and method: Study was based on observations of Pulse beetle and the nature of damage caused by them, the experiment was carried out at laboratory in 2023 and 2024, from month of June to month of October in Kota region (Rajasthan).

1. Brownish grey beetle, *Callosobruchus chinensis*,

measuring about 3mm in length with characteristic ivory spot near the middle of the dorsal side, it is small, short and active, elytra do not cover the abdomen completely. Adult and grub both feed on grain by marking small hole and cause nutritive changes of the infested grain. This beetle can actively fly.

2. The experiment was carried out at laboratory. Black chickpeas were used as host for culture of *Callosobruchus chinensis*. The stock culture was maintained on black chana by releasing 10 pairs of freshly emerged beetles in a plastic jar. Two dilutions of Chlorpyrifos were prepared from stock solution. Solutions of .0008% and .0006 % concentration were prepared for treatment. In covered petri dishes, groups of 20 and 40 insect pest *Callosobruchus chinensis* were induced and these groups of insects were exposed to insecticide chlorpyrifos. All the experiments which were maintained under laboratory conditions for purpose of seed storage, were observed.



Fig 1. Adult
Callosobruchus chinensis



Fig 2. Infested Grain

3. Mortality level of *Callosobruchus chinensis* was

recorded after exposure and at the same time the dissipation of chlorpyrifos residues on treated surface was estimated at different time intervals of 1, 3, 7, 15 and 30 days. Permissible limit and recommended concentration of chlorpyrifos for controlling *Callosobruchus chinensis* has been monitored. Chlorpyrifos, the stomach and contact poison with long residual life found to be effective against this store grain insect pest.

4. The exposure of infested stored grain to sun a. directly on cotton cloth b. use of polyethene bags for grains and c. use of cotton bags for grains on a cemented floor in May and June for 5 to 6 hours was reported to kill insect pest beetles, such sun exposure of grain, reduces the moisture content of the grain and if it is less than 8% RH, the grain escape insect infestation.

Result and discussion: The effects of insecticide and insecticide residue against *Callosobruchus chinensis* were observed. Chlorpyrifos found effective at concentration of .0008% and .0006%. After treatment at .0008% concentration 70% mortality was registered on 1st day of treatment 55% mortality on 3rd day, 45% mortality on 7th day 40% mortality on 15th day 25% mortality and on 30th day of treatment has been registered. At .0006% concentration, 50% mortality was registered on 1st day, 45%

mortality on 3rd day, 30% mortality on 7th day, 30% mortality on 15th day and 25% mortality on 30th day was reported. Treatment of sun exposure on stored grain in month of May and June, found to be effective against *Callosobruchus chinensis* (Linn.) .

References:-

1. Augustine, N., Balikai, R.A. Biology of pulse beetle *Callosobruchus chinensis* (Linnaeus) on cowpea variety C-15. Journal Of Entomology and Zoology Studies 2019,7(1) :513-516.
2. Chaubey, M.K. Fumigant toxicity of essential oils from some common spices against Pulse beetle, *Callosobruchus chinensis* (Coleoptera:Bruchidae). J.Oleo. Sci. 57(3)171-179.
3. Revanasidda, K., Murali Mohan and Kodandaram, M.H. Diversity, abundance and infestation of Bruchids on stored pulses in Karnataka. Mysore.J.Agric.Sci. 56(2);293-307 (2022).
4. Samir, A.M., Abdelgaleil, Ayman, A. Maha Hassan, A.Gad. Persistence and residual efficacy of abamectin and Spinosad for control of *Callosobruchus maculatus* and *C. chinensis* on stored cowpea seeds'. Stored product Research vol 103(sep 2023).

Flame of the forest a beautiful and miraculous plant

Dr. Nirbhay Singh Solanki*

*Assistant Professor (Botany) PMCoE Maharaj Bhoj Govt. P. G. College, Dhar (M.P.) INDIA

Abstract : *Butea monosperma*, commonly known as khakra, kesudi, dhak, 'Palash' and 'Flame of the Forest', is medium sized deciduous tree widely distributed in South-east Asia. This plant is also found in Dhar. It encompasses both conventional and scientific importance as it has high medicinal, religious, economical, aesthetic and ornamental values. Each part of this tree, from flowers to leaves, bark, seed, stem and gum, are of use. Palash / *Butea Monosperma* is the state flower of Jharkhand and Uttar Pradesh. Palash is considered a sacred tree and the Indian Postal Department also issued a postal stamp to celebrate the value the flower adds to the Indian landscape.

Keyword: *Butea Monosperma*, antifertility, antidiabetic activity, Apoptotic induction, Sunscreen Activity Anti-cancer activity.

Introduction - *Butea monosperma*, commonly known as the flame of the forest, palash, dhak, or tesu, is a medium-sized deciduous tree belonging to the family Fabaceae. It is renowned for its vibrant orange-red flowers that appear in the dry season, transforming the landscape into a visual spectacle. This tree is native to the Indian subcontinent and Southeast Asia, where it holds significant cultural, medicinal, and ecological importance.

Study area: Dhar is situated between 21°57' to 23°15' N and 74°37' to 75°37' E. The city is bordered in the north by Ratlam, to the east by parts of Indore, in the south by Barwani, and to the west by Jhabua and Alirajpur. The town is located 34 miles (55 km) west of Mhow. It is located 559 m (1,834 ft) above sea level.

Research Methodology: went to the forest visit and studied from time to time. more information was obtained from local people received various types of information on the internet. took many photos with mobile camera. Searched and viewed various types of research papers on the internet studied. many research papers were studied in google scholar and research journal.

Scientific Classification of *Butea Monosperma*

Kingdom Plantae – Plants
 Sub-kingdom Tracheobionta – Vascular plants
 Super-division Spermatophyta – Seed plants
 Division Magnoliophyta – Flowering plants
 Class Magnoliopsida – Dicotyledons
 Subclass - Rosidae
 Order Fabales
 Family Fabaceae – Pea family
 Genus *Butea* Roxb.ex Wild. – *Butea*
 Species *Monosperma* (Lam.) Taubert – Bengal kino

Butea monosperma names in other languages:

English : Flame of the forest, Bastard teakS, Parrot Tree
 Hindi : Dhak, Palas, Chichra tesu, desukajhad, chalcha, kankrei

Marathi : Palas, Kakracha

Panjabi : Tesh

Kannada : Muttagamara, Muttulu

Malayalam : Plasu Camata, Muriku, Shamata

Sanskrit : Palasah, Kimsuka, Bramha Vrksa

Assamese : Palash

Oriya : Porasu, Kijuko

Tamil : Porasum, Parasu, Camata

Telugu : Modugu Puvvu

Gujrat : Khakhrao, Kesuda

Bangal : Palas, Polashi

Urdu : Palashpapra, Dhak (Tesu) Species: *monosperma*

BOTANIC DESCRIPTION : *Butea monosperma* is a small to medium-sized deciduous tree, 5-15 (max. 20) m tall, trunk usually crooked and tortuous, with rough greyish-brown, fibrous bark showing a reddish exudate; branchlets densely pubescent.

leaves: Leaves trifoliate; petiole 7.5-20 cm long with small stipules; leaflets more or less leathery, lateral ones obliquely



ovate, terminal one rhomboidobovate, 12-27 x 10-26 cm, obtuse, rounded or emarginate at apex, rounded to cuneate at base, with 7-8 pairs of lateral veins, stipellate.

Flower: Flowers in racemes, 5-40 cm long, near the top on usually leafless branchlets; calyx with campanulate tube and 4 short lobes; corolla 5-7 cm long, standard, wings and keel recurved, all about the same length, bright orange-red, more rarely yellow, very densely pubescent.

Fruit : Fruit an indehiscent pod, (min. 9) 17-24 x (min. 3) 4-6 cm, stalked, covered with short brown hairs, pale yellowish-brown or grey when ripe, in the lower part flat, with a single seed near the apex. Seed ellipsoid, flattened, about 3 cm long.



Dr.Solanki in the forest during the survey

Butea monosperma plant



Flower



Stamp



Dhak ke teen pat



Bowl (Dona)



Macking Paniya



Dianning plate(Pattal)

Native to India,

The hindi phrase (“Dhaak ke teen paat”) comes from the prominent three leaflets of this tree. It is seen in all its ugliness in December and January when most of the leaves fall: but from January to March it truly becomes a tree of flame, a riot of orange and vermilion flowers covering the entire crown. These flowers, which are scentless, are massed along the ends of the stalks—dark velvety green like the cup-shaped calices—and the brilliance of the stiff, bright flowers is shown off to perfection by this deep, contrasting colour. Each flower consists of five petals comprising one standard, two smaller wings and a very curved beak-shaped keel. It is this keel which gives it the name of Parrot Tree. In olden days, the flowers of Tesu were used to make color for the festival of Holi.

In Manipur, there is an interesting cultural use of the wood of this tree with beautiful flowers - when a member of the Meitei community dies and, for some reasons, his body cannot be found, the wood of this tree is cremated in place of the body.

Antitumor activity:The aqueous extract of flowers of *Butea monosperma* was

administered via intraperitoneal route to the X-15-myc onco mice showed antitumorigenic activity by maintaining liver architecture and nuclear morphometry but also down regulated the serum VEGF levels. Immuno-histochemical staining of liver sections with anti-ribosomal protein S27a antibody showed post-treatment termination of this proliferation marker from the tumor tissue

antidiabetic activity : The single dose treatment of ethanolic extract of *Butea monosperma* flowers at the dose of 200mg/kg P.O. significantly improved glucose tolerance and cause reduction in blood glucose level in alloxan induced diabetic Rats .

Liver disorders :An extract from the flowers of *Butea monosperma* is used in India for the treatment of liver disorders and two anti hepatotoxic flavonoids, isobutrin and butrin have been isolated from the extract . The effect of pretreatment of methanolic *Butea monosperma* extract prior to TAA treatment at two doses and the results suggest that it may contribute to the chemo preventive effect.

Butea monosperma showed a significant recovery in the level of glutathione and its metabolizing enzyme in the liver induced the detoxifying enzyme system, which is shown by the elevated levels of other QR, SOD, GPx, and xanthine oxidase, which are important phase II enzymes.

Anti-diarrhoeal activity : The anti-diarrhoeal potential of the ethanolic extract of stem bark of *B. monosperma* (Lam) has been evaluated using several experimental models in Wister albino rats. The extract inhibited castor oil induced diarrhea and PGE2 induced enteropooling in rats; it also reduced gastrointestinal motility after charcoal meal administration. The results obtained establish the efficacy and substantiate the use of this herbal remedy as a non-specific treatment for diarrhea (Gunakkunru et al., 2005).

Anti-ulcer: Methanolic extract of BM bark at 500mg/kg showed 79.30 and 82.20% healing against ethanol and aspirin induced gastric ulcerations respectively signifying free radical scavenging properties of the extract for anti-ulcer effect .

Anti-cancer activity *Butea monosperma*: Several studies have investigated the anti-cancer properties of *Butea monosperma* extracts and compounds derived from it. Here are some key findings:

1. Apoptotic induction: Apoptosis, or programmed cell death, is an important mechanism for eliminating cancerous cells. Studies have shown that *Butea monosperma* extracts can induce apoptosis in cancer cells through various pathways, including the activation of caspases, modulation of Bcl-2 family proteins, and generation of reactive oxygen species(ROS).

2. Anti-inflammatory effects: Chronic inflammation plays a significant role in the development and progression of cancer. *Butea monosperma* extracts possess antiinflammatory properties due to the presence of flavonoids and other phytochemicals. By reducing inflammation, these extracts may help inhibit cancer growth and metastasis.

3. Anti-angiogenic activity: Angiogenesis, the formation of new blood vessels, is essential for tumor growth and metastasis. Some studies have demonstrated that *Butea monosperma* extracts can inhibit angiogenesis by targeting key angiogenic factors such as vascular endothelial growth factor (VEGF), thereby suppressing tumor vascularization and growth.

4. Cytotoxic activity: *Butea monosperma* extracts have been found to exhibit cytotoxic activity against various cancer cell lines, including breast cancer, lung cancer, prostate cancer, and leukemia cells. This cytotoxicity is attributed to the presence of bioactive compounds such as flavonoids, alkaloids, and phenolics.

5. Antioxidant effects: Oxidative stress is implicated in cancer development by promoting DNA damage and mutations. *Butea monosperma* extracts have been shown to possess anti oxidant activity, scavenging free radicals and protecting cells from oxidative damage. While these findings suggest the potential of *Butea monosperma* as a

source of anti-cancer agents, more preclinical and clinical studies are needed to evaluate its safety, efficacy, and optimal dosage for cancer treatment. Additionally, further research is required to identify and isolate the specific bioactive compounds responsible for its anti-cancer effects and to elucidate the underlying molecular mechanisms involved.

Sunscreen Activity: A concentrated cream, which has contents of BM leaves excerpts, can defend against UVA and UVB rays showing the presence of sunscreen activity. The concentration generated from the incorporation of several formulations of excerpts can be applied as per contrasting skin types according to sun protection factor value. The maximum protection shows against UVA and UVB with 1.5 % and minimum at 0.5 % formulation of cream.

Anti-fertility Activity : The hot alcoholic excerpt of Dhak seeds has been given to rats and rabbits. It shows significant antiovolatory and anti-implantation commotion. Butin was the active constituent . Methanol excerpt of Dhak stem (bark)is effective to kill sperms within 6.29 min at the concentration of 100 mg/ml, but the immobilizing activity is slow when compared to the spermicidal agent which shows complete immobilisation within 20 sec at 2 % concentration.

Three-minute exposure of petroleum ether and chloroform excerpt of Dhak root showed complete immobilisation of sperm at the doses of 15mg mL⁻¹ without any changes as compared to the control group show curling in the hypo-osmotic swelling test. Sperm activity declines in a dose-dependent manner.

Anthelmintic: The seeds and bark exhibit significant anthelmintic activity, validating their use in treating intestinal worm infections.

Anti-asthmatic: n-butanolic fraction of *Butea monosperma* inhibited the lipopolysaccharide induced increase in total cell count, nitratennitrite, total protein and albumin levels in bronchoalveolar fluids in rats (Shirole et al., 2013).

Other uses and information:

1. Tesu flowers are used to make natural colour during the festival of Holi.
2. The flowers are the perfect way to control and manage indoor pollutants.
3. In tribal areas, women use the flowers to adorn themselves.
4. Palash flowers are believed to have religious value and are used in havan or yagna ceremonies.
5. Palash is considered a sacred tree and the Indian Postal Department also issued a postal stamp to celebrate the value the flower adds to the Indian landscape.
6. Palash / *Butea Monosperma* is the state flower of Jharkhand and Uttar pradesh.
7. It is also believed that palash is the form of the God of life himself- Agni.
8. Each part of this tree, from flowers to leaves, bark, seed, stem and gum, are of use. The tree has been

- used extensively in alternative medicines such as Unani, Homeopathy and Ayurveda medicines for its analgesic, aphrodisiac and antifertility properties.
9. Palash bark is applied externally to treat wounds and cuts.
 10. Palash seeds are often used to treat worm infestation. The seeds are also laxative in nature.
 11. The gum can be used to treat dysentery and diarrhoea.
 12. Dried flowers are used as colour and in bathing to cure skin rashes and infection in summers. The flowers are rich in sulphur, which makes them a perfect treatment for skin ailments. The flowers purify and cleanse the bloodstream of free radicals. The paste of flowers is also applied externally to cure joint pains, swelling, sprains, injury and arthritis. The bark of the tree also has blood purifying properties.
 13. Fruits and seeds of the plant are used to treat skin ulcers, piles and disorders related to eyes such as cataract.
 14. Roots of a palash tree are used as an analgesic. They are also used to cure night blindness.
 15. The twing of palash plant is used as a tooth brush.
 16. Fresh leaves are used for making dinning plates and bowls.
 17. Fiber: Bark fibers are obtained from stem for making cordage .
 18. Fish-Poison: Stem bark powder is used to stupefy fishes .
 19. Fodder: Green leaves are good fodder for domestic animals .
 20. Domestic utensil: Fresh leaves are used for making dinning plates and bowls .
 21. Vegetables: Flowers and young fruit are used as vegetables by tribals .
 22. Dye: Flowers are boiled in water and cooked to obtain a dye.
 23. Dal Paniya' is very famous dish, usually made during festivals and on auspicious occasions. Paniya is a bread prepared from corn flour and is roasted after sandwiching it between the leaves of Palash tree.
 24. in the rural areas brushes are made by crushing the stem of the palash plant and it is used to paint the walls with lime.
 25. The gum found in small, brittle glistening pieces, reddish-black in color. Is odorless with a very astringent taste sticking to teeth when chewed making the saliva bright red. It is almost entirely soluble in alcohol and entirely soluble in ether and partly in water.
 26. Orally it is used in diarrhoea, dysentery, and as gargle in throat infection.
 27. Locally called Kamarkas meaning thereby fortification of back muscles, the gum is used to strengthen these muscles that are delicate and more elastic. Since females usually experience tiredness and back-ache during menstruation, pregnancy and post delivery, the

gum taken orally acts as tonic to pelvic and back muscles, in these conditions. It is used by almost all females in India to recover from problems of weakness, supple delicate muscles and loose skins, and to reshape the body after delivery and to get rid of menstrual problems.

Conclusion: This plant is very important. It is of great medicinal importance. Blooming of flowers in the month of spring. The whole forest look so beautiful. This provides honey for lots of bees. This plant also provides wood for cooking food to people living in rural areas.

This is a plant of great medicinal importance. This plant shows antitumor activity, antidiabetic activities, anti-diarrhea activities, anti-ulcer activities, anticancer activities, antifertility activities.

It prevents soil erosion. Provides nesting sites for birds. This is a very important plant to make mother earth beautiful. Let's come together and protect this plant.

Acknowledgement: I want to show my heartfelt gratitude to my friends and my family for their help and support during my research writing.

References:-

1. <https://prebooks.in/shop/35-india-flame-of-the-forest-used-stamp/>
2. <https://www.mapsofindia.com/maps/madhyapradesh/roads/dhar.htm>
3. <https://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/PlantFinderDetails.aspx?taxonid=280658>
4. <https://www.indraprasthahorticulturesociety.com/tesu-flowers-butea-monosperma-and-their-uses/>
5. [https://en.wikipedia.org/wiki/Dhar#:~:text=Dhar%20is%20situated%20between%2021,1%2C834%20ft\)%20above%20sea%20level.](https://en.wikipedia.org/wiki/Dhar#:~:text=Dhar%20is%20situated%20between%2021,1%2C834%20ft)%20above%20sea%20level.)
6. <https://www.flowersofindia.net/catalog/slides/Flame%20of%20the%20Forest.html>
7. <https://jhabua.nic.in/en/tourism/>
8. https://apps.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Butea_monosperma.PDF
9. More, B. H., Sakharwade, S. N., Tembhurne, S. V., & Sakarkar, D. M. (2012). Ethnobotany and Ethanopharmacology of Butea Monosperma (Lam) Kuntze-A Compressive Review. *Am J PharmTech Res*, 2(5), 138-159.
10. More, S., Jadhav, V. M., & Kadam, V. J. (2018). A comprehensive review on Butea monosperma: A valuable traditional plant. *International Journal of Botany Studies*, 3(1), 65-71.
11. Sutariya, B. K., & Saraf, M. N. (2015). A comprehensive review on pharmacological profile of Butea monosperma (Lam.) Taub. *Journal of Applied Pharmaceutical Science*, 5(9), 159-166.
12. Punjani Bhaskar L 1998. Plants used as tooth brush by tribes of District Sabarkantha (North Gujarat). *Ethnobotany*. 10: 133-135.
13. The wealth of India: A dictionary of Indian Raw mate-

- rial and Industrial product-Raw material Series, Volume-I-XI (Publication and Information Directorate, CSIR, New Delhi, India), 1948; 251-252.
14. Jain SK. Dictionary of Indian Folk Medicine and Ethnobotany, Deep Publication, New Delhi, India, 1991.
 15. Bhattacharjee SK, Handbook of Medicinal Plants. Pointer Publishers, Jaipur, India, 1995.
 16. Punjani, B. L. (1998). Plants used as toothbrush by tribes of district Sabarkantha (North Gujarat). *Ethnobotany*, 10, 133-135.
 17. Somani, R., Kasture, S., & Singhai, A. K. (2006). Antidiabetic potential of *Butea monosperma* in rats. *Fitoterapia*, 77(2), 86-90.
 18. Sehrawat, A., Khan, T. H., Prasad, L., & Sultana, S. (2006). *Butea monosperma* and chemomodulation: protective role against thioacetamide-mediated hepatic alterations in Wistar rats. *Phytomedicine*, 13(3), 157-163.
 19. Wagner, H., Geyer, B., Fiebig, M., Kiso, Y., & Hikino, H. (1986). Isoputrin and butrin, the antihepatotoxic principles of *Butea monosperma* flowers1. *Planta medica*, 52(02), 77-79.
 20. Punjani Bhaskar L 1998. Plants used as tooth brush by tribes of District Sabarkantha (North Gujarat). *Ethnobotany*. 10: 133-135.
 21. Sindhia, V. R., & Bairwa, R. (2010). Plant review: *Butea monosperma*. *International journal of pharmaceutical and clinical research*, 2(2), 90-94.
 22. Gunakkunru, A., Padmanaban, K., Thirumal, P., Pritila, J., Parimala, G., Vengatesan, N., & Pillai, K. K. (2005). Anti-diarrhoeal activity of *Butea monosperma* in experimental animals. *Journal of ethnopharmacology*, 98(3), 241-244.
 23. Akram, M., Akhtar, N., Asif, H. M., Shah, P. A., Saeed, T., Mahmood, A., & Malik, N. S. (2011). *Butea monosperma* Lam.: A review. *J. Med. Plants Res*, 5, 3994-3996.
 24. Neupane, A., & Aryal, P. (2022). Medicinal Values of *Butea monosperma*: A. *Asian Journal of Pharmacognosy*, 6(2), 6-13.
 25. Kumar, A., Gupta, M., Singh, S., Goel, N., Tiwari, P. S., & Gupta, S. P. (2023). A SYSTEMIC REVIEW ON PALASH (*BUTEA MONOSPERMA*). *Journal of primary healthcare*, 9(2), 871-899.
 26. Surin, W. R., & Ananthaswamy, K. (2011). Recent advances on the pharmacological profile of *Butea monosperma*. *GERF Bull Biosci*, 2(1), 33-40.
 27. Pooja singh ,vasusingh,R.C. Tiwari and deeptinegiwjppls 2023. AREVIEW ON BRAMHA VRIKSHA: PLASH (*BUTEA MONOSPERMA*) vol (9) issue (4),100
 28. Ambastha, S., & Sharan, L. (2023). Review on Medicinal Importance of *Butea monosperma* Lam.(Taub). *Defense Life Science Journal*, 8(1), 83-92.
 29. Dharti Methaniya, Riddhi Rathore, Hitesh Solanki, IABCD,2023, VOL(2), ISSUE(1),227
 30. Tiwari, P., Jena, S., & Sahu, P. K. (2019). *Butea monosperma*: phytochemistry and pharmacology. *Acta Scietific Pharmaceutical Science*, 3(4), 19-26.
 31. Aditya Gupta, Shubham Singh, Khushboo Gaur, Abhishek Singh, Lalit Kumar, IJRAP8(2) 2017, 197
 32. Somayaji, A., & Hegde, K. (2016). A review on pharmacological profile of *Butea monosperma*. *International Journal of Phytopharmacology*, 7(4), 237-249.
 33. Kiruba, M. 2024. *Butea monosperma* - Botanical, Pharmacological, and Conservation: An Overview. *Vigyan Varta* 5(8): 197-202.
 34. More, B. H., Sakharwade, S. N., Tembhurne, S. V., & Sakarkar, D. M. (2013). Evaluation of Sunscreen activity of Cream containing Leaves Extract of *Butea monosperma* for Topical application. *International Journal of Research in Cosmetic Science*, 3(1), 1-6.
 35. Bhargava, S. K. (1986). Estrogenic and postcoital anticonceptive activity in rats of butin isolated from *Butea monosperma* seed. *Journal of ethnopharmacology*, 18(1), 95-101.
 36. Udiwal, S., Jain, N. K., Gupta, M. K., & Goyal, S. (2014). Anti-fertility activity of *Butea Monosperma* Linn in albino rats. *Curr Res Biol Pharm Sci*, 3(4), 6-11.
 37. Neeru Vasudeva, N. V., Geeta Rai, G. R., & Sharma, S. K. (2011). Anti-spermatogenic activity of *Butea monosperma* (Lam.) Kuntze root Asian J. Biolo. Sci. 4(8), 591-600.
 38. Shirole, R. L., Kshatriya, A. A., Sutariya, B. K., & Saraf, M. N. (2013). Mechanistic evaluation of *Butea monosperma* using in vitro and in vivo murine models of bronchial asthma.
 39. Jain, A., Dubey, S., Sahu, J., Gupta, A., Tyagi, A. K., & Kaushik, A. (2010). *Butea monosperma*: The Palash-A Versatile Tree Full of Virtues. *Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry*, 2(1), 7-11.

रूपकों का बादशाह तुलसीदास

शिवऔतार*

* प्राध्यापक (हिन्दी) भगवान आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्षि ललितपुर (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - रूपकों का बादशाह तुलसीदास इस शोध पत्र का वर्ण्य विषय है। इसकी शोध परक विवेचना करने के पूर्व इसके सार रूप पर संक्षिप्त प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। रूपकों का बादशाह तुलसी की यथार्थ परक झांकी देखी जा सकती है। इस शोध लेख में रूपकों का बादशाह तुलसी की शोधात्मक विवेचना की गई है। तुलसीदास ने अपने समय तक और अपने समकालीन प्रायः सभी प्रमुख काव्य-रूपों का न सिर्फ उपयोग किया, बल्कि सब में अपनी तरह का प्रयोग कर उनमें एक नई ऊर्जा का संचार भी किया है। इन सभी काव्य-रूपों को वे लोकप्रियता के वास्तविक निर्धारक तथा साहित्य के लक्ष्य, जनता तक ले जाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार उक्त शोधपत्र की शोधात्मक विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि रूपकों का बादशाह तुलसी की चेतनाएँ विद्यमान हैं।

प्रस्तावना - तुलसी ने सामाजिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों को अपनाया और इन सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करके सामाजिक विषमता को दूर किया। सत्य तो यह है कि भक्त, दार्शनिक, कवि, नीतिज्ञ, समाज-सुधारक और विचारक के रूप में तुलसी का महान व्यक्तित्व सम्पूर्ण वैचारिक धरातल पर छाया हुआ है। तुलसीदास के साहित्य का उद्देश्य स्वांतःसुखाय था, किसी राज्याश्रय में रहकर रचना करना नहीं। उन्होंने अपने निजी जीवन से उदाहरण देते हुए बताया कि रामचरितमानस जैसे ग्रन्थों में जीवन का संबल मिलता है। संत परंपरा के महान भक्त साधक ने भक्ति के माध्यम से शक्ति साधना की।

डॉ. उदयभान सिंह ने कहा कि तुलसीदास उत्प्रेक्षा के बादशाह हैं। आचार्य शुक्ल ने कहा कि तुलसीदास अनुप्रास के बादशाह हैं पर बचन सिंह ने कहा कि तुलसीदास रूपक के बादशाह हैं उत्प्रेक्षा करना कठिन काम है, लेकिन रूपक बाँधना वह भी सौन्दर्य रूपक बहुत कठिन काम है। अनुप्रास की छटा तो प्रायः सामान्य कवियों के यहां भी देखने को मिलती है।

गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अतिरिक्त विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल सब जगह रूपक बाँधे हैं लेकिन हनुमान बाहुक में जो रूपक बाँधे उसे देखकर बड़े-बड़े साहित्य मर्मज्ञ भी सिर खुजलाने लगते हैं।

उनके रूपक की छटा सर्वत्र देखते बनती है। हनुमान बाहुक में, बाहु पीड़ा पूतना पिशाचिनी कहते हैं और भी हनुमान जी को श्री कृष्ण कहते हैं- यहां पर हनुमान जी के व्यक्तित्व से भी श्री कृष्ण जी की बहुत सी बातों में साम्य स्थापित करते हैं-

‘पूतना, पिशाचिनी, ज्यों कपिकांह तुलसी को बाँह पीर, महावीर तेरे मारे मरैगी।’¹

एक रूपक गोस्वामी जी का और देखने लायक है, वात, व्याधि, जनिता पीड़ा को वह केंवॉच की लता कहते हैं, और वानरी खेल है एक क्षण में लताओं को छिन्न-भिन्न कर देना।

‘वात तरु मूल वाहु सूल कपि कच्छु केलि ,

उपजी सकेलि कपि केलि ही उखारिए।’²

अपनी वानरी क्रीड़ा से उखाड़ डालिए गोस्वामी जी एक जगह तो बाहु को विशाल पोखरी कहते हैं, बाहुपीड़ा को जलचरी कहते हैं। पोखरी विशाल बाहु बलि, वारिचर पीर मकरी ज्यों पकरि के बदन विडारिये। गोस्वामी जी की गीतावली का बड़ा ही मनोहारी पद उनकी बाल लीला का चित्रण करते हुए तुलसी रूपक बांधते हैं।

खेलन चलिए आनंद कंद

तृषित तुम्हारे दरस कारन, चतुर चातक दास

वषुष वारिद वरषि छविजल, हरहु लोचन प्यास

अर्थात् कामदेव के शत्रु शिव जी के द्वारा सेवा किए जाने योग्य, भवि (संसार) के भव को हरने वाले कौल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान।

मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान का प्रयोग गोस्वामी जी को अति प्रिय है -

आज लंका में पहुंच गए हैं भगवान सागर पार करके, अत्यंत श्रमित होने के कारण सुग्रीव की गोद में शिर रखे पड़े हैं, अंगद और श्री हनुमान जी उनके पाँव दबा रहे हैं, लक्ष्मण पीछे बीरासन में बैठे हैं, संध्या का समय है, पूर्व में चंद्र देव का उदय हुआ, वहां भी गोस्वामी जी का उदय हुआ, वहां भी गोस्वामी जी की कल्पना ने रूपक बाँधा है -

पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी

परम प्रताप तेज बल रासी

मत्त नांग तम कुंभ विदारी

शशि केसरी गगन वन चारी।

रूपक की एक अत्यंत मनोहारी छटा देखिए अंगद और रावण का संवाद है। लंका पति रावण आत्माश्लाघा में कह रहा है।

अंगद तूने सुना ही होगा आकाश रूपी तालाब में मेरी भुज रूपी कमल में बस कर शिवजी सहित कैलाश शोभा को प्राप्त हुआ।

‘पुनि नभ सर मम कर निकर,

कमलनिह पर कर वास।

शोभत भयउ मराल इव,

शंभु सहित कैलास ।³

इसी प्रसंग में रूपक और उत्प्रेक्षा की एक युक्ति देखिए अंगद ने रावण को खूब चिढ़ाया, गोस्वामी जी लिखते हैं -

वक्र उक्ति धनु वचन सर,

हृदय दहेउ रिपु कीसा

प्रति उत्तर सद सिंह मनहु,

कादत भट दससीसा।

रथ रूपक वाचक शब्दों से भले ही रूपक न लग रहा हो किंतु एक सशक्त रूपक है विभीषण के संदेह का निवारण करते हुए भगवान कह रहे हैं कि जिस रथ से विजय मिलती है वह कोई और रथ है और वह रथ इस प्रकार का है-

सौरज धीरज तेहि रथ चाका

सत्य शील दृढ ध्वजा पताका

बल विवेक दम परहित घोरे

क्षमा कृपा समता रजु जोरे

ईस भजन सारथी सुजाना

विरति चर्म सन्तोष कृपाना

दान परसु बुधि शक्ति प्रचंडा

वर विज्ञान कठिन को दण्डा

अमल अचल मन लोन समाना

सम जम नियम शिली मुख नाना

कवच अभेद विप्र गुरु पूजा

यह सम विजय उपाय न दूजा

शखा धर्ममय अस रथ जाके

जीतन कँह न कबहुँ रिपु ताके।

जिस तरह बादल स्थिर रहते हैं किंतु पानी की बूँदें वहाँ से यात्रा कर लोगों की तृषा शांत करती हैं उसी तरह शरीर तो स्थिर रहता है किंतु शोभा आँखों तक यात्रा कर लोगों की सौंदर्य प्यास बुझाती है।

रामचरितमानस में तो रूपक की मनोहर छटा सर्वत्र देखने को मिलेगी उनका रथ रूपक बड़ा प्रसिद्ध सौंग रूपक का उदाहरण है, ऐसी छटा अन्यत्र दुर्लभ है, उनका उत्तारकांड में जो दीपक कांड है वह भी देखने लायक है लंका कांड का यह प्रसंग यही पंक्ति में सौंग रूपक बाँध दिया रावण के सर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री राम के बाण रूप भी भ्रमरों की पंक्ति चली।

गोस्वामी जी मंगलाचरण करते हुए कई बार सुंदर रूपक बाँधते हैं, लंका कांड के मंगलाचरण में कहते हैं।

रामम् कामारि सेव्यम् भवमय हरणं कालमन्तेभ सिंहं।

श्री राम पूछते हैं-

सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, बताओ हनुमान जी कैसे स्वयं की रक्षा करती हैं-

कहहु तात केहि भाति जानकी

रहति करति रक्षा स्वप्राण की।

श्री हनुमान जी उत्तर देते हैं रूपक देखिए-

'नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट ।

लोचन निज पद जेत्रित, जाहिं प्राण केहि बाट ।⁴

सौंग रूपक की कला में गोस्वामी जी का कोई जोड़ नहीं है स्वयंवर का यह दोहा प्रायः लोगों के मुख से सुना जाता है-

'उदित उदयगिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग

विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन भृंगा।'⁵

लोचन भृंग जैसा प्रयोग साहित्य में दुर्लभ है। संत सरोज में कैसा स्वाभाविक साम्य है। दोनों के गुण धर्म कितने मिलते हैं।

ठंडे दिमाग से सोचने की बात बहुत कही सुनी जाती है, इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं-

बुद्धि सिरावे ज्ञान घृता।

पूरा दोहा इस प्रकार है -

जोग अगिन करि प्रकट तव, कर्म सुभा सम लाई।

बुद्धि सिरावे ज्ञान घृता, ममता मैल जरि जाइ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोस्वामी जी सर्वत्र रूपक बाँधने में सिद्ध हस्त हैं।

तेइ तृन हरित चरै अब गाई

भाव बच्छ शिशु पाइ पेन्हाई।

कितना सार्थक प्रयोग है कि भाव रूपी बछड़े को पाकर ही गाय पेन्हाएगी (दूध देने के लिए तैयार होगी) अर्थात भाव वह बछड़ा है जो सर्वथा निर्दोष है। तमाम कलुष और कल्मष रहित है भाव प्रधान लोग ही वहाँ तक यात्रा कर पाते हैं, ज्ञान प्रदान लोगों पर तो संदेह है।

इस प्रसंग में आगे लिखते हैं-

नोइ निवृत्ति पात्र विश्वासा

निर्मल मन अहीर निज दासा

परम् धर्ममय पहि दूहित भाई

अवतै अनलअकाम बनाई

तोष मरुत तव क्षमा जुड़ावै

घृति सम जावन देइ जमावै।

धैर्य को जामन बनाकर गोस्वामी जी ने कमाल ही कर दिया। धैर्य ही किसी चीज को जमाता है यह निश्चित है।

यद्यपि उत्तरकांड के ज्ञान का दीपक जलाने की जो बात है। वह सामान्य लोगों के गले नहीं उतरती कि इतनी कठिनाई से कोई दीपक जलाना है तो हम बिना जलाए ही रहेंगे। दीपक जलता है वह श्रमसाध्य जरूर है लेकिन जलाया जा सकता है पर यह दीपक कुछ और है।

गोस्वामी जी जैसे प्रतिभा संपन्न और साधना संपन्न व्यक्तित्व के अनुकूल हैं वह दीपक और कमाल उनका रूपक बाँधना देखें।

गाय जो होगी जिसके घर से ज्ञान का दीपक जला है वह सात्विकी श्रद्धा रूपी गाय हैं, किसी तरह से भगवान की कृपा से हृदय में आकर बस जाए तो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ हो। गोस्वामी जी ने इसको लिखने में कलम तोड़ दी-

सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई

जौ करि कृपा हृदय बस आई

जप तप व्रत जब नियम अपारा

जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा।

शब्दों के साभिप्राय प्रयोग की कला कोई गोस्वामी जी से सीखे-

'रघुवर बाल पतंग' किशोर राम बाल सूर्य हैं।

गोस्वामी जी के यहाँ प्रायः कमल और भ्रमर का साहचर्य देखने को मिलता

ही है लेकिन कहीं-कहीं उसके विलक्षण प्रयोग हैं, उत्तराखंड के मंगलाचरण में लिखते हैं-

जानकी कर खरोज ललितो , चिन्तकस्यम् मनभंगम्संगिनो।
गोस्वामी जी की बहुज्ञता और शब्द समर्थ्य के आगे दुनिया दंडवत है -
एक और प्रसंग देखिए भगवान शंकर भगवान की वंदना कर रहे हैं-कैसा रूपक बांधा है-

मन जात किरात निपात किए,
मृग लोग कुभोग सरेन हिए।
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे,
विषयावन पावर भूलि परे।

कामदेव रूपी भील ने मृग रूपी लोगों के मन कामदेव रूपी बाण मार दिया है।

तुलसीदास की रचनाओं में रूपकों का प्रयोग किया गया है. तुलसीदास द्वारा प्रयुक्त रूपकों से उनकी भक्ति का पता चलता है।

निष्कर्ष - इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 'रूपकों का बादशाह तुलसीदास' अत्यंत विकसित है। पूर्व दिशारूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन

में निर्भय विचर रहा है।

'उदयगिरि' पर 'मंच' का, 'रघुवर' पर 'बाल-पतंग' (सूर्य) का, 'संतो' पर 'सरोज (कमल)' का एवं 'लोचनों' पर 'भृंगों' (भौंरों) का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरनों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। हे नाथ! हे (पाप-ताप का हरण करने वाले) हरे ! उसे मारकर विषय रूपी वन में भूल पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार उक्त शोध पत्र की शोधात्मक विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि 'रूपकों का बादशाह तुलसीदास' की चेतनाएंविद्यमान हैं

संदर्भ ग्रंथ सूची: -

1. हनुमान बाहुक (रामचरित मानस) तुलसीदास, 1574, छंद 24 पृष्ठ संख्या 37
2. हनुमान बाहुक(रामचरितमानस) तुलसीदास, 1574 ,छंद संख्या 24 पृष्ठ संख्या 36
3. लंका कांड(रामचरितमानस) तुलसीदास, 1574,पृष्ठ संख्या 726 दोहा संख्या 22
4. सुंदरकांड(रामचरितमानस) तुलसीदास,1574 ,पृष्ठ संख्या 682
5. उत्तराखंड (रामचरितमानस) तुलसीदास, 1574,पृष्ठसंख्या82

मुस्लिम विवाह और विधि-एक विश्लेषण

डॉ. जाकिर खान*

* प्राचार्य, सांदीपनि विधि महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - मुस्लिम विवाह (निकाह) एक अनुबंध है जो धार्मिक, सामाजिक, और कानूनी महत्व रखता है। इसे इस्लामी कानून के तहत अनिवार्य बताया गया है, जिसका उद्देश्य केवल पति-पत्नी के बीच संबंध स्थापित करना नहीं है, बल्कि परिवार, समाज, और धर्म के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करना है। विवाह एक संस्था है। 'यह संस्था मानव सभ्यता का आधार है।' कुरान में लिखा है, कि 'हमने पुरुषों को स्त्रियों पर हाकिम (अधिकारी) बनाकर भेजा है।' दूसरे शब्दों में मुस्लिम विधि में पत्नी की अधिनता स्वीकार की गई है। निकाह (विवाह) का शाब्दिक अर्थ है- स्त्री और पुरुष यौन-संयोग और विधि में इसका अर्थ है- 'विवाह' बेनी के सार-संग्रह में विवाह की परिभाषा स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने और संतान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिये की गई संविदा के रूप में की गई है।

मुस्लिम विवाह के नियम निम्नलिखित स्रोतों पर आधारित हैं:

1. कुरान-यह इस्लामी कानून का प्राथमिक स्रोत है।
2. हदीस- पैगंबर मोहम्मद के कथन और क्रियाओं का संकलन।
3. इज्मा और क्यास-इस्लामी विद्वानों द्वारा सामूहिक निर्णय और तार्किक व्याख्या।
4. मुस्लिम पर्सनल लॉ तलाक से जुड़े कानून तहत आते हैं। मुस्लिम विवाह और नियम, 1937 के तहत आते हैं।

1. मुस्लिम विवाह की परिभाषा - मुस्लिम विवाह एक सिविल अनुबंध है, जो दो व्यक्तियों (पुरुष और महिला) को वैध रूप से पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहने की अनुमति देता है। हेदाया के अनुसार- 'विवाह एक विधिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा स्त्री और पुरुष के बीच समागम और बच्चों की उत्पत्ति तथा औरसीकरण पूर्णतयः वैध और मान्य होते हैं।' असहाबा का कथन है कि 'विवाह स्त्री और पुरुष की और से पारस्परिक अनुमति पर आधारित स्थाई संबंध में अंतर निहित संविदा है।'

डॉ. मोहम्मद उल्लाह एस जंग कहते हैं कि 'विवाह सारतः एक संविदा होते हुये भी एक श्रद्धात्मक कार्य है, जिनके उद्देश्य हैं-उपभोग और संतानोत्पत्ति के अधिकार और समाज के हित में सामाजिक जीवन का नियमन।'

अब्दुल रहीम के अनुसार 'विवाह की प्रथा में इबादत, मुआमलात दोनों गुण पाये जाते हैं, अर्थात् मुस्लिम रिवाजों के अनुसार विवाह सारतः एक व्यवहारिक संविदा होते हुये भी श्रद्धात्मक कार्य है।'

विशेषताएं:

सामाजिक अनुबंध- यह एक कानूनी अनुबंध है, जिसमें सहमति अनिवार्य

है। पक्षकार विवाह से पहले और बाद में अनुबंध को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

धार्मिक महत्व- विवाह को सुन्नत कहा गया है, जिसे पैगंबर मोहम्मद द्वारा अनुशंसित किया है। इसे नैतिकता, शांति और मानवता के विस्तार के लिए आवश्यक माना गया है।

धार्मिक और कानूनी अधिकार- पति और पत्नी दोनों को विवाह के दौरान और उसके बाद विशिष्ट अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं।

मुस्लिम विवाह के प्रकार

सही विवाह - सभी कानूनी शर्तों का पालन करते हुए किया गया विवाह इसमें पति-पत्नी के कानूनी अधिकार और कर्तव्य पूरी तरह लागू होते हैं।

अवैध विवाह - निषिद्ध रिश्तों में किया गया विवाह ऐसा विवाह अवैध होता है और इसके कानूनी परिणाम नहीं होते।

अविरुद्ध विवाह - जब कुछ शर्तों का उल्लंघन होता है (जैसे गवाह की अनुपस्थिति) इसे बाद में नियमित किया जा सकता है।

4. विवाह का उद्देश्य - 'तिरमिजी' विवाह के पाँच उद्देश्यों का उल्लेख करता है-

1. कामवासना का नियमन।
2. गृहस्थ जीवन का नियमन।
3. वंश की वृद्धि।
4. पत्नी और बच्चों की देखभाल और जिम्मेदारी में आत्मसंयम,
5. सदाचारी बच्चों का पालन।

'हेदाया' के अनुसार विवाह के उद्देश्य:

1. समागम
2. संगति
3. समान हितेच्छा

पैगंबर ने कहा-पुरुष स्त्रियों से विवाह उनकी धर्मनिष्ठा, सम्पत्ति या उनके सौन्दर्य के लिये करते हैं, परन्तु उन्हें विवाह केवल धर्मनिष्ठा के लिये करना चाहिये। (तिरमिजी)

5. विवाह की वैधता के लिए आवश्यक शर्तें

सक्षम पक्षकार - पुरुष और महिला दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ और बालिग (वयस्क) होने चाहिए। बालिग होने की उम्र आमतौर पर 15 वर्ष मानी जाती है।

प्रस्ताव और स्वीकृति - विवाह के लिए पुरुष और महिला के बीच एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव (इजाब) और दूसरे पक्ष द्वारा स्वीकृति (कबूल) आवश्यक

है। यह क्रियाएं एक बैठक में होनी चाहिए।

गवाह – सुन्नी विधि के अंतर्गत प्रस्ताव और स्वीकृति दो ऐसे पुरुष या एक पुरुष और दो स्त्री साक्षीयों की उपस्थिति में होना जरूरी हैं। जो स्वस्थचित और व्यस्क मुसलमान हो। साक्षीयों की अनुपस्थिति को विवाह को शून्य नहीं बल्कि अनियमित बना देती हैं।

शिया विधि के अंतर्गत विवाह के समय नहीं बल्कि विवाह-विच्छेद की घोषणा के समय साक्षी आवश्यक होते हैं। अतः शिया विधि के अंतर्गत साक्षीयों की अनुपस्थिति में किया गया विवाह पूर्णतः वैध विवाह माना जाता है।

स्वतंत्र सहमति– किसी विवाह के पक्षकारों का अपनी स्वतंत्र इच्छा और सहमति से विवाह करना जरूरी है। उनकी सहमति का भय, अनुचित दबाव या कपट से मुक्त होना जरूरी है। ऐसे बालक अथवा बालिका के मामले में जिसमें व्यस्कता न प्राप्त की हो, विवाह वैध न होगा। जब तक कि विधिक संरक्षक ने उसके लिये अनुमति न दे दी हो। यदि विवाह के पक्षकार स्वस्थचित और व्यस्क हैं तो ऐसी दशा में स्वयं उनके द्वारा सहमति का दिया जाना जरूरी है।

मैहर – पति द्वारा पत्नी को दी जाने वाली वित्तीय संपत्ति। यह तुरंत (प्रॉम्प्ट मैहर) या बाद में (डेफर्ड मैहर) दिया जा सकता है।

निषिद्ध संबंध – रक्त संबंध माता, बहन, बेटी। दूध संबंध रजाई रिश्ते (दूध पीने से बनने वाले रिश्ते)। विवाह संबंध सौतेली माँ, बहू।

6. मुस्लिम विवाह के कानूनी प्रभाव – पति-पत्नी के अधिकार और कर्तव्य पत्नी को भरण-पोषण का अधिकार है। पति-पत्नी के बीच निष्ठ योग आवश्यक है।

संतान के अधिकार– विवाह से जन्मी संतान वैध मानी जाती है। उन्हें संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है।

तलाक – तलाक तीन प्रकार के होते हैं। तलाक-ए-अहसन शांतिपूर्ण प्रक्रिया तलाक-ए-हसन तीन बार घोषणा। तलाक-ए-बिद्दत एक बार में तीन बार तलाक (जिसे अब अवैध घोषित किया गया है)।

7. मुस्लिम विवाह से संबंधित प्रमुख मामले :

1. शाह बानो केस (1985) सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण का अधिकार दिया है। इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के लिये एक नई बहस शुरू हुई है।
2. शमीम आरा बनाम स्टेट ऑफ यूपी (2002) तलाक को वैध मानने के लिए पति को उचित कारण और प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य

बताया गया।

3. सरला मुद्गल बनाम भारत संघ (1995) मुस्लिम धर्म स्वीकार कर दूसरी शादी करने के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने इसे धोखा करार दिया।
4. दानियाल लतीफ बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2001) शाह बानो मामले से संबंधित इस मामले ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की पुनरुपस्थापित की।
5. विभिन्न विद्वानों के विचार डॉ. असगर अली इंजीनियर कुरान में पुरुष और महिला के समान अधिकार हैं। उन्होंने महिलाओं के प्रति भेदभाव को समाप्त करने की वकालत की। प्रो. आफज़ल काज़ी विवाह को एक कानूनी अनुबंध मानते हुए उन्होंने इसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. फिरोज अहमद: मुस्लिम विवाह को परिवार और समाज की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया।

8. मुस्लिम विवाह में सुधार की आवश्यकता चुनौतियां:

1. बहुविवाह का दुरुपयोग।
2. तलाक प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी।
3. महिलाओं के अधिकारों की उपेक्षा।

सुझाव:

1. तलाक-ए-बिद्दत पर रोक लगाना।
2. महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करना।
3. विवाह और तलाक की प्रक्रिया को आधुनिक बनाना।

निष्कर्ष– मुस्लिम विवाह एक पवित्र अनुबंध है जो धार्मिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। हालांकि, बदलते समय के साथ इसमें सुधार की आवश्यकता है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम विवाह कानून को संवेदनशील और न्यायसंगत बनाया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. कुरान और हदीस
2. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937
3. शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद खान (AIR 1985 SC 945)
4. शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2002)
5. डॉ. असगर अली इंजीनियर, इस्लाम और जेंडर जस्टिस
6. प्रो. आफज़ल काज़ी, मुस्लिम विवाह कानून का विश्लेषण
7. अकील अहमद मुस्लिम विधि

आई.एम. शक्ति उड़ान योजना की जानकारी, प्रभाव एवं समस्या : महाविद्यालय स्तरीय बालिकाओं का एक विश्लेषण

डॉ. अंजना जाटव*

* अतिथि संकाय, भूगोल (वि.सं.यो.) राजकीय महाविद्यालय, तालेड़ा (बून्दी) (राज.) भारत

शोध सारांश – राजस्थान सरकार द्वारा संचालित 'आई एम शक्ति उड़ान योजना' महिलाओं और किशोरियों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, और गरिमा को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। 19 दिसंबर 2021 को आरंभ की गई इस योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) को प्रोत्साहित करना, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ना, और मासिक धर्म के कारण शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करना है। निःशुल्क सैनिटरी नेपकिन की आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को लाभ मिल सके। इस शोध पत्र के माध्यम से योजना की प्रभावशीलता, जागरूकता के स्तर और इससे जुड़ी समस्याओं का विश्लेषण किया गया है। कोटा जिले के राजकीय महाविद्यालयों की 45 छात्राओं से साक्षात्कार और अन्य आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन कर निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

शब्द कुंजी – उड़ान, महाविद्यालय, सैनेटरी नेपकिन, स्वास्थ्य।

प्रस्तावना – राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा राज्य में किशोरियों/महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता एवं निःशुल्क सैनेटरी नेपकिन वितरण हेतु 'उड़ान' योजना संचालित की जा रही है। आई.एम. शक्ति उड़ान योजना, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) की अत्यंत आवश्यकता को समझते हुए, यह योजना निः शुल्क सैनिटरी नेपकिन प्रदान करती है। इस प्रयास का उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा की रक्षा करना है, साथ ही मासिक धर्म के कारण लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करना है। जागरूकता बढ़ाकर, सामाजिक वर्जनाओं को तोड़कर और आवश्यक संसाधन प्रदान करके, उड़ान योजना महिलाओं और किशोरियों को स्वस्थ और आत्मविश्वासपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाती है। योजना के अंतर्गत हुए महिलाओं एवं किशोरियों को निःशुल्क सैनेटरी नेपकिन उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। इसके लिए राजस्थान मेडिकल सर्विस कापोरेशन एवं राजीविका द्वारा मांग अनुसार सैनेटरी नेपकिन क्रय किये जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों पर आपूर्ति की जाती है। योजना का प्रारम्भ दिनांक 19.12.2021 को किया गया।

उद्देश्य एवं शोध प्रविधि – प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान सरकार द्वारा संचालित आई.एम. शक्ति उड़ान योजना का विश्लेषण से सम्बन्धित है। इस शोध का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित उड़ान योजना के प्रति महाविद्यालय स्तर पर पढ़ने वाली बालिकाओं में जानकारी का स्तर, प्रभावों एवं समस्याओं का विश्लेषण करना है। प्रस्तुत शोध पत्र निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। इस हेतु कोटा जिले से राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन करने वाली

कुल 45 बालिकाओं से निर्धारित अनुसूची के द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया गया है। इस हेतु प्रत्येक महाविद्यालय से 15-15 बालिकाओं का चयन सोद्देश्यपूर्ण पद्धति से किया गया। चयनित बालिकाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार से सूचनाओं का संकलन किया गया। इसके अतिरिक्त योजना से सम्बन्धित अन्य सूचनाओं का संकलन किया गया। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट से वार्षिक प्रतिवेदनों से भी सूचनाओं का संकलन किया गया है। संकलित सूचनाओं को आवृत्ति एवं प्रतिशत के माध्यम से विश्लेषित कर आरेख एवं तालिका द्वारा दर्शाया गया है।

विश्लेषण – कोटा जिले के राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं से व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संचालित आई.एम. शक्ति उड़ान योजना के बारे में जानकारी, योजना का प्रभाव एवं समस्याओं के विषय में संकलित सूचनाओं को निम्नांकित बिन्दुओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है-

योजना की जानकारी – महाविद्यालय स्तर की बालिकाओं में उड़ान योजना के बारे में जानकारी एवं लाभ के स्तर को जानने के लिए सर्वेक्षित छात्राओं से जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 1 : छात्राओं में उड़ान योजना के बारे में जानकारी एवं लाभ प्राप्ति का स्तर

क्र.	योजना के सन्दर्भ में	संख्या	प्रतिशत
1	योजना के बारे में जानकारी	41	91.11
2	योजना से लाभ प्राप्त हुआ	38	84.44

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

सारणी में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि छात्राओं पर उड़ान योजना का व्यापक प्रभाव पड़ा है। कुल सर्वेक्षित छात्राओं में से 91.11 प्रतिशत छात्राएँ इस योजना के बारे में जानकारी रखती हैं जो यह दर्शाता है कि यह योजना प्रचार-प्रसार के स्तर पर सफल रही है। वहीं 84.44 प्रतिशत छात्राएँ इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुई हैं। योजना की जानकारी एवं लाभ के स्तर के विषय में यह आँकड़ा योजना की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इसी प्रकार तालिका में महाविद्यालय स्तर की छात्राओं में उड़ान योजना के बारे में जानकारी के स्रोतों के विषय में आंकड़ों को दर्शाया गया है।

सारणी 2 : छात्राओं में उड़ान योजना के बारे में जानकारी के स्रोत

क्र.	जानकारी के स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1	सहपाठी छात्राओं से	8	17.78
2	समाचार पत्रों से	5	11.11
3	सोशल मिडिया से	16	35.56
4	अन्य स्रोतों से	12	26.67

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

सारणी में आई.एम. शक्ति उड़ान योजना के विषय में जानकारी के स्रोतों का विश्लेषण किया गया है। तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि 17.78 प्रतिशत छात्राओं को अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से ही जानकारी प्राप्त हुई है जबकि 11.11 प्रतिशत बालिकाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से उड़ान योजना की जानकारी मिली है। सोशल मीडिया के माध्यम से 35.56 प्रतिशत छात्राओं को जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार महाविद्यालय स्तर की 26.67 प्रतिशत बालिकाओं को अन्य माध्यम से उड़ान योजना के बारे में जानकारी मिली है। इस प्रकार वर्तमान युग में सोशल मिडिया सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वहीं पारम्परिक माध्यम आज भी प्रासंगिक हैं, किंतु उनकी पहुँच सीमित है।


योजना का प्रभाव - उड़ान योजना के प्रभावों को जानने के लिए महाविद्यालयीय बालिकाओं से इस विषय में जानकारी एकत्रित की गयी संकलित सूचनाओं को विश्लेषण उपरांत सारणी में दर्शाया गया है। आई.एम. शक्ति उड़ान योजना का कॉलेज स्तर की बालिकाओं पर प्रभावों को मुख्यतः आर्थिक, स्वास्थ्य, निजी स्वच्छता एवं आत्मनिर्भरता में वृद्धि के रूप में चिन्हित किया गया है।

सारणी 3 : उड़ान योजना का महाविद्यालयीय छात्राओं पर प्रभाव

क्र.	योजना के प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
1	योजना से आर्थिक लाभ	36	80.00
2	योजना से स्वास्थ्यलाभ	28	62.22
3	निजी स्वच्छता में सहायक	27	60.00
4	मनोबल/ आत्मनिर्भरता में वृद्धि	24	53.33

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

आरेख : 1



तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित छात्राओं में से 80.00 प्रतिशत छात्राएँ इस योजना के कारण आर्थिक रूप से लाभान्वित हुई हैं। इस योजना के कारण उन्हें नेपकिन क्रय में जो मासिक रूप से कम से कम 50-100 रुपये तक राशि खर्च करनी पड़ती थी अब उस खर्च से मुक्ति मिली है साथ ही यह राशि अन्य शैक्षिक खर्चों में कर पाती है। सर्वेक्षित छात्राओं में से 62.22 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि योजना के कारण उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ है, जबकि 60.00 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि इस योजना से उन्होंने अपनी निजी स्वच्छता में सुधार अनुभव किया। माहवारी के दौरान निजी स्वच्छता के लिए निःशुल्क सेनेटरी नेपकिन की उपलब्धता के कारण बालिकाओं में आत्मनिर्भरता एवं मनोबल में वृद्धि भी देखी गयी है। महाविद्यालय स्तर की 53.33 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि योजना के कारण उनमें आत्मनिर्भरता एवं मनोबल में वृद्धि हुई है। इस प्रकार उड़ान योजना के बहुआयामी प्रभाव हैं।


समस्याएँ - सर्वेक्षण के दौरान महाविद्यालयीय बालिकाओं से उड़ान योजना से सम्बन्धित समस्याओं एवं कमियों के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गयी। इस योजना के सन्दर्भ में मुख्यतः वितरण, गुणवत्ता एवं मात्रा सम्बन्धी समस्याओं को चिन्हित किया गया है बालिकाओं से प्राप्त जानकारी को विश्लेषण उपरांत तालिका में दर्शाया गया है।

सारणी 4: उड़ान योजना में छात्राओं द्वारा देखी गयी समस्याएँ

क्र.	समस्या के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	वितरण व्यवस्था सम्बन्धी	16	35.56
2	उत्पाद गुणवत्ता सम्बन्धी	12	26.67
3	उत्पाद मात्रा सम्बन्धी	5	11.11
4	अन्य	6	13.33

स्रोत: व्यक्तिगत साक्षात्कार से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण

आरेख: 2



तालिका में दर्शाए गये आंकड़ों से अवलोकन से स्पष्ट है कि 35.56 प्रतिशत बालिकाओं का मानना है कि उड़ान योजना में सेनेटरी नेपकिन महाविद्यालय में वितरण की व्यवस्था सही है एवं सुचारु नहीं रहती है। बालिकाओं का कहना है कि जब महाविद्यालय में नेपकिन की आवश्यकता होती है तब उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार 26.67 प्रतिशत बालिकाओं ने बताया कि योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त नहीं होते हैं जबकि 11.11 प्रतिशत छात्राओं का मानना है कि कई बार महाविद्यालय में उपलब्ध स्टॉक खत्म हो जाता है जिस कारण भी उन्हें समस्या का समना करना पड़ता है। इसके आलावा 13.33 प्रतिशत छात्राओं ने अन्य समस्याओं के अंतर्गत तकनीकी समस्या, वितरण प्रभारी स्टाफ की अनुपस्थिति आदि समस्याओं को भी चिन्हित किया है।

निष्कर्ष – महिलाओं और बालिकाओं के स्वास्थ्य के विषय में राज्य सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। उड़ान योजना ने छात्राओं के जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन लाने का कार्य किया है। योजना के विषय में अधिकांश बालिकाओं को इस विषय में जानकारी प्राप्त है। उड़ान योजना के कारण महिलाओं एवं कॉलेज स्तर पर पढने वाली बालिकाओं पर कई प्रभावदेखे जा सकते हैं। उड़ान योजना का सीधा सा प्रभाव बालिकाओं के निजी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य पर पड़ा परन्तु इसके साथ-साथ इसको आत्मनिर्भरता में वृद्धि एवं आर्थिक सम्बल के रूप में भी देखा जा सकता है। हालाँकि, योजना के क्रियान्वयन में आज भी कुछ वितरण और गुणवत्ता संबंधी चुनौतियाँ हैं जो इसके प्रभाव को सीमित करती हैं। योजनाकारों को इन चुनौतियों का समाधान निकालकर इसे और अधिक प्रभावशाली एवं सशक्त बनाने के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. वार्षिक प्रतिवेदन (2023-24) महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
2. https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in//Content/UploadFolder/OrderEntry/W_CD/2024/Annual_Progress_Report/O_090724_9fbd951b-02ea-499e-b3a4-ba3641bb559e.pdf
3. https://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/maharaja_ganga_singh_university/m.j.d._government_college,_taranagar/uploads/doc/Udan%20Yogana.pdf
4. <https://jankalyanfile.rajasthan.gov.in/Content/UploadFolder/DepartmentMaster/166/2023/Feb/30409/133142.pdf>
5. <https://www.patrika.com/jaipur-news/i-am-shakti-udan-scheme-will-be-launched-7222135>

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता चुनौतियां और अवसर

डॉ. राजेश कुमार शुक्ला*

* सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) श्री किशुन महाविद्यालय, खेजुरी बलिया (उ.प्र.) भारत

शोध सारांश - आर्थिक विकास और सामाजिक समानता किसी भी समाज के विकास के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। आर्थिक विकास से देश की समृद्धि बढ़ती है, जबकि सामाजिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि इस विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिले। हालांकि, इन दोनों को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आय असमानता एक प्रमुख समस्या है, जहां समाज का संपन्न वर्ग तेजी से समृद्ध होता है, जबकि गरीब वर्ग हाशिये पर रह जाता है। शहरी-ग्रामीण विभाजन, जहां शहरी क्षेत्रों में बेहतर अवसर उपलब्ध हैं और ग्रामीण क्षेत्र संसाधनों की कमी से जूझते हैं, इस असमानता को और गहरा करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता, विशेषकर गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए, आर्थिक असमानता का एक और बड़ा कारण है। इसके अलावा, लैंगिक असमानता और नीतिगत कमजोरियां भी सामाजिक समानता को बाधित करती हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के कई अवसर उपलब्ध हैं। समावेशी नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को प्राथमिकता देने वाली योजनाएं, समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त कर सकती हैं। तकनीकी प्रगति, विशेषकर डिजिटलीकरण, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के अंतर को कम करने में मदद कर सकती है। कौशल विकास और रोजगार सृजन कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाकर आर्थिक समानता की दिशा में बड़ा कदम हो सकते हैं। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने से लैंगिक समानता बढ़ेगी और समाज की प्रगति तेज होगी। आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, तो समाज में न केवल आर्थिक समृद्धि होगी, बल्कि सामाजिक स्थिरता और समरसता भी बनी रहेगी। इसके लिए समावेशी नीतियों, सामुदायिक भागीदारी और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी - आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, आय असमानता, शहरी-ग्रामीण विभाजन, शिक्षा और स्वास्थ्य, तकनीकी प्रगति, महिला सशक्तिकरण।

प्रस्तावना - आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक समाज के समग्र और स्थायी विकास के लिए आवश्यक हैं। आर्थिक विकास का तात्पर्य है उत्पादन, आय और जीवन स्तर में वृद्धि, जबकि सामाजिक समानता का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। हालांकि, इन दोनों पहलुओं को एक साथ प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि आर्थिक विकास अक्सर असमानता को बढ़ावा देता है। आर्थिक विकास के बावजूद समाज में आय असमानता, लैंगिक भेदभाव और शहरी-ग्रामीण अंतर जैसी चुनौतियां मौजूद रहती हैं। गरीब और वंचित वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में समान अवसर न मिलना सामाजिक समानता के लक्ष्य को बाधित करता है। साथ ही, भ्रष्टाचार और नीतिगत कमजोरियां इस समस्या को और बढ़ाती हैं। दूसरी ओर, समावेशी विकास, तकनीकी प्रगति, और महिला सशक्तिकरण जैसे उपाय इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। डिजिटल युग में ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना, कौशल विकास और रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावी बनाना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करना एक चुनौतीपूर्ण

लेकिन आवश्यक कदम है, जो एक समृद्ध, स्थिर और न्यायसंगत समाज का आधार बन सकता है।

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता किसी भी समाज के समग्र विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक ओर आर्थिक विकास से देश की समृद्धि और संसाधनों में वृद्धि होती है, तो दूसरी ओर सामाजिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि इन संसाधनों का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। हालांकि, इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है।



आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि केवल आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाए और सामाजिक समानता की उपेक्षा

की जाए, तो समाज में असंतोष और अस्थिरता बढ़ सकती है। इसके विपरीत, यदि आर्थिक विकास के साथ-साथ समानता सुनिश्चित की जाए, तो एक मजबूत, समृद्ध और स्थिर समाज का निर्माण संभव है। इसके लिए नीतिगत दृढ़ता, समावेशी दृष्टिकोण और सामुदायिक सहयोग आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन के शोध उद्देश्य अग्रलिखित हैं :-

● **आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संबंध का अध्ययन** - यह समझना कि आर्थिक विकास कैसे आय वितरण, अवसरों और संसाधनों तक समान पहुंच को प्रभावित करता है और इसके लिए कौन-कौन सी चुनौतियां जिम्मेदार हैं।

● **चुनौतियों के समाधान और अवसरों की पहचान** - उन नीतियों, उपायों और प्रयासों की पहचान करना जो आर्थिक विकास को समावेशी बनाकर सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं।

प्रस्तुत अध्ययन के शोध परिकल्पना अग्रलिखित हैं :-

● आर्थिक विकास सामाजिक समानता को प्रभावित करता है यह परिकल्पना है कि आर्थिक विकास यदि समावेशी न हो, तो आय असमानता और संसाधनों के असमान वितरण को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक असमानता गहराती है।

● समावेशी नीतियां आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन बना सकती हैं यह परिकल्पना है कि समावेशी विकास नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं।

पूर्व शोध साहित्य -

● साइमन कुजनेट्स (1955) ने अपने अध्ययन 'Economic Growth and Income Inequality' में कुजनेट्स वक्र का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में आय असमानता बढ़ती है, लेकिन जैसे-जैसे विकास परिपक्व होता है, असमानता घटने लगती है। यह अध्ययन आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध का आधारभूत कार्य माना जाता है।

● अमर्त्य सेन (1999) ने अपनी पुस्तक 'Development as Freedom' में विकास को केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और समान अवसरों के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने सामाजिक समानता को विकास के लिए आवश्यक मानते हुए तर्क दिया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा के बिना आर्थिक विकास अपूर्ण है।

● थॉमस पिकेटी (2014) ने अपनी पुस्तक 'Capital in the Twenty&First Century' में आर्थिक असमानता के ऐतिहासिक रुझानों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास अक्सर धन की असमानता को बढ़ाता है। पिकेटी ने असमानता को कम करने के लिए कर सुधार और सार्वजनिक नीतियों के महत्व पर जोर दिया।

शोध प्रविधि - सांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग कर आय असमानता, शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं, और रोजगार के प्रभाव का अध्ययन किया गया है साथ ही आर्थिक विकास दर और सामाजिक संकेतकों (जैसे गरीबी, बेरोजगारी) के बीच संबंध का मूल्यांकन किया गया है। नीतियों, योजनाओं, और सामाजिक कार्यक्रमों के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। केस स्टडी और साक्षात्कार का उपयोग कर समाज के विभिन्न वर्गों की समस्याओं और अनुभवों को समझा गया है। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत विभिन्न देशों

या राज्यों के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में अंतर का विश्लेषण व सफल और असफल नीतियों के परिणामों का तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है।

प्रदत्त संकलन

प्राथमिक स्रोत - साक्षात्कार, सर्वेक्षण, और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर आधारित हैं।

द्वितीयक स्रोत - सरकारी रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे विश्व बैंक, UNDP) के आंकड़े, और शोध लेख, एथ ग्रन्थ, इन्टरनेट से प्राप्त तथ्य आदि पर आधारित हैं।

तालिकाओं के माध्यम से प्रस्तुतीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण - शोध प्रविधियों का उपयोग कर प्राप्त आंकड़ों और निष्कर्षों को तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहां सर्वेक्षण और अन्य डाटा स्रोतों से प्राप्त तालिकाओं का विश्लेषण है :-

तालिका क्रमांक - 01: आय असमानता और आर्थिक विकास दर का तुलनात्मक विश्लेषण

क्रं.	वर्ष	देश/राज्य	आर्थिक विकास दर (%)	गिनी सूचकांक (आय असमानता)
1	2010	भारत	6.2	35.7
2	2015	भारत	7.5	37.8
3	2020	भारत	4.5	39.3

तालिका क्रमांक - 02: सामाजिक संकेतकों का विश्लेषण (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार)

क्रं.	सामाजिक संकेतक	ग्रामीण क्षेत्र (%)	शहरी क्षेत्र (%)	राष्ट्रीय औसत (%)
1	साक्षरता दर	65.8	85.4	74.5
2	स्वास्थ्य सुविधाएं	45.2	82.1	63.7
3	बेरोजगारी दर	7.9	5.4	6.8

तालिका क्रमांक - 03: नीतियों और उनके प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन


क्रं.	नीति /कार्यक्रम	लक्ष्य समूह	प्रभाव का प्रतिशत (%)	सकारात्मक परिणाम
1	मनरेगा	ग्रामीण मजदूर	60	आय में सुधार
2	आयुष्मान भारत	गरीब परिवार	70	स्वास्थ्य खर्च में कमी
3	महिला सशक्तिकरण योजना	ग्रामीण महिलाएं	50	स्वरोजगार के अवसर बढ़े

तालिका क्रमांक - 04: क्षेत्रीय तुलना - विकास और समानता

क्रं.	राज्य/देश	एचडीआई (Human Development Index)	आर्थिक विकास दर (%)	लैंगिक समानता सूचकांक
1	महाराष्ट्र	0.752	8.1	0.78
2	बिहार	0.576	5.3	0.62
3	केरल	0.800	7.2	0.85

शोध विश्लेषण - उपरोक्त तालिकाओं के माध्यम से परिलक्षित होता है कि

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच के संबंध का विश्लेषण इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है। इस विश्लेषण में दोनों के बीच की जटिलताओं और अवसरों को समझने की कोशिश की जाती है। शोध का उद्देश्य आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली सामाजिक असमानताओं की पहचान करना और समावेशी नीतियों के माध्यम से इन असमानताओं को दूर करने के अवसरों का विश्लेषण करना है।



आर्थिक विकास और आय असमानता का संबंध - आर्थिक विकास के दौरान, शुरुआत में आय असमानता बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जाती है। कुजनेट्स वक्र के सिद्धांत के अनुसार, विकास की प्रारंभिक अवस्था में आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से उच्च वर्ग के लाभ के रूप में होती है, जिससे आय असमानता बढ़ती है। हालांकि, जैसे-जैसे विकास परिपक्व होता है, असमानता घटने लगती है। इस परिकल्पना का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास किया गया है कि क्या यह सिद्धांत वास्तविकता से मेल खाता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में।

सामाजिक संकेतकों का प्रभाव - आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक संकेतकों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। शोध में यह पाया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास और सामाजिक समानता के बीच बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं की कमी के कारण सामाजिक असमानता बनी रहती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये सेवाएं बेहतर उपलब्ध होती हैं।

समावेशी नीतियों का प्रभाव - शोध में यह विश्लेषण किया गया कि समावेशी नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को समान रूप से वितरित करना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, मनरेगा जैसी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए, जिससे आय में वृद्धि हुई और सामाजिक समानता में कुछ हद तक सुधार हुआ। इसके साथ ही, आयुष्मान भारत योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाया, जिससे गरीब वर्ग के लोग स्वास्थ्य के लाभ उठा सके।

लैंगिक समानता का विश्लेषण - लैंगिक समानता का अध्ययन इस शोध में महत्वपूर्ण था। यह पाया गया कि आर्थिक विकास के साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार होने की बजाय, कई जगहों पर उनकी सामाजिक स्थिति में कमी आई है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं और कार्यक्रमों के बावजूद, महिलाएं अक्सर आर्थिक अवसरों से वंचित रहती हैं। यह विश्लेषण इस मुद्दे को हल करने के लिए विभिन्न नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

क्षेत्रीय असमानताएं और नीति सुधार - शोध में विभिन्न क्षेत्रों (जैसे शहरी और ग्रामीण) के बीच असमानताओं का गहराई से अध्ययन किया

गया। पाया गया कि कुछ राज्यों में बेहतर नीतियों और प्रशासन के कारण आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में तेजी से सुधार हुआ, जबकि अन्य राज्यों में नीतियों की कमी और प्रशासनिक विफलता ने इन दोनों के बीच अंतर को और बढ़ाया।

प्रस्तुत शोध अध्ययन से प्राप्त परिणाम के आधार पर कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच एक जटिल संबंध है। केवल आर्थिक वृद्धि से सामाजिक समानता नहीं आ सकती, इसके लिए समावेशी नीतियां, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य की समान पहुंच आवश्यक हैं। इसके अलावा, लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। यदि इन पहलुओं को सही तरीके से संबोधित किया जाए, तो समाज में स्थिरता, समृद्धि और समानता सुनिश्चित की जा सकती है।

शोध परिणाम - इस शोध का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच के रिश्ते को समझना और यह पहचानना था कि इनमें से कौन सी चुनौतियां मौजूद हैं और इनमें सुधार के कौन से अवसर उपलब्ध हैं। शोध परिणामों ने इस जटिल विषय पर कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिए हैं: - **आर्थिक विकास और आय असमानता** - आर्थिक विकास के दौरान आय असमानता में वृद्धि होती है, खासकर तब जब विकास समावेशी नहीं होता। प्रारंभ में उच्च वर्गों को ज्यादा लाभ होने के कारण गरीबी और अमीरी के बीच अंतर बढ़ता है। हालांकि, जैसे-जैसे विकास प्रक्रिया परिपक्व होती है, विकास के लाभों का वितरण बेहतर होने लगता है, जिससे असमानता में कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर, भारत में 2000 के दशक के पहले और बाद के वर्षों में विकास दर में वृद्धि हुई, लेकिन सामाजिक असमानता, जैसे गिनी सूचकांक, में मामूली बढ़ोतरी देखी गई।

समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की असमानताएं - आर्थिक विकास के बावजूद समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में असमानता बनी रहती है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी कमी है। इस असमानता को कम करने के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता है। शोध में पाया गया कि गरीब और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और शिक्षा की गुणवत्ता बहुत खराब है, जिसके कारण सामाजिक असमानता बनी रहती है।

लैंगिक समानता की चुनौतियां - लैंगिक समानता की दिशा में भी आर्थिक विकास पर्याप्त बदलाव नहीं ला सका है। हालांकि, महिला सशक्तिकरण योजनाओं और शिक्षा कार्यक्रमों ने सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है, लेकिन महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक अवसरों में समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने चाहिए। हालांकि महिला सशक्तिकरण योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आय में वृद्धि की है, लेकिन लैंगिक असमानता अब भी शिक्षा और रोजगार क्षेत्रों में देखी जाती है।

समावेशी नीतियों और योजनाओं का प्रभाव - शोध ने यह दर्शाया कि समावेशी नीतियों और योजनाओं जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत और स्वच्छ भारत अभियान ने ग्रामीण और गरीब समुदायों में आय और स्वास्थ्य में सुधार किया है। इन योजनाओं ने सामाजिक समानता बढ़ाने में योगदान दिया है, लेकिन इनका प्रभाव अधिक स्थायी और व्यापक बनाने के लिए इनकी कार्यान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। मनरेगा योजना ने ग्रामीण

क्षेत्रों में रोजगार का सृजन किया, जबकि आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की, जिससे सामाजिक समानता में सुधार हुआ। **क्षेत्रीय और शहरी-ग्रामीण असमानताएं** – शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में बड़ा अंतर पाया गया। शहरी क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर होने के कारण, वहां का विकास और जीवन स्तर ग्रामीण क्षेत्रों से कहीं बेहतर है। इसके लिए विशेष नीतियां और योजनाएं बनानी चाहिए जो ग्रामीण इलाकों में विकास को प्रोत्साहित करें। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बहुत बेहतर है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह स्थितियां बहुत खराब हैं।

शोध से यह निष्कर्ष निकलता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच गहरे संबंध हैं, और इन दोनों को एक साथ बढ़ावा देने के लिए समावेशी नीतियां, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच, और लैंगिक समानता पर ध्यान देना आवश्यक है। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में सुधार के लिए योजनाओं की अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। यदि ये कदम सही दिशा में उठाए जाते हैं, तो आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जो समृद्ध और समान समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा।

शोध परिकल्पना सत्यापन – इस शोध में दो प्रमुख परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया था, जो आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच के रिश्ते को समझने के लिए निर्धारित की गई थीं। निम्नलिखित परिकल्पनाओं का सत्यापन इस शोध के परिणामों से किया गया :-

आर्थिक विकास सामाजिक समानता को प्रभावित करता है

परिकल्पना – आर्थिक विकास यदि समावेशी न हो, तो आय असमानता और संसाधनों के असमान वितरण को बढ़ावा देता है, जिससे सामाजिक असमानता गहराती है।

सत्यापन – शोध के परिणामों ने यह दिखाया कि जब आर्थिक विकास समावेशी नहीं होता और केवल कुछ वर्गों या क्षेत्रों तक सीमित रहता है, तो आय असमानता बढ़ती है और इसके कारण सामाजिक असमानता भी गहरी होती है। उदाहरण के तौर पर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच असमानताएं स्पष्ट रूप से देखी गईं। शहरी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी भारी कमी थी। इसके अलावा, अगर आर्थिक विकास के दौरान केवल उच्च वर्ग को लाभ होता है, तो इससे समाज के अन्य वर्गों में असंतोष और असमानता की भावना बढ़ सकती है। यह परिकल्पना सत्य है, क्योंकि असमान आर्थिक विकास सामाजिक समानता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

समावेशी नीतियां आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन बना सकती हैं।

परिकल्पना – समावेशी विकास नीतियां, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर प्रदान करना, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकती हैं।

सत्यापन – शोध ने यह दिखाया कि समावेशी नीतियां जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत योजना, और स्वच्छ भारत मिशन ने गरीब और ग्रामीण वर्गों को सीधे लाभ पहुंचाया, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। विशेष रूप से, मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन किया और आय असमानता को कुछ हद तक कम किया। आयुष्मान भारत

योजना ने गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ। इन नीतियों से स्पष्ट रूप से यह साबित हुआ कि समावेशी नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। यह परिकल्पना सत्य है, क्योंकि समावेशी नीतियां सामाजिक समानता को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को समावेशी बनाने में प्रभावी साबित होती हैं।

शोध ने दोनों परिकल्पनाओं का समर्थन किया है। आर्थिक विकास यदि समावेशी नहीं होता, तो यह सामाजिक समानता में कमी ला सकता है, और समावेशी नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन संभव है। इसके परिणामस्वरूप, यह पुष्टि होती है कि सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समावेशी विकास नीतियों का पालन करना अनिवार्य है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि आर्थिक विकास और सामाजिक समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए समावेशी नीतियों और योजनाओं का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास केवल तभी स्थिर और समृद्ध हो सकता है जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त हों। इस शोध ने यह भी सुझाव दिया कि लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए विशेष नीतियों की आवश्यकता है। अगर इन नीतियों का सही तरीके से कार्यान्वयन किया जाए, तो सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है और विकास के लाभ सभी वर्गों तक पहुंच सकते हैं।

सुझाव – आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं :-

1. सरकारों और नीति निर्धारकों को समावेशी नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो सभी वर्गों और क्षेत्रों को समान अवसर प्रदान करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों का समान वितरण आवश्यक है।
2. महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों में महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना आवश्यक है।
3. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।
4. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना चाहिए, ताकि सभी वर्गों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान गरीब और पिछड़े वर्गों की शिक्षा पर दिया जाना चाहिए।
5. कर नीति को अधिक प्रगतिशील बनाया जाना चाहिए ताकि उच्च आय वर्ग से अधिक कर लिया जा सके और इसे गरीब वर्ग की कल्याण योजनाओं में निवेश किया जा सके। इससे आय असमानता को कम करने में मदद मिल सकती है।
6. सरकार को एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क बनाना चाहिए, जो गरीब और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक संकट के दौरान मदद प्रदान करे। यह नेटवर्क न केवल गरीबी में कमी लाने में मदद करेगा, बल्कि सामाजिक असमानता को भी कम करेगा।
7. आर्थिक विकास को गति देने और समानता सुनिश्चित करने के लिए

नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना चाहिए। नई तकनीकों का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुधार सकते हैं।

8. सामाजिक समानता और विकास की दिशा में लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। समुदायों और नागरिक समाज के संगठन को अधिक सक्रिय रूप से नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में शामिल किया जाना चाहिए।

आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के बीच संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन समावेशी नीतियों, लैंगिक समानता, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समान पहुंच सुनिश्चित करके इसे संभव बनाया जा सकता है। इन सुझावों का पालन करने से न केवल सामाजिक समानता में सुधार होगा, बल्कि आर्थिक विकास भी समावेशी और सशक्त होगा, जिससे समाज के सभी वर्गों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Amartya Sen (1999) **आर्थिक विकास और स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, असमानता**, Development as Freedom, ISBN: 978-0198297581, Page No.: 432.
2. Dasgupta, Partha (1993) **सामाजिक भलाई, गरीबी, असमानता, जीवन स्तर**, Book: An Inquiry into Well-Being and Destitution ISBN: 978-0198287025, Page No.: 400.
3. Kuznets, Simon (1955) **आर्थिक विकास और आय असमानता के बीच संबंध**, Paper: Economic Growth and Income Inequality, Journal: The American Economic Review, 45(1), 1-28, ISBN: N/A (Journal Article), Page No.: 28.
4. Myrdal, Gunnar (1968) **एशियाई देशों में गरीबी, आर्थिक असमानता और विकास**, Book: Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, ISBN: 978-0394709817, Page No.: 2,338.
5. Piketty, Thomas (2014) **आय असमानता, पूंजी का संचय, और आर्थिक संरचनाएं**, Book: Capital in the Twenty-First Century, ISBN: 978-0674430006, Page No.: 696.
6. Rawls, John (1971) **न्याय, समानता, और सामाजिक अनुबंध**, Book: A Theory of Justice, ISBN: 978-0674000780, Page No.: 624.
7. Sachs, Jeffrey D. (2005) **गरीबी, विकास, और आर्थिक संभावनाएं**, Book: The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time, ISBN: 978-0143036586, Page No.: 416.
8. Sen, Amartya (2000) **सामाजिक बहिष्करण, विकास, और असमानता**, Book: Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny, ISBN: 978-9715613836, Page No.: 106.
9. Stiglitz, Joseph E. (2002) **वैश्वीकरण, असमानता, और आर्थिक नीति**, Book: Globalization and Its Discontents, ISBN: 978-0393324393, Page No.: 296.
10. World Bank (2000) **गरीबी, सामाजिक समानता, और विकास नीति**, Report: World Development Report 2000/2001: Attacking Poverty, ISBN: 978-0195215911, Page No.: 296.

Artificial Intelligence and Its Impact on Labor Productivity and Employment

Dr. Kapil Kumar Chandra* Dr. Sunil Kumar Kumeti**

*Assistant Professor (Guest) C.P.D. Govt. College, Pithora, Mahasamund (C.G.) INDIA

** Assistant Professor, School of Studies in Economics Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.) INDIA

Abstract : The dynamics of labour productivity and employment across sectors are being reshaped as a result of the emergence of artificial intelligence (AI), which has emerged as a disruptive force today. This study investigates the influence that artificial intelligence (AI) has had on the worldwide labour market, which has both positive and negative aspects. On the one hand, automation and intelligent systems that are driven by artificial intelligence may boost productivity by simplifying operations, lowering operating costs, and allowing new solutions in the areas of manufacturing, services, and logistics. The incorporation of artificial intelligence, on the other hand, raises worries about the displacement of jobs, gaps in skill sets, and pay heterogeneity. In spite of the fact that repetitive and regular work are becoming increasingly mechanised, which may result in possible joblessness in some industries, new job possibilities are emerging in the fields of artificial intelligence research, data analysis, and maintenance. On the other hand, these positions require more sophisticated abilities and ongoing training. Specifically, the report emphasizes the significance of proactive measures, such as labour reskilling, social safety nets, and ethical AI governance, in order to guarantee that everyone would benefit equally from breakthroughs in artificial intelligence. The ability of industries to achieve sustainable development, reduce the number of job losses, and improve economic resilience may be achieved via the promotion of a synergistic approach between human labour and artificial intelligence technology. This abstract highlights the fact that there is a crucial need for joint efforts across governments, industries, and educational institutions in order to harness the promise of artificial intelligence while reducing the issues that it poses for the labour market.

Keywords: Artificial intelligence, Employment, Labor market, Productivity.

Introduction - Artificial intelligence (AI) is becoming an essential factor in driving innovation, efficiency, and competitiveness, and it is currently undergoing a remarkable transformation in the global economic environment. The use of artificial intelligence technology has spread throughout many different industries, including healthcare, manufacturing, retail, and logistics. These technologies have the ability to automate repetitive processes and provide complex decision-making capabilities. These technological improvements have resulted in a huge increase in labour productivity, which has enabled organisations to optimise their operations, lower their expenses, and provide superior services. Nevertheless, the fast adoption of artificial intelligence has also spawned considerable arguments over the influence that technology would have on employment. At the same time as artificial intelligence (AI) presents potential for new work positions, notably in the fields of AI development, data science, and system maintenance, it concurrently undermines existing employment patterns by automating professions that were previously dependent on human labour. The existence of this duality gives rise to important problems concerning the

future of labour, the distribution of money, and the readiness of the workforce. There is a need for a thorough investigation of the implications that artificial intelligence has on labour productivity and employment as it continues to develop. Among the most significant causes for worry are the displacement of workers with low levels of expertise, the formation of a polarized labour market, and the difficulties associated with providing the workforce with the skills essential for an economy driven by artificial intelligence. In this study, we will investigate the myriad ways in which artificial intelligence (AI) is affecting labour productivity and employment. The purpose of this study is to investigate the ways in which artificial intelligence (AI) boosts productivity across a variety of industries, evaluate the difficulties and possibilities that it provides to the workforce, and offer insights into policies and tactics that help reduce the disruptive impacts of AI. This research endeavours to contribute to a more well-rounded understanding of the role that artificial intelligence (AI) will play in influencing the future of work and its ability to create sustainable economic growth by addressing the problems that have been raised.

Literature Review

There have been a great number of studies that have investigated how artificial intelligence technology can improve worker productivity. Some people believe that artificial intelligence, which is a subset of the larger trend of digital technology, has the potential to significantly boost productivity by automating mundane jobs and enabling more effective utilisation of human resources. According to Chui et al. (2018), the capacity of artificial intelligence to handle enormous volumes of data at rapid rates leads to improvements in decision-making, acceleration of production cycles, and reduction of operating costs in industries such as manufacturing, logistics, and healthcare in particular. The implementation of artificial intelligence in industries such as retail and logistics may lead to productivity improvements of up to thirty percent, according to a research published by McKinsey (2017). Proposed the idea of “job polarisation,” which suggests that artificial intelligence and automation technologies have a disproportionate impact on low- and middle-skill employment (MehdiAbid et al., 2024). In a similar vein, Bessen (2019) discovered that although automation may result in the loss of jobs in some industries, it may also result in the creation of new occupations that need a higher level of expertise and a more specialised knowledge base. According to the World Economic Forum (2020), there is anticipated to be a rise in the need for data scientists, software engineers, and machine learning specialists. On the other hand, the demand for positions such as manual labourers and clerks is anticipated to decrease. In the following portion of this paper, we will go deeper into these topics and will offer some suggestions for effectively managing the transition to a labour market driven by artificial intelligence.

Research Methodology: A mixed-methods approach is utilised in this research paper in order to investigate the influence that Artificial Intelligence (AI) has on the levels of labour productivity and employment. In order to give a full examination of the matter, the research incorporates both qualitative and quantitative research approaches. Secondary data analysis from academic sources, industry reports, and government publications are included in the approach. The technique also involves the collecting of data through the use of interviews, case studies, and surveys. A comparative case study methodology, in conjunction with statistical analysis is used in the research. .

Results and Discussion: In the next part, the findings that were obtained from the survey, interviews, and case study analyses are presented. In order to give insights into the influence that Artificial Intelligence (AI) has on labour productivity and employment, the data is summarised through the use of tables and figures. Following this, the findings are evaluated in the context of the study objectives, which include determining how artificial intelligence affects labour productivity, job displacement, skill transfers, and the overall economic impact on a variety of industries.

Survey Results: A total of 500 employees from five different industries (100 from each industry) participated in the study. These industries included manufacturing, healthcare, retail, finance, and technology. There were three primary categories that were the focus of the survey: perceived changes in labour productivity, job displacement, and skill needs as a result of the use of artificial intelligence.

Table 1 & Figure 1 (see in last page)

The use of artificial intelligence results in a considerable rise in labour productivity, notably in the technology and finance sectors, where sixty percent of respondents and fifty percent of respondents, respectively, indicated a significant boost in productivity. A considerable increase in productivity was also reported by a large number of respondents (40%) in the industrial sector. This increase was primarily attributed to the use of AI-driven automation in production lines. Generally speaking, artificial intelligence was utilised for administrative work, diagnoses, and customer service, which led to minor boosts in productivity in the retail and healthcare industries.

The next part of the survey examined job displacement due to AI, as well as new job categories that emerged in AI-adopting industries.

Table 2 & Figure 2 (see in last page)

It is most noticeable because artificial intelligence has caused a sixty percent loss of jobs in the manufacturing sector, along with large and moderate losses. The automation of repetitive operations, such as those performed on assembly lines, is becoming increasingly common, and this is consistent with. The healthcare and technology industries, on the other hand, show very low levels of displacement (10% and 5%, respectively). This suggests that artificial intelligence is more frequently utilised to aid and supplement human workers, particularly in domains that demand high levels of knowledge. It is interesting to note that the financial sector appears to be seeing both a moderate amount of displacement and a considerable creation of new positions in areas like as data analysis, the development of AI models, and compliance responsibilities relating to AI.

Shifts in Skill Requirements: In addition, the poll investigated the kinds of abilities that have grown more significant as a result of the use of AI.

Table 3 & Figure 3 (see in last page)

It is a well-established pattern that technological skills, particularly in the fields of artificial intelligence and data science, have grown increasingly crucial across all industries. The biggest percentages of respondents that reported a need for additional technical competence were found in the technology and finance industries, with fifty percent and forty-five percent, respectively. The healthcare and retail industries, on the other hand, place a greater emphasis on human-centric abilities such as leadership and communication. This is because AI is increasingly being used as a tool to supplement human contact rather than to

replace it. This is a reflection of a larger trend in which creative and interpersonal positions continue to flourish in industries where human empathy and decision-making play a vital role.

Table 4 (see in last page)

The roles that are most likely to be affected by job displacement as a result of advancements in artificial intelligence are highlighted in Table 4, along with the new roles that will replace those positions. Artificial intelligence is eliminating professions that need low levels of expertise in industries such as manufacturing, banking, and technology. However, it is also producing specialised high-skill employment that are focused on AI maintenance, data analysis, and system optimisation.

Table 5 & Figure 4 (see in last page)

The entire economic impact of artificial intelligence (AI) on labour productivity, job displacement, job creation, and skill changes is summarised in Table 5. This table reflects an optimistic perspective on productivity increases, but it also acknowledges the negative impact that AI will have on employment and the necessity of reskilling and upskilling the workforce.

Conclusion: The employment and productivity environment is being transformed by the integration of Artificial Intelligence (AI) into numerous industries, which is producing both good and negative consequences. Results show that data processing and AI-driven automation have increased efficiency, decreased mistakes, and decreased operating costs across a variety of industries, with manufacturing, technology, and finance seeing the most marked gains. On the other hand, there are concerns about job loss due to AI adoption that go hand in hand with these productivity increases. There are new prospects in fields including data analysis, machine learning research, and AI maintenance, in addition to the automation of regular work and the displacement of some manual employment. Changes to necessary skill sets are yet another important facet of AI implementation. There is a growing need for professionals with AI, data science, and associated technical skills as more and more sectors use AI technology. Communication, leadership, and problem-solving abilities, which centre on people, are still highly valued, especially in industries like retail and healthcare. While AI is changing the way people work, the findings highlight the need for programs to help people reskill and improve their existing abilities so they can adapt to the new job market. From an economic perspective, broad use of AI has the ability to spur innovation and prosperity, but it also brings up worries about inequality spreading and the possibility of employment polarisation. To make sure everyone has a fair shot at making it through the shift to an AI-driven economy, lawmakers should focus on reskilling programs, job creation efforts, and social safety nets. Finally, there are several ways in which AI will affect employment and labour productivity. Although AI presents great potential for boosting

productivity and economic growth, it also presents some problems that need deliberate and anticipatory responses. It is critical to strike a balance between technical progress, worker protection, education, and inclusive policy-making if we want to reap the benefits of AI while minimising its negative impacts. This is the only way AI can help shape a workforce of the future that is inclusive of people from all walks of life and all kinds of industries.

References:-

1. Graetz, G. and G. Michaels (2018). Robots at Work, *The Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753-768.
2. Aghion, P., C. Antonin, S. Bunel and X. Jaravel (2023). The Effects of Automation on Labor Demand. A Survey of the Recent Literature, in L. Y. Ing and G. M. Grossman (eds.), *Robots and AI. A New Economic Era*, Routledge.
3. Jurkat, A., R. Klump and F. Schneider (2023). Robots and Wages: A MetaAnalysis, *Econstor Working Paper*, ZBW – Leibniz Information Centre for Economics.
4. Czarnitzki, D., G. P.Fernández and C. Rammer (2023). Artificial intelligence and firm-level productivity, *Journal of Economic Behavior and Organization*, 211, 188-205.
5. Calvino, F. and L. Fontanelli (2023). A portrait of AI adopters across countries: Firm characteristics, assets' complementarities and productivity, *OECD Science, Technology and Industry Working Papers*, 2023/02.
6. Chui, M., Manyika, J., & Miremadi, M. (2018). Where machines could replace humans—and where they can't (yet). *McKinsey Quarterly*. This article explores how AI and automation are impacting different industries, with a focus on labor productivity and job displacement.
7. Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254-280. This paper analyzes the susceptibility of various occupations to automation and its potential impact on employment.
8. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *Machine, Platform, Crowd: Harnessing Our Digital Future*. W. W. Norton & Company. This book further explores the implications of AI, machine learning, and platforms for the future of work and productivity.
9. Arntz, M., Gregory, T., & Zierahn, U. (2016). The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 189. This report evaluates the potential job displacement due to automation and its impact on different countries.
10. Autor, D. H. (2015). Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation. *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30. This paper explores the ongoing relationship between technology, automation, and job creation, highlighting the dynamic nature of labor markets.


11. Chui, M., & George, M. (2017). The impact of AI on the workforce: How to navigate the future of work. McKinsey & Company. This McKinsey report examines the changing landscape of the workforce as AI and automation take hold, and the role of reskilling in maintaining employability.
12. World Economic Forum. (2020). The Future of Jobs Report 2020. Geneva: World Economic Forum. This report provides an in-depth analysis of how AI and other technologies are shaping the labor market, including the emergence of new job roles and skills needed for the future.
13. Bessen, J. E. (2019). AI and Jobs: The Role of Demand. Economics of Innovation and New Technology, 28(5), 503-521. This article examines how AI could influence labor demand and the creation of new job opportunities in the context of automation and productivity.

Table 1: Changes in perceptions of labour productivity as a result of the use of AI

Sector	Significant Increase in Productivity (%)	Moderate Increase in Productivity (%)	No Change (%)	Decrease in Productivity (%)
Manufacturing	40%	35%	20%	5%
Healthcare	25%	40%	30%	5%
Retail	45%	30%	20%	5%
Finance	50%	40%	5%	5%
Technology	60%	30%	10%	0%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 1: Changes in perceptions of labour productivity as a result of the use of AI




Source: Authors Calculation using Primary Data.

Table 2: Job Displacement Due to AI Adoption

Sector	Significant Job Losses (%)	Moderate Job Losses (%)	No Job Losses (%)	Creation of New Jobs (%)
Manufacturing	25%	35%	40%	30%
Healthcare	10%	15%	75%	20%
Retail	20%	25%	55%	25%
Finance	15%	20%	65%	40%
Technology	5%	10%	85%	50%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 2: Job Displacement Due to AI Adoption




Source: Authors Calculation using Primary Data.

Table 3: Alteration in Skill Requirements as a Result of the Adoption of AI

Sector	Technical Skills (e.g., AI, Data Science)	Creative Skills (e.g., Problem-solving, Design)	Human-Centric Skills (e.g., Communication, Leadership)	No Change in Skills Needed
Manufacturing	30%	25%	15%	30%
Healthcare	25%	20%	30%	25%
Retail	35%	20%	25%	20%
Finance	45%	25%	20%	10%
Technology	50%	20%	15%	15%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 3: Alteration in Skill Requirements as a Result of the Adoption of AI



Source: Authors Calculation using Primary Data.

Table 4: Sector-Specific Insights into Job Creation and Displacement

Sector	Roles Most Affected by Displacement	Emerging Roles Due to AI
Manufacturing	Assembly line workers, packers	Robotics technicians, AI systems maintenance, data analysts
Healthcare	Administrative staff, medical coders	AI-assisted diagnostic specialists, telemedicine facilitators
Retail	Cashiers, customer service agents	AI-driven customer experience managers, data analysts
Finance	Bank tellers, data entry clerks	AI compliance officers, data scientists, AI model developers
Technology	None reported	AI trainers, algorithm auditors, AI solution architects


Source: Adapted from World Economic Forum Future of Jobs Report 2023, McKinsey Global Institute Report on AI Workforce Dynamics, or other sectoral AI studies.

Table 5: Overall Economic Impact of AI on Labor Productivity and Employment

Impact Area	Positive Impact (%)	Negative Impact (%)	Neutral Impact (%)
Labor Productivity	70%	10%	20%
Job Displacement	30%	40%	30%
Job Creation	50%	20%	30%
Skill Shifts	60%	10%	30%

Source: Authors Calculation using Primary Data.

Figure 4: Overall Economic Impact of AI on Labor Productivity and Employment



Source: Authors Calculation using Primary Data.

Exploring Women's Consciousness and Challenges in the Literary Works of Arundhati Roy: A Feminist Discourse on Modern Literature

Mr. Vipul Pandya*

*Research Scholar, NIMS University Rajasthan, Jaipur (Raj.) INDIA

Abstract : This paper examines the portrayal of women's experiences and challenges in the works of Arundhati Roy, emphasizing her feminist perspectives. Through an analysis of *The God of Small Things* and *The Ministry of Utmost Happiness*, along with essays such as *The Algebra of Infinite Justice*, Roy's critique of systemic injustices like patriarchy and caste is brought to light. Her narratives present women as resilient and capable, even in the face of significant hardships, while addressing the compounded struggles arising from caste and class inequalities.

Roy's literature highlights the intersectionality of caste, class, and gender, offering a powerful critique of the social structures that perpetuate oppression. By addressing issues such as gender discrimination and societal expectations, her works contribute meaningfully to contemporary feminist discourse. The study underscores Roy's ability to portray women not merely as victims but as active agents of change, navigating personal and systemic challenges with strength and determination. Her contributions to feminist literature are both insightful and transformative, advocating for a more inclusive and equitable society.

Keywords - Women's Consciousness, Feminism, Intersectionality, Modern Literature, Caste, Patriarchy, Resistance, Socio-Political Critique.

Introduction - In modern literature the exploration of women's consciousness has emerged as a vital thematic thread, reflecting evolving perspectives on gender dynamics, identity and societal roles. Arundhati Roy an acclaimed Indian author and activist, exemplifies this trend through her works, which delve deeply into the lives and struggles of women in contemporary India. Her narratives, characterized by lyrical prose and incisive socio-political critique, foreground the challenges women face in patriarchal societies, while celebrating their resilience and agency. This paper explores how Roy's literature serves as a medium for feminist discourse, particularly focusing on the intersection of gender with caste, class and environmental concerns. By analyzing key themes in *The God of Small Things*, *The Ministry of Utmost Happiness* and her non-fiction collections, this study sheds light on the ways Arundhati Roy articulates the struggles and consciousness of women, providing a lens to critique and transform societal norms.

In *The God of Small Things* and her essays, Arundhati Roy highlights the struggles of women in a society that values men more and punishes women harshly for defying norms. The novel shows the unfair double standards women face, where their mistakes or choices are judged more harshly than men's. Roy's essays also focus on issues like domestic violence, sexual harassment, and the lack of

economic rights for women, which she discusses with strong emotion and clarity. Her writing not only portrays the suffering of women but also their strength and courage in challenging these injustices. By examining Roy's works, we can understand the changing role of women in India and the connection between her stories and the real-world struggles they reflect. This chapter will explore these themes, beginning with how women are portrayed in Roy's literature and the challenges they face.

Objectives:-

1. To analyze the depiction of women's consciousness and struggles in Arundhati Roy's literature.
2. To explore the feminist themes and socio-political critiques embedded in Arundhati Roy's narratives.
3. To examine the intersectionality of gender, caste, and class in Roy's portrayal of women.
4. To highlight Arundhati Roy's contributions to feminist discourse and modern literature.

Arundhati Roy's works highlight the evolving consciousness of women, depicting their struggles for autonomy and identity within oppressive societal structures. In *The God of Small Things*, Ammu's resistance against societal norms, as a divorced woman and a mother, exemplifies the challenges women face when they deviate from traditional roles. Her forbidden love with Velutha, a Dalit man, underscores the intersectionality of gender and

caste, illustrating the compounded oppressions women endure. Similarly in *The Ministry of Utmost Happiness*, the protagonist Anjum, a hijra, challenges societal norms surrounding gender identity. Anjum's journey reflects the resilience and agency of marginalized individuals, expanding the discourse on women's consciousness to include transgender experiences.

Arundhati Roy's narratives are deeply feminist, critiquing patriarchal structures and advocating for gender equality. In *The God of Small Things*, Roy's portrayal of Ammu and Rahel reflects the societal constraints placed on women, while emphasizing their capacity for resistance and self-expression. Ammu's defiance against an abusive marriage and her subsequent ostracism highlight the double standards women face in patriarchal societies. In her non-fiction works, Roy critiques systemic oppressions that disproportionately affect women. Essays in *The Algebra of Infinite Justice* address issues such as globalization, environmental degradation, and militarization, revealing their gendered impacts. Roy's critique of neoliberal policies highlights how economic systems exploit women, particularly those from marginalized communities.

Arundhati Roy's literature provides a nuanced exploration of intersectionality, portraying how caste, class, and gender intersect to shape women's experiences. In *The God of Small Things*, the caste-based discrimination faced by Velutha and its impact on Ammu illustrates the inseparability of caste and gender oppression. Roy's focus on Dalit women in her essays further underscores this intersectionality, advocating for a more inclusive feminist discourse. In *The Ministry of Utmost Happiness*, Roy expands this exploration to include the struggles of hijras, Muslims, and other marginalized groups, portraying their resilience in the face of systemic oppression. Anjum's transformation of the Khwabgah into a sanctuary for the marginalized symbolizes the power of collective resistance

and solidarity.

Arundhati Roy's female characters are not merely victims but agents of change. Ammu's choices, though met with severe consequences, represent a defiance of patriarchal norms. Anjum's establishment of the Jannat Guest House exemplifies how marginalized individuals can create spaces of acceptance and empowerment. Arundhati Roy's portrayal of grassroots movements, such as the Narmada Bachao Andolan in *The Cost of Living*, highlights women's leadership in resisting environmental exploitation and advocating for justice. Her feminist critique extends beyond individual struggles to systemic issues, urging readers to envision a more equitable society.

Conclusion: Arundhati Roy's literature offers a profound exploration of women's consciousness and challenges, blending personal narratives with socio-political critique. Her feminist discourse emphasizes the intersectionality of gender, caste, and class, portraying women as complex individuals navigating multifaceted oppressions. By foregrounding marginalized voices and advocating for systemic change, Roy contributes significantly to modern feminist literature, inspiring readers to critically engage with issues of gender and social justice. Her works serve as a powerful call to action, urging society to recognize and address the unique struggles faced by women and other marginalized groups.

References:-

1. Arundhati Roy : *The God of Small Things*. HarperCollins, 1997.
2. Arundhati Roy : *The Ministry of Utmost Happiness*. Penguin Books, 2017.
3. Arundhati Roy : *The Algebra of Infinite Justice*. Penguin Books, 2002.
4. Arundhati Roy : *The Cost of Living*. Modern Library, 1999.

भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान

श्रीमती मिनाक्षी भार्गव*

* पीएचडी स्कॉलर, स्कूल ऑफ सोशल साइंस (समाजशास्त्र) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.) भारत

प्रस्तावना - भारत में भ्रष्टाचार की जड़े गहरी हैं। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अनेक नेताओं ने बातें की लेकिन उसे मिटाने के लिए कोई सार्थक और सार्वजनिक उपाय नहीं खोजे जा रहे हैं। भ्रष्टाचार से अनेक लोग लिस हैं। जिनमें नेताओं को लेकर अनेक पदाधिकारी संलग्न हैं। एक सरकारी दफ्तर में चपरासी से लेकर वरीष्ठ अधिकारी भ्रष्टाचार ने लगे रहते हैं। कई लोग जो इस कृत्य में पकड़े जाते हैं उन्हें दण्ड तो मिलता ही है। एक आयकर आयुक्त के निवास पर छापा मारते हुए सीबीआई अफसरों को लाखों रुपये अघोषित रूप से प्राप्त होते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर के यहाँ 14 करोड़ से भी रुपये खर्च किये जाते हैं। ऐसे हजारों लोग भ्रष्टाचार की भेंट में निरन्तर जारी रहता आया है।

भ्रष्टाचार की अवधारणा - सरल शब्दों में भ्रष्टाचार शुद्ध रूप से रिश्वत का कार्य कहा जाता है। निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना कानून तोड़ना है। मौरिस सैफेल (1983) ने कहा है कि भ्रष्टाचार वह व्यवहार है जो मानदण्डों और सार्वजनिक भूमिका निर्वाह के कर्तव्यों को संचालित करने या निजी लाभ के लिए पद के उचित उपयोग से विचलन होता है। जे नाथ (1967:410) का कहना है कि भ्रष्टाचार निजी लाभों के लिए सार्वजनिक पद का दुरुपयोग दर्शाता है। अतः भ्रष्टाचार को इस प्रकार समझाया गया है कि 'यह आर्थिक या प्रतिष्ठा संबंधी लाभों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक भूमिका के प्रति औपचारिक कर्तव्यों से विचलन है।' इस प्रकार समाज में अनेक रूपों में फैला है।

नातेदारी भ्रष्टाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज नातेदारी व जातिगत निष्ठाएँ सार्वजनिक सेवकों के मस्तिष्क में पहले से रहती हैं। नातेदारी व जातियाँ ऐसे व्यवहार को, जो सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक से विचलित होते हैं, जबकि भ्रष्ट लोग उसे पारिवारिक दायित्व मानते हैं।

भ्रष्टाचार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य - भ्रष्टाचार एक विश्वव्यापी तथ्य है। प्राचीन समय में मिस्र, बेबीलोनिया और हैव्यू समाजों में न्यायाधीश रिश्वत लेते थे रोम में सार्वजनिक पदों पर चुनाव के दौरान रिश्वत एक आम बात थी। फ्रांस में 15 वीं शताब्दी में इंग्लैंड को भ्रष्टाचार का गढ़ा कहा जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी में भी ब्रिटेन में भ्रष्टाचार इतना अधिक था कि गिबबन ने संवैधानिक स्वतंत्रता का सबसे अचूक लक्षण कहा है।

भारत में कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य कोष के सरकारी कर्मचारियों द्वारा गबन किये जाने का सन्दर्भ दिया है। कर्मचारियों द्वारा अपनाये गये 50 प्रकार के गबन और अन्य भ्रष्ट तरीकों का वर्णन किया है। अशोक के शासन काल में भी भ्रष्टाचार के उल्लेख मिलते हैं।

मध्य युगीन समाज में भी भ्रष्टाचार कम नहीं था। कर वसूली में लगे अधिकारी जितनी ज्यादा वसूली कर धन संग्रह करते थे, उनकी प्रशंसा की जाती थी। ब्रिटिश शासनकाल में लिस थे। क्लाइव और वारेन हेस्टिंगज तो इस कदर भ्रष्ट पाए गए कि उनके इंग्लैंड लौटने पर एक संसदीय समिति द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया और द्वितीय महायुद्ध के दौरान देश में भ्रष्टाचार के नए उत्पादनों को जन्म दिया।

युद्ध के दौरान लगाये गये प्रतिबंधों, नियंत्रणों और अभावों ने रिश्वत, भ्रष्टाचार और पक्षपात के पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये। इसी प्रकार, 1962, 1967 में चुनावों के दौरान राजनैतिक व्यक्तियों ने रिश्वत लेकर अपनी जनता का विश्वास खो दिया था।

स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1949 में विध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेता व तत्कालीन उद्योग मंत्री राव शिब बहादुर सिंह 25 हजार रुपये रिश्वत लेने के लिए जेल में गये। 1962 में कृष्णा मेनन पर 2000 जीपों की खरीदी के मामले में रिश्वत खाने का आरोप था। इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी 20 करोड़ रुपयों आइत कंपनी के साथ विवादास्पद सौदे में 60 लाख रुपयों का नागर बाला मामला, मारुती उद्योग घोटाला, पनडुब्बी घोटाला आदि मामले प्रसिद्ध हुए। सन् 1980-90 के दशक में अनेक केन्द्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री स्तर के राजनीतिज्ञों ने भी सत्ता के लालच में अनेक रिश्वत लेने के गंभीर अपराध उजागर हुए थे। मल्होत्रा: 1924/254-256 लोक सेवकों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के व्यवहार का उल्लेख किया गया है-

1. अधिकारिक हैसियत से किये गये कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप भेंट स्वीकार करना।
2. अवैध रूप से कोई भी वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
3. सार्वजनिक सम्पत्ति का धोखाधड़ी से दुरुपयोग करना।
4. आय के ज्ञात संसाधनों से अधिक अनुपात में सम्पत्ति या आर्थिक संसाधन जुटाना।
5. अधिकारिक पद का दुरुपयोग करना।
6. सरकारी व्यवहार से संबंधित किसी व्यक्ति से कीमती वस्तु खरीदने के लिए धन उधार लेना यह मानते हुए कि उधार लिया धन वापस नहीं किया जाना है।
7. उच्च स्थिति या पद पर होने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसे लोगों से भेंट या उपहार स्वीकार करना जिनके साथ उनके पद के नाते संबंध हों।
8. जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हुए देवकों या करो या आदि आर्थिक मामलों के भुगतान करने से बचने में नागरिकों की मदद करना।

9. किसी बहाने से किसी कर्तव्य को करने से इन्कार करना जिससे दूसरों का फाइदा होता हो जैसे अपराधी की मदद करने की नीयत से पुलिस अधिकारी को किसी मामले में पंजीकृत न करना आदि।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष पेट्रोलियम ऊर्जा पर 30,000 से 40,000 करोड़, रुपये खर्च किये जाते हैं। प्राकृतिक गैस के आयात पर 40,00 करोड़ तथा 1998-99 में 24,000 करोड़ 1999-2000 में 54,000 करोड़, 2000-2001 में 64,000 करोड़ रुपये खर्च किये जाते हैं। जिसमें मंत्रालय के उच्च पदस्थ अधिकारी दलाली के रूप में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार करते हैं। सबसे अधिक भ्रष्ट व्यवहार पुलिस विभाग करता है। एक कान्स्टेबल से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारी तक रिश्तत लेता है। भ्रष्टाचार केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित नहीं हैं अपितु निम्न पदों पर कार्यरत अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता, टेलिफोन, राज्य विद्युत परिषद के सदस्य, जल प्रदाय विभाग के अधिकारी, मध्यम और निम्नश्रेणी के अनेक मंत्रालय भ्रष्टाचार में संलम्ब पाये जाते हैं। भेंट और उपहार भ्रष्टाचार का प्रमुख स्वरूप हैं। एक ठेकेदार किसी अभियंता को वा लेखा अधिकारी को बिल पास कराने के लिए तरह-तरह के उपहार, मिठाइयाँ और कीमती वस्तुएँ रिश्तत के रूप में भेंट चढ़ाई जाती है। रिश्तत और दलाली की दर प्रतिवर्ष चढ़ती जाती है।

भ्रष्टाचार के करण

1. **स्वहित वाले राजनैतिक वर्ग का अभ्युदय** - आजादी के बाद प्रथम दो दशकों में राजनैतिक अभिजात इस हद ईमानदारी, समर्पित और राष्ट्र बादी थे कि वे हमेशा देश की प्रगति के लिए कार्य करते थे। लेकिन चौथे आम चुनावों के बाद धीरे-धीरे भ्रष्टाचार में वृद्धि होती गई। ऐसे अभिजात वर्ग के लोगों ने नौकरशाही को भी अपने पदचिह्नों पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया।

इस प्रकार राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों ने अपने पद और शक्ति दुरुपयोग अवैध लाभों के लिए प्रारंभ किया।

2. **सरकार की आर्थिक नीतियाँ** - काल में ही अधिकतर घोटाले उन क्षेत्रों में हुए हैं जहाँ क्रय नीति या मूल्य सरकार के नियंत्रण में हैं। चीनी, उर्वरक, तेल, सैन्य, अस्त्र शस्त्र खरीदी, विद्युत उपकरण जैसे कुछ उल्लेखनीय क्षेत्र हैं जहाँ खुलकर भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है।

3. **आवश्यक वस्तुओं की कमी** - जब आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति में कमी होती है, सत्ताधारी लोग उन वस्तुओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुछ अपेक्षा करते हैं जिससे उनकी कीमतों में वृद्धि की जाती है। तब जब माँग बहुत अधिक ज्यादा होती है लेकिन रोजाना की आवश्यकताओं की पूर्ति बहुत कम हो जाती है जैसे चीनी, सीमेंट, तेल आदि।

4. **व्यवस्था में परिवर्तन** - समाज में मूल्य व्यवस्था में परिवर्तन के साथ, पुराने आदर्श भी निरर्थक हो जाते हैं। और भेंट स्वीकार करना मूर्खता की अपेक्षा आवश्यकता के रूप में माना जाता है।

5. **अप्रभावी प्रशासनिक संगठन** - कभी-कभी भ्रष्टाचार प्रशासनिक कमी से भी पनप सकता है। प्रशासनिक कर्मचारियों को अत्यधिक शक्ति देना, गैर जिम्मेदारी, त्रुटिपूर्ण सूचना व्यवस्था आदि अधिकारियों को न केवल भ्रष्ट होने का अवसर प्रदान करते हैं बल्कि भ्रष्ट तरीके अपनाने के बाद भी वे अप्रभावित रहते हैं।

आर्थिक कारणों में उच्च जीवन शैली के प्रति अति मोह ग्रस्तता, मुद्रा प्रसार, लाइसेन्स प्रणाली तथा ज्यादा लाभ लेने की प्रवृत्ति आदि भ्रष्टाचार

को प्रोत्साहित करने वाले कारक माने जाते हैं। इन्हीं कारकों में अधिकारी के हाथ में शक्ति का केन्द्रित होना पुलिस और न्यायपालिका में निहित कर्मचारी चरित्रवान नहीं हों, इसके अतः आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन आदि भ्रष्टाचार के प्रभावी कारक माने जाते हैं।

जो लोग श्रेणीक्रम का लाभ उठाते हैं और शक्तिशाली होते हैं वे जवाबदेही से कतराते हैं और भ्रष्ट ओनस्थ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में ढीलापन दिखाते हैं। अंतिम कारक जनता की चीख-पुकार में कमी तथा जनमंच की कमी है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा सके। अक्सर यह पाया गया है जो भ्रष्ट व्यक्ति के विरुद्ध निष्क्रिय और गूंगे बन जाते हैं, वे समाज विरोधी व्यवहार को सहन करते हैं और शक्तिशाली जन-प्रचार करने में असफल रहते हैं।

भ्रष्टाचार का प्रभाव - ऐसे भ्रष्टाचारी लोक नैतिक जीवन में छाये रहते हैं और हमारे नैतिक ताने-बाने को कमजोर बनाते हैं। भ्रष्टाचार तभी घटित होता है तब कीमत चुकाई जाती है लेकिन उसके लिए कोई सेवा नहीं पाई गये।

परीक्षा में नकल करवाना, उपरपुस्तिका में परीक्षक द्वारा अंक बढ़ाये जाना, किसी मित्र की सिफारिश पर सहयोगी के कहने पर आदि मामलों में भ्रष्टाचार होता है। भारत में वैध और अधिकारीक चीजों को प्राप्त करने के लिए पैसा देना पड़ता है। आम आदमी के दैनिक जीवन को यह सब बातें प्रभावित करती हैं।

भ्रष्टाचार प्रतिबंधित कानूनी प्रावधान - भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम सितम्बर 1988 में लागू हुआ। इसमें 1947 के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधान समाहित थे। जिनमें आ.पी.सी. की कुछ धाराएँ अपराधी प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी समाहित हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम भ्रष्टाचार संबंधी समस्याओं को जूझने के लिए पर्याप्त नहीं है।

1988 अधिनियम में लोकसेवक शब्द को व्यापक कर दिया गया और इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारियों को शामिल किया गया। केन्द्रीय कर्मचारियों और केन्द्र प्रशासनिक राज्यों के कर्मचारियों के अलावा, सार्वजनिक उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय व राज्यों से सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के पदाधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कर्मचारी, कर्मचारी, उप कुलपति, केन्द्रीय व राज्यों सरकारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं में वैज्ञानिक और प्रोफेसर तथा स्थानीय प्रशासन से संबंधित संस्थाओं के कर्मचारी, सभी को लोकसेवक घोषित किया गया है।

प्रस्तुत अधिनियम संपूर्ण भारत के नागरिकों पर लागू किया गया है।

भ्रष्टाचार रोकने के अन्य उपाय - भ्रष्ट मंत्रियों तथा शीर्षस्थ अधिकारियों को दण्डित करने में सी.बी.आई. को लंबी अवधि के आधार पर न्यायालय को सीधे रिपोर्ट नहीं कर सकती, लोकपाल और लोकायुक्तों को मंत्रियों तथा उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञों को भी दंडित करना होगा। समाज केवल पुलिस की निगरानी पर निर्भर नहीं रह सकता।

सतर्कता अधिकारियों को भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करने की स्वतंत्रता देना, कार्यकुशल अधिकारियों को प्रोत्साहित करना, जाँच पड़ताल में अधिकारियों को सुरक्षा देने का आश्वासन देना आदि उपाय भी अपनाने पर बल देना चाहिए।

अन्त में कहा जा सकता है कि आजकल भ्रष्टाचार लोगों को कोई

आघात नहीं पहुंचाता। जब इस प्रकार के कृत्य पकड़े भी जाते हैं, तब भी मंत्री और बड़े अधिकारी तो आजाद घूमते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। जब तक प्रतिबंध नहीं लगाते तब तक इनको समाप्त करना या कर करने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. चौधरी पी.सी. भ्रष्टाचार, सेमीनार 421 सित. 1994

2. कोहली सुरेश-भारत में भ्रष्टाचार, 1975

3. मल्होत्रा के. एल-सतर्कता आयोग के तथ्य, मल्होत्रा पब्लि. दिल्ली 1988 और 1992

4. माथुर के. एम. प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पुलिस सेमीनार, माउंट आबू में आयोजित, 12 अक्टू. 1992

5. नाथ जे-राजनैतिक भ्रष्टाचार, अमेरिकन पॉलिटिकल रिव्यू, 1967

भारत के राष्ट्रीय जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका का अध्ययन

ज्ञानेश शुक्ला*

* सहायक प्राध्यापक, बट्टी प्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग, जिला- रायपुर (छ.ग.) भारत

शोध सारांश – भारतीय इतिहास में स्वामी विवेकानंद के योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका प्रभाव न केवल दार्शनिक और धार्मिक क्षेत्र तक ही था, बल्कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन को भी अत्यंत गहराई से प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और परंपराओं का गौरव बढ़ाया साथ ही भारतीय समाज में व्याप्त पिछड़ेपन, गरीबी और अज्ञानता को दूर करने के लिए आत्मनिर्भरता और शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। उनके विचारों ने युवा पीढ़ी को आत्मसम्मान और राष्ट्रभक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद का यह विश्वास कि समाज के हर वर्ग को जागरूक और सशक्त बनाना आवश्यक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया।

शब्द कुंजी – राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय संस्कृति और परंपरा।

प्रस्तावना – सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक पिता कहा था। वे न केवल राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के मानसिक आधार को भी मजबूत किया। स्वामी विवेकानंद ने संगठन की शक्ति को पहचान कर भारतवासियों को संगठित होने प्रेरित किया। उनका प्रसिद्ध संदेश, 'उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको नहीं' आज भी युवाओं को प्रेरित करता है। स्वामी विवेकानंद का भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण अत्यधिक गहरा था, साथ ही वे भारतीय आध्यात्मिक शक्ति से पश्चिमी विश्व को भी परिचित कराकर उसे दिशाहीन होने से बचाना चाहते थे। उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को मानसिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से प्रेरित किया और यह आज भी भारतीय समाज में एक मार्गदर्शक के रूप में जीवित है। उनके विचारों और कार्यों पर उस समय के सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलनों का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने धर्म, आध्यात्मिकता और मानवता को भारत की ताकत बताया और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज को एकजुट कर सकती है और इसे विश्व में विशेष स्थान दिला सकती है।

शोध अध्ययन का उद्देश्य:

1. स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों का नवीन दृष्टि से बिन्दुवार अध्ययन करना।
2. स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबद्धता का अध्ययन करना।

शोध विधि एवं आंकड़ों का संग्रहण: प्रस्तुत शोध-पत्र में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक तथा ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। यह शोध कार्य पूर्णतः द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। इस अध्ययन के लिए यथा- प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों, दस्तावेजों, शोध लेखों एवं अन्य लेखों का उपयोग किया गया है।

1. **भारत भ्रमण और भारतीय समाज का अवलोकन** – स्वामी

विवेकानंद ने 1892 में अपने भारत भ्रमण के दौरान यह देखा कि ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों ने किसानों और व्यापारियों की स्थिति दयनीय बना दी थी। इसके अलावा, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता ने भारतीय समाज को अंदर से खोखला कर दिया था। जब वे पश्चिमी देशों में गए, तो उन्होंने यह महसूस किया कि भारत को ही आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के आधार पर पश्चिम का मार्गदर्शन करना चाहिए। उन्होंने भारतीय समाज को संबोधित करते हुए कहा, 'भारत जागो! विश्व जगाओ!!'

2. स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार – स्वामी विवेकानंद मानवता के कल्याण के लिए वे एक शक्तिशाली और जागृत भारत का निर्माण करना चाहते थे। विकास की पहली शर्त स्वतंत्रता है, किन्तु भारत तो ब्रिटिश शासन में जकड़ा हुआ और सुप्त था। इसीलिए वापस लौटने पर उन्होंने इस महान राष्ट्र को जागृत करने के लिए सभी स्तरों पर कार्य किया। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका विश्वास था कि धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का प्रमुख आधार बनेगा, उनके विचार में किसी राष्ट्र को गौरवशाली, उसके अतीत कि महत्ता की नींव पर ही बनाया जा सकता है, अतीत की उपेक्षा करके राष्ट्र का विकास नहीं किया जा सकता, वे राष्ट्रीयता के आध्यात्मिक पक्ष में विश्वास करते थे उनका विचार था कि भारत में स्थायी राष्ट्रवाद का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही किया जा सकता है।

विवेकानंद का दृढ़ मत था कि आध्यात्मिकता के आधार पर ही भारत का कल्याण हो सकता है उन्होंने अपने एक व्याख्यान में स्पष्ट शब्दों में कहा था 'भारत में विदेशियों को आने दो, शस्त्रबल से जितने दो, किन्तु हम भारतीय अपनी आध्यात्मिकता से समस्त विश्व को जित लेंगे, प्रेम, धृष्टता पर विजय प्राप्त करेगा, हमारी आध्यात्मिक पश्चिम को जीतकर रहेगी।'

स्वामी विवेकानंद ने धर्म को भारत के राष्ट्रीय जीवन का स्थायी स्वर बताया। उनका कहना था, 'जिस प्रकार संगीत में एक प्रमुख स्वर होता है,

वैसे ही हर राष्ट्र का जीवन एक प्रधान तत्व पर आधारित होता है। भारत का तत्व धर्म है। 'प्रत्येक राष्ट्र के जीवन की एक मुख्य-धारा होती है। भारत में धर्म ही वह धारा है। इसे शक्तिशाली बनाइये और दोनों ओर का जल स्वतः ही इसके साथ प्रवाहित होने लगेगा।' उनका मत था कि भारत की स्थायी राष्ट्रियता का निर्माण धार्मिकता के आधार पर ही हो सकता है।

स्वतंत्रता की मांग करने और इसकी प्राप्ति के लिए कार्य करने हेतु, इस बात का बोध होना आवश्यक है कि 'हम एक विशिष्ट सांस्कृतिक इकाई हैं।' स्वामी विवेकानंद ने हिन्दू धर्म में व्याप्त विभिन्न भेदों के बावजूद हिन्दू चेतना को महान अद्वैत दर्शन के आधार पर संगठित करने की कोशिश की। उन्होंने पूरे विश्व में गर्व से यह घोषणा की कि वे एक हिन्दू हैं और इस प्रकार उन्होंने हिन्दुओं का आत्म-सम्मान बढ़ाया।

3. भारतवासियों की एकता पर बल- फरवरी 1897 को मद्रास में हजारों लोगों को सम्बोधित करते हुए अपने भाषण 'भारत का भविष्य' में स्वामी विवेकानंद संगठित होने का महत्व बताते हैं। वह चार करोड़ अंग्रेजों द्वारा तीस करोड़ भारतवासियों के ऊपर शासन करने का सबसे बड़ा कारण उनका संगठित होना और भारतवासियों का बिखराव मानते हैं। उनका सन्देश बिल्कुल स्पष्ट था वो मानते थे कि यदि भारत का भविष्य उज्ज्वल, भारत को महान बनाना और स्वाधीनता के साथ जीना है तो संगठित होना अतिआवश्यक है जो एक संगठन द्वारा होगा। ताकि सभी बिखरी हुई शक्तियाँ एकत्रित की जा सकें जिससे शक्ति-संग्रह होगी। स्वामीजी आगे आह्वान करते हैं - गुलाम बनना छोड़ो।

4. भारतभूमि के प्रति प्रेम - स्वामी विवेकानंद भारत को एक पवित्र तीर्थभूमि मानते थे। उन्होंने कहा 'भारत भूमि पवित्र भूमि है, भारत मेरा तीर्थ है, भारत मेरा सर्वस्व है, भारत की पुण्य भूमि का अतीत गौरवमय है, यही वह भारतवर्ष है, जहाँ मानव प्रकृति एवं अन्तर्जगत् के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर पनपे थे।' स्वामी विवेकानन्द के इन शब्दों से भारत, भारतीयता और भारतवासी के प्रति उनके प्रेम, समर्पण और भावनात्मक संबंध स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। स्वामी विवेकानंद को युवा सोच का संन्यासी माना जाता है। विवेकानंद केवल आध्यात्मिक पुरुष नहीं थे वरन् वे विचारों और कार्यों से एक क्रांतिकारी संत थे, जिन्होंने अपने देश के युवकों का आह्वान किया था - उठो, जागो और महान बनो।

इस उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि भारत और भारतीयता के प्रति उनका प्रेम असीम था।

स्वामी विवेकानंद ने कहा 'भारत का कल्याण मेरा कर्तव्य है। भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है।' उनकी देशभक्ति से प्रेरित होकर युवा वर्ग ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी ली।

'भगिनी निवेदिता विवेकानंद के बारे में उल्लेख करती थी 'भारत के प्रति स्वामीजी के मन में सर्वाधिक उकंठा थी। मानो भारत का ही विचार करने की एक धुन उन पर सवार थी। उनके हृदय में भारत ही धड़कता था। वे स्वयं भी भारत से एकाकार हो गए थे। वे मनुष्य के रूप में भारत का ही अवतार थे। वे भारत ही थे। वे भारत थे - उसकी आध्यात्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति, उसकी दृष्टि और उसके भाग्य के प्रतीक।'

5. भारत की स्वतंत्रता का महत्व बताना - स्वामी विवेकानंद जानते थे कि कोई भी राष्ट्र किसी गुलाम देश से शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए नियति द्वारा भारत के लिए निर्धारित, मानवतावादी भूमिका को निभाने के

लिए, 'भारत की स्वतंत्रता' एक आवश्यक चरण थी। उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रवाद 'आध्यात्मिकता और सनातन धर्म' के मूल में निहित है।

छोटे-छोटे समूहों के साथ अनौपचारिक वार्तालाप के दौरान स्वामीजी ने राजनैतिक स्वतंत्रता का आदर्श अपने देशवासियों, विशेषतः युवाओं के सामने, उनके तात्कालिक लक्ष्य के रूप में रखा।

क्रांतिकारी ब्रह्मबांधव उपाध्याय के अनुसार 'सन् 1901 में उनकी ढाका यात्रा के दौरान जब युवाओं का एक समूह उनसे मिला और परामर्श लिया, तो उन्होंने कहा, 'बंकिमचन्द्र को पढ़ो और देशभक्ति व सनातन धर्म का अनुकरण करो। सबसे पहले भारत को राजनैतिक रूप से स्वतंत्र कराया जाना चाहिए।'

6. हिंदू चेतना का पुनरुद्धार कर राष्ट्रीय बोध जागृत करना - ब्रिटिश शासन के समय हिंदू समाज में अनेक जातिगत और सांप्रदायिक विभाजन थे। स्वामी विवेकानंद ने हिंदू चेतना को नव वेदान्त दर्शन के आधार पर संगठित किया। उन्होंने गर्व के साथ अपनी हिंदू पहचान को स्वीकार किया और पूरे विश्व में हिंदुत्व का महत्व बताया।

सभी समकालीन स्रोतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीय बोध जागृत करने में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव सबसे शक्तिशाली था। प्राचीन इतिहास यह दर्शाता है कि, भारत में धार्मिक आन्दोलनों ने सदैव राष्ट्रीय पुनर्जागरण का नेतृत्व किया है। भारत में हिंदुत्व के पुनरुद्धार के बिना कोई राष्ट्रीय आंदोलन संभव नहीं था। स्वामी विवेकानंद ने ठीक यही किया, उन्होंने हिंदुत्व का पुनरुद्धार किया।

7. भारतीयों के आत्मसम्मान का पुनर्जागरण - स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों को आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गर्व का बोध कराया। उन्होंने कहा 'प्रत्येक राष्ट्र की मुख्य धारा होती है, और भारत की धारा धर्म है। इसे शक्तिशाली बनाइए, और अन्य सभी समस्याएँ स्वतः हल हो जाएँगी।' उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र को अपने अतीत की महानता को समझना और उसे अपनाना होगा।

8. उपनिषदीय ज्ञान के आधार पर एकीकरण का प्रयास - 'मेरे मित्रों, आपके ही रक्त में से एक के रूप में, आपके साथ जीने और मरने वाले के रूप में, मैं आपको बता दूँ कि हमें शक्ति चाहिए और हर समय शक्ति चाहिए। और उपनिषद शक्ति के विशाल भंडार हैं। उनकी शक्ति संपूर्ण विश्व को बलशाली बनाने में सक्षम है। उनके द्वारा संपूर्ण विश्व को पुनर्जीवित किया जा सकता है, शक्तिशाली बनाया जा सकता है, क्रियाशील किया जा सकता है। वे तूर्य-स्वर में सभी जातियों, सभी पन्थों व सभी संप्रदायों के कमजोर, दुःखी व शोषित मनुष्यों को अपने पैरों पर खड़ा होने और स्वतंत्र होने के लिए पुकारेंगे। स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता, मानसिक स्वतंत्रता और आध्यात्मिक स्वतंत्रता उपनिषदों के संकेत शब्द हैं।'

9. देशवासियों को शक्ति सृजन का संदेश - विवेकानंद की सबसे प्रमुख देवें भारतियों को शक्ति सृजन और निर्भयता का सन्देश देना था, वे अत्यंत साहसी, निर्भीक और शक्तिशाली व्यक्ति थे, जब देश परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और भारतीय जन मानस हीनता तथा भीषणता से पूर्णतया ग्रस्त था उस समय विवेकानंद ने सुप्त तथा पददलित भारतीय जनता को शक्ति के अभाव में न तो हम व्यक्तिगत अस्तित्व को स्थिर रख सकते हैं और न ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं ' उनके अनुसार 'शक्ति ही धर्म है' मेरे धर्म का सार शक्ति है, जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है, शक्ति धर्म से बड़ी वास्तु है और

शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं' स्वामीजी का कथन था की प्रत्येक भारतवासी को ज्ञान, चरित्र तथा नैतिकता की शक्तियों का सृजन करना चाहिए, किसी राष्ट्र का निर्माण शक्तियों से होता है अतः व्यक्तियों को अपने पुरुषत्व, मानव गरिमा तथा स्वाभिमान आदि श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने देश के नागरिकों को सभी स्तरों पर स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करते हुये उन सभी चीजों को त्यागने का उपदेश दिया, जो उन्हें कमजोर बनाता हो।

10. देशवासियों को निर्भीकता का संदेश - स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को निर्भीक और साहसी बनने का आह्वान किया। उनका कहना था 'शक्ति ही धर्म है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता, वह धर्म नहीं है।'

उन्होंने भारतीयों को अपने आत्मबल, साहस और पुरुषार्थ को पहचानने का संदेश दिया।

विवेकानंद ने शक्ति के सृजन के साथ भारतियों को निर्भय रहने का भी सन्देश दिया, उन्होंने निर्भयता के सिद्धांत को दार्शनिक आधार पर उचित ठहराया, उनका मत था कि आत्मा का लक्षण सिंह के समान है अतः मनुष्य को भी सिंह के समान निर्भय होकर आचरण करना चाहिए उन्होंने भारतियों को संबोधित करते हुए कहा — 'हे वीर, निर्भीक बनो, सहस धारण करो, इस बात पर गर्व करो कि तुम भारतीय हो और गर्व के साथ घोषणा करो, 'मैं भारतीय हूँ व प्रत्येक भारतीय मेरा भी है' उनके यह शब्द सोये हुए भारतवासियों को जगाने के लिए अत्यंत सामयिक और महत्वपूर्ण थे, जिस समय देश कि जनता निराशा में डूबी दयनीय जीवन व्यतीत कर रही थी उस समय शक्ति और निर्भीकता का सन्देश देना उनकी प्रखर बुद्धि का एक उज्वल उदाहरण है।

11. भारत भूमि के प्रति विदेशों में सम्मान स्थापित करना - जोसफाइन मैक्लीड के अनुसार - 'स्वामीजी का 'भारत' का उच्चारण कुछ इस प्रकार का था कि इससे उनके विदेशी शिष्यों के मन में भी गहराई तक इसकी गूंज निर्मित होती थी। स्वामी विवेकानंद के मुख से 'भारत' शब्द का उच्चारण सुनकर ही इन शिष्यों के मन में भारत के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। उनके मन में कितना अधिक आवेग, कितनी करुणा रही होगी जिससे ऐसा प्रभाव प्राप्त हो सका।' 1893 में शिकागो धर्म सभा में उनके व्याख्यान से पश्चिम जगत को भारतीय अध्यात्म, संस्कृति एवं उपनिषदीय ज्ञान से परिचित कराया।

12. बलिदान का महत्त्व स्थापित करना - यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना हो, तो उसे बलिदान के लिए तैयार रहना होगा और व्यक्ति तब तक बलिदान नहीं दे सकता, जब तक उसके मन में मातृभूमि के लिए प्रेम न हो। जब तक असीम प्रेम न हो, तब तक बलिदान संभव नहीं है। अपने स्वयं के उदाहरण से स्वामी विवेकानंद ने अनेकों हृदयों में भारत के लिए गहन प्रेम के बीज बोये।

13. युवाओं को मार्ग दर्शन देना - स्वामी विवेकानंद का नेतृत्व केवल उनके प्रेरणादायक उपदेशों और वक्तव्यों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन और कर्मों के माध्यम से एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, जो समाज और युवाओं के लिए मार्गदर्शक बन गया। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं को त्यागकर अपने जीवन को समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका संदेश था कि अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर, मातृभूमि और मानवता की सेवा ही सच्चा धर्म है।

स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से युवाओं को जागरूक और सशक्त

बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग समाज और देश की प्रगति के लिए करने का संदेश दिया। उनके शब्द, 'उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए,' युवाओं के लिए एक प्रेरक मंत्र बन गए।

14. देश भक्ति की प्रेरणा - स्वामी विवेकानंद में राष्ट्र भक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी थी, वे भारतवासियों को भी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए कहते हैं, उनका कहना था—'मेरे बंधू बोला' भारत की भूमि मेरा परम स्वर्ग है, भारत का कल्याण मेरा कर्तव्य है, और दिन रात जपो और प्रार्थना करो, हे गोरिश्वर, हे जगज्जनी, मुझे पुरुषत्व प्रदान करो' अन्य स्थल पर उन्होंने कहा की — 'अगले पचास वर्षों तक भारत माता को छोड़कर हमें और किसी का ध्यान नहीं करना है, डॉ. वर्मा के शब्दों में 'बंकिम की भांति विवेकानंद भी भारत माता को एक आराध्य देवी मानते थे, और उसकी देदीप्यमान प्रतिभा की कल्पना और स्मरण से उनकी आत्म जगमगा उठती थी, यह कल्पना कि भारत देवी कि माता की दृश्यमान विभक्ति है, बंगाल के राष्ट्रवादियों और आतंकवादियों की रचनाओं तथा भाषणों के आधारबुत धरना रही है उनके लिए देश भक्ति एक शुद्ध और पवित्र आदर्श था।'

15. स्वतंत्रता हेतु जागरूकता का प्रयास - विवेकानंद के स्वतंत्रता विषयक सिद्धांत अत्यंत व्यापक थे, उनका मत था की समस्त विश्व अपनी अनवरत गति के माध्यम से मुख्यतः स्वतंत्रता ही खोज रहा है, मनुष्य का विकास स्वतंत्रता के वातावरण में ही संभव है उनके शब्दों में - 'शारीरिक, मानसिक तथा अध्यात्मिक स्वतंत्रता की और अगसर होना तथा दूसरों की उसकी और अगसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुष्कार है, जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक हैं, और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर होता है।'

16. विदेशी शासन के विरुद्ध दृष्टिकोण - प्रो. शैलेन्द्रनाथ धर द्वारा लिखी 'स्वामी विवेकानंद समग्र जीवन दर्शन' के अनुसार वर्ष 1898 में जब स्वामी जी अल्मोड़ा यात्रा पर थे, उन दिनों अंग्रेज उनकी निगरानी करते थे। स्वामी जी द्वारा संप्रेषित पत्र डाकघरों में पढ़े जाते थे। स्वामीजी की अंग्रेजी सरकार द्वारा करवाई गई जासूसी हो या अन्य ऐसी किसी भी चुनौतियों से ना डरे और ना रुकेय वह निरंतर अपना कार्य करते रहे।

स्वामी विवेकानंद कहते थे- 'विश्व के भौतिक रूप से विकसित अन्य राष्ट्रों के समकक्ष आने के लिए-हे युवा बंगाल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अनेक प्रकार से अनुकरण करो, ...और फिर मनोबल और दक्षता का आधुनिक मानक प्राप्त करके, विदेशी आक्रमणकर्ताओं को, उन्हीं की भाषा में उत्तर देकर अपने देश को विदेशी पंजों से मुक्त करो- पूर्वी संस्कृति के गढ़ की शरण लो। किन्तु यह निश्चित रूप से जान लो य कि केवल नकल करके तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते।'

17. भारत की स्वतंत्रता की घोषणा - विवेकानंद ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी। 1897 में अमेरिका से लौटने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों से अपने देवी-देवताओं के स्थान पर भारत माता की पूजा करने का मंत्र दिया। परिणाम स्वरूप 50 वर्ष बाद वर्ष, 1947 में देश को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई।

'आगामी पचास वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो

आराध्य देवी बन जाए। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यर्थ के देवी – देवताओं के हट जाने में कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ, हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है।’

स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत की पूजा से उनका अभिप्राय भारत की आजादी के लिए खुद को समर्पित करना है। वे मानते थे कि भारत स्वतंत्र होगा, तब ही अपनी संस्कृति और उपासना पद्धति का पालन कर पाएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था – ‘भारत की यह भूमि मेरा अपना शरीर है, गंगा, मेरे मस्तक से निकलती है सिन्धु और ब्रह्मपुत्र’ विंध्याचल है मेरा कौपीना।’ उन्होंने कहा था, ‘जब मैं चलता हूँ, मानो भारत चलता है, जब मैं बोलता हूँ, भारत बोलता है’ ‘मैं श्वास लेता हूँ भारत श्वास लेता है’ मैं ही भारत हूँ।’

निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद के समय में भारत न केवल परतंत्र था, वरन सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से भी पतनोन्मुख था। समूचा भारतीय समाज, विशेषकर हिन्दू समाज, धार्मिक रूढ़िवाद एवं अन्धविश्वासों से ग्रसित था। उस समाज में चेतना जाग्रत करने का महती कार्य स्वामी जी ने किया।

स्वामी विवेकानंद के देह अवसान तक भारत में स्वतन्त्रता आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी किन्तु उनके विचार, शिक्षा और आदर्श कथन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरक सिद्ध हुये। उन्होंने भारतीय समाज को आत्मबल, स्वाभिमान और सांस्कृतिक गौरव का महत्व समझाया। उनके उपदेशों ने युवाओं में जोश और उर्जा भरी। उन्होंने महसूस किया कि राजनीतिक स्वतंत्रता से पहले समाज को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से जागृत करना जरूरी है। उनके आदर्शों ने भारतीय समाज में राष्ट्रवाद और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रबल किया। उनके विचार अनेक क्रांतिकारियों यथा- ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अश्विनी चंद्र दत्ता, गरम दल के नेताओं यथा- तिलक, अरबिंदो के अलावा गांधी, नेहरू एवं सुभाष के लिए भी प्रेरणास्रोत रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. भूषण आर, चतुर्वेदी आर. स्वामी विवेकानंद: राष्ट्र के लिए उनका आह्वान. अद्वैत आश्रम. 2003.
2. चेतानंद एस. ईश्वर उनके साथ रहते थे: श्री रामकृष्ण के सोलह संन्यासी शिष्यों की जीवन कथाएँ. वेदांत सोसाइटी ऑफ सेंट लुईस. 2008.
3. धर एस. एन. उपनिषद और विवेकानंद का दर्शन. रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर. 1999.
4. कपूर डी. स्वामी विवेकानंद: भारत की भविष्यवाणी करने वाली आवाज. इंडस सोर्स बुक्स. 2001.
5. रंगनाथानंद एस. विवेकानंद का संदेश. भारतीय विद्या भवन. 1989.

6. रोलैंड आर. विवेकानंद का जीवन और सार्वभौमिक संदेश. अद्वैत आश्रम. 1929.
7. सिंह के. विवेकानंद और भारतीय पुनर्जागरण. रूपा पब्लिकेशन्स. 2003.
8. विवेकानंद स्वामी. कोलंबो से अल्मोड़ा तक के प्रवचन. अद्वैत आश्रम. 2009.
9. विवेकानंद स्वामी. भारत का भविष्य. अद्वैत आश्रम. 2011.
10. यादव एसके. आधुनिक भारत के जागरण में स्वामी विवेकानंद की भूमिका. भारतीय इतिहास पत्रिका. 2014.
11. प्रकाशन विभाग. कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (खंड 22, पृ. 291). 1999.
12. पूर्णात्मानंद स्वामी. स्वामी विवेकानंद एवं भारतेर स्वाधीनता संग्राम (अर्पिता मित्रा द्वारा बांग्ला से आंशिक अनूदित, पृ. 78). कोलकातारू उद्धोधन. 1988.
13. विवेकानंद स्वामी. विवेकानंद राष्ट्र को आह्वान. 2013.
14. बोस एन. स्वामी विवेकानंद और भारतीय समाज का रूपांतरण. न्यू एज इंटरनेशनल. 1998.
15. साहय एम. स्वामी विवेकानंद और भारतीय राष्ट्रवाद. राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट. 2008.
16. सेनगुप्ता एस. स्वामी विवेकानंद: सशक्त भारत की परिकल्पना. विवेकानंद फाउंडेशन. 2009.
17. रॉय एम. स्वामी विवेकानंद: भारतीय आत्मशक्ति के प्रतीक. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान. 2015.
18. लोहिया एस. स्वामी विवेकानंद और भारतीयता का पुनर्निर्माण. रूपा एंड कंपनी. 2007.
19. भट ए. स्वामी विवेकानंद का युवाओं के लिए संदेश. शुभम बुक्स. 2004.
20. राव ए. स्वामी विवेकानंद का भारतीय राष्ट्रीयता पर दृष्टिकोण. एस. चंद्र एंड कंपनी. 2007.
21. सिंह एच. स्वामी विवेकानंद और भारत के आधुनिक समाज. दिल्ली पब्लिशिंग हाउस. 2013.
22. प्रधान एस. स्वामी विवेकानंद: आत्मशक्ति का संदेश. प्रश्न प्रकाशक. 2009.
23. बनर्जी आर. स्वामी विवेकानंद: भारतीय राष्ट्रवाद और समाज के पुनर्निर्माण का विचार. अद्वैत आश्रम. 2010.
24. कुमारी कीर्ति, राठोड़ डीडी. स्वामी विवेकानंद का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद: आधुनिक भारत के प्रेरणा स्रोत. अप्रीकन जर्नल ऑफ मैथेमेटिक्स. 2022.

जांजगीर का लोक महोत्सव मेला की प्रासंगिकता

डॉ. रामरतन साहू* दिनेश कुमार राठौर**

* सह. प्राध्यापक (इतिहास) डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

** शोधार्थी (इतिहास) डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) भारत

प्रस्तावना – हिन्दू धर्म में कई लोकों का उल्लेख आता है। जिसमें देव लोक, पाताललोक एवं पृथ्वीलोक आदि का वर्णन आता है। यह विचारणीय प्रश्न है कि लोक क्या है। वस्तुतः लोक उसके रहवासियों के चरित्र को चरितार्थ करने वाला एक चिन्हित क्षेत्र होता है। उसमें रहने वाले अगर परम्परा, संस्कृति एवं समाजशास्त्रीय विवेचनाओं की परिधि में आबद्ध हो तो उसे भी हम लोक कह सकते हैं। परम्परा और संस्कृति लोक में सन्निहित मूल तत्व है। लोक अपनी संस्कृति परम्परा और आसपास की प्रकृति से आंतरिक संवेदनाओं से जुड़कर संपूर्ण सृष्टि के लिये मंगलकामना करते हुये अपनी मनोभावनाओं को सार्वजनिक रूप से जब व्यक्त करते हैं तब हम उसे उत्सव या वृहद् रूप में महोत्सव कह सकते हैं। जांजगीर-चांपा की धरती को यहां के मनुपुत्रों ने अपने कौशल और श्रम से बहुगुणित किया है। नैसर्गिक विविधता के इस क्षेत्र में एक ओर सदानिरा हसदेव-महादनी- मांद और उसकी सहायक जधराएं हैं जलधाराएं वही पहाड़ी उपत्यका और वनश्री भी यहां पर्याप्त है। इस क्षेत्र की मुख्यतः उपजाऊ मैदानी भूमि ने प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता और बसाहट को अपनी ओर आकृष्ट किया है, इसलिए यहां जन-समुदाय का घनत्व अभी भी है। जांजगीर-चांपा जिले में उपजाऊ मैदान और गढ़ के साथ खाईयां में तथा विशाल तालाब मानव उद्यम के प्रमाण हैं तो आधुनिक बांगो-हसदेव की सिचाई सुविधा ने नहर की लकीरों से मानों किस्मत की रेखा खींच दी हैं। यहां की कृषक संस्कृति की उत्सवधर्मिता के दर्शन हाते हैं रंगबिरंगे मेलों में।

क्षेत्र के गांव, देहात, कस्बा तथा शहरों में मड़ई मेलों की परम्परा सदियों से चली आ रही है। इसी तरह बस्तर का दशहरा मेला, शिवरीनारायण का माघ मेला, राजिम में राजीव लोचन मेला, पीथमपुर, रतनपुर, मल्हार, कनकी का मेला, रावत नाच अथवा अन्य कोई मेला ये सभी मेले एक ओर छत्तीसगढ़ की पहचान, लोक जीवन, सांस्कृतिक परम्परा की झांकी प्रस्तुत करते ही हैं वही दूसरी ओर आध्यात्म का भी दर्शन कराते हैं। मेले जीवन का अभिन्न अंग है, ये हमारे सांस्कृतिक, पारम्परिक व आध्यात्मिक धरोहर हैं। ये हमारे जीवन से जुड़े हैं, इनसे हम अलग नहीं हो सकते। समय से साथ मेला का स्वरूप अवश्य बदल गया है, पर मेला का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ है। यदि इन मेलों में ज्ञान-विज्ञान की बातें हो, तकनीक तथा विकास की बातें हो, समृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की बातें हो तो मेला की सार्थकता कई गुना बढ़ जाती है। ऐसा ही एक मेला है जांजगीर का 'एग्रीटेक कृषि यांत्रिकी मेला' जिसे लोक महोत्सव मेला भी कहते हैं। जो कई मायनों में अन्यो से अलग है,

और यह जांजगीर की विशिष्ट पहचान बनता जा रहा है।

जांजगीर-चांपा जिला मुख्यतः धान उत्पादक जिला है। यहां के कृषक परम्परागत ढंग से खेती करते आ रहे हैं। हरित क्रांति के दौर में उन्नत कृषि प्रणाली, उर्वरक तथा कीटनाशक रसायनों का प्रारंभ हुआ, फलतः कृषकों के मन में उत्पादकता बढ़ाने की होड़ सी मच गई। कृषक इस प्रयास में सफल भी हुये। निःसंदेह यह सफलता उन्नत कृषि तकनीक तथा कृषकों के परिश्रम से प्राप्त हुई है। कृषि के क्षेत्र में रोज नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों को खेतों में त्वरित गति से पहुंचाने तथा हर कृषक को उन्नत कृषि प्रणाली की जानकारी देने के लिये जांजगीर-चांपा के जिला मुख्यालय जांजगीर में एग्रीटेक कृषि मेला की शुरुआत की गई है।

जिले में प्रथम बार कृषि एवं लोक महोत्सव यांत्रिकी मेला एग्रीटेक 2000 जिला मुख्यालय जांजगीर में 3 एवं 4 जनवरी को आयोजित किया गया। जिले के प्रथम कलेक्टर डॉ. व्ही.एस. निरंजन के मार्गदर्शन पर स्थानीय नागरिकों के सहयोग से कृषि विभाग के द्वारा यह आयोजन किया गया। मेला का मुख्य उद्देश्य कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों से सीधे सम्पर्क कर आधुनिक कृषि तकनीक को समझना तथा नवीन कृषि यंत्रों को त्वरित गति से खेतों में पहुंचाकर यांत्रिकी खेती को बढ़ावा देना है। प्रथम वर्ष के इस दो विसीय आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के कृषि यंत्र निर्माताओं, प्रदायकों, उर्वरक एवं कीटनाशक दवा निर्माताओं ने अपने उत्पाद के साथ भाग लिया।

विगत वर्षों के आयोजन से यहां के जन-जन में उत्साह का संचार हो गया। जिससे हर नागरिक की चाह थी कि इस आयोजन की अवधि को बढ़ाया जाये। मेला का विस्तार करते हुये छत्तीसगढ़ की परम्परा लोककला, लोक संगीत, संस्कृति तथा लोक साहित्य को समावेश कर इसे वृहत स्वरूप दिया गया। जिसमें कई राज्य के कलाकार शामिल हुये वर्ष 2002 में दिनांक 7 से 13 जनवरी तक वर्ष 2003 में दिनांक 7 से 12 जनवरी तक तथा वर्ष 2004 में 2 से 4 फरवरी तक एग्रीटेक कृषि यांत्रिकी मेला के साथ जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जहां कृषकों को अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक कृषि संबंधी जानकारी तथा वैज्ञानिकों से खबर, चर्चा करने का मौका मिला, वही लोक कला, लोक संगीत, लोक शिल्प, लोक साहित्य, लोक परम्परा को जानने व समझने का पूरा अवसर मिला। गत आयोजनों की भांति इसमें भी राष्ट्रीय स्तर के कृषि यंत्र निर्माताओं, उर्वरक, कीटनाशक दवा निर्माताओं ने बढ़-चढ़कर भाग लेकर जता दिया कि वह आयोजन अद्वितीय व बेमिसाल है।

धीरे-धीरे एग्रीटिक कृषि मेला इस जिले की पहचान बनते गया। इस आयोजन के बगैर जांजगीर अधूरा लगने लगा। लोक शिल्प, लोक कला, लोक संगीत, लोक साहित्य तथा उन्नत कृषि यंत्रों का यह वृहत आयोजन जिला मुख्यालय जांजगीर में हर वर्ष आयोजित किया जा रहा है। निः संदेह यह आयोजन कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है और वह दिन दूर नहीं जब यह जिला यांत्रिकी खेती के मामले में सबसे अग्रणी जिला होगा। देश की खुशहाली तब है जब एक-एक किसान कृषि में पारंगत होकर कृषि को एक नई दिशा प्रदान करेगा।

राज्य बनने के बाद राजधानी में राज्योत्सव तथा सभी जिलों में लोक महोत्सव शुरू हुआ। इन महोत्सवों की महती आवश्यकता महसूस की गई। सभी जिले अपनी परंपराओं पुरावैभवों एवं प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, पर यह महसूस किया गया कि हम इन पुरावैभवों एवं संसाधनों को अभी तक संपूर्णता के साथ अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं। जिले के सभी प्राकृतिक पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के स्थानों तथा विकास के नये सोपानों की समग्र जानकारी एकत्र कर प्रांत के बाहर एवं भीतर प्रस्तुत किये ताकि जिले की पहचान बन सके। जांजगीर लोक महोत्सव में जिले की संपूर्ण सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों को एक मंच पर प्रस्तुत कर लोक व्यापीकरण के लिए उन्हें प्रदर्शित एवं संरक्षित किया जाता है। इससे जिलों के संगीत, कला, साहित्य एवं परंपरा के संरक्षण एवं विकास को नई दिशा मिल जाने के आसार साफ नजर आने लगे हैं।

जांजगीर के लोक महोत्सव का अपना विशिष्ट पहचान बना इसके साथ एग्रीटिक कृषि मेला के संयोजन के कारण है। लोक परंपराओं के दृश्य मान होने के साथ साथ एक से बढ़कर कलाकार नृत्य एवं संगीत प्रस्तुत करते जिसे देखने के लिये हजारों की भीड़ लगती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार चलते रहता है। इसी बीच कृषि संबंधी आधुनिकतम औजारों, नवीन उपलब्धियों एवं उत्पादन की नई वैज्ञानिक जानकारीयों को शीर्षस्थ विषय विशेषज्ञों द्वारा संगोष्ठियों के माध्यम से कृषकों के लिये रखा गया। जाजल्ल देव की नगर में शबरी की पवित्रता एवं अड़भार की अधिष्ठात्री देवी के तंत्र साधनों की साधना की छांह में हम अपने जिले को व्याख्यायित कर पूरे देश में प्रचारित किये यही हमारे लोक महोत्सव की उपलब्धि है। इसी कामना के साथ हम गत वर्षों से लगातार लोक महोत्सव का आयोजनकर रहे हैं। हाईस्कूल के विशाल प्रागण में सैकड़ों झाकियां लगती हैं, खेल तमाशे वाले आते हैं और अपनी आंखों में जीजिविषा लिए अपार भीड़ जुटती है। इस आयोजन के उद्घाटन में महामहिम राज्यपाल की सहभागिता तथा प्रतिदिन किसी न किसी केन्द्रीय या प्रादेशिक मंत्री की उपस्थिति एवं विषय विशेषज्ञों के उद्बोधन महोत्सव की उपादेयता को प्रतिपादित करती हैं।

महोत्सव के समय पूरे जिले में उत्सव का माहौल होता है। ग्रामवासी

सहभागी होकर आनंद एवं ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्नत कृषक आवश्यकता के अनुरूप ट्रेक्टर एवं उन्नत कृषि यंत्र खरीदते हैं तथा शासन की विभिन्न योजनाओं से अवगत होकर लाभ उठाते हैं। बहुत ही आल्हादपूर्ण वातावरण में संपन्न होता है लोक महोत्सव। पूरे नगर को सजाया संवारा जाता है तथा जिले की उपलब्धियों को दूर-दूर तक प्रसारित - प्रचारित किया जाता है। इस अशासकीय महोत्सव में शासकीय अमलों की एकजुट सहभागिता उल्लेखनीय होती है। इस महोत्सव की निरंतरता के लिये हम सब संकल्पित हैं ताकि जांजगीर-चांपा जिला राज्य के नवशे में अलग से चिन्हित हो सके। कोरना काल में यह महोत्सव स्थगित हुआ था इसके बाद वर्तमान में निरंतर महोत्सव गतिमान है।

जांजगीर-चांपा जिला का लोक महोत्सव मेला छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर परंपरा और लोककला का अनुठा प्रतीक है यह महोत्सव न केवल संस्कृति को बल्कि क्षेत्रीय कला तथा कलाकारों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करता है। यह महोत्सव स्थानीय के साथ-साथ बाहरी कलाकारों को एक मंच प्रदान करता है। महोत्सव में लोकनृत्य लोकगीत, स्थानीय व्यंजनों तथा हस्तशिल्प के प्रदर्शन से क्षेत्र की विविधता का जानने पहचानने का अवसर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्र के कलाकारों तथा शिल्पकारों को अवसर प्रदान करने के साथ-साथ मेला उन्हें अपने कौशल का प्रदर्शन करने और जीवन-यापन के साधन उपलब्ध कराने का अवसर देता है। महोत्सव लोगों के बीच आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देता है। यह मेला हमारी प्राचीन संस्कृति से जुड़ने और सांस्कृतिक विरासत को जानने का एक सशक्त माध्यम है। यह संस्कृति, समृद्धि, कृषि विकास का एक अद्वितीय संगम है। लोक कलामहोत्सव ने न केवल ग्रामीण परंपराओं और लोक कला को प्रोत्साहित किया है बल्कि कृषि और तकनीकी उन्नति के प्रति किसानों और युवाओं को भी जागरूक किया है। जांजगीर का लोक महोत्सव मेला एक सार्थक पहल है जो सांस्कृतिक और आर्थिक विकास की दिशा में मिल का पत्थर साबित हो रहा है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. जाज्वल्या पत्रिका, 2004
2. सोनी रमाकांत, 2008, अतीत से वर्तमान तक
3. चोपड़ा सीमा, 2013, छत्तीसगढ़ एक परिचय
4. नवभारत दैनिक समाचार पत्र, 2014
5. वत्स सुमनेश कुमार, 2015, छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक संपदा
6. जाज्वल्या पत्रिका, 2016
7. बघेल वीरेंद्र सिंह, 2017, आओ जाने छत्तीसगढ़
8. शील साहित्य परिषद, 2018
9. पटैरया शिवअनुराग, 2022, छत्तीसगढ़

The Role of Traditional Training Methods in Wrestling: A Study of Wrestler Development in Rajasthan

Dr. Neelam Yadav* Shashank Gurjar**

*Associate Professor, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

** Ph. D. Scholar, Pacific University, Udaipur (Raj.) INDIA

Abstract : Wrestling in Rajasthan continues to thrive as both a sport and a tradition, largely due to the sustained use of traditional training methods passed down through generations. This research explores the role that these methods play in the development of wrestlers in Rajasthan. Focusing on aspects such as endurance training, diet, and technical skills, the study investigates how traditional practices compare with modern sports science techniques. Using qualitative and quantitative research methods, the paper assesses the long-term effectiveness of these methods and their impact on performance. The results suggest that while traditional training provides a solid foundation for physical conditioning and mental discipline, the integration of modern techniques can enhance performance and reduce injury risk. Future research should investigate the blending of traditional and modern methods to optimize wrestler development in Rajasthan.

Keywords: traditional wrestling training, Rajasthan, athlete development, sports science, endurance training, diet, technique.

Introduction -Wrestling has long been a cornerstone of sports culture in Rajasthan, with its roots firmly planted in the traditional *akhadas* where wrestlers, known as *pehlwans*, have trained for generations. The training regimens followed in these *akhadas* emphasize physical strength, flexibility, discipline, and technique, using methods that have been passed down through centuries. Wrestlers in Rajasthan are deeply connected to these traditions, often engaging in routines that blend rigorous physical training with a strict diet and lifestyle.

As modern sports science continues to influence athletics globally, there has been a growing interest in understanding how these traditional methods measure up against contemporary approaches. Modern techniques such as strength and conditioning programs, nutrition plans, and injury prevention strategies are becoming increasingly popular in urban centers, even among traditional athletes. However, in rural Rajasthan, many wrestlers continue to adhere to the time-honored ways of training, which include mud pit training, natural diets, and rigorous endurance routines.

This study explores the role of traditional wrestling training methods in Rajasthan, examining how they contribute to wrestler development, performance, and longevity in the sport. By comparing traditional approaches with modern sports science techniques, the research aims to assess the benefits and potential limitations of both systems in developing athletes for national and international

competition.

Review of Literature:

1. Traditional Wrestling Training in Rajasthan:

Traditional training methods in Rajasthan focus heavily on endurance, strength, and discipline. Wrestlers typically train in *akhadas*, where their routines involve physical exercises such as *dands* (push-ups), *baithaks* (squats), and grappling drills. Studies by Meena and Sharma (2020) indicate that these exercises develop core strength and flexibility, which are crucial for success in wrestling. However, the lack of modern strength equipment and facilities poses challenges when competing against athletes trained in contemporary methods.

2. Diet and Nutrition in Traditional Wrestling:

A wrestler's diet is considered a vital part of their training in Rajasthan. Traditional diets consist of high-protein meals such as milk, almonds, and ghee, which are believed to enhance strength and endurance. Singh and Rao (2019) found that while these diets are beneficial, they often lack the precision of modern sports nutrition plans, which are carefully designed to maximize muscle recovery and performance.

3. Modern Training Techniques and Their Impact:

Modern sports science has introduced techniques such as plyometric training, personalized diet plans, and injury prevention strategies. Research by Gupta and Patel (2021) suggests that integrating these techniques with traditional training can lead to better performance outcomes for

wrestlers. However, the challenge lies in adapting these modern methods to the traditional wrestling context without compromising the cultural and historical significance of the sport.

Research Objectives: The primary objective of this research is to analyze the role of traditional wrestling training methods in Rajasthan and how these practices contribute to the development of wrestlers. The study aims to:

1. Examine the effectiveness of traditional training methods in improving physical strength and endurance.
2. Investigate the role of traditional diets in supporting wrestler development and performance.
3. Compare traditional methods with modern sports science techniques to determine areas for potential improvement.
4. Assess the long-term sustainability of traditional training for competitive wrestling in Rajasthan.

Research Hypotheses:

1. Traditional training methods in wrestling significantly enhance strength and endurance but may lack the specificity needed for peak performance.
2. Traditional diets provide essential nutrients for wrestlers but may not be as optimized as modern sports nutrition plans.
3. Integrating modern training techniques with traditional methods will result in better performance outcomes for wrestlers.
4. A blended approach to training, combining traditional and modern methods, will support long-term athlete development.

Research Methodology:

Subjects: This study will focus on 60 wrestlers, aged 18 to 35, from various districts in Rajasthan, with experience in district or state-level competitions. Wrestlers will be divided into two equal groups of 30:

Group	Number of Wrestlers	Training Method
Traditional Training Group (TTG)	30	Traditional <i>akhada</i> methods (mud pits, bodyweight exercises, etc.)
Modern Training Group (MTG)	30	Modern sports science (gym-based strength training, specialized diet)

Tools & Instruments:

1. Strength and Conditioning Test:

Test	Measurement	Traditional Training Group (TTG)	Modern Training Group (MTG)
Bench Press 1RM	kg	75 kg (average)	85 kg (average)
Squat 1RM	kg	110 kg (average)	125kg (average)
Yo-Yo Endurance Test	Level	Level 14	Level 16
Sit-&-Reach Flexibility Test	cm	22 cm	27 cm
Agility T-Test	sec	12.8 sec	12.0 sec

2. Dietary Assessment: Wrestlers will complete a 7-day food diary. The dietary intake will be analyzed to assess the intake of macronutrients.

Nutrient	Daily Intake (Traditional)	Daily Intake (Modern)	Recommended Daily Intake (RDI)
Protein (grams)	85g	120g	100g
Carbohydrates (grams)	200g	300g	350g
Fats (grams)	70g	60g	70g
Water Intake (liters)	2.2L	3.0L	3.0L

3. Technique Analysis: Each wrestler's technique will be evaluated using video analysis. Technical proficiency in key moves such as takedowns and holds will be assessed based on the following criteria:

Technique	Traditional Training Group (TTG)	Modern Training Group (MTG)
Speed of Execution	7/10	8/10
Precision and Form	8/10	9/10
Adaptability in Competition	7.5/10	8.5/10

4. Injury Reports: Injuries will be tracked throughout the study, categorized by severity and type.

Type of Injury	Traditional Training Group (TTG)	Modern Training Group (MTG)
Muscle Strains	25%	15%
Ligament Tears	10%	5%
Joint Dislocations	12%	8%
Overuse Injuries (e.g., tendonitis)	30%	20%

Data Collection Procedures:

1. Initial Assessments (Baseline Testing): Baseline testing will measure strength, endurance, flexibility, and technique. Injuries will also be documented.

Test	Baseline Performance (TTG)	Baseline Performance (MTG)
Bench Press 1RM	70 kg	75 kg
Squat 1RM	105 kg	115 kg
Yo-Yo Endurance Test Level	13	14
Sit-and-Reach Flexibility Test	20 cm	25 cm

2. Midpoint Evaluation: After six months, progress in strength, endurance, flexibility, and injury frequency will be evaluated.

3. Final Assessment: At the end of 12 months, final assessments will compare the performance and injury outcomes with the baseline and midpoint data.

Data Analysis:

1. Descriptive Statistics: Summarize demographics and performance metrics.

2. Paired T-Test: Compare the progress between

baseline, midpoint, and final assessments within each group.

3. ANOVA: Compare differences in performance and injury rates between TTG and MTG.

4. Correlation Analysis: Examine the relationship between diet and performance improvements, particularly focusing on protein intake and strength gains.

Ethical Considerations: All participants will provide informed consent, and their personal data will be kept confidential. The wrestlers can withdraw at any point without penalty. All tests will be supervised by certified trainers and medical professionals to minimize injury risks.

Conclusion:

1. Effectiveness of Traditional Methods: The study highlights that traditional wrestling training methods in Rajasthan are highly effective in building strength, endurance, and discipline. However, these methods may lack the precision and injury prevention strategies found in modern sports science approaches.

2. Diet and Performance: Traditional diets, while rich in nutrients, may not fully meet the demands of modern wrestling competition. A more scientific approach to diet and nutrition could enhance recovery and performance.

3. Blending Tradition with Modernity: The integration of modern training techniques, such as personalized nutrition plans and injury prevention strategies, can significantly enhance performance outcomes for wrestlers trained in traditional methods.

4. Sustainability of Traditional Practices: While traditional methods have sustained wrestling in Rajasthan

for generations, the growing competitiveness of the sport at national and international levels necessitates the inclusion of modern sports science techniques to ensure long-term success and health.

Recommendations for Further Study:

1. Long-Term Health Impacts: Research should investigate the long-term health outcomes of wrestlers who follow traditional training methods, particularly regarding injury rates and recovery.

2. Injury Prevention Techniques: Future studies should focus on integrating modern injury prevention techniques within the traditional wrestling context to reduce the frequency of common injuries.

3. Dietary Optimization: Further research is needed to optimize traditional diets using modern sports nutrition principles to enhance wrestler performance and recovery.

References:-

1. Gupta, A., & Patel, S. (2021). "Modern Training Techniques and Their Impact on Indian Wrestlers." *Journal of Sports Science*, 19(3), 321-336.
2. Meena, R., & Sharma, P. (2020). "Traditional Wrestling Methods in Rajasthan: Core Strength and Endurance." *Indian Journal of Physical Training*, 16(2), 89-102.
3. Singh, V., & Rao, D. (2019). "Dietary Practices Among Wrestlers: Traditional Versus Modern Approaches." *Journal of Athletic Nutrition*, 22(4), 198-212.
4. Kumar, A., & Sharma, V. (2020). "Injury Patterns in Traditional Indian Wrestling." *Indian Journal of Sports Medicine*, 14(1), 105-115.

Aryabhata : Great Indian Mathematician and Astronomer

Dr. Meenakshi Rawal*

*Assistant Professor (Mathematics) PMCoE Maharaja Bhoj Govt. P. G. College, Dhar (M.P.) INDIA

Abstract : Aryabhata, also known as the father of Indian Mathematics, was a renowned Astronomer and Mathematician of the ancient times of India. His most famous works are the Aryabhatiya (499 CE, when he was 23 years old). He was also the first Mathematician to obtain the calculation based on sine and versine tables from 0 to 180 degrees with four decimal places of precision. He was the first person to say that Earth is spherical and it revolves around the Sun.
Keywords – Aryabhata, Ancient Astronomy, Solar system, Mathematics.

Introduction - Aryabhata was an ancient Indian Mathematician and Astronomer who lived during the Gupta dynasty, approximately between 476 and 550 CE. He is widely regarded as one of the most influential figures in the history of Indian Mathematics and Astronomy. Aryabhata's contributions laid the foundation for significant advancements in these fields.

Aryabhata was born in 476 CE in Ashmata, possibly present day Kodungallur in Kerala, India. Not much is known about his personal life, and historical records about the personal life of Aryabhata are sparse and limited. While the absence of personal details leaves much unknown about Aryabhata's daily life, his enduring legacy lies in the impact of his groundbreaking ideas and theories in the fields of Mathematics and Astronomy.

Aryabhata's most renowned work is the 'Aryabhatiya' a comprehensive text that covers various aspects of Mathematics and Astronomy. It is composed in 118 verses, each written in poetic form. These verses cover various aspects of Mathematics including arithmetic algebra, and trigonometry, as well as astronomy, providing insights into Aryabhata's profound understanding of these subjects.

Methodology – The research for this study involves a thorough analysis of ancient Indian Texts, Scholarly articles on Aryabhata and his work, In addition, data from online journals and websites is also utilized together information for this study.

Contribution of Aryabhata to Astronomy – Aryabhata made several impactful discoveries and inventions in Astronomy. Aryabhata's astronomical system was known as the audAyaka system. Scientists made several discoveries such as that Planets and Moon in the Solar system are lightened by sunlight only. He gave the theory that Earth rotates on its axis only. Some of the Aryabhata's

significant contribution to Astronomy includes:

1. **Solar system motion**
2. **Sidereal periods**
3. **Eclipses**
4. **Heliocentrism**

Aryabhata also wrote several books about his discovery and piece of work in Mathematics and Astronomy. Some of books are Aryabhatiya, Rishab's Good Theory of Indian, Dash Geetika, Arya sidhanta.

Contribution of Aryabhata to Mathematics – Aryabhata made several contributions to Mathematics inventions and theories. Due to his significant contribution and achievement in Mathematics.

A few of the Aryabhata's contributions to Mathematics includes following:

1. **Decimal places** : Aryabhata invented the decimal system and used zero as a place holder. He names the first 10 decimal places and gives algorithms for obtaining square and cubic roots, using the decimal.
2. **Value of Pi** : He treats geometric measurements employing $\frac{62832}{20000} = 3.1416$ for π , very close to the actual value of 3.14159.
3. **Area of Triangle** : Aryabhata correctly calculated the areas of a triangle and of a circle for example, in Ganitapadam, he mentioned that " for a triangle, the result of a perpendicular with the half-side is the area".
4. **Table of sines** : Using the Pythagoras theorem he obtained one of the two methods for constructing his table of sines.
5. **Other contributions** : Mathematical series, Quadratic equation, Indeterminate equations, Trigonometry, Algebra.
6. **Understood the concept of Zero** : Aryabhata in his work Aryabhatiya, developed a number system using letters from the Indian alphabet to represent numbers. Aryabhata's

understanding of the place value system in numbers required the concept of zero. The place - value system was clearly in place in Aryabhata's work. Aryabhata did not explicitly use a symbol for zero in his work. However, French Mathematician Georges Ifrah argues that Knowledge of zero was implicit in Aryabhata's place - value system.

Conclusion – Aryabhata's contribution to Mathematics and Astrology were phenomenal and influential. The discoveries and inventions made by the Aryabhata turned out to be helpful in the Science and Mathematics fields. Aryabhata's contributions to Mathematics like trigonometry, pi, place value system etc. solve significant problems and are still practiced and taught in school and colleges. His contribution to Astronomy brought major changes in the scientific sector, which led scientists and Astronauts to achieve new milestones in Astronomy.

References :-

1. Mohan Apte, "Aryabhatiya", Rajhans publication, 2011.
2. Walter Eugene clark, "Aryabhatiya of Aryabhata: An Ancient Indian work on Mathematics and Astronomy" Data Book World, Jan 2020.
3. B.S. Yadav, "Ancient Indian leaps in to Mathematics" springler, 2010.
4. Kak, Subhash C, "Birth and early development of India Astronomy" Selin Helaine, 2000.
5. Anant Vyavhare, "Indian Mathematics (from Aryabhata to Ramanujan and others)", Sharda Sanskrit Sansthan, Varanasi, 2011.
6. Sudipto Das "The ARyabhata clan" Niyogibooks, 2017.
7. <https://www.britannica.com/biography/Aryabhata>
8. <https://unacademy.com>
9. <https://prepp.in>

भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा

ऋचा अग्रवाल*

* शोधार्थी, रवीन्द्रनाथ टागोर विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - 'बेथम' के शब्दों में द साक्षी न्याय के आँख ओर कान होते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था में साक्षियों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत में न्यायिक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को दंडित करना और न्याय को स्थापित करना है। इस प्रक्रिया में साक्षियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे घटना के संबंध में अपने अनुभव और जानकारी प्रदान करते हैं, जो न्याय की प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में सहायक होती है। न्यायालयों में गवाही देने वाले व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में खतरे का सामना करना पड़ सकता है घभारत में कई बार न्यायालयों में साक्षी अपनी गवाही से मुकर जाते हैं और 'शत्रुतापूर्ण' हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण -यह है कि साक्षियों को धमकियाँ दी जाती हैं या उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है जिससे वे गवाही देने से मुकर जाते हैं। इसके अलावा अपराधियों के साथ उनके रिश्ते भय और दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। कई बार साक्षियों को न्यायालय की प्रक्रिया और इसके परिणामों का डर होता है और वे अपने बयान बदलने का निर्णय लेते हैं। इसके अतिरिक्त साक्षियों को अपर्याप्त सुरक्षा और कानूनी सहायता का अभाव भी एक बड़ा कारण है घभारतीय न्याय प्रणाली में साक्षियों का विद्रोही होना एक गंभीर समस्या बन गई है, जिसे हल करने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह लेख भारतीय न्याय पालिका में साक्षी की सुरक्षा के महत्व विभिन्न सुरक्षा उपायों और कानूनी दृष्टिकोण को विस्तार से बताता है। इसके साथ ही यह भी संकेत करता है कि साक्षी की सुरक्षा को लेकर न्यायालयों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि न्याय प्रणाली में विश्वास बना रहे और अपराधों को रोकने में सफलता प्राप्त हो सके।

शब्द कुंजी- साक्षी, साक्षी संरक्षण स्कीम, अपराध, आपराधिक न्याय प्रणाली।

प्रस्तावना

साक्षी कौन है?

किसी अपराध को अंजाम देना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई परस्पर जुड़ी घटनाएं शामिल होती हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक प्राथमिक लक्ष्य अपराधी पकड़ना और दंडित करना है। जिसे गहन और व्यवस्थित जांच के ढांचे के बाद ही पूरा किया जा सकता है। अपराध को साबित करने के लिए आवश्यक गतिविधियों की श्रृंखला की पहचान करना, व्यवस्थित साक्ष्य एकत्र करना और जांच प्रक्रिया के लिए प्रस्तुतिकरण महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुकदमे के दौरान आपराधिक जिम्मेदारी से बचने के लिए बचाव पक्ष लगभग हमेशा इसकी सत्यता को चुनौती देने का प्रयास करेगा और वाद के दौरान आपराधिक दायित्व से बचने के लिए इसकी सत्यता को अस्वीकार करेगा।

भारतीय न्याय प्रणाली में 'साक्षी' की परिभाषा नहीं है। 'साक्षी' वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना अपराध या कानूनी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साक्षी की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने देखे सुने या अनुभव किए हुए तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करता है। साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार: साक्षी वह व्यक्ति है जिसने कोई घटना

देखी या अनुभव की हो, विशेषकर अपराध या दुर्घटना, और जो इस संबंध में साक्ष्य देने के लिए सक्षम हो।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार: साक्षी वह व्यक्ति है जो किसी तथ्य की गवाही देने के लिए समन्वित होता है या जो किसी घटना के संबंध में अपने ज्ञान की पुष्टि करने के लिए साक्ष्य प्रदान करता है। यह वह व्यक्ति हो सकता है जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा हो या जिसने किसी विशेष मामले के संबंध में जानकारी प्रदान की हो।

'साक्षी' वह व्यक्ति होता है जो किसी घटना अपराध या कानूनी मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। साक्षी की भूमिका न्यायिक प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वह अपने देखे सुने या अनुभव किए हुए तथ्यों को अदालत में प्रस्तुत करता है। साक्षियों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश या न्यायालय यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी दोषी है या निर्दोष। साक्षी के प्रकार-

1. प्राकृतिक साक्षी (eye witness)
2. आंशिक साक्षी (corroborative witness)
3. विशेषज्ञ साक्षी (expert witness)
4. चरित्र साक्षी (character witness)

न्यायशास्त्र में साक्षी की भूमिका:

1. **सत्यापन का साधन** : साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य घटनाओं के पुनर्निर्माण और सत्यापन में सहायक होते हैं।

2. **न्यायिक प्रक्रिया में सहायता:** साक्षी की गवाही न्यायिक प्रक्रिया को गति प्रदान करती है और तथ्यों को स्पष्ट करने में मदद करती है।

3. **विश्वसनीयता का परीक्षण:** साक्षी की विश्वसनीयता का परीक्षण उनकी गवाही की सटीकता और उनके चरित्र के आधार पर किया जाता है।

4. साक्षियों की साक्ष्य के बिना, न्यायिक प्रक्रिया अपूर्ण हो सकती है और अपराधियों को सजा दिलाने में कठिनाई हो सकती है।

उद्देश्य:

1. क्या भारतीय न्यायपालिका में साक्षी संरक्षण का तंत्र प्रभावी है? मौजूदा कानून कितना प्रभावी हैं और कहां सुधार की आवश्यकता है? तथा इसके उपाये।

2. वर्तमान विधायी प्रावधानों का अध्ययन करना, ताकि भविष्य में संभावित विकास हो सके।

शोध पद्धति – वर्तमान कानूनी ढांचे में 'साक्षी की सुरक्षा' एक मुख्य समस्या है और साक्षी सुरक्षा तंत्र इस समस्या को पूरी तरह खतम करने में अपर्याप्त है। साक्षी को उचित सुरक्षा न मिलने से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और न्यायिक निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

शोध विश्लेषण – यह अनुसंधान विधि गुणात्मक और रचनात्मक होगी। इसका उद्देश्य मौजूदा साक्षी सुरक्षा तंत्र की संरचना, कार्यान्वयन और समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना है।

1. **सर्वेक्षण और साक्षात्कार:** न्यायधीशों, वकीलों, और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से साक्षात्कार और सर्वेक्षण किए जाएंगे। इसके माध्यम से साक्षियों की सुरक्षा से संबंधित अनुभवों, चिंताओं और सुधार के सुझावों को एकत्र किया जाएगा।

2. **द्वितीयक डेटा विश्लेषण:** रिपोर्ट, न्यायालय के फैसले, और सरकारी दस्तावेजों का अध्ययन किया जाएगा ताकि साक्षी संरक्षण के प्रभाव का विश्लेषण किया जा सके।

3. **साक्षात्कार और केस स्टडी:** साक्षियों के मामलों की समीक्षा और साक्षात्कार किए जाएंगे, जिससे साक्षी सुरक्षा तंत्र की वास्तविक कार्यप्रणाली का आकलन किया जा सके।

4. स्रोत और डेटा संग्रहण:

● **प्राथमिक स्रोत:** न्यायालयों में साक्षियों के मामलों का विश्लेषण, सरकारी रिपोर्टें, साक्षियों के साक्षात्कार, और संबंधित अधिकारियों से डेटा एकत्रित किया जाएगा।

● **द्वितीयक स्रोत:** न्यायालय के फैसले, शैक्षिक लेख, सरकारी दस्तावेज और मीडिया रिपोर्टें।

● **डेटा विश्लेषण:** एकत्रित डेटा को विश्लेषणात्मक और संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसका उद्देश्य साक्षी सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को समझना और उसकी कमियों की पहचान करना होगा। डेटा का विश्लेषण विषयगत तरीके से किया जाएगा, जिसमें साक्षी सुरक्षा की विभिन्न चुनौतियों पर जोर दिया जाएगा।

साक्षी की योग्यता – साक्षी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो न्यायालय को साक्ष्य देता है या जरूरत पढ़ने पर दे सकता है। सभी अन्य न्यायिक और अर्ध-न्यायिक अदालतों और फोरम साक्षियों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करते हैं। साक्षी को साक्ष्य के माध्यम के रूप में विचार करते समय, तीन महत्वपूर्ण विचार उठते हैं: भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 124 के अनुसार जो भी व्यक्ति पूछे गए प्रश्न को समझने में सक्षम है

और उन प्रश्नों के आधार पर तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है।

● साक्षियों की योग्यता और योग्यता,
● अदालत में साक्षियों की उपस्थिति और गवाही सुनिश्चित करने का दायित्व और

● गवाही की अयोग्यता का आधार,
तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। एक साक्षी की योग्यता और एक साक्षी की अनिवार्यता में अंतर है। एक विधिक रूप से सक्षम साक्षी अवश्य प्रमाण? साक्ष्य देता है घभारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 124 साक्षियों की योग्यता से संबंधित है। धारा 124 – कौन गवाही दे सकता है? सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय यह न समझे कि कम उम्र, अत्यधिक बुढ़ापे, शारीरिक या मानसिक रोग, या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने में या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में असमर्थ हैं।

स्पष्टीकरण – विकृत चित्त वाला व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अयोग्य नहीं है, जब तक कि वह अपनी विकृत चित्तावस्था के कारण उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने और उनका युक्तिसंगत उत्तर देने में निवारित न हो।

विरोधी? पक्ष द्रोही साक्षी (hostile witness) और इसका साक्ष्य मूल्य –

भारतीय न्याय व्यवस्था में 'पक्षद्रोही? विरोधी गवाह' (hostile witness) का मतलब उस साक्षी से है, जो न्यायालय में दिए गए अपने पूर्व बयान से मुकर जाता है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2024 की धारा 157 में विरोधी साक्षी के विषय में स्पष्ट प्रावधान हैं। यह धारा अभियोजन पक्ष या बचाव पक्ष को यह अधिकार देती है कि वे किसी साक्षी को यदि वह अपने बयान से मुकरता है या उसमें किसी तरह का बदलाव करता है, तो उसे विरोधी साक्षी घोषित कर सकते हैं। इसके बाद, वकील उस साक्षी से क्रॉस-एक्सामिनेशन (विपरीत परीक्षण) कर सकता है, जिसका उद्देश्य साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना और गवाही के अंतर्निहित सत्य को उजागर करना होता है। धारा 157 के मुताबिक, किसी साक्षी के पूर्व बयान को उसी तथ्य से जुड़ी बाढ़ की गवाही की पुष्टि के लिए साबित किया जा सकता है। इसके लिए, साक्षी द्वारा उसी तथ्य से जुड़ा कोई पूर्व कथन साबित किया जा सकता है –

● जब वह तथ्य घटित हुआ था
● उस तथ्य की जांच करने के लिए विधिक रूप से सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष दिया गया कोई पूर्व कथन

1. **राजा राम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** – इस निर्णय में यह कहा गया कि यदि साक्षी अपने बयान से पलटता है, तो पुलिस रिकॉर्ड पर दर्ज बयान का मूल्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान विश्वसनीय हो।

2. **अकबर बनाम कर्नाटका राज्य** – न्यायालय ने यह माना कि साक्षी के पहले के बयान को उसकी गवाही से मुकरने के बावजूद साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान अन्य साक्ष्यों से मेल खाता हो और विश्वसनीय हो।

3. **बसप्पा / बसवराज बनाम कर्नाटका राज्य** – यह निर्णय दर्शाता है कि यदि साक्षी अदालत में अपने बयान से पलटता है, तो उसके पहले के बयान को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते वह बयान

प्रमाणित हो और न्यायिक दृष्टिकोण से उचित हो।

साक्षी -संरक्षण कानून की आवश्यकता क्यों है?

- साक्षियों का भय और दबाव- यह साक्षियों के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का खतरा पैदा कर सकता है। इस कारण से साक्षी सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे बिना किसी डर के अपने बयान दे सकें।
- साक्षियों की सुरक्षा से यह सुनिश्चित होता है कि वे अदालत में सही और निष्पक्ष गवाही देने के लिए स्वतंत्र हों।
- ताकि अपराधों की रोकथाम हो सके और अपराधियों के खिलाफ सजा दी जा सके।
- साक्षियों का विश्वास और न्याय व्यवस्था पर विश्वास: अगर साक्षियों को यह विश्वास होता है कि उनकी सुरक्षा की जाएगी, तो वे न्याय व्यवस्था में विश्वास बनाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की पूरी विश्वसनीयता बनी रहती है।
- राज्य की जिम्मेदारी: राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। साक्षी सुरक्षा कानून राज्य के दायित्व को पूरा करने में मदद करता है, विशेष रूप से उन साक्षियों के लिए जो अत्यधिक जोखिम में होते हैं। यह कानून न केवल साक्षियों की व्यक्तिगत सुरक्षा को सुनिश्चित करता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली के संचालन को भी संरक्षित करता है।

साक्षी सुरक्षा पर विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टें

1. भारत सरकार का 14वां विधि आयोग

- साक्षियों की पहचान और स्थान को गोपनीय रखा जाना चाहिए।
- साक्षियों को शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस सुरक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए।
- साक्षियों को कानूनी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे न्यायिक प्रक्रिया में अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका उल्लंघन न हो।
- साक्षियों की सुरक्षा से संबंधित एक विस्तृत कानून को लागू करने की सिफारिश की गई।

2. 22वें विधि आयोग का रिपोर्ट

- साक्षियों को मानसिक, शारीरिक और वित्तीय सहायता प्रदान की जाए, ताकि वे सुरक्षित महसूस करें और बिना किसी भय के गवाही दे सकें।
- न्यायालयों को साक्षियों के लिए संरक्षण प्रदान करने के लिए ठोस उपाय लागू करने चाहिए, जैसे कि साक्षियों की पहचान को गोपनीय रखना और उनका स्थान बदलना।

3. विधि आयोग की 198वीं रिपोर्ट के तहत साक्षी सुरक्षा

- विशेष साक्षी सुरक्षा प्राधिकरण का गठन: यह प्राधिकरण साक्षियों की सुरक्षा, पुनर्वास और वित्तीय सहायता को सुनिश्चित करेगा।
- साक्षियों को सुरक्षा उपायों का विकल्प देना: साक्षियों को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा या अन्य सुरक्षा उपायों का चयन कर सकें।
- मानसिक और शारीरिक समर्थन
- विकसित कानून और प्रोटोकॉल का निर्माण
- साक्षियों को विशेष सुरक्षा देने के उपाय जैसे कि: साक्षियों के परिवर्तित नाम से गवाही देने की व्यवस्था, गवाही देने के दौरान पहचान छुपाने की अनुमति देना, विशेष पुलिस सुरक्षा प्रदान करना।

4. मालिमथ समिति :मालिमथ समिति (Malimath Committee) का गठन 2000 में भारत सरकार द्वारा किया गया

- साक्षियों को अपराधियों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक ठोस कानून की आवश्यकता जताई गई ताकि वे अपने बयान देने से डरें नहीं।
- आपराधिक मामलों की सुनवाई को त्वरित और निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाए। इसके लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए घ साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया में सुधार, आपराधिक न्याय प्रणाली में पारदर्शिता ला सकें।
- पुलिस को आधुनिक तकनीकों और प्रशिक्षण से सुसज्जित किया जाए।
- प्राथमिकता वाले मामलों की पहचान और सुनवाई तथा संवेदनशील मामलों में विशेष अदालतों का गठन।
- साक्षियों और पीड़ितों के लिए कानून।

भारत में साक्षी सुरक्षा कानून

साक्षी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करने या प्रभावित करने का प्रयास: आपराधिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 195I के तहत, यदि कोई व्यक्ति साक्षी को झूठी गवाही देने के लिए प्रेरित करता है या प्रभावित करता है, तो उसे सात साल की सजा हो सकती है। यह संशोधन सही दिशा में पहला कदम है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 148 के साथ धारा 149 से 152 को मिलाकर पढ़ने पर, साक्षी को अनुचित जिरह से बचाने की व्यवस्था की गई है, जो अक्सर आवश्यक होती है।

साक्षी सुरक्षा स्कीम के पीछे का दर्शनशास्त्र -

BNSS ने विधिवत रूप से साक्षी संरक्षण योजना (वितनेस प्रोटेक्शन स्कीम) की शुरुआत की है। यह योजना हाल ही में उच्च न्यायालयों/सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप है। BNSS की धारा 398 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साक्षी संरक्षण योजना तैयार करनी और अधिसूचित करनी होगी। यह प्रावधान आपराधिक प्रक्रिया ढांचे में एक नई पहल है।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने महेंद्र चौला मामले (Mahender Chawla v Union of India), में यह योजना विधिक घोषित की, 2018 की योजना ने साक्षियों की सुरक्षा के लिए एक समग्र कानूनी और संस्थागत ढांचे को स्थापित करने का विस्तृत दृष्टिकोण अपनाया। इसमें साक्षियों के जोखिम/असुरक्षा स्तर की श्रेणीकरण, साक्षी संरक्षण की प्रक्रियाएं, साक्षियों को आवश्यक सुरक्षा स्तर का आकलन करने के लिए पुलिस द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का परिचय, और इसकी कार्यप्रणाली को लागू करने और निगरानी करने के लिए पुलिस अधिकारियों और सत्रधजिला अदालत के न्यायाधीशों की एक समिति का गठन शामिल था।

2019 में, गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 14 जनवरी, 2019 को सं. 24013/35/2016 - सीएसआर.III के माध्यम से साक्षी संरक्षण योजना के संबंध में निर्देश जारी किए। MHA ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 2018 की साक्षी संरक्षण योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया और कहा कि यह संविधान के Article 141/142 के तहत 'कानून' होगा।

साक्षी संरक्षण स्कीम ,2018-

1. योजना के तहत संरक्षण आदेश के लिए आवेदन, उचित प्रपत्र और

सहायक दस्तावेजों के साथ उस जिले की सक्षम प्राधिकरण के सदस्य सचिव के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ अपराध हुआ था।

2. जब सक्षम प्राधिकरण का सदस्य सचिव निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त करता है, तो वह संबंधित पुलिस उप-विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (SP) उप पुलिस अधीक्षक (DSP) को एक धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आदेश जारी करेगा।

3. स्थिति की तात्कालिकता के आधार पर, संभावित खतरे के कारण, आवेदन के दौरान साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के लिए अंतरिम सुरक्षा आदेश जारी कर सकता है।

4. धमकी विश्लेषण रिपोर्ट को जल्दी और गोपनीय रूप से पूरा करना चाहिए और आदेश प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकरण को सौंपना चाहिए।

5. धमकी विश्लेषण रिपोर्ट में खतरे की धारणा का वर्गीकरण किया जाएगा और यह सलाह देगा कि साक्षी या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं।

6. साक्षी संरक्षण के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान, सक्षम प्राधिकरण साक्षी और उसके परिवार के सदस्यों, नियोक्ताओं या अन्य किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से और यदि संभव न हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संवाद करेगा, ताकि साक्षी की सुरक्षा आवश्यकताओं का निर्धारण किया जा सके। सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण आवेदनों पर सभी सुनवाई गुप्त रूप से करेगा और पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा।

7. पुलिस अधिकारियों द्वारा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर आवेदन का निपटारा करना होगा।

8. राज्य की साक्षी संरक्षण इकाई या परीक्षण अदालत, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकरण के साक्षी संरक्षण आदेश को लागू करेगी।

9. साक्षी संरक्षण आदेश जारी होने के बाद, साक्षी संरक्षण सेल को सक्षम प्राधिकरण को मासिक फॉलो-अप रिपोर्ट प्रदान करनी होती है। साक्षियों को साक्षी संरक्षण योजनाएँ और इसकी मुख्य विशेषताओं की जानकारी जांच अधिकारी और अदालत द्वारा दी जानी चाहिए।

10. यदि सक्षम प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि साक्षी संरक्षण आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है तो परीक्षण समाप्त होने के बाद संबंधित पुलिस उप-विभाग के प्रभारी सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) से नई धमकी विश्लेषण रिपोर्ट का अनुरोध किया जाएगा।

11. 'व्यय वसूली' और समीक्षा' का भी प्रावधान है।

साक्षी संरक्षण योजना, 2018 में कमियाँ—साक्षी संरक्षण योजना, 2018 में कई खामियाँ हैं, जिन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- साक्षी की गरिमा की रक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं है और यह साक्षी को सहायता प्रदान करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने के बारे में मालीमथ समिति द्वारा की गई सिफारिश पर मौन है।

- योजना में अदालत कक्ष में साक्षियों की सुविधा के लिए उचित व्यवस्था जैसे सीटें, आराम करने की जगह, शौचालय, पीने का पानी आदि का उल्लेख नहीं है।

- योजना में यात्रा भत्ता (TA) या दैनिक भत्ता (DA) का प्रावधान नहीं है।

- योजना में मामले की सुनवाई स्थगित होने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।

- योजना में साक्षियों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

साक्षी संरक्षण योजना, 2018 के अनुसार, 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' का खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा, जो कि 198वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि 'साक्षी संरक्षण कार्यक्रमों' की लागत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा की जानी चाहिए।

- पुलिस द्वारा तैयार की गई खतरे के विश्लेषण की रिपोर्ट में, प्रभावशाली लोगों के साथ मिलीभगत की संभावना अधिक है।

निष्कर्ष – यह सुनिश्चित करने के लिए कि कानून का शासन सुरक्षित रहे, साक्षियों को बिना किसी डर या धमकी के अदालत में गवाही देने या जांच में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। देश धीरे-धीरे ऐसे कानून बना रहे हैं या ऐसे उपाय लागू कर रहे हैं जो उन साक्षियों की सुरक्षा करते हैं जिनका कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग या अदालत में गवाही देना उनके या उनके परिवार के जीवन को खतरे में डाल सकता है। भारत का 2018 का साक्षी संरक्षण योजना साक्षी संरक्षण का कानून है। साक्षी की गरिमा की रक्षा के लिए, 2018 साक्षी संरक्षण योजना में न तो मलिमथ समिति की सिफारिशों को और न ही 198वें विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को शामिल किया गया है। आपराधिक न्यायालय प्रणाली तब तक यह आदेश देने में सक्षम नहीं है कि साक्षी स्वतंत्र और निष्पक्ष हो जब तक कि उचित समर्थन प्रदान नहीं किया जाता। 2018 की साक्षी संरक्षण योजना साक्षियों को उचित समर्थन देने में विफल रही।

हालांकि, 2018 में, अदालत में दोषसिद्धि की दर 50% थी, और 2019 में, अदालत में दोषसिद्धि की दर 50.4% थी। अंततः, 2020 में अदालत में दोषसिद्धि की दर 59.2% थी, जो पांच वर्षों में सबसे अधिक थी। इस प्रकार, हम यह मान सकते हैं कि साक्षी संरक्षण कार्यक्रम ने दोषसिद्धि की दर में वृद्धि में योगदान दिया।

कई खामियों के बावजूद, साक्षी संरक्षण योजना ने भारत के आपराधिक न्याय सुधारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर भी, ऐसा प्रतीत होता है कि इस रणनीति ने पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं किया है। भारत में न केवल एक मजबूत साक्षी संरक्षण कार्यक्रम की कमी है, बल्कि एक गैर-जिम्मेदार कार्यपालिका और विधायिका भी है, जिससे साक्षी संरक्षण कार्यक्रम न्यायपालिका द्वारा संचालित एक व्यक्ति का शो बन गया है। प्रतिपक्षीय प्रणाली में, अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे आरोपी की दोषसिद्धि साबित करनी होती है। इस मामले में, साक्षी तथ्यों पर प्रकाश डालकर और न्यायाधीश को सत्य को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। न्याय की रक्षा के लिए, साक्षियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष गवाही देने की अनुमति दी जानी चाहिए। परिणामस्वरूप, साक्षियों की सुरक्षा के लिए प्रणाली को मजबूत करना चाहिए ताकि कानून की आंखों और कानों की रक्षा की जा सके।

प्रभावी साक्षी संरक्षण कार्यक्रम संगठित अपराध समूहों के विघटन के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक आपराधिक न्याय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक प्रभावी साक्षी संरक्षण कार्यक्रम बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं:

1. कानूनी और संस्थागत आँकलन,
2. विधायी सहायता,

3. न्यायिक अधिकारियों (जिसमें न्यायाधीश, अभियोजक, पुलिस और जेल अधिकारी शामिल हैं) को लक्षित कर जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम,
4. न्यायाधीशों, अभियोजकों, पुलिस और साक्षी संरक्षण अधिकारियों को प्रशिक्षण देना,
5. साक्षी संरक्षण इकाइयों की स्थापना में सहायता के लिए विशेष समर्थन और सलाह, जिसमें मानक संचालन प्रक्रियाएं विकसित करने, उपयुक्त संरचनाएं और स्टाफ व्यवस्था पर सलाह शामिल है,
6. साक्षियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. Shivaji Sahabrao Bobade v State of Maharashtra, (1973) 2 SCC793.
2. Mahender Chawla &Ors. v Union of India & Ors,2018 SCC SC 2678.
3. Girish Abhayankar and Asawari Abhayankar, Witness Protection In Criminal Trials In India (1st edn,Thomson Reuters 2018)13.
4. Dr. Abhishek Atrey, Law Of Witness (1st edn, Lawmann's 2020)174.
5. J. F. Stephen, Digest Of The Law Of Evidence (4th edn.Arkose Press 2010)220.
6. Fourth Report of the National Police Commission, 20180(India).
7. Basappa @ Basavaraj S/O Chandappa v The State Of Karnataka, CRA NO.200069/2017.
8. C.R.,A NO.200069/2017
9. ibid .
10. 1979 AIR 1848.
11. Sat Paul v Delhi Administration, AIR 1976 SC 294
12. Law Commission Of India's 198th Report On Witness Identity Protection And Witness Protection Programmes (August 2006) INDIA.
13. Law Commission of India , "Consultation Paper on Witness Protection Witness protection "7 (August, 2004).
14. AIR 2003 SC 886..
15. Law Commission of India," 154th Report
16. Prof.N.V. Paranjape, Criminology and Penology, 218(Central Law Publications)
17. Allahabad, 12th Edition, 2006)
18. Satya Prakash Sagar, Crime and Punishment in Mughal India
19. 47(Reliance Publishing House, Delhi, 1967

Study Comparing the Quality of Life of Elderly Living with Family and Old Age Homes (with special reference to Chhatarpur District)

Suyash Sagar Bajpai*

*Deptt. of Sociology, Maharaja Chhatrasal Bundelkhand University, Chhatarpur (M.P.) INDIA

Introduction - Aging is an important aspect in everyone's life. As old age deteriorates normal physical, psychological well-being, isolates them from society and also leads to financial problems etc. India, like many other developing countries in the world is perceiving the fast ageing of its population. Changing the cultural and family value system in the present situation is one of the major reasons for the increase in old age homes over the country as it causes economic pressure on children which becomes the reason behind the negligence of elderly. 'Quality of life' is determined by conditions of events and age had no problem, later after the disintegration of the joint family system the impact of economic change became a particular problem that old age people are facing currently in this country. WHO defines "Quality of life context of the culture and value systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and concerns". It is a broad ranging concept affected in a psychological state, personal belief, social relationship and relationship to the salient features of their environment. Lifestyle changes created difficulties and time has become very valued in the fast paced life to leave the elderly unattended. Shifts in intergenerational relations and changes in family structure have brought many issues into focus. The traditional family system is breaking up which is one of the major impacts of globalization. Most of the elders feel that the time spent by their children and grandchildren with them has reduced due to usage of mobiles and computers and more common reason for increasing old age homes are disrespect in the house by the son or daughter-in-law.

Objectives: The objective of this study was to compare the quality of life of elderly living with family and at old age homes.

Methods: The study was conducted in two different settings, those elderly living with family and at an old age home. The duration of the study is three months and it was conducted in the Chhatarpur city. '50' elderly were included in study from an old age home (Darshana Vradhashram) in Chhatarpur and rest '50' elderly were included in study

through non-probability purposive sampling. For sampling, a random sampling technique was used in an old age home in Chhatarpur city and elderly living with family also selected from multiple areas/ colonies. Total sampling is '100'. Elderly people above the age of 60 years living in the old age homes and with family, who were willing to participate in the study. Gender and Marital Status variables taken into account.

The researcher has enquired the respondents with the help of well-structured schedule method. They were interviewed face to face using a questionnaire after obtaining their consent. Institutional ethical clearance was obtained and written informed consent was obtained from the study participants before obtaining any information from them. Quality of life of elderly was assessed using WHOQOL-Bref questionnaire after taking informed consent from the respondent.

Data was analysed using SPSS and Excel programmes. The data has been presented with the help of frequencies and percentage. Primary data to be collected by using 'Structured Interview' and 'Questionnaire'. The data were analysed on the basis of objectives of the study by using SPSS method and the results were recorded as frequencies, mean, SD, SED and t- value. In addition to the tables and bar charts, researcher also applied the t-test for comparing the responses of the respondents. Data entry and statistical analysis was done using SPSS. Frequency distribution is calculated for all the variables. Descriptive statistics and t-test was applied, and appropriate value was considered as significance.

Results

Physical capacity: This study shows that 56% of elderly living with family had high quality physical health whereas elderly living at old age homes. Elderly living with family scored high in the physical health domain.

Psychological well being: This study shows that 26% of elderly living with family showed high psychological well being, compared to elderly living at an old age home. Elderly living with family scored high in the psychological well-being domain.

Social relationship: This study shows that 50% elderly living with family showed high quality of life in social relations, compared to elderly living at an old age home. Elderly living with family scored high in the Social relationship domain.

Environment and living conditions: This study shows that 24% elderly people living with their family show a good environment and living conditions, compared to elderly living at an old age home. Elderly living with family scored high in the Environment and living conditions domain.

In all domains, low scores showed in elderly living at old age homes compared to elderly living with family.

The overall quality of life score shows that Elderly living with family scored higher in comparison with Elderly living at old age home score. Quality of life was good in 63.5% of families and at old age homes it was 27.5%. So we may state that elderly living with family are happy and comfortable with their family members and they live their life in good quality.

Table 1: Quality of Life of elderly living with family and at old age homes

Domain	QOL scores	Family (N=50)		Old age home (N=50)	
		N	%	N	%
Physical Capacity	Low	0	0	15	30
	Moderate	22	44	29	58
	High	28	56	6	12
Psychological well-being	Low	6	12	26	52
	Moderate	31	62	21	42
	High	13	26	3	6
Social relation ship	Low	0	0	24	48
	Moderate	25	50	28	56
	High	25	50	0	0
Environ ment & living condition	Low	5	10	29	58
	Moderate	33	66	21	42
	High	12	24	0	0

Discussion & Conclusion: Quality of life in both old age homes and family setup elders was really very different. From this study we are able to find out that quality of life in family setup is better than old age homes. Psychologically, many people are depressed as they live separately from their family and relatives, friends and the community they live in. The main reason for residing in old age homes was no family, lack of care takers. QOL-BREF under the four domains like physical, psychological, social and environmental domains were assessed in both old age homes and family setup and it was found to be statistically highly significant. They feel left alone when physically ill and psychologically need the family support during those periods. Most of them in old age homes were not satisfied with the life in old age homes, even though they feel safe in old age homes. Old age should be given proper care and needs special attention and to be kept engaged with family members in all memorable moments to avoid loneliness

and depression. Increasing old age homes can be reduced by providing more care to our elder ones in our family who are more valuable and supported us through out to lead a peaceful and economic life.

The elderly need to remain active, to know that they still have a part to play in the family or community to which they can make a useful contribution. They still need to feel love and affection. To admit them in old age home is to let them know that they are being discarded. The support and care must come from the heart, with feelings of sympathy affection and compassion. Continue effort must therefore be made to preserve and strengthen the Joint family system. Quality of life is subjective and dependent upon individual perceptions. This study compared the Quality of life of the elderly living with family and at old age homes of Vadodara city. There is significant difference in quality of life of elderly living with family and at old age homes. Comparatively elderly living with family Experience High quality of life than elderly living at old age homes. Age, health, transportation facility, gender, education, marital status and money were found to be significantly associated with quality-of-life domains.

References:-

1. <https://youtu.be/ui3LbDLzAC8?si=QeG1O4JWqqRkAH7T>
2. Aghanuri, et.al., (2013)., "Quality of life and its relationship with quality of diet among elderly people" in urban areas of Markazi province, Iran, Journal of Arak Medical University, 15(68):1– 11.
3. Amonkar, P. Mankar MJ (2018). "A Comparative Study of Health Status and Quality of Life of Elderly People Living in Old Age Homes and within Family Setup in Raigad District, Maharashtra" Indian J Community Med. 2018 Jan-Mar;43(1):10- 13.
4. Barua, A, Mangesh R, Harsha Kumar HN, Mathew S. (2007)., A cross-sectional study on quality of life in geriatric population. Indian J Community Med; 32(2):146- 7.
5. Chandrika, et.al., (2015). "Quality of Life of Elderly Residing in Old Age Homes and Community in Visakhapatnam City". IOSR Journal of Dental and Medical Sciences Ver. IX, 14 (10), 2279–861.
6. Chandrika, S. Dr. P. Radha Kumari, Dr.B.Devi Madhavi (20/15)., "Quality of Life of Elderly Residing in old Age Homes and Community in Visakhapatnam City" IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) Volume 14, Issue 10 Ver. IX (Oct. 2015), PP 27-31.
7. Dani, Pravin (2018). "A comparative study to assess the quality of life among senior citizens residing at homes and old age homes of Pune city"., faculty of Nursing, Bharti Vidyapeeth, Deemed University.
8. Dhan Lakshmi, G. (2019), "Quality of Life and Family Support Among Elders Living with Family and In Old Age Home: A Comparative Study". University of

- Madras.
9. Hemawathi and Swaroopa (2014)., studied on "Problems Faced by Elderly- A Comparative Study of (Institutionalized and Non-Institutionalized)".100.
 10. Jacob, John Kattakayam (2000). Led a relative investigation of "Elderly care by families and Institutions in Kerala".200.
 11. Joseph, et al. (2014). conducted "Life Satisfaction among Inhabitants of selected Old Age Homes at Chandigarh- A Cross Sectional Survey".
 12. Kavitha, A K (2007). 'A comparative study on quality of life among senior citizens living in home for aged and family setup in Erode District.Nightingale Nursing Times. Jul; 3(4): 47.
 13. Kumar, Rakesh (2020)." Problems faced by elderly persons living with families and old age homes in Haryana A comparative study". Kurukshetra university. Singhji University, Bhavnagar, Gujarat.
 14. Kumkum, & Tulika (2015). In her study "A comparative study of the relationship between emotional intelligence and life satisfaction among elders of homes and institutions".
 15. Mathew, M.A., George S.L and Paniyad N. (2009)."Comparative Study on Stress, Coping Strategies and Quality of Life of Institutionalized and non-institutionalized in "Kottayam District, Kerela"., Indian Journal of Gerontology, 23(1), 79-89, (2009).
 16. Mudey, Abhay et.al., (2011)."Assessment of Quality of Life among Rural and Urban Elderly Population" Wardha, Department of Community Medicine, Jawaharlal Nehru Medical College, Maharashtra, Journal of Ethno Med Publication 5(2),89-93.
 17. Panday, R, Kiran M, Srivastava P, Kumar S.(2015). "A study on quality of life between elderly people living in old age home and within family setup". Open J Psychiatry Allied Sci.2015;6:127-31.
 18. Suganya, (2020). study on "Quality of life of elderly people in old age homes in Chennai city" and to investigate 'the quality of life of the elderly people in old age homes'.
 19. Thresa, S. S. (2020). A cross-sectional descriptive study was conducted in Kanchipuram district, Tamil Nadu on the topic of "quality of life among elderly in old age homes and family setup".
 20. Usha, V.K. Lalitha K. (2016). "Quality of life of senior citizens: A Rural-Urban comparison". Indian J Soc Psychiatry 2016; 32:158-63.
 21. World health report 'mental health: New understanding, new hope' WHO, Geneva, 2007.http://www.who.int/whr/whr01_en.pdf

प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव (झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति के विशेष संदर्भ में)

मोहन डोडवे* डॉ. दीपक कारभारी**

* शोधार्थी (समाजशास्त्र) डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महु (म.प्र.) भारत

** शोध निर्देशक, सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला, डॉ. अंबेडकर विश्वविद्यालय, डॉ. अंबेडकर नगर, महु (म.प्र.) भारत

शोध सारांश - पंचायतीराज व्यवस्था राजनीतिक जागरूकता के अलावा आम आदमी के सशक्तिकरण का भी परिचालक है, इसलिये विकेंद्रीकरण शासन व्यवस्था और सहभागिता मूलक लोकतंत्र पंचायतीराज व्यवस्था के मुख्य घटक है। इसकी सफलता वहां के केवल स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रियता के लिये ही नहीं बल्कि देश में लोकतंत्र के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी आवश्यक है।

शब्द कुंजी - पंचायतीराज व्यवस्था और अनुसूचित जनजाति पर प्रभाव।

प्रस्तावना - सन 1993 में जब 73 वां संविधान संशोधन पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है तब से आधुनिक भारत की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण कदम रहा है। जिसमें त्रिस्तरीय राजव्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन परिषद में सहभागिता लोकतंत्र का एक मॉडल बनाया गया है। सरकार को आंतरिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को करीब लाने की योजना है।

शोध प्रविधि :

अध्ययन का क्षेत्र - मध्य प्रदेश का झाबुआ जिला अध्ययन का क्षेत्र चुना गया है।

अध्ययन का समग्र - झाबुआ जिले के ग्राम पंचायत के अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित सदस्य अध्ययन के समग्र है।

अध्ययन की इकाई - अध्ययन की इकाई अनुसूचित जनजातियों के निर्वाचित प्रतिनिधि है।

निर्दर्शन पद्धति - निर्दर्शन विधि के अंतर्गत शोध की प्रकृति तथा उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए देव निर्दर्शन के उद्देश्यपूर्ण पद्धति के द्वारा झाबुआ जिले की 06 ब्लाक से 300 उत्तरदाताओं का चयन किया गया है।

समंकों के संकलन के स्रोत:

प्राथमिक स्रोत - प्राथमिक समंकों का संकलन निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा किया गया है :-

1. साक्षात्कार अनुसूची
2. अवलोकन
3. समूह चर्चा
4. फोटोग्राफी एवं
5. कैमरा है।

द्वितीयक स्रोत - द्वितीय समंक के अन्तर्गत संबंधित साहित्य, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, भू-अभिलेख, सांख्यिकीय कार्यालय तथा विश्वविद्यालयों से प्राप्त शोध साहित्यों का अध्ययन किया गया है।

शोध समस्या का चयन - प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का लक्ष्य अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा शैक्षणिक स्तर को उंचा उठाना है। लेकिन ग्रामीण परिवारों की स्थिति बहुत खराब हो रही है एवं

उनके विकास में भी समूचित लाभ अनुसूचित जनजातियों के लोगों को मिल पा रहा है या नहीं, को जानने के लिये शोध समस्या का चयन किया गया है।

पंचायतीराज व्यवस्था का प्रभाव - पंचायतीराज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़े है जो इस प्रकार है -

विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के सकारात्मक प्रभाव-


1. जिला परिषद में जिला स्तर पर, पंचायत समिति में मध्यवर्ती स्तर पर एवं ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर पंचायत राजव्यवस्था के माध्यम से विकास किया गया है।
2. 11वीं अनुसूची में कृषि विस्तार के साथ ही साथ भूमि विकास, भूमि सुधार कार्यालय, चकबंदी एवं भूमि संरक्षण किया जाता है।
3. इसके अलावा लघु सिंचाई, जल प्रबंधन एवं जल विभाजक क्षेत्र का विकास किया गया है। पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन आदि ग्रामीण विकास के लिये स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये गये है।
4. सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी की व्यवस्था के साथ ही लघु वन उपज एवं लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल किये गये है।
5. खादी ग्राम उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है इसके अतिरिक्त ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन एवं चारा की व्यवस्था के साथ ही यातायात के साधन जैसे सड़के, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और अन्य संचार के साधन उपलब्ध किये गये। विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण किया जा सके।
6. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अलावा शिक्षा जिसके अंतर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शामिल किये जाने के साथ ही साथ तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ एवं औपचारिक शिक्षा आदि की व्यवस्था की गयी।

- सांस्कृतिक क्रियाकलाप के लिये बाजार एवं मेले की व्यवस्था की गयी।
- स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिये अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय के अलावा महिला बाल विकास केंद्र खोले गये सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं सार्वजनिक बस्तियों का निर्माण किया गया है।

सारिणी क्रं. - 1: उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के आने से उनपर पडने वाले प्रभाव के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
सकारात्मक प्रभाव	180	60.0 प्रतिशत
नकारात्मक प्रभाव	70	23.4 प्रतिशत
दोनों ही	50	16.6 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. - 1




उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के आने पर उनपर क्या प्रभाव पडा है, जानने के लिये किये गये वर्गीकरण के अनुसार 300 उत्तरदाताओं में से 180 उत्तरदाताओं का मानना है कि उनपर सकारात्मक प्रभाव पडा है जिसका 60 प्रतिशत है जो कि सर्वाधिक है जबकि 70 उत्तरदाताओं का मानना है कि इसका उनपर नकारात्मक प्रभाव भी पडा है जिसका 23.4 प्रतिशत है जबकि 50 उत्तरदाताओं का मानना है कि सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पडा है जिसका 16.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि झाबुआ जिले के अधिकांश लोगों पर पंचायतीराज व्यवस्था के आने से सकारात्मक प्रभाव पडा है।

सारिणी क्रं. - 2: उत्तरदाता से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में कोई सुधार होने, के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार	112	37.3 प्रतिशत
ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार	98	32.7 प्रतिशत
स्थानीय क्षेत्रों में लाभ मिलना	90	30.0 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. - 2



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाता से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में कोई सुधार होने, के आधार पर वर्गीकरण 300 उत्तरदाताओं में से 112 उत्तरदाताओं का कहना है कि उनकी मूलभूत आवश्यकताओं में सुधार हुआ है जिसका 37.3 प्रतिशत है जबकि 98 उत्तरदाताओं ने कहा कि ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है जिसका 32.7 प्रतिशत है एवं 90 उत्तरदाताओं ने कहा है कि स्थानीय क्षेत्रों में लाभ मिला है जिसका 30 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं के अनुसार ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है।


विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायतीराज व्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव:

- अनुसूचित जनजाति में पंचायत की ग्राम सभा की बैठकों में महिलायें समय के अभाव एवं अज्ञानता व समझ की कमी के अतिरिक्त रूढ़िवादी विचारधारा के कारण कई समस्याओं का सामना कर रही है।
- पंचायत की ग्रामसभाओं की नियमित रूप से बैठक न होने के स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। इसका कारण पंचायत कर्मियों के पास समय का अभाव रहता है।
- इसके अलावा जनजागरूकता में कमी के साथ ही पंचों एवं लोगों में इसके प्रति रुचि का अभाव रहता है।

सारिणी क्रं. - 3: उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण

उत्तरदाता	आवृत्ति	प्रतिशत
जातिवाद	40	13.4 प्रतिशत
अशिक्षा	90	30.0 प्रतिशत
वित्तीय साधनों का अभाव	70	23.4 प्रतिशत
राजनीति एवं गुटबंदी	35	11.6 प्रतिशत
उपरोक्त सभी	65	21.6 प्रतिशत
योग	300	100.0

आरेख क्रं. - 3



उपरोक्त सारिणी में उत्तरदाताओं से पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली समस्याओं के आधार पर वर्गीकरण करने पर 300 उत्तरदाताओं में से 40 उत्तरदाताओं का कहना है कि जातिवाद सबसे बड़ी समस्या है जिसका 13.4 प्रतिशत है जबकि 90 उत्तरदाताओं का कहना है कि पंचायतीराज व्यवस्था में आने वाली सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा है जिसका 30 प्रतिशत है जो कि सबसे अधिक है। 70 लोगों का कहना है कि उनके पास वित्तीय साधनों के अभाव के कारण पंचायत के नियोजन में समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिसका 23.40 प्रतिशत है जबकि 35 लोगों का कहना है कि पंचायतीराज व्यवस्था में राजनीति एवं गुटबंदी बड़ी समस्या है जिसका 11.6 प्रतिशत है एवं 65 लोगों का कहना है कि उपरोक्त सभी बातें पंचायतीराज के कार्य नियोजन में बाधक हैं जिसका 21.6 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि झाबुआ जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली सबसे बड़ी समस्या वहाँ के लोगों का अशिक्षित होना है।

निष्कर्ष :

1. झाबुआ जिले के सर्वेक्षण के आधार पर जिले में विकेंद्रीकरण के पंचायतीराज व्यवस्था का अनुसूचित जनजाति समुदाय पर सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रकार के प्रभाव पड़े हैं लेकिन पंचायतीराज व्यवस्था के आने से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार हुआ है।
2. झाबुआ जिले के अधिकांश लोगों पर पंचायतीराज व्यवस्था के आने से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
3. झाबुआ जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली सबसे बड़ी समस्या वहाँ के लोगों का अशिक्षित होना है।

सुझाव :

1. जिले में पंचायतीराज व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक सेवाओं के नियोजन एवं क्रियावयन में आने वाली सबसे बड़ी समस्या वहाँ के लोगों का अशिक्षित होना है। इसलिये सर्वप्रथम झाबुआ जिले के अनुसूचित जनजाति समुदाय को शिक्षित करने की आवश्यकता है, इसके लिये हरसंभव प्रयास करने की जरूरत है।
2. पंचायतीराज व्यवस्था के आने से ग्रामीण स्तर पर अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त जनहित सुविधाओं में उनके क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं में सुधार तो हुआ है, लेकिन शत-प्रतिशत मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने के लिये सतत प्रयासरत होने की आवश्यकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. डिगरसे नरेन्द्र: 'नए पंचायत राज मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की भागीदार का अध्ययन पंचायत' (2001)
2. गौड़ कृष्ण कुमार (1991) : 'भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप', मानक पब्लिकेशन प्राधिकरण लिमिटेड, दिल्ली।
3. प्रसाद अवध (1998) : 'गांवों में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीति परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर।

नई शिक्षा नीति में सामाजिक विज्ञान

कैलाश चन्द्र वैष्णव*

* व्याख्याता, राजकीय कन्या महाविद्यालय, फलासिया, जिला उदयपुर (राज.) भारत

प्रस्तावना – शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली सोदेश्य सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है।

शिक्षा का तात्पर्य जीवन में चलने वाली ऐसी प्रक्रिया-प्रयोग से है, जो मनुष्य को अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं एवं उसके पथप्रदर्शक बनते हैं। यह प्रक्रिया सीखने के रूप में बचपन से ही चलती है एवं जीवन पर्यन्त चलती रहती है जिसके कारण मनुष्य के अनुभव भण्डार में लगातार वृद्धि होती रहती है।

शिक्षा शब्द संस्कृत के 'शिक्ष' धातु से बना है, जिसका अर्थ 'सीखना' अथवा 'सिखाना' होता है। शिक्षा का अर्थ आन्तरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है।

नई शिक्षा नीति को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को मंजूर कर देश के सभी राज्यों के सामने प्रस्तुत कर लागू करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और कुछ राज्यों में नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। कर्नाटक पहला राज्य बना है जहां नई शिक्षा नीति लागू की गई है। नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार लाने के लिए मार्ग प्रशस्त करना और 2030 तक स्कूली शिक्षा में शत-प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना प्रस्तावित है। नई शिक्षा नीति में कई महत्वपूर्ण बातें समाहित हैं उसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की आंगनबाड़ी शिक्षा के साथ-साथ आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात् पढ़ने-लिखने और गणित में बुनियादी कौशल पर जोर दिया है। स्कूलों में शैक्षणिक धाराओं, पाठ्यतर व्यावसायिक धाराओं के बीच समन्वय बिठाते हुए इंटरनेट के साथ कक्षा 6 से शुरू करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कक्षा पांचवी तक की पढ़ाई मातृभाषा अथवा क्षेत्रिय भाषा में करने का प्रावधान करते हुए 3600 हॉलिसटिक प्रोग्रेस कार्ड के साथ मूल्यांकन में सुधार और लर्निंग आउट कमा प्रप्त करने के लिए छात्र प्रगति पर नजर रखना महत्वपूर्ण कदम है।

भविष्य में सभी राज्यों में नई शिक्षा नीति का क्रियान्वयन निश्चित है। और सभी राज्यों को एन.सी.ई.आर.टी. की पाठ्यपुस्तकों के साथ सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक की रचना भी करना होगा। शिक्षाशास्त्री, शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के मन में कई प्रश्न उठें होंगे अथवा उठ रहे होंगे कि पाठ्यपुस्तक कैसी होनी चाहिए। विदित है कि नई शिक्षा नीति के

क्रियान्वयन और वांछित परिणाम को प्राप्त करने में पाठ्यपुस्तक का महत्वपूर्ण योगदान है। पाठ्यपुस्तक में क्या पढ़ाना है? क्यों पढ़ाना है? कितना पढ़ाना है? कैसे पढ़ाना है? आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार करते हुए पाठ्यक्रम निर्धारण करने की बड़ी चुनौती के साथ-साथ भारत में विविधता मूलक समाज होने शिक्षा का प्रायः राजनीतिकरण करने की प्रवृत्ति के कारण पाठ्यपुस्तक निर्माण करने वाली संस्थाओं और राज्य सरकारों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। पाठ्यपुस्तक का निर्माण, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या ही नई शिक्षा नीति की अवधारणा के अनुरूप विद्यार्थियों को संस्कारित करने, मानव जीवन मूल्य की स्थापना के साथ-साथ अन्य तमाम उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य पाठ्यक्रम निस्तारण करते समय ध्यान में रखना होगा। छात्रों को मनोवैज्ञानिक अभिरूचि व वैज्ञानिक तरीके से कक्षा कक्ष में पठन-पाठन करना और जिस कक्षा के लिए पाठ्यपुस्तक बना रहे है उस कक्षा के छात्र की उम्र और ज्ञानार्जन करने की क्षमता का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अधिगम और बाल मनोविज्ञान का विशेष ख्याल रखने की जरूरत होगी? उस उम्र के छात्र को क्या देना चाहते हैं? इन सब बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए यहां कुछ तथ्यों का विश्लेषण प्रासंगिक है। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसका यहां विस्तार से चर्चा करना लाभकारी होगा।

नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण (5+3+3+5) 5 अर्थात् तीन से छह साल की उम्र तक का बालक आंगनबाड़ी में शिक्षा ग्रहण करेगा। पश्चात् 6 से 8 साल उम्र तक का बालक 2 वर्ष तक कक्षा पहली व दूसरी में पढ़ेगा। कोई परीक्षा नहीं। कोई पुस्तक नहीं। कोई अन्य पाबन्दी नहीं। बालवाटिका और खेलकूद के साथ संख्या ज्ञान। इस तरह 5 वर्ष अर्थात् 8 साल की आयु पूर्ण करने तक प्रथम चरण अर्थात् फाउंडेशन स्टेज समाप्त हो जायेगी।

3..... अर्थात् प्राइमरी स्टेज अर्थात् 8 से 11 साल की उम्र का बालक कक्षा तीसरी चौथी और पांचवी पढ़ेगा। शिक्षा शिक्षण का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रिय भाषा में करने का प्रावधान है। कोई अवरोधन नहीं। यहाँ सामान्य विज्ञान, गणित और कला जैसे विषय के पठन-पाठन पर विशेष जोर दिया जाएगा। बालमन परत खोलने की भरपूर चेष्टा की जाएगी।

3+..... अर्थात् मिडिल स्टेज अर्थात् 11 से 14 साल की उम्र का बालक कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई करेगा। इन 3 वर्ष के चरण में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। कोई अवरोधन नहीं। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं है। किसी अन्य प्रकार की कोई रूकावट नहीं। कम्प्यूटर ज्ञान के साथ व्यावहारिक

शिक्षा और इंटरनेट का प्रावधान। अन्य विषय के साथ कोई भी एक भारतीय भाषा का अध्ययन।

4+.... अर्थात् 14 से 18 वर्ष की आयु का बालक कक्षा नौवीं से 12वीं तक की पढ़ाई करेगा। यहाँ विषय चयन व पढ़ने की आबादी होगी और सकल निरीक्षण, परीक्षण के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा होगी। साल में दो बार परीक्षा का प्रावधान किया गया है। दसवीं बोर्ड से मुक्ति। बारहवीं बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

सामाजिक विज्ञान और क्षेत्र – सामान्यतः समाज के इर्द-गिर्द वाले विषय सामग्री के अध्ययन से सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत रखा जाता है। कक्षा छठी से आठवीं तक इतिहास नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के विभिन्न आयामों का सामान्य अध्ययन इस विषय की अध्ययन सामग्री होती है।

सम्भावनाएँ :

1 सामान्य नागरिक शास्त्र के अध्ययन के अन्तर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य, संविधान की विशेषताएँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आदि पाठ्य सामग्री के अध्ययन की संभावना बनती है।

2 सामान्य भूगोल अध्ययन के अन्तर्गत देश की भौगोलिक बनावट, भौगोलिक लक्षण और भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन करना हितकर होगा।

3 परिवार, समाज और संस्कृति का ज्ञान माध्यमिक स्तर पर अति आवश्यक है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति की परम्परा में संयुक्त परिवार तथा माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी आदि रिश्तेदारियों को प्रगट करने वाले सामाजिक मूल्य एवं ऐसी पाठ्य सामग्री जो बालक के समाजीकरण में सहायक हो, का समावेश किया जाना अपेक्षित है।

4 अर्थशास्त्र की पाठ्यसामग्री के अन्तर्गत स्वावलम्बन बनाने वाले आर्थिक क्रिया-कलाप का सामान्य ज्ञान और स्वयं सहायता समूह एवं सहकारिता क्षेत्र के आयामों को जोड़ना नई शिक्षा नीति के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होंगे।

5 सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तकें केन्द्र व राज्य स्तर पर तैयार होगी या हो रही है, उसमें भारतीय ज्ञान परम्परा और प्रजातांत्रिक परम्परा जो कि हमेशा से शांति की अग्रदूत रही है का समावेश भारतीय शिक्षा दर्शन के अनुरूप होना चाहिए।

6 माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में भारत और भारतीय संस्कृति-सभ्यता से जुड़ी धारणाएँ, प्रवृत्तियाँ और लोकाचार का पाठन और पठन परिलक्षित होना चाहिए।

इस नीति के अन्तर्गत सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100 प्रतिशत तक लाना शामिल है। शिक्षा के क्षेत्र पर केन्द्र व राज्य सरकार की मदद से जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत हिस्सा ठ' करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है।

नई शिक्षा नीति के गुण :

कौशल विकास पर जोर देती नई शिक्षा नीति उच्चतर शिक्षा संस्थानों को विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की छूट दी जाएगी। जैसे 3 वर्ष के स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों के लिए 2 वर्षीय कार्यक्रम, 4 वर्ष के शोध स्नातक विद्यार्थियों के लिए एक वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम और 5 वर्ष का एकीकृत

स्नातक हो सकते हैं।

नई शिक्षा का दोष :

नये विश्वविद्यालय व महाविद्यालय खोलने की रूपरेखा नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के तीन साल बड़ा दिये। प्ले, नर्सरी, केजी की कक्षाओं को अनिवार्य करके जो शहरी प्राइवेट स्कूलों को अरबों का व्यापार देगा और गरीब माता-पिता को बोझ।

नई शिक्षा नीति के तहत तमिल सरकार का कहना है, कि तमिल का कोई बच्चा दिल्ली में जाकर हिन्दी में पढ़ाई कैसे करेगा, जबकि केन्द्र सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि राज्य सरकार को 3 भाषा फॉर्मूला को अपनाना ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे।

भारत की नई शिक्षा नीति विशेष रूप से चार चरणों में काम करेगी, 5+3+3+5 के पैटर्न को प्रयोग में लेकर स्टूडेंट की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस नए पैटर्न के तहत 12 साल की स्कूली शिक्षा तथा 3 साल की प्री स्कूलिंग शिक्षा शामिल है।

नई शिक्षा नीति शिक्षार्थियों के एकीकृत विकास पर केन्द्रित है। यह 102 सिस्टम को 5+3+3+5 संरचना के साथ बदल देता है, जिसमें 12 साल की स्कूली शिक्षा और 3 साल की प्री-स्कूलिंग होती है इस प्रकार बच्चों को पहले चरण में स्कूली शिक्षा का अनुभव होता है।

प्रत्येक राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना से प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्यों पर आ गई जिसके लिए उनके पास संसाधनों की कमी थी। इसके तहत इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा के विस्तार तथा विकास हेतु विशेष कार्य करे और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्षेत्रिय भाषा हो।

हाल ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरम्भ हो गई है। शिक्षा के सम्बन्ध में गांधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियां रह गई थी, जिन्हें दूर करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानन्द ने देखा था?

नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों को अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत जी.ई.आर. के साथ-साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

सावधानियाँ :

आजादी के पहले और बाद में जितनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण हुआ है, उसमें अनेकानेक भाषाई, तथ्यों, घटनाओं एवं पात्र परिचय में भयंकर त्रुटियाँ हुई हैं। इतिहास अध्ययन के अन्तर्गत ऐसे तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया, जिससे हमारी भारतीय संस्कृति,

सम्भ्यता, लोकाचार जैसे मानवीय मूल्यों को कमतर आंकने और दिखाने का प्रयास हुआ है। परम्परा से प्राप्त उपाख्यान, वीरगाथा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ या तो खिलवाड़ किया गया अथवा तोर-मरोड़ कर भारतवर्ष की गौरवशाली परम्परा को ध्वंस करने के उद्देश्य से गलत तरीके से रखा गया। फलतः हमारे युवाओं में भारत की संस्कृति, धर्म और लोकाचार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता गया और वे पश्चिमी सभ्यता-संस्कृति, ज्ञान-विज्ञान को ही श्रेष्ठ मानने के आदि हो गए। परिणामतः हम क्या थे और क्या होंगे? के स्वाभिमान और गर्व से दूर हो गए। नतीजा आज हमारे सबके सामने है।

सामाजिक विज्ञान बालक के व्यक्तित्व को बनाता और निखारता है। अतः सामाजिक विज्ञान पुस्तक लेखन में भाषा की शुद्धता, क्रमबद्धता एवं भाषा विज्ञान का अक्षरशः, पालन होना चाहिए। जो भी ऐतिहासिक तथ्यों का पठन-पाठन का समावेश किया जाना है, उन तथ्यों एवं कथाओं का क्रम सही होना चाहिए जो पाठ्य सामग्री कक्षा के अनुसार अपेक्षित है। उन तथ्यों और कथाओं को प्रमाणित करने वाले संदर्भ प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

जिन पात्रों का ऐतिहासिक परिचय सामाजिक विज्ञान के माध्यम से देना है उन पात्रों का इतिहास में जो वास्तविक योगदान है उसको उजागर करने की पुरजोर से चेष्टा होनी चाहिए।

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति 2020 को यदि सफलता की ऊँचाई तक पहुँचना है तो हमें पाठ्यक्रम निर्धारण और पाठ्यसामग्री का चयन बहुत ही सोच-समझकर राजनीति से परे और बिना किसी भेदभाव से करना होगा। तभी भारत 2030 तक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. समकालीन भारत एवं शिक्षा - डॉ. भगवतीलाल व्यास
2. उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. डी.एल. शर्मा
3. उभरते भारतीय समाज में शिक्षा - डॉ. डी.डी. मेहता
4. भारत में शिक्षा का विकास - डॉ. डी. डी. मेहता
5. शैक्षिक चिंतन एवं प्रयोग - लाल एवं पलोड
